ग्रामीण पुस्तकालय
विकास और शिक्षा प्रसार

"अज्ञानियो के द्वार तक नि शुल्क ज्ञान को ले जाना, उनको सत्य पथ पर अग्रसित करना—इस प्रकार के दान के समान कुछ नहीं है। यहा तक कि सम्पूर्ण विश्व भी दे देना इसकी समता नहीं कर सकता।"

—मनु

ग्रामीण पुस्तकालय विकास और शिक्षा-प्रसार
Rural Library Development & Education Extension

गोपीनाथ कालभोर

रचना प्रकाशन, जयपुर

ग्रामीण पुस्तकालय विकास और शिक्षा प्रसार
गोपीनाथ कालभोर

प्रथम सस्करण 1990

प्रकाशक
विनोद कुमार गुप्ता
रचना प्रकाशन
254 शास्त्री सदन, खूटटो का रास्ता,
किशनपोल बाजार, जयपुर-302001

मूल्य 125-00

मुद्रक
डो एम प्रिन्टस, आंकडो का रास्ता,
किशनपोल बाजार, जयपुर-302001

अनुक्रमणिका

—o—

स्व-कथन

अपनी बात कहने से पूर्व मैं उन लोगों से यह बात स्पष्ट कर देना अधिक न्याय-संगत समझता हूँ जो पुस्तकालय विज्ञान के अध्ययन, अध्यापन, आन्दोलन तथा विकास का बीड़ा उठाये देश को प्रगतिशील राष्ट्रों की दौड़ में ऊँचा उठा देना चाहते हैं फिर भी ग्रामीण भारत की जनता को लाभान्वित करने के उद्देश्यों में सफल नहीं हो पा रहे हैं। जो पाँच राज्य ग्रन्थालय विधान पारित करवा कर सार्वजनिक पुस्तकालय प्रणाली से अपने प्रदेश की शहर, नगर, खण्ड एवं ग्रामीण जनता को ज्ञान का आस्वादन करवा रहे हैं वे निश्चित ही धन्यवाद के पात्र हैं, किन्तु शेष भारत की बात करें तो सर्वत्र उदासीनता, उपेक्षा एवं हीनभावना का दृष्टिकोण ग्रन्थालय विकास के प्रति दिखाई पड़ता है।

ज्ञान, विज्ञान एवं शोध के क्षेत्र में निरन्तर विस्फोटक स्थितियों का अनुभव लेते हम गुजर रहे हैं। कृषि कार्य से लगाकर गृह-संसार के कार्य तक में विज्ञान के आविष्कारों से बेहद प्रभावित हैं किन्तु विचारों की तह में गहरे तक हम ज्ञान की थाह लेने, साक्षरता का अपेक्षित परिणाम देखने गाँव में निकलते हैं तो हमें आज भी वहाँ का किसान निरक्षर व शिक्षा प्राप्ति के प्रति निराश दिखता है। आज भी वे गाँव जहाँ स्वतन्त्रता के बाद ग्राम-पंचायतों में प्रौढ़ शिक्षा व ग्राम-वाचनालय सक्रिय दिखाई पड़ते थे अब सुनसान दिखते हैं।

परिवर्तन के नाम पर बहुत कुछ बदला है गाँवों में, किन्तु अध्ययन के नाम पर खोले गये ग्रन्थालयों की स्वप्निल दुनिया गाँवों से अपना दामन छुड़ाकर न जाने किस दिशा में भटक गई है। यदि लोगों को अभी तक ग्रन्थालयों की उपयोगिता, उनके उद्देश्य एवं उनकी महत्वपूर्ण भूमिकाओं के बारे में नहीं पता है तो इसका मतलब है कि पुस्तकालय विकास में लगे उत्तरदायित्वपूर्ण विभागों, संस्थाओं एवं व्यवसायियों के उद्यम में कुछ कमी रह गई लगती है। एक ओर लोगों में जागरूकता की कमी को हम दोषी मानें तो दूसरी ओर ग्रन्थालयों के संगठन व प्रशासन की निष्क्रियता को भी जिम्मेदार ठहरा सकते हैं।

पुस्तकालयों को प्राचीन काल से ही अति-महत्वपूर्ण सामुदायिक केन्द्र के रूप में बौद्धिक-उत्पादकता एवं ज्ञान प्राप्ति का साधन माना जाता रहा है। इसके प्रमाण रहे हैं मध्यकालीन भारत के ऐतिहासिक शिक्षा-केन्द्र (नालन्दा, तक्षशिला के पुस्त

कालय) जिनके साहचर्य से देश विदेश के शिक्षार्थी पाण्डित्य और ज्ञान के क्षेत्र में ससार प्रसिद्ध हुए।

सभ्यता, सस्कृति, साहित्य, कला एव आध्यात्मिक ज्ञान म ख्याति नाम भारत अपनी विविधताओ मे अनूठा रहा है। अनेक सस्कृतियो एव सभ्यताओ के सरक्षक राष्ट्र ने सदव ही शान्ति, अहिंसा एव सद्भाव के वातावरण म अपनी वैभवशाली परम्परा को बनाये रखने का प्रयत्न किया और करता आया है।

इन्ही गुणो से प्रभावित होकर ग्रामीण-जनता को निरक्षरता के अभिशाप स मुक्त कराने का सब प्रथम प्रयास बडौदा नरेश ने अपने राज्य मे सावजनिक-पुस्तकालयो का जाल बिछाकर किया था। दूसरा प्रयास भारत मे ग्रन्थालय विज्ञान के पुरोधा डॉ एस आर रगनाथन ने राज्यो म ग्रन्थालय विधान पारित करवाने के प्रयत्न स किया। जीवन के अन्तिम समय तक व सावजनिक ग्रन्थालयो के विकास पर जोर देते रहे, किन्तु उन्हे अत्यल्प सफलता ही मिली। ग्रन्थालय विज्ञान शिक्षा के विकास मे उन्हे आशातीत सफलता प्राप्त हुई, किन्तु ग्राम ग्रन्थालयो का उनका सपना ग्रन्थालय अधिनियमो के सम्पूर्ण देश मे लागू न हो सकने के कारण पूर्ण नही हो सका।

इस बात की कमी हम आज भी महसूस कर रहे हैं कि शिक्षा का व्यापक प्रचार प्रसार एव व्यवस्था होने पर भी साक्षरता का प्रतिशत देश म बहुत कम है। लोगो म ग्रन्थालयो के अभावो मे पढने की रुचि भी मरती जा रही है। लोक-ग्रन्थालयो की प्रौढ शिक्षा मे जो भूमिका होनी चाहिए थी वह उसे नही मिल सकी। साथ ही जो अभिनय ग्रन्थपालो को प्रौढ शिक्षा के अभियान मे मिलना चाहिए था वह राष्ट्रीय नीतियो के निर्धारण म नही मिल सका। सम्भवत पुस्तकालय नीति और शिक्षा-नीति मे शिक्षा पर अधिक जोर दिया गया है। ग्रन्थालय विकास और प्रौढ-शिक्षा कायक्रमो म भी प्रौढ शिक्षा पर ध्यान अधिक केन्द्रित हुआ, बनिस्पत ग्रन्थालयो के और अब भी प्रकाशित ग्रन्थो की बिक्री न होने, अध्ययन रुचि म कमी होने और सत् साहित्य के प्रचार-प्रसार मे ग्रन्थालयो की कमी को महसूस किया जा रहा है।

इन्ही कुछ मुद्दो पर ध्यान देते हुए मैने ग्रामो मे ग्रन्थालयो के विकास पर यह ग्रन्थ प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। ग्रन्थ म भारत मे ग्रन्थालय परम्परा से, लेकर ग्रन्थालयो के भविष्य तक विभिन्न मसलो पर विवरण प्रस्तुत किया है। इस क्षेत्र मे शासन एव जनता को व्यापक अध्ययन की आवश्यकता महसूस कराना ही ग्रन्थ का उद्देश्य है। ग्रन्थालयो तथा वाचनालयो के अभाव म ग्रामीणो की जो दशा और दिशा है उसका वणन लगभग पूरी पुस्तक मे है। ग्रन्थालय एव ग्रन्थालय

व्यवसायी इस दिशा म क्या कर सकते हैं, यह भी संकेत स्थान-स्थान पर हैं। सरकारी नीतिया अभी तक क्या रही हैं इनका वर्णन भी कुछ लेखो मे किया है।

70% ग्रामीण जनता को शैक्षणिक वातावरण देने तथा ग्रन्था को उपयुक्त सम्मान तथा ग्रन्थालय विज्ञान मे प्रशिक्षित व्यवसायियो को अवसर मिलने की दिशा मे यह एक लघुतम प्रयास है।

इस प्रयास म जिन विद्वान लेखको की कृतियो का उपयोग किया गया है उनके प्रति लेखक अपनी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता है। अनुभव व अध्ययन से उपजी पीडा को व्यक्त करन मे मेरे जिन मित्रो, प्राध्यापको एव परिवार जनो ने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष प्रोत्साहन दिया है, उसके लिए मैं उनका आभारी हूँ। लेखो की पाण्डुलिपिया टकित करन म 'मधु-टायपिंग, खण्डवा' एव 'दलाल्स टाईपिंग केन्द्र' के व्यवस्थापको ने जो तत्परता व शीघ्र सेवा का परिचय दिया वह प्रशसनीय रहा। पाण्डुलिपि के अन्तिम स्वरूप को तैयार करने मे सहधर्मिणी श्रीमती पुष्पलता काल भोर का विशेष सहयोग विस्मृत नही कर सकता। लेखन मे समय असमय की पीडा को उठाकर भी उनके द्वारा दिए सहयोग स ही यह ग्रन्थ आप तक पहुँचाने म सफल हो रहा हूँ।

अन्त म ग्रन्थ के प्रकाशक 'रचना प्रकाशन' जयपुर का मैं हृदय से आभार मानता हूँ कि उनके कुशल व्यवस्थापन एव सुन्दर-मुद्रण के उपरान्त यह ग्रन्थ आप सभी तक पहुँच पाया।

प्रस्तुत ग्रन्थ मे जो भी कमिया रह गयी हो तो पाठको से अपेक्षा है, वे अपने बहुमूल्य सुझाव देकर ग्रन्थ की कमी का पूरा करने में सहयोग कर उपकृत करेंगे। ग्रन्थ की त्रुटिया के लिए ग्रन्थकार स्वय उत्तरदायी है।

'गोपीनाथ कालभोर'

1

भारतवर्ष मे ग्रन्थालय परम्परा

प्रस्तावना—

पुस्तक+आलय = पुस्तकालय अर्थात् पुस्तक रखने का मकान, या स्थान। यह तो व्याकरण की दृष्टि से शाब्दिक अर्थ हुआ। इसे ही दूसरे शब्दो मे हम, पुस्तक सग्रह करके रखने का स्थान मानते है। किन्तु मात्र पुस्तको का सग्रह पुस्तकालय की परिधि मे नही आता। जसा कि हिन्दी विश्वकोश मे लिखा है "पुस्तकालय उस स्थान को कहते है जहा पर अध्ययन सामग्री जैसे—पुस्तकें, फिल्म, पत्र पत्रिकायें, मानचित्र नक्शे, हस्तलिखित ग्रन्थ, ग्रामोफोनरिकार्डस, स्लाइड्स एव अन्य पठनीय सामग्री सग्रहीत रहती है।"[1]

पुस्तकालय शब्द की विस्तृत जानकारी ब्रिटानिका-विश्वकोश मे भी परिभाषा से मिलती है। कोश के अनुसार, "मुद्रित या लिखित सामग्री के उस सग्रह को पुस्तकालय कहते है जो कि अध्ययन या अनुसधान या सामान्य पठन या दोनो उद्देश्य के लिये व्यवस्थित और सगठित किया गया हो।"[2]

भारत मे पुस्तकालय आन्दोलन के जनक डा० एस० आर० रगनाथन के अनुसार पुस्तकालय कर्मचारी, पाठको एव पुस्तको की त्रिमूर्ति है। इनमें से कोई एक, पुस्तकालय के निमाण म सगठन मे सहायक नही हो सकता। यदि किसी पुस्तकालय मे पाठक एव कर्मचारीगण नही है तो वह केवल पुस्तको का सग्रह है। वह पुस्तकालय तभी है जब कर्मचारी, पाठक को उसकी पुस्तक खोजने में सहायता करे तथा प्रत्येक पुस्तक अपने पाठक को खोजती रहे। इस प्रकार पुस्तकालय अपने वास्तविक अस्तित्व में तभी आता है जब उक्त त्रिमूर्ति (पाठक, पुस्तक एव कर्मचारी) सोद्देश्य एक दूसरे की सहायता दे।

ऐसे पुस्तकालयो का निर्माण सामाजिक सगठनो द्वारा प्रत्यक समुदाय के हित मे "सामाजिक सस्था" के रूप में किया जाना चाहिये। जैसा कि कार्लाइल कहते है "पुस्तकालय ही ससार के सच्चे विश्व विद्यालय है' अत हमे समाज शिक्षा के प्रसार प्रचार एव विकास म पुस्तकालयो की भूमिका को समझना चाहिये।

पुस्तकालयों की भूमिका—

वह जमाना लद गया जब पुस्तके "सुरक्षार्थ" थी 'अध्ययनार्थ' नही। अब हम स्वतन्त्र गणतन्त्र के स्वतन्त्र नागरिक है ज्ञान प्राप्ति के पूर्ण अधिकार हमारे पास है ग्रन्थ सबो के लिये उपलब्ध है आइये ग्रन्थालय सेवा का पूर्ण लाभ लें। पुस्तकालय अपनी भूमिका म निम्नाकित कार्य पूर्ण करने म सक्षम हो सकते हैं।

(अ) शिक्षा विकास (Educational Development)
(ब) निरक्षरता मिटाने म सहायक (Helpful in illetracy)
(स) राष्ट्रीय विकास म पूरक (Supplement in National Development)
(द) मानव चरित्र का विकास (Development in Human character)
(इ) नान का प्रसार एव प्रचार (Ext & publicity of khowldge)
(फ) अध्ययन प्रवृत्ति का प्रोत्साहन
(क) नान का सरक्षण (Preservation of Knowledge)
(ख) अध्ययन रुचि क निर्माण म सहायक
(ग) सभ्यता एव सस्कृति के रक्षक

पुस्तकालय का जन्म—

पृथ्वी पर मानव विकास की नदी घाटी सभ्यता एव सस्कृति की एतहासिक परम्पराग्रा के साथ ही पुस्तकालया के जन्म का इतिहास जुडा है। विश्व की प्राचीनतम सभ्यता मिश्र असीरिया मसोपाटमिया, बबीलोन व सिकन्दरिया के इतिहास को उठाकर देखे तो हम मालूम होगा कि विश्व का सबसे प्राचीन पुस्तकालय असीरिया के सम्राट असुरबनी पाल का था। इसम रखी हुई पुस्तकें आज की कागज की पुस्तकें जैसी नही थी। ये मिट्टी की चौकोर पट्टियाँ थी जिन पर कीलक (खोदकर) लिपि म लिखावट की गई थी, जिनकी सख्या लगभग 20,000 थी। इन मिट्टी की पट्टिया को आज भी हम लदन के ब्रिटिश म्यूजियम मे सुरक्षित देख सक्त है।

प्राचीन काल का दूसरा प्रसिद्ध पुस्तकालय मिश्र के सिकन्दरिया नगर मे था। इसकी शुरुआत सिकन्दर महान् के कुछ समय बाद ही हुई थी। इस पुस्तकालय की पुस्तकें खोल म लपट कर बन्द कर दी जाती थी। अर्थात पुस्तकें पपाशूस नामक पत्र पर हाथ से लिखी जाती थी और जिन्ह खोलो मे हिफाजत से रखा जाता था। यह काल पैपाइरस, पाचमन्ट एव वेल्यूम का था।

भारतवष मे पुस्तकालयो की परम्परा—

भारतवप भी अपनी सभ्यता एव सस्कृति के वैभवशाली इतिहास में अभूत पूव रहा है। आर्यों के भारत आगमन के पूव जिस सभ्यता का इस धरती पर विकास हुआ था उसे हम सब सैंधव सभ्यता के नाम से जानते है। इतिहासकार इस तथ्य को प्रकट कर चुके है कि सिधु घाटी के निवासी ही अपने प्रगतिशील समय मे विश्व व्यापार के निमित्त दूर दूर तक गये एव अपने उद्योग व्यापार कला-कौशल एव साहित्य को फैलाते गये। इन सैन्धव वासियो ने ही मिश्र एव असीरिया को फलात गये। इन सैन्धव वासिया न ही मिश्र एव असीरिया में अपने परिवारो को बसाया और बाद मे कुछ हजार वष बाद जब वे ही आर्यों क रूप में भारत आय तो उन्होने अपन आप को भारत के मूल निवासी के रूप में मान लिया। इस अन्तराल में इस धरती पर अनेक जातिया का प्रादुर्भाव हो चुका था।

आर्यो के भारत आगमन के उपरान्त अनार्यों से युद्ध ऐतिहासिक दृष्टि से समस्यामूलक प्रश्न है। किन्तु आर्यो के द्वारा स्थापित उपनिवेश एवं क्रमश राज्यो का विस्तार इस बात की पुष्टि करता है कि भारत की छवि को निर्मित करने मे इनका अनुकरणीय सहयोग रहा। आर्यों की बोल चाल की भाषा संस्कृत थी एवं उनके पवित्र ग्रंथ वेद कहलाते थे। शिक्षा का स्वरूप नि शुल्क था तथा विद्यार्थियो अथवा शिष्यो को गुरुकुलो, गुरुगृहों तथा प्रासादो में शिक्षा दी जाती थी। वैदिक परम्पराओ के अनुसार वेदो का अध्ययन, श्रुति के माध्यम से होता था। लेखन सामग्री के अभाव मे पुस्तकें ताड पत्रो, भोज पत्रो एवं वृक्ष की छालो पर लिखी जाती थी। एक पुस्तक का लिखने में कई वर्ष लग जाते थे तब गुरु अपने शिष्यो से उस पुस्तक की प्रतिलिपि करवाते थे। इस प्रकार कठिन परिश्रम के उपरान्त पुस्तकें अध्ययन हेतु उपलब्ध होती थीं।

पुस्तकालय फिर भी गुरुगृहा तक ही सीमित थे। ये ग्रन्थ गुरुओं की धरोहर थे जिन्हे परम्परागत रूप से सुनकर, पढकर कठस्थ कर लिया जाता था ताकि आने वाली पीढी को इन दुर्लभ ग्रन्थो का ज्ञान प्राप्त हो सके। वैदिक काल में वेदो की रचना हुई, तदुपरान्त उपनिषद् लिखे गये। स्मृति काल मे वेद एवं उपनिषद् के अतिरिक्त आरण्यको, कल्प निरुक्त, व्याकरण, धर्म, दर्शन एवं राजनीति इत्यादि ग्रन्थो का निर्माण हुआ। इसके साथ ही ग्रन्थ संग्रह बनते गये एवं वैदिक ग्रन्थो के पुस्तकालयो का विकास होता गया। इसे हम वैदिक काल के पुस्तकालयो की कहानी कहे तो कोई अतिशयोक्ति नही होगी।

पुस्तकालयो को अपने सही अस्तित्व में आने में जिन जिन युगो से निकलकर आना पडा इसकी कहानी भी रोचक है। मोटे तौर पर भारतीय पुस्तकालयो की कहानी का निम्न चार खण्डो मे विभाजित कर सकते हैं।

(1) प्राचीन काल के पुस्तकालय—(छठी शताब्दी से 14वी शताब्दी तक)

(2) मध्यकाल के पुस्तकालय—(14 वी शताब्दी से 16 वी शताब्दी तक)

(3) आधुनिक काल के पुस्तकालय–(16 वी शताब्दी से 19 वी शताब्दी तक)

(4) वर्तमान काल (स्वतन्त्रता प्राप्ती के बाद) 1947 से आज तक।

प्राचीन काल के प्रमुख पुस्तकालय निम्नलिखित थे।

(1) 'स्मृति' पुस्तकालय (वैदिक काल)

(2) नालंदा विश्वविद्यालय पुस्तकालय (425 ई और 625 ई के मध्य)

(3) विक्रम शिला विद्यापीठ (12 वी शताब्दी)

(4) उदन्तपुरी विद्यापीठ पुस्तकालय

(5) वल्लभी पुस्तकालय (559 ई)

(6) चालुक्य पुस्तकालय

(7) जेतवन संघाराम

(8) तक्षशिला विश्वविद्यालय पुस्तकालय
(9) भोज पुस्तकालय (12 वी सदी) (धारानगरी)

(अ) प्राचीन पुस्तकालय—

वर्तमान युग साहित्य कला एव विज्ञान की दृष्टि से आविष्कारो का युग है। सम्पूर्ण जगत् विश्लेषण की भूमिकाओ से निपटता सूक्ष्म से सूक्ष्मतम कार्यकलापो की ओर बढ रहा है किन्तु अतीत काल इस युग से कही अधिक उन्नतशील, विकासोन्मुख एव समृद्ध था एसा प्रतीत होता है। यद्यपि लेखन उपकरणो की कमी, आर्थिक सकट एव आपसी मन मुटाव के कारण, परिस्थितियो से सघर्ष करना ही मानव का उद्यम था फिर भी बौद्धिक विकास हेतु ज्ञान पोथियो को धातु पत्रो, प्रस्तर खण्डो भोज पत्रो एव पेड की छालो पर हस्तलिपि से तैयार किया जाता था मनुष्य म नानानन की जीजिविषा अनूठी थी। विद्वज्जनो को लिखन का शौक था वे अथक परिश्रम करके पत्थरो एव धातु पत्रो को खोदते थे, इटो पर लिखकर उन्हे पकाते थे और भोज पत्र एव ताड पत्र को लेखनोपयुक्त बनाने के लिये बहुत श्रम किया करते थे।

अशोक महान (272–232 ई पू) के काल म बौद्ध धर्म का प्रचार एव प्रसार बौद्ध भिक्षु एव भिक्षुणियो के माध्यम से मध्य एशिया म खूब जोरो से चल रहा था। चीन, तिब्बत ब्रह्मा लका जावा सुमात्रा, जापान एव नेपाल आदि देशो म बौद्ध धर्म का प्रचार एव प्रसार इतना बढा कि भारत मे स्थान-स्थान पर बौद्ध मठो एव स्तूपो का निर्माण हुआ, मन्दिरो एव उनम पुस्तकालयो का विकास हुआ जो बौद्ध धर्म के शिक्षा केन्द्र बन रहे बौद्ध धर्म के प्रचार ने चीन और भारत मे प्रगाढ मैत्री उत्पन्न की। परिणाम स्वरूप शिक्षा का आदान प्रदान दोनो देशो के मध्य होता रहा।

'ईसा के जन्म के 67 वर्ष बाद चीन के सम्राट मिंगटो ने भारतवर्ष म बौद्ध भिक्षुओ को बुलाने के लिय अपने दूत भेजे। दूत कश्यप मातग और धर्म रक्षक नामक दो आचार्यों का अपने साथ चीन देश ले गये। ये दोनो आचार्य अपने साथ बहुत से ग्रन्थ भी ले गये और वहा पहुँच कर बौद्ध धर्म के अनेक ग्रन्थो का अनुवाद चीनी भाषा म कर बौद्ध धर्म का प्रचार किया।'[3] बौद्ध धर्म एव उनकी शिक्षा दीक्षा से प्रभावित होकर अनेक विदेशी यात्री भारत आये जिन्होने बौद्ध धर्म ग्रन्थो एव हिन्दू धर्म ग्रन्थो का अध्ययन किया, उन ग्रन्थो की लिपि दूसरी भाषा मे की, साथ ही अपने यात्रा सस्मरण भी लिखते रहे। ऐसे यात्रियो में चीन के प्रमुख यात्री फाह्यान ह्वेन साग एव इत्सिग का नाम पहले आता है। इन चीनी यात्रियो के सस्मरणो से पता लगता है कि "भारत मे 5,000 मठ या विद्यालय थे जिनम 2,92 930 विद्यार्थी पढते थे।'[4] इन आकडो को देखने से पता चलता है कि जब देश भर मे इतने शिक्षा केन्द्र थे तो उनम सम्बद्ध पुस्तकालय भी अवश्य रहे होगे। ह्युन साग के यात्रा वृतान्त के अनुसार "नालन्दा विश्वविद्यालय के अधिकार

मे 200 से अधिक गाव थे जो अनेक राजाओ ने दान दिये थे। वहा 90,000 विद्यार्थी और 9500 अध्यापक रहते थे चारा ओर ऊँचे ऊँच विहार और मठ बन हुए थे। वहाँ कई वडे बडे पुस्तकालय और छ वडे वड विद्यालय थे। विद्यार्थियो को नि शुल्क भोजन, वस्त्र, औषध, निवास एव शिक्षा मुफ्त दी जाती थी। मध्य काल की यह शिक्षा व्यवस्था वेशक आश्चयचकित कर देने वाली है। एक विश्व विद्यालय मे 90,000 छात्रो का अध्ययनरत होना अवश्यमेय कौतुक प्रकट करता है। ऐसे शिक्षणालयो मे स्थित पुस्तकालयो के विकास पर एक दृष्टिपात करें तो कोई अत्युक्ति न होगी।

यह उन भारत-स्थित पुस्तकालयो की कहानी है जिन्हे देखन, उनम सग्रहित ग्रथो का पारायण एव ज्ञानाजन करने बमा जावा, सुमात्रा, चीन तिब्बत, भूटान आदि दूर-दूर के विदेशी धम प्रचारक व्यापारी एव शिक्षावलम्बी आते थे। भारत मे यह काल सस्कृति-सभ्यता एव ज्ञान-विज्ञान से द्विगुणित होकर शोभा पा रहा था। अनेक देशी-विदशी आचार्यो ने इन पुस्तकालया म निहित ग्र थो से अपने को सरावोर कर लिया। जीवन की अमूल्य राशि "ज्ञान' का पाकर अज्ञान के अ धकार से दूर अपनी अनिभार्यें विखेरता ज्ञान का सूरज विश्व-भ्रमण कर भारतीय धम सस्कृति के दीप स्तम्भो को प्रकाशित एव प्रचारित करता था, प्रत्येक धम प्रेमी इन पुस्तकालयो से सहज ही प्रभावित होता था। उत्तर मे तक्षशिला, नाल दा, वाराणसी एव कन्नौज काठियावाड म वल्लभी, महाराष्ट्र मे पठन, नासिक करडवई और वतमान म प्र उज्जयिनी कुछ ऐसे स्थान थे जहा शिक्षा दी जाती थी और उनके निजी पुस्तकालय भी थे। ऐसे प्रतिभा के ज्ञानागार ये ग्रन्थालय निश्चय ही भारतीय सस्कृति की अनमोल धरोहर के प्रतीक थे जिनके वारे मे थोडा कुछ जानना बुरी बात नही है।

(अ) तक्षशिला विश्वविद्यालय पुस्तकालय—

बौद्धकालीन शिक्षा व्यवस्था मे पढाये जान वाले लौकिक एव धार्मिक विषयो के लिय तक्षशिला मे एक विश्व विद्यालय की स्थापना की गई थी, जिसके अ तगत बौद्ध धम एव ज्ञान विज्ञान से सम्ब धित पुस्तकें जैसे सगीत, चित्रकला, धनुर्विद्या, ज्योतिष, औषधि एव चिकित्सा शास्त्र इत्यादि विषयो को पढाने के लिये विश्व-विद्यालय क सन्निकट ही एक सम्पन्न पुस्तकालय था। इस पुस्तकालय मे समस्त वेद, आयुर्वेद धनुर्वेद, ज्योतिष, तक, त त्र, व्याकरण, चित्रकला, वास्तुकला, कृषि, व्यापार पशुपालन आदि विषया का अच्छा सग्रह था।

अच्छ सग्रह एव विद्वान आचार्यो की प्रतिष्ठा दूर-दूर तक फैली हुई थी। व्याकरणाचाय पाणिनी, कूटनीतिज्ञ चाणक्य, कुशल प्रशासक सम्राट च द्रगुप्त एव पुष्पमित्र इसी विश्वविद्यालय के छात्र रह चुके थे। इन्ही लब्ध प्रतिष्ठित पुरषो के साथ अन्य देशी विदेशी छात्रा का यहाँ ताता लगने लगा था। यह विश्वविद्यालय उस समय विद्याध्ययन का प्रमुख स्थल था किन्तु शको एव हूणो जैस आततायिया क कारण इस विशाल पुस्तकालय व शिक्षण सस्थान का अन्त हो गया।

(ब) नालन्दा विश्व विद्यालय पुस्तकालय—

प्राचीनकाल का यह द्वितीय प्रमुख विश्वविद्यालय पुस्तकालय था जिसे "धमगज' नाम से जाना जाता था। इसके "रत्नोदधि" ' रत्नसागर" एव "रत्न रजक" नाम के तीन प्रमुख विभाग थे। आज जिस प्रकार केन्द्रीय पुस्तकालयो मे, "भाषा विज्ञान' 'साहित्य", ' विज्ञान" एव "कला विभाग" विषय होत ह और इन्ही प्रमुख विभागो म पुन वर्गीकरण कर उन्ह अलग अलग विषयो म विभाजित किया जाता है, ठीक उसी प्रकार उक्त वि० वि० पुस्तकालय म भी विषय वर्गीकरण क अनुसार पुस्तको का व्यवस्थापन किया जाता रहा होगा।

व्हेनसाग ने नालन्दा विश्व वि० के पुस्तकालय के बारे मे लिखा है कि इस विश्वविद्यालय का पुस्तकालय नौ मजिला था जिसकी ऊँचाई करीब 300 फीट थी। इसम बौद्ध धम सम्बन्धी सभी ग्रन्थ थे। प्राचीन काल मे इतना बडा ग्रन्थालय कदाचित ही कही रहा हो।'[5]

वतमान विश्व में भी मैं नही समझता कि इतना बडा विशाल पुस्तकालय भवन कही अस्तित्व में हो जिसकी ऊचाई 300 फीट हो। पुस्तकालय में ग्रन्थ व्यवस्थापन क दृष्टीकोण से सग्रहित ग्रन्थ विषयक्रम से पत्थर के फलको पर अलमारियो में बहुमूल्य वस्त्रो से बाधकर व्यवस्थित रखे जात थे। प्रत्येक आचाय पर पुस्तकालय के एक एक विभाग का दायित्व होता था।

चीनी यात्री व्हनसाग क निवास काल में शीलभद्र इस विश्व विद्यालय विहार के प्रधान आचाय थे। अन्य आचार्यो एव शिक्षको मे धमपाल, चन्द्रपाल, गुणमति, स्थरमति, प्रभामित्र, जीमित्र, ज्ञानचन्द्र तथा शीघ्रबुद्धि प्रभत्ति के नाम विशेष उल्लेखनीय ह। इन समस्त विद्वानो ने नालन्दा महाविहार मे निवास करते हुए अनेक महत्वपूण ग्रन्थो की रचना की थी। स्थिरमति न 9 सस्कृत ग्रन्थो की रचना की, 6 तिब्बती भाषा मे अनुवाद किये तथा तिब्बती भाषा मे अनुवादित 90 पुस्तको का सशोधन परिवधन और सम्पादन किया था। दूसर विद्वानो और आचार्यो ने भी अनेक ग्र थो, ग्र थ टीकाओ एव आलोचनाओ की रचना की थी। इससे स्पष्ट होता है कि ये लोग ग्रन्थ निर्माण, लेखन एव सम्पादन कला मे भी प्रवीण थे।

इस विश्वविद्यालय की कीर्ति दूर दूर तक फैली थी जिसका लाभ प्राप्त करने चीनी यात्रियो के अतिरिक्त जापान कोरिया, तिब्बत, मगोलिया एव बुखारा इत्यादि देशो से भी अध्ययन करने आय थे। फाहियान अपने साथ ताडपत्र पर लिखे 520 ग्रन्थ ले गया था। इत्सिग ने 500 बौद्ध ग्रन्थो को चीन भेजा था। एम हजारो ग्र थ विदशी धमावलम्बी इस पुस्तकालय से चोरी छिप ल गये। सव प्रथम हूणो के सरदार मिहिरकुल न इस वि वि एव पुस्तकालय को क्षतिग्रस्त किया किन्तु 470 ईस्वी म बालादित्य ने नालन्दा वि वि पुस्तकालय की क्षति को पूण किया।

"सम्राट महिपाल (980–1026 ई) के शासनकाल के पाँचवें वर्ष में यहाँ "अष्टाध्रिका प्रज्ञापारमिति" की प्रतिलिपि तैयार की गई। यह प्रति अब भी कैम्ब्रीज विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में सुरक्षित है। इसके एक वर्ष बाद महीपाल के ही शासन काल में इसी पुस्तक की एक प्रति और तैयार की गई। यह प्रति बंगाल की एशियाटिक सोसायटी के पुस्तकालय में सुरक्षित है।"[6]

नालन्दा विहार की अवनति शासक न्यायपाल के बाद हुई। नालन्दा के निकट विक्रम शिला नामक एक दूसरे महाविहार की उन्नति इसकी अवनति में विशेष सहायक हुई। "1205 ई में बख्तियार खिलजी के आक्रमण ने इस पुस्तकालय की बुरी दशा कर दी थी। शेष ग्रन्थों को जलाकर उसके सैनिक पानी गरम करते रहे और नहाते रहे।[7]"

नालन्दा के ध्वन्सावशेषों में 1864 में केप्टन मार्शल को बालादित्य का जो शिलालेख प्राप्त हुआ था उससे सिद्ध होता है कि नालन्दा विहार भीषण अग्निकाण्ड के कारण जलकर भस्म हो गया उसके साथ ही उसका विशालकाय प्रसिद्ध पुस्तकालय भी भस्म हो गया। कहा जाता है कि पुस्तकालय में इतने अधिक ग्रन्थ थे कि पुस्तकालय बराबर एक मास तक सुलगता रहा था।"[8] उपरोक्त दोनों प्रकार के ऐतिहासिक तथ्यों को पढ़ने से मालूम पड़ता है कि अल्फ्रेड हैसल की पुस्तक "पुस्तकालयों का इतिहास" में मदनसिंह ने लिखा है कि बख्तियार खिलजी के आक्रमण से पुस्तकालय नष्ट हुआ जबकि श्यामनारायण कपूर ने अपने लेख "प्राचीन भारत के पुस्तकालय" में स्पष्ट किया है कि पुस्तकालय भीषण अग्निकाण्ड से नष्ट हुआ।

एक अन्य पुस्तकालय इतिहास लेखक द्वारका प्रसाद शास्त्री ने अपनी पुस्तक "भारत में पुस्तकालयों का उद्भव और विकास" में लिखा है "बौद्ध भिक्षुओं और जैन साधुओं में कुछ कारणों से झगड़ा हुआ। कहा जाता है कि कुछ बौद्ध भिक्षुओं ने जैन साधुओं के ऊपर अशुद्ध जल फेंक दिया था अतः रुष्ट होकर जैन साधुओं ने कुछ दहकते कोयले इस पुस्तकालय पर फेंक दिये फलतः "रत्नोदधि" में संग्रहित ग्रन्थ जलकर राख हो गये। इस प्रकार नालन्दा के इस पुस्तकालय का अस्तित्व सदा के लिए जाता रहा।"[9]

यह बात कहाँ तक सत्य है इसके प्रमाण हेतु हमें उस काल के इतिहास को उठाकर देखना होगा। किन्तु यदि हम एक दूसरे पहलू से सोचें कि जहाँ शिक्षा एवं ज्ञान को पाने की गरिमा इतनी तीव्र थी कि वहाँ का प्रत्येक आचार्य, शिक्षार्थी भावनिष्ठ होकर विद्यालय की शोभा एवं श्री को बढ़ाते थे, शान्तिप्रिय थे, वे ही लोग अपने श्रम से तैयार साहित्य श्री को कैसे नष्ट कर सकते थे। यह बात युक्ति संगत नहीं लगती। हाँ यह माना जा सकता है कि आक्रमणकारियों के डर से उन्होंने यह सोचा हो कि ये ग्रन्थ उनके हाथ न लगने पाये, अतः उन्होंने आपस में

विवाद खडा कर उस पुस्तकालय को जलाने मे मदद पहुँचायी होगी ताकि दुश्मन के हाथ ज्ञान राशि का सचित कोश न जाये।

(स) विक्रमशिला विद्यापीठ पुस्तकालय—

इस विद्यापीठ की स्थापना मगध-राज धमपाल ने 8वी शताब्दी मे की थी। विक्रमशिला मे भी नालन्दा वि वि ही के समान तिब्बत, चीन और मगोलिया आदि देशो के विद्वान शिक्षा प्राप्ति हेतु आया करते थे। इनका प्रमुख उद्देश्य ज्ञानार्जन के साथ साथ ग्रथो का अपनी भाषा मे अनुवाद कर उन्हे अपने साथ ले जाना भी था।

यह विद्यापीठ एक पहाडी पर बनाया गया था। जिसके साथ छोटे बड 108 मठ भी बनाये गय थे। 12वी सदी म यहाँ 8000 बौद्ध भिक्षु विद्यार्थी रहा करते थे। इसी बात की पुष्टि द्वारका प्रसाद शास्त्री न इस प्रकार से की है। "12वी शताब्दी म लगभग 30,000 बौद्ध भिक्षु विद्यार्थी यहाँ रहा करते थे। इस महान पुस्तकालय की प्रशसा आक्रमणकारियो ने भी की है। इस पुस्तकालय का भी कक्ष चित्रकला से सुसज्जित था। इसका भी विध्वश बख्तियार खिलजी के द्वारा ही हुआ। [10] 'तबाक्त इन नसीरी के अनुसार सभी बौद्ध भिक्षुओ को मार डाला गया था। इस पुस्तकालय म हिंदू धम के अनेक ग्रथ थे। खिलजी को पुस्तको मे ज्ञात हुआ था कि सम्पूर्ण मठ एक महाविद्यालय था।' [11] विद्या के केन्द्र के रूप म विक्रमशिला विद्यापीठ की सफलता एव प्रसिद्धि का प्रमाण इस बात मे मिलता है कि उसने बहुत बडी सख्या म प्रतिभाशाली विद्वान एव शिक्षाशास्त्री पैदा किए, विलक्षण धर्मात्माओ एव विशेषज्ञो का जन्म दिया। जिन्होने अपनी रचनाओ द्वारा ज्ञान तथा धम के क्षेत्र म अत्यन्त महत्वपूर्ण सिद्धान्त कायम किये और इन्ही सिद्धान्तो एव योगदान के आधार पर तिब्बत जसे एक पूरे देश की सभ्यता तथा सस्कृति का वस्तुत निर्माण हुआ।

(द) वल्लभी विश्वविद्यालय पुस्तकालय—

"वल्लभी वि वि सौराष्ट्र के मैत्रक वश के राजाओ की कृपादृष्टि से अस्तित्व मे आया। इसकी स्थापना गुणमति एव स्थिरमति ने की थी। इस विश्वविद्यालय मे इतना अच्छा पुस्तकालय था कि उससे प्रसन्न होकर राजा ने विशेष रूप से पुस्तकें खरीदने के लिए अनुदान दिया था।"[12]

गुणमति एव स्थिरमति चूँकि नालन्दा विश्वविद्यालय मे आचाय रह चुके थे, अत उनकी शिक्षा प्रसार एव ज्ञान की पिपासा ने उन्हे इस सरस्वती मन्दिर की स्थापना हेतु प्रेरणा प्रदान की। उनकी बुद्धि चातुय से विश्वविद्यालय ख्याति पाता गया एव पुस्तकालय वभवपूर्ण होता रहा।

(इ) चालुक्य पुस्तकालय—

यह पुस्तकालय चालुक्य राजा रामनारायण के मत्री मधुसूदन के द्वारा

बनाया गया था। दक्षिण का यह चालुक्य पुस्तकालय अपने समय का सम्भ्रान्त पुस्तकालय था जिसके लिये छ (पुस्तकालयाध्यक्ष) सरस्वती भाडारिक नियुक्त थे, इनका ओहदा शिक्षको के बराबर ही था। शिक्षक एव पुस्तकालयाध्यक्ष के पद समान प्रतिष्ठा के समझे जाते थे। "उनकी स्थिति भारतवष के आधुनिक कालिजो के क्लाक लायब्रे रियनो जैसी सोचनीय नही थी।"13

वतमान भारत के पुस्तकालयाध्यक्षो की स्थिति अब क्रमश बेहतर होती जा रही है, उन्हे भी समान काय हेतु समान वेतन, पद एव प्रतिष्ठा की अभिलाषा है।

प्राचीन भारत की सस्कृति, कला एव साहित्य को सुरक्षित रखने, उसके विकास तथा प्रसार-प्रचार मे इन विश्व विद्यालयो ने बहुत बडी भूमिका का निवाह किया। कला एव दशन के नये मूल्यो को प्राप्त कर भारत ने नये क्षेत्र म निपुणता हासिल की।

12वी सदी मे भी कुछ प्रमुख पुस्तकालय ऐसे थे जिन्हे हम भुला नही सकते। राजा भोज का राजकीय पुस्तकालय भी इनमे से एक था। राजा भोज स्वय एक सुप्रसिद्ध साहित्यकार कवि, लेखक एव कला अनुरागी था। उसके दरबार मे कवियो लेखको और विद्वानो को समुचित आदर-सत्कार दिया जाता था। उसका राजकीय पुस्तकालय अपने समय मे अत्यन्त प्रतिष्ठा की दृष्टि से देखा जाता था। यह पुस्तकालय सस्कृत ग्रन्था व शिलालेख सग्रहालय के रूप मे अधिक प्रसिद्ध था। चालुक्य राजा के धारानगरी पर अधिकार के बाद सिद्धराज ने राजा भोज के सुप्रसिद्ध पुस्तकालय को धारानगरी से हटाकर अन्हिलवाड-बडोदा राज्यान्तगत प्रसिद्ध पाटन नगर मे स्थापित किया और चालुक्य वश के राजकीय पुस्तकालय स सम्बद्ध कर दिया।

बडोदा राज्य मे आधुनिक पुस्तकालया के विकास का मूल शायद ये ही पुस्तकालय थे जिनके रहने से बडौदा राज्य के निवासियो ने पूण लाभ प्राप्त किया होगा। भारत की सस्कृति एव सभ्यता के य मूत प्रतीक अपनी शतधा किरणें बिखेरते रहे, जिसे विश्व के अनेक धर्मों सस्कृतिया एव कलाप्रेमी विद्वाना ने समेटा। जिन लोगो से इनकी फलती प्रशस्ति असहनीय हो गई उन लोगा ने ऐसे 'सरस्वती भण्डारो' सघालयो उपाश्रयो, मठो एव पीठो के तमाम पुस्तकालया को ध्वस कर दिया।

ऐसे लोगो म मुस्लिम राजा (बादशाह) सबसे अग्रणी थे। नादिरशाह तो दिल्ली का पूरा पुस्तकालय उठवा ले गया था। सुकरात ने सिकन्दर से "भगवद्गीता" की पोथी भारत से अपने साथ लाने को कहा था। इसके अतिरिक्त अग्रेज शासका की सभ्य लूट और चक्रव्यूही नीति स अनेक दुलभ ग्रन्थ देश के बाहर चले गये, सीधी, शान्त एव भावुक जनता दबती रह गई। इण्डिया आफिस लाइब्रे री, ब्रिटिश म्यूजियम जैसे विशाल पुस्तकालया म भारतीय हस्तलिखित

ग्रन्थ काफी मात्रा मे है। इनमे अधिकाश देव भाषा सस्कृत मे ही है। भारत से दुर्लभ ग्रन्थो के बाहर जाने का कारण आपसी वैमनस्यता, साम्प्रदायिक विद्वेष एव शासको की नीतिया प्रमुख रही। राजाओ ने यश और छत्रपति बनने के लालच मे आपस मे युद्ध किये और भारत की गुलामी का इतिहास निर्माण करने मे सहायक रहे। मुस्लिम शासको ने भारतीय पुस्तकालयो का अन्त कर दिया।

(A) मध्यकाल के कुछ प्रमुख पुस्तकालय निम्नलिखित थे—

(1) नगरकोट या पुस्तकालय (14वी शताब्दी)
(2) महमूद गँवा का पुस्तकालय (सन् 1450)
(3) अकबर महान् का पुस्तकालय
(4) आदिल शाही पुस्तकालय
(5) सरस्वती महल पुस्तकालय तंजौर
(6) हैदरअली का पुस्तकालय
(7) जयपुर के पुस्तकालय

(B) मध्यकाल के पुस्तकालय—

मध्यकाल मे विद्वान आचार्यो एव भावी भारत प्रेमियो ने जहा तहाँ बचे हुए दुर्लभ ग्रन्थो को अपने जीवन से अधिक महत्त्वपूर्ण समझ कर सम्हाला। मुस्लिम सुल्तानो एव हिन्दू राजाओ मे कुछ जो कलाप्रेमी एव साहित्य अनुरागी थे उन्होंने अपने निजी पुस्तकालयो की व्यवस्था अपने राजभवनो मे ही कर रखी थी। शिक्षा की कोई सार्वजनिक शृंखला पद्धति न होने के कारण पुस्तकालयो का महत्त्व था ही नही। प्राथमिक एव माध्यमिक स्तर की पढाई मदरसो एव मकतबो मे होती थी। इनमे सलग्न पुस्तकालय ही कुछ अश तक कार्यशील थे।

फिरोज तुगलक ने जब 14वी शताब्दी मे नगर कोट पर चढाई की तो उसे एक सस्कृत ग्रन्थो का पुस्तकालय प्राप्त हुआ जिसमे दर्शन, भविष्य तथा ज्योतिष सम्बन्धी ग्रन्थ बहुतायत मे थे। बहमनी राज्य का मन्त्री महमूद गँवा के पास 3000 पुस्तको का एक अच्छा पुस्तकालय था। यह उसका निजी पुस्तकालय था जिसमे फुरसत के समय वह अपने विद्वानों के साथ पुस्तकालय मे अपना समय बिताता था। 1481 मे एक षडयन्त्र मे महमूद गँवा की हत्या कर दी गई तभी से राज्य की अवनति हुई जिसमे पुस्तकालय की व्यवस्था समाप्त हो गई।

मुगल शासको मे बाबर, हुमायूँ, अकबर सभी विद्वान पुस्तकप्रेमी एव विद्या व्यसनी थे। कहते है हुमायूँ की मृत्यु उसके निजी पुस्तकालय की सीढिया से गिरकर हुई थी। उसने शेरशाह के आमोद गृह को पुस्तकालय मे परिवर्तित कर दिया था। इतना प्रेम अवश्य ही विद्वता का परिचायक है।

हुमायूँ की मृत्यु के उपरान्त उसके पुत्र अकबर ने असाधारण आर्थिक मूल्यो वाली हजारो पुस्तकें (लगभग 25000) अपने निजी ग्रन्थालय मे रखी थी

जो बेशकीमती वस्तुग्रा से जिल्द की गई थी। सुदर पाण्डुलिपिया से भरा यह पुस्तकालय अनेक विषया की पुस्तको से सुशोभित था। "अकबर ने पुस्तकालय की व्यवस्था मे परिवतन किया था और ग्रथो को वर्गबद्ध या श्रेणीबद्ध किया था। किताबो को विषया और मूल्यो के आधार पर विभाजित किया गया और केटलॉगिंग की गई। उसकी लायब्रेरी सुव्यवस्थित थी और प्रबन्ध अनुभवी व्यक्तियो को दिया जाता था। लायब्रेरी का प्रमुख अध्यक्ष निजाम कहलाता था, उसके अधीन मुहतमीम या दरोगा होता था और उसके अनेक सहायक होते थे जो किताबो के आगम निगम को रजिस्टर मे चढाते थ।" शाही पुस्तकालय मे अनुवाद काय हेतु विद्वत आचार्यों की नियुक्ति की गई थी "कृष्णा जोशी के निर्देशन म सस्कृत ग्रन्था का फारसीयन भाषा म गगाधर और महेश महानन्द अनुवाद करते थे। शाही पुस्तकालय के लिये महाभारत महाकाव्य का अनुवाद नकीबखान की देखरेख मे फारसी मे, बदायूँ के मौलाना अब्दुल कादिर और थानेश्वर के शेख सुल्तान द्वारा किया गया था। रामायण का भी फारसी भाषा मे अनुवाद किया तथा चार वेदो मे से एक वेद "अथर्वेद" का "अतरवन" के नाम से अनुवाद किया गया था। अबुल फजल के बडे भाई ने भास्कराचाय की 'लीलावती" का फारसी भाषा मे अनुवाद किया था।

पुस्तको पर स्वर्ण एव जरी का काम साथ ही रगीन चित्रकारी इस बात का द्योतक है कि मुद्रण काय एव छपाई सर्वोत्कृष्ट होती थी। यह बहुत आश्चय है कि इस काल की जिल्दसाजी कला का अब कही कोई अस्तित्व नजर नही आता।

उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट विदित होता है कि अकबर के शासन काल म शिक्षण सस्थाओ एव शाही पुस्तकालया म वर्गीकरण, सूचीकरण, सगठन एव पुस्तकालय प्रबन्ध की तकनीक का प्रचलन था, साथ ही भौतिक ग्रन्थवर्णना के अन्तगत उच्चस्तर की जिल्दसाजी, पृष्ठ सजावट एव सुवाच्य लेखन कला का ज्ञान भी उन्हे भली प्रकार था। पुस्तकालय प्रशासन का भी उन्हे अनुभव था तभी तो पुस्तकालयाध्यक्ष के अधीन मुहतमीम और उनके अन्य सहायको के द्वारा पुस्तको का लेन देन यह जाहिर करता है कि वे पुस्तकालय प्रशासन के सिद्धान्तो को जानते थे और उनका अनुसरण करते थे। कहने का तात्पय यह है कि अकबर महान् स्वय इतना कुशाग्र बुद्धि शासक था जिसने पुस्तकालय विज्ञान के विषया (तकनीक) का पूव से ही भारत मे प्रादुर्भाव कर दिया था।

अहमदाबाद मे बडी लायब्रेरी थी। यहा के मदरसे की लायब्रेरी "शाम ये बुरहानी" कहलाती थी। फिगाली मदरसा 1654 मे स्थापित हुआ। हिदायत बख्श मदरसा 1699 मे स्थापित हुआ। काठियावाड के शेख इब्राहीम वाले मदरसे मे शानदार समृद्ध लायब्रेरी थी।'[14] माहम्मद शाह बहमनी द्वितीय के चतुर मत्री महमूद गवा ने बीदर मे एक कालेज का निर्माण किया था जिसम

विद्यार्थियो के उपयोग हेतु 3000 हस्तलिपियाँ थी। नादिरशाह ने जब आक्रमण किया तो सारे मुगलकाल के शाही पुस्तकालयो का वह फारस ले गया। इस प्रकार औरंगजेब के आक्रमण ने आदिलशाही पुस्तकालय को नष्ट किया।

दक्षिण भारत के पुस्तकालय—

दक्षिण भारत मे हिंदु राजाओ के अच्छे पुस्तकालय थे, जिनमे तंजौर का पुस्तकालय (सरस्वती महल) प्रमुख था जो आज भी अपने आप मे एक विशाल पुस्तकालय है जिसका मुकाबला संस्कृत ग्रन्थो के पुस्तकालयो मे भारत का अन्य पुस्तकालय नही कर सकता है। इस पुस्तकालय की स्थापना तंजौर के नायको द्वारा की गई थी। शाहजी भोसले ने 1675 और 1850 के बीच इस राज्य मे अपने शासन के समय इस पुस्तकालय को बहुत अच्छा बनाया। इसके विकास एव विस्तार के लिए सरफोजी भोसले विशेष रूप से उत्तरदायी थे।

मैसूर के महाराजा चिक्कादेवराव (1662-1704) के पास भी अच्छी लायब्रेरी थी जिसे बाद मे टीपू सुल्तान के द्वारा नष्ट कर दिया गया था। एक ओर जहाँ टीपू ने विजय श्री पाने के लिए दूसरे राजाओ के ग्रन्थागार उजाडे वही उसने अपने शासन काल मे पुस्तकालयो के विकास एव ग्रन्थ अध्ययन को महत्त्व दिया। टीपू के विवाह समारोह पर हैदर अली ने अपने पुत्र से पूछा कि इस विवाह पर्व पर तुम्हे क्या उपहार दिया जाय तो टीपू का कहना था, मैं एक *पुस्तकालय की स्थापना करना चाहता हूँ। तभी हैदर अली ने अपने प्रधानमन्त्री पुर्णिया* को बुलाकर यह आदेश दिया था कि मेरा पुत्र एक भव्य पुस्तकालय चाहता है अत एक विशाल पुस्तकालय का निर्माण किया जाए और अनुवादको की नियुक्ति की जाये। तभी पुर्णिया ने नुरूल हसन को प्रधान पुस्तकालयाध्यक्ष नियुक्त किया तथा विविध राष्ट्रो से सूचीकार, सन्दर्भ विशेषज्ञ एव शोधकर्त्ताओ को अपने पुस्तकालय कार्य के लिए बुलाया था। इस पुस्तकालय खजाने के बारे मे टीपू सुल्तान ने कहा था "मेरा यह खजाना सोने और चाँदी के खजाने से बढकर है इसे किसी को भी लूटना या समाप्त नही करना चाहिए।" इस दिवास्वप्न के साथ 1799 मे जब अंग्रेजो द्वारा उसकी हार हुई। तब उसका विशाल पुस्तकालय जो अंग्रेजी, फ्रेन्च, पारसियन एव वैदिक साहित्य से परिपूर्ण था, अंग्रेजो के हाथ लगा। अंग्रेज ने उसमे से 2000 चुने हुए महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ लन्दन ले गये और "इण्डिया आफिस लायब्रेरी" की स्थापना की। 1857 के स्वतन्त्रता संग्राम के बाद देश भर की अरबी एव फारसी भाषा की महत्त्वपूर्ण पोथियां भी इस पुस्तकालय मे पहुँचाई गयी थी।

जयपुर के राजा सवाई जयसिंह (1699-1743) के पास अनेक दुर्लभ पुस्तकें थी। हिंदू शिक्षण संस्थाओ की लाइब्रेरी भी अच्छी थी। यहा प्राचीन दर्शन चिकित्सा, धर्म, इतिहास तथा विभिन्न विज्ञानो का संकलन था। कतिपय

लाइब्रेरी संस्कृत की हस्तलिपियों से सज्जित थी जिनमें अधिकतर धर्म सम्बन्धी रिकार्डस थे। जब बर्नियर बनारस पहुँचा तो कवीन्द्र आचार्य ने उसका स्वागत विश्वविद्यालय लायब्रेरी में किया जहाँ वृहत पैमाने पर हस्तलिपियों का संकलन था।

उपरोक्त बात से मालूम पड़ता है कि बनारस भी अपने समय का विद्याध्ययन का प्रमुख केन्द्र था। काशी विद्यापीठ के पुस्तकालय भी देश की शिक्षा के केन्द्र बिन्दु थे जहाँ देश विदेश के आचार्यों, साधु सन्तों ने आकर अध्ययन व ज्ञानार्जन किया था। वाराणसी के बारे में अबुल फजल ने आइने अकबरी में लिखा है कि अनादिकाल से यह हिन्दुस्तान का मुख्य विद्या केन्द्र था। देश के सुदूरतम भागों के लोग बड़ी संख्या में विद्या प्राप्त करने यहाँ आते थे और बड़ी श्रद्धापूर्ण लगन से अध्ययन करते थे। आज भी यह नगर शिक्षा का विशेष रूप से संस्कृत साहित्य की शिक्षा का देश में प्रमुख स्थल है।

हमें यह मानना पड़ेगा कि मध्यकाल में मुगल शासकों के द्वारा जनता की रूचि एवं पुस्तकालयों के विकास पर ध्यान दिया गया ताकि प्रजा सुखी एवं शिक्षित हो। सभी मदरसों एवं विद्यापीठों में उनके निजी पुस्तकालय होते थे। इनके अतिरिक्त मुगल सम्राटों तथा उच्च अधिकारियों एवं अमीरों ने भी पुस्तकालयों की स्थापना की। मुगल सम्राट शाही पुस्तकालय (Imperial Lib) के विकास में रुचि प्रकट करते थे। शेख फैजी के पुस्तकालय में 4,600 पुस्तकें थी।

इन सब विवरणों से स्पष्ट होता है कि पूर्व मध्यकाल में हिन्दु सम्राटों ने एवं धर्मावलम्बियों ने शिक्षा एवं साहित्य निर्माण के द्वारा ज्ञान विज्ञान में सफलता प्राप्त की और पुस्तकालयों का निर्माण कर अपनी संस्कृति को विश्व के समक्ष खुली पुस्तक के रूप में रख दिया ताकि सभी मानव जाति के लोग भारतीय सांस्कृतिक धरोहर से कुछ प्राप्त कर सकें, भारत की दान शीलता, शान्ति प्रियता ने उससे अपनी मौलिक देन छीन ली और अब भिखारी बन पूर्व की ओर देख रहा है।

मध्यकाल में भी साहित्य का न्यारा न्यारा ही होता रहा। मुगल शासक अवश्य ही शिक्षा प्रेमी, कला प्रेमी एवं अध्ययन में रुचि रखने वाले थे और कुशल प्रशासक भी किन्तु भारत पर होने वाले निरन्तर बर्बर आक्रमण एवं आन्तरिक संघर्ष के कारण उनके सपने अधूरे ही रहे, जो कुछ था वह भी आक्रमणकारियों द्वारा लूट लिया गया।

(C) आधुनिक काल के पुस्तकालय—(17 वीं से 19 वीं शताब्दी)

पूर्व में लिखा जा चुका है कि भारत में पुस्तकालयों की परम्परा कोई नयी नहीं है, किन्तु आज की दशा में जो प्रगति हमने की है वह पहले से कहीं अधिक रोचक एवं ऐतिहासिक है। भारत में मुद्रण कला का प्रसार नहीं हुआ था।

पुर्तगालियो के गोवा आगमन के बाद ईसाई धर्म सम्बन्धी पुस्तकों का मुद्रण जोरों से चल पड़ा था। सर्वप्रथम माशमैन नामक पातगाली पादरी ने गोवा मे अपना छापा खाना खोला। ईस्ट इण्डिया कम्पनी के व्यापारी दस्ते भी अब तक भारत के बडे बडे शहरों जैसे कलकत्ता, मद्रास, एव बम्बई म फैल चुके थे। 1712 मे डनिश मिशनरिया ने टान्केवर मे एक प्रेस स्थापित किया। उन्होंने 'एपोस्टाइल्स क्रीड" नामक पुस्तक तमिल मे छापी। यह भारतीय भाषा की प्रथम मुद्रित पुस्तक थी। चूंकि यहा अभी तक गुरुगृहा, मक्तवा, मदरसा मे शिक्षा दी जाती थी जिनके साथ उनके निजी पुस्तकालय भी थे। कुछ राजाओं के राज्यो मे भी पुस्तकालय थे किन्तु ईसाइयो एव अंग्रेज व्यापारियो के आगमन से इनका विकास न हो सका। ईसाई धर्म प्रचारक व कम्पनी के अधिकारियो ने कही कहो छोटे-छोटे विद्यालय स्थापित किये जिनके साथ पुस्तकालय भी थे। धर्म की लडाई म पोतगाली एव फ्रांसिसी पिछड गये और अंग्रेजो ने अपना पैर जमा लिया। भारतीय जनता की धार्मिक रूढिवादिता से अंग्रेजो को अपने धर्म प्रचार म कोई प्रभाव नजर नही आया अत उन्होंने भारत की धर्म प्राण जनता को धर्म के साथ शिक्षा देने का भी सकल्प ठान लिया। ब्रिटिश पार्लियामेन्ट के 1813 ई के पत्र के अनुसार भारत मे शिक्षा प्रचार को कम्पनी ने अपना उत्तरदायित्व समझ कर माना। इसके आधार पर 1781 मे कलकत्ता मदरसा, सन् 1791 मे बनारस संस्कृत कालेज तथा 1800 म फोर्ट विलियम कालेज की स्थापना हुई। इनमे पुस्तकालय भी स्थापित कर दिये गये। 1808 मे बम्बई सरकार ने भारतीय जनता की अंग्रेजी साहित्य म रुचि बढाने हेतु पुस्तकालयो को रजिस्टरड किया, जिससे कि पुस्तकें मुफ्त म बाटी जा सके, इसके साथ ही पुस्तकालय विकास की शुरुआत हुई। यद्यपि इस प्रकार के लोक पुस्तकालय देशी रियासतो जैसे इन्दौर स्टेट एव ट्रावनकोर म 19 वी शताब्दी के अन्त तक थे। अंग्रेजो ने गाव गाव नगर नगर पुस्तकालयो के आन्दोलन को बढाया किन्तु इसके पीछे हिन्दु संस्कृति एव धर्म के अनमोल खजाने को य संग्रह कर इंग्लैण्ड भेजते गये। हिन्दू जनता अंग्रेजी शिक्षा एव नौकरी पाकर खुश थी।

1867 म ब्रिटिश सरकार ने कानून पास करके पुस्तकालय आन्दोलन को जबरदस्ती जनता पर लाद दिया। यह भी साहित्य की संग्रह करने का एक अच्छा तरीका था। विरोधियो को खुश करने के लिये अंग्रेजो ने यत्र-तत्र पुस्तकालयो की स्थापना की। इनको नेटिव जनरल लाइब्रेरी कहा जाता था। सबसे पहले 1884 ई मे बेलगाव और 1854 म धारवाड म य नेटिव लायब्रेरिज स्थापित की गई। जुबली पुस्तकालय भी देश के अनेक भागो म महारानी विक्टोरिया के जुबली महोत्सव म खोले गये। इसी समय देश के कोने कोने म कई लोक पुस्तकालय भी स्थापित हुए।

1800 मे कलकत्ता म सावजनिक पुस्तकालया की शासकाय दफ्तरो, मन्त्रिमण्डलो के भी विभागीय पुस्तकालय खोल गय। पुस्तकालय विकास के इतिहास म यह एक महत्वपूर्ण कदम था। 1902 म इम्पीरियल लायब्रेरी की स्थापना हुई। विश्वविद्यालयो, महाविद्यालयो, पाठशालाओ म भी पुस्तकालयो का स्थापित किया गया। सवप्रथम 1857 मे कलकत्ता विश्वविद्यालय म 1869 म बम्बई विश्वविद्यालय म 1876 मे अलीगढ एव 1882 म पजाब विश्वविद्यालयो मे पुस्तकालयो की स्थापना हुई। 1903 म मद्रास विश्वविद्यालय पुस्तकालय का शुभारम्भ हुआ।

सावजनिक पुस्तकालय आन्दोलन का प्रथम श्री गणेश 1910 मे बडौदा राज्य के महाराजा सर सयाजीराव गायकवाड ने पुस्तकालय सस्थान की स्थापना कर किया। उन्होने अपनी प्रजा को शिक्षित बनाने हेतु पूरे राज्य मे सावजनिक पुस्तकालयो का जाल फैला दिया। चलते फिरते पुस्तकालय भी ग्रामीण क्षेत्रो मे पुस्तकें पहुँचाने हतु निर्मित किय। शिक्षण सस्थाओ, अनुसधान सस्थाओ एव प्रयोगशालाओ म भी अनेक पुस्तकालय स्थापित हुए। इस काल मे जनता एव सरकार के मिले जुले पुस्तकालय देश भर मे कायरत थे। ब्रिटिश काल मे ही अखिल भारतीय पुस्तकालय सघ की स्थापना स्वर्गीय के एम असदुल्ला के नेतृत्व मे 1935 मे हो चुकी थी। देश के प्रमुख विश्वविद्यालयो दिल्ली, मद्रास, बनारस एव अलीगढ म पुस्तकालय विज्ञान शिक्षा का प्रशिक्षण भी प्रारम्भ किया गया। देश के प्रकाण्ड विद्वानो ने पुस्तकालय विज्ञान के साहित्य को लिखन मे अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। पुस्तकालय विज्ञान साहित्य के निमाण मे प्रकाण्ड पडित सुलझे हुए विषय वैज्ञानिक स्वर्गीय डा एस आर रगनाथन का अभूतपूव योगदान था। उन्होने पुस्तकालय विज्ञान विषय पर लगभग 50 पुस्तकें अग्रेजी भाषा मे लिखी। भारत मे ये पुस्तकालय विज्ञान विषय के जन्मदाता मान जात है। इस प्रकार पुस्तकालयो के इतिहास म एक ठोस पृष्ठभूमि का निर्माण हुआ। इस काल मे कुछ ख्याति प्राप्त पुस्तकालय अपने अस्तित्व म थे जिनका विवरण दना यहा प्रासगिक होगा।

(1) इण्डिया आफिस लायब्रेरी—

सन् 1799 म टीपू सुल्तान की पराजय के बाद उसका विशाल पुस्तकालय जो वैदिक साहित्य अग्रेजी फ्रेन्च व परशीयन साहित्य से परिपूर्ण था, अग्रेजो के हाथ लगा और व उस पुस्तकालय की 2000 चुनी हुई पुस्तकें लन्दन ले गये और इण्डिया आफिस लायब्रेरी की स्थापना की। गुलामी के काल मे शिक्षा प्रसार के नाम पर इस पुस्तकालय की स्थापना भारत की ऐतिहासिक सास्कृतिक, धार्मिक एव साहित्यिक ज्ञान राशि को सग्रहित करने के उद्देश्य से की गई थी। यह उद्देश्य उजागर करने का सवप्रथम प्रयास प्रसिद्ध इतिहासज्ञ राबट ओरम न

किया था जो उस समय ईस्ट इण्डिया कम्पनी का कुशल इतिहासकार था। यह आफिस ब्रिटिश शासन काल में भारत की गतिविधियों का लेखा जोखा रखने का मन्दिर स्थल था। इसकी स्थापना ईस्ट इण्डिया कम्पनी के द्वारा 1809 में की गई थी। 1946 के बाद से इस पुस्तकालय को कामनवल्थ सम्बन्धी पुस्तकालय कार्यालय के नाम से पुकारा जाता है। इसका उपयोग केवल नियमित पाठकों या छात्र सदस्यों को ही करने दिया जाता है।"[15] इण्डिया आफिस लायब्रेरी बनने के पूर्व इसका नाम 'पब्लिक रिपोजिटरी सेन्टर" रखा गया था। 18 फरवरी 1808 में "इण्डिया हाऊस' का लजनहाल स्ट्रीट लन्दन में स्थित किया गया। क्रमशः भारत के विभिन्न क्षेत्रों से महत्वपूर्ण पोथियां, पाण्डुलिपियां, मूर्तियां, एवं दुर्लभ ग्रन्थ सामग्री यहां आकर जमा हो गई।

1857 के स्वतन्त्रता संग्राम के बाद देश भर की अरबी एवं फारसी भाषा की पाण्डुलिपियां एवं पुस्तकें भी इस पुस्तकालय में अंग्रेजों ने पहुँचा दी। इस पुस्तकालय में लगभग 2 लाख पुस्तकें हैं, जिसमें 60,000 पुस्तकें अंग्रेजी एवं यूरोपीय भाषाओं की हैं, शेष प्राच्य भाषाओं की। भारतीय प्राच्य संस्कृति एवं साहित्यिक ज्ञान का यह विश्व का सबसे बड़ा संग्रह है।

इस पुस्तकालय में भारतीय ज्ञान संग्रह के पांच विभाग बनाये गये हैं जिनमें प्रथम (1) मुद्रित ग्रन्थ विभाग (2) हस्तलिखित ग्रन्थ विभाग (3) भारतीय चित्रकला विभाग (4) फोटो एवं अन्य दुर्लभ वस्तु संग्रह। ये सभी विभाग संस्कृत, अरबी, फारसी, उर्दू, तिब्बती, खोतानी, बंगला, गुजराती, मराठी, उड़िया एवं पश्तो भाषा के ग्रन्थों एवं चित्रकला के संग्रह से परिपूर्ण हैं। फोटो विभाग में भारतीय शिल्प वस्तुकला और पुरातत्व से सम्बंधित लगभग 2300 निगेटिव प्लेटस और लगभग 30,000 विभिन्न चित्रों का संग्रह एकत्रित है। इसमें 95 भाषाओं की पुस्तकें सुरक्षित है।

वर्तमान में यह पुस्तकालय किंग चार्ल्स स्ट्रीट स्थित "व्हाइट हाऊस" में स्थापित है। भारत सरकार इन दुर्लभ ग्रन्थों को वापस अपने देश मंगाने के कई बार प्रयास कर चुकी है किन्तु सफलता नहीं मिल सकी है। ये ही गौरव ग्रन्थ विदेशों में भारतीय संस्कृति, धर्म, इतिहास एवं साहित्य के अध्ययन के मौलिक ग्रन्थ थे जिनके सहारे भारत से अधिक भारत को जानने में विदेशियों ने सफलता प्राप्त की।

(2) राष्ट्रीय पुस्तकालय कलकत्ता (National Library)—यह भारत का एकमात्र राष्ट्रीय पुस्तकालय है, जिसे इम्पीरियल लायब्रेरी के नाम से भी जाना जाता है। इसकी स्थापना 8 मार्च 1836 को हुई थी फोर्ट विलियम कालेज से प्राप्त 4675 पुस्तकों से इसका श्री गणेश हुआ था। 20 अप्रैल 1890 को नगर पालिका समिति ने इसका प्रशासन अपने हाथ में लिया और जुलाई में एक निःशुल्क वाचनालय खोला। चलते फिरते वाचनालय (Mobile Reading Room) के साथ एक रिफरन्स लायब्रेरी की भी स्थापना की गई। बंगाल सरकार ने 5 हजार रुपये का अनुदान पुस्तकालय के पुनर्गठन एवं व्यवस्थापन हेतु दिया।

कलकत्ता पब्लिक लायब्रेरी एव इम्पीरियल लायब्रेरी दोनों को 1902 म मिला दिया गया और नये सिरे से पुस्तकालय पत्रक सूचिया तैयार की गई। 30 जनवरी 1903 को जन-सामान्य की सेवा के लिये इसे मुक्त द्वार प्रणाली (Open Door System) से युक्त कर दिया। पुस्तकालय के प्रथम पुस्तकालयाध्यक्ष ब्रिटिश म्यूजियम लन्दन के सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष श्री जॉन मैक फारलेन बनाये गय। पुस्तकालय क्रमश इनकी योग्यता, अनुभव और कार्यपटुता से प्रसिद्धि प्राप्त करता गया। 1904 मे दरभगा के जमींदार सैयद सदरुद्दीन अहमद का निजी सग्रह पुस्तकालय को भेंट स्वरूप प्राप्त हुआ। इसमें 1500 छप हुई तथा 850 हस्तलिखित ग्रन्थ थे।

इसकी सिल्वर जुबली 9 फरवरी 1953 को मनायी गयी, तभी "डिलिवरी आफ बुक्स एक्ट" द्वारा भारतीय प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित ग्रन्थो की एक प्रति राष्ट्रीय पुस्तकालय को भेजने का कानून अनिवार्य कर दिया। एक्ट को पास हुए 26 वष हो चुके हैं किन्तु भारत मे प्रकाशित होन वाली प्रत्येक पुस्तकें एव समाचार पत्र शायद ही पूर्ण उत्तरदायित्व के साथ भेजे जाते हो। पुस्तकालय का आधुनिक तम तरीका से सज्जित एव तकनिकी दृष्टीयो से व्यवस्थित किया गया है। वतमान म पुस्तकालय की सग्रह सख्या लगभग 14 लाख करीब है। अध्ययन कक्ष मे एक साथ दो सौ लोगो के बैठने का व्यवस्था है। 350 के लगभग कर्मचारी कायरत ह। देश की 14 भाषाओ की पुस्तकें यहा सग्रहित है।

(3) आसफिया स्टेट लायब्रेरी हैदराबाद—

यह पुस्तकालय 1871 म हैदराबाद रियासत म स्थापित किया गया था। इस पुस्तकालय मे विभिन्न विषयो की 9 लाख पुस्तकें, 13, 804 दुलभ ग्रन्थ जो पार्चमेन्ट पपर (चमडे का बना हुआ) एव हिरण की खाल पर बने हुए हैं। ये दुलभ ग्रन्थ शीघ्र सन्दभ सेवा के अन्तगत छात्रो, अनुसधानकर्त्ताओ के उपयोगाक्षित तत्काल अध्ययन हेतु दिये जाते हैं। लगभग दो इच की एक पुस्तक मे पूर्ण गीता लिखी हुई है जो यहा उपलब्ध है। 1487 ए डी की एक अनुपम पुस्तक इस पुस्तकालय मे सुरक्षित है। सबसे प्राचीन 1072 ए डी की प्रकाशित पुस्तक इस पुस्तकालय का विशेष आकषण है। यहा पर 15वी शताब्दी की एक पुरानी पुस्तक "इण्डस्ट्रीयल साइ स" रखी हुई है जिसमे कागज एव स्याही बनाने की विधिया दी गई है। यह कौतूहल पैदा करने वाली दुलभ पुस्तक भारतीय सस्कृति की प्रगति की प्रतीक है।

चूँकि हैदराबाद रियासत एक समय की समृद्धशाली रियासत थी अत व्यापार, व्यवसाय एव साहित्यिक गतिविधियो म भी अग्रणी रही। पार्चमेन्ट पपर की पुस्तका का होना इस बात की प्रतीक है कि भारत के बाहरी देशो से व्यापारिक सम्बन्ध थे तभी य ग्रन्थ यहा तक आये। हैदराबाद का ही सालारजग म्यूजि-

किया था जो उस समय ईस्ट इण्डिया कम्पनी का कुशल इतिहासकार था। यह प्राचीन ब्रिटिश शासन काल मे भारत की गतिविधियो का लेखा जोखा रखने का मुख्य स्थल था। इसकी स्थापना ईस्ट इण्डिया कम्पनी के द्वारा 1809 म की गई थी। 1946 के बाद से इस पुस्तकालय को कामनवेल्थ सम्बन्धी पुस्तकालय कार्यालय के नाम से पुकारा जाता है। इसका उपयोग केवल नियमित पाठको या छात्र सदस्यो को ही करने दिया जाता है।"[15] इण्डिया आफिस लायब्रेरी बनने के पूर्व इसका नाम "पब्लिक रिपाजिटरी सेन्टर" रखा गया था। 18 फरवरी 1808 मे 'इण्डिया हाऊस' को लजाहाल स्ट्रीट लन्दन मे स्थित किया गया। क्रमश भारत के विभिन्न क्षेत्रो से महत्वपूर्ण पोथियां, पाण्डुलिपियां, मूर्तियां, एव दुर्लभ ग्रन्थ सामग्री यहा आकर जमा हो गई।

1857 के स्वतन्त्रता सग्राम के बाद देश भर की अरबी एव फारसी भाषा की पाण्डुलिपियाँ एव पुस्तकें भी इस पुस्तकालय म अग्रेजो ने पहुँचा दी। इस पुस्तकालय मे लगभग 2 लाख पुस्तकें है, जिसम 60,000 पुस्तकें अग्रेजी एव यूरोपीय भाषाओ की है शेष प्राच्य भाषाओ की। भारतीय प्राच्य संस्कृति एव साहित्यिक ज्ञान का यह विश्व का सबसे बडा सग्रह है।

इस पुस्तकालय मे भारतीय ज्ञान सग्रह के पाच विभाग बनाये गये हैं जिनम प्रथम (1) मुद्रित ग्रन्थ विभाग (2) हस्तलिखित ग्रन्थ विभाग (3) भारतीय चित्रकला विभाग (4) फोटो एव अन्य दुर्लभ वस्तु सग्रह। ये सभी विभाग संस्कृत, अरबी फारसी, उर्दू, तिब्बती, खोतानी, बगला, गुजराती, मराठी, उडिया एव पश्तो भाषा के ग्रन्थो एव चित्रकला के सग्रह से परिपूर्ण है। फोटो विभाग म भारतीय शिल्प वस्तुकला और पुरातत्व से सम्बन्धित लगभग 2300 निगेटिव प्लेटस और लगभग 30,000 विभिन्न चित्रो का सग्रह एकत्रित है। इसमे 95 भाषाओ की पुस्तकें सुरक्षित है।

वतमान म यह पुस्तकालय किंग चार्ल्स स्ट्रीट स्थित 'व्हाइट हाऊस' म स्थापित है।भारत सरकार इन दुर्लभ ग्रन्थो को वापस अपने देश मगाने के कई बार प्रयास कर चुकी है किन्तु सफलता नही मिल सकी हैं। ये ही गौरव ग्रन्थ विदेशो म भारतीय-संस्कृति, धर्म, इतिहास एव साहित्य के अध्ययन के मौलिक ग्रन्थ थे जिनके सहारे भारत से अधिक भारत को जानने म विदेशियो ने सफलता प्राप्त की।

(2) राष्ट्रीय पुस्तकालय कलकत्ता (National Library)—यह भारत का एकमात्र राष्ट्रीय पुस्तकालय है, जिसे इम्पीरियल लायब्रेरी के नाम से भी जाना जाता है। इसकी स्थापना 8 मार्च 1836 को हुई थी फोर्ट विलियम कालेज से प्राप्त 4675 पुस्तको से इसका श्री गणेश हुआ था। 20 अप्रेल 1890 को नगर पालिका समिति ने इसका प्रशासन अपने हाथ म लिया और जुलाई म एक नि शुल्क वाचनालय खोला। चलते फिरते वाचनालय (Mobile Reading Room) के साथ एक रिफरन्स लायब्रेरी की भी स्थापना की गई। बगाल सरकार ने 5 हजार रुपये का अनुदान पुस्तकालय के पुनर्गठन एव व्यवस्थापन हेतु दिया।

कलकत्ता पब्लिक लायब्रेरी एव इम्पीरियल लायब्रेरी दोनो को 1902 मे मिला दिया गया और नये सिरे से पुस्तकालय पत्रक सूचिया तैयार की गई। 30 जनवरी 1903 को जन-सामान्य की सेवा के लिये इसे मुक्त द्वार प्रणाली (Open Door System) से युक्त कर दिया। पुस्तकालय के प्रथम पुस्तकालयाध्यक्ष ब्रिटिश म्यूजियम लन्दन के सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष श्री जॉन मैक फारलेन बनाये गये। पुस्तकालय क्रमश इनकी योग्यता, अनुभव और कार्यपटुता से प्रसिद्धि प्राप्त करता गया। 1904 मे दरभगा के जमीदार सैयद सदरुद्दीन अहमद का निजी सग्रह पुस्तकालय को भेंट स्वरूप प्राप्त हुआ। इसम 1500 छपे हुई तथा 850 हस्तलिखित ग्रन्थ थे।

इसकी सिल्वर जुबली 9 फरवरी 1953 को मनायी गयी, तभी "डिलिवरी आफ बुक्स एक्ट" द्वारा भारतीय प्रकाशको द्वारा प्रकाशित ग्रन्थो की एक प्रति राष्ट्रीय पुस्तकालय को भेजने का कानून अनिवार्य कर दिया। एक्ट को पास हुए 26 वर्ष हो चुके ह किन्तु भारत मे प्रकाशित होने वाली प्रत्येक पुस्तकें एव समाचार पत्र शायद ही पूर्ण उत्तरदायित्व के साथ भेजे जाते हो। पुस्तकालय को आधुनिकतम तरीको से सज्जित एव तकनिकी दृष्टीया से व्यवस्थित किया गया है। वर्तमान मे पुस्तकालय की सग्रह सख्या लगभग 14 लाख करीब है। अध्ययन कक्ष मे एक साथ दो सौ लोगो के बैठने की व्यवस्था है। 350 के लगभग कर्मचारी कार्यरत ह। देश की 14 भाषाओ की पुस्तकें यहा सग्रहित है।

(3) आसफिया स्टेट लायब्रेरी हैदराबाद—

यह पुस्तकालय 1871 मे हैदराबाद रियासत मे स्थापित किया गया था। इस पुस्तकालय मे विभिन्न विषयो की 9 लाख पुस्तकें, 13, 604 दुर्लभ ग्रन्थ जो पार्चमेन्ट पेपर (चमडे का बना हुआ) एव हिरण की खाल पर बने हुए ह। ये दुर्लभ ग्रन्थ शीघ्र सन्दर्भ सेवा के अन्तर्गत छात्रो, अनुसधानकर्त्ताओ के उपयोगार्थ तत्काल अध्ययन हेतु दिये जाते हैं। लगभग दो इन्च की एक पुस्तक मे पूर्ण गीता लिखी हुई है जो यहाँ उपलब्ध है। 1487 ए डी की एक अनुपम पुस्तक इस पुस्तकालय मे सुरक्षित है। सबसे प्राचीन 1072 ए डी की प्रकाशित पुस्तक इस पुस्तकालय का विशेष आकर्षण है। यहाँ पर 15वी शताब्दी की एक पुरानी पुस्तक "इण्डस्ट्रीयल साइन्स" रखी हुई हैं जिसमे कागज एव स्याही बनाने की विधिया दी गई है। यह कौतूहल पैदा करने वाली दुर्लभ पुस्तक भारतीय सस्कृति की प्रगति की प्रतीक है।

चूकि हैदराबाद रियासत एक समय की समृद्धशाली रियासत थी अन्न व्यापार व्यवसाय एव साहित्यिक गतिविधिया म भी अग्रणी रही। पार्चमेन्ट पेपर की पुस्तको का होना इस बात की प्रतीक है कि भारत के बाहरी देशो स व्यापारिक सम्बन्ध थे तभी य ग्रन्थ यहा तक आये। हैदराबाद का ही सालारजग म्यूजि-

यह भारत का विशाल एक व्यक्ति द्वारा संग्रहित संग्रहालय है जो प्राचीन संस्कृति एवं कला का अनूठा संगम है।

(4) माणिक्य स्मारक वाचनालय खण्डवा—

राष्ट्र प्रसिद्ध वीर योद्धा एवं यशस्वी साहित्यकार दादा माखनलाल चतुर्वेदी की नगरी खण्डवा में 1883 में हरिदास चटर्जी के सभापतित्व में "मारिस टेस्टोमाईनल फण्ड कमेटी" की स्थापना हुई। श्री चटर्जी के ही प्रयास से "मारिस ममोरियल लायब्रेरी" आरम्भ हुई।

यद्यपि भारत में उस समय अंग्रेजों का सघन साम्राज्य छाया हुआ था। उन्होंने ज्ञानवर्धन के लिये देश भर में नेटिव लायब्रेरीज की स्थापना की थी। इसी प्रकार की लायब्रेरी मण्डलेश्वर राज्य में थी जो 1881 में ही खण्डवा लायी गयी थी। 'उक्त लायब्रेरी को किराये के मकान में संचालित किया जाता था। लेकिन भवन निर्माण के उपरान्त यही लायब्रेरी मारिस ममोरियल लायब्रेरी में समाहित कर दी गई।"[16]

स्व श्री हरिदास जी चटर्जी की वसीयतनामे के अनुसार 5 000 रु वाचनालय को प्राप्त हुए थे। उसी समय के खण्डवा के प्रसिद्ध अभिवक्ता स्व श्री माणिक्य चन्द जी जैन की स्मृति में स्वाधीनता के उपरान्त इस वाचनालय का नाम "माणिक्य स्मारक वाचनालय" रखा गया। उनके निकट सम्बन्धी श्री विमलचन्द्र जैन ने उत्साहपूर्वक इस पुस्तकालय को 2500 रुपय की धन राशि प्रदान की।

लोगों के व्यक्तिगत दान से भी इस पुस्तकालय को कई पुस्तकें प्राप्त हुई।

1937 में, स्व श्री भगवन्तराव जी मण्डलाई की प्रखर सूझ बूझ से 14 000 रु की धन राशि ऋण स्वरूप लेकर वाचनालय के निम्न भाग में बैंक का निर्माण हुआ। जो कि आगे चलकर वाचनालय की आय का स्रोत बना।'[17]

1948 में भवन की प्रथम मंजिल के निर्माण में 1100 रु की धन राशि तुलसी पुण्य तिथि उत्सव समिति खण्डवा ने प्रदान किये।[18]

तत्कालीन केन्द्रीय वनानिक अनुसंधान एवं सांस्कृतिक विभाग म श्री स्व हुमायू कबीर को कदापि विस्मृत नहीं कर सकते जिन्होंने वाचनालय के कला भवन के विस्तार हेतु 8000 रु की धनराशि केन्द्रीय शासन से उपलब्ध करायी थी। सन् 1960 61 से जिला शिक्षा अधिकारी, नगर पालिका परिषद् तथा जनपद सभा से अनुदान प्राप्त होता है। इन अनुदानों में जनपद सभा खण्डवा द्वारा प्रति वर्ष 500 रु जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा 500 रु तथा नगर पालिका परिषद द्वारा प्रतिवर्ष 1000 रु नियमित रूप से प्राप्त होता है। केन्द्रीय शासन से 1960-61 एवं 1967 68 में सिर्फ 2000 रु की राशि का अनुदान हुआ।

केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय तथा ... आयोग ... 46 पुस्तकें नि शुल्क प्राप्त हुई है। वाचनालय ... 5 से 18 अप्रेल तक वाचनालय भवन में किये

इस वप वाचनालय समिति ने 1969 70 का नवीनतम "ब्रिटेनिका विश्व कोश" के समस्त खण्ड खरीदे जिसके अध्ययन की सुविधा भी वाचनालय मे की गई है।[20] केन्द्रीय राज्य शिक्षा मन्त्री श्री भक्त वत्सल ने इसकी हीरक जयन्ती समारोह के समापन पर कहा था "देश मे कई सम्थाओं की अकाल मृत्यु हो जाती है। इस वाचनालय के काय-कर्त्ता गण एव खण्डवा के नागरिक धन्यवाद के पात्र है जिन्होने इस सस्था को 86 वप जीवित रखकर अकाल मृत्यु से बचा लिया।[21] और आज यह समाज सेवी सस्था अपने सौ वप पूण करने जा रही है। इन गौरवशाली वर्षों मे जिन लब्ध प्रतिष्ठित नेताओ, साहित्यकारो एव दाशनिक व्यक्तियो ने इस वाचनालय को एक श्रेष्ठ स्थान दिया यह उनकी ही वाणी मे इस प्रकार है।

"मारिस मेमोरियल लायब्रेरी जैसी प्राचीन सस्था का निरीक्षण कर मुझे बडा हप हुआ है। खण्डवा नगर के शिक्षित समाज की जितनी प्रशसा की जाये, इस पुस्तकालय के चलाने के लिए वह थोडी है। मैं पुस्तकालय की उत्तरोत्तर उन्नति की शुभकामना करता हूँ।[22]

वाचनालय को देखने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसमे पुस्तको का चुनाव अध्ययन की सुन्दर व्यवस्था और कायकर्त्ताओ का अदम्य साहस देखकर खण्डवा नगर की सास्कृतिक चेतना का आभास मिला। इतने छोटे से नगर म इस प्रकार की जागरूकता और कमठता का दखकर मैं चकित हूँ। मा भारती के निष्ठा-वान सेवको को हृदय से साधुवाद देता हूँ।[23]

शिवमगल सिंह सुमन इस प्रकार इस पुस्तकालय को श्री जयप्रकाश नारायण, पुरुषोत्तमदास टण्डन भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा, नन्द दुलारे वाजपयी, वियोगी हरि, जैनेन्द्र कुमार, अज्ञेय इत्यादि महापुरुषो ने अपने आशीवाद से सुशोभित किया।

वतमान मे इस पुस्तकालय मे लगभग 20,000 ग्रन्थ है। हिन्दी दैनिक 13, हिन्दी मासिक 20, अग्रेजी 4 पाक्षिक 10 साप्ताहिक, हिन्दी व मराठी 16 पत्र एव पत्रिकायें आती है। इसकी सदस्य सख्या 1500 है। प्रतिदिन 200 पाठक अध्ययन का लाभ लेते है। एक दिन मे प्रात 8 स 11 एव शाम 5 से 8 बजे तक पचास से 60 पुस्तकें निगमित होती है। पुस्तकालय मे बाल विभाग एव महिला विभाग की स्वतन्त्र व्यवस्था है। एक चलित महिला वाचनालय भी है। जिसका उदघाटन अन्तर्राष्ट्रीय महिला वप मे श्रीमती एम एन बुच द्वारा किया गया था। 22-9-69 से पुस्तकालय के विशेष कायक्रमो मे कृति दपण एव समीक्षा दशन का भी समावेश किया गया है। पुस्तकालय मे 1930 के पूव के आलेखो का इस वाचनालय मे अभाव है।

प्रारम्भ से अभी तक बालको के सवागीण विकास को दृष्टीगत रखत हुए बालको के लिए निशुल्क पुस्तक प्रदान प्रणाली अपनायी जाना रही है। यह इस

पुस्तकालय की गौरवशाली विशेषता है। इस प्रकार म प्र का अति प्राचीन सार्वजनिक किन्तु सामाजिक सांस्कृतिक एव राजनैतिक चेतना का केन्द्र यह पुस्तकालय लोक हिताय महत्वपूर्ण है। ऐसे सभी पुस्तकालयों पर शासन को ध्यान देना चाहिये।

इस पुस्तकालय के विकास पर जितना शासन ने ध्यान नहीं दिया उससे कहीं बढकर यहाँ की जनता नेता साहित्यकार एव अधिकारी वर्ग ने महत्व दिया सजाया सवारा है। भविष्य म यदि इस लोक पुस्तकालय म प्रौढ पाठशालाओ का काम भी हो तो इसकी उद्देश्य पूर्ति सही अर्थों म हो सकती है। इस ओर शिक्षित समाज व जिम्मेदार लोगो को सोचना चाहिए। इसकी सेवाओ का और अधिक विस्तृत किया जाना चाहिए।

(5) केन्द्रीय पुस्तकालय बडौदा—

भारत म बडौदा वह पहला राज्य है जहाँ देश मे सर्वप्रथम शिक्षा के महत्व को समझ एव जनता म ज्ञान की विभिन्न शाखा प्रशाखाओ के प्रति जाग्रति लाने हेतु 1910 मे तत्कालीन महाराज सर सयाजीराव गायकवाड ने पुस्तकालयो के विकास एव उनके आन्दोलन को आगे बढाने का सूत्रपात किया। बडौदा स्टेट, शहर एव जनता की खुशहाली और शिक्षा के विकास हेतु एक केन्द्रीय पुस्तकालय की स्थापना की गई। प्रारम्भ म इसे बडौदा स्टेट पुस्तकालय कहते थे। बडौदा महाराज ने इस पुस्तकालय के लिये 20,000 दुर्लभ ग्रन्थो का सग्रह भेंट किया। इस केन्द्रीय पुस्तकालय का पूर्ण व्यय राज्य की ओर से दिया जाता था। पुस्तकालय सर्व जनता के लिये नि शुल्क थी। पुस्तकालयाध्यक्ष बोडन महोदय ने यहाँ वर्गीकरण, सूचीकरण की पद्धतियो को अपनाकर सन्दर्भ सेवा को अधिक महत्व दिया। इस पुस्तकालय से सम्बद्ध कई चल पुस्तकालयो (Traveling Libraries) का निर्माण किया गया जो दूर दूर तक गावो म पुस्तकें पहुँचाने का कार्य किया करते थे।

पुस्तकालय मे भाषा सख्या के आधार पर दो प्रमुख भाषा मराठी एव गुजराती के बड विभाग कर दिये किन्तु भाषा एव शिक्षा की व्यापकता के कारण क्रमश पुस्तकालय मे अग्रेजी भाषा की 51,677 40,380 गुजराती की पुस्तकें, 31907 मराठी की पुस्तकें, 4681 हिन्दी की एव 1817 पुस्तकें उर्दू एव भाषा साहित्य की थी। इस प्रकार कुल मिलाकर इस पुस्तकालय की सग्रह सख्या 1,30784 हो गई, वर्तमान म लगभग 2 लाख तक ग्रन्थ सख्या पहुँच चुकी है।

श्री बोडन महोदय इस पुस्तकालय विकास योजना के अध्यक्ष नियुक्त किये गये। इस प्रकार धीरे धीरे बडौदा राज्य म 1946 तक 1500 सस्थायें हो गई जिनमे 4 जिला पुस्तकालय 72 तालुका एव नगर पुस्तकालय और शेष ग्राम पुस्तकालय एव वाचनालय थे। बोडन महोदय जिन्हे महाराजा गायकवाड अमेरिका से लेकर आये थे की देख रेख म ही इस पुस्तकालय भवन का निर्माण हुआ। पाश्चात्य

शैली से निर्मित इस भवन मे अत्याधुनिक ढग की ग्रन्थ भण्डार व्यवस्था को महत्व दिया गया। पुस्तकालय मे सभी कार्यों के विभाग भिन्न भिन्न रखे गये। वाचन एव पत्र पत्रिका विभाग भी सुन्दर ढग से स्वतन्त्र व्यवस्थापित किय गये। 1910 मे ही बोडन साहब ने पुस्तकालय-विज्ञान का पाठयक्रम प्रारम्भ किया जिससे राज्य भर मे प्रशिक्षित ग्रन्थपाल नियुक्त किये जा सके। बालको के अध्ययन को महत्व देने हेतु बाल पुस्तकालय कक्ष को मनमोहक एव आकर्षक बनाया गया ताकि बालक अधिक सख्या मे आकर मन को रमाये। कक्ष का आकर्षण बच्चो के लिय लाभदायी सिद्ध हुआ और सैकडो बच्चे पुस्तकें पढकर लाभ उठाने लगे।

बडौदा स्टेट म प्रारम्भ म गाँव पुस्तकालय प्राय गावो की पाठशालाओ म खोले गये थ। लेकिन धीरे-धीरे सन् 1930 से उनके लिये स्वतन्त्र भवन बनवाने के लिये पुस्तकालय विभाग न सहायता देनी शुरू की तो सन् 1946 तक 194 पुस्तकालयो के अपने निजी भवन भी हो गये थे। इस प्रकार इस राज्य मे पुस्तकालयो का विकास शृ खला क्रमबद्ध रूप से नियोजित होता रहा।

(6) खुदाबख्श ओरियन्ट पब्लिक लायब्रेरी पटना—

पूर्वी भारत का यह महत्वपूर्ण पुस्तकालय अरबी, फारसी, उर्दू एव सस्कृत के प्राचीन और दुलभ पाण्डुलिपियो के सग्रह की दृष्टि से इस क्षेत्र का ख्याति प्राप्त पुस्तकालय है। इस पुस्तकालय की स्थापना सन् 1888 मे हुई थी। प्रारम्भ काल मे इस पुस्तकालय म केवल 6500 पुस्तकें थी जिनमे 400 पाण्डुलिपिया थी। सन् 1981 मे देसला (बिहार) के अल इसलव पुस्तकालय द्वारा 7000 पुस्तको के दान से इस पुस्तकालय म पुस्तको की सख्या बढी।

वतमान काल म खुदाबख्श ओरियन्टल पब्लिक लायब्रेरी मे पाण्डुलिपियो मुद्रित पुस्तको, पत्रिकाओ तथा समाचार पत्रो की कुल सख्या 49,898 है जिसमे अरबी पाण्डुलिपि 4 106 फारसी पाण्डुलिपि 3,883 उर्दू पाण्डुलिपि 283, हिन्दी और सस्कृत पाण्डुलिपि 35 तुर्की पाण्डुलिपि 20 ताड पत्र पर लिखी पाण्डुलिपि 200, अरबी, फारसी और उर्दू पुस्तकें 23,944, अ ग्रेजी पुस्तके 9682 जमन पुस्तकें 982 फ्रेन्च पुस्तकें 875 लेटिन पुस्तकें 12 इटालियन पुस्तकें 3 स्पनिश पुस्तकें 21 पत्र पत्रिकायें एव समाचार पत्र 5911 है। इस पुस्तकालय मे 1269 इ की रची एक कुरान की प्रति सुरक्षित है।

उपरोक्त विवरण यह स्पष्ट करता है कि यह पुस्तकालय, अरबी, फारसी, मध्यकालीन एव भारतीय इतिहास एव इस्लामी सस्कृति के ज्ञान की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। पाण्डुलिपि विभाग एव वाचनालय कक्ष मे प्रतिदिन आने वाले पाठको की सख्या क्रमश 20 और 50 है। शोध एव अनुसधान के लिए पाण्डुलिपिया फोटो स्टट प्रतियो, माइक्रो फिल्म इत्यादि की सुविधा उपलब्ध करायी जाती है।

इसकी उपयोगिता और इसके अन्तराष्ट्रीय महत्व का ध्यान मे रखते हुए इसे 'राष्ट्रीय महत्व की सस्था बनाने के लिए लोकसभा मे विधेयक स्वीकृत किया

गया है। इस प्रकार के विधेयक प्रत्येक राज्य म स्थित प्राचीन एव ऐतहासिक रुचि के साहित्य सरक्षक पुस्तकालयो के लिए पास होना चाहिये ताकि हमारी सास्कृतिक धरोहर की रक्षा हो सके।

(7) भण्डारकर रिसर्च इन्स्टीटयूट पुस्तकालय पूना—

इस प्राच्य विद्या सशोधन मन्दिर की स्थापना 6 जुलाई 1917 को डा सर रामकृष्ण गोपाल भण्डारकर के 80 वें जन्म दिन पर उनके मित्रा एव शिष्या के सदप्रयास से हुआ था। सस्थान के उद्घाटन के दिन ही डॉ भण्डारकर ने अपने निजी ग्रन्थो एव शोध पत्रिकाओं का बहुमूल्य 2600 ग्रन्था का विशाल सग्रह सस्था का भेंट कर दिया। महाराष्ट्र सरकार द्वारा लगभग 20,000 हस्तलिखित सस्कृत एव प्राकृत ग्र थो का दुलभ सग्रह सस्था का दिया। अखिल भारतीय प्राच्य विद्या परिषद् की योजना को क्रियान्वित करने हेतु पूना मे प्रथम अधिवेशन किया और मेधावी युवको को शास्त्र शुद्ध शोध पद्धति सिखाकर सशोधन काय के लिये स्नात कोत्तर अध्ययन और सशोधन विभाग प्रारम्भ किया सम्प्रति आज तक निरतर गतिशील है। अति प्राचीन ग्रन्थो, दुलभ पोथियो की फोटो कापी कर यहा सुरक्षित रख ली गई है। इन पोथियो की शोध स्तर पर आवश्यकता होती है तो इनकी पुन फोटो कापी बनाकर माइक्रो फिल्म रूप म स्वय के खच पर अनुसन्धित्सुओं को भेजी जाती है। अभी तक इस प्रकार का लेन देन विदशो से भी बहुत हुआ है। यह सस्थान शोध अनुसन्धान का शास्त्रोक्त दृष्टी से भारत मे अनूठा केन्द्र है।

(8) नेटिव सेन्ट्रल लायब्रेरी धारवार —

ब्रिटिश शासन की नीव जमने के बाद, बम्बई मद्रास हैदराबाद एव कर्नाटक मे शिक्षा हेतु सव प्रथम हुबली एव धारवार में 1826 में स्कूल खोले गये। इन स्कूलो के खुलने के साथ ही लोगो में साक्षरता बढी अत उन्हें स्थायी बनाने हेतु पुस्तकालयो की आवश्यकता महसूस की गई। अत सवप्रथम एव शिक्षक के सद्प्रयास से सन् 1854 में धारवार नेटिव सेन्ट्रल लायब्रेरी की स्थापना की गई। 1882 में इस पुस्तकालय में 451 पुस्तकें थी जिसमें 414 अग्रेजी 30 मराठी और 7 कन्नड की थी। ये पुस्तकें चन्दे से ही क्रय की गई थी। पुस्तकालय में कोई व्यवस्थित काय प्रणाली का अनुसरण नही होता था दो अग्रेजी अखबार इसमें आते थे, और कुछ सदस्यो के द्वारा भेंट कर दिये जाते थे। ये सभी पत्र अधिकाश अग्रेजी के होते थे। उसी समय धारवार में "म्युनिसिपल जनरल लायब्रेरी" भी चलती थी। 1920 में धारवार में ही "सन्तेस धर्माथ' वाचनालय की स्थापना की गई।

(9) कोनेमारा (स्टेट केन्द्रीय) लोक पुस्तकालय मद्रास[24]—

यह पुस्तकालय भारतीय स्वाधीनता के पूव का, मद्रास राज्य का, साथ ही भारतवर्ष व ब्रिटिश काल का चौथा या पाचवें क्रम का प्राचीनतम पुस्तकालय है। इस

पुस्तकालय की स्थापना लार्ड कोनेमारा के शासनकाल 1886-1891 में जब वे मद्रास राज्य के राज्यपाल थे के नाम से हुई थी। एंग्लो इटालियन पद्धति से इसकी सरचना की गई और 5-12-1896 को मद्रास सरकार की माँग पर खोला गया था।

स्वाधीनता के उपरान्त 1948 के मद्रास लोक पुस्तकालय अधिनियम के अनुसार जो कि 1 अप्रैल, 1950 से प्रभावित हुआ इसे 'स्टेट सेंट्रल लायब्रेरी" का दर्जा दे दिया गया। 10 सितम्बर, 1955 से इस पुस्तकालय को भारत के तीन प्रमुख सार्वजनिक पुस्तकालयों में से एक घोषित कर दिया गया। 1954 के 'डिलिवरी आफ बुक्स' अधिनियम के प्रावधानानुसार 10 मई, 1954 को या इसके बाद जो भी सामग्री भारत में प्रकाशित होगी वह इस पुस्तकालय को मिलेगी। 15 सितम्बर 1965 से यह यूनेस्को इन्फार्मेशन केन्द्र के रूप में सेवा कर रहा है। 21-3-1966 से इसे पुस्तकालय विज्ञान सस्थान की एक विंग से जोड़ा था। यह यू एन ओ के सभी अंगों एवं एजेंसीओं के प्रकाशन का भी एक महत्वपूर्ण डिपाजिटरी सेन्टर है। सन् 1973 की 7 अगस्त से बाल विभाग का कार्य भी इस पुस्तकालय में प्रारम्भ किया गया है।

इस पुस्तकालय में एक समय में 340 पाठक बैठकर अध्ययन करते हैं इतनी क्षमता का पुस्तकालय वाचनालय कक्ष है। लोक पुस्तकालय अधिनियम के अन्तर्गत प्रतिवर्ष इस पुस्तकालय को 8,870 पुस्तकें 3686 पत्रिकायें एवं 249 समाचार पत्र प्राप्त होते हैं। यहां पुस्तक संग्रह, भ्रमणार्थी, सन्दर्भ एवं पुस्तकों के उपयोग का लेखा भी रखा जाता है जिससे यह आसानी से पता लग जाता है कि सदस्य पाठक ने किस समय कितनी और कौनसी पुस्तकें ली है, उन्हें कब लौटाना है। इस तरह आगन्तुकों द्वारा देखी गई व सन्दर्भ पाठकों द्वारा ले जाई गई पुस्तकों की पूर्ण लेखा पंजी यहां रिकार्ड रूप में रखा जाता है। इस प्रकार के कार्य में ग्रन्थों के मांग कर्ताओं का इच्छित ग्रन्थ का [illegible] शीघ्र भी हो सकती है।

इस प्रकार कोनेमारा सार्वजनिक पुस्तकालय अब राष्ट्रीय पुस्तकालय का प्रमुख अंग बन गया है वर्तमान में इस ग्रन्थों की संख्या 2,96 715 है जिसमें 54 809 पत्रिकाओं के सजिल्द प्रकाशन [illegible] है। इस पुस्तकालय के सदस्यों की संख्या 11108 है। सन् 1977 78 में [illegible] पत्रिकाओं पर 1 90,000 रुपये खर्च किये गये, स्थापना विभाग में 3,67,700 एवं अन्य मदों में 30 500 रुपये खर्च किया। कुल मिलाकर 5,88 200 [illegible] पुस्तकालय के व्यवस्थापन में [illegible] हुआ। तमिलनाडु सरकार की ओर से चलाये जा रहे इन लोक पुस्तकालयों में [illegible] सामान्य नियम है जिन्हें प्रत्येक पुस्तकालय [illegible] सदस्यों को जानना चाहिये

(अ) सामान्य नियम—

(2) पुस्तकालय संग्रह में [illegible] को [illegible]

ग्र-य दिन के अवकाश हेतु प्रति नियुक्त अधिकारी द्वारा सप्ताह के नोटिस पर "फोट स्ट जाज गजट" एव पुस्तकालय सूचना पट्ट पर सूचना लगा दी जाती है।

(2) पुस्तकालय के खुलने का समय प्रात 10-30 से 8 बजे शाम तक होगा।

(3) 17 वप से कम आयु वग का कोई भी व्यक्ति पुस्तकालयाध्यक्ष की अनुमति के बिना पुस्तकालय में प्रवेश नही कर सकेगा।

(4) सदस्य इसी शत पर पुस्तकालय में प्रवेश करेंगे कि वे स्वच्छ कपड एव स्वस्थ मन वाले हो।

ऐसे ही अनिवाय व सामा-य नियमो का पालन कर ग्र-थालय सेवा को अधिक साथक बनाने में यहाँ के कमचारीगण एव सदस्यगण सभी अनुकूल प्रयास करते है।

बहुत समय से इस ग्र-थालय को भारत सरकार का राष्टीय के-द्रीय ग्र-थालय घोषित कर दिया गया था जिसे राष्ट्रीय ग्र-थालय जैसे ही कायक्रम अपने क्षेत्र में सम्पन्न करने थे। इस काय में ग्र-थालय कहा तक सफल हो सका है इसकी जानकारी प्राप्त नही हो सकी फिर भी यह ग्र-थालय देश का बहुत बडा सावजनिक ग्र-थालय है जिस पर हम देशवासियो को गव होना चाहिए।

(10) से-ट्रल स्टेट लायब्रेरी भोपाल-5—

म प्र राज्य की राजधानी भोपाल का यह के-द्रीय पुस्तकालय है जिसे 'मौलाना आजाद के-द्रीय पुस्तकालय" के नाम से जाना जाता है। इस पुस्तकालय की स्थापना स्वाधीनता के बाद 13 अगस्त 1955 को की गई थी। भोपाल राज्य में पूव से स्थापित हमीदिया लायब्रेरी जो 1818 में स्थापित हुई थी, उसकी हजारो पुस्तकें (जिनकी सूची देना यहा उपयुक्त नही लगता) एव साज-सामान इस पुस्तकालय को दिया गया।

सुल्तान जहा बेगम को हमीदिया स्टट लायब्रेरी की उक्त पुस्तकें देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और यह पुस्तकालय स्वाध्याय व जन रुचि के अध्ययन का एक के-द्र बन गया। स्थापना के समय इस पुस्तकालय में सिफ 3500 पुस्तकें उपलब्ध थी किन्तु इनकी तुलना में सदस्यो की सख्या एक हजार थी। इस बात से यह अ-दाजा सहज ही लग जाता है कि आज के पाठको की तुलना में आज से 24 वप पूव के पाठक अधिक अध्ययनशील थे और स्वाध्याय के लाभ को जानते थे। इसके विपरीत वतमान में हम देखे तो हमें पता चलता है कि पुस्तकालय के पास परिपुष्ट पुस्तक भण्डार (62,260) है किन्तु पाठको की सख्या मात्र 2118 ही रह गई है, अर्थात 24 वप में इस पुस्तकालय में पाठको ने दोगुनी वृद्धि का श्रेय पाया है।

पुस्तकालयो के विकास में दिनोदिन वृद्धि होती जा रही है किन्तु हमें देखने में आ रहा है कि पाठको में पुस्तकालयो में अध्ययन की रुचि कम एव ठलो व पाकेट बुक्स, उपन्यासी पुस्तकों के पढ़न में अधिक बढ़ती जा रही है।

भोपाल राजधानी के इस केन्द्रीय पुस्तकालय मे प्रतिदिन 150 पुस्तको का आगमन निगमन होता है। सदस्य पाठको के अध्ययन हेतु 200 सीटो की क्षमता वाला एक उपकरण (फर्नीचर) युक्त कमरा उपलब्ध है। पुस्तकालय मे मुक्त द्वार प्रणाली (open Access System) की व्यवस्था है जिसके द्वारा पाठक अपनी स्वय की इच्छा से ग्रथ भण्डार में जाकर अपनी इच्छित पुस्तक प्राप्त कर पढ सकता है और यदि वह पाठक उक्त पुस्तक घर पढने के लिये ले जाना चाहता है तो उसे श्राउन प्रणाली के द्वारा पुस्तकालय के नियमानुसार पढने के लिए दी जाती है।

यहाँ पर जो पुस्तकें क्रय की जाती है, वे एक पुस्तक चयन समिति की अनुशसा पर ही खरीदी जाती है। सदस्य भी ऐसे समय अपनी माग (पुस्तक) चयन समिति के समक्ष रख सकते हैं ताकि उन्हे भी क्रय करने पर विचार किया सकें किन्तु अन्तिम निर्णय समिति का ही होगा।

पुस्तकालय मे प्रतिवर्ष लगभग 20,000 रुपये की पुस्तकें क्रय की जाती है। इन पुस्तको की देख रख, व्यवस्थापन, सगठन एव पुस्तकालय प्रशासन हेतु, (1) क्षेत्रीय पुस्तकालयाध्यक्ष (2) पुस्तकालयाध्यक्ष (3) दो बुक लिफ्टर (4) दो केटलागर (5) पाच लिपिक कर्मचारी एव छ भृत्य कार्यरत है।

उपरोक्त सभी ग्रथालय सेवियो के सहयोग एव सहकार से पुस्तकालय दिनो दिन वृद्धि पा रहा है प्रवर्धन शील सस्था का स्वरुप पा रहा है, निश्चित ही इसके उज्ज्वल भविष्य की आशा की जा सकती है।

पाठको को देश-विदेश, ज्ञान विज्ञान, धर्म दर्शन, साहित्य कला एव विविध मनोरजन प्रदान कराने हेतु पुस्तकालय के वाचनालय मे लगभग 76 पत्र-पत्रिकायें हिन्दी, अंग्रेजी, उर्दू, मराठी इत्यादि भाषा मे मगायी जाती है।

वर्तमान मे क्षेत्रीय पुस्तकालयाध्यक्ष श्री तिवारी के नेतृत्व में यह पुस्तकालय फल फूल रहा है एव राजधानी का गौरव बनता जा रहा है। शासन से पुस्तकालयो एव उनके कर्मियो के विकास के प्रति कुछ अपेक्षायें है ताकि अच्छे साहित्य को पढने हेतु अच्छे पाठक बनाये जा सके।

(11) इन्दौर जनरल लायब्रेरी इन्दौर —26

भारतवर्ष के पुस्तकालयो के इतिहास मे मध्य प्रदेश के इन्दौर शहर की सार्वजनिक सस्था द्वारा सचालित यह पुस्तकालय, सामाजिक आर्थिक एव सास्कृतिक अभ्युदय का प्रतीक है।

104 वर्ष पूर्व स्थापित इस ज्ञान मन्दिर के विकास की कहानी, इन्दौर के शैक्षणिक सामाजिक एव सास्कृतिक विकास की कहानी है। 92 रुपय प्रतिमास की शासकीय सहायता से 1854 मे तत्कालीन होलकर नरेश श्रीमन्त तुकोजीराव द्वितीय ने इस सस्था की स्थापना की एव 'किताब घर' इस सस्था का नाम रखा।

आज इस पुस्तकालय को एक सौ चौबीस वर्ष हो रहे है। यह पुस्तकालय अपनी प्राचीनता एवं भव्यता मे श्रेष्ठ है। इस पुस्तकालय को 104 वर्ष पूर्ण होने पर साहित्यानुरागियों एवं समाज सेवीयो ने नवीन भवन बनाने हेतु जनता एवं शासन से सहयोग की अपील की थी। उन्होंने इन्दौर शहर के शासन से सहयोग की जो इच्छा प्रकट की वह निवेदन इस प्रकार था "संस्था ने नये भवन की जो योजना बनाई है, जिसमें एक विशाल सभागृह, महिला तथा बालकों के वाचनालय के लिये स्वतन्त्र कक्ष, सन्दर्भ ग्रन्थालय और अन्य सुविधा की जा सकेगी। इस भवन निर्माण के लिये अनुमानित ढाई लाख की राशि की आवश्यकता होगी। इस कार्य को पूर्ण करने के लिए इस नगर के धनी मानी, उद्योगपतियों, समाज सेवीयों, शिक्षा प्रेमीयों एवं सार्वजनिक कार्य कर्त्ताओं के सक्रीय सहयोग की आवश्यकता है।

इस प्रकार इन्दौर जनरल लायब्रेरी को नवीन भवन प्रदान करने के लिए एक ट्रस्ट का निर्माण श्री डी व्ही रंगे, कृ श्र चितले, मनोहरसिंह जी महता, चन्दनसिंह जी भरकतिया एवं एन डी जोशी के नेतृत्व मे किया गया। श्री व्ही एम नामजोशी द्वारा पुस्तकालय भवन का रेखाचित्र प्रस्तावित किया जो निम्नानुसार है।

उपरोक्त भवन का मूल्यांकन इस प्रकार किया गया।
ग्रन्थालय भवन—1 60,000
ग्रन्थालय फर्नीचर—10,000
ग्रन्थालय पुस्तकें—90,000
पुस्तक संख्या—28,088
सदस्य संख्या—1600

उपरोक्त स्थिति आज से 20 वर्ष पूर्व 'इन्दौर जनरल लायब्रेरी" की थी। वर्तमान मे यह पुस्तकालय राजबाडा चौक मे स्थित एक विशाल भवन में स्थापित हैं वर्तमान में इस पुस्तकालय की पुस्तक भण्डार संख्या 43,387 है। पुस्तकालय में आने वाले दैनिक साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक एवं त्रैमासिक पत्र पत्रिकाओं में अंग्रेजी 23 हिन्दी 89 एवं मराठी 23 एवं अन्य इस प्रकार 88 विभिन्न पत्रिकायें आती है। एक दिन में वाचनालय में लगभग 200 पुरुष एवं 100 से 125 तक बालक आकर पुस्तकालय की साहित्य का लाभ प्राप्त करते है। पुस्तकालय की वर्ष 1978 तक कुल सदस्य संख्या 1735 तक पहुँची है। पुस्तकालय में देश विदेश से नाना प्रकार के विषयों की पत्रिकायें भी समय-समय पर भेंट स्वरूप प्राप्त होती रहती है।

पुस्तकालय भवन मे एक बाल विभाग एवं महिला विभाग है महिलाओं के लिये शहर में पुस्तकें पहुचाने हेतु चल वाचनालय खोला गया है जिससे वनिता विश्व ज्ञान प्राप्त कर रहा है। यह योजना संस्था द्वारा नारी जागरण के हेतु नि शुल्क चलाई जा रही है।

भारतवर्ष चूंकि निरक्षरता के दामन से कई वर्षों से झुलसता रहा है अत

सभी भारतवासियों को चाहिये कि वे इस प्रकार का संस्थाओं की स्थापना कर पुण्य कमायें और राष्ट्रीय समस्या का हल निकाले। सरकार को भी इस ओर ध्यान देना चाहिये।

वृतात वर्ष मे ग्रन्थालय को मध्य प्रदेश शासन शिक्षा विभाग की ओर से 15,173 रु, अनुदान के रूप मे प्राप्त हुए वह गत वर्ष की अपेक्षा अधिक है। दि इन्दौर जन, लाय, 124 वा वार्षिक वृतात 77—78

सन् 1977–78 में ग्र थालय सदस्यता से पुस्तकालय को 7017—75 पैसे, श्री इन्दौर साव ग्रन्थालय टस्ट द्वारा 4000 = 00 रुपये विविध 2662 = 10 रुपय की राशि प्राप्त हुई।

ऐसे विशाल एव मध्य प्रदेश के अति प्राचीन पुस्तकालय पर हमे गर्व है और इससे भी अधिक गर्व है उन महानविभुतियो पर जिन्होने ऐसे सरस्वती के ज्ञान मन्दिर को अस्तित्व म लाकर इन्दौर जैसे महानगर 39 शैक्षणिक, सास्कृतिक सामाजिक एव कलात्मक गतिविधियो को विविध रग दिया एव बालको एव युवको के स्वाध्याय का प्रब ध किया। भावी पीढी इसका लाभ प्राप्त करने से वचित नही रखी जा सकती।

सन्दर्भ सामग्री

1, हिन्दी विश्व कोश पखा से प्राग तक खण्ड 7 पृ 293,
2 ब्रिटनिका विश्वकोश खण्ड 14 पृ 2
3 हिन्दुस्तानी, इलाहाबाद अकादमी प्रेस, 1953 पृ 451
4 ओझा मध्यकालीन भारतीय सस्कृति पृ 115
5 हिन्दुस्तानी (नैमा) प्राचीन भारत के पुस्तकालय, 6 (4) अक्टू 1936 पृ 454
6 हिन्दुस्तानी (वमा) प्राचीन भारत के पुस्तकालय, 6 (4) अक्टू 1936 पृ 455
7 हैसल (अल्फ्रेड) पुस्तकालयो का इतिहास (हिन्दी) परिशिष्ट (अ) भोपाल, हिन्दी ग्रन्थ अकादमी 1972 पृ 263 अनुवाद मदनसिंह परिहार,
8 कपूर (श्यामनारायण) प्राचीन भारत के पुस्तकालय हिन्दुस्तानी, (नैं) इलाहाबाद, एकेडेमी प्रेस 6 (4) अक्टू 36 पृ 456
9 शास्त्री (द्वारका प्रसाद) भारत मे पुस्तकालयो का उद्भव और विकास पृ 29
10 शास्त्री (द्वारका प्रसाद) भारत म पुस्तकालयो का उद्भव और विकास पृ 30
11 परिहार (मदनसिंह) अनु देखिए अल्फ्रेड हैसल पृ 264
12 गोखल (वी जी) प्राचीन भारत पृ 144
13 कपूर (श्यामनारायण) प्राचीन भारत के पुस्तकालय, हिन्दुस्तानी (नैं) इलाहाबाद एकडमी प्रेस, 1936 पृ 460

14 शुक्ल (अशोक) मध्य भारतीय साम्कृतिक अनुशीलन पृ 334
15 Pears Encyclopeadior 73 rd Ed General Information P L 60
16 विन्ध्याचल (सा) 1—1—70 पृ 2
17 विन्ध्याचल (सा) 1—1—70, पृ 6
18 विन्ध्याचल (सा) 1—1—70 पृ 2
19 जागरण 10—4—1970
20 कमवीर 4 अप्रेल 1970
21 विन्ध्याचल जन 8—1—70
22 हीरक जयन्ती समारोह विशेषाक, खण्डवा माणिक्य स्मारक वाचनालय, पृ 5
23 हीरक जयन्ती समाराह विशेषाक, खण्डवा माणिक्य स्मारक वाचनालय पृ 6
24 कोनेमारा केन्द्रीय ग्रन्थालय विवरण प्राप्त सूचना के आधार पर
25 मौलाना आजाद केन्द्रीय राज्य ग्रन्थालय, भोपाल—श्री तिवारी से सूचना प्राप्त
26 श्री इन्दौर जनरल लाइब्रेरी से प्राप्त सूचना के आधार पर—

2

भारत मे ग्रामीण-शिक्षा एवं पुस्तकालय

स्वतन्त्रता पूर्व शिक्षा एवं पुस्तकालय—

महात्मा गांधी ने एक बार कहा था "शिक्षा से मेरा अभिप्राय बच्चे के शरीर, मन और आत्मा मे विद्यमान सर्वोत्तम गुणो का सर्वांगीण विकास करना है।"[1]

शिक्षा एक ऐसा संस्कार है जो मानव जीवन के समग्र विकास तथा मानव के व्यक्तित्व विकास में सहयोगी होती है। स्वतन्त्रता के पूर्व भारत में शिक्षा का प्रचार-प्रसार बहुत कम था। जनता को शिक्षित करने उनमे अध्ययन के प्रति रुचि जाग्रत करने की दृष्टि से कुछ स्वायत्त व समाज सेवी संस्थाओ ने सावजनिक पुस्तकालयो की स्थापना पर जोर दिया। ग्रामीण शिक्षा को प्रसारित करने व ग्रामीण जन-जीवन को शिक्षित करने की दृष्टि से "अंग्रेजो के समय शिक्षा देने वाली अनेक संस्थाएँ थी जो सरकार, ईसाई मिशनरियो, भारतीय समाज सुधार संगठनो और राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा खोली गई थी। किन्तु ये सभी संस्थाए भी ग्रामीण क्षेत्र मे कोई विशेष सफलता प्राप्त नही कर सकी क्योकि इनमे ग्रामीण शिक्षा की समस्या पर कोई विचार नही किया गया था।"[2] फिर भी चूकि ब्रिटिश-शासन काल मे भारतीय-क्षेत्र कई स्वतन्त्र रियासतो मे बटा हुआ था अत इन रियासतो के प्रमुखो को अपनी जनता की शिक्षा, रहन-सहन, खान पान व उनकी सामाजिक सुरक्षा की पूर्ण स्वतन्त्रता दी थी। पराधीनता तथा निरक्षरता के इस अन्धकार काल मे भी देश के सजग व्यक्तियो, नेताओ तथा तत्कालीन राजपुरुषो ने अपनी जनता को, अपने ग्रामीण भारत को शिक्षित करने का बीडा उठाया।

बडौदा राज्य के महाराजा सर सयाजीराव गायकवाड ने अपनी रियासत मे अनिवार्य शिक्षा देने के साथ-साथ 1910 मे पुस्तकालयो का एक स्वतन्त्र विभाग स्थापित करवाया और पूरी रियासत मे जिला, तालुका, नगर एवं ग्राम पुस्तकालयो की स्थापना करवायी। इन पुस्तकालयो को खोलने के पीछे महाराजा का एक ही उद्देश्य था, कि मनुष्य बौद्धिक प्राणी है और वह शिक्षा ग्रहण कर अपने जीवन की अनिवार्यता व अपने अस्तित्व को समझ सके।

महाराजा इस प्रयास मे सफल हुए। इतना ही नही उन्होने पुस्तकालय विज्ञान मे प्रशिक्षण भी प्रारम्भ करवाया ताकि सभी प्रकार के पुस्तकालयो को संचालित करने मे प्रशिक्षित व्यक्तियों को नियुक्त किया जा सके ताकि ये लोग निरक्षर ग्रामीण जनता का शिक्षा सम्बन्धी उचित मार्ग दर्शन भी दे सके।'

प्रकार धीरे धीरे बड़ौदा राज्य मे सन् 1947 तक 1500 संस्थाए हो गई जिनमें 4 जिला पुस्तकालय, 72 तालुका एव नगर पुस्तकालय और शेष ग्राम-पुस्तकालय तथा वाचनालय थे। ग्राम पुस्तकालय प्राय गावो की पाठशालाओ म खोल गये थे। लेकिन धीरे धीरे सन् 1930 से उनके लिए स्वतन्त्र भवन बनवाने के लिए पुस्तकालय विभाग ने सहायता देनी शुरू की तो सन् 1947 तक 194 पुस्तकालयो के अपने निजी भवन भी हो गये थे।'[3]

इस प्रकार भारत मे ग्रामीण शिक्षा को प्रोत्साहित करने हेतु ग्रन्थालयों का विस्तार हुआ। यद्यपि बडौदा स्टेट का यह प्रयास एक आन्दोलनकारी वास्तविक प्रयास था जिसने भारत म ग्रन्थालय आन्दोलन को स्वरूप प्रदान किया, किन्तु इससे पहले भी पाठशालाओ की कमी को पूरा करने के उद्देश्य से देश के बहुत भागो म पुस्तकालयो के माध्यम से लोगो को साक्षर करके शिक्षित बनाने का काम प्रारम्भ हो चुका था।

19वी शताब्दी "मद्रास, बम्बई और बगाल के प्रातो म कुछ रात्री मध्य काल म पाठशालायें ऐसे बालको का अध शासकीय शिक्षा देने के लिए खोली गई जो मजदूरी के कारण पढ नहीं सकते थे। सन् 1909 म ऐसे संस्थाओ की सख्या मद्रास प्रान्त म 775, बगाल प्रात म 1078 और बम्बई प्रान्त म केवल 107 थी। जन प्रतिनिधियो का ध्यान भारत मे फैली निरक्षरता की ओर गया और प्रौढ शिक्षा के विकास के लिए कदम उठाए गये और वयस्को के लिए कुछ पुस्तकालयो की स्थापना की गई।'[4] लोक पुस्तकालयो को खोलने में इन यूरोपीयनो का मार्गदर्शन व सक्रीय योगदान भी रहा। 19वी शताब्दी के अन्त तक रियासतो की राजधानियों मे लोक पुस्तकालय स्थापित हो चुके थे। जिनम जिला लोक पुस्तकालय व नगर पुस्तकालय प्रमुख थे। इन्दौर व त्रावणकोर आदि रियासतो मे भी अपने लोक पुस्तकालय स्थापित हो चुके थे।

'1867 म एक और 'Press and registration of Books Act" पास हुआ। इसमे व्यवस्था थी कि प्रत्येक प्रकाशक प्रादेशिक सरकार को उसके द्वारा प्रकाशित पुस्तक की एक प्रति निःशुल्क भेजें। 1902 म एक और एक्ट कलकत्ता पब्लिक लायब्रेरी (1935) को इम्पीरियल लायब्रेरी घोषित करने से सम्बन्धित था, पास हुआ। '[5]

उपरोक्त सभी क्रिया कलाप इस बात के सूचक थे कि शिक्षा म सहयोग देने के लिए तथा देश की जनता को शिक्षा के साथ साथ सामाजिक, राजनैतिक एव आर्थिक विकास, मे सक्षम बनाने के लिए लोक-पुस्तकालयो का होना आवश्यक है। इस तरह के प्रयास *व्यक्तिगत आधार पर भी किये गये। "सन् 1915 में* दिवगत सर एम विश्वेश्वरय्या ने जब व मैसूर के दीवान थे, गावों म पुस्तकालय चलाने की व्यवस्था की थी। कुछ वर्ष तक सरकार के नेतृत्व म सफलता पूर्वक कार्य भी हुआ।"[6] व्यक्तिगत प्रयासो से भारतीय जनता को शिक्षित करने, गाव-

गाव ग्रन्थालय एव चल-ग्रन्थालय खोलने व पथधर तथा भारतीय ग्र थालय जगत के विश्व प्रसिद्ध विद्वान डा एस आर रगनाथन का बहुमूल्य योगदान युग युगान्तर तक भुलाया नही जा सकता।

"पुस्तकालय जगत मे प्रविष्ट होने और यूनिवर्सिटी कालेज लन्दन से लौटने के तुरत बाद डॉ रगनाथन ने 1926 म पुदुकोट्टाह कान्फ्रेन्स मे भाषण दिया जो प्रकाशित हुआ। इसके बाद डा रगनाथन ने कई निबन्ध लिखे जिनका उद्देश्य जन-साधारण तथा पुस्तकालय सचालको का पुस्तकालयो की ओर ध्यान आकर्षित करना, अन्य देशो की पुस्तकालय सेवाओ के विशिष्ट प्रतिमानो पर प्रकाश डालना, पुस्तकालय सेवा म सुधार करने की दृष्टि से सुझाव दना तथा कतिपय नवीन सेवाओ को प्रारम्भ करने की आवश्यकता पर जोर देना था।"[7] उक्त सभी सुझावो व प्रकाशित लेखो म ग्रामीण पुस्तकालय सेवा एव प्रौढ शिक्षा के लिए ग्रन्थालयो का उपयोग उल्लेखनीय है।

इतना ही नही डा रगनाथन का यह सपना था कि भारत के सम्पूर्ण ग्राम पुस्तकालयो से जोड दिये जाव ताकि ग्राम के छोटे-बडे, ऊँच नीच सभी प्रकार के लोग बिना किसी भेदभाव के पचायत भवनो के ग्र थालयो, चौपालो पर बैठकर देश की ताजा राजनीति पर चर्चा कर सके, विभिन्न प्रकार के पत्र पत्रिकाओ का अध्ययन कर सकें। गावो के ग्रन्थालयो मे इस प्रकार का साहित्य ग्रामीणो के अध्ययनार्थ पहुँचाया जावे जो, कृषि, उद्योग, पशुपालन, स्वास्थ्य एव चिकित्सा की जानकारी दे। ग्र थ एव ग्रन्थालयो पर उनके द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तो व नियमो ने ग्रन्थालय जगत म तहलका मचा दिया था। उनका यह कथन कि प्रत्येक पाठक को उसका वाछित ग्रन्थ प्राप्त होना चाहिए।"[8]

इसी नियम के आधार पर उनका मानना था कि जिस प्रकार शिक्षा व्यक्ति का जन्म सिद्ध अधिकार है वैसा ही हर व्यक्ति को अध्ययन का अधिकार है और प्रत्येक छपने वाली पुस्तक के लिए उसका पाठक होता है और प्रत्येक पाठक के लिए कोई न कोई ऐसी पुस्तक होती है जो उपयोगी होती है। अत प्रत्येक व्यक्ति को उसकी पुस्तक मिले ऐसा एक मात्र साधन ग्रन्थालय ही हो सकता है। वह ग्रन्थालय चाहे गावो का हो नगर, तालुका का हो जिला, प्रान्त या कि देश का हो सभी मे पाठको के उपयोग की पुस्तक होगी। इन ग्रन्थो को पाठको तक पहुँचाने का कार्य ग्रन्थालय प्रणाली का है। भारतीय परिवेश की शैक्षणिक आवश्यकताओ तथा ग्रामीण परिस्थितियो के अनुरूप ग्रन्थालय प्रणाली लागू करने का उनका प्रयास मृत्यु पर्यन्त चलता रहा। उन्होने ग्रामीण क्षेत्रो म ग्राम-पुस्तकालयो की आवश्यकता के बारे मे अपनी पुस्तक मे लिखा कि 'इग्लैण्ड म लगभग 80 प्रतिशत लोग नगरो म रहते है। इस कारण वहाँ ग्रामीण पुस्तकालयो का विकास देर से हुआ। इसके विपरीत भारत की लगभग 75 प्रतिशत जनता

ग्रामीण क्षेत्रों म रहती है, अत भारतीया के लिए पुस्तकालय सेवा मुख्यत ग्रामीण क्षत्रो पर निभर करगी।"[9]

जहा एक ओर बडोदा मे प्राथमिक शिक्षा का अनिवाय घापित कर ग्र थालय विकास कायक्रमो को भी लागू किया गया। प्रेस एण्ड रजिस्टेशन आफ बुक्स एक्ट" पास हुआ, इम्पीरियल लायब्रेरी विधेयक पास हुआ, वही बडोदा नरेश के उत्कृष्ट प्रयास से गोपालकृष्ण गोखले ने केन्द्रीय धारा सभा मे सम्पूण देश मे प्राथमिक शिक्षा लागू करने की सिफारिश की। "उस समय देश म केवल 6 प्रतिशत साक्षरता थी और प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने वाले बच्चो मे से केवल 23 8 प्रतिशत बालक और 2 7 प्रतिशत बालिकाएँ इस शिक्षा से लाभ उठा रहे थे।"[10]

शैक्षणिक विकास की यह प्रगति अत्यल्प थी। तभी प्राथमिक शिक्षा का अनिवाय बनाने के लिए बम्बई पजाब, सयुक्त प्रात बगाल, बिहार एव उडीसा मे भी प्राथमिक शिक्षा अधिनियम पास किया गया। क्रमश राष्ट्रीय जन जागरण म तीव्रता आती गई और शिक्षा के राष्टीयकरण की माग प्रबल होती गई। माध्यमिक शिक्षा का विस्तार भी निरतर होता गया साथ ही उच्च शिक्षा के लिए भी नये नय विश्व विद्यालय अस्तित्व म आये। इसके बावजूद डा रगनाथन जिस उद्देश्य को लेकर चल थे वह था ग्राम-ग्राम पुस्तकालयो का जाल बिछे, सावजनिक-ग्र थालय प्रणाली लागू हो राष्ट्रीय स्तर पर ग्रन्थालय कानून बने साथ ही राज्यो मे ग्र थालय अधिनियम पारित किए जावें ताकि निरक्षरता जसी बिमारी को सदैव के लिए देश से निकासित किया जा सके। इस उपक्रम मे उन्होने ग्र थालय विज्ञान पर ग्र थ, व लेख लिखे साथ ही अपने ओजस्वी भाषणो से ग्र थालयो की उपयोगिता को प्रतिपादित करने मे सलग्न रहे। उन्होने समस्त *एशिया शैक्षणिक सम्मेलन के सम्मुख जिसका अधिवेशन* सन् 1930 मे बनारस म हुआ था, आदश पुस्तकालय अधिनियम की रूपरेखा प्रस्तुत की। इस अधिनियम मे राज्य मे सावजनिक पुस्तकालयों की स्थापना व रक्षण प्रणाली का दायित्व तथा शहर, ग्राम व अन्य प्रकार की पुस्तकालय सेवाओ का विकास उपबन्धित था।"[11]

यद्यपि तत्कालीन सरकार ने भारतीय ग्रामीण शिक्षा को प्रोत्साहन देने हेतु आवश्यक कदम उठाये किन्तु भारत के जागरूक नागरिको ने निरक्षर जनता की चिन्ता करते हुए उन्ह ग्रन्थो के अध्ययन की सुविधाएं दने हेतु ग्राम वाचनालयों, चल ग्र थालया व पुस्तकालयो की स्थापना पर विशेष जोर दिया। डा रगनाथन, ने भारत मे ग्र थालयो के विकास हेतु "आदेश पुस्तकालय अधिनियम के आधार पर एक विधेयक मद्रास विधान सभा म 1933 मे प्रस्तुत किया। इसी वष भारतीय ग्र थालय सघ का गठन भी हुआ। इसी प्रकार से कई विधेयक डा रगनाथन द्वारा अलग-अलग प्रदेशो मे ग्र थालय विकास के लिए प्रस्तुत किये गये। सरकार ने

इन विधेयकों पर विचार करने की जरूरत नहीं समझी। "1939 में बम्बई में श्री ए ए ए फैजी की अध्यक्षता में "पुस्तकालय विकास समिति" की नियुक्ति हुई। समिति ने 1942 में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। जिसमें उसने पुस्तकालयों के विकास के लिए अनेक महत्त्वपूर्ण सुझाव दिए किन्तु देश के स्वाधीन होने तक उनको व्यवहार में नहीं लाया जा सका। 1940 में केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार ब्यूरो ने यह निर्णय लिया कि प्रौढ़ शिक्षा की समस्याओं को हल करने की दृष्टि से पुस्तकालय खोले जाने चाहिए।"[12]

ग्रन्थालय विकास की उपरोक्त गतिविधियों के क्रमश मन्द होने तक देश में अनेक स्तर की शिक्षा का शुभारम्भ हो चुका था। कई विश्वविद्यालय खुल चुके थे और उनसे सम्बद्ध ग्रन्थालय भी। समस्या यह थी कि शिक्षा के साथ ग्रन्थालयों का समन्वय अभी तक ठीक से नहीं हो रहा था। प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम तैयार होने पर केन्द्रों को वाचनालय सुविधायें अवश्य प्रदान कर दी गई थी, परन्तु इसका दायरा कम था अत ग्रन्थालय संघों ने अस्तित्व में आकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ कई बैठकों में भाग लिया और कांग्रेसी नेताओं को शिक्षा में ग्रन्थालयों की उपयोगिता तथा सार्वजनिक ग्रन्थालय अधिनियमों की अनिवार्यता से अवगत कराया। स्वतन्त्रता के पूर्व तक देश के विभिन्न राज्यों में ग्रन्थालय विकास का सकल्प लिए निम्नांकित राज्य पुस्तकालय संघों की स्थापना हुई।

(1) बड़ौदा पुस्तकालय संघ	1910
(2) पंजाब पुस्तकालय संघ	1915–1929 में पुन स्थापित
(3) मद्रास पुस्तकालय संघ	1928
(4) कर्नाटक पुस्तकालय संघ	1929
(5) बिहार पुस्तकालय संघ	1930
(6) बंगाल पुस्तकालय संघ	1931
(7) आन्ध्र पुस्तकालय संघ	1931
(8) आसाम पुस्तकालय संघ	1938
(9) केरल पुस्तकालय संघ	1942
(10) बम्बई पुस्तकायल संघ	1944
(11) उत्कल पुस्तकालय संघ	1944
(12) पूना पुस्तकालय संघ	1945
(13) दिल्ली पुस्तकालय संघ	1946

1946 में ही डा रंगनाथन ने "National Library System A plan for India" ग्रन्थ का प्रकाशन करवाया। इसमें उन्होंने राष्ट्र में पुस्तकालयों के विकास तथा सम्पूर्ण देश के लिए एक राष्ट्रीय ग्रन्थालय प्रणाली के निर्माण पर प्रकाश डाला। इसके साथ ही मद्रास, कोचिन, त्रावणकोर तथा बम्बई के लिए पुस्तकालय विधेयकों के प्रारूप व राज्यव्यापी पुस्तकालय विकास कार्यक्रम की

रूपरेखा तैयार की, जिनका प्रकाशन भी स्वतन्त्रता प्राप्ती के पूर्व वर्षों म हो चुका था। भारतीय जन जीवन को शिक्षित, जागरूक व राष्ट्रीय भावना की प्रेरणा से युक्त बनाने के उद्देश्य स शिक्षा प्रचार व प्रसार की तीन तरह की प्रयत्न विधियां अग्रेजो, राष्ट्रीय कांग्रेस व समाज सवियो व पुस्तकालय विकास के पक्षधरो ने अपनायी। इस प्रयास मे अपने अपने तरीके से सभी लोग एकजुट होकर लगे रहे। अग्रेजो को अपने प्रशासन-तन्त्र को चलान हेतु पढे लिखे बाबूओ की आवश्यकता थी तो भारतीय नेताओ को नागरिको को जागरूक व सजग बनाने की, और इन्हीं दोनो के बीच ग्रन्थालय विकास की धारा भी पूरे देश म गतिमान होती रही। इस प्रकार भारत मे तीन तरह स शिक्षा का व्यापक बनाने के प्रयास हुए।

(1) अग्रेज शासन की शिक्षा प्रणाली।
(2) भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस व समाज सेवियो द्वारा प्रस्तुत प्रणाली। तथा
(3) पुस्तकालय-सगठनो द्वारा किए जाने वाले प्रयास।

1—अग्रेज शासन द्वारा शिक्षा के लिए किये गये प्रयासो और महत्वपूर्ण आयोगो के गठन की जानकारी निम्नानुसार है।

(1) वुड का घोषणा पत्र— (1854)
(2) हटर कमीशन— (1882-83)
(3) लार्ड कर्जन, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग तथा अधिनियम
(4) सैडलर कमीशन— (1917-1919)
(5) हटाग-समिति— (1927-1929)
(6) एबट वुड रिपोर्ट— (1936-1937)
(7) सार्जेट रिपोर्ट— (1944)

प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च शिक्षा तथा प्रौढ शिक्षा के साथ ही बच्चो के लिए केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड न भारत मे युद्धोत्तर शैक्षणिक विकास (1944) सम्बन्धी प्रतिवेदन मे सिफारिश की कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा भी दी जाव। यद्यपि महाराष्ट्र के नूतन बाल शिक्षा सघ 1920 ने इसकी शुरूआत पहले ही कर दी थी किन्तु 1930 म मैडम मान्टसरी के भारत आगमन के बाद पूर्व प्राथमिक शिक्षा म वृद्धि हुई। '1950-51 म पूर्व प्राथमिक विद्यालयो (आगन बाडी शिशु सगोपन केन्द्र बाल मन्दिर) की सख्या 303 थी जिसम 866 शिक्षक थे और लगभग 28000 बच्चो की शिक्षण व्यवस्था थी। इस साल म कुल शिक्षा व्यय का लगभग 0 1 प्रतिशत, पूर्व प्राथमिक शिक्षा पर व्यय किया गया सन् 1957 के लगभग पूर्व प्राथमिक विद्यालयो की सख्या 3500 हो गई जिसम 6500 शिक्षक थे और 2,40,000 बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे थे।'[13]

प्रारम्भिक वर्षों म इनका कार्य क्षेत्र नगरो म अधिक और गावो म कम रहा किन्तु बाद मे सामुदायिक विकास कार्यक्रमो मे आगन बाडियो की स्थापनाओ म वृद्धि हुई। प्राथमिक एव माध्यमिक शिक्षा सस्थाओ का विकास क्रमश निम्नानुसार हुआ।

बम्बई— "1824 तक देशी विद्यालयों की संख्या 216 हो गई थी जिनमें 12 हजार से अधिक विद्यार्थी पढ़ते थे।"[14]

मद्रास— "सम्पूर्ण प्रान्त में 1852 में 1,185 मिशन स्कूल थे, जिनमें 38005 विद्यार्थी शिक्षा पाते थे।"[15]

उत्तर प्रदेश—"इन जिलों में 50 कस्बे एवं 14,572 ग्राम थे स्कूलों की संख्या 3,127 थी और उनमें 27,853 विद्यार्थी पढ़ रहे थे। हल्का बन्दी स्कूल प्रणाली के अन्तर्गत 1854 में 758 विद्यालय थे जिनमें 17 हजार छात्र पढ़ते थे।"[16]

बम्बई के शिक्षा बोर्ड एवं बंगाल के शिक्षा परिषद बनने के बाद वुड के घोषणा पत्र में ही शिक्षा विभाग एवं उनके संगठन का प्रावधान रखा गया था। "1856 के अन्त तक भारत के सब प्रान्तों में शिक्षा विभाग की स्थापना का कार्य पूर्ण किया जा चुका था और वे शिक्षा कार्य में व्यस्त हो गये थे।"[17]

1937 से 1947 तक की प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा के आंकड़े निम्नानुसार हैं।

प्राथमिक शिक्षा

प्रांत	शिक्षा पाने वाले बालक		शिक्षा पाने वाली बालिकाएँ	
	नागरिक क्षेत्र	ग्रामीण क्षेत्र	नागरिक क्षेत्र	ग्रामीण क्षेत्र
बिहार	17			
बम्बई	9	134	110	5,100
मध्य प्रदेश	34	1031		
पूर्वी पंजाब	37	1,420		
मद्रास	16	31	12	1,607
उड़ीसा	1	1		
उत्तर प्रदेश	36	1,371	3	3
पश्चिमी बंगाल	1			
दिल्ली	1	7		
योग	152	3995	125	6710

माध्यमिक शिक्षा—1937 में माध्यमिक विद्यालयों की संख्या 13056 और उनमें शिक्षा का लाभ उठाने वाले छात्रों की संख्या 22,87,872 थी। 1947 में यह संख्या क्रमशः 11,907 और 26,81,981 थी।

2 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एवं समाज सेवी संस्थाओं ने भी प्राथमिक एवं एवं माध्यमिक व उच्च शिक्षा के लिए प्रमुख समितियों का निर्माण किया साथ ही

प्रौढ शिक्षा पर भी विशेष ध्यान दन हेतु प्रौढ पाठशाला एव वाचनालय भी खोले।

"1937 मे ही भारत मे "इण्डियन एडल्ट एजूकेशन सोसाइटी" की स्थापना हुई। इसके पूर्व 1935 म भारत मे आठ-प्रान्ता मे राष्ट्रीय काग्रेस द्वारा शासन सभाला गया था। लोक प्रिय मत्री मण्डला न उस समय के साढ बत्तीस कराड निरक्षरो को साक्षर बनाने का आन्दोलन चलाया। इसके परिणामस्वरूप प्रौढ शिक्षा की दिशा मे पर्याप्त प्रगति हुई। केवल बिहार मे ही 18,878 केन्द्रो पर 11,68 325 व्यक्ति साक्षर हुए। 1939 मे भारत में प्रौढ शिक्षा केन्द्रो की सख्या 5978 तथा इनके अध्ययन कक्षाओ की सख्या 1,92, 539 थी।"[18]

1937 से 1942 क बीच प्रौढ शिक्षा का विकास निम्नाकित तालिका से स्पष्ट है—

प्रान्त	प्रौढ शिक्षा केन्द्र	छात्र
आसाम	10,000	61,16,713
बगाल	32,574	6 80 178
बिहार	100526	27,74,595
बम्बई	6432	1 39,000
सी पी	77	1 692
मद्रास	354	19,265
उडीसा	2547	64,108
पजाब	10,929	3,62,322
उत्तर प्रदेश	21,300	14,00 000 ※

※ प्रौढ शिक्षा और पुस्तकालय के पृष्ठ 33–34 से उद्धत।

अभी तक जबकि देश के 13 प्रान्तो में ग्रन्थालय सघो का गठन हो चुका था। भारतीय राष्ट्रीय काग्रेस शक्ति में आ गई थी, कई प्रदेशो का शासन उसके हाथ में आ चुका था। देश में डा रगनाथन सन्तराम भाटिया, खान बहादुर असदुल्लाह एव अन्य ऐसे ग्रन्थपाल व लाकजन ऐसे थे जो अपने अपने क्षेत्रो में खुले मन व समर्पित भाव से ग्रन्थालयो की स्थापनाएँ करते जा रहे थे और प्रयासरत थे। कुछ सघ ऐसे थे जो ग्रन्थपालो के लिए ग्रन्थालय साहित्य भी प्रकाशित कर रहे थे। मद्रास ग्रन्थालय सघ डॉ रगनाथन के लेखा का प्रकाशन कर रहा था और पजाब ग्रन्थालय सघ लाहौर से "माडन लायब्रेरियन' नाम की त्रमासिक पत्रिका प्रकाशित हो रही थी।

राष्ट्रीय काग्रेस के सन् 1937 में प्रभावशील होने के उपरान्त बहुतेरे प्रान्तों म ग्रन्थालय सघो ने सरकारी प्रयासा से ग्रन्थालय चलाये जाने की माग रखी। इनमें स कुछ प्रादेशिक सरकारा ने ग्रन्थालय सघो की मागो को स्वीकार कर राज्य

शिक्षा-विभागा को ग्रामीण पुस्तकालय खोलने का आदेश प्रदान किया। ग्रन्थालय परामर्श समिति[19] ने भी अपने एतिहासिक प्रतिवदन में यह बात स्पष्ट की है। मद्रास ग्र थालय सघ (1929) ने ग्रन्थालयो के विकास हेतु काफी प्रयास किए जिसका श्रेय डा रगनाथन को जाता है। उनकी अद्वितीय क्षमता के कारण ही— "1942 में भारतीय पुस्तकालय सघ ने डा रगनाथन से एक अ य विधेयक की रूपरखा तैयार करने की प्राथना की। उन्होन विधेयक की रूपरेखा वनाई जिसे "आदश सावजनिक पुस्तकालय विधेयक" कहते ह। इस विधेयक का बम्बई में समस्त भारतीय पुस्तकालय सघ के पाचवें अधिवेशन के सम्मुख प्रस्तुत किया गया। विधेयक पर अधिवेशन में बहस तो हुई परतु कोई निश्चित पग नहीं उठाया गया।"[20]

एसे ही अधिनियम बनाने या विधेयक प्रस्तुत करने के प्रयास अनेक राज्या के ग्रन्थालय सघो द्वारा डा रगनाथन के सहयोग से किए जिनका विवेचन हम स्वाधीनता काल मे शिक्षा एव ग्रन्थालयो के विकास के समय करेंगे।

उपरोक्त समग्र विवेचन मे हमने देखा कि भारत वष पर अ ग्रेजो के शासन काल म शिक्षा के साथ ग्रन्थालयो के विकास पर किसी भी प्रकार का ध्यान नही दिया गया। शिक्षा के साथ उपलब्धि के नाम पर हमे विश्व विद्यालयीन व महाविद्यालयीन शिक्षा म ही ग्रन्थालयो के दशन होते हैं। शेष पाठ शिक्षा कायक्रमा मे ग्र थालया के उपयोग का जिक्र मिलता हैं जसा कि हिन्दी विश्व कोष म लिखा है कि "बसिक शालाओ एव जूनियर हाइ स्कूला मे तो अभी पुस्तकालया का विकास नही हुआ है। परन्तु माध्यमिक शालाओ एव विद्यालया के पुस्तकालयो का सवागीण विकास हो रहा है।"[21]

यह बात तो सवविदित है कि स्कूलो मे आज भी ग्रन्थालय सक्रिय नही ह। ग्रामा के पुस्तकालया की स्थिति तो और भी खराब है। जहा तक ग्रन्थालयो

---

19 'The need for public libraries so conceived and dedicated has been felt all the more keenly in India after independence There is a remarkable unanimity of opinion among all national leaders that facilitits for reading books must be brought with in the means of all citizens and particularly of villagers It is beleived that this will prevent their world of learning from being limited to personal experiences and obseruations Reading will widen their harizen beyore the berriers of space and time ' Report of advisory Committee for libraries, Govt of India, Mi istry of education & youth services 1970, P 32

द्वारा शैक्षणिक प्रक्रिया में सहयोग करने का प्रश्न है वह एक अच्छी शिक्षण प्रणाली में ही सम्भव है। दूसरे यह कार्य प्रौढ़ शिक्षा के अन्तर्गत ग्रन्थालयों की अहमियत समझने में होगा। प्रद्युम्न कुमार गौड़ ने लिखा है कि "यह विचारणीय है कि शिक्षा प्रक्रिया का सीधा सम्बन्ध व्यक्ति से होता है क्योंकि व्यक्ति ही शिक्षित होता है और ऐसे ही शिक्षित व्यक्तियों से समाज बढ़ता है अतः व्यक्ति की आवश्यकताओं और उसकी प्रसन्नता और समृद्धिशीलता और शिक्षा अभियान में ही सर्वोपरि होगी परन्तु इनकी संरचना में पुस्तकालयों का योगदान भी महत्वपूर्ण है।'[22]

इस महत्त्व को शायद अंग्रेज सरकार नहीं समझ पायी थी, किन्तु भारतीय नेता शिक्षाविद व समाज सुधारकर्ता इनके महत्त्व को जानते थे, उन्होंने ही ग्रन्थालयों के समग्र विकास पर विचार किया होता तो संभव था आज पूरा राष्ट्र ग्रन्थालयों का लाभ अपने ग्राम शहर व शैक्षणिक जीवन में करता।

"स्वातन्त्र्योत्तर काल में ग्रामीण शिक्षा एवं ग्रन्थालय" —

एक लम्बे जद्दो-जहद और स्वातन्त्र्य-संघर्ष के उपरान्त भारतीयों ने अपने देश को पराधीनता की जंजीरों से मुक्त किया। सुव्यवस्थित रूप से भारतीय राष्ट्रीयता का जन्म सन् 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के साथ हुआ।'[23] कांग्रेस जनों तथा राष्ट्रीय चेतना के दीवानों ने सत्ता हस्तांतरण के लिए अंग्रेजों पर दबाव डाला। 1942 में पूरे देश में इतिहास प्रसिद्ध भारत छोड़ो' आन्दोलन छिड़ गया और अन्ततः 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों द्वारा संघर्षशील भारतीयों को सत्ता सौंप देनी पड़ी।

भारत अब पूर्ण स्वतंत्र था और उसे अपने देशवासियों को प्रजातान्त्रिक ढंग से जीने के लिए शिक्षा, कृषि, उद्यो[illegible] र एवं विज्ञान [illegible] रना था। तत्कालीन सरकार का ध्यान नागरि[illegible] करने [illegible] वी से उबारने की ओर गया। भारत में [illegible] स्वत[illegible] रग
संविधान [illegible] राज्य के नीति निर्देशक [illegible] ा
का प्रावधान किया [illegible] श्य से [illegible]
में स्पष्ट रूप से [illegible] सभी
तक अनिवार्य द[illegible]

24 "The s[illegible]
ten year[illegible]
the free a[illegible]
they compl[illegible]
the constitu[illegible]
1950

"इस लक्ष्य की प्राप्ति में सहायता देने के लिए" अखिल भारतीय-प्राथमिक शिक्षा परिषद (All India Council for elementry Education Council 1975) का निर्माण किया गया, केंद्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकारों को वार्षिक सहायता अनुदान दिया गया और पिछली पाच पचवर्षीय योजनाओं में प्राथमिक शिक्षा पर लगभग 1005 करोड रुपये व्यय किये गये।"[25]

प्रथम पच वर्षीय योजना से लेकर पाचवी पचवर्षीय योजना तक प्राथमिक शिक्षा की प्रगति का अनुमान निम्नांकित तालिका से हम लगा सकते है।"[26]

वर्ष	विद्यालय सख्या	छात्र सख्या	शिक्षक सख्या	व्यय (करोडा रु० में)
1950 51	2,09,671	1,82,93,967	5,37,918	36 49
1955-56	2,78,135	2,29,19,734	6,91,249	53 73
1960-61	3,30,397	2,66,42,253	7,41 695	73 44
1961-62	3,51,530	2,94,74,377	7,94,747	82 67
1962 63	3,66,262	3,12,86,929	8,32,996	92 94
1963 64	3,77,106	3,31,03,271	8,81,438	99 01
1964 65	3,85,250	3 35,78,000	9,06,900	105 8
1965 66	3,91,064	5,04,70,000	9,44,377	
1976-77	4,66,264	6,84,80,000	13,36,104	
1977-78	4,77 037	7,69,70,300	13,54,460	

उपरोक्त तालिका इस बात का सकेत देती है कि 70 प्रतिशत ग्रामीण जनता को भी अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का लाभ निश्चित रूप से मिला। शिक्षा की ओर भी आगे बढाने जसे माध्यमिक शिक्षा, महाविद्यालयीन एव विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए भी प्रयास स्वाधीनता के बाद बेहतर हुए।

'माध्यमिक शिक्षा की प्रगति का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि जहाँ 1950 51 में कुल 20 884 माध्यमिक विद्यालय, 52,32 009 विद्यार्थी, 2 12000 अध्यापक तथा 30 करोड 74 लाख रुपये का व्यय राशि थी, वहाँ 1963 64 में विद्यालयो की सख्या 88,584, विद्यार्थियो की सख्या 2,46,77,747 तथा अध्यापको की सख्या 8,49,782 हो गई। इसकी व्यय राशि 1 अरब 63 करोड 93 लाख रुपये तक जा पहुची।'[27]

शिक्षा का इतना व्यापक विस्तार होने के उपरान्त भी "यह हमारे देश का दुर्भाग्य है कि स्वतन्त्रता प्राप्ती के बत्तीस वर्ष होते जा रहे है परन्तु आज भी हमारी 70 प्रतिशत जनसख्या निरक्षर है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के समय देश की 15 प्रतिशत जनसख्या और साक्षर हुई।"[28]

द्वारा शैक्षणिक प्रक्रिया म सहयोग करने का प्रश्न है वह एक अच्छी शिक्षण प्रणाली म ही सभव है। दूसरे यह काय प्रौढ शिक्षा के अ तगत ग्र थालयो की अहमियत समझने मे होगा। प्रद्युम्न कुमार गौड ने लिखा है कि "यह विचारणीय है कि शिक्षा प्रक्रिया का सीधा सम्बन्ध व्यक्ति से होता है क्योकि व्यक्ति ही शिक्षित होता है और ऐसे ही शिक्षित व्यक्तियो से समाज बनता है अत व्यक्ति की आवश्यकताओ और उसकी प्रसन्नता और समृद्धिशीलता प्रौढ शिक्षा अभियान मे ही सर्वोपरि होगी परन्तु इनकी सरचना मे पुस्तकालयो का योगदान भी महत्वपूर्ण है।'[22]

इस महत्त्व को शायद अ ग्रेज सरकार नही समझ पायी थी, किन्तु भारतीय नेता शिक्षा विद व समाज सुधारकर्त्ता इनके महत्त्व को जानते थे, उन्होन ही ग्र थालयो के समग्र विकास पर विचार किया होता तो सभव था आज पूरा राष्ट्र ग्र थालयो का लाभ अपने ग्राम, शहर व शक्षणिक जीवन म करता।

"स्वातत्र्योत्तर काल मे ग्रामीण शिक्षा एव ग्र थालय" —

एक लम्बे जद्दो-जहद और स्वातत्र्य सघष के उपरान्त भारतीयो न अपने देश को पराधीनता की जजीरो से मुक्त किया। सुव्यवस्थित रूप से भारतीय राष्ट्रीयता का जन्म सन् 1885 मे भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस की स्थापना के साथ हुआ।[25] काँग्रेस जनो तथा राष्ट्रीय चेतना के दीवाना न सत्ता हस्तारण के लिए अ ग्रेजो पर दबाव डाला। 1942 मे पूरे देश म इतिहास प्रसिद्ध 'भारत छोडों" आन्दोलन छिड गया और अ तत 15 अगस्त 1947 को अ ग्रेजो द्वारा सघषशील भारतीयो को सत्ता सौंप दनी पडी।

भारत अब पूर्ण स्वतत्र था और उसे अपने देशवासियो को, प्रजातान्त्रिक ढग से जीने के लिए शिक्षा, कृषि उद्योग, व्यापार एव विज्ञान म आग बढना था। तत्कालीन सरकार का ध्यान नागरिको को शिक्षित करने एव उन्ह गरीबी से उबारने की ओर गया। भारत मे शिक्षा के गिरे हुए स्तर को ध्यान म रख सविधान ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वो के अन्तगत शिक्षा की विशेष व्यवस्था का प्रावधान किया। इस उद्देश्य से स्वतत्र भारत के सविधान की 45 वी धारा म स्पष्ट रूप से 10 वष के अन्दर सभी बच्चो के लिए प्रायमिक शिक्षा को नि शुल्क एव अनिवार्य बनाने की घोषणा की गई।'[24]

---

24 "The state shall endeavour to provide within a period of ten years from the commencement of this constitution for the free and compulsory education for all children until they complete the age of fourteen years"—Article 45 of the constitution adopted by free India on January 26, 1950

"इस लक्ष्य की प्राप्ति मे सहायता देने के लिए" अखिल भारतीय-प्राथमिक शिक्षा परिषद (All India Council for elementry Education Council 1975) का निर्माण किया गया, केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकारो को वार्षिक सहायता अनुदान दिया गया और पिछली पाच पचवर्षीय योजनाओ मे प्राथमिक शिक्षा पर लगभग 1005 करोड रुपये व्यय किय गये ।"[25]

प्रथम पच वर्षीय योजना से लेकर पाचवी पचवर्षीय योजना तक प्राथमिक शिक्षा की प्रगति का अनुमान निम्नांकित तालिका से हम लगा सकते है ।"[26]

वर्ष	विद्यालय सख्या	छात्र सख्या	शिक्षक सख्या	व्यय (करोडो रु० मे)
1950-51	2,09,671	1,82,93,967	5,37,918	36 49
1955 56	2,78,135	2,29,19,734	6,91,249	53 73
1960 61	3,30,397	2,66,42,253	7,41 695	73 44
1961-62	3,51,530	2,94,74,377	7,94,747	82 67
1962 63	3,66,262	3,12,86,929	8,32,996	92 94
1963-64	3,77,106	3,31,03,271	8,81,438	99 01
1964 65	3,85,250	3,35,78,000	9,06,900	105 8
1965 66	3,91,064	5,04,70,000	9,44,377	
1976 77	4 66,264	6,84,80,000	13,36,104	
1977-78	4,77 037	7,69,70,300	13,54,460	

उपरोक्त तालिका इस बात का सकेत देती है कि 70 प्रतिशत ग्रामीण जनता को भी अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का लाभ निश्चित रूप से मिला । शिक्षा को और भी आगे बढ़ाने जैसे माध्यमिक शिक्षा, महाविद्यालयीन एव विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए भी प्रयास स्वाधीनता के बाद बेहतर हुए ।

'माध्यमिक शिक्षा की प्रगति का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि जहाँ 1950 51 में कुल 20 884 माध्यमिक विद्यालय, 52,32,009 विद्यार्थी, 2 12000 अध्यापक तथा 30 करोड 74 लाख रुपये की व्यय राशि थी, वहा 1963 64 में विद्यालयो की सख्या 88,584, विद्यार्थियो की सख्या 2,46,77,747 तथा अध्यापको की सख्या 8,49 782 हो गई। इनकी व्यय राशि 1 अरब 63 करोड 93 लाख रुपये तक जा पहुँची ।"[27]

शिक्षा का इतना व्यापक विस्तार होने के उपरान्त भी "यह हमारे देश का दुर्भाग्य है कि स्वतत्रता प्राप्ती के बत्तीस वर्ष होते जा रहे है परन्तु आज भी हमारी 70 प्रतिशत जनसख्या निरक्षर है। स्वतत्रता प्राप्ति के समय देश की 15 प्रतिशत जनसख्या और साक्षर हुई ।"[28]

निरक्षरता निवारण के लिए निरन्तर प्रयासरत भारत सरकार के समाज शिक्षा मुहिम चलवायी, सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलवाये और युवक गोष्ठियों व महिला समितियों की स्थापना की ।

प्रौढ शिक्षा का षष्ठमुखी कार्यक्रम, शिक्षक आयोग (Education Commission) ने प्रस्तुत किया जिसके अनुसार नीचे लिखे कार्यक्रम निश्चित किए गये ।

(1) निरक्षरता का उन्मूलन (2) अनवरत शिक्षा (3) पत्राचार पाठ्यक्रम (4) पुस्तकालय (5) विश्वविद्यालयों की भूमिका (6) सगठन व प्रशासन ।

'शिक्षा आयोग' ने वयस्क-शिक्षा से सम्बन्धित पुस्तकालयों के विषय में नीचे लिखे विचार प्रस्तुत किए हैं ।

(1) वयस्कों के पुस्तकालय प्रगतिशील होने चाहिए ।

(2) उक्त पुस्तकालयों को वयस्कों को शिक्षित एवं आकर्षित करना चाहिए ।

(3) विद्यालयों के पुस्तकालयों को सार्वजनिक पुस्तकालयों के साथ सम्मेलित कर देना चाहिए और उनमें बच्चों एवं नव साक्षरों की रुचियों को ध्यान में रखकर पुस्तकों का संग्रह किया जाना चाहिए ।

(4) देश भर में पुस्तकालयों की स्थापना के सम्बन्ध में "पुस्तकालय-सलाहकार समिति" की सिफारिशों पर अमल किया जाना चाहिए ।

(5) जहां तक सभव हो पुस्तकालयों में टेपरिकार्डों, ग्रामोफोन रिकार्डों, फिल्मों तथा अन्य उपयोगी साधनों का संग्रह होना चाहिए । [29]

इन्हीं उद्देश्यों को प्रौढ शिक्षा विकास में सहयोगी बनाने के लिए प्रथम-पंच वर्षीय योजना में सम्पूर्ण देश में पुस्तकालयों का विकास करने की दृष्टि से भारतीय राष्ट्रीय ग्रन्थालय (कलकत्ता) के अलावा राज्यों में केन्द्रीय ग्रन्थालय, क्षेत्रीय ग्रन्थालय एवं जिला एवं विकास खण्ड स्तर पर एक एक सार्वजनिक ग्रन्थालय स्थापना का निर्णय लिया गया ।

निर्णयानुसार प्रथम योजना काल में "9 स्टेट सेन्ट्रल लायब्रेरी, 96 जिला पुस्तकालय तथा 52 विद्यमान जिला पुस्तकालयों के विकास के लिए 88,91,499 रुपय स्वीकृत किए गये थे। राज्य केन्द्रीय पुस्तकालय आसाम, पश्चिम बगाल, मध्यप्रदेश, पजाब राजस्थान सौराष्ट्र पेप्सू भोपाल, विन्ध्य प्रदेश में स्थापित किये गये तथा 96 जिला पुस्तकालयों में से आसाम में 7, पश्चिम में 17, बिहार में 12, मध्यप्रदेश में 22, राजस्थान में 24, सौराष्ट्र में 5, भोपाल में 2 तथा विन्ध्य प्रदेश में 7 स्थापित किये गये। '[30]

ज्ञान को एक परम्परा की श्रृंखला का स्वरूप देने में शिक्षा महत्त्वपूर्ण होती है। इस शिक्षा द्वारा ही मनुष्य अपनी मानसिक, आध्यात्मिक और सामाजिक प्रगति करता है। शिक्षा ही मानव को पशु-स्तर से ऊँचा उठाकर श्रेष्ठ

सास्कृतिक प्राणी बनाता है। ग्रीव माध्यमा से प्राप्त शिक्षा देश के विकास म निश्चित ही सहयोगी बनकर अपने शिक्षित नागरिको को गौरवशाली पद प्रदान करती हैं। एक देश म शिक्षित एव ज्ञानी नागरिको की सख्या क आधार पर ही उस देश की उन्नतिशील अवस्था का ज्ञान किया जा सकता है। अत राष्ट्र की जनता को सर्व-व्यापी शिक्षा देने का सकल्प लेकर उनम व्याप्त ब्रिटिश काल की निधनता एव अशिक्षा को दूर करने का सकल्प पचवर्षीय योजनाम्रो ने लिया।

प्रथम पचवर्षीय योजनाकाल की प्रगति के आधार पर ही द्वितीय पचवर्षीय योजनाकाल म देश के पूरे 320 जिला म पुस्तकालय सेवा शुरू करने की योजना बनी। तृतीय पचवर्षीय योजना म 416 ग्राम-पचायतो 5000 चलित ग्रन्थालयो तथा 1250 वाचनालयो के लिए 10,10,000 (दस लाख, दस हजार) रुपय अनुदान क रूप म स्वीकृत किए गये। चतुर्थ पचवर्षीय योजना क दौरान देश म ग्रन्थालयो के समुचित योजनाबद्ध व्यवस्थापन पुनगठन एव सचालन हेतु भारत सरकार न शिक्षा मन्त्री की अध्यक्षता म केन्द्रीय परामश समिति का निर्माण किया। शिक्षा मन्त्रालय मे जो ग्रन्थालय विभाग था उस योजना को क्रियान्वित करने तथा ग्रन्थालयो के विकास का उत्तरदायित्व सौपा गया। चौथी योजना काल म ही योजना आयोग न ग्रन्थपालो का एक 'कार्यकारी दल" नियुक्त किया जिन्ह देश म जन ग्रन्थालय-सेवा क विकास की योजना बनाकर देनी थी। 'इस दल ने देश म जन पुस्तकालय सेवा क विकास की एसी योजना दी है कि जो अगले दस वर्षो म प्रत्येक 2000 की जनसख्या वाले गावो म पहुँच जायगी तथा जन-पुस्तकालयो का वार्षिक व्यय 22 करोड रुपये होगा।'[1]

किन्तु अफसोस रहा कि बाद के वर्षो म इस योजना पर सरकार न कोई विशेष ध्यान नही दिया। जबकि भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्व० पडित जवाहरलाल नेहरू का योजना काल के दौरान ही यह सपना था कि "हमारा यह प्रयास होना चाहिए कि देश क हर ग्राम म कम से कम एक पुस्तकालय अवश्य होना चाहिए और लोगो को पढने की आदत डालनी चाहिए। वास्तव म, प्रत्येक पुस्तकालय स्वय म ही विश्व विद्यालय होने चाहिए।"

परन्तु यह नही हो सका और न ही हो रहा है और न ही हो सकने की सम्भावनायें दिखाई पडती है। कारण स्पष्ट है कि जहाँ ग्रन्थालय अधिनियम राज्य सरकारो ने पारित कर दिये हैं वहीं ही जन-ग्रन्थालयो को सुचारु रूप स चलाने म सुविधा है, दूसरे राज्यो म नही। एक बार जिन राज्यो म ग्रन्थालय अधिनियम लागू हुए है वहाँ गाव-गाव, जिला, राज्य व केन्द्रीय ग्रन्थालय से उनका सम्बन्ध बना हुआ है और वहाँ सारा प्रबन्ध राज्य ग्रन्थालय समितियो द्वारा होता है जो बिना अधिनियम वाले प्रदेशो म सभव नही है।

यद्यपि डॉ रंगनाथन ने देश के अनेकों प्रदेशों के लिए ग्रन्थालय अधिनियम बनाये और उन्हें पारित करने का प्रयत्न भी किया किन्तु उन्हें सफलता नहीं मिली। वे राज्य जहाँ ग्रन्थालय अधिनियम पारित करने हेतु प्रयास किए गये निम्नानुसार है।

वर्ष	राज्य	वर्ष	राज्य
1946	मद्रास, केन्द्रीय प्रान्त	1957	आन्ध्र प्रदेश
1947	कोचीन, ट्रावनकोर बम्बई	1958	पश्चिमी बंगाल
1948	संयुक्त प्रान्त	1958	उत्तर प्रदेश (संशोधित)
1953	हैदराबाद	1960	केरल
1957	मध्यप्रदेश	1961	मैसूर

उपरोक्त विधेयकों के अतिरिक्त कश्मीर एवं दिल्ली राज्यों के लिए प्रो पी एन कौल ने 1951 एवं 1955 में ग्रन्थालय विधेयकों के प्रारूप प्रस्तुत किए किन्तु इन्हें आज तक पारित नहीं किया जा सका है।

वे प्रदेश जहां ग्रन्थालय अधिनियमों के लागू होने से शिक्षा में प्रगति व ग्रन्थालयों के विकास में वृद्धि हुई है निम्नानुसार है।

राज्य	विधेयक पारित वर्ष
(1) मद्रास	1948
(2) आन्ध्रप्रदेश	1960
(3) मैसूर	1965
(4) महाराष्ट्र	1967
(5) पश्चिमी बंगाल	1979

इस प्रकार सम्पूर्ण भारत वर्ष में सिर्फ पांच राज्यों में ग्रन्थालय अधिनियम पास हो सके है। जहां इन विधेयकों पर शीघ्र कार्यवाही हुई है उन प्रदेशों का शिक्षा प्रतिशत भी अन्य विधेयक विहीन राज्यों की अपेक्षा बहुत अधिक रहा है। यह सब ग्रन्थों की अध्ययन सुविधा से ही सम्भव हो सका है। सरकार को चाहिए कि वह इन पांच राज्यों की तरह देश के सभी राज्यों में अधिनियमों को पारित करने की स्वीकृति दें ताकि पुस्तकालयों की दुनिया में क्रान्ति आये साथ ही भारत का प्रत्येक नागरिक डॉ० रंगनाथन के स्वप्न "ग्रन्थ सबके लिए हैं' 'ग्रन्थों को पाठक मिले और पाठकों को ग्रन्थ' का साकार रूप मिल सके। पुस्तकालयाध्यक्ष प्रशान्त कुमार बनर्जी का मत है कि 'यदि हम चाहते है कि हमारे देश से निरक्षरता का अभिशाप पूर्ण रूप से दूर हो तो हम प्रत्येक जिले तथा ग्रामों में पुस्तकालयों की स्थापना का

प्रयास करना होगा । यहा पर जो साहित्य रखा जायेगा, उससे देशवासियो को बहुत लाभ होने की सभावना है और इससे वे अशिक्षा के पजो से मुक्त हो सकेंगे । [3०]

जो राज्य ग्र थालय विधेयको का सुख भाग रहे ह उन्होने निश्चित ही अपन नागरिको को अशिक्षा के शिकजे से छुडाकर शैक्षणिक सस्कार के वातावरण म डाल दिया है । इस ओर ग्र थालय सघो का कदम उठाना चाहिए । हमन देखा है कि शिक्षा के गुणात्मक विकास, शिक्षा की दूषित प्रणाली, व शिक्षा के गिरत हुए स्तरो पर विचार करने हेतु अभी तक सरकार द्वारा कई आयोग एव समितियो की स्थापना की गई व कई विधेयक भी राष्ट्रीय स्तर पर पास किये कि राष्ट्रीय नीति म आमूल चूल परिवतन कर बहतर-शिक्षा प्रणाली बनायी जाव । पर इन सबमे हमने देखा कि ग्र थालयो के विकास का, उनके व्यवसाय व व्यक्तियो का ध्यान नही रखा जाता है । शिक्षा आयोगो के गठन, कमीशनो की सिफारिशो के बावजूद देश म ग्र थालयो की दशाएँ ठीक नही है । पूव म हम देख चुके है कि प्राथमिक एव माध्यमिक शिक्षा में ग्र थालयो को बिलकुल भी स्थान नही मिला । प्रौढ शिक्षा म कुछ ग्र थालयो का महत्व बढा और विश्व विद्यालय व शोध अनुसधान के क्षेत्र म वैज्ञानिक उपलब्धियो के लिए सरकार ने "सूचना के द्रो व प्रलेखन अनुसधान के द्रो "को खोलन पर ध्यान दिया ।

जन सामान्य के लिए चाहे वह ग्रामीण हो चाहे शहरी ग्र थालयो की सुविधा आज भी दुलभ है । इतने बडे राष्ट्र मे जहा 70% जनता ग्रामीण क्षेत्रो की निवासी है और जहा सिफ पाच राज्यो की जनता ग्र थालय अधिनियमो का लाभ ले रही हो तब शेष 24 राज्यो की ग्रामीण व शहरी जनता का क्या होगा, चिन्ता का विषय है । निम्नाकित तालिका से उन राज्यो की जनता की साक्षरता के प्रतिशत का अनुमान होगा । (1) ग्र थालय अधिनियम लागू ह और जहा (2) ग्र थालय अधिनियम नही है ।

(1) वे राज्य जहा ग्र थालय अधिनियम द्वारा पुस्तकालयो की सुविधा उपलब्ध है । जहा नही है ।[33]

राज्य	साक्षरता प्रतिशत	राज्य	साक्षरता प्रतिशत
केरल	69 75	राजस्थान	22 57
महाराष्ट्र	45 77	बिहार	23 35
तमिलनाडु	45 40	उत्तर प्रदेश	25 44
मैसूर	30 83	मध्यप्रदेश	26 37
आ ध्र प्रदेश	28 52	हरियाणा	31 91

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि ग्र थालयो के उपयोग से साक्षरता पर क्या प्रभाव पडता है । जहाँ शिक्षा ता है परन्तु ग्र थालय विधेयक

के अभाव मे श्रेष्ठ ग्रन्थालय सेवाओ का अभाव है वहां की जनता का साक्षरता स्तर क्या है। "यह आशा की गई है कि 1983-84 तक भारत से निरक्षरता को समाप्त कर दिया जायगा। चूंकि प्रारम्भिक तथा प्रौढ शिक्षा एवं दूसरे से निकट सम्बन्धित हैं। अत इन दोनो कार्यक्रमो को साथ-साथ चलाना चाहिए। यह तभी सम्भव होगा जब गाव गाव स्कूल ग्रन्थालय व लोक-पुस्तकालय खुलेंगे और उनका भरपूर लाभ ग्रामीण जनता, बाल-युवा व महिलाएँ प्राप्त करेंगी।

यद्यपि ग्रामीण शिक्षा को प्रोत्साहित करने हेतु उच्च शिक्षा की सुविधा देने के लिए आनन्द, अन्नमलई व विश्व भारती ग्रामीण विश्व विद्यालयो की स्थापना की गई जिस पर 1970 71 म 27 61 लाख रुपये व्यय किये गये।[34] इतने विशाल राष्ट्र म ग्रामीणो की उच्च शिक्षा पर यह व्यय बहुत कम है। ग्रामीण उच्चतर शिक्षा समिति न निम्नलिखित पन्द्रह सस्थाओ को "रूरल इन्स्टीट्यूट" मे बदलने क लिए चुना है।

(1) श्री निकेतन (पश्चिमी बगाल) (2) गांधी ग्राम (तमिलनाडु), (3) जामिया नगर (दिल्ली) (4) उदयपुर (राजस्थान) (5) बिरौली (बिहार) (6) शिवपुरी (उत्तर प्रदेश), (7) मनोसर (गुजरात), (8) कोयम्बटूर (तामिलनाडु) (9) गरगोती (महाराष्ट्र), (10) अमरावती (महाराष्ट्र) (11) राजपुर (पजाब) (12) वर्धा (महाराष्ट्र), (13) हनुमानमदी (मैसूर), (14) ढवनूर (केरल) (15) इन्दौर कस्तूरबा ग्राम (म प्र)"[35]

इन ग्रामीण शिक्षा सस्थाना म कई प्रकार क व्यावसायिक एव तकनीकी शिक्षा कायक्रम चलाये जात हैं। फिर भी शिक्षा की बुनियादी अवस्थाओ मे जन सामान्य को शिक्षा सुविधा मुहैया करान के कारगर प्रयास म सरकार आज तक असफल रही है। शिक्षा के विकास व निरक्षता निवारण के अभियान म नयी-नयी योजनाएँ अस्तित्व म आती गई ह परिणाम स्वरूप सुविधाओ के नाम पर क्षेत्र बढे है कार्यों का व्यावहारिक स्वरूप सिमटता रहा है। इन्ही योजनाओ म से केन्द्र सरकार ने "नेहरू युवक केन्द्रो" की स्थापनाएँ की, जिनमे ग्रामीण-युवको के लिए पुस्तकालयो व अध्ययन कक्षो की व्यवस्था की। इनसे नवयुवक-मडलो को सम्बद्ध कराकर उनके सास्कृतिक परिदृश्य को बदलने का प्रयास किया है। नेशनल बुक ट्रस्ट तथा राजाराम मोहनराय फाऊण्डेशन लायब्रेरी ने सावजनिक ग्रन्थालयो को पुस्तको के वितरण का काय सौपा है ताकि ग्रामीण पाठशालाओ मे बालको के अध्ययन हेतु पुस्तकें पढने के लिए दी जा सके। ये सभी कायक्रम ग्रन्थालय अधिनियमो के लागू न हो सकने से देश के 16 राज्यो म कारगर सिद्ध नही हो सके है। देश की अब तक लागू छ पचवर्षीय योजनाओ म पुस्तकालयो के विकास के बारे म कोइ विशेष प्रगति नही हुई। जसा कि श्री अजय कुलश्रेष्ठ ने लिखा है। '*जनवरी, 1985 तक 16 राज्यो मे से 12 राज्यो अर्थात् 75%* क्षेत्र म राज्य केन्द्रीय पुस्तकालय स्थापित हो गये। 9 केन्द्र प्रशासित क्षेत्रो म से 5

अर्थात् 55 प्रतिशत मे केन्द्रीय पुस्तकालयो की स्थापना हुई। 377 जिलो मे से 205 जिला म अर्थात् 63 प्रतिशत भाग मे जिला के क्षेत्रीय पुस्तकालय हो गये। इसी प्रकार 5223 विकास खण्डो म से 139 अर्थात् 27 प्रतिशत क्षेत्र म विकास खण्ड पुस्तकालय तथा 5, 66, 878 ग्रामा मे से 28, 317 ग्रामो मे अर्थात् 5 प्रतिशत ग्रामा मे पुस्तकालयो की स्थापना हो गई थी।"[36]

ग्रन्थालय विकास की उपरोक्त प्रगति मे 27 प्रतिशत ग्रन्थालय विकास खण्डो मे एव 5 प्रतिशत ग्रन्थालय ग्रामो मे विशेष प्रगति के परिचायक नही है। इनमे निरन्तर वृद्धि की आवश्यक्ता है और यह वृद्धि ग्रन्थालय अधिनियमो तथा शिक्षा-आयोगो की विशेष अनुशंसाओ पर ही प्रभावित है। "उचित एव व्यवस्थित पुस्तकालय सेवा का पुस्तकालय विधान द्वारा मान्यता व व्यवस्था महत्त्वपूर्ण है। उचित पुस्तकालय विधान एव जागरूक पुस्तकालय सघ भारत मे पुस्तकालयो की उन्नति म स्थायी योगदान प्रदान कर सकते है।"[37] भारतीय पुस्तकालय सघ के 32वें अखिल भारतीय पुस्तकालय सम्मेलन अनन्तपुर के अध्यक्षीय भाषण म सघ के तत्कालीन अध्यक्ष टी एस राजगोपालन[38] ने आशान्वित होकर कहा कि हमारा देश 21 वी सदी की ओर कदम बढा रहा है तब निश्चित ही चौथी पचवर्षीय योजना मे गठित योजना आयोग का "अध्ययन-दल" ग्रन्थालय तथा सूचना-प्रणाली के आधुनिकीकरण पर महत्त्वपूर्ण कदम उठायेगा। हम आशा करते है कि नई शिक्षा प्रणाली मे ग्रन्थालयो के विकास पर निश्चित ही सोचा जावेगा।

"ग्रामीण पुस्तकालय विकास मे बाधक तत्त्व"

शिक्षा, अध्ययन, ग्रन्थ और ग्रन्थालय मानव जीवन के विकास की वे अनन्तहीन सीढियाँ हैं जिनके सहारे वह ज्ञान विज्ञान अध्यात्म दर्शन और जीवन के वास्तविक सुख की आनन्दानुभूति प्राप्त कर सकता है। शिक्षा, जिसको पाने के लिए हम जीवन पर्यन्त भटकते रहते है, स्वतन्त्र भारत के संवैधानिक स्वरूप के लिए नागरिको को प्राप्त करना आवश्यक है। बिना पढे लिखे वह प्रजातान्त्रिक व्यवस्था म स्वय का मूल्यांकन नही कर सकता अत उसका शिक्षित होना ही जागरूक नागरिकता का परिचायक है।

हमने पिछले अनुच्छेद मे देखा कि अंग्रेजो के शासन से सत्ताच्युत होने के बाद भारत के लिए एक बडी समस्या थी ग्रामीण निरक्षर जनता को साक्षर बनाने की। अपनी जनता का जागरूक, पढा लिखा एव सफल जीवन यापन करने की दृष्टि से सरकार ने उनके पढने लिखने की व्यवस्था करवाई। जहाँ पाठशालायें नही थी वहा पाठशालायें खुलाई, प्रौढो के लिए प्रौढशालायें व ग्रन्थालयो की व्यवस्था की, साथ ही साक्षर हुए लोगो को निरन्तर ज्ञान विज्ञान के अध्ययन से जोडे रखने हेतु उनकी रुचि का साहित्य पहुँचाने की कोशिश की किन्तु यह कुछ समय तक ही चलता रहा। बाद के वर्षो मे शिक्षा मुख्य हो गई और ग्रन्थो का अध्ययन, मनन

के अभाव मे श्रेष्ठ ग्रन्थालय सेवाओ का अभाव है वहा क
स्तर क्या है। "यह आशा की गई है कि 1983 84 तक
को समाप्त कर दिया जावगा। चूँकि प्रारम्भिक तथा प्रौढ
निकट सम्बन्धित हैं। अत इन दोनो कायक्रमा का साथ-
यह तभी सम्भव होगा जब गाव गाव स्कूल ग्रन्थालय व र
और उनका भरपूर लाभ ग्रामीण जनता, बाल युवा व महिला

यद्यपि ग्रामीण शिक्षा को प्रोत्साहित करने हेतु
दने के लिए, आनन्द, अन्नमलई व विश्व भारती ग्रामीण
स्थापना की गई जिस पर 1970 71 म 27 61 लाख रुप
इतने विशाल राष्ट्र मे ग्रामीणा की उच्च शिक्षा पर यह
ग्रामीण उच्चतर शिक्षा समिति न निम्नलिखित पन्द्रह स
इन्स्टीटयूट" मे बदलने क लिए चुना है।

(1) श्री निकेतन (पश्चिमी बगाल) (2) गांधी
(3) जामिया नगर (दिल्ली), (4) उदयपुर (राजस्थान) (
(6) बिचपुरी (उत्तर प्रदश), (7) मनोसर (गुजरात)
(तामिलनाडु) (9) गरमोती (महाराष्ट्र) (10) अमरावती
राजपुर (पजाब) (12) वर्धा (महाराष्ट्र) (13) हन
(14) ढवनूर (केरल) (15) इन्दौर कस्तूरबा ग्राम (म प्र)"

इन ग्रामीण शिक्षा सस्थाना म कई प्रकार के व्यावसा
शिक्षा कायक्रम चलाये जात हैं। फिर भी शिक्षा की बुनियादी
सामान्य को शिक्षा सुविधा मुहैया कराने के कारगर प्रयास म
असफल रही है। शिक्षा के विकास व निरक्षता निवारण के भी
योजनाएँ अस्तित्व म आती गई है परिणाम स्वरूप सुविधाओं
बने है कार्यों का व्यावहारिक स्वरूप सिमटता रहा है। इन्ही यो
सरकार ने नेहरू युवक केन्द्रो' की स्थापनाएँ की, जिनमे ग्राम
पुस्तकालयो व अध्ययन कक्षो की व्यवस्था की। इनसे नवयुवक-
कराकर उनके सांस्कृतिक परिदृश्य का बदलने का प्रयास किय
ट्रस्ट तथा राजाराम मोहनराय फाऊण्डशन लायब्रेरी न
को पुस्तका के वितरण का काय सौपा है ताकि ग्रामीण पाठ
क अध्ययन हेतु पुस्तकें पठन क लिए दी जा सक। ये सभा
अधिनियमा के लागू न हो सकन स देश क 16 राज्या म
गए हैं। इन को अब तक लागू न पचवर्षीय योजनाओ म
के बारे म कोई विशेष प्रगति नहीं हुई। जैसा कि श्री
है। 'जनवरी, 1985 तक 16 राज्या म स 12
में राज्य केन्द्रीय पुस्तकालय स्थापित हो गए। 9 केन्द्र

(2) निधनता—

जहाँ अशिक्षा का साम्राज्य होगा तो कृषि उद्योग एवं व्यापार में वैज्ञानिक-पद्धति का अभाव भी होगा। जब ग्रामीण, कृषि में अर्थोपाजन नहीं कर पायेंगे तो निधनता बनी रहेगी। भारत में कभी अशिक्षा और निधनता के कारण जनता कभी शिक्षा अध्ययन और विकास की कल्पना भी नहीं करती। धन के अभाव में ग्रामीण जन ग्रन्थालय खोलने, ग्रन्थों को पढ़ने की ओर प्रवृत्त नहीं हो पाते। जो परिवार धनवान है वे निधन परिवारों पर ऋण का बोझ लादे रहते हैं। अन्य ऐसे परिवार शिक्षा ग्रहण करके ज्ञान की महत्त्वपूर्ण जानकारी लेने की इच्छा नहीं रखते। ग्रामीणों की निधनता का परिणाम है कि गांवों में ग्रन्थालय विकास पर जन सामान्य व स्थानीय प्रशासन ध्यान नहीं देते।

(3) अध्ययन रुचि का अभाव—

ग्रामीणों का जीवन खेती-बाड़ी, श्रम व भोजन जुटाने की प्रक्रिया में व्यतीत होता है। लम्बे समय तक ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा सुविधाओं के न पहुँच पाने के कारण अधिकांश जनता आज भी निरक्षरता के चंगुल में अविकसित जीवन व्यतीत कर रही है। उनका जीवन में कृषि यन्त्रों, बैलों और दुधारू पशुओं के व्यवस्थापन में ही सुख मिलता रहा कहने का तात्पर्य यह है कि कृषक जीवन के लिए कृषि सुधार प्राथमिक आवश्यकता रही है और शिक्षा गौण। शिक्षित न होने और क्रमशः साक्षर बनने के बाद भी उनमें पढ़ने की रुचि का विकास नहीं हो सका। अध्ययन में रुचि न होने के कारण ही ग्रामीणों ने ग्रन्थालय विकास की दिशा में विचार नहीं किया। अध्ययन रुचि के अभाव का ही परिणाम है कि आज तक गांव अध्ययन स्थलों की सुविधाओं से वंचित है।

(4) अभिप्रेरणा का अभाव—

प्रारम्भ से ही जब से ग्रामों में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम चलाये गये और शिक्षा की प्राथमिक पाठशालायें प्रारम्भ हुईं, न तो प्रौढ़ शिक्षा निदेशकों ने ही ग्रन्थालयों पर विशेष जोर दिया और न ही शिक्षा-संचालकों अथवा शिक्षा नीति निर्माताओं ने ही शिक्षा नीति में ग्रन्थालयों की अहमियत को महत्त्व दिया।

आज 41 वर्ष बाद भी हजारों ऐसे गांव हैं जहां पंचायतें हैं अस्पताल हैं बैंक हैं सोसायटीज हैं, विद्यालय हैं, शिक्षक हैं कर्मचारीगण हैं परन्तु कोई भी गाँव वालों को अथवा पंचायतों को प्रेरणा नहीं देते कि वे लोक ग्रन्थालयों की स्थापना कर अपनी बौद्धिक भूख को मिटा सकते हैं। आज गांव अपनी संस्कृति और सभ्यता के गौरव को भूलते जा रहे हैं। दुनिया में ज्ञान के क्षेत्र में जो परिवर्तन हो रहे हैं उनसे ग्रामीण एकदम अनभिज्ञ हो रहे हैं। इसका कारण है उन्हें अभिप्रेरित करने की कमी। गावों में ना तो पुस्तक प्रदर्शनी ही लगती है, ना ही साहित्यिक गतिविधियां अन्य लोगों में पढ़ने के प्रति भी लगाव नहीं होता है।

व चितन कम गांवो मे जा 1956 की लहर चली थी। जिन तीन ग्रन्थालया को जिला ग्रन्थालयो मे सम्बद्ध किया गया था वह प्रक्रिया क्रमश समाप्त हो गई। अधिनियमो के पारित न हो सकने के बावजूद भी यदि 41 वष तक उक्त परम्परा बनी रहती तो शिक्षा व साक्षरता के साथ ही ग्रन्थालय का कुछ और ही स्वरूप होता।

'यह खेद की बात है कि अभी तक हमारे देश म पूरे देश के लिए पुस्तकालय कानून नही बन पाया है। इसम पुस्तकालय विकास की कोई राष्ट्रीय प्रणाली (नेशनल लायब्रेरी सिस्टम) अभी तक नही है। कुछ प्रदेशो म प्रदेशीय स्तर के कानून बन और लागू हुए है। उन प्रदेशो को छोडकर शेष प्रदेशों मे पुस्तकालय विकास की कोई वैधानिक योजना नही है।[39]

ग्रन्थालय के क्षेत्र मे यह पिछडापन क्यों है और विकास म क्या बाधायें हैं उन पर हम क्रमश विचार करें तो हमे पता चलेगा कि ग्रामीण पुस्तकालय के बाधक तत्त्व क्या ह।

(1) निरक्षरता—

हमारे देश के लिए निरक्षरता अभिशाप रही है। इस दिशा म कितनी ही योजनायें क्रियान्वित की गई फिर भी 15 से 35 वष की आयु समूह के 6 5 करोड लोग निरक्षर ही बने हुए है। जो साक्षर ह वे औरो को साक्षर बनाने की दिशा मे कोई प्रयास नहीं कर रह। "साक्षर व निरक्षर नागरिक धन अर्जित करने तथा उसके उपयोग करने के उपायो मे लगे रहते ह तथा उनम अध्ययन प्रवृत्ति बिलकुल नही है।"[40]

परिणाम स्वरूप वे ग्रन्थालय जसी आवश्यक सस्था का लाभ पाने की इच्छा नही रखते। कृषि व्यवसाय, व्यापार, आधुनिक खान पान व शहरी संस्कृति के गुणगायक बनकर सिफ आराम की जिन्दगी जीना चाहते है। आज का निरक्षर पैसे वाला सोचता है कि पढे लिखे से तो हम अनपढ अधिक कमाते ह फिर पढने से क्या लाभ। इन्ही कारणो से देश मे बढती निरक्षरता घटने की बजाय बढती गई है और ग्रन्थालयो के प्रति कोई झुकाव ग्रामीणो का नही रह गया है। भारत म निरक्षरता का प्रतिशत 1951 से 1981 तक निम्नानुसार रहा है।[41]

वष	पुरुष	महिला	योग
1951	24 9%	7 9%	16 6 .
1961	34 4%	12 9%	24 0%.
1971	39 51%.	18 44%	29 45°
1981	46 74%.	24 88%	36 00°.

(2) निधनता—

जहाँ अशिक्षा का साम्राज्य होगा तो कृषि उद्योग एवं व्यापार में वैज्ञानिक-पद्धति का अभाव भी होगा। जब ग्रामीण, कृषि में अर्थोपार्जन नहीं कर पायेंगे तो निधनता बनी रहेगी। भारत में धनी अशिक्षा और निधनता के कारण जनता कभी शिक्षा अध्ययन और विकास की कल्पना भी नहीं करती। धन के अभाव में ग्रामीण जन ग्रन्थालय खोलने, ग्रन्थों को पढ़ने की ओर प्रवृत्त नहीं हो पाते। जो परिवार धनवान हैं वे निधन परिवारों पर ऋण का बोझ लाद रहते हैं। अतः एसे परिवार शिक्षा ग्रहण करके ज्ञान की महत्वपूर्ण जानकारी लेने की इच्छा नहीं रखते। ग्रामीणों की निधनता का परिणाम है कि गावों में ग्रन्थालय विकास पर जन सामान्य व स्थानीय प्रशासन ध्यान नहीं देते।

(3) अध्ययन रुचि का अभाव—

ग्रामीणों का जीवन खेती-बाड़ी, श्रम व भोजन जुटाने की प्रक्रिया में व्यतीत होता है। लम्बे समय तक ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा सुविधाओं के न पहुँच पाने के कारण अधिकांश जनता आज भी निरक्षरता के चंगुल में अविकसित जीवन व्यतीत कर रही है। उनको जीवन में कृषि यन्त्रों, बैलों और दुधारू पशुओं के व्यवस्थापन में ही सुख मिलता रहा कहने का तात्पर्य यह है कि कृषक जीवन के लिए कृषि सुधार प्राथमिक आवश्यकता रही है और शिक्षा गौण। शिक्षित न होने और क्रमशः साक्षर बनने के बाद भी उनमें पढ़ने की रुचि का विकास नहीं हो सका। अध्ययन में रुचि न होने के कारण ही ग्रामीणों ने ग्रन्थालय विकास की दिशा में विचार नहीं किया। अध्ययन रुचि के अभाव का ही परिणाम है कि आज तक गाव अध्ययन स्थलों की सुविधाओं से वंचित हैं।

(4) अभिप्रेरणा का अभाव—

प्रारम्भ से ही जब से ग्रामों में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम चलाये गये और शिक्षा की प्राथमिक पाठशालायें प्रारम्भ हुई न तो प्रौढ़ शिक्षा निदेशकों ने ही ग्रन्थालयों पर विशेष जोर दिया और न ही शिक्षा-संचालकों अथवा शिक्षा नीति निर्माताओं ने ही शिक्षा-नीति में ग्रन्थालयों की अहमियत को महत्त्व दिया।

आज 41 वर्ष बाद भी हजारों ऐसे गाव हैं जहा पंचायतें हैं, अस्पताल हैं, बैंक हैं, सोसायटीज हैं, विद्यालय हैं शिक्षक हैं कर्मचारीगण हैं परन्तु कोई भी गाव वालों को अथवा पंचायतों को प्रेरणा नहीं देते कि वे लोक ग्रन्थालयों की स्थापना कर अपनी बौद्धिक भूख को मिटा सकते हैं। आज गाव अपनी संस्कृति और सभ्यता के गौरव को भूलते जा रहे हैं। दुनिया में ज्ञान के क्षेत्र में जो परिवर्तन हो रहे हैं उनसे ग्रामीण एकदम अनभिज्ञ हो रहे हैं। इसका कारण है उन्हें अभिप्रेरित करने की कमी। गावों में ना तो पुस्तक प्रदर्शनी ही लगती है, ना ही साहित्यिक गतिविधियां अतः लोगों में पढ़ने के प्रति भी लगाव नहीं होता है।

(5) ग्रन्थालय चेतना का अभाव—

ग्रामीणों मे जहाँ एक ओर पठन लिखन म विशेष रुचि नही रही है, वही दूसरी ओर स्कूलो म ग्रन्थालय सुविधा नहीं है और लोक ग्रन्थालयो का गाव गाव जाल नहीं फैला है परिणाम स्वरूप ग्रन्थालय के महत्त्व, उद्देश्य एव लाभो से आम जनता अनभिज्ञ है। चेतना का अभाव है तथा निरक्षरता से उन्हे मुक्ति नही मिल पा रही है।

(6) दोषपूर्ण सरकारी नीति—

शिक्षा मे अथवा साक्षरता कार्यक्रम म जब भी सरकारी नीतियाँ बनी हैं, ग्रन्थालय की उपादेयता को गौण माना गया। यद्यपि योजना आयोग, ग्रन्थालय सलाहकार समिति एव शिक्षा आयोगो न अपनी सिफारिशो म ग्रन्थालयो को शिक्षा का केन्द्र बिन्दु माना और यहा तक कहा कि जिस विद्यालय मे ग्रन्थालय व खेलकूद जैसी सुविधा न हो उन्हे सरकारी सहायता नही दी जानी चाहिए। यही बात प्रौढ शिक्षा मे सहयोगी ग्रन्थालयो के लिए कही गई थी किन्तु अब देखा जा रहा है कि निरक्षरता निवारण का कार्यक्रम कई दिशाओ म चल रहा है जहा ग्रन्थालयो के अभाव म उनके साक्षर बनाने की निरन्तरता को खतरा है। सतत शिक्षा के लिए साक्षरो के पास कोई साधन नही है।

भास्करनाथ तिवारी का मत है कि "अब तक औपचारिक तथा अनौपचारिक दोनो प्रकार की शिक्षा व्यवस्था मे निरन्तर पुस्तकालयो की उपेक्षा की जाती रही है। उसके परिणाम विपरीत होते हुए भी हमने इस तथ्य का कभी स्वीकार नहीं किया। शिक्षा शास्त्रियो व नियोजको से हमारा अनुरोध है कि अब तक के इतिहास क सन्दर्भ म पुस्तकालयों की उपादेयता को स्वीकार करें और औपचारिक एव प्रौढ शिक्षा कार्यक्रमो मे इस प्रबल तथा उपयोगी माध्यम को समृद्ध व समुन्नत कर उपयुक्त स्थान प्रदान करें।"[42]

"हमारे देश के शासक इस ओर से पूर्ण रूप से जागरूक नहीं है। यही कारण है कि समस्या ज्यो की त्यो बनी हुई है।"[43]

(7) ग्रन्थालय सघों की निष्क्रियता—

हमारा देश एक विशाल भौगोलिक सीमाओ सस्कृतियो, कलाओ व साहित्य साधनाओ का देश है। ज्ञान का अपार भण्डार यहा के मनीषियो साधु सन्तो व महापुरुषो ने धरोहर के रूप म हमे दिया है। इस धरोहर को सवारने व सहेजने के लिए सरकार ने बड-बड ग्रन्थागार, सूचना केन्द्र शोध प्राद्योगिकीय अनुसधान सस्थान स्थापित करवाये हैं। 1933 में स्थापित भारतीय ग्रन्थालय सघ व भारत में ग्रन्थालय आन्दोलन के प्रणेता पदमश्री डा शियाली रामामृत रगनाथन के प्रयास से भारतीय ग्रन्थालय-सेवाओ को नई दिशा प्राप्त हुई। उनके अनुकरणीय प्रयास के उपरान्त भी 50 वर्ष के लम्बे अन्तराल के बीच सिर्फ पाच राज्यो में ही पुस्तकालय विधान पारित हो सके हैं।

उनकी प्रेरणा से ही देश के अन्य राज्यों मे ग्रन्थालय विकास को व्यापक बनाने व देश मे फैली निरक्षरता को मिटाने हेतु राज्यो म प्रादेशिक ग्रन्थालय सघो का निर्माण भी हुआ, किन्तु शासकीय सहायता के बिना राज्यो के ग्रन्थालय सघ अपने उद्देश्यो में उतने सफल नहीं हो पाये। ग्रन्थालय सघो के अपने उद्देश्यो मे सफल न हो सकने के बहुतेरे कारण हो सकते है किन्तु लम्बे समय से आन्दोलनो को गति प्रदान करने वाले भारतीय ग्रन्थालय सघ को वह सफलता नहीं मिल सकी है, जिसकी कल्पना स्व० डा रगनाथन ने की थी। 'यद्यपि भारत म अनेक पुस्तकालय सघ हैं, परन्तु वे प्राय प्रभाव शून्य है। भारतीय स्तर पर 1933 मे भारतीय पुस्तकालय सघ की स्थापना हुई थी, परन्तु यह सघ आवश्यक नेतृत्व देने मे असफल रहा। यह जनता एव सरकार दोनो मे ही पुस्तकालय चेतना उत्पन्न न कर सका।"[44]

(8) राष्ट्रीय ग्रन्थालय नीति का अभाव—स्वाधीनता के बाद देश के विकास हेतु बहुत से आयोग बनाये गये थे, कृषि, शिक्षा एव उद्योग व्यापार हेतु कई नीतिया निर्मित हुई थी। क्रमश सभी प्रकार के आयोग व समिति की नीतिया ने भारत की उन्नति मे काफी प्रशसनीय काय किया तथा सफलतायें भी मिली। किन्तु राष्ट्रीय ग्रन्थालय विधेयक पास होने के बाद जिस ढग से पूरे राष्ट्र मे काय सम्पन्न होना था नहीं हो पाया। जो स्थान प्राथमिक शिक्षा मे, माध्यमिक व महाविद्यालयीन शिक्षा म व प्रौढ अथवा समाज शिक्षा मे ग्रन्थालयो को मिलना चाहिये था वह आज तक नहीं मिल पाया, कुछ राज्यो के अलावा। बच्चो की अध्ययन रुचियो का आज तक हमारे वाल वैज्ञानिक, शिक्षाविद् व नीति नियामक ध्यान नहीं रख सके है। 'हमारे देश म बहुतेरे स्कूलो मे पुस्तकालय नहीं है, सावजनिक पुस्तकालयो का विस्तार नहीं हुआ है। यह तभी सम्भव होगा जब राष्ट्रीय पुस्तकालय नीति को देश-भर म लागू किया जाएगा"।[45]

सन्दर्भ ग्रन्थ

1 महात्मा गाँधी हरिजन 1937

2 गुप्ता (एल एल) तथा शर्मा (डी डी) ग्रामीण समाज शास्त्र, आगरा साहित्य भवन, 1980, पृ 355

3 परिहार (मदनसिंह) पुस्तकालयों का इतिहास परिशिष्ट (अ) भोपाल मध्य प्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, 1974 पृ 270 मूल लेखक अल्फ्रेड हैसल।

4 चौबे (सरयू प्रसाद) भारतीय शिक्षा की समस्यायें आगरा, विनोद पुस्तक मन्दिर 1976, पृ 117

5 कुल श्रेष्ठ (अजय) तुलनात्मक पुस्तकालयाध्यक्षता जयपुर रचना प्रकाशन 1980, पृ 3

6 बगरी (एन डी) पुस्तकालय पद्धति, इलाहाबाद, नीलम प्रकाशन 1973, पृ 60

7 सक्सेना (एल एस) पुस्तकालय सगठन के सिद्धान्त भोपाल, मध्यप्रदेश हिन्दी ग्र अ 1981, पृ 216

8 Ranganathan (SR) Five laws of Library Science Ed 2 1957, P 81

9 रगनाथन (एस आर) पुस्तकालय विज्ञान की भूमिका दिल्ली, एशिया पब्लिक हाउस, 1963, पृ 322 अनुवाद उमश दत्त शर्मा।

10 जौहरी (बी पी) तथा पाठक (पी डी) भारतीय शिक्षा का इतिहास, आगरा विनोद पुस्तक मन्दिर, 1981, पृ 244

11 Ranganathan (SR) Library Lagislation Hand book of Madras Library Act madras Library Association 1935 P 56

12 सक्सेना (एल एस) पुस्तकालय सगठन के सिद्धान्त, भोपाल, मध्यप्रदश हि ग्र अकादमी 1981, पृ 219

13 जायसबाल (सीताराम) भारतीय शिक्षा का इतिहास लखनऊ प्रकाशन केन्द्रो 1987, पृ 334—35

14 जौहरी (बी पी) तथा पाठक (पी डी) भारतीय शिक्षा का इतिहास आगरा, विनोद पुस्तक मन्दिर 1981, पृ 109

15 पृ 110

16 पृ 111

17 पृ

18 तिवारी (भास्करनाथ) सम्पादन प्रौढ शिक्षा और पुस्तकालय, इलाहाबाद, वोहरा, 1980 पृ 33

19 India Library (Advisory Committee for) A Report 1970 P 32

20 श्रीवास्तव (श्यामनाथ) तथा वर्मा (सुभाषचन्द) पुस्तकालय सगठन एव सचालन, जयपुर, राज हिन्दी ग्रन्थ अकादमी 1978 पृ 204

21 हिन्दी विश्व कोष (पखा से प्राग तक) वाराणसी, ना प्र सभा खण्ड 7 पृ 294

22 प्राढ शिक्षा और पुस्तकालय, इलाहाबाद, वोहरा प्रकाशन 1980 पृ 102 सम्पादन भास्कर नाथ तिवारी।

23 Gokhale (BG) The making of Indian Nation, Bambay, Asia Publishing House, 1960 P 146

24 India, Constitution, Article 45 Jan 1950

25 India, Publication Division, 1981, P 46

26 भारत प्रकाशन विभाग, 1979 पृ 64 एव 65

27 भारत प्रकाशन विभाग, 1967 पृ 60

28 तिवारी (भास्कर नाथ) सम्पादक प्रौढ शिक्षा और पुस्तकालय, इलाहाबाद वोहरा पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटस, 1980 पृ 65

29 पाठक (पी डी) तथा त्यागी (जी एस जी) भारत म शिक्षा दशन और शैक्षणिक समस्यायें, आगरा, विनोद पुस्तक मन्दिर, 1984/85, पृ 425

30 कुलश्रेष्ठ (अजय) तुलनात्मक पुस्तकालयाध्यक्षता, जयपुर, रचना प्रकाशन 1986, पृ 7

31 हैसल (अल्फ्रेड) पुस्तकालयो का इतिहास (परिशिष्ट) भोपाल, हि ग्र अकादमी 197 ₄ पृ 274 अनुवादक मदनसिंह परिहार,

32 बनर्जी (प्रशान्त कुमार) पुस्तकालय व्यवस्थापन, भोपाल, मध्य प्रदेश हिन्दी ग्र थ अकादमी 1972 पृ 14

33 तिवारी (भास्करनाथ) प्रौढ शिक्षा और पुस्तकालय, इलाहाबाद वोहरा पब्लिशस एण्ड डिस्ट्रीब्यूटस, 1980 पृ 67

34 Times of India Directory and whos who 1971

35 हिन्दुस्तान-वार्षिकी, 1975, पृ 177

36 कुलश्रेष्ठ (अजय) तुलनात्मक पुस्तकालयाध्यक्षता जयपुर, रचना प्रकाशन 1986, पृ 9

37 श्रीवास्तव (श्यामनाथ) तथा वर्मा (सुभाषचन्द) पुस्तकालय सगठन एव सचालन जयपुर राजस्थान, हिन्दी ग्रन्थ अकादमी 1972, पृ 3

38 ILA Some aspects of Library development in India Indian Library Association, XXXII All India Library Confrence Anantpur presidential Address 3 6 Jan 87 P 2

39 अगरी (एन डी) भारत मे पुस्तकालयो का भविष्य, लेख की पुस्तक पुस्तकालय पद्धति उद्धत, इलाहाबाद, नीलाम प्रकाशन 1973, पृ 31

40 श्रीवास्तव (श्यामनाथ) तथा वर्मा (सुभाषचन्द) पुस्तकालय तथा प्रौढ

शिक्षा लेखकद्वय की पुस्तक पुस्तकालय सगठन एव सचालन से जयपुर राज हिन्दी ग्रथ अकादमी 1972 पृ 96

41 Khanna (SD) etc, History of Indian Education and its contemporary problems with special refrence to National development Delhi, Doaba publishers House, 1984 P 284

42 तिवारी (भास्कर नाथ) सम्पा प्रौढ शिक्षा और पुस्तकालय 1980, पृ 39

43 बैनर्जी (प्रशान्त कुमार) पुस्तकालय व्यवस्थापन, भोपाल, मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी 1972 पृ 3

44 श्रीवास्तव (श्यामनाथ) तथा वर्मा (सुभाषचन्द) पुस्तकालय सगठन एव सचालन, 1972 पृ 207

45 ग्रन्थ लेखक द्वारा लिखित, सम्पादक के नाम पत्र, नवभारत टाइम्स, बम्बई 25/11/87

—

3

ग्रामीण विकास के आधार ग्राम पुस्तकालय ..

किसी भी राष्ट्र की प्रगति उसमे निहित पुस्तकालयो, शैक्षणिक सस्थाना एव औद्योगिक इकाइयो से आकी जा सकती है। कहने का तात्पय यह है कि देश जितना उन्नतिशील होगा उसम उतने ही शोध सस्थान, औद्योगिक केन्द्र, वैज्ञानिक एव तकनीकी काय अधिक होग और इन सभी कमशालाओ म निश्चित ही बौद्धिक भूख को मिटाने के लिए पुस्तकालयो का प्रबन्ध होगा। किन्तु भारतवष जैसे प्रजातान्त्रिक देश की प्रगति उसके ग्रामीण अचला के विकास पर निभर करती है। यहा वतमान मे भी 70% जनता गावा म वास करती है जिनका जीवन खेती, पशु पालन एव भजन-पूजन मे व्यतीत होता है। पिछले पाच छ बरसा से अवश्य ग्रामो की काया-पलट हो रही है। विपुल उत्पादन, आहार पोषण, मत्स्य पालन, मुर्गीपालन एव खेल कूद इत्यादि कायक्रमो ने गावो मे एक नई लहर एक नवीन चेतना ला दी हैं। इन कायक्रमा के साथ-साथ पुस्तकालय विकास की कडियाँ भी क्रमश गाव-गाव जुटनी चाहिए।

जमनी, सोवियत रूस, अमरिका, फ्रास स्पेन, ब्रिटेन जैसे महान् राष्ट्रो का इन कायक्रमा को सफल बनाने म पूण योग रहा है। फिर भी कुछ मामला मे ग्रामीण किसान व जनता बहुत पीछे हैं जैसे (1) शिक्षितो की कम सख्या (2) खेती की अपूर्ण जानकारी, (3) पुस्तकालयों का अभाव।

यदि गाव-गाव ग्रामीण-पुस्तकालय हो तो कृषक जनता को उतना कष्ट न हो जितना उन्हे उठाना पडता है। भारत गाँवो का देश है गाँवो से ही सफलता की आशा की जा सकती है, अत स्थानीय प्रशासना का यह दायित्व हो जाना चाहिए कि प्रत्यक गाँव पुस्तकालयो से सुसगठित कर दिये जाय। यह तो सभी अच्छी तरह जान रहे हैं कि सरकार हमारे प्रत्येक काय मे सहायता देने को तत्पर है, किन्तु जनता का क्या उत्तरदायित्व है यह उन्हें जानना चाहिए। जनता जनता के सहयोग की आकाक्षा भी पुस्तकालय निमाण के विकास म निहायत जरूरी है।

वतमान भारत म पचायती विकास खण्डो एव सामुदायिक विकास योजनाओ ने जो महत्व सहयोग दिया है वह स्तुत्य है। फिर भी इनके काय मदद

के लिय ग्राम पुस्तकालया का निर्माण करें शासन से सुविधा जुटाने की अपील करें। जनता पूर्ण सहयोग दे एव सचालन मे मदद पहुँचाय। राजनीतिक दल एव स्वार्थी ग्रामीण पुस्तकालयो एव वाचनालयो का दुरुपयोग न करें।

जन-चेतना का देश के निर्माण एव सामाजिक आर्थिक और बौद्धिक कल्याण मे जो महत्त्वपूर्ण स्थान है उसे ध्यान मे रखत हुए ग्राम-पुस्तकालया के उत्थान क लिये हम भरसक प्रयत्न करना चाहिए ताकि देश का वतमान तो सुदृढ हो ही और भविष्य का माग भी खुल जाये।

यदि एसा होगा तो निसन्देह ही य पुस्तकालय ग्रामीण चेतना के आधार होगे शिक्षा एव स्वाध्याय के साधन होगे, निरक्षरताहारी होंगे। साथ ही राष्ट्रीय विकास मे अपना अमूल्य योगदान प्रदान करेंग। क्योंकि कार्लाइन का कहना है कि 'य पुस्तकालय ही देश के सच्चे विश्वविद्यालय ह।" इ ही पर देश और देश की उन्नति निभर होती है।

अन्त म मैं यह कहना चाहूँगा कि ग्रामा के समग्र विकास के लिए केवल हल चलाना और फसल पैदा करना ही काफी नही है। समग्र विकास के लिय गावा की विभिन सामाजिक, राजनैतिक, शैक्षणिक प्रवृत्तियो का विकास भी आवश्यक है। हल चलाकर अन्न उपजाना तो शारीरिक श्रम है, किन्तु उनत तरीको के औजारा से कृषि करना, फसल का सरक्षण करना वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित है। इस प्रकार के काय करने के लिए कृषि विषय का साहित्य कृषको तक पहुँचना चाहिय। इसका निराकरण एकमात्र ग्राम पुस्तकालया स हो सकता है, ये पुस्तकालय ही उनके पथ प्रदशक हो सकेंग।

———

एक पक्षीय एव एकागी रहे ह । ग्राम पचायत एव समाज कल्याण विभाग की सहायता से प्रत्येक पचायत केन्द्रा पर पुस्तकालय खोले गये थे, किन्तु आज गावो म विगत 10 वर्षों मे विजली, नहर-सडक निर्माण काय, महिला कल्याण, बालवाडी परिवार नियाजन, प्रौढ शिक्षा समाज-कल्याण एव विपुल उत्पादन व खाद प्रयोग के सभी कायक्रम हाते रह किन्तु पुस्तक प्रदशनी, पुस्तकालय दिवस या पुस्तकालय स्थापना जैसी घटनाएँ नही घटती, जिसका लाभ बच्चे बूढे, स्त्री पुरुष, मजदूर, किसान सभी उठा सकत थ ।

उपरोक्त कायक्रमा की सफलता जन-जीवन के साक्षर होने पर ही निभर करती हैं, क्याकि शिक्षा आदमी का आदमी बनाती है। पुस्तकालय जसी महान सस्था जनता मे चेतना लाने का काम कर सकती ह । अपवाद स्वरूप इक्के-दुक्के पुस्तकालयो का होना अ धो म काना राजा होना है, अत समस्त राष्ट्र मे इनकी माग है ।

यह तो हमे मानकर चलना चाहिए कि स्वत त्रता प्राप्ति के बाद सरकार ने हम ग्रामीण पुस्तकालया की स्थापना की याजनायें दी किन्तु स्थानीय प्रशासना ने उन याजनाओ को मटियामेट कर दिया ।

वतमान भारत के निमाण म प्रधानमत्री श्रीमती इ दिरा गाधी के 20 सूत्री कायक्रम के अन्तगत बुक बक की याजना अवश्य प्रारम्भ की गई है जो ग्रामीण एव शहरी शिक्षण सस्थाओ के विद्यार्थियो को लाभ पहुचा रही ह। आज भी स्थानीय निकायो का यह उत्तरदायित्व हो जाता है कि वे पुस्तकालया की स्थापना करें और ग्रामीण विकास की कडी म राष्ट्र सवा करें ।

ग्रामीण विकास क आधार इन पुस्तकालयो स निश्चित ही हम कुछ महत्व पूण लाभ प्राप्त होते ह जो इस प्रकार से है— (1) शैक्षणिक विकास मे सहायता (2) कृषि काय मे उपयोगी, (3) नतिक एव चारित्रिक विकास, (4) राजनीतिक जागरूकता (5) आर्थिक एव वाणिज्यिक लाभ (6) मनोवैज्ञानिक विकास, (7) चुस्त प्रशासन (8) राष्ट्रीय विकास एव जन चतना मे सहयोगी ।

इन लाभो के अलावा यदि हम विदेश मे चल रहे ग्राम-पुस्तकालया मे एव उनके द्वारा की जा रही सामाजिक कल्याण एव प्रौढ शिक्षा सम्बन्धी सेवाओ की चर्चा करें तो हमे अपनी स्थिति का सहज हा आभास हो जायेगा लेकिन विदेशो की और हमारी परिस्थितिया एक सी नहीं है । हम अपने आपको तुलनात्मक दृष्टि से पिछडा हुआ या असभ्य मानकर हीन भावना का अपन मन म स्थान न दें ।

आज हम यह निश्चय कर लें कि हम गाँवो स निरक्षरता को मिटाना है, अशिक्षा को कम करना है और आपसी मनमुटाव दूर कर शाति और सहयोग की भावना के साथ जीना है तो तत्कालीन परिस्थितिया म ही जनता म जागृति लाने

के लिए ग्राम पुस्तकालयों का निर्माण करें शासन से सुविधा जुटाने की अपील करें। जनता पूर्ण सहयोग दे एवं संचालन में मदद पहुँचाये। राजनीतिक दल एवं स्वार्थी ग्रामीण पुस्तकालयों एवं वाचनालयों का दुरुपयोग न करें।

जन चेतना का देश के निर्माण एवं सामाजिक आर्थिक और बौद्धिक कल्याण में जो महत्त्वपूर्ण स्थान है उसे ध्यान में रखते हुए ग्राम-पुस्तकालयों के उत्थान के लिये हमें भरसक प्रयत्न करना चाहिए ताकि देश का वर्तमान तो सुदृढ़ हो ही और भविष्य का मार्ग भी खुल जाय।

यदि ऐसा होगा तो निसन्देह ही ये पुस्तकालय ग्रामीण चेतना के आधार होंगे, शिक्षा एवं स्वाध्याय के साधन होंगे, निरक्षरताहारी होंगे। साथ ही राष्ट्रीय विकास में अपना अमूल्य योगदान प्रदान करेंगे। क्योंकि कार्लाइल का कहना है कि 'ये पुस्तकालय ही देश के सच्चे विश्वविद्यालय हैं।" इन्हीं पर देश और देश की उन्नति निर्भर होती है।

अन्त में मैं यह कहना चाहूँगा कि ग्रामों के समग्र विकास के लिए केवल हल चलाना और फसल पैदा करना ही काफी नहीं है। समग्र विकास के लिये गांवों की विभिन्न सामाजिक, राजनैतिक, शैक्षणिक प्रवृत्तियों का विकास भी आवश्यक है। हल चलाकर अन्न उपजाना तो शारीरिक श्रम है, किन्तु उन्नत तरीकों के औजारों से कृषि करना, फसल का संरक्षण करना वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित है। इस प्रकार के कार्य करने के लिए कृषि विषय का साहित्य कृषकों तक पहुँचना चाहिये। इसका निराकरण एकमात्र ग्राम पुस्तकालयों से हो सकता है, ये पुस्तकालय ही उनके पथ प्रदर्शक हो सकेंगे।

4

ग्रामीण पुस्तकालयों से लाभ

विश्व मे वैज्ञानिक विकास के साथ-साथ ज्ञान का अद्भुत धमाका हो रहा है। अनेक विषयो एव लोक जीवन को झकझोर देने वाला। साहित्य अधिकतम रूप मे लिखा एव प्रकाशित किया जा रहा है जिसको पढ़ने वाले पाठक उतनी सख्या म नही है और न हो उस साहित्य का समुचित उपयोग हो रहा है। रचना एव साहित्य का अधिकाधिक उपयोग हो इसी उद्देश्य से प्रत्येक राष्ट्र शिक्षा सस्थाओ एव उनमे निहित पुस्तकालयो पर जोर दे रहे हैं।

भारत गावो का देश है इसकी आत्मा गावो म वास करती है। इन आत्माओ का साक्षात्कार पुस्तको, समाचार पत्रो, ज्ञान विज्ञान की विविध पत्रिकाओ म मुद्रित या प्रकाशित विचारो से होना चाहिए। कृषको, मजदूरो, स्त्री-पुरुषो म शिक्षा के प्रति रूझान लाने का प्रयास हमारी सरकार ने किया है। बच्चो के लिए प्रत्येक गाँव म माध्यमिक एव उच्चतर शिक्षा की व्यवस्था की है। लेकिन वे लोग जो पढे हैं किन्तु लम्बे अरसे से नही पढ रहे हैं या पुस्तको के सत्सग म नही आय हैं उनके लिए शासन ने प्रथम पचवर्षीय योजना से ही पुस्तकालय स्थापना की कोशिश की है। वर्तमान तक हम सभी गाँवो म पुस्तकालय नही खोल पाये हैं फिर भी प्रयास जारी है। आज ग्राम पुस्तकालयो का होना राष्ट्रीय विकास के हित म है इनका प्रसार एव प्रचार देश के कोने-कोने मे पहुँचाना है। जो निरक्षर है उन्हें भी इन पुस्तकालय रूपी ज्ञान गगोत्री से बौद्धिक पावनता प्रदान की जानी चाहिए। ग्राम के ये पुस्तकालय प्रत्येक ग्राम निवासियो के लिए ज्ञान के वे दपण है जिनम देश विदेश के मानव विकास की झाकी उन्हें दृष्टिगोचर होनी है। दैनिक जीवन की गतिविधियो से अछूत न रह पाय इसके लिए पुस्तकालय की सार्व जानकता का लाभ ग्रामवासियो को मिलना चाहिए, क्योकि इनसे निम्नलिखित लाभ है।

(1) शैक्षणिक विकास मे सहायक —भारत की 70 प्रतिशत जनता आज भी निरक्षर है, शिक्षा म पिछडी है। शासन का पूर्ण प्रयास हो रहा है कि प्रत्येक 6 मील के क्षेत्र म एक पाठशाला खोली जाये जिसस शिक्षा का पूर्ण लाभ सभी को मिले। इन पाठशालाओ साथ ही विद्यार्थियों के पढने के लिए पुस्तकालय उपलब्ध होना चाहिए। पचायतो द्वारा खोले गये पुस्तकालयो स ग्रामीण जनता को विभिन्न विषयो की धार्मिक, राजनैतिक कृषि एव मनोरजनात्मक पुस्तकें प्रदान की जानी चाहिए। जो निरक्षर है उनके लिए पुस्तकालय म ही प्रौढ कक्षायें लगे जिन्हें

उनकी प्रेरणा से ही देश के अन्य राज्यो मे ग्रन्थालय विकास को व्यापक बनाने व देश मे फैली निरक्षरता को मिटाने हेतु राज्यो म प्रादेशिक ग्रन्थालय सघो का निर्माण भी हुआ, किन्तु शासकीय सहायता के बिना राज्यो के ग्रन्थालय सघ अपने उद्देश्यो मे उतने सफल नहीं हो पाये। ग्रन्थालय सघो के अपने उद्देश्यो मे सफल न हो सकने के बहुतेरे कारण हो सकते हैं किन्तु लम्बे समय से आन्दोलनो को गति प्रदान करने वाले भारतीय ग्रन्थालय सघ को वह सफलता नही मिल सकी है, जिसकी कल्पना स्व० डा रगनाथन ने की थी। 'यद्यपि भारत म अनेक पुस्तकालय सघ हैं, परन्तु वे प्राय प्रभाव शून्य हैं। भारतीय स्तर पर 1933 म भारतीय पुस्तकालय सघ की स्थापना हुई थी परन्तु यह सघ आवश्यक नेतृत्व देने मे असफल रहा। यह जनता एव सरकार दोनो मे ही पुस्तकालय चेतना उत्पन्न न कर सका।"[44]

(8) राष्ट्रीय ग्रन्थालय नीति का अभाव—स्वाधीनता के बाद देश के विकास हेतु बहुत से आयोग बनाये गये थे, कृषि, शिक्षा एव उद्योग व्यापार हेतु कई नीतिया निर्मित हुई थी। क्रमश सभी प्रकार के आयोग व समिति की नीतियो ने भारत की उन्नति मे काफी प्रशसनीय कार्य किया तथा सफलतायें भी मिली। किन्तु राष्ट्रीय ग्रन्थालय विधेयक पास होने के बाद जिस ढग से पूरे राष्ट्र मे कार्य सम्पन्न होना था नही हो पाया। जो स्थान प्राथमिक शिक्षा मे, माध्यमिक व महाविद्यालयीन शिक्षा मे व प्रौढ अथवा समाज शिक्षा मे ग्रन्थालयो को मिलना चाहिये था वह आज तक नही मिल पाया कुछ राज्यो के अलावा। बच्चो की अध्ययन रूचियो का आज तक हमारे बाल वैज्ञानिक, शिक्षाविद् व नीति नियामक ध्यान नहीं रख सके है। 'हमारे देश मे बहुतेरे स्कूलो मे पुस्तकालय नही है सार्वजनिक पुस्तकालयो का विस्तार नही हुआ है। यह तभी सम्भव होगा जब राष्ट्रीय पुस्तकालय नीति को देश भर में लागू किया जाएगा"।[45]

सन्दर्भ ग्रन्थ

1 महात्मा गाधी, हरिजन 1937

2 गुप्ता (एल एल) तथा शर्मा (डी डी) ग्रामीण समाज शास्त्र, आगरा साहित्य भवन, 1980, पृ 355

3 परिहार (मदनसिंह) पुस्तकालयो का इतिहास परिशिष्ट (अ) भोपाल मध्य प्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, 1974 पृ 270 मूल लेखक अल्फ्रेड हैसल।

4 चौबे (सरयू प्रसाद) भारतीय शिक्षा की समस्यायें आगरा, विनोद पुस्तक मदिर 1976, पृ 117

5 कुल श्रेष्ठ (अजय) तुलनात्मक पुस्तकालयाध्यक्षता जयपुर रचना प्रकाशन 1986, पृ 3

6 वगरी (एन डी) पुस्तकालय पद्धति, इलाहाबाद, नीलम प्रकाशन 1973, पृ 60

7 सक्सेना (एल एस) पुस्तकालय सगठन के सिद्धा त भोपाल, मध्यप्रदेश हिन्दी ग्र अ 1981, पृ 216

8 Ranganathan (SR) Five laws of Library Science Ed 2 1957, P 81

9 रगनाथन (एस आर) पुस्तकालय विज्ञान की भूमिका दिल्ली, एशिया पब्लिक हाउस, 1963, पृ 322 अनुवाद उमेश दत्त शर्मा।

10 जौहरी (बी पी) तथा पाठक (पी डी) भारतीय शिक्षा का इतिहास, आगरा, विनोद पुस्तक मन्दिर 1981, पृ 244

11 Ranganathan (SR) Library Lagislation, Hand book of Madras Library Act madras Library Association 1935 P 56

12 सक्सना (एल एस) पुस्तकालय सगठन के सिद्धान्त, भोपाल, मध्यप्रदेश हि ग्र अकादमी 1981, पृ 219

13 जायसवाल (सीताराम) भारतीय शिक्षा का इतिहास लखनऊ प्रकाशन केन्द्रो 1987, पृ 334—35

14 जौहरी (बी पी) तथा पाठक (पी डी) भारतीय शिक्षा का इतिहास आगरा, विनोद पुस्तक मन्दिर 1981 पृ 109

15 पृ 110

16 पृ 111

17 पृ

18 तिवारी (भास्करनाथ) सम्पादन प्रौढ शिक्षा और पुस्तकालय, इलाहा वाद, वोहरा, 1980 पृ 33

19 India Library (Advisory Committee for) A Report 1970 P 32

20 श्रीवास्तव (श्यामनाथ) तथा वर्मा (सुभाषचन्द) पुस्तकालय सगठन एव सचालन, जयपुर राज हिन्दी ग्रन्थ अकादमी 1978 पृ 204

21 हिन्दी विश्व कोष (पक्षा से प्राग तक) वाराणसी, ना प्र सभा खण्ड 7 पृ 294

22 प्रौढ शिक्षा और पुस्तकालय, इलाहाबाद, वोहरा प्रकाशन 1980 पृ 102 सम्पादन भास्कर नाथ तिवारी।

23 Gokhale (BG) The making of Indian Nation, Bambay, Asia Publishing House, 1960 P 146
24 India, Constitution, Article 45 Jan 1950
25 India, Publication Division, 1981, P 46
26 भारत प्रकाशन विभाग, 1979 पृ 64 एव 65
27 भारत प्रकाशन विभाग, 1967 पृ 60
28 तिवारी (भास्कर नाथ) सम्पादक प्रौढ शिक्षा और पुस्तकालय, इलाहाबाद वोहरा पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटस, 1980 पृ 65
29 पाठक (पी डी) तथा त्यागी (जी एस जी) भारत म शिक्षा दशन और शैक्षणिक समस्यायें, आगरा विनोद पुस्तक मन्दिर, 1984/85, पृ 425
30 कुलश्रेष्ठ (अजय) तुलनात्मक पुस्तकालयाध्यक्षता, जयपुर, रचना प्रकाशन 1986 पृ 7
31 हसल (अल्फ्रेड) पुस्तकालयो का इतिहास (परिशिष्ट) भोपाल, हि ग्र अकादमी 197 - पृ 274 अनुवादक मदनसिंह परिहार,
32 बनर्जी (प्रशान्त कुमार) पुस्तकालय व्यवस्थापन, भोपाल, मध्य प्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी 1972 पृ 14
33 तिवारी (भास्करनाथ) प्रौढ शिक्षा और पुस्तकालय इलाहाबाद वोहरा पब्लिशस एण्ड डिस्ट्रीब्यूटस, 1980 पृ 67
34 Times of India Directory and whos who 1971
35 हिन्दुस्तान-वार्षिकी 1975, पृ 177
36 कुलश्रेष्ठ (अजय) तुलनात्मक पुस्तकालयाध्यक्षता, जयपुर, रचना प्रकाशन 1986 पृ 9
37 श्रीवास्तव (श्यामनाथ) तथा वर्मा (सुभापचन्द) पुस्तकालय सगठन एव सचालन जयपुर, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी 1972, पृ 3
38 ILA Some aspects of Library development in India Indian Library Association XXXII All India Library Confrence Anantpur presidential Address 3 6 Jan 87 P 2
39 बगरी (एन डी) भारत म पुस्तकालयो का भविष्य लेख की पुस्तक पुस्तकालय पद्धति उद्धृत, इलाहाबाद नीलाम प्रकाशन 1973, पृ 31
40 श्रीवास्तव (श्यामनाथ) तथा वर्मा (सुभापचन्द) पुस्तकालय तथा प्रौढ

शिक्षा लेखकद्वय की पुस्तक पुस्तकालय सगठन एव सचालन से जयपुर राज हिन्दी ग्रन्थ अकादमी 1972 पृ 96

41 Khanna (SD) etc, History of Indian Education and its contemporary problems with special refrence to National development Delhi, Doaba publishers House, 1984 P 284

42 तिवारी (भास्कर नाथ) सम्पा प्रौढ शिक्षा और पुस्तकालय 1980, पृ 39

43 बैनर्जी (प्रशान्त कुमार) पुस्तकालय व्यवस्थापन, भोपाल, मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी 1972 पृ 3

44 श्रीवास्तव (श्यामनाथ) तथा वर्मा (सुभाषचन्द) पुस्तकालय सगठन एव सचालन, 1972 पृ 207

45 ग्रन्थ लेखक द्वारा लिखित, सम्पादक के नाम पत्र, नवभारत टाइम्स, बम्बई 25/11/87

3

ग्रामीण विकास के आधार ग्राम पुस्तकालय ...

किसी भी राष्ट्र की प्रगति उसम निहित पुस्तकालया, शक्षणिक सस्थाना एव औद्योगिक इकाइयो स आकी जा सकती है। कहने का तात्पय यह है कि देश जितना उन्नतिशील होगा उमम उतन ही शोध सस्थान, औद्योगिक केन्द्र, वैज्ञानिक एव तकनीकी काय अधिक हाग और इन सभी कमशालाओ म निश्चित ही बौद्धिक भूख को मिटाने के लिए पुस्तकालयो का प्रबन्ध होगा। किन्तु भारतवष जस प्रजातान्त्रिक देश की प्रगति उसक ग्रामीण अचलो के विकास पर निभर करती है। यहाँ वतमान मे भी 70% जनता गावो म वास करती है जिनका जीवन खेती, पशु पालन एव भजन पूजन मे व्यतीत होता है। पिछले पाच छ बरसो से अवश्य ग्रामो की काया पलट हो रही है। विपुल उत्पादन, आहार पोषण, मत्स्य पालन, मुर्गीपालन एव खेल कूद इत्यादि कायक्रमो ने गावो म एक नई लहर एव नवीन चेतना ला दी हैं। इन कायक्रमो क साथ-साथ पुस्तकालय विकास की कडिया भी क्रमश गाव-गाव जुडनी चाहिए।

जमनी, सोवियत रूस, अमेरिका, फ्रास, स्पन ब्रिटन जैसे महान् राष्ट्रो का इन कायक्रमो को सफल बनान म पूण योग रहा है। फिर भी कुछ मामला मे ग्रामीण किसान व जनता बहुत पीछे ह जसे (1) शिक्षितो की कम सख्या (2) खेती की अपूण जानकारी (3) पुस्तकालयो का अभाव।

यदि गाव-गाव ग्रामीण पुस्तकालय हो तो कृषक जनता को उतना कष्ट न हो जितना उन्ह उठाना पडता है। भारत गाँवो का दश है, गाँवो से ही सफलता की आशा की जा सकती है, अत स्थानीय प्रशासनो का यह दायित्व हो जाना चाहिए कि प्रत्येक गाँव पुस्तकालया से सुसगठित कर दिय जाये। यह तो सभी अच्छी तरह जान रहे है कि सरकार हमार प्रत्येक काय मे सहायता दन को तत्पर ह, किन्तु जनता का क्या उत्तरदायित्व है यह उन्ह जानना चाहिए। जनता क सहयोग की आकाक्षा भी पुस्तकालय निर्माण क विकास म निहायत जरूरी है।

वतमान भारत म पचायतो विकास खण्डो एव सामुदायिक विकास योजनाओ ने जो सक्रिय सहयोग दिया है, वह स्तुत्य है। फिर भी इनक काय सदैव

के लिये ग्राम पुस्तकालया का निर्माण करें, शासन से सुविधा जुटाने की अपील करें। जनता पूर्ण सहयोग दे एव सचालन मे मदद पहुँचाय। राजनीतिक दल एव स्वार्थी ग्रामीण पुस्तकालयो एव वाचनालयो का दुरुपयोग न करें।

-जन-चेतना का देश के निर्माण एव सामाजिक आर्थिक और बौद्धिक कल्याण मे जो महत्त्वपूर्ण स्थान है उसे ध्यान मे रखते हुए ग्राम पुस्तकालयो के उत्थान क लिये हमे भरसक प्रयत्न करना चाहिए ताकि देश का वतमान तो सुदृढ हो ही और भविष्य का माग भी खुल जाये।

यदि ऐसा होगा तो निसन्देह ही ये पुस्तकालय ग्रामीण चेतना के आधार होगे, शिक्षा एव स्वाध्याय के साधन होगे, निरक्षरताहारी होगे। साथ ही राष्ट्रीय विकास मे अपना अमूल्य योगदान प्रदान करेंगे। क्योकि कार्लाइन का कहना है कि 'ये पुस्तकालय ही देश के सच्चे विश्वविद्यालय है।" इन्ही पर देश और देश की उन्नति निभर होती हैं।

अन्त मे मैं यह कहना चाहूँगा कि ग्रामो के समग्र विकास के लिए केवल हल चलाना और फसल पैदा करना ही काफी नहीं है। समग्र विकास के लिय गावो की विभिन्न सामाजिक, राजनैतिक, शैक्षणिक प्रवृत्तियो का विकास भी आवश्यक है। हल चलाकर अन्न उपजाना तो शारीरिक श्रम है, किन्तु उन्नत तरीको के औजारो से कृषि करना, फसल का सरक्षण करना वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित है। इस प्रकार के काय करने के लिए कृषि विषय का साहित्य कृषको तक पहुँचना चाहिये। इसका निराकरण एकमात्र ग्राम पुस्तकालया से हो सकता है ये पुस्तकालय ही उनक पथ प्रदशक हो सकेग।

एक पक्षीय एव एकागी रह हैं। ग्राम पचायत एव समाज कल्याण विभाग की सहायता से प्रत्येक पचायत केन्द्रा पर पुस्तकालय खोले गये थे, किन्तु आज गावो मे विगत 10 वर्षों मे बिजली, नहर-सडक निर्माण काय, महिला कल्याण, आलबाडी परिवार नियोजन, प्रौढ शिक्षा, समाज-कल्याण एव विपुल उत्पादन व खाद प्रयोग के सभी कायक्रम होत रह किन्तु पुस्तक-प्रदर्शनी, पुस्तकालय दिवस या पुस्तकालय स्थापना जैसी घटनाएँ नही घटती जिसका लाभ बच्चे बूढे, स्त्री पुरुष, मजदूर, किसान सभी उठा सकत थ।

उपरोक्त कायक्रमा की सफलता जन-जीवन के साक्षर होने पर ही निर्भर करती हैं, क्योंकि शिक्षा आदमी को आदमी बनाती ह। पुस्तकालय जैसी महान सस्था जनता मे चेतना लान का काम कर सकती ह। अपवाद स्वरूप इक्के-दुक्के पुस्तकालयो का होना अन्धो म काना राजा होना है, अत समस्त राष्ट्र मे इनकी माँग है।

यह तो हमे मानकर चलना चाहिए कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद सरकार ने हम ग्रामीण पुस्तकालयो की स्थापना की योजनायें दी किन्तु स्थानीय प्रशासनो ने उन योजनाओ को मटियामेट कर दिया।

वर्तमान भारत के निर्माण म प्रधानमत्री श्रीमती इन्दिरा गाधी क 20 सूत्री कायक्रम के अतगत बुक-बक की योजना अवश्य प्रारम्भ की गई हैं जो ग्रामीण एव शहरी शिक्षण सस्थाओ के विद्यार्थिया को लाभ पहुँचा रही ह। आज भी स्थानीय निकायो का यह उत्तरदायित्व हो जाता हैं कि वे पुस्तकालया की स्थापना करें और ग्रामीण विकास की कडी मे राष्ट्र सेवा करें।

ग्रामीण विकास के आधार इन पुस्तकालयो से निश्चित ही हम कुछ महत्व पूर्ण लाभ प्राप्त होते हैं जो इस प्रकार से है— (1) शैक्षणिक विकास मे सहायता (2) कृषि काय मे उपयोगी, (3) नतिक एव चारित्रिक विकास, (4) राजनीतिक जागरूकता, (5) आर्थिक एव वाणिज्यिक लाभ, (6) मनोवैज्ञानिक विकास, (7) चुस्त प्रशासन, (8) राष्ट्रीय विकास एव जन चेतना मे सहयोगी।

इन लाभों के अलावा यदि हम विदश मे चल रहे ग्राम-पुस्तकालया मे एव उनक द्वारा की जा रही सामाजिक कल्याण एव प्रौढ शिक्षा सम्बन्धी सेवाओ की चर्चा करें तो हमे अपनी स्थिति का सहज ही आभास हो जायेगा लेकिन विदेशो की और हमारी परिस्थितिया एक सी नहीं है। हम अपन आपको तुलनात्मक दृष्टि से पिछडा हुआ या असभ्य मानकर हीन भावना को अपन मन म स्थान न दें।

आज हम यह निश्चय कर लें कि हम गाँवो स निरक्षरता को मिटाना है, अशिक्षा को कम करना है और आपसी मनमुटाव दूर कर शान्ति और सहयोग की भावना के साथ जीना है तो तत्कालीन परिस्थितियो मे ही जनता म जागृति लाने

के लिये ग्राम पुस्तकालयों का निर्माण करें शासन से सुविधा जुटाने की अपील करें। जनता पूर्ण सहयोग दे एवं संचालन में मदद पहुँचाये। राजनीतिक दल एवं स्वार्थी ग्रामीण पुस्तकालयों एवं वाचनालयों का दुरुपयोग न करें।

-जन चेतना का देश के निर्माण एवं सामाजिक आर्थिक और बौद्धिक कल्याण में जो महत्वपूर्ण स्थान है उसे ध्यान में रखते हुए ग्राम पुस्तकालयों के उत्थान के लिये हमें भरसक प्रयत्न करना चाहिए ताकि देश का वर्तमान तो सुदृढ हो ही और भविष्य का मार्ग भी खुल जाय।

यदि ऐसा होगा तो निसन्देह ही ये पुस्तकालय ग्रामीण चेतना के आधार होंगे, शिक्षा एवं स्वाध्याय के साधन होंगे निरक्षरताहारी होंगे। साथ ही राष्ट्रीय विकास में अपना अमूल्य योगदान प्रदान करेंगे। क्योंकि कार्लाइल का कहना है कि "ये पुस्तकालय ही देश के सच्चे विश्वविद्यालय है।" इन्हीं पर देश और देश की उन्नति निर्भर होती है।

अन्त में मैं यह कहना चाहूँगा कि ग्रामों के समग्र विकास के लिए केवल हल चलाना और फसल पैदा करना ही काफी नहीं है। समग्र विकास के लिये गावों की विभिन्न सामाजिक, राजनैतिक, शैक्षणिक प्रवृत्तियों का विकास भी आवश्यक है। हल चलाकर अन्न उपजाना तो शारीरिक श्रम है, किन्तु उन्नत तरीकों के औजारों से कृषि करना, फसल का संरक्षण करना वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित है। इस प्रकार के कार्य करने के लिए कृषि विषय का साहित्य कृषकों तक पहुँचना चाहिये। इसका निराकरण एकमात्र ग्राम पुस्तकालयों से हो सकता है, ये पुस्तकालय ही उनके पथ प्रदर्शक हो सकेंगे।

4
ग्रामीण पुस्तकालयो से लाभ

विश्व मे वैज्ञानिक विकास के साथ-साथ ज्ञान का अद्भुत धमाका हो रहा है। अनेक विषयो एव लोक जीवन को झकझोर देने वाला। साहित्य अधिकतम रूप मे लिखा एव प्रकाशित किया जा रहा है, जिसको पढ़ने वाले पाठक उतनी सख्या म नही है और न ही उस साहित्य का समुचित उपयोग हो रहा है। रचना एव साहित्य का अधिकाधिक उपयोग हो इसी उद्देश्य से प्रत्येक राष्ट्र शिक्षा सस्थाओ एव उनमे निहित पुस्तकालयो पर जोर दे रहे हैं।

भारत गावो का देश है, इसकी आत्मा गावो मे वास करती है। इन आत्माओ का साक्षात्कार पुस्तका, समाचार पत्रो, ज्ञान विज्ञान की विविध पत्रिकाओ मे मुद्रित या प्रकाशित विचारो से होना चाहिए। कृषको, मजदूरो, स्त्री-पुरुषो म शिक्षा के प्रति रुझान लाने का प्रयास हमारी सरकार ने किया है। बच्चो क लिए प्रत्येक गाँव मे माध्यमिक एव उच्चतर शिक्षा की व्यवस्था की है। लेकिन वे लोग जो पढे हैं किन्तु लम्बे अरसे से नही पढ रहे ह या पुस्तको क सत्सग मे नही आये हैं उनके लिए शासन ने प्रथम पचवर्षीय योजना म ही पुस्तकालय स्थापना की कोशिश की है। वतमान तक हम सभी गाँवो म पुस्तकालय नही खोल पाये है फिर भी प्रयास जारी है। आज ग्राम पुस्तकालयो का होना राष्ट्रीय विकास के हित मे है इनका प्रसार एव प्रचार देश के कोने कोने म पहुचाना है। जो निरक्षर है उन्हें भी इन पुस्तकालय रूपी ज्ञान गगोत्री से बौद्धिक पावनता प्रदान की जानी चाहिए। ग्राम के ये पुस्तकालय प्रत्येक ग्राम निवासियो क लिए ज्ञान के वे दपण हैं जिनमे देश विदेश के मानव विकास की झाकी उन्हे दृष्टिगोचर होती है। दैनिक जीवन की गतिविधियो से अछूते न रह पाये, इसके लिए पुस्तकालय की सार्वजानकता का लाभ ग्रामवासियो को मिलना चाहिए, क्योकि इनसे निम्नलिखित लाभ है।

(1) शैक्षणिक विकास मे सहायक —भारत की 70 प्रतिशत जनता आज भी निरक्षर है, शिक्षा मे पिछड़ी है। शासन का पूर्ण प्रयास हो रहा है कि प्रत्येक 6 मील के क्षेत्र म एक पाठशाला खोली जाये जिसम शिक्षा का पूर्ण लाभ सभी को मिले। इन पाठशालाओ साथ ही विद्यार्थियो के पढने के लिए पुस्तकालय उपलब्ध होना चाहिए। पचायतो द्वारा खोले गये पुस्तकालयो से ग्रामीण जनता को विभिन्न विषयो की धार्मिक, राजनतिक कृषि एव मनोरजनात्मक पुस्तकें प्रदान की जानी चाहिए। जो निरक्षर है उनके लिए पुस्तकालय म ही प्रौढ कक्षायें लग जिन्हे

पुस्तकाध्ययनलया चलवायें और स्त्री पुरुषा को पूर्ण सहयोग दे जिससे उनमे स्वाध्याय की रुचि प्रकटगी और क्रमश बौद्धिक सूझ बूझ का विकास होगा।

इन्ही पुस्तकालयो से स्कूल, कॉलेज एव नौकरियो मे जाने वाले विद्यार्थी एव पुरुष लाभावित होगे और बौद्धिक स्तर बढगा। इस प्रकार पुस्तकालय से सारे गाव मे एक बौद्धिक वातावरण तैयार होगा। व राजनीति, धर्म, समाज, राष्ट्र एव परराष्ट्र की समस्याओ को आपसी विचार विनिमय से सुलझान म समर्थ हो सकेंगे।

(2) कृषि विकास मे सहयोगी —ग्रामीण पुस्तकालयो का लाभ किसाना द्वारा कृषि के विकास के लिये भी किया जाता है। चूँकि भारत मे विकास खडो की स्थापना हो चुकी है विकास खडा व उप केन्द्रा पर जहाँ पचायत है, सरकारी समितियाँ है वहाँ ग्रामसेवको की नियुक्तियाँ की जा चुकी है। फिर भी ये व्यक्ति किसाना को ठीक समय पर मार्ग दर्शन देन म असमर्थ हो जात ह। ऐसी स्थिति म पुस्तकालयो म मगाई जाने वाली कृषि सम्बन्धी पुस्तका, पत्रिकाओ एव पम्पलेटस का पढकर तथा जो किसान नही पढ सकते ह वे पढवाकर अपनी समस्या का समाधान स्वय खोज सकत है।

जब गावो मे बोवाई का समय हो तब बानी के नवीन तरीको, खाद के महत्त्वपूर्ण प्रकार एव उनके उपयोगो मे पैदावार बढाने के उन्नत साधनो, बीमार फसलों की रोकथाम के लिए उपयोगी दवाइयो का प्रयोग आदि की जानकारी किसानो को स्थानीय पुस्तकालयो के साहित्य से हो सकता हैं। कृषि मे उन्नति हेतु ग्रामीण पुस्तकालयो म कृषि सम्बन्धी निम्न प्रकार का साहित्य रखा जाना चाहिए।

(1) विपुल उत्पादन कार्यक्रम सम्बन्धी पम्पलेटस (2) खाद और उनके प्रयोग पर सामग्री (3) खेती के उन्नत औजार सम्बन्धी पुस्तकें (4) कृषि समाचार-पत्र एव पत्रिकाओ की उपलब्धता (5) पशु पालन व मुर्गी-पालन पर प्रचुर साहित्य (6) कीटनाशक दवाओ के उपयोग एव विधियो का साहित्य।

इनके अतिरिक्त समय समय पर कृषि एव सिंचाई विभागो द्वारा प्रकाशित बुलेटिन उनके द्वारा प्रस्तावित उन्नत कृषि उपकरण एव सिंचाई के विकसित तरीको की जानकारी देने वाली पत्रिकायें ग्रामीण पुस्तकालयो मे रखना चाहिये सम्बन्धित विषयो चल चित्र तथा व्याख्यान आदि की व्यवस्था पुस्तकालय लाभ की उत्कृष्ट कार्यवाही होगी।

(3) जीवन स्तर एव नैतिक विकास मे सहायक —हम सभी भली-भाति जानते हैं कि कृषक, मजदूर एव ग्रामीण लोगो का जीवन स्तर सामान्य होता है। जीवन की कला का आधुनिक तरीका उन्हे आता नही है, यह अज्ञानता का कारण है। उनके पास पैसा तो होता है किन्तु उसे खर्च करने के तरीके उनके पास नही होते है।

प्राय देखा जाता है कि वे पमे से अच्छे कपड़े साफ सुथरा घर एव अच्छा भोजन पा सकते है, किन्तु फिजूल खर्च करने की प्रवृत्ति के कारण नही पाते है। ग्रामीण स्त्रिया अधिकाशत अशिक्षित होती है, उनका बौद्धिक स्तर सामान्य से भी कम होता है। ऐसी स्थिति म उनसे अपने परिवार का सुचारु रूप से चलाने की अपेक्षा नही की जा सकती है। किन्तु ग्राम पुस्तकालयो के माध्यम से फुरसत के समय मे सिलाई-कढाई, गृह व्यवस्था, स्वास्थ्य शिक्षा, पारिवारिक बजट एव पाक विद्या सम्बन्धी पुस्तके पढकर सुनाई जा सकती है। जो शिक्षित है उन्हें पुस्तकें दी जाए तो अवश्य ही व उन पुस्तको को पढकर सुनकर अपने परिवार म स्वास्थ्य प्रद भोजन पका कर घर को स्वच्छ एव बच्चो की परवरिश पर ध्यान रख सकती है। उनके आचार-विचार एव व्यवहार म भी परिवर्तन आ सकता है जब जन-सामान्य म पढने की रुचि जाग्रत होगी तो उनमे सहज स्वाभाविक नतिक गुणो का विकास होगा उनमे सभ्य नागरिक के होने के भावो का उद विकास होगा।

(4) चारित्रिक विकास —चारित्रिक विकास से तात्पय जीवन म अच्छे गुणो एव विशेषताओ की अधिकता होना है। मनय वाचा कमणा तीनो दृष्टियो से जो पुरुष आचरण करता है वह निसन्देह श्रद्धा का पात्र होता है, समाज मे प्रतिष्ठा पाता है।

ग्रामीण बच्चो का विकास बुरी आदतो से होता है। उनमे बचपन मे ही झूठ बोलना बात न मानना छिपना जैसी प्रवृत्ति घर कर जाती है। युवा वग कुसगति से जुआ शराब, गुण्डागर्दी एव अनैतिकता के शिकार होते है। पढने म उनका ध्यान कम और उपद्रवो की ओर अधिक रहता है। इसका कारण माता पिता द्वारा बच्चो पर ध्यान न दिया जाना, शिक्षा का ध्यान न रखा जाना साथ ही पुस्तको के सत्सग से वचित रहना है।

चरित्र के विकास हेतु बाल पुस्तकालय कक्ष की स्थापना होनी चाहिए जिसम राम कृष्ण, गौतम गांधी सुभाष भगत आजाद विवेकानन्द, अरविन्द रविन्द्र नाथ ठाकुर शास्त्री, नेहरू जैसे महान देश भक्त एव विद्वान व्यक्तियो की चरित्रावलियाँ रखी जाए। सूर तुलसी कबीर, मीरा, दिनकर, प्रसाद पत, महादेवी आदि साहित्यकारो के ग्रन्थ सकलन एव जीवनिया सग्रहीत होनी चाहिए। उनके लिए खेलकूद, बुद्धि परीक्षण, सामान्य ज्ञान एव हास्य व्यग की पत्रिकाए हो तो अवश्य ही बच्चो म अध्ययन की रुचि जागेगी स्वाध्याय की प्रवृत्ति तीव्र होगी और चरित्र निर्माण की ललक जन्म लेगी जो राष्ट्रीय चरित्र का ही एक स्वरूप होगी। समाज शिक्षा के आधार स्तम्भ बनकर ये ग्रामीण पुस्तकालय राष्ट्रीय चरित्र के निर्माण म भी सहायक हो सकते हैं।

(5) राजनतिक विकास —ग्रामीण पुस्तकालयो के उपयोग से नागरिको म राष्ट्रीय विकास के प्रति सद्भाव जाग्रत होता है। प्रतिदिन प्रात ` समाचार

पत्रो से राष्ट्र की आर्थिक, राजनैतिक, धार्मिक, सामाजिक, एव अतराष्टीय, उथल पुथल से जनमानस परिचित होता है। देश के वाणिज्य, कृषि व्यापार मे हो रही प्रगति के आकडे समाचार पत्र पत्रिकाओ मे आते है जिनके आधार पर देश की अर्थव्यवस्था, वस्तुओ के भाव आदि का पता लगाया जा सकता है।

राजनैतिक दलो की राष्ट के प्रति जागरुकता, राज्य सीमा विवाद बिजली विवाद, सिचाई व्यवस्था तथा चुनाव प्रकरण आदि के निर्णय पत्रो द्वारा जाने जा सकते हैं। पुस्तकालय म राजनीतिक गतिविधियो से परिचय करवाने वाली पुस्तको से अवश्य नागरिक अपनी स्वतत्रता, अधिकार एव कर्त्तव्या के प्रति सजग हो राष्ट्रीय सेवा से सलग्न हो सक्त है। इसक अलावा एक सभ्य एव सुरक्षित नागरिक बन सकने का दावा कर सक्ते ह।

(6) आर्थिक विकास मे सहायक —आज देश के ग्राम लोगा की आर्थिक विषमता एव विपन्नता को दूर करने मे शासन सक्रिय है किन्तु ग्राम निवासियो एव शहरी लोगो का भी कुछ उत्तरदायित्व हो जाता है, जो वस्तुये आसानी से प्राप्त नही हो पाती किंतु उनका निर्माण उत्पादन की दृष्टि स किया जा सकता ह। जो कम खच पर सुगमता से मिल सकती है ऐसी वस्तुओ को छोट पमाने पर छोटी छोटी उद्योग-इकाईयो के द्वारा उत्पादित की जानी चाहिये। उत्पादन के तरीके सीखने के लिये लघु उद्योग पुस्तिकायें रखना चाहिये।

इस प्रकार की पुस्तिकाओ से छोट छोटे खिलौने, मोमबत्ती साबुन, तेल परना, चमड के सामान बनाने की विधिया सीखी जा सकती है। लघु उद्योग के अतगत बीडी बनाना न्यिा सनाइया, अगरबत्तिया बनाना, लोहे के उद्योग म कुर्सिया, पलग टबिल तथा दरवाजे खिडकिया बनाने की कलाओ को सीखा जा सकगा। बढई गिरी के काम एव आधुनिक भवन निर्माण के काय भी इन पुस्तकाश से सीखे जा सकेंग। इस प्रकार लघु उद्योग की तकनीक से अधिक रोजगार मिल सकेगा गरीबी दूर होगी और समाज की आर्थिक दशा भी सुधरगी।

(7) मनोवज्ञानिक लाभ —दश के उन गावो मे जहा अभी पुस्तकालय नही ह उनमे यदि पुस्तकालय खोले जावें तो निश्चित ही निरक्षरता का प्रतिशत इम दश मे कम होन लगेगा। ग्राम ग्राम पुस्तकालया स पढने की सुविधा जनता को प्राप्त होती रह तो उन लोगा पर जो पढने के आदी नही है, मनोवैज्ञानिक प्रभाव पडेगा और अपन आप वे पढने की ओर प्रवृत्त होगें। बच्चा की प्रतिस्पर्धात्मक वृत्ति एव अध्ययन मे रूचि–विशेष का आयोजन होगा और उन्हे प्रोत्साहन स्वरूप आदश ग्रन्थ भेट म दिए जायगें ताकि वे अधिकाधिक समय पढने म व्यतीत करें।

इस प्रकार क्रमश सभी मे अध्ययन की मनोवृत्ति जन्म लेगी और शिक्षित लोगो की वृद्धि होगी। कम पढे लिखे व्यक्ति इस पढने म अधिक सक्षम हो जायेगें।

(8) जनचेतना एव राष्ट्रीयता का विकास —पुस्तकालयो मे मगाये जाने वाले पत्र पत्रिकाग्रो को पढकर जनता देश की माली हालत से ग्रवगत होगी, जन मानस ग्रपने ग्रधिकार एव कर्त्तव्यो के प्रति निष्ठावान होगें, ग्रपनी स्वतत्रता का सद् उपयोग राष्ट्र विकास काय हेतु करेगें। समय-समय पर राष्ट्र पर ग्रान वाले सकटो स वे परिचित होगे व राष्ट्र के प्रति कुछ करन की चेतना उनम जागेगी।

शिक्षा का एक सहज ढग होना चाहिये जिसे ग्रपनाने मे बच्चे ग्रानाकानी न करें, घबरायें नही। स्कूल क बच्चो म शिक्षण क प्रति रुचि पैदा करन के लिय बाल पुस्तकालय कक्ष की व्यवस्था होनी चाहिये जिनम ग्रामीण बच्चो को पढने की व्यवस्था हो। बच्चे उनकी इच्छा स पढने या चित्रावली देखने ही ग्रायें तो उनमे पठन की लालसा जागगी महापुरुषो के चित्रो को देख वे गव ग्रनुभव करेंगे ग्रौर पठन का प्रमुखता देगें।

पुस्तकालय के ही माध्यम से ही निरक्षरो के लिये साक्षरता ग्रभियान चलाकर उनको पढाया जा सकता है जिसस राष्ट्र की एक महान समस्या सामाजिक शिक्षा का ग्रत होगा। शिक्षा के क्षेत्र म सहज क्रान्ति ग्रायेगी। साक्षरता का प्रतिशत ऊँचा होगा। नागरिक चेतना के द्वारा विकास का मार्ग उन्मुख होगा, जो राष्ट्र हितकारी भी होगा।

ऊपर लिखे सभी लाभो को देखते हुए यदि हम ग्राम पुस्तकालयो का निर्माण करें तो भारत की ग्रधिकाश सामाजिक समस्यायें जो ग्रामीण विकास से सम्बन्धित ह ग्रासानी से हल की जा सकती हैं। उक्त लाभो को प्राप्त कर ज्ञानाजन एव बुद्धि विकास पाना है तो जनता एव सरकार दोनो को चाहिये कि परस्पर उत्तरदायित्व का निर्वाह कर पुस्तकालयो की स्थापना पर बल दें।

———

5

अध्ययन स्थलो की आवश्यकता

अध्ययन स्थलो की आज जरूरत से यहा तात्पय ऐसे अध्ययन क द्र से है जहा विद्यार्थी अपने अवकाश के दिनो मे जाकर रोजगार, प्रशिक्षण, प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाओ के साथ नव जीवन की नयी आशाओ का माग खोजने म सफलता प्राप्त कर सकें। ज्ञानाजन कर मानसिक विकास कर मके। जिन छात्र छात्राओ को प्शासनिक परीक्षाओ म वैठना है वे इन अध्ययन स्थलो मे जाकर अपनी कठिनाइयो को हल कर सकें।

यह सुविधा सिफ दो चार लोगो के लिए न होकर आम लागो के लिए हो, सवत्र हो, सभी वग के स्त्री पुरुष, बच्चे इसका लाभ ले सकें। जव कभी आम जनता की बात सोची जाती है, तव हम कोई निणय नही ले पाते है, क्योकि, आम आदमी कौन है और उनकी आम जरूरत क्या हो सकती है इसका अनुमान लगाना कठिन हो जाता है।

घूम फिर कर एक प्रश्न सामने वना रह जाता है कि, क्या साधन सम्पन्न बुद्धिमान मध्यम पारिवारिक व्यक्ति आम है या वह है जो पसीने की कमाई खाता है, साधन हीन है किन्तु फिर भी साहित्य, विज्ञान, धम, दशन से लगाव रखता है।

कहने का अथ हागा ज्ञान प्राप्त करन वाले लोगो मे दो प्रकार के लोगा का जमाव है, एक साधन सम्पन्न व बुद्धिमान दूसरे आर्थिक दृष्टि से कमजार लकिन वत्ति से तज, कुशाग्र बुद्धि फिर भी अध्ययन स्रोतो स वचित।

वतमान के साथ मानव मस्तिष्क का विकास भी तीव्रतम होता जा रहा है, मस्तिष्क की भूख का पौष्टिक भोजन साहित्य, विज्ञान मनोरजन, कला, धम, दशन की पुस्तकें है। वकार समय का सदुपयोग पुस्तक पढकर किया जाना चाहिय, ऐसे वहुत से विद्वान मिलेंग जिन्हाने पेट की भूख को प्रधानता न देकर अपनी मानसिक क्षुधा को मिटान के लिए ग्रन्थो को खरीदकर पढा। खाली दिमाग शैतान का घर बन जाता है अतएव अवकाश के क्षणा म अपने आपको यदि कोई काम नही है तो सुवह शाम पुस्तकालयो के अध्ययन कक्ष म जाकर अध्ययन म लगना चाहिये।

इस समय अधिकांश छात्र छात्राओ क सिर से परीक्षा का भूत टल गया होगा। काई राजगार की टोह मे इन्टरव्यू की तयारिया कर रह होंगे, कुछ पी

एम टी पी एम सी आई एफ एम, आई ए एस, एफ सी आई, या सी ए की परीक्षाओ के लिए जुट गय हाग। कुछ एक बी एड बी टी, ग्राम सेवक, स्वास्थ्य सहायक इत्यादि क प्रशिक्षण हेतु अपने दिमागो को पुस्तको के साथ धुन का बोझ बनकर कुरेद रहे हाग।

मसलन सभी विद्यार्थी उपरोक्त तयारी के लिए जान क्या-क्या कर रहे हाग। उन्हे अपने विषय की समस्त पुस्तको के साथ साथ सामान्य ज्ञान, काम्पीटीशन रिव्यूव, करियर डायजेस्ट, रोग, प्रादेशिक समाचार-पत्र, देश विदेश की कई पत्रिकाओं की आवश्यकता होगी लेकिन ये ज्ञान पोथीयो को पान योग्य वे सभी युवक नही हाग जिन्हे जीवन पथ में कुछ करना है। चन्द धनी मानी विद्यार्थी इन्हे खरीद कर पढ सकेंगे। बाकी के छात्र सावजनिक पुस्तकालयो म जो कुछ सामग्री मिलती है, उसे पढकर ही सन्तोष कर लेंगे। किन्तु मात्र चलाऊ सामग्री एव चलत फिरत अध्ययन से ऐसे परीक्षाओ का काम नही किया जा सकता ऐसे काम के लिये ठोस धरातल पर आधार आवश्यक है।

हजारो की सख्या मे व युवक विद्यार्थी एव युवतिया जो शहर के आस पास के क्षेत्रो से विद्यालयो महाविद्यालय म पढने आते हैं, गर्मी की छुट्टिया म घरा म कुलबुला रहे हाग। ऐसे अध्ययन स्थला की वहा व्यवस्था कर कक्ष मे आराम स बैठकर अपना समय काट एव ज्ञान वृद्धि करें।

ग्रामीण भारत की सपदा गावा म वास कर रही है, किन्तु उसके विकास पर सोचा कम जा रहा है। ग्रामीण अध्ययन स्थलो की सुविधा ग्रामीण पुस्तकालयो म नही है। आज गाव का प्रतिभावान छात्र छुट्टिया म जब घर आता है तो उसे गु डा-गर्दी जुआ, शराब जैसे अनेक अड्डा से वाकिफ होना पडता है वहा एसे तरुणा का दम घुटता है। स्वतन्त्रता का हनन होने लगता है, वुद्धि दो माह म कु द हो जाती है, यदि वह अपने अध्ययन क साधन जुटाना भी चाह तो अपनी अगली कक्षा की पाठय पुस्तकें खरीद कर ही पढ सकता है, किन्तु उसे नव-जागरण का नये परिवतनो का जब तक ज्ञान न हो वह आग प्रतिस्पर्धा परीक्षा म नही बैठ सकता। यही कारण है कि, मध्यप्रदेश म बहुत कम प्रतिभावन छात्र अच्छे पदो पर जा पाये हैं। जो हैं, वे भी अधिकतर साधन सम्पन्न एव अधिकारी वग है शहरी छात्रो को तो कम से कम सावजनिक एव शिक्षण सस्थाओ के पुस्तकालया से सहायता मिल जाती है, वह भी अत्यन्त रूप म किन्तु ग्रामीण छात्र पुस्तकालयो से नीरे वचित रह जाते हैं।

आजे तरुणो के बौद्धिक व शारीरिक विकास के लिए एसे अध्ययन स्थलो, क्रीडा सस्थाओ एव स्वास्थ्य सगठना की आवश्यकता है, जिसके समग म आकर प्रतिभा खोज पणाली में अधिक से आधक सफलता मिल सकती है। भारत सरकार ने प्रत्येक जिला केन्द्रो पर युवक केन्द्रा की स्थापना कर एक बहुत अच्छा कदम उठाया है इन केन्द्रो म युवको क लिए बुद्धि विकास खेल भावना, प्रतिस्पर्धात्मक

परीक्षाओं की तैयारी के लिए उपयुक्त अवसर है किन्तु यह देखने मे आया है कि इन केन्द्रो पर सस्ता साहित्य, पाकेट-बुक्स की भरमार है, स्वार्थी तत्वो का समावेश है, व्यक्तिगत स्वार्थ विशेष भूमिका के रूप मे दिखाई पडता है फिर भी यह अनूठा प्रयोग है। इन केन्द्रो के पुस्तकालयो से ही अध्ययनरत ग्रामीण छात्रों को पुस्तकालय सहायता एव सदर्भ प्राप्त होता रहे तो इसकी सार्थकता सिद्ध हो सकती है।

देश भर मे ऐसे भी सस्थान हैं जो अपने निजी पुस्तकालय चलाते है, फिर भी विद्यार्थियों के लिए इन पुस्तकालयों मे विशेष व्यवस्था की जानी है। रामकृष्ण मिशन सामाजिक सस्थाओ बी सी एल, यू एस आइ एम थियोसाफिकल सोसायटी एव अन्य सामाजिक सस्थाओ द्वारा सचालित सस्थान के पुस्तकालय कुछ इसी प्रकार के सहयोगी पुस्तकालय है। ऐसे प्रयोग सर्वत्र जनता द्वारा अपने हाथ से किये जाने चाहिये।

सारे देश के ग्रामीण व शहरी चाहे वे सार्वजनिक क्षेत्र हो या सरकारी सभी मे पुस्तकालयों के अन्तर्गत विशिष्ट अध्ययन कक्षो की स्थापना की जानी चाहिये। एव उनके लिए अनुरूप विषय की पुस्तकों का अध्ययनार्थ भेजना चाहिए। युवक युवतियो को इस प्रकार का सहयोग मिलता है तो वे निश्चय ही प्रतिभा प्रकट करने मे समर्थ होंगे। अध्ययन स्थलो पर छात्र छात्राओं के मार्ग दर्शन हेतु युवक केन्द्र शिक्षा विभाग, पचायत व समाज-कल्याण के प्रचार एव प्रसार सेवा अधिकारी गण उपयोगी सिद्ध हो सकते है।

अध्ययन स्थलों की ग्रन्थ व्यवस्था को बनाये रखने में जिला पुस्तकालयाध्यक्ष, महाविद्यालय एव विद्यालयो के पुस्तकालयाध्यक्ष ग्रन्थ आदान प्रदान प्रणाली के माध्यम से सहायता पहुँचा सकते है। यह कार्य अवश्य ही जिम्मेदारी एव जोखिम का है, किन्तु तत्कालीन युवा भटकाव को रोकने का सुगम मार्ग है तथा शिक्षा मे शांति, अनुसधान मे एकाग्रता व श्रम में कुशलता निर्माण करने का अनूठा कार्यक्रम है। विद्यार्थियों के बौद्धिक विकास हेतु इस प्रकार के प्रयोग सफल सिद्ध होंगे बशर्ते कि अध्ययन स्थलो का निर्माण शीघ्र ही जगह जगह कराया जाये। कुछ ऐसे उपाय किये जाने चाहिए ताकि पकती उम्र के युवकों का ज्ञान उम्र के साथ साथ परिपक्व होता रहे। उक्त निदान सही समय पर रोगी को उचित दवाई देकर स्वस्थ रखने का सफल प्रयास हो सकता है।

ज्ञान की सीढ़ियों पर चढने से लडखडाने वाले छात्रों के लिए ये अध्ययन स्थल डूबने को तिनके का सहारा होंगे। ज्ञान गगोत्री को पार उतरने में पतवार का काम देंगे। गुरुदेव तो विद्या ज्ञान दे ही रहे है ये अध्ययन केन्द्र युवक युवतियो को सघर्ष में जीने का मार्ग देंगे। जिस तरह आज युवक कोचिंग क्लासेस के लिए भटक रहे हैं। बाजारों के नोटसगाईड पर निर्भर हो गये है, और शिक्षा के स्तर से व्यथित हो चुके है। ऐसी दशा में ग्राम ग्राम खुलने वाले ग्रन्थालयों में वाचनालय कक्ष की व्यवस्था होनी चाहिए जहा ग्रामीण युवक बैठकर अपनी तमाम समस्याओं का निराकरण ढूढ सके।

चू कि भारत के अधिकाश राज्यो में ग्रथालय अधिनियम पारित नही हो सके हैं अत स्थानीय पुस्तकालय सघों तथा भारतीय ग्र थालय सघ का मिलकर प्रयास करना चाहिए। इसके अतिरिक्त नव-युवको को अपने ज्ञान की पिपासा को दूर करने के प्रयास हेतु राजनीतिक दलो के सहयोग से ग्रथालय अधिनियम पारित करने में अगणी होना चाहिए। आज हमें जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अध्ययन स्थला की आवश्यकता महसूस हा रही है। औद्योगिक क्षेत्र के मजदूरो के लिए चिकित्सालया के बठे-ठाले मरीजा के लिए, खेत खलिहान से लौटकर आये फुसत में बठे किसान व मजदूर भाइयो के लिए। इन सबसे अधिक उन लोगो के लिए जो प्रौढ पाठशालाओ में अक्षर ज्ञान कर रहे हैं उन्हे निरतर अध्ययन की आवश्यकता है अत उनकी पढाई बीच में ही न छूट जाए उनका अक्षर ज्ञान फिर सपाट न हो जावे इसीलिए इन सबके लिए अध्ययन स्थल की जरूरत है। अपने लिए, समाज के लिए और राष्ट्रीय विकास में सहयोग देन के लिए।

6
पंचायतें और पुस्तकालय विकास

यह विश्व विदित है कि भारत गावो गोशालाओ, पनघटो एव बाग बगीचो का देश है। अधिकाश निवासी यहाँ के गावो मे रहते है। जिनकी औसत सख्या लगभग 60 प्रतिशत है। 30 प्रतिशत जनता नगरो मे वास करती है। भारतीय ग्रामो के बारे मे गाधी जी का कहना था कि 'गाव देश की आत्मा है एव शहर उसका शरीर", देहात यहा उतने ही पुराने है जितना की यह भारत पुराना है। काउपर का कहना है "नगर मनुष्य की दुनिया है परन्तु गाव ईश्वर की" अर्थात गाव सत्यता है एव शहर बनावटी। एक किसान की पाठशाला उसकी खेती है घर उसका आसरा और गाव उसकी चहार दीवारी। लेकिन इस चहार दीवारी को फादकर उसने शहर की जगमगाहट की ओर कदम बढाया है विकास के कदमो ने उसके गाव को भी इस चकाचौध से अछूता नही रखा।

यद्यपि स्वतन्त्रता प्राप्ती के पश्चात कई गाव नगर की सीमाओ मे सम्मिलित हो गये और नगर की सख्याओ को बढाते गये फिर भी ग्रामीणो की अधिकता कम नही हुई। जनसख्या वृद्धि ग्राम विकास एव कृषि सम्बन्धी मामलो के लिये पचायतो का निर्माण हुआ। आज देश भर मे कोई $5\frac{1}{2}$ लाख गाव है, जिनमे पचायतें ग्राम का प्रशासन चला रही है। इन्ही पचायतो के अन्तगत पुस्तकालय, वाचनालय, अभ्यास मण्डल, नवयुवक मण्डल, महिला मण्डल एव समाज शिक्षा के विविध काय क्रम शासन ने सौंपे है ताकि ग्रामीण समाज का शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक एव नैतिक विकास हो सके।

आज जबकि सम्पूर्ण भारत अधिक प्रगति की ओर अग्रसर हो रहा है किसान अपने कृषि काय आधुनिक कृषि यन्त्रो से निपटा रहे है, विपुल उत्पादन कायक्रम को अपनाकर अधिक अन्न उपजा रहे हैं। परिवार नियोजन को अपना कर सीमित परिवार मे आस्था रख जीवन स्तर को बढावा देने मे तत्पर है किन्तु फिर भी अशिक्षा के अन्धेरे मे भटक रहे है तथा स्वाध्याय से दूर है। देश विदेश की ताजा खबरो व वैज्ञानिक घटनाओ से बेखबर है। इसका कारण है पचायत भवनो मे यथोचित मनोरंजन एव सामान्य ज्ञान की पुस्तको व पत्र पत्रिकाओं का उचित प्रबन्ध न होना।

ऐसे समय पचायतो का यह उत्तर दायित्व हो जाता है कि [illegible] के [illegible] वालो के कार्यों व शीघ्र निपटने पर, बच्चो के [illegible], मे [illegible] मजदूरो के घर लौटने पर, खाली समय [illegible]

पंचायत भवन में खोले पुस्तकालयों में सस्ता साहित्य की व्यवस्था करें, उनके लिए मनोरंजन के साधन उपलब्ध करायें, वाचनालय में दैनिक समाचार एवं पत्र पत्रिकाओं को पढ़ने हेतु रखे। सप्ताह या माह में एक बार कृषि स्वास्थ्य परिवार कल्याण एवं समाज सुधार व शिक्षा सम्बन्धी व्याख्यान आयोजित करायें और कृषकों को कृषि की नवीन पद्धतियों, स्वास्थ्य सेवाओं आदि से अवगत करायें। पंचायतों को दी गई शासन की योजनाओं को ग्राम पंचायतें सिर्फ कागज में ही बन्द न रखें उन्हें अमली जामा भी पहनायें। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी कहा था 'ग्रामीणों की समस्या के हल से ही हमारे देश की प्रगति सम्भव है। उन्होंने समाज के निष्ठावान सेवकों को देहातों में जाकर गरीब जनता की सेवा करने का अनुरोध किया था।

प्रथम पंचवर्षीय योजना में ही समाज शिक्षा में प्रगति करने हेतु प्रत्येक पंचायत केन्द्रों में एक एक पुस्तकालय एवं जिला स्तर पर एक जिला पुस्तकालय के मुख्यालय की स्थापना की गई थी। पंचायत के ये पुस्तकाल, पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग की ओर से चलाये गये थे। इनकी स्थापना का प्रमुख लक्ष्य किसानों द्वारा अपने खाली समय का सदुपयोग करना था। "भारत जैसे बड़े और बढ़ती हुई आबादी वाले देश में समाज के, खास तौर पर गावों में बेकार समय का उपयोग कर लेना परम आवश्यक है। हमारी योजनाओं की सफलता इस पर बहुत अधिक निर्भर करती है।"[1]

वर्तमान भारत के किसी गाँव का हम खाका खींचें तो हम उसके अन्तर्गत यह दिखाई देगा कि उस गाव में एक अच्छी पाठशाला (बालक बालिका) है। वह गाव पक्की सड़क या कच्ची सड़क से जुड़ा हुआ है। कृषि सिंचाई हेतु बिजली पम्प लगे हैं जात हेतु कृषि के उपकरण भी उपलब्ध है ग्राम सेवक हैं, पशुओं के इलाज के लिए पशु चिकित्सा सहायक ग्राम सेविकायें व शिक्षक शिक्षिकायें हैं। सहकारी-समिति है, समिति सेवक एवं पंचायत सचिव हैं और इनके साथ ही ग्राम-जीवन के आन्तरिक परिवेश को बदलने हेतु पंचायत है। युवक केन्द्र है महिला कल्याण विभाग है। बच्चों के लिए शिशु मन्दिर व आहार पोषण की व्यवस्था है लेकिन उन सभी लोगों के लिये जो ग्रामों के सर्वांगीण विकास में सहायता दे रहे हैं उनके लिए आराम के क्षणों में बौद्धिक विकास तथा मानसिक क्षुधा को मिटाने के लिए "सामाजिक संस्था"[2] "पुस्तकालय' नहीं है जिसका उपयोग कर सभी सरकारी तथा गैर सरकारी कर्मचारी, मजदूर, किसान, युवक, बच्चे स्त्री पुरुष अपने खाली समय का सदुपयोग कर सकें।

यदि ग्रामीण जनता को उनके खाली समय के सदुपयोग हेतु उपयुक्त अवसर प्रदान नहीं किये जाते हैं तो वे अपने खाली समय का उपयोग बुरे कामों में करेंगे। ग्रामीण जन जीवन में गलत फहमियाँ फैलायेंगे भोली-भाली जनता को अकारण कष्ट देकर उनको संकट में डाल देंगे।

अत ऐसे सकटो, सामाजिक व्यवस्था मे होने वाले गलत कार्यों से मुक्ति दिलाने के लिये ग्राम पचायतो को चाहिये कि वे आदर्श ग्राम के निर्माण स्वरूप पुस्तकालयो को सक्रीय रूप से सचालित करें। ये पुस्तकालय ही ग्रामीण क्षेत्रो के निवासियो, युवको बच्चो व स्त्रियो के मानसिक भटकाव को दूर करने मे प्रभावकारी सिद्ध हो सकते हैं।

भौतिक और शारीरिक सुख सुविधाओ को मुहैया करने मे हम इतने मग्न हो जाते हैं कि जनता के चरित्र और नीतिमत्ता की रक्षा करने और सुधारने की बात पर हम आवश्यक जोर देना भूल ही जाते है। इसलिए यह जरूरी है कि अपनी योजनाओ मे हम इस शक्षणिक और सास्कृतिक पहलू पर विशेष रूप से ध्यान दें। हमारे देश मे अधिकाश धन औद्योगिक या अन्य सगठित क्षेत्रो मे खच कर दिया जाता है और इस काय के लिये प्राय बहुत कम बच पाता है, ऐसा नही होना चाहिये। देश के नागरिक जब तक सच्चे चरित्रवान और काय कुशल नही होगे, इतनी बडी बडी योजनाओ मे सफल नही हो सकते। लोक-शिक्षण स्वाध्याय एव स्वशिक्षा म प्रगति कर मनुष्य मे राष्ट्रीय चेतना का विकास करना है।

पचवर्षीय योजनाओ ने पचायतो को बहुत जिम्मेदारी के काय हाथ म दिये थे किन्तु पचायतो को इनमें सफलता कम मिली। इसका प्रमुख कारण अशिक्षा, अज्ञानता एव आपसी फूट प्रमुख थे। प्रथम पचवर्षीय योजना में गाँव गाँव पुस्तकालयो की स्थापना पचायत भवनो में की गई थी, जिनकी देख रेख का काय ग्राम पचायतो को ही सौपा गया था, किन्तु कृषि विकास, पशुपालन, बिजली, यातायात, स्वास्थ्य एव शिक्षा आदि कार्यों में ही इनकी दिलचस्पी अधिक रही। स्थापना के कुछ दिनो बाद तक ये पुस्तकालय अवश्य चले फिर बाद में बन्द ही पडे रहे। आज भी जिन गावो में युवा सरपच तथा शिक्षित समाज का शासन है वहाँ कुछ हद तक जनता को पुस्तकें पढने व देश विदेश के समाचार जानने हेतु पुस्तकालय का प्रबन्ध जैसे-तैसे ही है।

इन पचायतो का कोई व्यापक कायक्रम नही है जिसके आधार पर पुस्तकालयो के द्वारा ये ग्रामीण निरक्षरता की मुहिम को आगे बढ़ा सके और राष्ट्र व शैक्षणिक विकास में 1% भी हाथ बटा सके। पाचवी एव छटी पचवर्षीय योजना म समाज शिक्षा को पूर्ण विकसित करने हेतु एव निरक्षरता को समाप्त करने के लिये गाव-गाव पुस्तकालयो के विस्तार की आशा है। वसे तो आज भी कई गाँवो मे पचायत के अथवा सावजनिक पुस्तकालय विद्यमान है लेकिन दनिक जीवन म उनका उपयोग बहुत कम हो रहा है। इसके पीछे ग्रामीण समाज व्यवस्था, दलगत बुराइया, आपसी मनमुटाव एव निरक्षरता आडे आ रही है।

सर्वोदय सन्त बाबा विनोबा भावे का कहना है "आज सभी ग्राम पचायत (परेशानी) बन गई है। इसका कारण यही है कि हम लोग गाव म ... रखकर ग्राम पचायते बनाते है फलत जिनके पास अधिक शिक्षा व अधिक"

है उन्ही के पास अधिक सुविधायें व अधिक जमीन रहती है। व ही पचायत के मुखिया बनते है और सारी सत्ता उन्ही मे केन्द्रीत रहती है।"[3]

उपरोक्त खामिया का कारण पचायत की स्वायत्तता, लापरवाही, गाँव म वास एक बिरादरी, या अयोग्य व्यक्ति का चुनाव हो सकता है। यह अनुभव किया गया है कि गाँवो म दो चार घर ऐसे होते हैं जिनका जन्मसिद्ध अधिकार झगडे फसाद व अच्छे कार्यों मे रोडे अटकाना होता है, ऐसे लोगो से गाँव बदनाम हो जाता है तथा प्रशासन ठप्प हो जाता है।

आदर्श पचायतें व ह जिन्होने अपने अधिकार क्षेत्र के अन्तगत शिक्षा, समाज कल्याण, कृषि, पशुपालन, गृह निर्माण, पयजल व्यवस्था, बिजली, स्वास्थ्य एव मनोरजन की व्यवस्था की हो, बेकार युवको का काम दिलाया हो, मजदूरो को सहूलियतें दी हो, पिछडी एव आदिवासी जनता के आवास का प्रबन्ध स्वय के कोष से किया हो एसी पचायतें निश्चित ही प्रशसा की पात्र है।

एसे उदाहरण भारत मे केवल कुछ ही राज्यो म देखे जा सकते हैं, जहाँ ऐसा कोई गाँव नही है जो पक्की सडको स न जुडा हो, बिजली, डाक व्यवस्था, स्वास्थ्य एव शिक्षा आदि की व्यवस्था न हो। एसे राज्यो म हरियाणा, पजाब उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, मद्रास एव बगाल आदि प्रदेशो को अग्रणी माना जा सकता है। इसका श्रेय वहा के शासन तथा जनता को जाता है जिन्होने सहयोग एव सहकार की भावना से ग्रामोत्थान मे सहयोग दिया। इसका कारण शैक्षणिक एव सास्कृतिक जागरण भी हो सकता है।

आज हमारे ग्रामो म आपसी टकराव, ईर्ष्या द्वेष, एव फूट का साम्राज्य छाया हुआ है। छोटी छोटी बातो को लेकर झगडे फसाद खडे हो जाते है खून खराबा हो जाता है। रातो रात हरे भरे खेत कटवा दिये जाते हैं या फसलें जला दी जाती है और झूठी प्रतिष्ठा के मोह मे एक दूसरे पर कोर्ट कचहरी के चक्कर चल पडते है। इन सबका मूल कारण अज्ञानता व निरक्षरता है। उनमें वह शालीनता हमें लाना है जो सकटो को टालने में सहायता करे। एक दूसरे को समझने का मौका पाने के लिए बौद्धिक समझ व आत्मीय भावना लाना जरूरी होगा। यह काय पुस्तको के सत्सग स्वाध्याय के अच्छे अवसर व अध्ययन स्थलो की उपलब्धि पर निर्भर करेगा।

इतना कुछ होने पर भी जनता में आधुनिक जीवन जीने के प्रति जन जागृति एव शिक्षा का प्रसार आवश्यक है। यह काय उनके लिय न सही आने वाली पीढी के लिये नितान्त जरूरी है अत उनके द्वारा चलाये जाने वाले पचायत पुस्तकालयो का क्या स्वरूप हो इस पर भी हमे विचार करना है। अभी तक शवावस्था म चल रही पचायतों न अब भी अपने ग्राम एव राष्ट्र की उन्नति मे सहायक बनना चाहिये और जागना चाहिये। उन्हें चाहिये कि व ग्रामीण विकास कायक्रम तैयार करे जिसके अन्तगत विपुल उत्पादन, पीने के पानी की व्यवस्था, बाल पुस्तकें, क्लब,

साक्षरता पाठशाला, लघु उद्योग बालवाडी, स्वास्थ्य एव परिवार कल्याण के साथ-साथ एक विशाल पुस्तकालय के निमाण का काय भी हाथ म ले। इसके लिये कुछ महत्वपूण सुभाव व उपाय सुझाये जा सकते ह जिन्हे अमल म लाकर पचायतें पुस्तकालयो के निमाण तथा विकास मे सफलता हासिल कर सकती है।

(1) सवप्रथम पचायतें पुस्तकालय विकास समिति का निर्माण करें जिसम सरपच, उपसरपच पचायत सचिव प्रधानाध्यापक ग्राम सेवक, नव-युवक मण्डल तथा महिला मण्डल के अध्यक्षो को समिति का सदस्य बनाव।

(2) उस पचायत के अन्तगत आने वाले अन्य गावो के पचायत सदस्यो द्वारा ग्रामीणो को पचायत सचिव की सहायता से पुस्तकालयो के महत्व एव उपयोग को समझाना तथा निश्चित राशि चन्दे के रूप म प्राप्त करना।

(3) शिक्षित अशिक्षित स्त्री पुरुष एव बच्चो की गणना कर उनकी सदस्यता निर्धारित करना।

(4) पचायत कार्यालय के व्यवस्थित कमरे के सामने "ग्राम पचायत पुस्तकालय' अथवा "वाचनालय' का बोड लगायें ताकि आन जान वाले ग्रामीण आसानी से देख पढ़ सकें और पुस्तकालय मे जाने को उत्सुक हो।

(5) अशिक्षित व प्रौढ़ स्त्री पुरुषो को पुस्तकालय का अनिवाय सदस्य बनाया जावे।

(6) बच्चो के लिये अलग ही अध्ययन कक्ष की व्यवस्था हो, इस बात का ध्यान पुस्तकालय विकास समिति रखें।

(7) ग्रामीण नागरिको के लिए सरल, सुबोध एव सचित्र पुस्तके जो देश विदेश की जानकारी के साथ साथ कृषि उद्योग, व्यापार, धम दशन, इतिहास, लोक साहित्य एव संस्कृति, मनोरजन और ज्ञान विज्ञान की जानकारी प्रस्तुत करे, पुस्तकालय हेतु क्रय की जाये।

(8) समय समय पर पुस्तकालय विकास-समिति की बैठक हो जिसम पुस्तकालय की चलने वाली गतिविधियो पर प्रकाश डाला जाये और कमियो को सुधारने का प्रयास किया जाय।

(9) पुस्तकालय के प्रचार प्रसार हेतु धार्मिक त्यौहार मेला, बाजार या राष्ट्रीय पर्वो पर विद्वान वक्ताओ को बुलाकर पुस्तकालयो की उपयोगिता एव महत्व पर प्रकाश डलवाया जाव ताकि जनता म अधिक पठन की रुचि जाग्रत हो।

(10) ग्राम पाठशालों म पुस्तकालय की व्यवस्था यदि नही है तो उन विद्यार्थियो को भी शाला विकास समिति एव पुस्तकालय विकास समिति द्वारा पाठ्य पुस्तकें क्रय कर प्रदान की जानी चाहिये। बालको म अध्ययन वृत्ति को प्रोत्साहन देने हेतु सहयोग आवश्यक है। किसी ने सच ही कहा है आज

के बच्चे कल के भावी नागरिक एव नवीन भारत के निर्माता है। इनके सम्पूर्ण विकास पर हमे ध्यान देना चाहिए।"

(11) ग्राम सरपच अथवा ग्राम प्रमुख के द्वारा निरक्षर प्रौढ-स्त्री पुरुषों का साक्षरता पाठशाला म आने के लिये प्रेरित किया जाना चाहिये।

(12) महिने म एक बार पाठकों को चलचित्र के माध्यम से यह दिखाया जाय कि पढने म क्या लाभ होते ह। इस कायक्रम म, पशुपालन, मुर्गी तथा मत्स्य पालन सुधरी खेती व उद्योगो के साधनो का भी प्रदर्शित किया जा सकता है।

(13) सप्ताह म एक बार जिला ग्रथपाल को बुलाकर ग्रामीण जनता के मध्य उनका उद्बोधन कराया जाये ताकि जनता मे अध्ययन प्रेरणा जगेगी एव अशिक्षा के प्रति हाने वाली हीनवृत्ति का अत होगा।

(14) जिला ग्रथपाल के द्वारा पढने मे लाभ,निरक्षरता से मुक्ति, उपयुक्त पुस्तकों के नाम एव निरक्षरता के परिणामो से समाज के पतन इत्यादि पर वक्तव्य दिये जावे। यह काम समाज सेवा अधिकारी भी कर सकते है।

(15) पचायत-पुस्तकालय के ग्रथपाल एव जिला ग्रथालय के प्रमुख का माह म एक बार जन सम्पर्क हो। शिक्षित एव अशिक्षित की दूरियाँ कम होगी तो नागरिको मे सहज रूप से शिक्षित बनने तथा उनके बताये माग को अपनाने की उत्कठा जाग्रत होगी।

(16) पचायत सरपच जनता के दिलो को जीतने का एव उनमे प्रेरणा जाग्रत करने का काय करे तब जाकर हम यह अदाजा लगा सकते हैं कि ग्रामो म पचायतें, पुस्तकालयो का विकास कर सकती हैं। इस मामले म सरपच को बहुत लगनशील उत्सुक, नेक एव ईमानदार होना चाहिये उस पर ग्रामीण जनता की पूर्ण श्रद्धा हो तथा ग्रामवासी भी उसके कहे को टालने वाले न हो, तभी पुस्तकालय एव ग्राम विकास का सपना पूर्ण हो सकता है।

(17) पुस्तकालय सचालन का काय ग्रथपाल की नियुक्ति, वेतन भत्ता, निवास एव पुस्तकों का खच शासन द्वारा दिया जाना चाहिये। ये अश पचायत भी दे। यदि पचायत अधिक रूप से असमर्थ है तो शासन से अनुदान माग सकती है, बाकी वह स्वय करे।

(18) गाँव की जनता को चाहिये कि वह ग्रथपाल को प्रतिष्ठा प्रदान करें। किसी भी प्रकार की ज्ञान विज्ञान सम्बन्धी समस्याओं का समाधान करने के लिये वह तत्पर होगा।

(19) पचायत अपने पुस्तकालय की प्रगति-सूचना प्रत्यक 3 माह म जिला ग्रथालय को भेजे। यदि ये ग्रथालय पचायत विभाग के अन्तगत है तो पचायत अधिकारी को भी दी जा सकती हैं।

(20) वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन के आधार पर आगामी वर्ष का बजट एवं पुस्तकालय-सेवा की विस्तार योजनाओं पर विचार किया जा सकता है।

उपरोक्त सुझावों को यदि पंचायतें गम्भीरता से अमल में लाकर अपने गाँवों में पुस्तकालय की स्थापना करना चाहती हैं तो सर्वप्रथम उन्हें जिला ग्रन्थपाल, नेहरू युवक केन्द्र के समन्वयक अथवा पंचायत एवं समाज-कल्याण विभाग के अधिकारियों से सम्पर्क स्थापित करना चाहिए। जिला-प्रमुख से मिलकर भी इस पवित्र कार्य को सम्पन्न कर सकते हैं।

आज आवश्यकता इस बात की है कि आपस के मतभेदों को मिटाकर राजनीतिक दलों के चंगुल से दूर रहकर ग्राम पंचायतों का उज्जवलीकरण हो। ग्रामों में पुस्तकालयों की स्थापना कर समाज में फैले अशिक्षा जैसे कलंक को जड़ से मिटाया जा सकता है। गाँव वाले यह संकल्प करें कि गाँव के सभी लोगों की चिन्ता के विषय गाँव वाले ही देख लें तो उन्हें पुस्तकालय मिलकर स्थापित करना चाहिये तब उन सबकी सर्वानुमति से जो पंचायत सहमति बनेगा वह सदैव जनता के हित के लिए होगी न कि अहित के लिये।

जहाँ ऐसी जन सर्वानुमति है उन्हें आज ही पुस्तकालयों की स्थापना कर देनी चाहिए और शासन को आर्थिक मदद हेतु लिखना चाहिये। जिनके पास अटूट सम्पत्ति, धन दौलत है सुख है साथ ही दूसरों की चिन्ता भी है, उन्हें जन हित के लिये पुस्तकालय खुलवाने में आर्थिक सहयोग देना चाहिए। यह भी समाज के धनी-मानी लोगों का उत्तरदायित्व है जो भले काम में योगदान देकर ऐसे पुनीत कार्य को पूर्ण कर सकते हैं। जनता का सहयोग भी वाञ्छनीय होगा।

जनता यह बात अच्छी तरह याद रखे कि आज खोला पुस्तकालय आने वाली कई पुश्तों तक उनकी पीढ़ीयों को ज्ञानार्जन कराता रहेगा, मानव सभ्यता एवं संस्कृति के विकास क्रम की याद दिलाता रहेगा। देश-भर की पंचायतों को एक-जुट होकर पुस्तकालयों के विकास एवं स्थापना का बीड़ा उठाना चाहिये। राज्य सरकारें अपने प्रदेशों में सार्वजनिक ग्रन्थालय कानून पारित कर दें तो ग्राम-पंचायतों के ग्रन्थालयों की दुनिया ही बदल सकती है।

सन्दर्भ —

1. श्रीमन्नारायण भारतीय संयोजन में नई दिशाएँ। पृ 41
2. रंगनाथन (एस आर) पुस्तकालय विज्ञान की भूमिका।
3. नई दुनिया, (दै) दीपावली विशेषांक, इन्दौर म प्र 1975 पृ 97

———

7
प्रौढ शिक्षा कार्यक्रम मे पुस्तालयो की भूमिका

लोक पुस्तकालय साहित्यिक सास्कृतिक, धार्मिक, राजनैतिक एव नैतिक दृष्टिया से व्यक्ति विकास तथा लोक रूचि क केन्द्र होते हैं। यह एक एसा सामुदायिक केन्द्र है जहा किसी भी वग का व्यक्ति बिना भेद-भाव के जाकर अपनी बौद्धिक अभिगम पूरा कर सकता है। सम्पूरा जगत् की जानकारी हम लेना चाह तो एक समृद्ध लोक-पुस्तकालय हमे दे सकता है, बशर्ते की वह सभी दृष्टिया से परिपूरा और वैज्ञानिक साधना एव अपनी वितरण सेवाओ मे सक्षम हो। देश की साहित्यिक सम्पदा की सुरक्षा एव पाठको के लिये अध्ययन के साधन जुटाना ही इनका काय नही है वरन् देश की निरक्षर पीढी को साक्षर बनाना व उन्हे अध्ययन मे क्रियाशील बनाना भी इनका प्रमुख लक्ष्य है।

जिन राष्ट्रो मे निरक्षर जनता को साक्षर बनाने हेतु साक्षरता अभियान चलाये गये उनके लिय लोक पुस्तकालय बहुत उपयोगी सिद्ध हुये है। निरक्षरा को पुस्तक से कहानी व्यग नाटक, कविता आदि पढकर सुनाना, चलचित्र दिखाना, व्याख्यान एव गोष्ठीया आयोजित करना साथ ही उन्हे वर्णमाला का ज्ञान देकर लिखना पढना सिखाना सावजनिक व पुस्तकालया क काय क्षेत्र रहे है। यूनस्को जसे अन्तर्राष्ट्रीय सगठन न पढना मानव का अधिकार मान उनकी शिक्षा पर बडे बडे कायक्रम बनाये है, निरक्षरा के लिये सावजनिक पुस्तक सवायें दी है। कार्लाइल ने लोक शिक्षण हेतु लोक पुस्तकालयो को जनता के विश्व विद्यालय माना था। हम मानते हैं कि जो अद्ध साक्षर हैं उनका ज्ञान एव बौद्धिक कायक्रम लम्बे जीवन विकास के साथ अध्ययन सुविधा न मिलने पर छूट जाता है, अत उस ज्ञान का कायम रखने, स्थायित्व प्रदान करने, उनमे अध्ययन रूचि जगाने के लिय सावजनिक पुस्तकालया की भूमिका महत्त्वपूर्ण हो जाती है।

भारतवष म लोक पुस्तकालया का विकास बहुत धीमा रहा है। देशवासी की ग्रामीण स्थितिया एव बढते हुये अशिक्षा क कारणा को देखते हुये इनका विस्तार होना चाहिये। प्रजातन्त्र शासन के लिये यह आवश्यक है कि प्रत्येक नागरिक अपनी महत्ता को समझे और यह तभी सभव है जब वह पूर्ण साक्षर हो। शासन ने स्वतन्त्रता प्राप्ति के उपरान्त बहुतर साक्षरता कायक्रम राष्ट्र म प्रारम्भ किय किन्तु

उनका क्रियान्वयन सिर्फ महानगरों, नगरों एवं शहरी परिसीमाओं में बंधकर रह गया है। सातवीं पंचवर्षीय योजना में अवश्य कुछ आशा की जा सकती है।

यदि देश से निरक्षरता के अभिशाप को समाप्त करना है तो सर्वप्रथम हमें ग्राम ग्राम शहर शहर लोक पुस्तकालयों के निर्माण पर सोचना होगा। तत्पश्चात् उनके द्वारा दी जाने वाली सेवाओं के वितरण पर भी विचार करना लाजिमी होगा। जैसा कि केन्द्रीय समाज कल्याण एवं शिक्षा राज्य मंत्री ने फरवरी 1978 के विश्व पुस्तक मेले में आयोजित अखिल भारतीय पुस्तकालय समारोह में अपने विचार व्यक्त करते हुये कहा कि 'देश में पुस्तकालयों का अव्यवस्थित ढंग से विकास हुआ है। उन्होंने कहा कि इस समय 80 प्रतिशत बड़े पुस्तकालय महानगरों में हैं। सार्वजनिक कोष से पूर्ण या आंशिक वित्तीय सहायता प्राप्त सभी प्रकार के पुस्तकालयों को सार्वजनिक पुस्तकालय घोषित कर दिया जाना चाहिये। एक केन्द्र पर नाम लिखवाने वाले प्रयोग कर्ता को देश के सभी अन्य पुस्तकालयों का प्रयोग करने की अनुमति दी जानी चाहिए।"

वर्तमान में देश में जितने भी लोक पुस्तकालय कार्यरत हैं, उनमें महानगरीय स्तर के पुस्तकालय जन शिक्षण अथवा प्रौढ़ शिक्षा विकास कार्य में अपना सहयोग कुछ हद तक दे रहे हैं। साक्षरता के नाम पर उक्त पुस्तकालयों में भी शायद कोई परिपुष्ट कार्यक्रम नहीं चलाये जाते। नियोजित कार्यक्रम नहीं होने के बावजूद भी देश भर के समस्त लोक-पुस्तकालयों एवं वाचनालयों को चाहिये कि वे अपनी पुस्तकालय-सेवाओं का वितरण करें। और अधिकाधिक लोगों को पुस्तक पढ़ने, पढ़ाने, पढ़कर सुनाने, शोध एवं अनुसंधान करने की सुविधा प्रदान करने की व्यवस्था कर लोक पुस्तकालयों निम्नलिखित कार्यों को अपनी विस्तरण सेवाओं के अन्तर्गत कार्यान्वित करें, तो निश्चित ही देश हित में अच्छे परिणाम प्राप्त किये जा सकते हैं।

(क) लोक पुस्तकालयों में परस्पर सहयोग—देश के जिन राज्यों में पुस्तकालय अधिनियम लागू हो गये हैं उन राज्यों के पुस्तकालयों में अवश्य सहकारिता एवं संगठन से काम हो रहा है। समाज शिक्षा मुहिम भी इन राज्यों में प्रगति पर है। जहां पुस्तकालय अधिनियम नहीं है वहाँ सार्वजनिक पुस्तकालय अपनी ढपली अपना राग' अलाप रहे हैं। कुछ राजनीतिक शिकंजों में जकड़े हैं और कुछ अर्थाभाव से विपन्न हैं। उनमें आपसी सहयोग एवं सामंजस्य नहीं दिखाई देता। लोक पुस्तकालयों ने सुनियोजित योजना बनाकर एक दूसरे को सहयोग देना चाहिये। आपस में ग्रंथों का आदान प्रदान केन्द्रीय सूचीकरण पुस्तकालय समारोह प्रदर्शनी साक्षरता कार्यक्रम इत्यादि आयोजित करना चाहिये। केन्द्रीय पुस्तकालय से सम्बद्ध आस पास के क्षेत्र में शाखा पुस्तकालयों की स्थापना करना चाहिये।

(ख) साक्षरता कार्यक्रम चलाना—एक प्रजातन्त्र देश के समान अधिकार एवं समान जीवन यापन करने तथा शिक्षा को

प्रदान करने का उत्तरदायित्व सरकार का है। राष्ट्र की लगभग सभी सामाजिक संस्थायें जस राष्ट्रीय समाज कल्याण केन्द्र समाज शिक्षा संघ, नेशनल बुक ट्रस्ट, अखिल भारतीय पुस्तक प्रकाशक संघ, समाज सेवी संगठन रोटरी क्लब, लियो क्लब लायन्स इन्टरनेशनल राष्ट्रीय सेवा योजना ईकाइयां पंचायतें एवं सामुदायिक विकास केन्द्र इत्यादि इस प्रयास म जुटे है कि देश स अशिक्षा का कायाकल्प हो, नामोनिशान न रहे। स्वाध्याय को महत्व देने वाले कुछ ग्रामीण पुस्तकालय एवं प्रतिष्ठा प्राप्त सावजनिक पुस्तकालय भी अपने क्षेत्र की निरक्षर जीवनियों का मानसिक चेतना, प्रदान करने मे सक्रिय है। इतने से शैक्षणिक विकास मे गति शीलता नही आयेगी, इसमे और विस्तार की जरूरत है,

साक्षरता अभियान का काय सावजनिक पुस्तकालयो के जरिये स हो ता इसके लिये उपयुक्त स्थल पुस्तकालय भवन हो सकते हैं। शहर एवं गाव के जो प्रौढ एवं युवा निरक्षर है, साथ ही जो अर्द्ध साक्षर या अल्पज्ञान प्राप्त कर्त्ता है उन्हें लोक पुस्तकालयो का अनिवाय सदस्य बना लिया जाय और यदि जन ग्रन्थालय म धार्मिक सामाजिक ऐतिहासिक, आधुनिक अनुसंधान से सम्बन्धित तथा कथा, कहानियों की पुस्तकों का वाचन निरक्षर लोगों के समक्ष किया जावे तो वे भी ज्ञान की ज्योति से प्रकाशित होंगे।

पुस्तकालयाध्यक्ष या अन्य दूसरे कर्मचारी द्वारा उनकी एक घण्टा प्रतिदिन पढाने की व्यवस्था हो। तीन माह मे एक बार जाच परीक्षा एवं अन्तिम वार्षिक इम्तहान हो। उत्तीर्ण होने के प्रमाण-पत्र भी प्रसिद्ध व्यक्तियों द्वारा प्रदान किये जाय। यह क्रम तब तक चालू रखा जाय तब तक कि उस क्षेत्र के सम्पूर्ण निरक्षर व्यक्ति पूर्ण लिखना, पढना न सीख लें। उपकरण एवं पाठ्य सामग्री के लिये केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड या समाज कल्याण विभाग से सम्पर्क कर प्राप्त की जा सकती हैं। शासन इसमे सहायता देने को पूर्णत मदद करें किन्तु जनता स इसमे मुख्य भूमिका निर्वाह की अपेक्षा की जाती है, और वह मुख्य भूमिकाओं की पुण्य स्थली लोक पुस्तकालय है।

(ग) अन्तर ग्रन्थालयीन आदान प्रदान सेवा— बहुधा यह देखने म आता है कि शासन से चलने वाले सावजनिक पुस्तकालयो के अलावा बहुत कम लोक पुस्तकालय ऐसे हैं जो एक पुस्तकालय से दूसरे पुस्तकालय को कुछ समयावधि के लिये ग्रन्थ आदान प्रदान करते हो। ग्रन्थ आदान प्रदान प्रणाली बौद्धिक सीमाओं के विस्तार म सहायक होती है साथ ही सहकारिता की भावना को जन्म देती है हम जानते हैं कि विश्व म प्रकाशित होने वाली सभी पुस्तकें, एक पुस्तकालय किसी भी दशा म नहीं खरीद सकता अत ग्रन्थो का आपसी आदान प्रदान कर नया साहित्य जनता को पहुँचाया जाना चाहिए। ऐसा करने से एक क्षेत्र की रुचि का साहित्य दूसरे क्षेत्र मे पहुँच कर नवीनता प्रदान करता है। लोक-साहित्य एवं

सस्कृतियो का समन्वय अच्छी तरह हो सकता हैं। नया नया साहित्य पढने की ललक पाठको म जगती है। इसका विस्तार भी लोक पुस्तकालया को शाखा जिला, प्रदेश क्षेत्र या राष्ट्र स्तर पर करना चाहिये। यहाँ तक कि यह काय अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सम्भव है।

(घ) चलित ग्रन्थालयो का विस्तार—इस बात को सभी भारतीय जन जानते हैं कि शिक्षा के विकास पर ही जीवन विकास का बौद्धिक पक्ष सुदृढ होगा। बकन ने ठीक ही कहा है "अध्ययन मनुष्य को पूर्ण बनाता है, सगोष्ठी व्यक्ति को अनुभवी बनाती है और लेखन व्यक्ति को युक्तियुक्त बनाता है।" अत लोक पुस्तकालयो का दायित्व हो जाना चाहिय कि प्रत्यक व्यक्ति को उसकी इच्छित पुस्तक मिले ताकि वह उसका चिन्तन मनन करें और समय पर चल ग्रन्थालय सेवा को पाकर धन्य हो। यह सेवा ऐसे पाठको को दी जाती है जिन्ह फुसत नही मिलती जा पुस्तकालय तक नही आ सकते जो अपग ह इत्यादि। मान लो 'अ' शहर के पुस्तकालय मे 50,000 ग्रन्थो का भण्डार है जो औसतन 10,000 आबादी को बौद्धिक साहित्य प्रदान करता है, शेष 30,000 जनसख्या ग्रन्थ अध्ययन से वचित रहती है। इसके विपरीत उसी शहर के आस पास पन्द्रह गाव ऐसे है जो दस मील की सीमा मे बसे ह जहाँ एक भी पुस्तकालय नही है 15 गाव के 50,000 लोग अध्ययन से वचित रहते है। उन्ह सिफ व्यापार खेती-बाडी, घर गृहस्थी म ही अपना समय खपाना पडता है। पढ़ लिखे हैं किन्तु ग्रन्थ उपलब्ध न होने से अपनी उसी बौद्धिक सीमा रेखा पर है जहा उन्होने उसे आराम दिया था।

उन पन्द्रह गावो के लोगो के विराम लग मस्तिष्को म नया साहित्य नये विचार, नई राजनीति, नया विज्ञान एव उद्योग अनुसधान साहित्य सामग्री पहचाने का काय उस 'अ" शहर को अपने शाखा पुस्तकालय खोलकर करना चाहिय जिस प्रकार बैको ने अपने शाखा कायालय खोल रखे है। इसके लिय पुस्तक गाडी रिक्शा या विशेष वाहन की व्यवस्था की जानी चाहिये। ग्रन्थ एक सप्ताह या 15 दिन के लिये एक बार मे एक गाव म दिये जाये। पन्द्रह दिन बाद जब दूसरा चक्कर हो ता पूव के निर्गमित ग्रन्थ वापस कर नये ग्रन्थ पढने हेतु दिये जाये। इस प्रकार नित नवीन साहित्य का वितरण हाता रह। यह काय उसी काय पद्धति से सम्भव होगा। जिसे लाय स क्लब रोटरी क्लब, लियो क्लब, इनरव्हील क्लब एव बैक सघ आदि करते आ रह है। इन सस्थाओ को भी अब इस ओर ध्यान दना चाहिये। सावजनिक पुस्तकालया के सस्थापको व प्रशासका को इस ढग के कायक्रम क्रियान्वित करन चाहिय तभी देश की व्यापक निरक्षर जनता का उद्धार होगा।

(ड) गोष्ठी एव प्रदशनियों का आयोजन—यदि लोक पुस्तकालया की प्रशासकीय कडी गाव जिला, क्षेत्र राज्य तथा केन्द्र क पुस्तकालया स जुडी ह तो विस्तृत पुस्तकालय सेवा का लाभ मिलेगा। जिने सम्पूर्ण क्षेत्र म लगने वाले मेले उत्सव तीथ व त्यौहारो पर जिला पुस्तकालय द्वारा पुस्तक प्रदशनियो का आयोजन

हो। यह काय सगठन के रूप म ग्राम पुस्तकालय ही करें। महापुरुषों व क्राति कारियों की पुण्यतिथियो, राष्ट्रीय व धार्मिक पर्वो पर गोष्ठीयो व पुस्तकालय वार्ताओं का आयोजन हो। इसमे निरक्षर एव अद्ध साक्षर युवक युवतियां को भी भाग लेने दिया जावे। प्रत्यक माह मे लोक पुस्तकालयो मे ही शोध कक्ष का निर्माण करना चाहिये तथा शोध कर्त्ताओं मे अपना सम्बन्ध बनाये रखने चाहिये। सावजनिक जीवन म कोई व्यक्ति अन्वेषण करना चाहता हो तो उसम सावजनिक पुस्तकालयों वाचनालयो का यह प्रथम कत्तव्य होना चाहिये कि वे सामान्य पाठका से कहीं बहतर सेवा उस विशिष्ट पाठक को दें।

(च) पुस्तकालय का वज्ञानिक व्यवस्थापन त्वरित सेवा की भावना ही पुस्तकालय सेवा की सफलता का मूल है। त्वरित सेवा प्रदान करने हेतु पुस्तकालयों को तकनीकी एव वैज्ञानिक ढग से व्यवस्थित किया जाता है। तकनीकी एव वज्ञानिक व्यवस्थापन करने के लिए भारत के 33 विश्व विद्यालयो पुस्तकालया म विज्ञान विषय मे प्रशिक्षण दिया जाता है जिसमे पुस्तक वर्गीकरण, सूचीकरण, व्यवस्थापन, सगठन प्रलेखन एव सन्दभ सेवा जैसे महत्त्वपूर्ण विषयो को पढाया जाता है। पुस्तकालय विज्ञान प्रशिक्षण देने का अथ है कुशल प्रशासक एव पुस्तकालय की वैज्ञानिक प्रणालियों का अधिकाधिक उपयोग। ज्ञान साहित्य एव अध्ययनकर्त्ताओं के विकास के साथ पुस्तकालयो का भी वैज्ञानिक विकास होना चाहिये, तभी मूल भूत धारणा 'पुस्तक सबके लिये है' को हम साकार कर सकते हैं।

अपने पाठका को शीघ्र सेवा देने के लिये पुस्तकों पत्र पत्रिकाओं का विषयवार, लेखकवार या वग वार वर्गीकरण कर व्यवस्थापन करना चाहिये। ग्रथालय सग्रह की सूची पत्रो के आकार म बनाना चाहिये। लेन-देन के आधुनिक तरीका को अपनाकर प्रशिक्षित विद्वान पुस्तकालयाध्यक्षो की नियुक्ति पुस्तकालयों म करनी चाहिये। प्राय यह देखा गया है कि लोक पुस्तकालयो म न कोई वैज्ञानिक पद्धतियों का क्रियान्वयन होता है और न ही प्रशिक्षित कमचारियों की नियुक्ति। भारत म ऐसे पुस्तकालय राजनीतिक सरक्षणता कर कठपुतली का खेल दिखा रहे हैं। पुस्तकालय अधिनियम पारित कर एम पुस्तकालयों की व्यवस्था बदली जा सकती है। राजनीतिक दलदल म फँसे ये पुस्तकालय नि स्वार्थ भाव स जनहित एव राष्ट्रीय विकास का काय नहीं कर पाते है। ये चाहे तो अपने प्रदेश के लोक साहित्य सस्कृतिकला एव सगीत पर रचे जाने वाले साहित्य की प्रादेशिक ग्रन्थ वर्णनाओं का निर्माण काय अपने हाथ म ले सकते है। कुर्सी एव सत्ता की राजनीति लोक पुस्तकालयो के विकास एव प्रगति मे बाधक है इसका उपाय सोचा जाना चाहिये।

पुस्तकालय प्रचार एव प्रसार काय—एटमी युग के बढ़ते हुए कार्यों, साहित्य प्रकाशनों, मुद्रित पत्र पत्रिकाओं, शोधपूर्ण सामयिकों एव वैज्ञानिक अनुसधानों को

देखते हुए जन-जन तक युगानुरूप साहित्य पहुचान मे पुस्तकालयो की भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण हो गई है। ग्रामीण विकास क कायक्रमा म प्रगति लान का अशिक्षितो का शिक्षित बनाने तथा जीवन पयन्त अधिकारिक रूप स अध्ययन व स्वाध्याय की सुविधा जुटाने का काय लोक पुस्तकालया को करना चाहिए। रूस जैसे देश म गाव गाँव तक पुस्तकें पहुँचान का काय पुस्तकालयें बसें करती है यहाँ तक कि दूरदराजा मे बसे लोग भी इनकी सेवाओ का लाभ पाते है। हमार देश म यह काय अभी सुप्तावस्था म है। दूर-दूर क गावा दहातो म पुस्तकालय प्रचार अनेक माध्यमो से कर उनका विस्तार किया जाना चाहिये। प्रसार तथा विस्तार सेवाओ का उद्देश्य अपाठका को पाठका मे परिवर्तित करना है और जनसाधारण म पठन पाठन की अभिरुचि जाग्रत करना ह।' लोक शिक्षा के विकास म यह काय प्रशसनीय हागा।

यदि हम चाहते है कि देश सभी दृष्टियो से सबल हा, सभी साक्षर हो, स्वतन्त्र विचारा की अभिव्यक्ति का हौसला रखन वाले हा, अन्याय का डटकर मुकाबला करने मे समथ हो तो हमे चाहिये कि बुद्धि के विकास की बुनियादी कडी जन शिक्षा को सवत्र सबके लिए उपलब्ध कराया जाय। दश की ऐसी समृद्धि जिसे सराहा जा सकता है, ता इसके लिए सावजनिक पुस्तकालय जैसी महत्वपूर्ण सामाजिक सस्थाओ को अपनी विस्तरण सेवाओ का व्यवहारिकता म परिणित करना होगा। लोक पुस्तकालया का विकास कर सच्चे अर्थो मे जनमत को प्रजातन्त्र के योग्य बनाना होगा।

विश्वविद्यालयीन प्रौढ शिक्षा कायक्रम एव ग्रन्थालय—अनक प्रयासो के बावजूद जब सरकार ने दखा कि राष्टीय प्रौढ शिक्षा कायक्रम समाज-कल्याण विभाग, समाज सेवी सगठना एव स्वायत्त शासन सस्थाओ से भी निबटाया नही जा सकता साथ ही निरक्षरता का प्रतिशत भी बढता ही जा रहा है तब विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्व-विद्यालयो क माध्यम से इस शैक्षणिक कायक्रम को बड पैमान पर प्रारम्भ किया। प्रत्यक विश्व विद्यालया स सम्बद्ध महाविद्यालयो को अपन केन्द्रो से सम्बन्धित प्रौढ शिक्षा केन्द्र इकाई मोहल्लेवार अधिकाधिक खोलने का प्रावधान रखा गया जिसमे प्राध्यापका व छात्र छात्राओ का पूर्ण सहयोग प्राप्त किया जा रहा है।

जसा कि कोठारी कमीशन (शिक्षा आयाग) न अपनी रिपाट म प्रौढ शिक्षा के लिए भारतीय परिवश म निम्न बाता को अभिमान्यता दी—

1 निरक्षरता का उन्मूलन
2 निरन्तर शिक्षा
3 पत्राचार पाठ्यक्रम
4 पुस्तकालय

5 प्रौढ शिक्षा मे विश्वविद्यालयो का योगदान

6 प्रौढ शिक्षा का सगठन एव प्रशासन[1]

उक्त छ मुद्दो को ध्यान म रखकर निरक्षरता उन्मूलन हेतु सारा राष्ट्र एकजुट होकर लग पडा हैं। निरतर शिक्षा की सुविधा हेतु खुले विश्वविद्यालय अथवा सतत् शिक्षा केन्द्र व पत्राचार पाठ्यक्रम भी प्रारम्भ किया है साथ ही पुस्तकालयों के माध्यम से सतत् शिक्षा म सहयोग की अपेक्षा है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 1970 के अपने सतत् शिक्षा कायक्रम मे, 1977 म विश्वविद्यालयो के योगदान म शोध एव अध्ययन के अतिरिक्त एक नये कायक्रम प्रसार को स्वीकृत किया। इसके सहयोग से यह अपेक्षा की गई कि सतत शिक्षा और प्रौढ कायक्रम म प्रसार के माध्यम स मदद ली जा सकती है अत विश्वविद्यालयो को शिक्षा प्रसार हेतु प्रौढ शिक्षा कायक्रम सौंपे गये। इस अवसर पर प्रधानमन्त्री श्री राजीव गाधी न अपने सदेश म कहा—' मुझे खुशी है कि हम राष्ट्रव्यापी स्तर पर एक वृहद साक्षरता कायक्रम शुरु करने जा रहे है, जिसम इसी साल गर्मियो की छुट्टियो म तीन लाख कालेज छात्र भाग लेंगे।"[2]

इस दृष्टि से शिक्षित युवक किसी भी देश का भाग्य विधान बदल सकता है। देश भर मे महाविद्यालय एव विश्वविद्यालय स्तर पर 35 लाख विद्यार्थी अध्ययनरत हैं जिसमे से दो लाख रासेयो छात्र छात्राओ की सहभागिता इस अभियान म रेखांकित की गई है। इतना करन के बाद भी एक अक्षर ज्ञान कर लेन वाले साक्षर के पास यह समस्या है कि उसने जो कुछ सीखा है पढा है उसे बनाये रखन के लिए सतत अध्ययन की सुविधा (ग्र थ अथवा पत्रिकाओ की) उसके पास उपलब्ध नही ह कि वे अपन पढे को स्थायी रख सकें। इसके लिए उन्हे वाचनालय केन्द्रो अथवा ग्रथालयो की नितान्त आवश्यकता होगी। अब तक महा विद्यालयो को जिन प्रौढो को साक्षर बनाने का काय सौपा गया है वे केन्द्र उन्हे साक्षर बनाकर छोड रहे ह, पर भविष्य म ज्ञान को अर्जित करते रहन जसी सामग्री प्रदान नही कर पा रहे है क्योकि कायक्रम मे प्रौढ साक्षरो को ग्र थालयो से जोड जाने का काय विश्वविद्यालय द्वारा निर्देगित नही है। फिर भी 'योजनाबद्ध तरीके से यह कायक्रम चलाया जाता ह तो 1986 87 मे अनुमानत 10–15 लाख प्रौढ ज्ञान एव साक्षरता पाने मे सफल होग।'

प्रौढो के लिए सतत शिक्षा व खुले विश्व विद्यालयो की सुविधा मे ग्र थालयो का योगदान—

यह तो एक कटु सत्य है कि एक बार किसी महिला अथवा पुरुष को अक्षर ज्ञान करा दिया गया हो, पढना सिखा दिया गया हो और अब वह बहुत कुछ पढने की लालसा रखता हो, किन्तु पठन-सामग्री की अनुपलब्धता के कारण उसके सपने पूरे नहीं हो रहे हो तो, एक लम्बे अरसे के बाद उसका पढा लिखा सपाट हो

जायगा। अत यह आवश्यक ही नहीं अनिवार्य है कि सतत् शिक्षा के लिये उनके अध्ययन की भूख को शांत करने के उपाय के रूप मे उसके क्षेत्र म मोहल्ले मे या शहर के प्रौढ शिक्षा केन्द्र ईकाई म साक्षरो के लिए प्रारम्भिक-साहित्य के ग्रंथ व प्रौढो की पत्रिकाओं के वाचनालय केन्द्र हो। यह कार्यक्रम है जो ग्राम पंचायत करें, नगर है तो नगर पालिकाये करें, शहर हो तो नगर परिषद करे और महानगर है तो महानगरपरिषदें करें। यदि ये संस्थायें यह कार्य नहीं करती है तो पंचायत विभाग समाज कल्याण विभाग, नहरू युवक केन्द्र अथवा समाज सेवी संस्थाये करे। अभी तक देखने म आया है कि प्रौढ शिक्षा केन्द्रो पर ग्रन्थालयों से ग्रन्थ प्रदान करने अथवा पढ़ने के लिए दिये जाने का कोई उपाय नहीं किये गये है।

ऐसी स्थिति म निरक्षरता अथवा सतत् शिक्षा की बात उन लोगो के लिये अधूरी छूट जाती है जो आगे कोई परीक्षा नही देना चाहते व्यस्त होकर भी पढने के इच्छुक है या आर्थिक कमजोरी के कारण ग्रन्थ अथवा पत्रिकायें खरीद कर नही पढ सकते पर पढन के लाभ से वंचित भी नही रहना चाहते ऐसे साक्षरो की शिक्षा को निरन्तरता प्रदान करने हेतु ग्रन्थालयो की उपयोगी भूमिका हो सकेगी।

दूसरी ओर वे प्रौढ साक्षर है जो परीक्षा देकर अपनी शिक्षा को आगे बढाना चाहते है जिन बच्चो ने बीच मे ही शिक्षा बन्द कर दी हो उन्हे आगे की शिक्षा को चालू रखने के लिए भी सरकार ने सतत् शिक्षा केन्द्र व खुले विश्वविद्यालयो की व्यवस्था कर रखी है।

इन खुले विश्वविद्यालयो से सीधे प्रौढो के लिए दूरदर्शन के माध्यम से पाठों का प्रसारण भी प्रारम्भ हो गया है। पत्राचार पाठक्रमो के द्वारा प्रौढो साक्षरो को शिक्षा के अवसर प्रदान कर जन शिक्षा के ये खुले विद्यालय निश्चित ही बहुत बडा उपकार कर रहे है।

परन्तु यहा प्रश्न यह उठता है कि टी वी के पाठ क्या भारतीय ग्रामीण प्रौढो नव साक्षरो की पहुँच तक उपलब्ध है। क्या पत्राचार मे सहायक सामग्री के रूप मे उपयोगी ज्ञान सामग्री को क्रय कर पढने की क्षमता उनमे है या कि देश विदेश म घटित होने वाले तत्कालीन घटनाक्रमो की जानकारी के प्राथमिक सूचना स्रोत (ग्रन्थ अथवा पत्र पत्रिकायें) उनके आसपास अध्ययन हेतु उपलब्ध है जिनसे वे अपना खाली दिमाग भर सके।

इस प्रकार की समस्या के समाधान के लिये राष्ट्रीय प्रौढ शिक्षा कार्यक्रम की ही तरह राष्ट्रीय ग्रन्थालय नेटवर्क कार्यक्रम को हाथ म लेना होगा ऐसा करने पर जब प्रत्येक गाँव, नगर शहर, जिला, राज्य व सम्पूर्ण देश मे ग्रन्थालयो का जाल फैल जाय तो गाव के ग्रन्थालयो से गाव के युवा बच्चे, प्रौढ एवं विद्यालय

रत सभी लडके लडकियाँ ज्ञानार्जन करेंगे । साथ ही सतत् शिक्षा के लिये साधन के रूप मे एक अध्ययन केन्द्र मिल जायेगा । खुले विश्वविद्यालयो मे प्रदान की गई सुविधाओ मे ग्रथालयो के माध्यम से पत्राचार पाठयक्रम की पुस्तको को पढाने का अवसर दिया जावें तो राष्ट्र के सारे नागरिक जो अर्द्ध साक्षर हैं व अधिक ज्ञान प्राप्त करेंगे तथा कम पढी लिखी योग्यता वाले पढकर परीक्षा देकर अधिक योग्य होंगे इस प्रकार देश मे छपने वाली पुस्तको का ज्ञान प्रदत्त करने की दृष्टि से उपयोग भी हो जावेगा और लोगो की जन शिक्षा से जुडी समस्याओ का समाधान भी निकल आयेगा ।

माना कि हमारे देश मे उक्त कार्यक्रमो, टी वी कार्यक्रमो, दूर सचार साधनो व कम्प्यूटर केन्द्रो से सीधा जोडकर एक विराट समस्या का अनायास उन्नतशील समाधान करने हेतु वैज्ञानिक साधनो का सहारा लिया जा रहा है, जो राष्ट्र के लिये जरूरी है । परन्तु यह बात निश्चित है कि ग्रथो पत्र-पत्रिकाओ मे एक साथ ढेर सारी जानकारी पायी जा सकती है जबकि टी वी और कम्प्यूटर एक साथ विभिन्न पाठको की अनेक रुचियो को एक ही समय मे अनेक जानकारियाँ देने मे सक्षम नही हो सकते है । तभी तो एक शोधार्थी ने प्रौढ शिक्षा साधनो की व्यवहारिक कमियो को बताते हुये लिखा है कि— सम्पर्क पाठयक्रम मुख्यत शहरो मे और कुछ स्थानो पर जिला केन्द्रो पर ही सचालित होते है । ग्रथालय सुविधायें तक अपर्याप्त हैं । वहा न कोई बुक बैंक है और ना ही सदर्भ सामग्री न कोई अध्ययन केन्द्र है और ना ही प्रयोगशालाओ की सुविधायें । प्रौढ शिक्षा का भारत मे क्या स्तर है उक्त पक्तिया इसकी वास्तविक छवि प्रस्तुत करती है और यह भी स्पष्ट है कि हमारे देश मे प्रौढ शिक्षा का भविष्य अपनी बुनियादी आवश्यकताओ से अपूर्ण है तब हमारे लम्बे चौडे तकनीकी व वैज्ञानिक कार्यक्रम कहा तक इनकी पूर्णता मे सहयोगी हो सकते है यह विचारणीय प्रश्न है ।

हालाकि जन शिक्षा का यह उत्तरदायित्व सिर्फ सरकार का ही नहीं है । इसे विकसित करने, जन प्रचारित और प्रसारित करने का दायित्व जनता का, जनसेवी सस्थाओ व क्लबो व सगठनो का भी है जिन्होने जन सेवा का बीडा उठा रखा है । सरकार ने जहा दूरदर्शन, उपग्रह प्रणाली कम्प्यूटर सिस्टम की सुविधा शैक्षणिक कार्यक्रमो के लिए प्रदान करें वहीं दूसरी ओर सार्वजनिक-ग्रथालयो, ग्रथालय विभागो, ग्रथालय सघ व सगठनो व ग्रथालय सेवाओ मे लगे व्यक्तियो ने प्रौढ शिक्षा आन्दोलन के यज्ञ मे जनता के साथ मिलकर प्रौढ शिक्षा कार्यक्रम में जिन साधनो (ग्रन्थ, पत्र पत्रिका) का अभाव है उनकी पूर्ति की व्यवस्था करें अथवा इन साधनों के लिये व्यापक आन्दोलन चलाकर लोगो मे अध्ययन के प्रति रुचि को जगाने ताकि सतत् शिक्षा की शृखला मे ज्ञानार्जन की सतत् प्रक्रिया निरतर चलती रहे।

सदर्भ —

1 शिक्षा ग्रायाग (1964 66) प्रौढ शिक्षा पृ 485 रिपोट

2 प्रौढ सतत् शिक्षा एव विस्तार कायक्रम मासिक परिपत्र, सागर, डा हरीसिंह गौर विश्व विद्यालय, 2 जून 1986 ग्रक 6

3 प्रौढ सतत् शिक्षा एव विस्तार कायक्रम मासिक परिपत्र, सागर, डा हरीसिंह गौर विश्व विद्यालय, 2 जून 1986 ग्रक 6

4 जैन (हुकुमचन्द) कार्यात्मक साक्षरता के लिये जन ग्रान्दोलन, प्रौढ सतत् शिक्षा एव विस्तार कायक्रम केन्द्र के मासिक परिपत्र से सागर, डा हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय वष, 2 ग्रक 6 जून 1986

5 Bal Subramaniam (Saraswati) spicial issues on National Confrence on distance Eduction in University News, Delhi, Vol XXIV, No 42 Nov 8 1986 P 14

8

कृषकों के लिए पुस्तकालयों का उपयोग

कृषि प्रधान भारत का नया परिवेश का कार्य स्वाधीनता के बाद प्रारम्भ हुआ। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पूर्व तक ग्रामीण भारत का जन-जीवन बड़ी अनिश्चितता, अन्याय, शोषण व गरीबी मे चल रहा था। सम्पूर्ण देश म अशिक्षा निर्धनता व पिछड़ेपन का साम्राज्य था। अंग्रेजों ने देश को काफी क्षति पहुँचाई थी अतः नये भारत का नये रूप मे संवारने का बीड़ा हमारे भारती पुत्रों ने उठाया।

देश की जनता को सर्वप्रथम साक्षर बनाने के लिए योजना काल मे शैक्षणिक विकास कार्यक्रम गाव गाव शहर शहर चलवाये, सामुदायिक विकास कार्यक्रम व कृषि उन्नति के अभियान सम्पन्न किए। इन सभी कार्यक्रमों के पीछे राजनेताओं का एक ही उद्देश्य था कि देश के विकास के लिए जनता को शिक्षित जागरूक व प्रजातान्त्रिक व्यवस्था के अनुकूल बनाया जावे। 'स्वतन्त्र भारत म कर्णधार इस बात को भली भांति समझ चुके थे कि देश की उन्नति, विकास, कल्याण तथा सुरक्षा के लिए देशवासियों का शिक्षित होना अति आवश्यक है अन्यथा अपने अविवेकपूर्ण कार्यों से वे देश की रक्षा नहीं कर सकेंगे।'[1] अतः समाज शिक्षा के रूप म गावों को प्रौढ़ शिक्षा पाठशालाओं से जोड़ा गया। समाज शिक्षा म सहयोग प्रदान करने के लिए प्रौढ़ साहित्य और जनसाहित्य की रचना की गई समाज केन्द्रो, पुस्तकालयो, वाचनालयों और जनता कालेजों की बड़ी संख्या म स्थापना की गई।[2]

प्रथम एवं द्वितीय पंचवर्षीय योजनाकालों मे ग्रामीणों की साक्षरता के काफी अच्छे प्रयास किये गये। "इस समय तक सार्वजनिक पुस्तकालय का सामान्य शिक्षा के एक सजीव माध्यम तथा एशियाई देशों की सांस्कृतिक मुक्ति अपरिहार्य विशिष्टता के रूप म मान्यता प्राप्त हो चुकी थी।'[3]

प्रौढ़ शिक्षा मे पुस्तकालयों की उपयोगिता को देखते हुए भारत सरकार ने 1954 म सार्वजनिक ग्रन्थालयों के विस्तार हेतु पुस्तकालय सलाहकार समिति का गठन किया। इस समिति ने 1958 मे अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। इस प्रतिवेदन म ग्रन्थालय सम्बन्धी व्यापक सिफारिशें प्रस्तुत की गई जिनमे से कुछ प्रमुख इस प्रकार से है।

1 देश के प्रत्येक नागरिक के लिए पुस्तकालय सेवा निःशुल्क होना चाहिए।

2 सावजनिक पुस्तकालय सरचना का देश मे इस प्रकार का स्वरूप होना चाहिए—राष्ट्रीय पुस्तकालय, राज्य केन्द्रीय पुस्तकालय, प्रखण्ड पुस्तकालय और पचायत पुस्तकालय ।

3 राज्य सरकारा का चाहिए कि वे सावजनिक पुस्तकालय सेवा के प्रति अपने दायित्वो को स्वीकारे ।

4 देश मे पुस्तकालय प्रणाली के निर्माण एव इसकी पूर्ण व्यवस्था के लिए भारत सरकार और राज्य सरकारो का एक 25 वर्षीय पुस्तकालय विकास योजना चलाना चाहिए ।

5 राज्य सरकार एव भारत सरकार को क्रमश एक व्यापक राज्य पुस्तकालय कानून तथा केन्द्रीय पुस्तकालय कानून पारित करना चाहिए ।

इस तरह सावजनिक ग्रन्थालय सेवा के विकास कार्यो का निरन्तर पचवर्षीय याजनाओ मे तीव्रतर विकास होना चाहिए था ताकि पुस्तकालय सुनियोजित और सुसगठित शिक्षा प्रणाली के महत्वपूर्ण अग बन सके । भारत सरकार ने इसी उद्देश्य से पुस्तकालय सलाहकार समिति की स्थापना की। इस समिति ने जो सर्वेक्षण किया उसमे सावजनिक ग्रन्थालया की दश म यह स्थिति पायी । 'जहा तक सावजनिक पुस्तकालया पर व्यय की बात है। 1963-64 म राज्यो ने केवल 3 पैसे प्रति व्यक्ति की दर से खच किया जो उस वप राज्य सरकारो द्वारा शिक्षा पर व्यय किये गये घनराशि यानि प्रति व्यक्ति 6 40 रुपये के 1/213 भाग के बराबर पडता है। देश मे 1 जनवरी, 1965 को सावजनिक पुस्तकालयो की स्थिति निम्न प्रकार थी ।"[4]

क्र स	सावजनिक पुस्तकालय प्रणाली	सख्या वप	कितने	प्रतिशत
1	राष्ट्रीय पुस्तकालय	1	पूरे देश के लिए	
2	राज्य केन्द्रीय पुस्तकालय	12 राज्य	16 राज्य	75%
3	केन्द्रीय पुस्तकालय	5 केन्द्रशासित	9 केन्द्र	55%
4	जिला पुस्तकालय	205 जिला	327 जिला	63%
5	प्रखण्ड विकास पुस्तकालय	1394 प्रखण्ड	5223 प्रखण्ड	27%
6	ग्राम पुस्तकालय	28317 ग्राम	566878 ग्राम	5%

समिति द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त आकडो को देखते हुए 5 लाख 66 हजार 878 ग्रामो मे सिफ 5% यानि 28 हजार 317 गावो म ग्रथालय का होना 70% ग्रामीण भारत की जनता के लिए सतोषप्रद व्यवस्था का प्रतीक नही है। फिर भी अशिक्षा, निधनता और बेकारी के विरद्ध निरन्तर सघप जारी है। किमाना

को (ग्रामीणों) पारिवारिक सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एव राजनैतिक परिस्थितिया म बदलाव लाने के उद्देश्य से सरकार ने ग्रामीण पुनर्निमाण योजनाए, समग्र-ग्राम विकास प्राधिकरण, 20 सूत्रीय कायक्रम, कृषि विकास कायक्रम इत्यादि को लागू कर ग्रामा की काया को नया रूप देने का सफल प्रयास किया गया है। इन सब कायक्रमो व योजनाओ के लागू होने ग्रामीणो के बीच जो वैचारिक समानता बौद्धिक उच्चता व समझ का वातावरण दृष्टिगोचर होना चाहिए वह नही हो पाया है।

आज विज्ञान एव तकनीकी आविष्कारो न कृषि उद्योग, स्वास्थ्य पशुपालन एव ग्रामीण प्रौद्योगिकी मे इतनी उन्नति कर ली है कि, विज्ञान की करामातो ने खेती व गृहस्थी के कार्यो को अधिक उन्नतिशील व समृद्ध कर दिया है। आज गाव शहरो की संस्कृति सभ्यता व रहन सहन के सम्पक मे आकर निश्चित ही आधुनिकता की गिरफ्त म आ चुका है, फिर भी ग्रामीण प्रगति मे हुई आशातीत वद्धि के चरणो से वह आज भी अनभिज्ञ बना हुआ है। गाँवो का खेतिहर किसान व मजदूर वैज्ञानिक उपलब्धियो का अपने जीवन मे उपयोग कर सुखी तो है, परन्तु इसके ज्ञान स अछूता होकर रह रहा है। भारत के ग्रामीण किसानो क पास आज जहा विज्ञान की दी हुई घडिया, रेडिया, टी वी फ्रीज ट्रैक्टर्स, स्कुटस खाद, रसायन, बीज स्वास्थ्य सुविधायें व पशु प्रजनन व पशु पालन की नवीन विधिया उपलब्ध करा दी गई है वही उनम अध्ययन, चिन्तन सास्कृतिक व साहित्यिक चेतना की कमी दृष्टिगोचर हो रही हैं। आज का किसान कृषि स्वास्थ्य, उद्योग व्यापार व तकनीकी साहित्य के अभाव मे पूरे समय गाव के सरकारी अधिकारियो के सुझावो पर निभर रहते हैं। कृषि क्षत्र मे जो भी नई-नई तकनीकी होती है उनस ग्रामीण जन तभी परिचित हो सकते हैं जबकि उन्ह कृषि साहित्य के ग्रन्थो, पत्र-पत्रिकाओ को पढ़ने का सौभाग्य मिले। दुर्भाग्य से यह अवसर अभी देश के शेष (उपरोक्त सारणी के अनुसार) ग्रामो को नही मिल पाया है जहा एक ओर विकसित पद्धतियो द्वारा आधुनिक जीवन शैलिया न ग्रामो मे प्रवेश पा लिया है वही यदि ग्राम की ग्राम पचायतो म ग्रामीण-पुस्तकालयो की व्यवस्था हो जावे तो कृषक अपनी वैचारिक-प्रगति मे भी पीछे नही रह सकेंगे। ग्रामीण पुस्तकालयो से होने वाले लाभों से ग्राम के युवा शिक्षित यदि अशिक्षित लोगो को परिचित करवा दें तो हम यह महसूस होगा कि ग्रन्थालय विहीन ग्राम आज किस तरह अपनी मानसिक-गुलामी का भोग रहे है और यदि उन्ह ग्रन्थालयों की सुविधा प्राप्त हो जाये तो वे किस प्रकार अपने व्यक्तित्व की अपनी कृषि सम्बन्धी, अपने जीवन-स्तर, स्वास्थ्य एव भोजन सम्बन्धी तथा राष्ट्रीय विकास की गतिविधियो म अपना मूल्यवान सहयोग देकर और भी अधिक तरक्की कर सकत हैं कृषको को पुस्तकालयो के उपयोग की आवश्यकता क्या है और इनके होने स उन्हे क्या-क्या लाभ हो सकते हैं उनका हम विवेचन निम्नानुसार करेंगे।

(1) **भारतीय संस्कृति सबोध का परिचय**—आज का ग्रामीण जो मूलत कृषक जीवन व्यतीत कर रहा है अपने ही देश के अन्य समाजो, सस्कृतियो धम

रीतिरिवाजो व लोक साहित्य सम्पदाओ से अपरिचित है। ग्रामीण को यह बात नही है कि जम्मू कश्मीर, बगाल, बिहार, केरल व मद्रास की सस्कृति धम कैसा है लोग कैसे ह क्या भाषा बोलते है और कैसे रहते है, उनका व्यवसाय व शिक्षा दीक्षा क्या है। उक्त साम्स्कृतिक अवचेतना का ग्रामीणो मे होने का मूल कारण है, इन पर प्रकाशित होने वाले ग्रथो का ग्राम पुस्तकालयो तक न पहुँचना। ग्राम पचायतो के ग्रथालयो मे यदि ग्रामीण जनता को देश म प्रकाशित होन वाले विभिन्न धर्मो, सस्कृतियो व प्रादेशिक प्रगतियो से परिचित करान वाले ग्रथ व पत्र-पत्रिकाएँ उपलब्ध हो तो किसान, भारत म फल-फूल रही विभिन्न सस्कृतियो के बार म, उनके धम, खान पान व उनकी उन्नति से परिचित हो सकत है। और सस्कृति सबोध पा सकत है। डॉ श्रीनाथ सहाय ने सावजनिक ग्रथालयो के पास हमारे नागरिको को पढन के लिए ग्रथो की उपलब्ध सख्या क बारे मे लिखा है कि "पुस्तको के भण्डार की दृष्टि से भारत म सावजनिक पुस्तकालयो के पास 00 व्यक्तियो पर एक पुस्तक होती है।"[5] यह सख्या सस्कृति सबोध का ज्ञान कराने की दृष्टि से अत्यल्प है। पुस्तके सस्कृतियो की सवाहक होती है मानव इतिहास का दपण होती है अत विभिन्न विषयो की पुस्तको से युक्त ग्रामो के ग्रथालय कृषको के लिए साम्स्कृतिक आदान प्रदान के केन्द्र व बौद्धिक उत्पादकता के उपा-दान हो सकत है। सस्कृति-सगम के रूप म ग्रामो के ग्रथालयो को विकसित करना राष्ट्र की समृद्धि के लिए आवश्यक होगा अत इनकी उपयोगिता को समझा जाना अत्यावश्यक है।

(2) खाली समय का सदुपयोग—ग्रामीण कृषको एव कृषक परिवारो के पास अपन कृषि काय व खेती गृहस्थी के कामो के बाद काफी समय बठ ठाल व्यतीत हो जाता है। प्रमुख रूप से ग्रीष्म, वषा व ठण्ड की ऋतुओ म कृषको व खेतीहर मजदूरो को काम से लौटने के बाद काफी समय मिलता है जिसका उपयोग ग्रथालयो मे जाकर अच्छे अच्छे ग्रथो को पढने व ज्ञान बढान मे किया जा सकता है। एक समय था जब फुर्सत के समय ग्राम-वासी अपने आपको भजन कीतन, रामायण वाचन व कथा कहानी सुनने सुनाने मे व्यस्त रखा करत थ। आध्यात्मिक व धार्मिक प्रवृत्तियो मे लग ग्रामीणो को भी अब आधुनिकता से पनपी शहरी चकाचौंध व वैज्ञानिक प्रगति ने अपने पूव कृत्यो से विमुख कर दिया है। आज कल ऐसे काय कलाप म लोग ज्यादा दिलचस्पी नही रखत। किसान अपन काम यत्रो की सहायता से तथा आधुनिक उपकरणो के द्वारा जल्दी पूरा कर लत ह। अत आराम का समय पहले से काफी अधिक मिलता है। उनके समय के सदुपयोग के लिए उचित मागदशक की आवश्यकता आज और भी ज्यादा है। नही तो खाली समय को लोग उपयोगी तौर पर गुजारने के बदले उस बुरे कामो म नष्ट करते है। जनता खासकर ग्रामीण जनता को इस प्रकार गलत माग अपनाने से बचाने के लिए पुस्तकालय प्रभावशाली काय कर सकत हैं।'[6]

(3) दनिक जीवन मे उपयोगी साहित्य का अध्ययन—कृषक जितना कर्म (अनुभवी) होता है उतना पढ़ा नही होता फिर भी अनुभव के साथ साथ उसे उपयोगी विषयो के साहित्य का अध्ययन करने को मिल जाये तो शायद उसके जीवन और उसके कार्यों म चार चाद लग जाये, वह धन्य हो उठे। श्रम ने यदि उसे अनुभव म श्रेष्ठ बनाया है तो ग्रन्थ उसे अध्ययन व ज्ञान मे परिपक्व बना सकते है। अभी तक स्वास्थ्य की दृष्टि स वह जडी बूटियो, पेड-पौधो का दवाइयो के रूप म उपयोग करता आया है तो अब अनेक बिमारियो के प्रारम्भिक प्रकोपो से ही भयभीत है ऐसी स्थिति मे यदि घरेलू उपचार प्राथमिक चिकित्सा या प्राकृतिक चिकित्सा अथवा फल-फूल व सब्जियो द्वारा चिकित्सा की जानकारी उस स्थानीय पुस्तकालयो के रखे चिकित्सा सम्बन्धी ग्रन्थो से मिल जाती है तो वह बिमारी के प्रारम्भिक लक्षणो को जान प्रारम्भिक चिकित्सा का उपाय कर सकता है।

रोगो के फैलन के कारणो व उनसे बचने के उपायो का अध्ययन कर वह अपने परिवार को बचा सकता है। पशु बिमार हो गये हो या गाय भैंस दूध कम दते हो। फसलो म कोई रोग हो गया हो या खाद व रासायनिक उवरको को खेत मे डालने की सही विधि ज्ञात करना हो तो वह ग्र थालय मे उपलब्ध कृषि-साहित्य पशुओ की बीमारी और घरलू उपचार सम्बन्धी ग्रन्थादि को पढकर स्वय उनका निदान कर सकता है।

घर व खेती मे उपयोग मे लाये जान वाले कृषि यत्रो, मोटर, वाहन व बिजली उपकरणो को ठीक करने के लिए भी ग्रन्थालय मे सग्रहित ग्रन्थो से सुधारन की कला सीख सकते है। कहने का तात्पय यह है कि ग्रामीण पुस्तकालयो मे वह सभी साहित्य उपलब्ध हो जो दनिक जीवन को सवारने सजाने मे मदद करें, साथ ही कृषक जीवन की कठिनाइयो को दूर करने मे मदद करें। ऐसे साहित्य स भर भण्डार का सदुपयाग कर कृषक स्वय सिद्ध हो सकने म सफल हो सकते ह।

(4) धम, राजनीति व राष्ट्र से रूबरू होना—ग्रामीण जीवन आज भी धार्मिक आस्थाओ म जी रहा है, परन्तु अपन ही धम की परिधि का उसे पूर्ण ज्ञान नही है। अपन धम के साथ दूसरे धर्मो से तालमल बिठाने का अवसर उसे ग्रन्थालय म सग्रहित अनेक धम ग्रन्थ पुस्तको के अध्ययन स मिल सकता है। धर्मों की वास्तविकता स रूबरू हान का अवसर ग्रन्थालय दे सकते ह। धम से राजनीति का क्या सम्बन्ध है और देश की ताजा राजनीति मे देश हित म क्या-क्या परिवतन हो रहे ह इसकी जानकारी क लिए देश विदेश के प्रकाशित पत्र पत्रिकाओ के अध्ययन से लाभ होता है। प्रजातत्र प्रणाली म जागरूक नागरिक के क्या अधिकार तथा कत्तव्य है, राष्ट्रीय विकास म उसकी क्या भूमिका है, चुनाव प्रक्रिया की वास्तविकताएँ क्या है न्याय प्रणाली, कायपालिका व प्रशासनिक व्यवस्थापिका क्या है आदि बातो की जानकारी भी ग्रन्थालयो मे जाकर मिल सकती है। राष्ट्र म चल

रही सभी प्रकार की गतिविधियों से परिचित होने के लिए ग्रन्थालय वाचनालय म आने वाली, पारिवारिक सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक धार्मिक व शैक्षणिक-विम्म की पत्रिकाओं स व्यवस्थित जानकारी प्राप्त हो सकती है। उद्योग व्यापार, कृषि व घर-बार की हलचलों का भी पता पत्र पत्रिकाओं के अध्ययन से लग सकता है। उपयुक्त सभी सुविधायें दिलाने म ग्राम पचायतो को जिला ग्रन्थालयो व प्रखण्ड पुस्तकालयो को मदद करनी चाहिए।

(5) स्वाध्याय व सतत-अध्ययन से ज्ञान अभिवृद्धि—शिक्षा एक जीवन पर्यन्त प्रक्रिया है जो आजीवन चलती रहती है और औपचारिक रूप से ली जाने वाली शिक्षा की पूर्ति म मदद करती है। इस प्रकार की सतत् शिक्षा के अवसर सार्वजनिक ग्रन्थालयो स प्राप्त किए जा सकते हैं। आज देश के प्रत्येक गावो म शिक्षा की व्यवस्था हो गई है। जो लोग पहले से साक्षर है, जिन्होंने बीच मे पढाई छोड दी है और जो नव साक्षर बनकर अपनी शैक्षणिक प्रक्रिया को जारी रखना चाहते हैं व ग्रामीण ग्रन्थालयो म जाकर प्रौढ शिक्षा केन्द्रो म भर्ती होकर अपने शैक्षणिक पिछडेपन को दूर कर सकते है। बिना स्कूली शिक्षा के भी स्वाध्याय द्वारा अपनी शैक्षणिक प्रगति को बढा सकते हैं। लोक ग्रन्थालय स चे अर्थो म जनता के खुले विश्वविद्यालय है जहा जाकर ग्रामीण स्त्री पुरुष व बच्चे सभी ज्ञानार्जन कर सकते है। "प्रौढ व्यक्ति जीवन के सभी पहलुओं का ज्ञान पाना चाहता है अत उन्हे एसी सरल भाषा के ग्रन्थ भी उपलब्ध कराये जाने चाहिए जिन्हे पढकर वे अपनी जिज्ञासा को शान्त कर सकें। यह काम सिर्फ ग्रन्थालयो द्वारा ही सभव हो सकता है।"[7] गावो में ऐसे ग्रन्थालय पचायतो व प्रौढ शिक्षा केन्द्रो से सम्बद्ध होकर ग्रामीण जनो का ज्ञान अभिवृद्धि मे सहायक होते है व होने चाहिए।

(6) सामदायिक व सास्कृतिक हलचल का केन्द्र—ग्राम पुस्तकालयो मे जब गाव की ही अनेक बिरादरी व समुदाय के लोग पहुचते है, तो उनका एक सामुदायिक सगठन कायम हो जाता है। उनमें एकता सदभाव व सहयोग की भावना जन्म लेती है। ग्रन्थालय में बैठकर विभिन्न ममलो पर जब चर्चा करते हैं तो उन्हे एक नया मार्ग मिलता है। नये मार्ग को प्रशस्त करने में ग्रन्थपाल ग्राम जनो को मदद करते हैं। जब कभी मेले उत्सव अथवा पुस्तक प्रदर्शनी या भाषण गोष्ठी, खेलकूद के समारोह आयोजित किये जाते हैं और उनमें ग्रामवासी अपने अपने धर्म समुदाय व जाति के सास्कृतिक व मनोरजनात्मक कार्यक्रम प्रस्तुत करते है तो उन्हे अपनी सस्कृति पर गर्व होता है। जब एक ही स्थान पर अनेक सस्कृतियो का जमघट होता है तब सास्कृतिक एकता के बीज प्रस्फुटित होते है। ये ही सास्कृतिक एकता के बीज राष्ट्रीय एकता को शक्तिशाली बनाने मे मदद पहुचाते है। ग्रामीणो को भी गर्व होता है जब वे बिना किसी भेदभाव के ग्रन्थालयो द्वारा आयोजित कार्यक्रमो में एकजुट होकर भाग लेते है और उसे सम्पूर्ण मनोयोग से सफल बनाते है।

उपरोक्त सभी प्रकारो से ग्रामीण कृषक और उनके परिवारो खेतीहर मजदूरो, युवको व बच्चा के बौद्धिक विकास में ग्रन्थालय अपनी उपयोगी भूमिका निभाते हैं। ग्राम पुस्तकालया के उपयोग से गावा मे फैलने वाली सामाजिक व्याधियो मे बचा जा सकता है। बुरी आदता अपराधवृत्तियो व लडाई झगडो से दूर रहा जा सकता है। इन कुसस्कारा से भविष्य की पीढी को बचाकर उन्हे सुसस्कारित करने में ग्रन्थालया का साहचय भी लाभप्रद सिद्ध होगा।

सन्दर्भ सामग्री—

1 चौबे (सरयूप्रसाद) भारतीय शिक्षा की समस्यायें, आगरा, विनोद पुस्तक मन्दिर पृष्ठ 120।
2 चौबे (सरयूप्रसाद) भारतीय शिक्षा की समस्यायें, आगरा, विनोद पुस्तक मन्दिर पृष्ठ 125।
3 सहाय (श्रीनाथ) पुस्तकालय एव समुदाय, पटना, बिहार हि भ अका पृष्ठ 58।
4 सहाय (श्रीनाथ) पुस्तकालय एव समुदाय, पटना, बिहार हि भ अका पृष्ठ 58।
5 सहाय (श्रीनाथ) पुस्तकालय एव समुदाय, पटना, बिहार, हि ग्र अका 1980, पृष्ठ 69।
6 बगरी (एन डी) भारतीय ग्रामो मे पुस्तकालय लेखक की पुस्तक, पुस्तकालय पद्धति इलाहाबाद, नीलम प्रकाशन, 1973, पृष्ठ 5।
7 कालभोर (गोपीनाथ) सतत् शिक्षा के लिए ग्रन्थालय, साहित्य परिचय (मा) आगरा, विनोद पुस्तक मन्दिर पृष्ठ 5।

———

9

युवा कृषक मन और पुस्तकालय प्रसार

सामुदायिक विकास एवं पंचवर्षीय योजनाओं ने भारत को पिछले बीस वर्षों में कृषि, शिक्षा, उद्योग, व्यापार, विज्ञान एवं टक्नालाजी में बहुत कुछ आत्म-निर्भर बनाया है। शिक्षा जिसे राष्ट्रीय विकास की आधारशिला माना जाता है, देश में विशाल पैमाने पर फैली, लेकिन जनसंख्या की बढ़ती हुई दर के कारण साक्षरता का औसत स्तर बढ़ने की बजाय गिरता गया, बेरोजगारी फैलती गयी। शासन ने शिक्षित बेरोजगारों के लिए अप्रेन्टसशिप योजना, उद्योग ऋण व कृषि ऋण की सुविधा प्रदान की किन्तु समस्याओं का हल नहीं निकल सका। बेरोजगारों की संख्या बढ़ती ही जा रही है।

ग्रामीण शिक्षित युवा वर्ग पिछले दस वर्षों से शहर की ओर दौड़ रहा है। खेती भाग्य भरोसे जो उत्पादन दे रही है वही बहुत है। किसान के बच्चों को पांच आठ कक्षा तक की पढ़ाई ने बौद्धिक स्थिरता प्रदान नहीं की और न ही सुधरी खेती के तरीकों से वे अवगत हो पाये। शहरी जिन्दगी के सम्पर्क ने उनके रहन-सहन, खान पान एवं मनोरंजन के दृष्टिकोण को बदल दिया है। संगठित परिवारों में विघटन हो रहा है, पुरानी प्रथायें टूट रही हैं जमीन के छोटे छोटे टुकड़ों का भी बँटवारा हो रहा है।

वर्तमान वैज्ञानिक प्राद्योगिकी, सघन कृषि कार्यक्रम के युग में जब उसने अपनी कृषि को दुनिया का सबसे श्रेष्ठ कार्य एवं सुखी जीवन का आधार बनाया है तो उसे अच्छे कृषि साहित्य, उद्योग समाचार साहित्य ज्ञानवर्धक एवं मनोरंजनात्मक साहित्य की नितान्त आवश्यकता है। कृषक युवकों का ध्यान शहरी रुझान के साथ-साथ देश की राजनीति में भी बढ़ता जा रहा है। उनके पठन की मनोवृत्ति ने समाचार-पत्रों कृषि एवं मनोरंजन सम्बन्धी पत्रिकाओं के स्थान पर जासूसी एवं अश्लील साहित्य की पुस्तकों को अपना बौद्धिक स्तर बढ़ाने का साधन बना लिया है। युवकों के चारित्रिक एवं बौद्धिक विकास के साथ ही औद्योगिक व कृषि विकास से सम्बन्धित साहित्य सामग्री उपलब्ध न होने से उनका मानसिक स्तर रुका होता है एवं वे अपनी परम्परागत कृषि को ही महत्त्व देकर तसल्ली कर लेते है।

हम जानते हैं कि देश में अभी भी पूरी जनसंख्या का चालीस प्रतिशत भाग ही साक्षर है। साठ प्रतिशत लोग आज भी पूर्णत शिक्षित नहीं है। ग्रामीण भारत में जिन योजनाओं का विकास प्रथमावस्था में दशक की गति से गाँव नगर,

शहर, जिला सभाग प्रदेश एव दश के क्रम मे होना चाहिये था वह सवप्रथम शहरो से प्रारम्भ हुई और गावा तक पहुँची भी नही थी कि मानवीय दुगु णा की क्रूर चपट मे आनी गयी। गांधीजी का कहना था "हम गावो से शहर की ओर बढना ह गावा म ही सवप्रथम, शिक्षा, कृषि विनान एव उद्यागा की प्रयोगशालाओ का निमाण करना है । किन्तु यह नही हुआ। आज तक जा भी योजनाएँ, परियोजनाए क्रियान्वित की गई उनका केन्द्र शहरा को बनाया गया और उनके आसपास के दस-बीस गावा का ही अपन कायक्षेत्र के अन्तगत लिया गया और वर्षों तक इनम प्रयोग चलत रह। इसलिए विकास याजनाएँ गावा की तकदीर व तस्वीर नही बदल सकी। प्रौढ शिक्षा एव साक्षरता कायक्रम काफी समय पहले शुरू हुए थे किन्तु साक्षरता का औसत स्तर चालीस प्रतिशत से अधिक नही हो सका। जो कुछ सुविधाए जुटायी गयी व अस्सी प्रतिशत ग्रामवासियो के हित मे न होकर बीस प्रतिशत शहरी क्षेत्रो मे ही बँटकर रह गई।

गाधीजी तो भारत की आत्मा गावा का मान चुके थ। अत उन्होने सहकारिता की भावना गावा म काय करने को बताया था। इसी के अनुरूप देश मे सहकारिता आन्दालन, प्रशिक्षण समितिया एव सहकारी शिक्षा परियोजनाओ का निमाण हुआ था। साग समितियो से ग्रामीणा को लाभ पहचाना था। 1952 म पुस्तकालय वितरण अधिनियम एव ग्रामीण पुस्तकालय विकास काय क्रम से ग्रामीण जनता म अध्ययन को प्रोत्साहन देन एव उनके बौद्धिक स्तर को विकसित करन का प्रयत्न हुआ था लेकिन यह शिक्षा प्रसार काय भी सिफ जिला ग्रन्थालया तक सीमित रह गया। नेहरजी का कहना था कि ग्राम पुस्तकालयो का जाल बिछा दिया जाना चाहिए ताकि कोई भी व्यक्ति अशिक्षित न रहे और पढने स वचित न हा सक। ग्राम पचायतो ने पुस्तकालय-व्यवस्था पर कोई ध्यान नही दिया और न ही शासन ने।

वतमान भारत का शिक्षित युवा कृषक अब अज्ञान के अ धकार मे निकल रहा है शहरी चकाचौंध को अपने चारो तरफ देखना चाहता है, ग्रामीण औद्योगीकरण, कृषि विकास काय, तकनीकी प्रशिक्षण एव अनुसधान काय की ललक उसके मस्तिष्क मे कौध रही है। सहकारी शिक्षा परियोजनाएँ जो विभिन्न प्रान्ता म प्रारम्भ की गयी ह, युवा कृषक विकास का सराहनीय काय है। इसक द्वारा युवा कृषको को भूमि परीक्षण, खाद का सही उपयोग-पौधे व फसल सरक्षण कीटनाशक दवाओ का प्रयोग, पशु रोगा की जानकारी मुर्गी, भेड-बकरी पालन सूअर-पालन उद्योग, कुटीर उद्याग एव सुधरे हुए कृषि औजारा एव उन्नत बीजो के चुनाव का प्रशिक्षण दिया जाता है। इसका की ग्राम विकास योजना बका की कृषि विकास सहायता कृषि एव अनुसधान आयाग की सर्वेक्षण एव अनुसधान प्रक्रिया सभी ग्रामीण विकास मे आशिक रूप स सहायक हो सकती ह लेकिन किसान की मानसिक शान्ति केवल धम म ही नही हागी और

न ही लम्बे चौडे प्रशिक्षण मात्र से। आज का युवा कृषक अन्धानुकरण का आदी नही है, वह किसी भी काय को करने या अमल मे लाने मे पहले उसके बारे मे जानना, अध्ययन करना एव मनन करना चाहता है, तदोपरान्त वह उसका क्रियान्वयन चाहता है।

सैद्धान्तिक रूप से थोप गये कार्यो से कृषि क्षेत्र मे तरक्की के आसार कम नजर आते हैं। युवा कृषको को दिये जाने वाले प्रशिक्षणो के व्यावहारिक पक्ष का जहा तक प्रश्न है वह कृषि विकास म निश्चित ही सहायक है किन्तु सैद्धान्तिक दृष्टि से कृषि साहित्य की कमी उनके सफल कृषि प्रयोग मे विघ्न पैदा करती है। अत जिस विषय म युवको को प्रशिक्षण दिया जाना है उस विषय म विस्तृत कार्यक्षेत्र, शोध एव अनुसधान सुविधा, खोज व परिवतन सम्बन्धी साहित्य पढने की सुविधा युवा कृषको के लिए हो तो वे उक्त योजनाओ, विकास कायक्रमो का सही लाभ लेकर व्यावहारिकता मे उपयोगी बना सकते है। कुछ वष पूव सारे देश मे नव युवका मण्डलो का गठन किया गया था। जिसमे नव युवको एव कृषको की खेलकूद, सगीत नाटक, कला एव अध्ययन सुविधाएँ प्रदान की गयी थी। पचायतो की निष्क्रियता की निष्क्रियता से न खेल के मैदान बने, ना नाटय मण्डलिया जीवित रही और न ही युवको को पुस्तकालयो का लाभ मिल सका। इसका प्रमुख कारण गावो मे दलगत राजनीति का होना रहा। कुछ प्रयोग व्यावहारिक रूप से अपूण रहे और कुछ सैद्धान्तिक रूप से असफल रहे। हम यह अच्छी तरह जानते है कि शिक्षक अपने विद्यार्थियो को सिर्फ कक्षा मे पढा ही सकते है लेकिन अगर वह पुस्तको की पहुँच से दूर रखे या पुस्तको को पढाने की सुविधा उसे नही मिले तो वह कैसे अपने गुणो का परिचय दे पायेगा उसे अध्ययन के दौरान पुस्तको का सहारा लेना ही पडेगा। ठीक यही हाल उन युवा कृषको का है जिन्हे उन्नत कृषि करना है, मशीनो का उपयोग करना है उद्योग धन्धो को चलाना है किन्तु उचित माग दशन एव विषय साहित्य के अभाव म असमथ है। उद्योग एव कृषि अनुसधान काय की जिज्ञासा अपूण रह गयी तब युवा मन कहाँ भटकेगा क्या करेगा।

आज मजदूर, किसान युवा विद्यार्थी-सभी को किसी काय को करने के पूव उसकी अधिकाधिक जानकारी हासिल करना आवश्यक हो जाता है। तकनीकी ज्ञान की कमी एव यथोचित साहित्य की अनुपलब्धि मे युवा कृषक यह नही जानता कि क्या करना है। जिसने पढा ता है लेकिन आत्मसात नही किया दुविधा म फँस जाता है। गाँव म पुस्तकालय सुविधा भी नही होती कि वे हल ढूँढ सके। कृषि काय छोडकर शहर जाकर कृषि विशेषज्ञो या जानकार अधिकारियो से भी वह मिल नही पाता है। ऐसे अवसर पर युवको को अपनी अधूरी शिक्षा, अपूण व्यवस्था एव अविकसित क्षेत्र पर क्षोभ होता है। यह एक अभिशाप ही है कि वे इस तरह शिक्षित होकर भी अशिक्षित होकर ह अविकसित रह और फिर भी सफल होने की कोशिश म मेहनत करें और भूखा मरें।

शिक्षा का ले तो दखेंगे कि देश के प्रत्यक व्यक्ति को साक्षर करने का भरमक प्रयास चल रहा है यह निहायत जरूरी है। गाव-गाव म सहकारी समितियाँ कृषि सवा केन्द्र, कृषि अनुसधान एव विकास केन्द्र लघु एव कुटीर उद्योगा के निमाण की योजनाएँ है। कहीं ऐसा न हो कि फिर वही पुराना इतिहास दोहराया जाये गाव जहा है वही रह सिर्फ शहरी क्षेत्रो को ही लाभ मिलता रह। एसी कम सम्भावनाएँ हैं, बदलत भारती परिवेश म ग्रामीण पुनर्निर्माण की कल्पना शायद गावो की काया पलट कर दे। शिक्षा के गुणात्मक विकास म तो वृद्धि नहा हुई ह किन्तु प्रौढ शिक्षा एव साक्षरता अभियान क द्वारा ग्रामीण जनता म अध्ययन की रुचि अवश्य बढेगी। देश का आर्थिक रूप से आत्म निभर बनाने क लिए एव राष्ट को अपन परो पर खडा करने के लिए, चाहे वह युवा कृषक हो, चाह विद्यार्थी या बुजुग, उसके अध्ययन की अभिरुचिया का ध्यान रखा जाना आधुनिक सदभ म नितान्त आवश्यक है। ग्रामीण युवको पर योजनायें थोपन से अधिक अच्छा है उन्ह स्वच्छिक बाध का चयन करन दिया जाय क्योकि युवा कृषक आदि अधिक पढ लिखे नहीं ह और न ही पढन जाना चाहत ता उनको दैनिक अध्ययन की सुविधा पुस्तकालयो से दी जानी चाहिए ताकि उनका बौद्धिक सन्तुलन कायम रखा जा सके। समग्र ग्राम विकास कायक्रमो म ग्रामीण पुस्तकालया के निमाण पर भी कुछ साचा जाय तो बुरा नहा है।

जिन प्रदशा म शिक्षा का प्रबन्ध अच्छा है उनमे शिक्षा सस्थाओ म अध्ययन की व्यवस्था पर नजर दौडायें तो पता चलता है कि जहाँ भी पाठशालाओ म विद्यार्थियो के लिए पुस्तकालय खोले गये हैं उन सस्थाओ ने शिक्षा सत्रो के दौरान कभी भी पुस्तकालयो के द्वार नही खोले। जैसा कि "निमान' म प्रकाशित एक सर्वेक्षण से पता चलता है कि देश के विभिन्न ग्रामीण व शहरी क्षेत्रो मे पुस्तकालय बहुत कम ह और जहा भी हैं उन स्कूल पुस्तकालयो के ताले सदव ही बन्द रहते है। कहीं कही पुस्तकालय स दूक म बन्द हैं ता कहीं कहीं रद्दी के ढेर के रूप मे सीलन भरे कमरों म।

जब शिक्षा के मन्दिरा की यह दशा है ता गाव-गाव पुस्तकालय निर्माण की योजना कितनी सफल हो सकती है इसका अनुमान हम भलीभाति लगा सकत ह। फिर भी युवा कृषको, बच्चा एव महिलाओ के मानसिक हित को ध्यान म रखते हुए एव योजनाओ के क्रियान्वयन को दनिक जीवन म आत्मसात करन के लिए पुस्तकालय प्रसार को महत्त्व दना होगा। उन अस्सी प्रतिशत क्षेत्रा मे लोगो को पढने की सुविधा सत्साहित्य से दी जाना चाहिए। योजनाओ की सफलता स्वस्थ शैक्षणिक वातावरण मे फले फूले इसके लिए आवश्यक है ग्रामीण विकास साहित्य का निमाण हो एव उनके समीप तक पहुँचने म सुगमता हो।

भारत के प्रमुख प्रकाशक एव अखिल भारतीय पुस्तक प्रकाशक महासघ के निदेशक श्री कृष्णचन्द बेरी ने ग्रामीण विकास हेतु साहित्य निमाण पर बल द

हुए लिखा है कि ग्रामीण क्षेत्र में हो रहे कृषि विकास, उद्योग, कुटीर उद्योग आदि व्यवसायों पर उपयुक्त साहित्य लिखा एवं प्रकाशित किया जाना चाहिए। ऐसा करने से जनता अध्ययन को महत्व देगी साथ ही अपने व्यवसाय की कठिनाइयों को दूर करने में भी सामर्थ्यवान बनेगी।

इस प्रकार का साहित्य निर्माण होने पर उसे गांव गांव पहुँचाना निहायत जरूरी हो जायेगा जिसके लिए पुनः पुस्तकालयों के प्रसार एवं विस्तार पर सोचना पड़ेगा। यदि यह सम्भव होगा तो ग्रामीण जनता को अध्ययन सामग्री उपलब्ध होगी, युवा कृषकों को कृषि कार्यों में एवं राष्ट्रीय गतिविधियों को जानने में सहायता मिलेगी। युवा मन को उस योग्य बनाया जाना चाहिए कि वह अपने व्यवसाय के प्रति सहर्ष आत्मार्पित हो जाय, सारी सुविधाओं को प्राप्त कर उसका हृदय कमल सदैव खिलता रहे योजनाएं उसके पदचिन्हों पर चलें न कि उसे योजनाओं के क्रियान्वयन में खपना न पड़े। पुस्तकालय प्रसार के माध्यम से गांव गांव वह समाचार व साहित्य पहुंचाना जरूरी है जिससे वैचारिक क्रान्ति जन्म ले और सम्पूर्ण क्रान्ति का नारा घर-घर द्वार द्वार गूँजने लगे। ऐसा मौका युवा जनों को न आये कि छोटे छोटे कामों के लिए उन्हें सदैव अधिकारियों के पास दौड़ दौड़ कर जाना पड़े। सहकारी संस्थाओं के साथ ऐसे न हों कि किसान उनकी शरण में जा जाकर अपने माथे रगड़, व अधिकारियों के शिकंजों में जकड़े न जाय। युवा कृषकों की समस्याओं का समाधान उनके शिक्षित होने में है, अध्ययनशील और कार्य के प्रति निष्ठावान होने में है। युवा कृषकों को अध्ययन और अनुसंधान की सुविधा पुस्तकालयों के द्वारा दी जानी चाहिए। ग्रामीण औद्योगीकरण, कृषि एवं तकनीकी अनुसंधान की बात आज बहुत जोर पकड़ रही है। इसके पीछे भारत के समग्र गांवों के विकास की कल्पना है। उद्योग खुल जाये, बेरोजगारी समाप्त हो जाय और अनुसंधान परियोजनाओं में सफलता मिल जाये तो देश के लिए यह बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। एक आश्चर्यजनक क्रांति होगी। किन्तु मानसिक शांति नहीं मिली, स्वाध्याय की सहूलियत प्राप्त न हुई तो युवा मन पर आये संकट का क्या होगा, कह नहीं सकते। सभी का बहुमुखी ध्यान ग्रामीणीकरण, तकनीकी कृषि विकास, सहकारी शिक्षा विकास एवं बेरोजगारी समस्या समाप्त करने के साथ ही ग्राम ग्राम पुस्तकालयों एवं अध्ययन स्थलों की स्थापना की ओर भी हो तो गांवों पर फैलते अज्ञानता के बादल हटते जायेंगे एवं विकास के पथ में नया सूर्य उदित होगा जिसके प्रकाश में शहर एवं ग्राम एक से चमकेंगे विषमता की दूरियां समाप्त होगी।

युवा कृषकों को कृषि कार्य में आने वाली रुकावटें कृषि साहित्य एवं समाचार के अध्ययन से दूर हो सकती है, बशर्ते उनकी समस्याओं का मानसिक तुष्टि से समाधान निकल जाय। पुस्तकालय प्रसार सुविधाओं के लिए युवा वर्गों के सेवा की भी प्रयास करना चाहिए। राष्ट्रीय सेवा योजना के कर्मठों

चाहिए कि वे गावो म वाचन कक्षा की स्थापना पर बल दे, निरक्षरता को समाप्त करने मे ये कक्ष भी सहायक होग। अखिल भारतीय विद्यार्थी सघ ने ग्रामोत्थान का जो बीडा उठाया है वह बहुत प्रशसनीय है। गावो की सभी समस्याग्रो का समाधान तो क्रमश निकाला जा सकता है, परन्तु जनता को पहले समझदार बनाकर योजनाग्रो की कायविधिया म रुचि लेने के लिए भी प्रेरणा मिलनी चाहिए। देश की ताजी राजनीति, ग्राथिक एव सामाजिक दशा सभी की सम्यक जानकारी उसे मिलती रह तो निश्चित ही युवा कृषक एव नागरिक देश क विकास मे रुचि लेंग। इसके लिए पुस्तकालयो मे ग्रामीण विकास एव राष्ट्रीय गतिविधिया से युक्त साहित्य पहुँचाया जाना ग्रावश्यक होगा। पुस्तकालय प्रसार सुविधा से ग्रामीण युवा कृपको एव ग्रन्य लोगो को निम्न प्रकार से लाभ पहुँचाया जा सकता है।

1 निरक्षरा को साक्षर बनाने मे 2 देश मे होने वाले कृषि ग्रनुसधान, उद्योग व्यापार की खबरें हासिल करन म 3 प्रशिक्षित युवका मजदूर,व किसाना एव शासकीय सेवका को ग्रध्ययन के सुग्रवसर उपलब्ध करान म। 4 ग्रध्ययन गोष्ठियो से समस्याग्रा का समाधान निकालन मे। 5 जनता की ग्रध्ययन प्रवृत्ति को प्रोत्साहन दने मे। 6 बौद्धिक केन्द्रा का विकास करने म। 7 शोध एव ग्रनुसधान की प्रेरणा को प्रोत्साहन दिलान म। 8 नारी जागरण एव राष्ट्रीय निमाण म सहायता पहुँचान म। 9 समग्र ग्राम विकास को ग्राधार दिलाने मे। 10 पुस्तकालय उपयोग के महत्त्व को सामान्य जन भी जान सकेंग।

उपरात्त मुद्दो को देखते हुए यही कहा जा सकता है कि घर घर क्रान्ति लान म नानागार ग्रन्थालय बहुत उपयोगी सिद्ध हागे। यद्यपि पुस्तकालय प्रसार की ग्रावश्यकता को ग्राज तक ग्रनुभव नही किया गया है जबकि यह ग्राम की ऐसी इकाई सिद्ध हो सकती है जहा समग्र ग्राम की भावनाग्रो को तैयार परखा एव ग्रनुभव किया जा सकता है।

शासन एव जनता दोनो को ग्रपने उत्तरदायित्वो का निर्वाह करना चाहिए ताकि भावी भारत के पुन निमाण की कल्पना को साकार रूप प्रदान किया जा सके।

---

10 पुस्तकालय प्रचार की आवश्यकता

विषय की विधिवत् व्याख्या करने के पूर्व पाठकों से आग्रह करूँगा कि वे इस नये प्रचार पर आश्चर्य न करें। जन सामान्य यह न सोचें कि जीवन की अनिवार्य वस्तुओं के प्रचार से तो हमारी आत्मसंतुष्टी नहीं हो रही है तब यह पुस्तकालय प्रचार हमारी किस आवश्यकता की सन्तुष्टि करेगा। लिखना, यह भी एक प्रकार का पुस्तकालय प्रचार ही है। जब जिज्ञासु पाठक पुस्तकें व पत्र पत्रिकायें प्रतिनिधियों पुस्तक विक्रेताओं, पान ठेलों सामान्य पुस्तक स्टालों से प्राप्त नहीं कर पाता है तब उसके मस्तिष्क का एक तार झंकृत होता है और उसके पग सार्वजनिक पुस्तकालय विद्यालयीन पुस्तकालय महाविद्यालयीन पुस्तकालय एवं विश्वविद्यालय पुस्तकालय के द्वार की ओर बढ़ जाते हैं। यह प्रायः जिज्ञासु पाठक के शैक्षणिक स्तर पर निर्भर करता है कि वह किस पुस्तकालय से प्रभावित है, और किस पुस्तकालय का नाम या सेवा कार्यों के गुण उसने सुन रखे हैं तथा वह किस संस्था के पुस्तकालय का सदस्य है या बनना चाहता है।

यह इतना आसान नहीं है कि सभी व्यक्ति पुस्तकालय के सदस्य बन ही जावें और उन्हें पूर्ण सन्तोष प्राप्त हो। कारण स्पष्ट है कि मानव के समक्ष उसकी आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक, राजनैतिक एवं ऐतिहासिक स्थितियों का पहाड़ खड़ा होता है जिसका सामना करने के उपरान्त वह इस योग्य नहीं रह पाता कि वह पुस्तकालय जैसे ज्ञान गृह तक पहुंचकर अपना मानसिक तनाव कम कर सके। तात्पर्य यह कि पुस्तकालय-सेवा उनके लिए उतनी सुगम और सुलभ नहीं है कि वे आसानी से उसे जीवन निर्वाह में उपयोगी बना सकें।

विकास के युग में मानवीय ज्ञान ने जितनी सुख सुविधाओं के उपादान खोजे हैं उनमें बौद्धिक-स्तर को सक्षम बनाने के लिए पुस्तकों का निर्माण, विविध विषयों की खोज एवं पुस्तकालयों का विकास एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। जिस प्रकार मानव शरीर को शक्तिशाली बनाने के लिए खाद्य पदार्थ की अनिवार्यता मानी गई है तद्नुरूप ही मानस को शक्तिशाली बनाने के लिए पुस्तक एक ऐसा उपकरण है जिसके अध्ययन से मानव मस्तिष्क की बौद्धिक भूख शान्त हो सकती है। पठनीय प्रचार का प्रारूप विविध विषयों के प्रकाशन का परायण है।

मानव इस बौद्धिक-क्षुधा को मिटाने हेतु जाने क्या-क्या उपाय खोजता है और चाहे जैसे भी हो पुस्तक प्राप्त करके पढ़ने का प्रयत्न करता है। जब तक

वह ग्रथ का पारायण नहीं कर लेता चन नहा पाता है। पेट की भूख मनुष्य को मिटाने का कारण है तो मस्तिष्क की भूख भी मनुष्य की उत्तेजना का कारण बन सकती है।

अत पुस्तकालय म जाकर पुस्तका म याग आज की महत् आवश्यकता बन गई है। निम्न परिवार से लेकर उच्च परिवार क लोगा के लिए बिना किसी भेद भाव के ऐसे अध्ययन के आधुनिकतम साधन जुटायें कि सहज भाव स सुगमता पूवक, अमीर-गरीब, सूने अछूत बूढे-बच्चे, अन्धे-बहरे, लूले लगडे सभी प्रकार के व्यक्ति पुस्तकालयो का लाभ प्राप्त कर ज्ञानाजन कर सके।

वतमान म विकसित पुस्तकालया की सख्या अल्प है। सावजनिक एव व्यावसायिक पुस्तकालया का देश भर मे जाल बिछा हुआ है, फिर भी वे पुस्तकालय अपने लक्ष्य का पूरा नही कर पा रहे है। सावजनिक पुस्तकालया की सवायें पाठका के शक्षणिक स्तर के मान स ठीक है किन्तु उनमे वैज्ञानिक तकनीका का अभाव पुस्तकालय व्यवस्थापना की कमी का दशाता है। ग्राम पाठक इनका उपयोग नहीं कर पाते है क्याकि इनकी वास्तविक वस्तु स्थिति का ज्ञान उन्ह नहीं हाता है। अत यह अनिवाय रूप से मान लेना चाहिये कि सावजनिक पुस्तकालया क भवनों का निर्माण ऐसे स्थान पर हा जहाँ जनसमूह अत्यधिक मात्रा में अपना समय व्यतीत करता हा, जहाँ गड खड ऊबकर उसकी पढ़ने की तीव्र अभिलाषा हा।

ऐसे स्थल बाजार बगीचे, चौराहा, मोटर स्टण्ड या पब्लिक मिटिंग स्थल हो सकते हैं। यह तो हुई भवनो के निर्माण स्थल की बात, द्वितीय भवन के कक्षों म अध्ययन की आराम देह सुविधा हो, अच्छे-अच्छे ग्रथ हो, और विशिष्ट बात यह हो कि वाचनालय कक्ष के सडक के किनारे वाल भाग से शीश की खिडकिया से बने हो जिसमे अध्ययनरत पाठक चलने फिरने वाले व्यक्तियो का दिखाई दे और सहज ही उनका मन भी पुस्तकालया को देखने के लिये लालायित हो जाये।

जिस प्रकार विक्रेता अपनी बहुमूल्य वस्तुआ व उपकरणो को बचन हेतु अपनी दुकान को अति आकषक बनाता है, जिसे दखकर स्वाभाविक रूप से क्रेता उन दुकानो की ओर दखकर मन्त्रमुग्ध हो जात है ठीक उसी तरह ही पुस्तकालया की बनावट ऐसी हो कि जन सामान्य उसे दखकर आकर्षित हो, आकर पढने का दो मिनट के लिये अवसर दे। इस प्रकार की पुस्तकालय सवा नि शुल्क हो ताकि पुस्तका का उपयोग अधिक से अधिक हो। ताजा राजनीति देश विदेश की हलचलो से सामान्य लाग भी पढ़कर अवगत हाते रहे और अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार, व्यवहार म रुचि ले और अपने अस्तित्व को देश के निमित्त जानने मे समथ हो सके।

लेकिन आज व्यवसायिक पुस्तकालया का लक्ष्य अधिक से अधिक घटिया किस्म के उपन्यासो की बिक्री मात्र है, यह एक प्रवृत्ति हो गई है कि उपन्यासा को पढ़कर ही हम अपना बौद्धिक स्तर ऊँचा उठा सकते है किन्तु अच्छ अध्ययन के लिये य कोई

अच्छे साधन नही है न लक्षण। शिक्षा के स्तर को ऊँचा उठाने के लिए गाव-गाव, शहर शहर पुस्तकालयो की आवश्यकता है।

हमारे देश मे इन पुस्तकालया के इतिहास का भविष्य अभी तक बहुत अ धकार मे रहा है। अभी तक एसे कोई साधन नही अपनाये जा रहे है कि पाठको म सहज भावना की जाग्रति हो सके और न ही सहज रूप से पुस्तकालयो की उपलब्धि हो रही है जिनका पूर्ण लाभ उन्ह मिल सके।

भारत मे स्थित विदेशी पुस्तकालय जैसे ब्रिटिश कौंसिल लायब्रेरी, यू एस आइ एस पुस्तकालय आज देश के महत्वपूर्ण पुस्तकालया के रूप मे अपनी सेवा दे रहे है जिनके सामने भारतीय पुस्तकालयो की स्थिति, कार्यक्षमता एव सेवा क्षेत्र फीके होते जान पडते है। दूतावासा के पुस्तकालयो का अपना अभिन्न स्थान बन गया है जिन्ह जासूसी अड्डो का रूप माना जाता है। ये पुस्तकालय अधिक से अधिक सेवा देकर हमारा लाभ पहुँचाते है तो देश मे जासूसो का जाल फैलाकर हमे दुख भी पहुँचाते है। विगत कुछ वर्षो से इस प्रकार की घटनाएँ सामने आई है जो भारत के लिये एक कष्टप्रद बात है। इनके विरुद्ध कदम उठाये जाने चाहिये।

हमे चाहिये कि साक्षरता के विकास मे पुस्तकालयो का उपयोग अधिक से अधिक करें। सुधरे हुए वैज्ञानिक तरीको से निर्मित पुस्तकालया-उपकरणों एव पद्धतिया को अपनाये ताकि पुस्तकालय सेवायें जन सुलभ होकर अधिक प्रचलित हो।

उपरोक्त बाता को पूर्ण करने हेतु हमे जन साधनो का प्रयोग करना होगा जिससे पुस्तकालयो के प्रचार म सुविधा हो और उक्त आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। पुस्तकालय प्रचार के लिये हम निम्नाकित बातो पर [illegible] आवश्यक होगा।

शक्षणिक सस्थाओ के लिए वतमान मे प्रात 8 [illegible] 11 बजे तक पढने की सुविधा प्रदान की जानी चाहिए [illegible] स्तर एव सर्वोत्कृष्ट साक्षरता के प्रतिशत का [illegible]। [illegible] उपरोक्त कुछ बातो के लिए सतत् प्रयत्नशील है, [illegible] दृष्टिकोण को मद्देनजर रखत हुए शनै शनै [illegible] है, समय को इसका इन्तजार है।

पुस्तकालय वार्ता—जहा [illegible] है, [illegible] पर पुस्तकालय की गतिविधियो स सम्बन्धित [illegible], [illegible] होने वाले परिवतना, उसकी पद्धति [illegible] को मिले। पुस्तकालय के [illegible] द्वारा इस प्रकार की गोष्ठि [illegible] म पाठक पुस्तकालय [illegible] हृदयगम करेंगे।

वार्ता, विषय से सम्बन्धित विद्वानो द्वारा सम्पन्न होनी चाहिये, ताकि उपयुक्त विषय की गहन पैठ मे उतरकर विद्वान वक्ता पाठको का मन सम्मोहित कर ले और बार बार विषय की अच्छाइयो को सुनने मे आगन्तुक पाठक का मन लालायित हो। यह विशेषता भी पुस्तकालय प्रचार का महत्वपूर्ण सहयोगी अंग है।

रेडियो वार्ता– भारत वष मे रडियो के आने से प्रचार साधनो की बाढ सी आ गई है सभी प्रकार के औद्योगिक, व्यवसायिक, शैक्षणिक, राजनैतिक ऐतिहासिक गतिविधियो के प्रचार रेडियो के माध्यम से होने लग हैं शिक्षा के क्षेत्र मे भी केन्द्रीय एव राज्य स्तर पर विभिन्न विषयो पर शैक्षणिक-वार्ता रडियो द्वारा प्रसारित होती है, जिससे देश विदेश मे होने वाले अनुसधान, नये विषयो के आगमन की जानकारी के साथ ही उन पर शिक्षाप्रद लेख की प्राप्ती हमे होती है। किन्तु खेद हमे यह ह कि कोई शिक्षक या वक्ता विद्वान अपन भाषणो व वार्ता मे कभी इस प्रकार स नही कहते है कि इस प्रकार के अध्ययन हेतु पुस्तकालयो की शरण जाकर उन विषयो पर खोज करना चाहिये। कुछ अनुसन्धित्सु विद्वान पाठक एस होत है जिन्हे ग्रन्थवर्णना, इण्डक्स, एवस्ट्रेक्ट की जानकारी ही नही होती और व पी एच डी भी प्राप्त कर लेत ह जबकि पुस्तकालयो म इन्हें बिना देखे निर्धारित विषय पर पूर्ण सामग्री की जानकारी हो ही नही हो सक्ती है। अत यह वतमान मे अत्यन्त आवश्यक है कि रेडियो के माध्यम से पुस्तकालय सेवाओ की वार्ताओ का आयोजन किया जावें तभी अनुसधान के विविध नवीन क्षेत्रो म सफलता मिलेगी। रडियो वार्ता म पुस्तकालयो से होन वाले लाभ, उनकी सेवाओ के क्षेत्र, उनकी विशेषतायें एव वैज्ञानिक युग मे उनकी आवश्यकताओ पर प्रकाश डाला जाना आवश्यक है, आज यह साधन खर्चीला अवश्य है किन्तु प्रचार के दृष्टिकोण से बहुत उपयोगी एव महत्वपूर्ण है।

फिल्म प्रदशन—फिल्म स्टाइल के माध्यम से 'पुस्तकालयो की सेवा, सम्बन्धी प्रचार किया जा सकता है शासन का यह कत्तव्य होना चाहिए कि जिस प्रकार धूम्रपान, नशाबन्दी, छुआछूत के स्लाइडस छविगृहो मे दिखाने की व्यवस्था रखते हैं उसी प्रकार से एक पक्ति यह भी दिखाने का आदेश होना चाहिये कि "पुस्तकालयो से लाभ उठाइये" या "पुस्तको को जीवन का अग बनाइये' "पुस्तकालय चलो' इत्यादि। इस प्रकार के प्रदशन से दशको मे पुस्तकालय के प्रति मोह होगा और वे जाने का प्रयत्न करेंगे। दूसरा तरीका यह भी हो सकता है कि विद्वान पुरुषो ने जो समय पुस्तकालयो मे व्यतीत किया है उसका चल चित्र प्रदर्शित करना चाहिये। पुस्तकालयो म अध्ययनरत शोधकर्त्ताओ के चित्रो को एक पूरे फलक पर प्रदर्शित करना चाहिए और पढने से मिलने वाली योग्यता का परिणाम सहित उसके चित्र का प्रदशन आवश्यक है। इन्ही प्रदशनो के माध्यम से युवा वग म प्रतिस्पर्धा की भावना जाग्रत होगी और पढने म अधिक रुचि लेन लगेंगे। यह काय सूचना एव प्रसारण मन्त्रालय के द्वारा अधिक सुविधा जनक हो सकता है।

विज्ञापन—समाचार पत्रो पत्रिकाओ मे यह आवश्यक सकेत दिया जाना चाहिये कि पुस्तकालयो से देश की सस्कृति और सभ्यता का पता लगता है। साक्षरता का माप उस देश म निहीत पुस्तकालयो से होता है। विभिन्न प्रकार के कोटेशन लिखे जा सकते है जैसे—

पुस्तकालय ही सच्चे विश्वविद्यालय है। पुस्तकालय ज्ञान का कल्पतरू है इससे जो मागोगे वही मिलेगा। महान बनने की प्रयोगशाला पुस्तकालय है आदि आदि। इस प्रकार के विज्ञापन अवश्य ही पुस्तकालय प्रचार म सहायक होगे और उसकी आवश्यकताओ को समाज के सामने प्रतिबिम्बित करेंगे। बडे-बडे लिखे पोस्टर एव पम्पलेट दिवालो पर चिपका कर भी विज्ञापन किया जा सकता है।

पुस्तकालय सघो की स्थापना—यह तत्व पुस्तकालय प्रचार का अनिवार्य साधन हैं। राष्ट्र सेवा, सघो के माध्यम से अधिक होती रही है। कहते है सघ शासन की राह मे बाधक भी होते है किन्तु यह एक शका मात्र है सघ तो होने वाले विकास के लिए शासन से माग करता है, यदि शासन माग मजूर नही करता तो सघ की एकता उन मागो को मनवाने का पूर्ण प्रयत्न करती है और तभी विकास का पथ अग्रसर होता है।

भारत म पुस्तकालय सेवाओ से सम्बन्धित राष्ट्रव्यापी सघ नही है जो कि पुस्तकालयो के प्रचार को बढाने म सहयोग दे। छोटे छोटे राज्य स्तरीय व जिला स्तरीय सघ अवश्य है किन्तु वे उतने क्रियाशील नही है जितना की सघो को होना चाहिये। केन्द्रीय सगठनो से उनका कोई तालमेल नही बैठा है। पुस्तकालयीन सेवाओ की अवनति का सबसे बडा कारण यही रहा है कि अभी तक पुस्तकालय सघो न मिलकर ऐसा कोई कठोर कदम नही उठाया है जो सबहित मे रहा हो। सघो को चाहिये कि वे एक होकर इस आन्दोलन को बढाये और भारत मे निहित निरक्षरता को समाप्त करने म अपना बहुमूल्य योगदान दे।

अन्तर पुस्तकालयीन आदान प्रदान—हमारे देश मे पुस्तकालयो के विकास की गति अति मन्द रही है, साथ ही साथ विस्तृत रूप मे फले राष्ट्र के पुस्तकालयो मे आपसी लेन-देन की प्रक्रिया को प्रोत्साहन नही दिया गया, आज भी हम देखते है कि अल्प मात्रा म विश्वविद्यालयीन स्तर पर पुस्तकालयो से पुस्तको का आदान प्रदान होता है जबकि इसका रूप व्यापक होना चाहिये। ग्रामीण पुस्तकालयो से लेकर राष्ट्रीय पुस्तकालय तक शृखलित व्यवहार होना चाहिये ताकि जिज्ञासु पाठको को वाञ्छित पुस्तक की प्राप्ती मे विलम्ब न हो। इस प्रकार के आदान-प्रदान से किसी भी स्तर का व्यक्ति अपनी वाञ्छित पुस्तक की माग कर सकता है इसके लिए उस ग्रथालय को जहा का वह सदस्य है पूर्ण सहयोग प्रदान करना चाहिये।

इस प्रकार अन्त पुस्तकालयीन आदान प्रदान की जानकारी जन सामान्य म होगी तो मदव प्रवृत्तिवत्त मनुष्य ऐसे सहयोग का लाभ प्राप्त करते रहेंगे एव

पुस्तकालय प्रचार अधिकाधिक होकर पुस्तकालयीन सेवाम्रा मे वृद्धि को प्रोत्साहन देगा।

छोटे से छोटे पुस्तकालय को बडे से बडे पुस्तकालय द्वारा पुस्तको का लेन देन बढाना चाहिए और बडे पुस्तकालयो का यह कत्तव्य हो जाना चाहिए कि वे पुस्तकें यथा समय पहुँचाने म डाक द्वारा मदद करें। इन्ही प्रचार के कारणो से पाठको की अभिगम पूर्ण होगी एव पढने की अभिरुचि अधिक जाग्रत होगी। सभी घर बैठे अपने पुस्तकालय मे दुलभ पुस्तकें मगवाकर पढ सकेंग।

सन्दभ सेवा केन्द्र—यह पुस्तकालय की विशेष सेवा होती है। राज्यो म जहा-जहा केन्द्रीय एव राज्य पुस्तकालय स्थापित है, साथ ही विश्वविद्यालय एव महाविद्यालय के बडे पुस्तकालय है उन पुस्तकालय भवनो मे एक सन्दभ सेवा कक्ष भी होना अति आवश्यक है। सामान्य रूप से इस प्रकार के केन्द्र सभी पुस्तकालयो के अनिवाय अग है, इन विभागो के बिना पुस्तकालयो की विशिष्टता नजर नही आती अत इन केन्द्रो का निर्माण पुस्तकालयो के लिये जरूरी है।

पुस्तकालयो म जहा सेवायें दी जाती है न जाने कौन किस समय क्या प्रश्न लेकर उपस्थित हो जाये और आप आश्चयचकित होकर उसका मुँह ताकते रहो, अत सन्दभ सेवा केन्द्र ऐसे प्रश्नो का उत्तर शीघ्र देकर उनकी अभिगम की पूर्ण करेगा। सन्दभ सेवा केन्द्र मे चलचित्र, अणु चित्र, आडोविजवल एडस सीटीयल पत्रकी एव सरकारी प्रकाशनो का होना आवश्यक है। यदि ये उपकरण आपके पुस्तकालय मे हैं तो सदैव ही कोई न कोई समस्या मूलक पाठक आप तक पहुचेगा और हल की प्राप्ती पर जन-साधारण मे प्रकट करेगा तभी आपके पुस्तकालय का सही उपयोग हुआ माना जायगा। शीघ्र सन्दभ सेवा एव दीघ सन्दभ-सेवा के माध्यम से प्रत्येक प्रकार के पाठको को सेवाए दी जा सकती है पुस्तकालयो म टलीफोन की व्यवस्था दीघ सेवा का एक उपादान है जो आवश्यक सन्दभ विभाग म वर्षो का सामग्री क्या न हो एक वष म यदि हजारो मे से एक ग्रन्थ भी काम आ गया तो समझना चाहिये कि एक पुस्तकालय का निर्माण हुआ। इस प्रकार का पुस्तकालय प्रचार आवश्यक जानकारी एकत्रित करने के लिये आवश्यक है जसे जनसख्या के आकडे, जन्म मृत्यु दर, मुद्रा स्थिति इत्यादि।

पुस्तक प्रदर्शनियो का आयोजन—ज्ञान विज्ञान की अनेक पुस्तकें देश विदेश मे प्रकाशित होती है, देश विदेश म होने वाले विभिन्न अन्वेषण एव अनुसधान काय सम्बन्धी पुस्तको की जानकारी अनुसन्धित्सु पाठको को नही हो पाती है, इस प्रकार की प्रकाशित एव पुस्तकालय मे उपलब्ध पुस्तको को मस्थागत-पुस्तकालयो म प्रदर्शित करना चाहिये, यदि ऐसा नही होगा तो एक विषय म होने वाले अनुसधान सम्बन्धी पुस्तक यदि 2 वष बाद पुस्तकालय म आती है या प्रदर्शित होती है तब तक विश्व म उस विषय पर न जाने कितनी खोज हो चुकी होती है, ऐसी अवस्था म पुस्तकालय सेवा अपने आप म अक्षम हो जाती है।

पुस्तकालयों में या अन्यत्र कहीं पुस्तक प्रदर्शनियाँ आयोजित की जाय वहाँ पुस्तकालय विज्ञान सम्बन्धी पुस्तकों का प्रदर्शन अवश्य होना चाहिए। ताकि प्रदर्शनी देखने वाले दर्शक पुस्तकालय के गुण-दोषों से परिचित हो सके तथा उससे सम्बन्धित साहित्य को पढ़कर लाभ उठा सके। पुस्तकालयों की सेवाओं को अधिक सक्षम बनाने हेतु उन पुस्तकों की प्रदर्शनी रखी जावे जिनकी प्राप्ति आस-पास के ग्रन्थालयों से नहीं हो सकती, इस प्रकार का उद्यम सभी पुस्तकालयाध्यक्ष करें तो प्रत्येक ग्रन्थालय में विशिष्ट एवं दुर्लभ ग्रन्थों का संग्रह हो जावेगा जिन्हें पढ़ने दूर-दूर से अनुसन्धित्सु पाठक आयेंगे इस प्रकार से उक्त ग्रन्थालयों का प्रचार तीव्र गति से होगा। प्रति पुस्तक प्रति पाठक की अभिगम भी पूर्ण होगी। मनचाहा पाठक पुस्तक को और चहेती पुस्तक पाठक को मिलेगी पुस्तकालयों के उद्देश्य भी पूर्ण होंगे एवं पुस्तकालय प्रचार में वृद्धि होगी पाठकों में वृद्धि होगी।

शो रूम (खिड़की प्रदर्शन)—प्राचीन समय में पुस्तकों को सजाकर रखने के मतलब सुरक्षित रखने से था, बहुत आकर्षक जिल्द साजी और कढ़ाई हुआ करती थी किन्तु जंजीरों से बंधी रहने के कारण आम व्यक्तियों के काम नहीं आती थी उसका एक मात्र कारण पढ़ने की प्रवृत्ति एवं साक्षरता की कमी का था किन्तु जब से कागजों का बनना प्रारम्भ हुआ और प्रिंटिंग प्रेस की व्यवस्था हुई, शिक्षा के क्षेत्र में भी विकास हुआ तभी से पुस्तकों का उपयोग बढ़ गया। वर्तमान में पुस्तक मनुष्य के मन बहलाव का साधन-स्वरूप मित्र हो गई है। मित्र होने पर पाठकों का विद्रोह अच्छा नहीं लगता वह चाहता है कि जैसे ही पुस्तकों का जन्म हो (रचना से प्रकाशन तक) उसका साथ उसे मिले और वह पुस्तक रूपी मित्र समाज से जीवन भर प्यार करता रहे मित्रता का हाथ बढ़ाकर पुस्तकों से स्नेह पाता रहे। अतः जैसे ही नवीन उत्तम कृतियाँ प्रकाशित हों उन्हें पुस्तकालय के एक कमरे में जो पूर्णतः शीशे का बना हो सजाकर अच्छी तरह रख देना चाहिये ताकि पाठकों को प्रत्येक नई पुस्तक पढ़ने के लिए मिला करें। यह कमरा सामान्य कमरों से अलग एक सिरे से दूसरे सिरे तक सड़क के किनारे से लगा हुआ होना चाहिए जिसे देखकर यात्री आकर्षित हों और पुस्तकालय में प्रवेश हेतु ललक उठे। यही कमरा वाचनालय कक्ष होना चाहिये।

सहकारिता—वर्तमान युग में सहयोग अनिवार्य आवश्यकता के रूप में सामने आता है। देश जहाँ विदेशों का सहयोग लेकर अपने व्यापार व्यवसाय, आर्थिक राजनैतिक एवं अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों को मजबूत बनाता है और अन्य विकासशील देशों की तुलना में अपने को सक्षम एवं योग्य समझता है वहाँ दूसरी ओर राष्ट्र में शिक्षा कृषि मानव कल्याण संचार एवं प्रशासनिक व्यवस्था को कायम रखने के लिए भी अपने पड़ोसी राष्ट्रों से सहयोग लेना पड़ता है जिसमें राज्यों का बहुमूल्य योगदान सराहनीय है।

इसी प्रकार से शिक्षा मे कार्यरत इकाई पुस्तकालयो, सार्वजनिक एव निजी पुस्तकालयो को आपस मे सहयोग देना चाहिये। सहकारिता की भावना से ही इन पुस्तकालयो का विकास सम्भव है। जनता के द्वारा पुस्तकालयो के भण्डार सामग्री को बढाने हेतु अपने ग्रन्थ भण्डारो का दान करना चाहिये, आर्थिक दृष्टि से सहयोग प्रदान कर जनता मे जाग्रति एव अध्ययन की रुचि को द्विगुणीत करना चाहिये।

सहकारिता से ही सयुक्त राष्ट्र सघ की यूनेस्को शाखा के द्वारा विश्व भर के पुस्तकालयो को आर्थिक एव ग्रन्थ सम्बन्धी सहयोग प्रदान किया जाता है ताकि विश्व बन्धुत्व की भावना बढे मानव कल्याण हो, शिक्षा म आशनयजनक मापदण्ड निर्मित हो। मानव की जिजिविषा दिन प्रति दिन इस ओर गहरी हो तो शिक्षा का मानक स्तर निर्मित होगा। इस ओर शासन की रुचि होना अति आवश्यक है, राष्ट्रीय पुस्तकालय योजना का निर्माण, पुस्तकालय अधिनियमो की स्वीकृति सहकारिता का सुन्दर उदाहरण है।

अत यह कहा जाना उचित ही होगा कि उपक्षित पुस्तकालयो के लिये शासन को जागरुक होना चाहिये, साथ ही साथ जनता को भी सरकार का साथ देकर इस सेवा का स्वाध्याय के प्रति आकृष्ट जन रुचि का केन्द्र बनाना चाहिये और सारे देश मे इस प्रकार के प्रचार माध्यम से पुस्तकालयो का विकास कर निरक्षरता मे कमी एव शिक्षा मे वृद्धि कर शिक्षा के क्षेत्र मे क्राति लाना चाहिए।

जिस प्रकार किसी देश विशेष की उन्नति शिक्षा से मापी जाती है तत्सम हमे भी शिक्षा के क्षेत्र म क्रान्ति लाकर अपना चारित्रिक मनोबल, नतिक विकास एव शिक्षा का स्तर ऊँचा उठाना है। ऊँचे उठे रहने के लिये जिस प्रकार ताड के पेड की जड शक्तिशाली होती है उसी प्रकार शक्षणिक सस्थाओ के स्तर को बढाने के लिये हमे पुस्तकालय रुपी जडो का जाल सारे देश मे फैला देना चाहिये यही पुस्तकालय प्रचार देश के सर्वागीण विकास म सहायक हो सकता है। सर्वागीण विकास से मेरा तात्पर्य चतुर्मुखी उन्नति से है। राष्ट्र का हर नागरिक जब शिक्षित होगा तो उसे प्रत्येक क्षेत्र म काम करन की गहरी रुचि जाग्रत होगी। देश विदश की नवीन राजनीति को समझने मे वह समथ होगा तथा अपना भला बुरा समझेगा। व्यापार व्यवसाय मे कुशल होगा, और सबसे बडी बात होगी, अपने परिवार की भली-भाति परवरिश, जिसे हम महगाई के युग म नहीं कर पाते है। अशिक्षा से नाना विकारो, व्यसनो मे फसा व्यक्ति अपना नतिक पतन कर रहा है उसके सामने स्वय के अस्तित्व तथा इज्जत का प्रश्न तो है ही नही और राष्ट्र के गौरव का भी उसे ख्याल नही है। तब वह कैसे अपने आपको राष्ट्रीय विकास म लगायेगा अर्थात् नही। देश-विदेश, राज्य-राष्ट्र समाज परिवार, धर्म सस्कृति कला विज्ञान राजनीति इतिहास इन सभी बातो को जानने म व्यक्ति तभी समथ होगा जब वह शिक्षित होगा, चरित्रवान और निष्ठावान होगा।

उपरोक्त बातो से निष्कष रूप म यही कहा जा सकता है कि पुस्तकालया का प्रचार अधिकाधिक माध्यमो से किया जावें, जनता एव शासन दोना ही इसके प्रचार मे सहयाग द एव निज की उन्नति का साधन मानकर बहुजन हिताय इसके प्रचार म जुट जाय। देश पर मडरा रहा सकट अशिक्षा से उत्पन्न भीड क्रान्ति है। कुछ शक्तिशाली और शिक्षित हैं उनकी मुटठी म देश की 80% ग्रामीण अशिक्षित जनता बन्द है, जिधर बुद्धिमान का इशारा होता है उसी ओर अशिक्षितो की भीड टूट पडती है। शिक्षित भीड होती तो एक बारगी सोचती किन्तु यहा एसा नही ह। इनम हम शिक्षा का म त्र फू कना है ताकि इनम नैतिक चरित्र का निमाण हो जो राष्ट्र को शक्ति भक्ति और एकता देगा। इन सब बातो के लिये प्राथमिक उपचार पुस्तकालया का प्रचार है जिनकी आज गाव गाव शहर शहर, गली गली मोहल्ला-मोहल्ला आवश्यकता है, यही मनुष्य के विकास का सस्ता और सुलभ उपाय है तथा निरक्षरता समाप्त करने का यन्त्र है। इन य त्रा के निर्माण म क्रान्ति की बू आ रही है अवश्यमेव उन्नति के परम स्थल ये सरस्वती के ज्ञान भवन सस्कृति कला विनान एव मानव इतिहास के साक्षी है। इनका निर्माण सच्चे पथ का निर्माण होगा शीघ्र आइये सहकार स हा समस्या का समाधान होगा।

11
ग्रामीण पुस्तकालय भवन व फर्नीचर

स्वत त्रता प्राप्ति के बाद देश म पुस्तकालया का जाल बिछा देने के पीछे ग्रामीण भारत की अनपढ जनता को शिक्षा एव स्वाध्याय के सुअवसर प्रदान करना था। प्रजातन्त्रीय शासन प्रणाली म प्रत्येक नागरिक को जागरूक होकर अपने अधिकारा का उपयोग करने का अधिकार होता है। इन्ही मौलिक अधिकारो की महत्ता एव व्यक्ति जीवन के समग्र विकास को समझने के लिए भारतीय जनता का साक्षर बनाना नितान्त आवश्यक है। चूंकि शिक्षा मानव विकास का उपयोगी अग है तद्नुरूप ही अध्ययन भी मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार है। राष्ट्र की जनता का अध्ययन अध्यापन एव स्वाध्याय के साधन उपलब्ध कराने हेतु शासन द्वारा शिक्षण सस्थाओ म पुस्तकालया एव वाचनालया की स्थापना की जाती है। यह काय राष्ट्र क नागरिक भी 'सावजनिक पुस्तकालय" की स्थापना कर पूण कर सकत हैं।

भारत ग्रामा का देश है। इसकी भौगोलिक स्थितिया के हिसाब से 70% प्रतिशत भारतीय ग्रामा मे वास करत है तथा कृषि, उद्योग एव पशुपालक से अपनी जीविका चलाते है। प्रारम्भ से ही इन गावा मे शिक्षा काफी देर स पहुँची। पचवर्षीय योजनाओ म समाज शिक्षा का विस्तार सम्पूण भारत मे हुआ साथ ही देश भर म प्रमुख जिला राज्य एव केन्द्रीय पुस्तकालय खोले गये।

ग्रामो मे भी पचायतो के भवना म पुस्तकालय एव वाचनालय चल रह है। फिर भी ग्रामो म वह स्वस्थ अध्ययनशील वातावरण नही बन पाया है जिससे यह अपेक्षा की जा सके कि, इन ग्रामीण-पुस्तकालयो को केन्द्रीय, राज्य एव जिला पुस्तकालय इकाईया से जोडा जा सके।

आज वैज्ञानिक अनुसधान, आविष्कार एव नवीन शोध के युग म कृषि प्रधान भारत का कृषि काय भी बेहतर उन्नति की ओर अग्रसर होता जा रहा है। कृषि म वैज्ञानिक तकनिका के समावश से कृषका के समक्ष यह समस्या आ गई है जिसे व अल्प साक्षर या निरक्षर हो सकने के कारण समझ नहीं पात ह। इसके अलावा उन्ह कृषि अधिकारिया का उचित मागदशन नही मिल पाता है ऐसी स्थिति म यदि साक्षर कृषक स्थानीय पुस्तकालय म उपलब्ध साहित्य का पढकर कोई हल निकाल सकता है तो उसकी समस्या का निराकरण पूणता की ओर अग्रसर हो जाता है।

भारतीय कृषक जीवन के लिए अच्छे बीज, खाद, उवरक, सयत्र एव उद्योग सम्बन्धी जानकारी का उचित साहित्य ग्रामीण-पुस्तकालय म उपलब्ध हो जाता है

तो किसान की बहुत बड़ी समस्या का हल निकल आता है। वनानिक ग्रामीण औद्योगीकरण एव समग्र ग्रामीण विकास की बात यदि हम चरिताथ करनी है तो सवप्रथम हम प्रत्यक ग्राम पचायतो एव विकास-खण्डो म अच्छे कृषि एव ग्रामीण साहित्य स युक्त सुन्दर ग्राम-पुस्तकालय भवन की आवश्यकता होगी।

आज ग्रामीण पुस्तकालय भवन या तो पचायत भवन क कमर म है या फिर बडे बडे सन्दूक। यह स्थिति वतमान युग क विकसित ग्रामो जसी नहा हो सकती। इसम हम परिवतन लाना है। जिस प्रकार हमन सहकारी बैंक खोलन एव चलाने में शिक्षण सस्थाओ को बढाने में, सडकें एव गृह निर्माण क कार्यों म रुचि लकर ग्रामो की काया को बिजली सिचाई स्वास्थ्य पशुपालन एव कुटीर उद्योगों द्वारा बदलना है, उसी प्रकार ग्रामीण विचारधारा को बौद्धिक स्तर प्रदान करन क लिए हम एक अच्छ पुस्तकालय भवन के निर्माण मे रुचि लना है ताकि हमारा मानसिक, चारित्रिक, नतिक, सामाजिक, राजनैतिक एव आर्थिक सभी प्रकार स विकास हो।

ग्रामीण-पुस्तकालय भवन की रूपरेखा—यह हम भलीभांति जानते हैं कि ग्रामो म जहा भी पुस्तकालय अथवा वाचनालय हैं व सभी या तो पचायत भवनो म स्थित है अथवा किसी गाँव प्रमुख क घर म। दूसरी ओर यह बात भी हम जान लेना चाहिए कि भारत म ग्राम-पचायतो की स्थिति राजनीतिक प्रभावो क कारण बदत्तर होती जा रही है। दलगत भावना क कारण ग्राम विकास रुके पडे हैं, जहा हो रहे हैं वहा सत्तारूढ पार्टी की सहायता का कारण है। ऐसा न करके सभी ग्रामीणो को मिलकर एक ऐस प्रसिद्ध स्थल को पुस्तकालय भवन हेतु चुन लेना चाहिये वह या तो न्व स्थान हो, बाजार लगता हो स्कूल पास म हो या फिर जहा लोग अधिक उठन बठत हो ऐसे स्थान पर पुस्तकालय स्थापित किया जा सकता है।

पुस्तकालय-भवन निर्माण पचायत की आर्थिक सुदृढता अथवा ग्राम की सम्पन्नता पर भी निभर रहता है। जहा पचायतो को आर्थिक मदद अच्छी मिलती है एव जिनकी आय के स्रोत अधिक अच्छे है व पुस्तकालय भवन उपरोक्तानुसार किसी भी स्थान पर बनवा सकत ह। शासकीय स्तर पर भी शिक्षा की सुविधा प्रदान करने हेतु इन लोक पुस्तकालयो को आर्थिक मदद देना चाहिए।

जहा पचायत भवन बने है उनम स्थान की सुविधानुसार पुस्तकालय स्थापित किये जा सकत ह। जहा ग्राम पचायतो के भवन नहीं है वहा हम निम्नानुसार पुस्तकालय भवन का निमाण कर सकत ह। चित्र अगले पृष्ठ पर

1 लेन देन विभाग
2 समाचार पत्र स्टण्ड अथवा मज
3 वाचनालय मज (कुर्सियां सहित)
4 अलमारियां क लिए स्थान (दीवार के सहारे)

5 प्रसाधन (पशाव घर)

6 खिडकियां—जालीदार

पचायत भवन युक्त पुस्तकालय—भारत मे कुल 5½ लाख ग्राम है और इनम नगभग 5 लाख ग्राम पचायतें अपन अस्तित्व म है। 1954 क डिलिवरी आफ बुक्स एक्ट" के अ तगत सम्पूर्ण भारत म लोक पुस्तकालयो का जाल बिछाया जाना निश्चित हुआ और देश म प्रकाशित प्रत्यक पुस्तक की तीन प्रतिया राष्ट्रीय पुस्तकालय कलकत्ता, सेन्ट्रल पब्लिक लायब्रेरी बम्बई एव कानमारा सावजनिक पुस्तकालय मद्रास को भेजा जाना निश्चित हुआ था जिसके माध्यम स ग्राम पुस्तकालयो म भी उन पुस्तको को अन्त पुस्तकालयीन आदान प्रदान के तहत मगा सकें। यह सब वतमान मे नही हो रहा है और न ही निकट वर्षों म सम्भव है अत हमे हमारे पचायत भवनो के एक कमरे म ही पुस्तकालय की स्थापना कर दनी चाहिये और किसी शिक्षित बेराजगार युवक को उसके सचालन हेतु नियुक्त

कर देना चाहिये । यदि शासन भवन-निर्माण के प्रति उत्सुक नही है तो भी यह काय हमे अविलम्ब करना चाहिय ।

एल डी बगरी का ग्रामीण पुस्तकालय भवना के बारे मे विचार पढें । 'ग्रामो मे पुस्तकालयो के लिए खास अच्छी आधुनिक ढग की इमारतो की आवश्यकता नही है । किसी मदिर, मस्जिद और गुरुद्वार मे मुफ्त या किराय के कमरे काफी हैं । ऐसी जगहो मे विविध प्रकार की पुस्तकें रखकर ग्रामो को आकपक बना सकते हैं ।"[1]

आज जब राष्ट्र का प्रत्येक ग्राम आधुनिकता की चपट म है, विद्यालय भवन पोस्ट आफिस, बैंक, अस्पताल एव पचायतो के सुदर सुदर भव्य भवन गावो मे निर्मित हो रहे है तब ग्राम पुस्तकालया के लिए भी अच्छे भवनो का निर्माण किया जाना अनुकूल होगा । जब भी नवीन पचायतो के भवन बनें तो भविष्य की ग्रथालय सुविधाओ का दखते हुए पचायत भवन का निमाण करना चाहिए । बहतर यह होगा कि भवन की दीवाल म ही आलमारियो का निमाण किया जाय ताकि ये आलमारिया ही गथ रखने के काम आ सके ।

यह व्यवस्था सभव न हो सके ता लकडी की आलमारिया से काम चलाया जा सकता है । वैसे बहुत पहने जब 1956 म पचायतो क अतगत ग्रथालय प्रारम्भ किए गये थे तब लोहे की बडी बडी पेटिया, जिनमे लगभग 100 पुस्तकें रखी जा सकती थी, पचायतो को पचायत एव समाज कल्याण विभागा द्वारा प्रदान की गइ थी । अब इस प्रकार की व्यवस्था भी समाप्त प्राय हो चुकी है । फिर भी ग्रामीण विकास की परम्पराओ मे हमे ग्रथालय निर्माण की बात को भुलाना नही है ।

देश, नवनिमाण के सकल्पा को लेकर विकास के प्रत्येक क्षेत्रो म प्रगति कर रहा है, तब हमे अपनी सतत् शिक्षा की निरतर बढती भूख के लिए ग्रथालयो के निमाण को नही भूलना चाहिए । पचायत-भवनो म व्यवस्था चाहे न हो तब भी कुछ ऐसी व्यवस्था ग्राम वासिया को मिलजुल कर करनी चाहिए कि वे सभी अपने खाली समय म किसी एक स्थान पर अध्ययन, गोष्ठी, वाता, चर्चा अथवा कथा कहानी सुनने के लिए बैठ । यह काय ग्राम के युवक-मण्डलो व महिला मण्डला को सयुक्त रूप से मिलकर करना चाहिए।

गावा के ग्रथालया मे बैठने के लिए बहुत अधिक फर्नीचर की आवश्यकता नही होती है । ग्रथपाल की मेज एव कुर्सी, ग्रथो के निगमन हतु लिखने-पढने के काय मे उपयोगी रहे बहुत ह । पाठको को जिनम बच्चे, महिलाए युवा व वद्ध शामिल है, इनके बैठन की व्यवस्था, कक्ष म ही दरिया बिछाकर की जा सकती ह । आजकल पचायता के पास भी टक्स वसूली से आर्थिक साधन बढते जा रह ह अत इन स्रोता से प्राप्त राशि का कुछ प्रतिशत ग्रथालय फर्नीचर के क्रय म खच किया जा सकता है ।

पढना चूकि एक बौद्धिक प्रक्रिया है अत इस रोकना मस्तिष्क के लिए घातक भी हो सकता है । अत प्रयास यह होना चाहिए कि प्रत्येक ग्राम ग्रन्थालय भवनो से युक्त हो । इन पुस्तकालय भवनो के निर्माण एव उपकरणो के क्रय हेतु, विकास खण्ड, अधिकारी पचायत अधिकारी अथवा जिला ध्यक्ष महोदयो को भी आर्थिक सहयोग करना चाहिए । यदि प्रदश म ग्रन्थालय विधान की व्यवस्था हो तो ग्रन्थालय सचालनालय अथवा ग्रन्थालय-परामश मण्डल की मदद से ग्रन्थालय-समस्या सम्बन्धी सार काय सम्पन्न किए जा सकते है । भारत सरकार के शिक्षा एव युवा सेवायें मत्रालय द्वारा प्रकाशित ग्रन्थालय परामश समिति के प्रतिवदन[2] म "सावजनिक ग्रन्थालय के सगठन सम्बन्धी विस्तृत अनुशसायें पढने को मिल सकती है । समिति की अनुशसाओ पर दशक बहुतेरे राज्यो ने आज तक कोई गौर नही किया है । इसका कारण भी ग्रन्थालय विधान का पारित न होना बताया जाता है । सत्यता कहा गायब हो गई है अनुमान लगाना कठिन है ।

बावजूद इसके ग्रन्थालय–विकास का काय गैर सरकारी सगठन समाज सेवी सस्थायें एव स्थानीय प्रशासन द्वारा छुट पुट रूप मे सारे दश में चल रहा है । जहा तक ग्राम पुस्तकालयो अथवा सावजनिक ग्रन्थालयो के सचालन का प्रश्न है, श्री विश्वनाथन महोदय का सुझाव है कि "जन-पुस्तकालय का प्रबन्ध स्थानीय प्रशासन द्वारा पूणत व अधिकाशत अपने ही व्यय से हो, उसका शासन व सगठन प्राधिकारी एव समिति द्वारा हो और उसकी सेवा अपने क्षेत्र के सभी नागरिको को बिना रग, जाति व अन्य किसी भेद-भाव के निशुल्क प्राप्त हो ।"[3]

सदभ —

1 बगरी (एन डी) पुस्तकालय पद्धति, इलाहाबाद, नीलम प्रकाशन 1973 पृ 56

2 भारत, ग्रन्थालय (सलाहकार समिति) प्रतिवेदन, 1959

3 विश्वनाथन (सी जी) सावजनिक पुस्तकालय सगठन की रूपरेखा 1965, पृ 1

12

पुस्तकालय प्रसार सेवा में पुस्तकालयाध्यक्ष का योगदान

पुस्तकालय प्रसार काय क सहायक तत्त्वा म पुस्तकालयाध्यक्ष की भूमिका महत्त्वपूर्ण है। डा श्रीनाथ सहाय का कहना है कि "हम लाग सामाजिक काय कर्ता बनने की अपेक्षा शिक्षा शास्त्री बनने का कठिन प्रयास करते रहे हैं।' सम्भवत पुस्तकालयाध्यक्षा का, शक्षिक भूमिका से हटकर सामाजिक भूमिका की ओर ध्यान दने मे उन्हें समाज मे अपना पद और प्रतिष्ठा खो बैठने का डर है ? व्यापक सन्दभ मे यह अन्य देशों की अपक्षाकृत जो बहुत आगे बढ गये है, आधुनिक भारत म पुस्तकालय सेवा की धीमी प्रगति और न्यूनलोकप्रियता का शक्तिशाली कारण है।[1] इस कारण को समाप्त करने तथा देश की जनता को प्रजातन्त्रीय विकास की ओर अग्रसर करन मे "पुस्तकालयाध्यक्ष का एक समाज वैज्ञानिक और सस्कृति वैज्ञानिक बनना चाहिए।"

पुस्तकालयाध्यक्ष चूकि स्वय पुस्तकालय प्रसार सगठक का काय करता है इस निमित्त समाज एव समुदाय क लिए उसकी स्थिति नियामक जैसी हो जाती है। आज चाहे सम्पूर्ण भारत के गाव पुस्तकालया से सुसगठित व सुनबद्ध नहीं है। फिर भी पुस्तकालयाध्यक्ष के सहयोग एव सदभाव से गाव गाव पुस्तकालय खोले जा सकत है और उनके माध्यम से शिक्षा विकास मे सहायता पहुँचाई जा सकती है। वसे तो बहुत से माध्यम पुस्तकालय प्रसार हेतु अपनाये जाते है लेकिन उनम उतनी सफलता हाथ नहीं लगती है जितनी पुस्तकालयाध्यक्ष के द्वारा प्रयुक्त होने म प्राप्त होती है। ग्रामा म गोष्ठियाँ स्थापित कर बालक जवान व बूढा को एकत्रित कर पढ़ने पढाने से जहाँ पुस्तकालयाध्यक्ष प्रौढ शिक्षा के उद्देश्यो की पूर्ति करते है वही बच्चा की जिज्ञासु प्रवृत्ति का लाभ उठाकर उनमे शिक्षा का प्रसार भी कर सकते है।"[2]

पुस्तकालय प्रसार शक्षणिक विकास की मौलिक कायवाही है जिस पुस्तकालयाध्यक्ष को पूर्ण उत्तरदायित्व के साथ राष्ट्रीय हित को सामने रखकर करना चाहिए।' वह केवल ग्रन्थालय म आने वाले पाठको को ही समुचित ग्रन्थालय सेवा प्रदान करके सन्तुष्ट नहीं होता। अपितु वह तो अपन क्षेत्र क प्रत्येक स्त्री पुरुष, युवा-वृद्ध को ग्रन्थालय का सक्रीय सदस्य बनाने के लिए कृत सकल्प है'।[3] ऐसे सकल्पी व्यक्तित्व द्वारा ही पुस्तकालय प्रसार सेवा का

पढना चूकि एक बौद्धिक प्रक्रिया है अत इसे रोकना मस्तिष्क के लिए घातक भी हो सकता है । अत प्रयास यह होना चाहिए कि प्रत्येक ग्राम ग्रन्थालय-भवना से युक्त हा । इन पुस्तकालय भवनो के निर्माण एव उपकरणो के क्रय हेतु, विकास खण्ड, अधिकारी पचायत अधिकारी अथवा जिला ध्यक्ष महोदयो को भी आर्थिक सहयोग करना चाहिए । यदि प्रदश म ग्रन्थालय विधान की व्यवस्था हो ता ग्रन्थालय सचालनालय अथवा ग्रन्थालय परामश मण्डल की मदद से ग्रन्थालय-समस्या सम्बन्धी सारे काय सम्पन्न किए जा सकते हैं । भारत सरकार के शिक्षा एव युवा सवायें मत्रालय द्वारा प्रकाशित ग्रन्थालय परामश समिति के प्रतिवदन[2] म "सावजनिक ग्रन्थालय के सगठन सम्बन्धी विस्तत अनुशसायें पढ़ने को मिल सकती है । समिति की अनुशसाओं पर दश के बहुतेरे राज्यो ने आज तक कोई गौर नही किया है । इसका कारण भी ग्रन्थालय विधान का पारित न होना बताया जाता है । सत्यता कहा गायब हा गई है अनुमान लगाना कठिन है ।

बावजूद इसके ग्रन्थालय–विकास का काय गर सरकारी सगठन समाज सेवी सस्थायें एव स्थानीय प्रशासन द्वारा छुट पुट रूप मे सारे देश में चल रहा है । जहा तक ग्राम पुस्तकालया अथवा सावजनिक ग्रन्थालया के सचालन का प्रश्न है, श्री विश्वनाथन महोदय का सुझाव है कि "जन पुस्तकालय का प्रबन्ध स्थानीय प्रशासन द्वारा पूणत व अधिकाशत अपने ही व्यय स हो, उसका शासन व सगठन प्राधिकारी एव समिति द्वारा हो और उसकी सेवा अपने क्षेत्र के सभी नागरिकों को बिना रग, जाति व अन्य किसी भेद-भाव के नि शुल्क प्राप्त हो ।"[3]

सन्दभ —

1 बगरी (एन डी) पुस्तकालय पद्धति, इलाहाबाद, नीलम प्रकाशन 1973, पृ 56
2 भारत, ग्रन्थालय (सलाहकार समिति) प्रतिवेदन, 1959
3 विश्वनाथन (सी जी) सावजनिक पुस्तकालय सगठन की रूपरेखा 1965, पृ 1

12
पुस्तकालय प्रसार सेवा मे पुस्तकालयाध्यक्ष का योगदान

पुस्तकालय प्रसार काय के सहायक तत्त्वो म पुस्तकालयाध्यक्ष की भूमिका महत्त्वपूण है । डा श्रीनाथ सहाय का कहना है कि "हम लोग सामाजिक काय कर्ता बनने की अपक्षा शिक्षा शास्त्री बनने का कठिन प्रयास करते रहे है ।' सम्भवत पुस्तकालयाध्यक्षा का, शैक्षिक भूमिका से हटकर सामाजिक भूमिका की ओर ध्यान देने म उन्ह समाज म अपना पद और प्रतिष्ठा खो बठने का डर है ? व्यापक स दभ मे यह अन्य देशा की अपक्षाकृत जो बहुत आगे बढ गये है, आधुनिक भारत मे पुस्तकालय सेवा की धीमी प्रगति और न्यूनलोकप्रियता का शक्तिशाली कारण है ।[1] इस कारण का समाप्त करने तथा देश की जनता को प्रजातन्त्रीय विकास की ओर अग्रसर करन मे "पुस्तकालयाध्यक्ष का एक समाज वैज्ञानिक और सस्कृति वैज्ञानिक बनना चाहिए ।"

पुस्तकालयाध्यक्ष चू कि स्वय पुस्तकालय प्रसार सगठक का काय करता है इस निमित्त समाज एव समुदाय के लिए उसकी स्थिति नियामक जैसी हा जाती है । आज चाहे सम्पूण भारत के गाव पुस्तकालया स सुसगठित व सूत्रबद्ध नही है । फिर भी पुस्तकालयाध्यक्ष क सहयाग एव सदभाव से गाँव गाव पुस्तकालय खोले जा सकते ह और उनके माध्यम से शिक्षा विकास मे सहायता पहुँचाई जा सकती है । वसे तो बहुत से माध्यम पुस्तकालय प्रसार हेतु अपनाय जात है लेकिन उनम उतनी सफलता हाथ नहा लगती है जितनी पुस्तकालयाध्यक्ष के द्वारा प्रयुक्त होने म प्राप्त होती है । 'ग्रामो में गोष्ठिया स्थापित कर बालक जवान व बूढा को एकत्रित कर पढने पढाने से जहा पुस्तकालयाध्यक्ष प्रौढ शिक्षा के उद्देश्या की पूर्ति करते ह वही बच्चा की जिज्ञासु प्रवृत्ति का लाभ उठाकर उनम शिक्षा का प्रसार भी कर सकते है ।"

पुस्तकालय प्रसार शैक्षणिक विकास की मौलिक कायवाही है जिसे पुस्तकालयाध्यक्ष को पूण उत्तरदायित्व के साथ राष्ट्रीय हित को सामने रखकर करना चाहिए । वह केवल ग्रथालय म आने वाले पाठका को ही समुचित ग्रथालय सेवा प्रदान करके सन्तुष्ट नही होता । अपितु वह तो अपने क्षेत्र के प्रत्यक स्त्री पुरुष, युवा वृद्ध का ग्रथालय का सक्रीय सदस्य बनाने के लिए दृढ सकल्प है"।[3] ऐसे सकल्पी व्यक्तित्व द्वारा ही पुस्तकालय प्रसार सेवा का

काय सम्भव हो सकता ह । इस प्रकार के विकास कायक्रम को सफल वनाने के लिए जिस पुस्तकालयाध्यक्ष की नियुक्ति इस काय निमित से की जाती है, उसम सामुदायिक विकास कायक्रम के आधार पर निम्नलिखित बुनियादी विशेषतायें आवश्यक हैं।

1 कुशल प्रशासक
2 विषय विशेषज्ञ
3 समाज-सेवी दृष्टिकोण

पुस्तकालय प्रसार काय की सफलता म समाचार पत्र, विडियो टलीविजन, रेडियो चलचित्र, व्याख्यान साथ ही जिज्ञासु पाठक एव जनता के कायकर्ताओं का अपना स्थान तो है ही, इन सभी म भी पुस्तकालयाध्यक्ष का अपना विशिष्ट स्थान एव उपयोगिता होती है। वह एक विशेष योग्यता एव गुणों से सम्पन्न व्यक्तित्व होता है जो पुस्तकालय का योजनाबद्ध प्रसार-काय अपना कर लोगों मे अध्ययन के प्रति रुचि जाग्रत कर सकता है। ऐसे विशिष्ट गुणो एव योग्यताओं के आधार पर ही पुस्तकालयाध्यक्ष पुस्तकालय प्रसार को सफलता पूवक आगे बढा सकता है।

"पुस्तकालयाध्यक्ष प्रशासक होने के साथ-साथ वैज्ञानिक भी कम नही होता है। वह प्रविधिज्ञ होता है साथ ही सिद्धान्तवादी भी कम नही होता उसे पुस्तकों से प्रेम होता है साथ ही मानवता मे भी उसकी रुचि रहती है।[4] अत यह सेवा काय वह भली भांति कर सकता है। वतमान शिक्षा प्रणाली को देखते हुए समुदाय का जो रुख है, वह विरागी हो चला है। अत जन जीवन म शिक्षा के विकास की एव अध्ययन की प्रवृत्ति को बढावा देने म पुस्तकालय प्रसार के द्वारा समाज म व्याप्त दूषित विचारधारा को बदला जा सकता है। पुस्तकालयाध्यक्ष समाज के सामने एक पथ प्रदशक है। दाशनिक शिक्षक नायक एव सहयोगी है वह अनेक रूप मे हमारे सामने आता है। विभिन्न आचार विचार के पुरुष-स्त्रियो से साक्षात्कार करता है इस स्थिति मे उसे सभी को सान्त्वना देनी पडती है यही उसकी सफलता का राज हो सकता है। इस काय कर्त्ता के बारे म साहित्य महर्षि महादेवी वर्मा का कहना है "मैं मानती हूँ कि किसी राष्ट्र के हीरे मोती और सोना इसका जो कोश है, उसके जो अध्यक्ष होते हैं। उससे जो वह अध्यक्ष बडा है। जो उसके चिन्तन विचार का अध्यक्ष होता है अथात् पुस्तकालय का अध्यक्ष होना है। जो पुस्तकालय का अध्यक्ष है वह वास्तव म अमीरो के बीच म रहने वाला व्यक्ति है।'[5] ऐसे व्यक्तित्व का निम्नलिखित गुणों से युक्त होना आवश्यक है।

1 विषय का पूण व यथाथ ज्ञान। 2 ज्ञानाजन की उत्कण्ठ इच्छा। 3 स्पष्टता। 4 विवेकी। 5 कायकुशल। 6 साधन सम्पन्नता। 7 दूर दर्शिता। 8 सौहाद पूण व्यक्तित्व। 9 सेवा की भावना।

इसके अतिरिक्त पुस्तकालय प्रसार सेवा के आवश्यक गुणों को हम चार भागों में विभाजित कर सकते है।

अ व्यक्तित्व-सम्बन्धी गुण
ब स्वभाव सम्बन्धी गुण
स व्यवहार सम्बन्धी गुण
द तकनीकी गुण

अ व्यक्तित्व सम्बन्धी गुण—

1 **आकर्षक व्यक्तित्व**—पुस्तकालय के प्रसार हेतु पुस्तकालयाध्यक्ष का व्यक्तित्व ऐसा होना चाहिए कि सहज ही में लोगों का खिचाव उसकी ओर हो जाय। उसमें नम्रता, सरलता, हसमुख एव विनीत जैसे गुणो का समावेश होना आवश्यक है। इन विशेषताओं से वशीभूत हो पाठक नि सकोच पुस्तकालय में आयेगा और प्रसन्नता का अनुभव करेगा।

"The good librarian should therefore be something of a psychologist able quickly to assess readers ' indivisual responsibilities and requirements and possessing all the necessary tact and bibliographical knowledge to deal with each user according to his or her special needs "[6]

2 **पुस्तकालय प्रसार सेवा में आस्था**—जिस काय को करने का बीड़ा पुस्तकालयाध्यक्ष ने उठाया है उसमें उसकी पूर्ण निष्ठा कायम रहे तो व्यक्तित्व निखरता है एव लोगों में प्रतिष्ठा बढती है। विश्वास एसा सम्बल है जिसके आधार पर जगत की सत असत् शक्तियाँ तुलती है। जब विश्वास में आकर छात्र जगत, समुदाय के स्त्री-पुरुष सभी पुस्तकालय में जाकर पढ़ेंगे तो पुस्तकालय प्रसार को बल मिलेगा। जनता के विश्वास पात्र होने के साथ ही साथ पुस्तकालयाध्यक्ष को अपने पुस्तकालय प्रसार सेवा के प्रतिपूर्ण निष्ठावान होना चाहिए तभी जनता इस कायक्रम के प्रति सजग होगी।

3 **काय मे उत्साह**—मनुष्य में उत्साह का होना महत्त्वपूर्ण गुण है। पुस्तकालय प्रसार काय को सम्पन्न करने में पुस्तकालयाध्यक्ष में जोश उत्साह एव लगन होना चाहिए, उत्साह के बिना जनता में चेतना एव आत्म विश्वास नहीं लाया जा सकता है। अत पुस्तकालयाध्यक्ष को अपने काय के प्रति सजग व उत्साही होना आवश्यक है। उत्साह सफलता का वह उन्मुक्त द्वार हैं जिसे अपनाकर प्रत्यक काय भलीभाति निपटाय जा सकते है। अधिक उत्साह भी कभी कभी जोखिम बन जाता है। अत पुस्तकालयाध्यक्ष को वही काय उत्साह से करना चाहिये जिसमें उसका अनिष्ट न हो।

4 **साहस**—पुस्तकालयो में भिन भिन प्रकार के पाठक आते है पुस्तकालय की स्थापना एव उसके चलाने में कई विषम कठिनाइयाँ सामने आती है, इन

परिस्थितियो से मुकाबला करने का साहस पुस्तकालयाध्यक्ष म होना चाहिए। साहस काय की सफलता का श्रेष्ठ गुण है। पग पग पर आने वाली कठिनाइया, विरोध एव असफलताओ के लिए पूर्व से ही पुस्तकालयाध्यक्ष का सतक होना चाहिए। साहस का न होना अपने प्रसार काय से असफलता पाना होगा।

जनता के मार्गदशन के लिए साहसी व्यक्तित्व ही टिक सकते ह।

5 **स्वस्थ सुगठित शरीर** - पुस्तकालय ज्ञान का भण्डार होता ह। ज्ञान मे मानसिक शक्ति प्रबल होती है। पुस्तकालयाध्यक्ष बुद्धि बल से पूण है और उसम शारीरिक दुबलता ह तो वह प्रसार काय मे कम सफलता प्राप्त करेगा। पुस्तकालयो मे आने वाले कई प्रकार के पाठको स पुस्तकालयाध्यक्ष को साक्षात्कार करना पडता है ऐसे समय जनता को प्रभावित करने के लिए पुस्तकालयाध्यक्ष को मानसिक के साथ-साथ शारीरिक शक्ति की भी आवश्यकता होती है। दुबल व क्षीण काय लोगो से पुस्तकालय प्रसार समाज के गलत तत्वो के रहत नही हो सकता अत पुस्तकालयाध्यक्ष को शारीरिक दृष्टि से हृष्ट पुष्ट होना चाहिए ताकि पाठक गलत तरीको का अपनाकर पुस्तकें ले जाने का दुसाहस न करे।

ब स्वाभाविक गुण—

कुछ एस गुण शरीर म विद्यमान होते है, जो जन्म जात सभी स्त्री पुरुष मे होते है। प्रकृति के नियमो के पालनाथ य गुण मानव को प्रेरणा देते है। समाज म रहन, परिवार म खाने पीन, उठने बठने का ढग सिखात हैं। इनमे से प्रमुख गुण निम्नलिखित इस प्रकार है।

1 **सहनशीलता**— पुस्तकालय प्रसार काय के माध्यम से समाज मे व्याप्त निरक्षरता एव अज्ञानता को दूर करने के साथ-साथ उसके आर्थिक, सामाजिक एव सास्कृतिक स्वरूप को भी बदलता है। ग्रामीण जनता अपने आचरण रीति-रिवाज धार्मिक आस्था से लवलेश होती है, वे निडर तो होते ही है साथ ही धम भीरू भी होते है, ऐसे समय स्थिति वश व पुस्तकालय प्रसार काय मे बाधक बन सकते हैं। अत पुस्तकालयाध्यक्ष को जनता की खरी खोटी, बेतुकी बातें सुनकर सहनशीलता के साथ उनका निवारण करना चाहिए ताकि उनका भ्रम दूर हो, अध्ययन के प्रति रुझान पैदा हो विरोध मे उत्पन्न परिस्थितियो से पुस्तकालयाध्यक्ष को विचलित नही होना चाहिए वेदना नही होना चाहिए। सकट से उत्पन्न विष को शक्कर सा विषधारी बनकर हजम कर लेना चाहिए। सहनशीलता उसके स्वाभाविक गुणो का महत्वपूर्ण अग ह।

2 **ईमानदारी**—पुस्तकालय प्रसार के काय को पुस्तकालयाध्यक्ष के द्वारा ईमानदारी से किया जाना चाहिए। जनता के मध्य नीति निर्धारण एव व्यवहारिकता म सदैव सत्यता एव ईमानदारी का परिचय देना चाहिए। पुस्तकालय की स्थापना से लेकर उसके काय रूप मे परिणित होने तक जनता का सहयोग पाने के लिए सदैव ईमानदारी का व्यवहार हो, कोई तथ्य अधर म न

रखे जाये। जनता पुस्तकालय के लाभो से वचित न हो उनके उपयोग के तरीका का खुली पुस्तक के सदृश्य पुस्तकालयाध्यक्ष को रखना चाहिए तभी जनता का विश्वास कार्यकर्ता के प्रति होगा और पुस्तकालय प्रसार काय म कभी वाधा उत्पन्न नही होगी।

3 **मित्रवत् व्यवहार**—पुस्तकालय प्रसार की आवश्यकता को इसलिए प्राथमिकता देना है कि देश म व्याप्त अशिक्षा दूर हो, ग्रामीण जनता के मस्तिष्क मे बैठा भीरूपन दूर हो, आपसी वैमनस्यता एव ईर्ष्या का अन्त हो। अध्ययन मे रूचि जागृत करने के लिए पुस्तकालयाध्यक्ष का व्यवहार सदभाव एव समभाव पूर्ण होना चाहिए। पुस्तके लेन एव वापस करने वाले सभी पाठको से समानता का वर्ताव हो, उनसे मित्रतापूर्ण बातें की एवें समझाई जावे पक्षपात न हो। पुस्तकालय का उपयोग सभी स्तर के, उम्र के स्त्री पुरुषो बच्चो के लिए समान रूप स किया जाना चाहिए तभी पुस्तकालय प्रसार सेवा का काय सफल हो सकता है। मित्रवत् व्यवहार पुस्तकालय प्रसार सेवा की सफलतम कुजी है जिसे जनता एव अधिकारियो सभी को समभाव म अपनाना चाहिए।

4 **काय के प्रति दृढ सकल्प**—सामान्यत यह देखा गया है कि ग्रामीण जनता अध्ययन के प्रति रुचि नही लेती है। इसके पीछे मनोवैज्ञानिक कारण काय करते है। या तो पुस्तकालयाध्यक्ष अपने काम मे शिथिलता लाते है, या अपने जिज्ञासु पाठको पर ध्यान नही देते। सिर्फ नौकरी करना ही उसका ध्येय नही होना चाहिए। वर्तमान भारत के निर्माण मे पुस्तकालयाध्यक्ष का महत्वपूर्ण योगदान है उसे चाहिए कि पुस्तकालय प्रसार के काय को दृढ सकल्प होकर करें। यदि वह अपने काय के प्रति दृढ सकल्प नही है तो वह पुस्तकालय प्रसार के काय को जनता तक नही पहुचा सकता हैं। पुस्तकालयाध्यक्ष का अटूट दृढ सकल्प ही पुस्तकालय सेवाओ के विकास की रूपरेखा है राष्ट्र मे व्याप्त निरक्षरता का निराकरण है।

5 **नि स्वार्थ सेवा भावना**—आज सरकार पुस्तकालय प्रसार एव प्रचार पर इसलिए जोर दे रही है कि जनता मे व्याप्त सकुल धारणाओ का अन्त हो, निरक्षरता समाप्त हो, कृषि उद्योग एव व्यापार मे देश प्रगति करे ज्ञान विज्ञान म हो रहे नये आविष्कारो की सूचना प्रत्येक नागरिक तक पहुँचे, अर्थात् मानव-विकास के लिए पुस्तकालय एक अनिवाय विद्या है, जिसके सत्सग से आदमी-आदमी बनता हैं। स्वस्थ परम्परा का निर्वाह होता है जीवन स्तर म विस्तार के प्रयास का आधार बौद्धिक विकास ही होता है।

जहा भी पुस्तकालय अधिकारी है उन्ह जाति-पाती ऊच-नीच तथा सामाजिक अनैतिक विचारो को त्यागकर स्वस्थ नि स्वार्थ सेवा भावना मे जनता के हित म व्यवहार करना चाहिए। के सी हरीसन के मतानुसार 'एक अच्छे ग्रथपाल के लिए यह नितान्त आवश्यक है कि वह एक उत्तम पत्रकार की भाति हर चीज

को कम से कम अगत जानकारी रखे और किसी भी अशत घटित घटना को पूरी पूरी जानकारी रख ।

पुस्तकालय प्रसार काय का अभीष्ट लक्ष्य समाज कल्याण तथा समाज का पुनरोत्थान ही होना चाहिए, इसे नि स्वाथ सेवा भावना से किया जाना चाहिए। पुस्तका के क्रय करन, बेचने सम्बन्धी कार्यो स आर्थिक लाभ की विचारधारा का त्याग कर तन मन धन स इसके प्रसार म सहयाग देना चाहिए तभी पुस्तकालया ध्यक्ष अपन गुणो से पुस्तकालय प्रसार के लक्ष्या का पूर्ण करने म सफल हो सकेगा ।

6 दूरदर्शिता—दूरदर्शिता पुस्तकालयाध्यक्ष का आवश्यक गुण होना चाहिए । पुस्तकालय प्रसार काय का भूत-भविष्य मे किस दशा म कितना किस ओर विकसित किया जा सकता है, इसकी जानकारी पुस्तकालयाध्यक्ष को होनी चाहिए । पुस्तकालया म आने वाल पाठको के हिसाब से समुचित अध्ययन सामग्री जुटाना, एव अध्ययन सामग्री की अधिकता पर उनके रखरखाव व सरक्षण की व्यवस्था करना पुस्तकालयाध्यक्ष का काय है । पुस्तकालयाध्यक्ष को इतना विवेकी होना चाहिए कि वह पुस्तकालय भवन निर्माण के समय इस बात का ध्यान रखें कि अगले 15–20 वष म ग्रन्थो का सग्रह अधिक हो जाये तो भी उनकी व्यवस्था भवन मे कर सके । यदि उसने इस बात को मद्दे नजर रखत हुये किसी पुस्तकालय भवन का निर्माण करवाया है तो निश्चित ही वह दूरदर्शिता का परिणाम है ।

(स) व्यावहारिक गुण—समाज मे मानव के दनिक व्यवहार का असर उसकी अच्छाई एव बुराई का परिचय देता है । व्यवहारिक गुणा के आधार पर ही व्यक्ति की प्रतिष्ठा समाज व समुदाय मे होती है । इन्ही गुणो म से कुछ प्रमुख गुण पुस्तकालयाध्यक्ष म होने चाहिए जो निम्नांकित य है ।

1 लोक व्यवहार मे कुशल—ग्रामीण भारत की निधन जनता म कूट-कूट कर भरे हुय अ ध विश्वास रूढिवादी प्रथा एव अज्ञानता को दूर करना उतना आसान नही है जितना एक सुशिक्षित व्यक्ति का समझाना । यहाँ की जनता के बीच पुस्तकालय प्रसार के काय का सफल बनाना एक जटिलतम काय है । पुस्तकालयाध्यक्ष को विषम से विषम परिस्थितिया से विरोधी वातावरण से एव गाव की दूषित राजनीति स निबटना एव दूर रहना है तो उसे अपन व्यवहार मे नम्रता, अनुशासनशीलता एव मृदुता लाना होगा । पुस्तकालया क माध्यम से उसे लोक कल्याण के काय करना है तो चाहिये कि अपन सदव्यवहार से जनता के दिलो को जीते उनमे अटल विश्वास जगायें एव सभी का ध्यान अध्ययन की ओर आकृष्ट करे । य ही बातें पुस्तकालय प्रसार सेवा को बढावा देन म पुस्तकालयाध्यक्ष को ध्यान रखनी चाहिए यह उसक चरित्र क गुणा म से एक गुण हो जाय तो समझो की जनता का दिल उसने जीत लिया वह अपन गुणा स कत्त य क प्रति सतक व सजग होगा तभी पुस्तकालय प्रसार सेवा का काय पूण होन की सम्भावना होगी ।

2 सहयोग की भावना—सहयोग की भावना अच्छी सेवा का वह गुण है जिससे प्रभावित होकर पाठक पुस्तकालयाध्यक्ष के कार्यों की प्रशंसा करते हैं। पुस्तकालयाध्यक्ष को चाहिए कि वह समाज के समक्ष एक अधिकारी की हैसियत से अपने को न रखें अपितु एक सहयोगी के रूप में प्रस्तुत हो। सहयोग की भावना ही पुस्तकालय सेवाओं की सफलता का एकमात्र राज होता है बच्चे, बूढ़े, स्त्री, पुरुष, विद्यार्थी, शिक्षक सभी प्रकार के पाठकों की मांगों को सहयोग से ही पुस्तकालयाध्यक्ष पूर्ण करता है। यदि पुस्तकालयाध्यक्ष समाज के उक्त लोगों का सहायता नही करता है तो विरोध का जन्म होगा सहयोग सन्देहास्पद रहेगा, तब पुस्तकालय प्रसार के कार्यों में सफलता आंशिक रूप से ही प्राप्त होगी। इसलिए पुस्तकालयाध्यक्ष को सहयोगी व्यवहार अपने में सचित करना चाहिये ताकि गावों के किसानों को कृषि साहित्य प्रदान में सरकारी कर्मचारियों की तात्कालिक सूचनाओं से एव निरक्षर प्रौढ स्त्री पुरुषों को अध्यापन के माध्यम से सहयोग दिया जा सके। इस तरह पुस्तकालय प्रसार का लक्ष्य पूर्ण होगा।

जहाँ धन की आवश्यकता है वहाँ अर्थधन सग्रह करना चाहिए तथा जहाँ श्रम की वहा मजदूरों का सगठित करना चाहिए और जहाँ बुद्धि की आवश्यकता है, वहा सुशिक्षित जनता का साथ लेकर एक स्थान पर सगठित करना चाहिए। जब सभी तत्त्व एक स्थान पर हो जायेंगे तो लोगों में प्रेरणा जागृत होगी योगदान देंगे। पैसा की आवश्यकता, पुस्तकों का दान, भवन के निर्माण आदि में इनसे सहायता ली जा सकती है। इन्हें पुस्तकालय में सगठित करने का अर्थ होगा उन्हें अपने दायित्वों के प्रति सजग करना। स्वतन्त्र भारत में सगठन की क्षमता का आना बहुत जरूरी है, क्योंकि वर्तमान के कार्य बिना सगठन के पूर्ण नही किये जा सकते।

4 ग्रामीण व शहरी परिवेश का ज्ञान—चूंकि पुस्तकालय प्रसार कार्य जनकल्याण हेतु प्रसारित है, एक ऐसा ही गाव एव शहर में वास हित में रचनात्मक वर्ग गाव एवं शहर में वास करता है जो श्रम से जीविका निर्वाह करता है, एम कार्य जो समाज हित में रचनात्मक माने जाते हैं श्रमिक वहिवक करते हैं युवक श्रमदान करते हैं, इनके कार्य को प्रोत्साहन देने के लिए स्वय पुस्तकालयाध्यक्ष को एसे कार्य करने चाहिए ताकि जनसमुदाय को प्रोत्साहन मिले, वे स्वय अपना कार्य अपने सहयोगियों के माध्यम से करना सीखें, वाचनालय में आने वाले पाठकों के साथ वे भी निर्भीक होकर आये और पुस्तकें पढे। उनमें स्वावलम्बन एवं आत्म-निर्भरता की भावना जागृत होगी शिक्षा से विकास का प्रकाश उनके अन्दर दीपित होगा।

पुस्तकालय प्रसार भारत के अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में होना है पुस्तकालयाध्यक्ष को अच्छी शिक्षा दीक्षा के साथ साथ उस क्षेत्र के सस्कारों से भी अवगत होना चाहिए। ग्रामीण जनता सहज जीवन जीने में विश्वास करती है जबकि

शहरी, कृत्रिमता एव आधुनिकता मे सुखानुभूति करती है ऐसी स्थिति म दोना स्थाना पर प्रचलित परम्पराओ सस्कारा का निवाह पुस्तकालयाध्यक्ष के द्वारा किया जाना चाहिये ताकि उन सस्कारो से अभ्यस्त हो जाये और जनता उसे अपना सके।

ग्राम की जनता यदि गीता, रामायण, महाभारत की प्रेमी है ता पुस्त कालया क कायक्रमो मे इन्हे स्थान मिले, अखण्ड रामायण पाठ हो, धार्मिक आख्यान हो तो लोगो को इस प्रकार के काय के प्रति अटूट श्रद्धा हागी और वे पढने के अभ्यस्त होने के लिये पुस्तकालय के द्वार खटखटायेंगे।

(द) व्यवसाय सम्बन्धी तकनीकी गुण—पुस्तकालय व्यवसाय हमारे देश क लिये एक नया विषय है इस विषय के विस्तार हेतु देश के 50 विश्वविद्यालयो व शिक्षण सस्थाओ मे प्रशिक्षण दिया जाता है। इनम मे कुछ महत्त्वपूण हैं—(1) दिल्ली विश्वविद्यालय (2) मद्रास विश्वविद्यालय (3) नागपुर विश्वविद्यालय (4) चडीगढ विश्वविद्यालय (5) पजाब विश्वविद्यालय (6) सागर विश्वविद्यालय (7) बम्बई विश्वविद्यालय (8) नागपुर विश्वविद्यालय (9) विक्रम विश्वविद्यालय (10) ग्वालियर विश्वविद्यालय (11) जबलपुर विश्वविद्यालय (12) अलीगढ विश्वविद्यालय आदि। पहले इन प्रशिक्षण सस्थाओ का मुख्य ध्येय पुस्तकालयाध्यक्षों को प्रशिक्षित कर समाज सेवी सस्थाओ व सावजनिक पुस्तकालया म प्रौढ शिक्षा काय क्रमो का चलाने हेतु भेजा जाता था किन्तु कुछ समय बाद विज्ञान शिक्षा व सामाजिक अनुसधान की बढती हुई माग को देखत हुए शोध व अनुसधान केद्रो म भेजा जाने लगा और आज ये प्रलेखक व सूचना केन्द्रा क उत्तरदायित्व पूण पदा को सफलता पूवक सुशोभित कर रहे हैं। प्रशिक्षण के दौरान इन्हे पुस्तकालय वर्गी करण, सूचीकरण, व्यवहार व सिद्धान्त, सन्दभ व प्रलेखन सेवा प्रशासन के सिद्धान्त सगठन एव ग्रन्थ परक सेवाओ का अध्ययन कराया जाता है। चू कि यह विज्ञान अब सूचना सेवाओ मे जुड गया है अत कम्यूनिकेशन सूचना पुन प्राप्ती, साव-भौम विषया का ज्ञान, पुर्नउत्पादन सेवा अनुवाद काय जैसे तकनिकी विषयो की पढाई कराई जाती है। पुस्तकालय व सूचना विज्ञान मे दिल्ली, जयपुर चण्डीगढ, मद्रास, बगलौर आदि स्थानो पर शोध व अनुसधान का भी काय होता है।

इन प्रशिक्षण सस्थाओ का मुख्य उद्देश्य पुस्तकालय प्रसार सेवा को सारे देश मे पूण विकसित करना व राष्ट्रीय विकास म सहयाग देना है। पुस्तकालय विज्ञान विषय म पूण पारगत होकर प्रत्यक प्रशिक्षणार्थी पुस्तकालय प्रसार सेवा म आता है और अपने दायित्व को निभाता है।

आज पुस्तकालयाध्यक्ष का दायित्व पहले की अपेक्षा बहुत बढ गया है। दायित्व के दृष्टिकोण से उसमे निम्न गुणो का होना आवश्यक ही नहीं वरन् अनिवार्य है।

1 विषय का पूर्ण ज्ञान ।
2 नय मानाजक की प्रबल इच्छा ।
3 शीघ्र निर्णय की क्षमता ।
4 किसी बात को समझने एव व्यक्त करने की क्षमता ।
5 स्थानीय साधनो का उचित उपयोग ।

पुस्तकालयाध्यक्ष अपने विषय का ज्ञाता हो ताकि पुस्तकालय के सचालन एव सगठन म कोई अवरोध उत्पन्न न हो । ज्ञान विज्ञान के विभिन्न विषयो म प्रकाशित पुस्तको को पढने की उसे प्रबल इच्छा हो ताकि स्वय पढकर दूसरो का मार्गदर्शन द सके "जो पुस्तकालयाध्यक्ष पुस्तको से प्रेम नही करता वह पुस्तकालयो म प्रवेश करने का भी अधिकारी नही है । ' पुस्तको के विषय मे उसे पूर्ण जानकारी होना चाहिए और उसे यह भी जानना चाहिए कि कौन सी पुस्तक किसके लिए उपयोगी है । '[7]

किसी कार्य को तत्परता से करने या न करने की क्षमता उसम होनी चाहिये नही तो पुस्तकालय सेवा कार्य बहुत पिछड जायेगा । पुस्तको की बात या व्यावहारिकता की बातो को समझने एव पढकर सुनकर समझाने की सामर्थ पुस्तकालयाध्यक्ष म होना चाहिये जिससे कि नव जिज्ञासुओ को कठिनाइयो का निराकरण किया जा सकें पुस्तकालय प्रसार के लिये जितने भी स्थानीय साधन उपलब्ध होत हैं उनका यथोचित उपयोग करने की कला का समावेश पुस्तकालयाध्यक्ष मे अवश्य होना चाहिये । "किसी पुस्तकालयाध्यक्ष को केवल पुस्तक पाठक नियोजन की कला का विशेषज्ञ मानना ही पर्याप्त नही होगा प्रत्युत उसे एक आदर्शवादी सेवक भी मानना पडेगा जो पुस्तको का उत्तरोत्तर प्रयोग बढाने के लिए अहर्निश अथक परिश्रम करता रहता है ।[8]

उपरोक्त सभी गुण पुस्तकालय प्रसार के लिए एक पुस्तकालयाध्यक्ष मे होने चाहिये । इसके अलावा प्रशासन की दृष्टि से कुछ विशेष गुणो व तत्वो का होना पुस्तकालयाध्यक्ष के लिये अनिवार्य है जिनका उल्लेख पुस्तकालय जैसे सामुदायिक केन्द्र क विकास एव प्रसार सेवाओ हेतु आवश्यक है । इन तत्वो के अभाव मे जिन्हें प्रशासक के सिद्धान्त माना जाता है ग्रन्थालय सेवा का काम जटिल हो सकता है। एल डी व्हाइट न ठीक ही कहा है कि "प्रशासक की कला किसी उद्देश्य की प्राप्ति हेतु निर्देशन सहयोग तथा नियन्त्रण है ।"

इस विभिन्न प्रसार सेवाओ मे बेहतर परिणाम लाने हेतु निम्न तत्वो पर विचार करना जरूरी है प्रशासन के सात तत्व ये है—

1 नियोजन
2 सगठन
3 कर्मचारियो की व्यवस्था
5 निर्देशन करना

4 समन्वय करना
6 रिपोर्टिंग
7 बजट बनाना

1 नियोजन (Planning)—जिस प्रकार उद्योग, व्यापार व व्यवसाय के लिए किये जाने वाले कार्य हेतु नियोजन रूपरेखा तैयार की जाती है उसी प्रकार पुस्तकालयाध्यक्ष को भी विशेषत इन ग्रन्थालयो मे जो लोक शिक्षण के सामुदायिक केन्द्र है प्रशासन के इस पृथक सिद्धान्त को अपनाकर योजनाबद्ध प्रणाली से काम करना चाहिये। पुस्तकालय प्रसार सेवा हो अथवा पुस्तकालय के द्वारा सामान्य सेवा ही क्यो न हो प्रदान करने के पूर्व पाठको की संख्या, उनकी रुचि व उनकी शिक्षा सम्बन्धी स्थिति का अध्ययन पुस्तकालयाध्यक्ष को करना चाहिये। प्रो० अग्रवाल का मत है कि "जन ग्रन्थालय के क्षेत्र मे योजना निर्माण का अर्थ है ग्रन्थालय सेवा प्रदान करने से पूर्व उस बस्ती (Locality) का पूर्ण अध्ययन अर्थात् उनके निवासियों की भाषाओ, परम्पराओ व्यवसायो व शैक्षणिक स्तर आदि का अध्ययन कर आधारो पर ग्रन्थालय सेवा प्रदान करने की योजना निर्मित की जाती है।"[10] यह तो योजना का बाह्य पक्ष हुआ इसके साथ ही ग्रन्थालय के आन्तरिक पक्ष के प्रशासन मे भी भवन निर्माण, ग्रन्थ चयन वर्गीकरण व्यवस्थापन एवं वाचनालय का नियोजन भी प्रसार सेवा की दृष्टि से बहुत आवश्यक है।

2 संगठन (organization)—योजना निर्मित के उपरान्त पुस्तकालय सेवाओ के संगठित स्वरूप का संचालन करना बाह्य स्वरूप के संगठन को देखें तो इसके अन्तर्गत, पुस्तक प्रदर्शनियो का आयोजन, पुस्तकालय प्रसार कार्य मेले व उत्सवो पर चलचित्र प्रदर्शन एवं पुस्तकालय संघो की बैठक, सेमिनार इत्यादि का संगठन करना आन्तरिक संगठन की दृष्टि से पुस्तक प्राप्ति विभाग, आदेश विभाग, तकनीकी विभाग, पुस्तक संग्रह का व्यवस्थापन तथा सामयिक विभाग के संगठन पर ध्यान देना श्रेष्ठ पुस्तकालय सुविधाओ का प्रतीक होगा। "पुस्तकालय के विभिन्न विभागो का पूर्ण रूप से विकास तभी संभव है जब हम उन्हे अपने उद्देश्यो के विषय मे अवगत कराये और इस बात का भी ध्यान दिलायें कि वे अपने कार्यों को ठीक ढंग से कर रहे है।"[11]

3 कर्मचारियों की व्यवस्था—दिनो दिन पुस्तकालय सेवाओ के प्रति पाठक वर्ग मे प्रशासन मे के प्रति असन्तोष बढ रहा है। उसका प्रमुख कारण है पुस्तकालयो मे कर्मचारियो की व्यवस्था का न होना पाना। एक ओर शासन यह चाहता है कि समुचित पाठको को कोई असुविधा न हो और दूसरी ओर कर्मचारियो की नियुक्ति भी नही कर पा रहा है तब ऐसी स्थिति मे पुस्तकालय सेवाओ का औचित्य खतरे मे लगता है, उज्ज्वल भविष्य व पुस्तकालय सेवाओं मे कर्तव्य निष्ठा के लिए योग्य, परिश्रमी तथा समुचित संख्या मे कर्मचारियो की आवश्यकता पड़ती है।"[1]

पुस्तकालयाध्यक्ष की आवश्यकतानुरूप व्यवसाय निपुण, पुस्तक प्रेमी एव पाठको के प्रति सवाभाव गुणो से युक्त व्यक्ति की नियुक्ति हेतु अपन पुस्तकालय म व्यवस्था करना चाहिए तभी प्रसार सवा की याजना का मूत रूप प्राप्त हा सकेगा।

4 निर्देशन (D rectine) – निर्देशन नेतृत्व का एव ऐसा गुण है जो काम करवाने की याग्यता व निणय लेने की क्षमता का द्योतक है। इस गुण के प्रयोगात्मक पहलू निर्देश को हम यदि पुस्तकालय काय के भली भाति सम्पन्न कराने म सामथ्यवान नहीं ह, ता काम सुचारू रूप स नही हा सकता। पुस्तकालयाध्यक्ष यदि उचित निर्देश नही द पाय तो कमचारिया स अच्छे काम के प्रतिफल की आकाक्षा कम रहती है अत ग्रन्थालयो म यह याग्यता भी हा कि किसी विभाग का काय किसी कमचारी स नही हो रहा है तो वह उस मित्रवत माग दशन दें समभाव और अपन अधीनस्थ कमचारियो म अपनी व्यावहारिकता का आदश प्रस्तुत कर सक। कमचारियो म अपन प्रशासक क प्रति पूण निष्ठा सद्भाव व सहयोग की भावना का होना ही इस बात का द्योतक कि प्रशासक की कायप्रणाली से सभी प्रसन्न है। यही एक प्रशासक के निर्देशन की नियति ह।

5 समन्वय करना (Co ordination)—समन्वय एक ऐसा शब्द है जहाँ पानी और दूध के मिलने पर भी वह दूध ही कहलाता है, जबकि दानो की सत्ता अलग-अलग है। वही स्थिति पुस्तकालय एव उनसे सम्बद्ध विभागो की हानी चाहिए तभी वह सच्चे मायने मे समन्वय है। कहने का तात्पय यह है कि पुस्तकालय प्रसार सवा म पुस्तकालयाध्यक्ष क साथ कमचारियो का सहयोग तथा अन्य विभागा स सन्तुलित तालमेल ही समन्वयभाव की परिणिती है। यहाँ अन्य विभागो से मेरा तात्पय, शिक्षा विभाग के विभागाध्यक्षा, लाक पुस्तकालय के सचालका व ईकाई पुस्तकालयो व अन्य विभागीय पुस्तकालय के विभागाध्यक्षो से है जिनका आपसी तालमेल प्रशासकीय नीतिया के कारण ठीक नही बैठ पाता जिससे समन्वय भावना का ठेस पहुँचती है। फिर भी ग्रन्थालय के अध्यक्ष की भावना के साथ साथ अन्य विभागा के लोगा को भी अपने काय के प्रति कत्तव्यनिष्ठ हाना चाहिए। समन्वय से विकास का दुगम माग भी खुल जाता है अत मिलजुलकर आत्मनिष्ठा से काय करना ही इस क्षेत्र म सबसे बडी उपलब्धि होगी।

6 रिपोर्टिंग (Reporting)—तथ्यो व आकडो का प्रतिवेदन विभिन्न विभागो से प्राप्त कर उसका सामूहिक प्रतिवेदन तयार कर अपने विभागाध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत करना ही रिपोर्टिंग है। इसके अन्तगत विभागा की प्रगति तथा आने वाले तन्त्र मे आवश्यक साधन सामग्री की जानकारी उच्चाधिकारिया तक पहुँच जाती है। इस प्रकार पुस्तकालयाध्यक्ष अपन कार्यो व कत्तव्यो के प्रति सजग रहता है और पुस्तकालय की प्रगति भी स्पष्ट हो जाती हैं। पुस्तकालय सेवाओ मे उत्तरोत्तर वृद्धि हेतु ऐसे प्रतिवेदन प्रस्तुत करना पुस्तकालय व्यवसायिया के लिए

सभी दृष्टि मे लाभप्रद सिद्ध होते है। वर्ष भर की गई बाह्य एव आन्तरिक गतिविधियो का लेखा जोखा भी इसमे सम्मिलित है। पुस्तकालय प्रचार एव प्रसार हेतु किये गये सारे कार्यकलाप भी प्रतिवेदन के महत्वपूर्ण अ ग है।

7 बजट बनाना (Budgeting)—आर्थिक ससाधन योजना विकास के प्रमुख स्रोत है कोई भी सगठन बिना आर्थिक सहायता के अपग है और बिना कुशल प्रशासक अधूरा। पुस्तकालय सगठन समाज शिक्षा, शोध व विकासशील राष्ट्र की उन्नति मे सदैव तत्पर रहता है अत पुस्तकालयाध्यक्ष को पूरे वर्ष व योजना काय क्रम का आय व्यय तैयार कर अपनी मागो का लिखना चाहिए साथ ही उपयुक्त अधिकारियो को मागो का युक्ति सगत कारण भी स्पष्ट करना चाहिए। "साधारणतया हमारे देश म ग्रथालयो के विकास के लिए समुचित धन की व्यवस्था नही की जाती फलत ग्रथालयो का समुचित विकास नही हो पाता।"[13] जन सामान्य की धारणाओ को अनुभव करते हुए प्रशान्त कुमार बैनर्जी लिखते है कि ' प्राय यह समझा जाता है कि पुस्तकालय मे धन का केवल व्यय ही होता है और उसमे देश को आर्थिक दृष्टि म कोई लाभ नही होता इसलिए शासन इसकी उपयोगिता को समझते हुए भी इसे पर्याप्त रूप स आर्थिक सहायता देने मे आनाकानी करता है और इसमे पुस्तकालयो का समुचित विकास नही हो पाता।'[14] यही कारण है कि देश के अधिकाश पुस्तकालय आर्थिक जजरता म जूझ रहे है और जिससे पुस्तकालय व्यवसाय की छवि धूमिल होती जा रही है। इस क्षेत्र मे विश्व विद्यालय अनुदान आयोग ने बहुत प्रशसनीय काय किया है। अनुदान आयोग की आवटित राशि का समय पर उपयोग कर पुस्तकालयाध्यक्ष को उपयोगिता प्रमाण पत्र भेज देना चाहिए ताकि शीघ्र दूसरा आवटन स्वीकृत होकर आ जाय इसी प्रकार का सहयोग यदि राज्य सरकारें भी करें तो पुस्तकालय सेवाओ के भविष्य मे सुधार निश्चित होगा इन सब बातो के अतिरिक्त पुस्तकालय अधिकारी का यह कर्त्तव्य हो जाता है कि जो कुछ भी धन जितनी भी मदो के लिए प्राप्त होता है उसका यथा सम्भव उपयोग कर उसकी रिपोट तत्काल प्रस्तुत करें एव भविष्य की योजनाओ की सख्यात्मक व गुणात्मक प्रगति की रूपरेखा भी आकडो के साथ भेज दें ताकि आवश्यकताओ पर पुनर्विचार हेतु अधिकारी वग ध्यान दें।

इस प्रकार ऐसा करने से प्रशासन के उपयु क्त सात महत्वपूर्ण सिद्धान्तो की व्यवहारिक अवधारणा को सफलता मिलेगी व ग्रथालय म एक कुशल नेतृत्व का भाव प्रकट होगा। परन्तु प्राय यह देखने म आता है कि ग्र थालय म ग्रथालय के नेतृत्व की उपेक्षा की जाती है विभागो के अध्यक्ष अपने अलग आदेश दिया करते हैं सस्था प्रमुख को उन पर विचार करना होता है और बहुत के बार यह होता है कि ग्रथालयी के सुभाव की अवभावना हो जाती है। कहीं-कहीं प्रभारी ग्रथालय बनाये जाते है जो अपने पद का दुरुपयोग कर ग्रथालयो की बातो से सहमत नहीं हो पाते और पुस्तकालय प्रक्रिया मे व्यवधान उत्पन्न होते रहते है। इन सब बातो

से बचने के लिए 'आदेश की एकता' व नेतृत्व का अधिकार किसी एक व्यक्ति को सौंपा जाना चाहिए। प्रा एस एस अग्रवाल का कहना है 'यदि नेतृत्व का अधिकार एक ही व्यक्ति को नही दिया जायेगा तो कमचारियों की कार्यक्षमता का ह्रास होकर काय मे देरी और गडबडी हो जाना अवश्यम्भावी है।"[15] आज पुस्तकालय जगत् मे नेतृत्व परिवतन की आवश्यकता है क्योकि सद्धान्तिक रूप से हम मानते है कि ग्रन्थालयी स्वनिर्णय लेने मे सक्षम है किन्तु व्यवहार मे इसका बिलकुल उलटा है, जब तक पुस्तकालय विज्ञान के की व्यवस्था न हो नेतृत्व बँटा हुआ रहेगा।

अत प्रशासन की उपरोक्त दशाओ का अध्ययन शासक व शासन दानो के द्वारा किया जाना चाहिए। प्रशासन म आ रही कठिनाइया को जब तक दूर नही किया जाता तब तक पुस्तकालय सेवाओ को वज्ञानिक आधार प्रदान नही किया जा सकता। वैज्ञानिक आधार के बिना पुस्तकालय जैसी जटिल सस्था के कार्यों को आसानी से हल नही किया जा सकता इसके उपचार हेतु ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है।

प्रसार विधियों का प्रयोग —भारत म यद्यपि पुस्तकालय सेवाओं के प्रति कोई "राष्ट्रीय पुस्तकालय नीति" नही अपनाई गई है अत पुस्तकालय प्रसार सेवा का स्वरूप उतना समुन्नत नही हो पाया है जितना अमेरिका, ब्रिटेन एव सोवियत सघ म है। विदेशो मे पुस्तकालय प्रसार की अनेक विधियो का प्रयोग जन शिक्षा के विकास हेतु किया जाता है। ब्रिटेन के ग्रामीण क्षेत्रो मे भी ग्रामीण एव शहरी दोनो प्रकार के लोगो को पुस्तकालय सुविधा प्रदान करने हेतु शाखा पुस्तकालय भवनो की स्थापना की गई ताकि पुस्तकालय प्रसार काय को बढ़ावा मिले और लाग पुस्तकालयो की सुविधा का पूर्ण लाभ ले सके।

पुस्तकालय से सम्बद्ध केन्द्रो के नियमित पाठको तथा साक्षरता आन्दोलन स जुडे पाठको तक उनकी पाठ्य सामग्री उपलब्ध करान का काय प्रसार सेवा का मुख्य अग है। ऐसे पाठको जिनका शैक्षणिक विकास रुक गया है तथा जिन्हे पढने की इच्छा है लेकिन अध्ययन सामग्री के अभाव मे विवश है, और वे लाग जो अनपढ होकर भी कुछ सीखना चाहते है एस व्यक्तियो को प्रसार की विभिन्न विधियो द्वारा पुस्तकालय सेवा की ओर आकर्षित किया जाता है।

भारतीय परिस्थितियो के अनुकूल प्रसार सेवा की विधियो को डॉ रगनाथन ने अपने ग्रन्थ 'पुस्तकालय विज्ञान के पाच सूत्र' म निम्नानुसार अभिव्यक्त किया है।

1 अशिक्षितो के समक्ष पढना।
2 जनता की भाषा मे पुस्तको का अनुवाद करना।
3 अध्ययन-गोष्ठीयो का आयोजन।

4 बौद्धिक केन्द्र गोष्ठी ।
5 पुस्तकालय वार्ता ।
6 संगीत ।
7 पुस्तकालय प्रदर्शनी ।
8 कहानी-पाठ ।
9 उत्सव व मेले ।

उपरोक्त विधियों को अपनाकर पुस्तकालयाध्यक्ष निरक्षर भारतीयों के लिए क्रियान्वित प्रौढ़-साक्षरता कार्यक्रम में सहयोग देकर शिक्षा का प्रसार कर सकता है इन विधियों पर हम क्रमशः विचार करेंगे।

1 अशिक्षितों के समक्ष पढ़ना —भारत में जहाँ भी प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम चल रहे हैं उन स्थानों पर पुस्तकालयाध्यक्ष निरक्षरों के समक्ष जाकर उनकी रुचि की प्रेरक कथा, कहानी जीवनियाँ, कृषि साहित्य, पशु-पालन रोग निदान व कीटनाशक दवाईयों के उपयोग आदि के बारे में पढ़कर सुनावें तो निश्चित ही अशिक्षितों के मन में पढ़ने की उत्सुकता जगेगी और वे अक्षर ज्ञान सीखने व शिक्षा ग्रहण करने में रुचि दिखायेंगे ।

2 जनता की भाषा में पुस्तकों का अनुवाद कर पढ़ना —विभिन्नता में एकता के देश भारत में अनेक भाषा व बोलियों का प्रयोग होता है । प्रत्येक प्रांत की भाषा व बोलीयाँ अलग-अलग हैं और उसी के अनुरूप प्रदेशों में ग्रन्थों का सृजन भी होता है । ऐसी स्थिति में अन्य प्रदेश की भाषा में लिखी पुस्तकों का स्थानीय भाषा व बोली में अनुवाद कर पढ़कर सुनाने से निरक्षरों में अन्य प्रदेशों की प्रगति व नवीन तकनीकों की जानकारी हो सकेगी यह कार्य (अनुवाद व पढ़ना) पुस्तकालयाध्यक्ष को करना चाहिए । जिससे ग्रामीण निरक्षरों में नई नई जानकारियों को जानने की जिज्ञासा प्रबल होगी तथा प्रसार सेवा का उद्देश्य भी पूर्ण होगा ।

3 अध्ययन गोष्ठी —जो पाठक साक्षर हैं साथ ही पुस्तकालय सेवाओं का लाभ लेते हैं उनमें अधिक जिज्ञासा व अध्ययन की प्रेरणा देने के लिए अध्ययन गोष्ठीयों का आयोजन प्रसार सेवा का महत्वपूर्ण कार्य है । भली भांति पढने वाले पाठकों ने एक माह में जो कुछ पढ़ा है उसका गोष्ठी के माध्यम से विचार विनिमय अथवा आदान प्रदान माह में एक बार पुस्तकालय में अथवा शाखा केन्द्रों पर हो तो साक्षरों के विचारों में परिपक्वता आयेगी और वे और अधिक पुस्तकालय सुविधाओं का लाभ लेना चाहेंगे । उनके लाभ की पठन-सामग्री जुटाने में पुस्तकालयाध्यक्ष सहयोग करेंगे तो गोष्ठियों के आयोजन में विस्तार होगा ।

4 बौद्धिक केन्द्र —पुस्तकालय की सुविधाओं का लाभ लेने वाले पाठकों में कुछ ऐसे पाठक भी होते हैं जिनकी सोच समझ अध्ययन मनन, बातचीत व व्यक्तित्व विवेक इतना प्रभावशाली व आकर्षक होता है कि उन्हें हम सामान्य

पाठकों की श्रेणी म न रखकर विशेष बौद्धिक-स्तर के वग मे रखते हैं। उनके साथ वही व्यवहार हम करना चाहिए जैसा उनका स्वय का है। एस वग के लिए उनकी रुचि के अनुसार बौद्धिक केन्द्र चलाने चाहिए जिनमे धम, दशन, राजनीति, समाज इतिहास, व सस्कृति जैसे विशेष विषयो पर ही विचार विमश तथा गम्भीर अध्ययन व चर्चा हो इनके अनुकरण से अन्य पाठक प्रभावित होगें और पुस्तकालय मे एक सुखद पारिवारिक वातावरण बनगा।

5 पुस्तकालय वार्ता —पुस्तकालय वाता भी पुस्तकालय प्रसारण अथवा प्रसार सेवा की उत्तम विधि है इस विधि द्वारा पुस्तकालय कमचारी तथा जन समूहो की उपस्थिति म प्रतिष्ठित लोगो द्वारा वाताभाषण व वाद विवाद तत्व हा साथ ही पाठकगण भी इनमे भाग लें तो प्रसार सेवा का उद्देश्य पूण होगा तथा पाठकों का पुस्तकालय मे आना व पुस्तका द्वारा विभिन्न कायक्रमो हेतु अपने को तैयार करना लाभप्रद सिद्ध होगा।

प्रसिद्ध लोगो के भाषण, अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की वार्तायें विशिष्ठ लोगो के लिए उपयोगी होगी व पुस्तकालय का नाम भी प्रसिद्ध हागा जिससे भविष्य मे कई लाभ हो सकते है। म प्र के खण्डवा जिले की बुरहापुर तहसील के बुरहानपुर शहर मे होने वाली "व्याख्यान माला' जो कि लोक पुस्तकालय द्वारा आयाजित की जाती है इन्ही कारणा से सम्पूण भारत वष मे प्रसिद्ध है।

6 सगीत या मनोरजन के कार्यक्रम —पुस्तकालय की सेवाओ को प्रसारित करने की यह सर्वोत्तम विधि है। पुस्तकालय के सभाकक्ष अथवा वाचनालय कक्ष मे चलचित्र, सगीत समारोह, मुशायरा नाटक, कवि सम्मेलन, गीत गजल अथवा लोकसगीत का आयोजन होता रहे तो श्रोताओ का मन पुस्तकालय की ओर आकर्षित होगा। पाठका की सख्या मे वृद्धि होगी ता पुस्तकालय का उपयोग भी स्वाभाविक ही बढेगा।

7 पुस्तकालय प्रदशनी —आज हमारा देश जिन परिस्थितिया मे गुजर रहा है और विश्व मे आधुनिक आणविक शस्त्रो की जिस तीव्रता से होड बढती जा रहा ह वही हमारे ग्रामीण भारत की जनजीवन बातो से बेखबर हमारा ग्रामीण कृषि कम व श्रम म जुडा अपने उदर पाषण मे लगा हुआ है देश के आर्थिक विकास मे 20 सूत्रीय कायक्रम, राष्ट्रीय सेवा योजना, परिवार कल्याण कायक्रम तथा विश्व म शान्ति स्थापना हेतु गुट निरपक्ष सम्मेलन की अहम भूमिकाओ से सम्बन्धित साहित्य व चित्रो की प्रदशनी लोक पुस्तकालयो मे ग्रामीण जनता हेतु व शैक्षणिक सस्थाओ मे शिक्षको व विद्यार्थियो के लिए लगायी जावे तो राष्ट्रीय व अन्तराष्ट्रीय घटना-क्रम व कायकलापा की जानकारी सुविध पाठको को होगी।

वैज्ञानिक अनुसधान व अन्तरिक्ष उडान के क्षेत्र मे भारत द्वारा किये गये परीक्षणा की जानकारी भी प्रदशनी म चित्रो के माध्यम म दिखायी जा सकती

है इनके ऊपर प्रकाशित साहित्य को पढने म पाठक अपनी रुचि दिखायेंगे तो अध्ययन प्रवृत्ति म भी परिवतन आयेगा नये-नये पाठक भी पुस्तकालय की सदस्यता हेतु प्रेरित होंगे। इस प्रकार प्रसार-सेवा का लक्ष्य पूण होता नजर आयेगा।

8 कहानी पाठ —साहसी, वीरता-पूण चरित्र से युक्त कहानी, हास्य व्यग से भरपूर सस्मरण व विनोद-पूण साहित्य का पाठ बच्चो व वृद्ध जना का प्रसन्न करने के लिये सुनाय व सुने जावे ताकि उनका मनोरजन भी हो व पुस्तकालय की प्रसार सेवा का उद्देश्य भी पूण होता रहे।

9 उत्सव व मेले —अनेक धम व सस्कृतियो से भरपुर हमारा देश उत्सव, मेले, त्यौहार व महापुरुषो की जयती मनाने के लिए प्रसिद्ध है। हो भी क्यो न ? यहा की विशाल, परम्परायें, विराट जीवन दश तथा सब धम के समन्वय की एकता ने विराठ-भारत का स्वरूप प्रदान किया है। प्रत्येक धम के अपने त्यौहार, हर धम के अपने देवी-देवता व हर जाति का अपना महा मानव यहा पैदा हुआ है जिनकी याद मे प्रतिवष उत्सव मनाये जाते हैं। मेले लगते ह और भारत क ग्रामीणो की सास्कृतिक परम्पराओ को फलने फूलने का अवसर मिलता है।

इन अवसरो पर पुस्तकालयो के अधिकारियो द्वारा हर धम, जाति, सस्कार व इतिहास-पुरुष व्यक्तियो की जीवनी के साहित्य चित्र को प्रदर्शित कर उनम पढने की प्रेरणा जगावें तो जनता मे फले भ्रम व अज्ञानता का अ त होगा, भाई चार की भावना बढेगी। एक अनुभवी पुस्तकालयाध्यक्ष श्री एन डी बगरी न तो यहाँ तक लिखा है कि "इनकी एक स्मारिका जन-समुदाय म बाटना चाहिए जिसको पढने से लोगा को ग्रथो के बारे मे अनुभव प्राप्त होता है" ।[17]

अनुभव के साथ ही यह अ य धर्मों का समझने रीति-रिवाज, परम्पराओ व सास्कृतिक विभिन्नताओ को अपनाने म भी ग्रामीण अपनी बुद्धि का सदुपयोग कर सकते हैं। यह विधि राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने म भी बहुत सहायक होगी।

इस प्रकार पुस्तकालयाध्यक्ष अपने बुद्धि विकास, कला कौशल एव व्यव सायिक योग्यता का उपयोग कर पुस्तकालय प्रशासन मे चुस्ती व पुस्तकालय प्रसार सेवा म तीव्रता ला सकता है। देश म बढती हुई निरक्षरता की समस्या का समाधान भी प्रसार सेवा की उपरोक्त विधिया द्वारा किया जा सकता है। बशर्ते कि केन्द्र एव राज्य सरकारो द्वारा पुस्तकालय सेवाओ को महत्त्व दिया जावे, पुस्तकालय कानून-पास किये जावे और राष्ट्रीय पुस्तकालय नीति का निर्माण भी हो। आश्चय ता यह है कि देश म वीडियो, टलीविजन का प्रचलन गाँवो तक म पहुँच रहा है किन्तु पुस्तकालय स्थापित करने के प्रति न जनता जागरूक है आर न ही सरकार। प्रगति फिर भी प्रगति है चाहे व अगूठा निशानी तक ही सिमटी क्यों न हो वैज्ञानिक विकास म हमने प्रगति कर ली है।

सन्दभ —

1. सहाय (श्रीनाथ) पुस्तकालय एव समुदाय, पटना, बिहार हिन्दी ग्र थ अकादमी 1975 पृ 322
2. वर्मा (सुभाष चन्द्र) पुस्तकालय सगठन एव सचालन, जयपुर राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी 1978 पृष्ठ 160
3. अग्रवाल (एस एस) ग्रन्थालय सचालन तथा प्रशासन, आगरा श्रीराम मेहरा एण्ड कमाक 1976, पृष्ठ 64
4. Rao (K Ramkrishna) Philosophy of Librarianship in Development of Libraries in New India Edited by N B Sen New Delhi New book Society of India 1965 p 297
5. वर्मा (महादेवी) प्रौढशिक्षा म पुस्तकालयो का योगदान, विचार गोष्ठी म दिया गया भाषण।
6. स भास्करनाथ तिवारी इलाहाबाद वोहरा पब्लिशस, 1990 पृ 11
7. Harrison (K C) First step in Librarianship, London Andre Deatsch, Ltd, 1980, p 86
8. बैनर्जी (प्रशान्त कुमार) पुस्तकालय व्यवस्थापन, भोपाल मध्य प्रदश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी 1972, पृ 7
9. दत्त (विमल कुमार) पुस्तकालय काय पद्धति का व्यवहारिक ज्ञान, नयी दिल्ली एशिया पब्लिशिग हाऊस, 1958 पृ 2-3
10. White (L D) Public Administration p 4
11. अग्रवाल (एस एस) ग्रन्थालय सचालन तथा प्रशासन, आगरा, श्रीराम मेहरा एण्ड कमाक 1976 पृ 9
12. बनर्जी (प्रशान्त कुमार) पुस्तकालय व्यवस्थापन, पृ 9
13. अग्रवाल (एस एस) ग्रन्थालय सचालन तथा प्रशासन, पृ 10
14. अग्रवाल (एस एस) ग्रन्थालय सचालन व प्रकाशन, प 11
15. बैनर्जी (प्रशान्त कुमार) पुस्तकालय व्यवस्थापन प 10
16. अग्रवाल (एस एस) ग्रन्थालय सचालन तथा प्रशासन पृ 11
17. Ranganathan (S R) Five Laws of Library Science Bombay, Asia publishing House 1957 p 280-84
18. बगरी (नागप्पा दासप्पा) पुस्तकालय पद्धति इलाहाबाद नीलम प्रकाशन, 1973, प 112

13

मध्य-प्रदेश मे पुस्तकालय व्यवसाय : सीमायें एवं संभावनाएं

ऐतिहासिक दृष्टिकोण से यदि देखे तो भारतीय पुस्तकालयो का इतिहास अति प्राचीन एव वैभवशाली रहा है। व्यावसायिकता की नजर से भारत म पुस्तकालय व्यवसाय यूरोपीय देशों से 25 वर्ष बाद का है। इसका तरतीबवार प्रारम्भ प्रारम्भ 1910 से बडौदा स्टट से माना जाता है। वसे इसके पूव भी अग्रेजा क पूणत मत्तासीन होने पर पुस्तकालयो की स्थापना पर जोर दिया गया। सन् *1850 तक पुस्तकालयो की स्थापना* दश के प्रमुख शहरो कलकत्ता बम्बई एव मद्रास म हो चुकी थी किन्तु इनका उपयोग जन साधारण के लिए न होकर सीमित था।

स्वाधीनता के बाद देश मे शिक्षा की आवश्यकता न राष्ट्र निमाताओ, बुद्धिजीवियो समाजसेवियो तथा सुधारको की प्रवृत्ति को राष्ट्रीय विकास की ओर मोडा। उस समय व्याप्त निरक्षरता न जगह-जगह शिक्षण सस्थाओं के साथ-साथ सावजनिक पुस्तकालयो एव वाचनालयो को खुलवाने मे मदद पहुँचाई। देश मे शिक्षा का प्रचार करने एव निरक्षरता दूर करन हेतु 1948 म ग्रथालय योजना क्रियान्वित की गई। "योजना का मुख्य ध्यय प्रत्येक राज्य मे केन्द्रीय पुस्तकालय की स्थापना कर सम्पूण राज्य म निक्षेपालयो एव चल पुस्तकालयो के माध्यम से प्रत्येक ग्राम मे भ्रमणशील पुस्तकालयो का जाल बिछाना था।'[1] इस योजना का पूण लाभ मध्यप्रदेश राज्य को भी मिला।

मध्यप्रदेश म "ग्रथालय एव वाचनालय का काय 1948 म आरम्भ किया गया। इस वप 263 ग्रथालय और 200 नवीन वाचनालय स्थापित किये गये। ग्रन्थालयो की पटियो के लिए 258 पुस्तको का चयन किया गया तथा 21 हजार रुपयो की पुस्तकें खरीदी गई अब तक गाँवो मे 9,263 परिचालित पुस्तकालय स्थापित किय गये है।"[2]

भारत सरकार के शिक्षा एव युवक कल्याण मत्रालय द्वारा स्थापित 195 की पुस्तकालय सलाहकार समिति की रिपोट क अनुसार प्रदेश मे 4 केन्द्रीय पुस्तकालय इन्दौर, भोपाल, ग्वालियर एव जबलपुर म स्थापित थे तथा जिला केन्द्रो पर भी जिला ग्रथालयो की स्थापना की गई थी। वतमान म विशाल मध्य प्रदेश राज्य म पाच रीजनल सण्ट्रल लायब्रेरी एव 44 जिला पुस्तकालय हैं। सभी ग्रथालयो मे प्रशिक्षित ग्रथपालो की नियुक्ति की गई है।

मध्य प्रदेश राज्य जिसका भौगोलिक क्षेत्रफल 4 43,452 वर्ग किलोमीटर है। देश म पहले नम्बर का सबसे बडा राज्य है। प्रदेश म साक्षरता का प्रतिशत 22 14 है जो कि अन्य प्रदेशो की तुलना म काफी कम है। शिक्षा की सुविधा स हम अन्य राज्यो की तुलना करे तो हमें विदित होगा कि हमारे राज्य म सबस अधिक 11 विश्वविद्यालय हैं जिनमें 8 (आठ) सामान्य विश्वविद्यालय हैं जिनम 318 महाविद्यालय सम्बद्ध हैं। इन 318 महाविद्यालयो में 1979 80 तक 2,02 585 छात्र अध्ययन कर रहे थे।

उपरोक्त शिक्षा-सस्थान उच्च अध्ययन के मुख्य केन्द्र है जिनमे सलग्न पुस्तकालयो का लाभ शोधार्थी, प्राध्यापक एव अनुसधानकर्त्ता लेते है। विश्व विद्यालयो व महाविद्यालयों में प्रशिक्षित ग्रन्थपालो तथा कर्मचारियो की नियुक्ति की गई है।

लोक-शिक्षण सचालनालय एव जिला शिक्षा अधिकारियो के अधीनस्थ 2,145 उच्चत्तर माध्यमिक शालायें 9 646 माध्यमिक तथा 55 378 प्राथमिक शालायें शिक्षा के एक गुरुत्तर भार का निर्वाहन कर रही है। उपरोक्त 67 169 पाठशालाओ मे कुल अध्ययनरत छात्र-छात्राओ की सख्या 69 लाख 91 हजार 45 थी। इन सभी विद्यार्थियो को उचित शिक्षा मे मार्ग दर्शन प्रदान करने, उनमे अध्ययन रुचि जाग्रत करने प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाओ, वैज्ञानिक आविष्कारो के विकास करने हेतु ग्रन्थो पत्र-पत्रिकाओ से युक्त साहित्य भण्डारो का व्यवस्थापन सगठन सचालन एव क्रियान्वयन करने हेतु पुस्तकालयो का भी निर्माण किया गया है। इन पुस्तकालयों को सुचारुरूप से चलाने ग्रन्थ सामग्री को व्यवस्थित रूप से रखने तथा वैज्ञानिक पद्धतियो से उनका उपयोग करने हेतु प्रशिक्षित ग्रन्थपालो की नियुक्तिया भी प्रदेश भर मे की गई है।

ग्रन्थालय-व्यवसाय मे लगे ग्रन्थपालो को पुस्तकालय विज्ञान म प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु प्रदेश म 6 विश्वविद्यालयो म स्नातक तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम चलाये जा रहे है। भोपाल तथा ग्वालियर के क्षेत्रीय-पुस्तकालय, पुस्तकालय विज्ञान का प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम प्रदान कर रहे है। इसके अतिरिक्त सैनिक प्रशिक्षण केन्द्र पचमढी म पुस्तकालय विज्ञान का प्रशिक्षण दिया जाता है। उज्जैन विश्वविद्यालय, सागर, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा एव रायपुर विश्व-विद्यालयो मे स्नातक पाठ्यक्रम तथा विक्रम विश्वविद्यालयो मे स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के अध्ययन की सुविधा है। सम्पूर्ण भारत मे मध्यप्रदेश राज्य ही ऐसा प्रदेश है जहा सबसे अधिक पुस्तकालय विज्ञान शिक्षा के प्रशिक्षण सस्थान है। इन सभी विश्वविद्यालयो मे स्नातक स्तर पर प्रशिक्षण हेतु लगभग 80 छात्र-छात्राओ का एक पूर्ण सत्र म प्रवेश दिया जाता है। विक्रम विश्व विद्यालय के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में 1981 तक सिर्फ 8 छात्र छात्राओ को प्रवेश दिया जाता था जबकि 1982 83 मे यह सख्या बढाकर 10 कर दी गई है। डा हरीसिंह गौर विश्व वि सागर में सन 1983 से पुस्तकालय विज्ञान म स्नातकोत्तर अध्ययन की व्यवस्था की गई है जिसमें 10 विद्यार्थी प्रवश

ले सकेंगे। इस प्रकार एक वष में मध्यप्रदश में करीब 200 छात्र-छात्रायें पुस्तकालय विज्ञान स्नातक प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रदेश की विभिन्न शैक्षणिक निजी एव साव जनिक सस्थाग्रो के पुस्तकालयो में नियुक्ति पाने अथवा व्यवसाय में लगने हेतु प्रयत्नशील रहते हैं।

पुस्तकालय व्यवसाय में लगे ग्रन्थालयो अथवा कमचारियो को प्रशिक्षित करने में विक्रम विश्वविद्यालय का योगदान बहुत पुराना है। यहा 1957 से पुस्तकालय विज्ञान का पाठयक्रम प्रारम्भ हुआ था, जिसके प्रथम सस्थापक, भारत के प्रथम पुस्तकालय विज्ञान वेत्ता स्व डा एस आर रगनाथन थे। सन् 1963 से यहा स्नातक पाठ्यक्रम प्रारम्भ हुआ एव 1972 से स्नातकोत्तर। 25 वष में इस एक विश्वविद्यालय से लगभग 850 छात्र-छात्रायें ग्रन्थालय व्यवसाय में प्रशिक्षित हुए ह। इसी प्रकार अन्य पाच विश्वविद्यालयो एव दो क्षेत्रीय पुस्तकालयो द्वारा सचालित केन्द्रो पर यह पाठयक्रम यथावत् प्रारम्भ है।

इतना सब कुछ होते हुए भी यदि हम पुस्तकालय विज्ञान शिक्षा में प्रवीण हुए व्यवसायियो की सख्या राज्य में फले विस्तृत शिक्षा-क्षेत्र में देखें तो हमें यह जानकर दुःख होगा कि जितना निर्माण हो रहा है उसके बदले म उसकी खपत बिल्कुल मन्द है। राज्य के सम्पूर्ण विश्वविद्यालयो तथा शोध सस्थानो में बहुतक जगह ग्रन्थपालो के पद रिक्त पडे हुए हैं। यदि पद है भी तो नियुक्तिया नही हो रही है। जिन विश्वविद्यालयो में ग्रन्थपाल है उनकी व्यावसायिक स्थिति, वेतन पदोन्नति स्टेटस एव प्रशासनिक दृष्टि से कोई बहुत बेहतर नही कही जा सकती है। जबकि ये विश्व विद्यालय ही हमारी प्रगति के सबसे बडे ज्ञान गृह है, इन पर हमारी प्रगति निर्भर है क्योकि इनसे ही जीवन में वैज्ञानिक, डाक्टर, इन्जीनीयर गणितज्ञ, राजनीतिज्ञ साहित्यकार एव दार्शनिक बनने की प्रक्रिया प्रारम्भ होती है।

महाविद्यालयीन स्तर पर तक्नीकी, अभियान्त्रिकी, चिकित्सा कृषि एव प्राइवेट कालेजो को छोड दें तो हम देखेंगे कि म प्र के 317 महाविद्यालयो के लिए लगभग 170 ग्रन्थपालो की नियुक्ति की गई है। प्रतिवष पुस्तकालय व्यवसाय म लगने हेतु दो स्थान बढने हैं। ग्रन्थपालो को लोक सवा आयोग से साक्षात्कार के उपरा त सेवा श्रेणी दो म नियुक्त किया जाता है। नियुक्ति अथवा व्यवसाय में लम्बी प्रक्रिया के कारण बेरोजगार प्रशिक्षणार्थी जल्दी जल्दी अपनी नौकरी नही ढू ढ पाते अत अपनी विशेषज्ञता को भुलाकर किसी अ य व्यवसाय म लग जाना पडता ह। महाविद्यालयीन ग्रन्थालयो मे लगे ग्रन्थालय व्यवसायियो म लगे ग्रन्थपालो को 1968 से 300 600 रु का वेतनमान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अनुशसा पर दिया गया जो महाविद्यालयो के व्याख्याताओ के समकक्ष था। 1973 से अनुदान आयोग द्वारा स्वीकृत वेतनमान रु 700 40 1600 महा विद्यालय व्याख्याताओ को देने की अनुशसा आयोग ने की किन्तु ग्रन्थपालो को

उक्त वेतनमान से वंचित रखा गया जबकि अनुदान आयोग की पुस्तकालय सलाहकार समिति ने 1959 की रिपोर्ट मे लिखा "हम महसूस करते है कि प्रत्येक राज्य मे पुस्तकालयाध्यक्षो के वेतनमान शैक्षणिक व्यक्तियो के तुलनात्मक आधार पर समान होना चाहिये । समिति ने यह भी अनुशसा की थी कि जिस प्रकार प्राध्यापको को उच्च अध्ययन हेतु शासन विशेष अवकाश एव अनुदान देती है उसी को अनुरूप ग्रथपालो को सामान्यत अथवा उच्च व्यवसायिक प्रशिक्षण म जाने हेतु राज्य सरकारो को अध्ययन अवकाश प्रदान करना चाहिये । इस दिशा मे मध्य प्रदेश शासन शिक्षा विभाग द्वारा सिर्फ स्नातक स्तर पर पाच व्यक्तियो को प्रशिक्षण हेतु प्रतिवर्ष भेजा जाता है। स्नातकोत्तर स्तर पर कोई व्यवस्था नही है ।

ग्रथालय व्यवसाय मे तीव्रता लाने तथा प्राध्यापको के समकक्ष पद एव प्रतिष्ठा देने हेतु मध्य प्रदेश शासन ने 1-4 81 से महाविद्यालयो के ग्रथपालो को 700 40-1100 रु का वेतनमान देकर इस व्यवसाय के प्रति उदारता दर्शायी है। यहा यह बात स्पष्ट कर देना चाहूँगा कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के इस वेतनमान को राज्य शासन ने सर्वप्रथम प्राध्यापकों के लिए निम्नानुसार लागू किया—

महाविद्यालय प्राध्यापक—300 600 1972 दिसम्बर तक

यू जी सी 620-1300—1973 से

700 1600—1976 से

महाविद्यालय ग्रथपाल—300 600 के बाद 1-4 80 से 700-1600

यू जी सी

राष्ट्रीय-वेतन नीति के निर्वाहन हेतु शासन को चाहिए कि ग्रथपालो को भी उपरोक्तानुसार वेतन देकर ग्रथालयो के विकास एव बेहतर ग्रथालय सेवा को प्रोत्साहित करें ।

व्यवसाय में आने के इच्छुक सकडो बेरोजगार स्नातक एव स्नातकोत्तर प्रशिक्षणार्थी भटक रह है। उनके भविष्य का ध्यान रखते हुए अन्य राज्यो के समान स्टाफ पटन बनायें ताकि महाविद्यालयो में कार्यरत अकेले अकेले ग्रथपालो को राहत मिल सके । अभी तक राज्य के अधिकाँश महाविद्यालयो मे सिर्फ ग्रथपाल अथवा सहायक ग्रथपाल के पद हैं और जवाबदारी लाखो रुपयो की। महाविद्यालयो के विभिन्न विभागो में जिस प्रकार प्रयोगशाला सहायक एव परिचायक दिये जाते है उसी प्रकार पुस्तकालय विभाग के लिए भी व्यवस्था होनी चाहिये । क्योकि पुस्तकालय कोई एक विभाग तक सीमित नही है और न ही कुछ प्राध्यापको एव कुछ विद्यार्थियो तक । यह तो समस्त विभागो का सम्पर्क सूत्र, समस्त छात्र प्राध्यापको का सेवा केन्द्र एव अध्ययन रूपी प्रयोगशालाओ की प्रयोगशाला है। इनके

विकास पर नही सोचा गया तो शिक्षा के गुणात्मक विकास की कल्पना अपने समग्र परिवेश में सफल नहीं हो सकेगी ।

दूसरी ओर शिक्षा के प्राथमिक, माध्यमिक एव उच्चतर माध्यमिक स्तरा पर पुस्तकालय व्यवसाय का परखें तो हमें महसूस होगा कि म प्र में उक्त शिक्षण संस्थाओ में ग्र थालय व्यवसाय का कोई तरदीववार स्वरूप नही है और न ही ग्रन्थालयो के अस्तित्व का निशान । पूरे प्रदेश में 1979-80 तक 55, 378 प्राथमिक शालायें 9,646 माध्यमिक शालायें एव 2,145 उच्चतर माध्यमिक शालायें थी । इन शालाओ में उच्चतर माध्यमिक शालाओ को छोडकर शेष शालाओ में ग्रन्थालय सुविधा है ही नही जबकि होना चाहिये । किन्तु इन पाठ शालाओ को जिना ग्रन्थालय के माध्यम से पुस्तको का अस्थायी निगमन किया जाता है जिसका लाभ विद्यार्थी उठात हैं । उच्च माध्यमिक विद्यालयो की 2,145 सख्या में म प्र की कुछेक पाठशालाओ में ग्रन्थपाल का पद है और कुछ में नहीं । जिन पाठशालाओ में ग्रन्थपाल हैं वे अपन व्यवसाय के साथ उचित न्याय नही कर रहें हं । पधानाचार्यो के दबाव में आकर अथवा व्यक्तिगत स्वार्थों के लालच में आकर अपन मूलभूत व्यवसाय से हटकर पाठशालाओ की विभिन्न गतिविधियो में निमग्न रहत है । पाठशालाओ के इन पुस्तकालय कक्षो मे पूरे वर्ष ताल लग रहत हैं और विद्यार्थियो को यह पता ही नही रहता कि उनकी पाठशाला में पुस्तकालय की भी कोई व्यवस्था है । लोक शिक्षण सचालनालय के नवीन आदेशा से शायद पुस्तकालय व्यवसाय पर कुछ प्रभाव पडगा तथा ग्रन्थपाल अपनी पूर्ण कालिक सेवायें छात्र-छात्राओ को द सकेंगे ।

इस प्रकार हम मध्य प्रदेश की पाठशालाओ म पुस्तकालयो की स्थिति को बेहतर तो नही कह सकत किन्तु विचारणीय अवश्य है, कह सकते है । प्रदेश म अभी तो शिक्षण की व्यवस्था पर अधिक ध्यान देने का लक्ष्य है । मध्य प्रदेश म आज भी 72 हजार गाँवों मे से 24 हजार ग्राम ऐसे ह जहाँ प्राथमिक स्कूल भी भी नही है । इन 24 हजार म से 3 हजार ग्राम ऐसे है जिनकी आबादी 300 स अधिक है । इन गावो में केवल प्राथमिक स्कूलो की व्यवस्था का मतलब है करोडो का खच । 1984 तक इस प्रदेश म प्राथमिक शिक्षण की समुचित व्यवस्था हो सके, अभी तो हमारा यही लक्ष्य है । इस लक्ष्य की पूर्ति के अतिरिक्त राज्य शासन ने शिक्षा के गुणात्मक सुधार के लिए प्रत्येक महाविद्यालय व राज्य स्तरीय पुस्त कालयो म 40,000 हजार रुपये की पुस्तकें राज्य के उच्चतर माध्यमिक विद्या लयो के पुस्तकालयो के लिए 15 लाख रुपय तथा क्षेत्रीय व जिला पुस्तकालयो म पुस्तकें व पत्र-पत्रिकायें खरीदने के लिए 4 लाख रुपये की व्यवस्था वर्ष 1979 से की ।

यह स्थिति आर्थिक सहयोग तथा सम्पन्नता की दृष्टि से सराहनीय है किन्तु पुस्तकालय-व्यवसाय से जुड़े उन तमाम व्यक्तियों कर्मचारियों व अधिकारियों के के हित मे नही है जब तक कि उनके अधिकारो, उनकी आवश्यकताओ एव उनकी तरक्की के नये आयामो का पथ न निर्मित किया जाए। जैसा कि पूर्व मे लिखा जा चुका है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग शिक्षा आयोग तथा पुस्तकालय सलाहकार समिति ने यह स्पष्ट किया है कि ग्रन्थपालो का स्तर अन्य शिक्षण सस्थाओ के व्याख्याताओ प्राध्यापको एव अधिकारियो के समकक्ष होना चाहिए। तब क्रमश ग्रन्थपालो को भी पदोन्नति के अवसर प्रदान किये जाने चाहिए।

यही बात लोक पुस्तकालयों के मामले मे भी कही जा सकती है। राज्य के प्रत्येक जिले मे एक जिला पुस्तकालय है। उनमे प्रशिक्षित ग्रन्थपाल भी नियुक्त किये गये है किन्तु इनमे भी ग्रन्थपाल के सहायक के रूप मे शिक्षा विभाग के विशेष रूप स जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय से एक उच्च श्रेणी लिपिक दिया जाता है जबकि होना यह चाहिए कि जिला-ग्रन्थालयो म सहायक ग्रन्थपाल तथा बुक लिफ्टर के पद निर्मित करके नियुक्तिया की जानी चाहिए तो ग्रन्थालय सेवा मे और अधिक सजगता आयेगी, ग्रन्थालय के कार्यकलाप ग्रन्थालय के उद्देश्यो के अनुरूप हो सकेंगे।

1955 की ग्रन्थालय सुधार योजना के उद्देश्य के अनुसार अधिक से अधिक लोगो को शिक्षित करने तथा शिक्षित लोगो को निरन्तर अध्ययन की सुविधा ग्रन्थो, पत्र पत्रिकाओ के माध्यम से प्रदान करना था। इस योजना से प्रारम्भ म आशातीत सफलतायें मिली। उस समय इन सार्वजनिक पुस्तकालयो की स्थापना साक्षरता निवारण क विशेष लक्ष्य को लेकर हुई थी। कुछ समय बाद इन पुस्तकालयो को शिक्षा अधिकारी के अधीन कर दिया गया अत इनके प्रारम्भिक उद्देश्यो को पूर्ण नही किया जा सका। यदि पुस्तकालय अधिनियम पारित हो गया होता तो लोक पुस्तकालयो के विकास की दिशा कुछ और ही होती, साक्षरता अभियान म वर्षों पापड न बेलने पडते।

आज इन जिला ग्रन्थालयो की दशा कुछ और ही है। जिला स्तर पर बढ़ती जनसख्या, बढती शिक्षा एव तकनीकी व वैज्ञानिक ज्ञान के विकास से पाठको को बठने की व्यवस्था, फर्नीचर की कमी पर्याप्त ग्रन्थ की अनुपलब्धता से जनसामान्य म क्षोभ पल रहा हैं। कहीं-कहीं यह स्थिति है कि जनता को यह पता ही नही है कि जिला ग्रन्थालय मे भी अध्ययन की सुविधा होती है। इसका कारण है ग्रन्थालयो के प्रचार प्रसार की कमी। ग्रन्थ भण्डारो के विकास म राजा राम मोहनराय फाउण्डेशन लायब्रेरी का योगदान सराहनीय है। इस फाउण्डेशन द्वारा देश के सभी सार्वजनिक पुस्तकालयो को प्रतिवर्ष महत्त्वपूर्ण ग्रन्थो का मुफ्त प्रदायन किया जाता ह। लोक-पुस्तकालयो के विकास म यह एक अच्छा कदम है। जिला ग्रन्थालयो का ग्रामीण-पुस्तकालयो से जुडे न रहने स इनके विकास की गति रुक

गई है। जिला पचायत एव समाज कल्याण विभाग ग्रामीण पुस्तकालयो के प्रशासन, सगठन एव सचालन पर ध्यान नहीं द पा रहे हैं जिसका कारण है ग्रन्थालय विज्ञान म प्रशिक्षित ग्रन्थपालो की नियुक्तियो का न होना। ग्रामो मे पचायत द्वारा अथवा जनता द्वारा खोले गये वाचनालय ग्रामीण जनता को अध्ययन के अवसर प्रदान करने का प्रयास कर रहे हैं किन्तु बिना प्रशिक्षित ग्रन्थपाल ऐसे पुस्तकालयो का प्रशासन, सगठन एव समुचित व्यवस्थापन नहीं हो पा रहा है। जिस प्रकार लोक पुस्तकालयो को जनता के विश्वविद्यालय कहा जाता है तदनुरूप इनकी सेवायें भी होनी चाहिए। वतमान मे निजी सस्थाओ द्वारा चलाये जा रहे बड बडे पुस्तकालय साहित्यिक एव सास्कृतिक गतिविधियो के केन्द्र तो है परन्तु ग्रन्थालय सवाओ के क्षेत्र म उनके प्रचार प्रसार एव विकास पर कम ध्यान दिया जा रहा है। इन पुस्तकालयो को राजनीतिक दाव-पच के अड्डे बनाकर इनके औचित्य को पूर्ण न कर मात्र दलगत-वैभव को बढाया जा रहा है। वसे मध्य प्रदेश के सावजनिक पुस्तकालय सघ ने मध्य प्रदश सावजनिक पुस्तकालय अधिनियम का विधान-सभा तक प्रस्तुत करने म जो अद्वितीय कदम उठाया वह पुस्तकालय व्यवसाय के विकास में अनुकरणीय माना जावेगा। यद्यपि प्रारम्भ म इस अधिनियम क प्रारूप म कुछ कमिया थी जिसे बाद म विषय विशेषज्ञो के सह योग से दूर किया जा चुका है। कोई भी अधिनियम सव-जन हिताय होता है और जन जन मे साहित्यिक, सास्कृतिक, राजनीतिक एव राष्ट्रीय चेतना के विकास क लिए ऐस पुस्तकालय अधिनियम की अरसे स आवश्यकता महसूस की जा रही थी जो शीघ्र ही पूर्ण होगी।

निजी सस्थाओ द्वारा चलाये जा रहे सावजनिक पुस्तकालयो अथवा वाचनालयों की स्थिति मध्य प्रदेश म 31-12-77 को बुरहानपुर मे हुए साव जनिक पुस्तकालय सम्मेलन की रिपोर्टिंग के अनुसार इस प्रकार थी। 'मध्य प्रदेश मे 45 जिले है 190 तहसीलें (अब अधिक) है। इसमे 12 जिला के वाचनालयो को अनुदान नही मिलता, शेष 33 जिलो के 150 वाचनालयो को कुल मिलाकर रुपये 2,10,000 का अनुदान मिलता है। इसमे रुपय 500 तक पाने वाले 67 वाचना लय है। 501 से 1500 तक पाने वाले 43 ह 1501 से 3000 तक पान वाले 25 वाचनालय हैं। 15,000 तक पान वाला एक वाचनालय है। जिनको अनुदान नही मिलता ऐसे सैकडो वाचनालय ह जिनम कुछ सौ साल से अधिक आयु वाले हैं, ज्यादातर मरणासन्न अवस्था म है।[3]

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि सावजनिक वाचनालयो को शासन से पर्याप्त सहायता नही मिल रही है। किन्तु जिन्हे सहायता पहुँचाई जा रही है क्या वे पुस्तकालय इस अनुदान राशि का सदुपयोग उपयुक्त मदो मे खचकर रहे हैं। सावजनिक पुस्तकालय सघ (प्राइवेट) एव वाचनालयो के सचिव अथवा अध्यक्ष

यह प्रयास क्यो नही करते है कि इन ग्रंथालयो मे प्रशिक्षित एव कार्य कुशल ग्रंथालय विज्ञान के बेरोजगार भटक रहे लोगो को लगाया जा सके ताकि एक साथ अनेक समस्याओ का समाधान स्वत होता रहे।

अनुदान और अधिक मिले सिर्फ इसी गरज से शासन को विश्वास मे लेकर अधिनियम को प्रदेश मे लागू किया जाये यह पुस्तकालयो के विकास हेतु एक तरफा बात है, इसका स्वरूप तो समग्र राज्य की पुस्तकालय सेवाओ को एक सूत्र मे पिरो कर सगठित करना है चाहे वे शासकीय ग्रंथालय हो चाहे अशासकीय अथवा अर्द्ध शासकीय।

मध्य प्रदेश के प्राय सभी अशासकीय लोक-पुस्तकालय ऐसे है जहाँ न ग्रंथालय विज्ञान मे प्रशिक्षित ग्रंथपाल सेवारत है और न कोई व्यवसाय निपुण कर्मचारी। परिस्थितियो के मारे लोगो को अल्प वेतन पर नियुक्त कर मनमाने ढग से उनसे काम लिया जाता है। क्योकि ग्रंथालय प्रशासन के नाम पर समितियां इनकी सर्वेसर्वा होती है जिनके प्रमुख अध्यक्ष एव सचिव होते है। इनके ही इशारो पर ग्रन्थालय का सचालन होता है। ये सभी आधुनिक पुस्तकालय के कार्यकलापो एव तकनीकी जानकारियो से अनभिज्ञ होते है। माना कि ये ग्रंथालय जन सेवा का काम करते है, शहर व कस्बे की सास्कृतिक एव साहित्यिक गतिविधियो के केन्द्र होते हैं किन्तु इनको मालुम होना चाहिए कि ग्रंथालय विज्ञान इतना विकसित विषय हो गया है कि इनके जानकार व्यक्ति ग्रंथालय को जिस वैज्ञानिक तरीके से चला सकते है वैसा अनभिज्ञ व्यक्ति नही। ग्रंथालय व्यवसाय मे लगे इन व्यवसायियो की सीमाओ को समाप्त किया जाना चाहिये। यह कार्य प्रदेश मे पारित होने वाले अधिनियम से ही सम्भव होगा।

वर्तमान मे राज्य मे लगभग 400 अशासकीय लोक पुस्तकालय एव पचायतो के अधीन 12,185 अर्द्ध शासकीय 110 जनपदान्तगत पुस्तकालय है जिनमे पचायत एव जनपद के पुस्तकालयो को शासन सहायक अनुदान 2 लाख रुपये देता है। अनुदान के बावजूद इनकी सेवायें कोई सन्तोषजनक परिणाम नही दे रही है। पचायत एव जनपद के अथवा नगरपालिका-परिषद के जितने भी ग्रंथालय है उनमे विषय के जानकार एव ग्रंथालय-विज्ञान मे प्रशिक्षित व्यवसायिक कर्मचारियो की नियुक्तियां की जानी चाहिये ऐसा करने से ग्रंथालय व्यवसाय की सीमाएँ समाप्त होगी एव विकास की सम्भावनाओ के मार्ग खुलेंगे।

केन्द्र सरकार ने ग्रामीण व कस्बाई प्रतिभाओ को उभारने एव जन-जीवन मे अध्ययन के प्रति रुझान पैदा करने हेतु प्रत्येक राज्य मे नेहरू-युवक केन्द्र की स्थापनायें की है। ये युवक केन्द्र ग्रामीण पुस्तकालय भी चलाते हैं। इनके समन्वयक प्रथम श्रेणी अधिकारी होते है और बाकी सभी कार्य युवा प्रतिभाओ के माध्यम से होता है। इन युवक केन्द्रो के पुस्तकालयो के प्रशासन मे भी प्रशिक्षित ग्रंथपालो को लगाया जावे

तो सभी प्रकार के वग को बेहतर सेवायें प्रदत्त की जा सकती है शासन को इस पर विचारना चाहिए।

उपरोक्त सभी प्रकार के पुस्तकालया एव उनमे लगे व्यक्तिया की सग्या बहुत बडी नही है और न ही मध्य प्रदेश के पुस्तकालय सघ इतने सक्षम हैं कि अपने व्यवसाय की दशा को सुधारने तथा व्यवसायियो की बिगडती आर्थिक एव सामाजिक स्थिति को मजबूत बनाने म सफल हो सके।

व्यवसाय मे लगे ग्रन्थालय-कमचारिया की कायक्षमता, उनके काम के घण्टे, उनकी जवाबदारियाँ एव अन्य विभागा के कमचारियो की सेवा शर्तें, वेतन, समाज मे उनकी प्रतिष्ठा एव उनकी जवाबदारिया की तुलना करें तो ग्रन्थालय कम चारिया का ही पलडा हल्का दिखाई देता। ग्रन्थपालो अथवा कमचारियो के काय एव उनके उत्तरदायित्वा को मद्दे नजर रखत हुए उनके साथ निष्पक्षतापूण विचार किया जाना चाहिए।

14
विद्यार्थी और पुस्तकालय उपयोग

शिक्षा, राष्ट्र की शशव एव युवा पीढी के शैक्षणिक, सामाजिक एव चारित्रिक विकास की अनिवाय आवश्यकता है। शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर छात्रो का अध्ययन रुचि, ज्ञानार्जन को विकसित करने एव पाठ्येतर गतिविधियो को प्रोत्साहित करने हेतु सस्थाओ मे ग्रन्थालयो की व्यवस्था की जाती है। ग्रन्थालया को खोलने के पीछे एक ही उद्देश्य होता है कि विद्यार्थियो की शैक्षणिक समस्याओ का समाधान बिना किसी कठिनाई के हो जाय, साथ ही उनके विविध विषया (क्षेत्रो) मे होने वाले शोध व अनुसधान की अद्यतन सूचना उन्ह मिलती रह।

हमारे देश म हजारो विद्यालय है, माध्यमिक पाठशालायें ह महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालय ह, किन्तु प्राथमिक स्तर पर कोई भी ग्रन्थालय जसी गतिविधिया देखने मे नही आती है। माध्यमिक शिक्षा के स्कूलो मे ग्रन्थालय तो है यह जानकारी मिलती है परन्तु उन ग्रन्थालयो स विद्यार्थियो को कोई लाभ हो रहा हो यह अभी तक स दहास्पद है। उच्च-शिक्षा के क्षेत्र मे ग्रन्थालयो की स्थिति कुछ बेहतर कही जा सकती है बहुत अच्छी कदापि नही। विश्वविद्यालयीन स्तर पर ग्रन्थालयो का व्यवस्थापन सगठन एव सचालन अपेक्षा से अच्छा है। कुल मिलाकर शैक्षणिक-सुविधाओ क अन्तगत जहा भी ग्रन्थालय है वहा इन ग्रन्थालयो का उद्देश्य शैक्षणिक वातावरण को गति प्रदान करना तथा अधिकतम विद्यार्थियो को अधिकतम पुस्तकें प्रदान करने का होता है।

कक्षा अध्ययन के अतिरिक्त पाठ्य सहगामी क्रियाओ के रूप मे ग्रन्थालय स ज्ञान विज्ञान के विभिन्न विषया की नवीन सामग्री छात्रो को अध्ययन हेतु देना तथा वाचनालय मे रूचि अनुकूल पत्रिकाओ व पत्रो का प्रदशन करना ग्रन्थालय की जिम्मदारी होती है। सस्थाओ मे जब कभी भी सामान्य ज्ञान सम्बन्धी परीक्षा, प्रतियोगिताएँ, लेखन व साहित्य गतिविधिया होती है। तब विद्यार्थी अपनी तैयारी हेतु ग्रन्थालयो का सहयोग लेत हैं और ग्रन्थालय कमचारी अपनी पाठको के लिए उचित सामग्री व सन्दभ सेवाएँ प्रदान करते है। साथ ही विद्यार्थियो के चरित्र निर्माण, कुशल नेतृत्व, अनुशासन व शैक्षणिक विकास हेतु सत्साहित्य को ग्रन्थालय मे सग्रहित करने व सूचना के माध्यम से उसका वितरण करने का काय करते है। प्रमुख रूप मे ग्रन्थालयो के उद्देश्य निम्नानुसार मान गय है।

1 छात्रो मे अध्ययन रूचि को जगाने मे सहायता करना।
2 स्वशिक्षा प्राप्ति हेतु प्रशिक्षित करना।

3 विद्यार्थियो म ज्ञान म पूरक बनकर मदद करना ।
4 विद्यार्थियो को सूचना तथा मनोरजन प्रदान करना ।
5 शैक्षणिक काय और ग्रन्थालय उपयोग म समन्वय स्थापित करना ।
6 सहयोग एव समन्वय भावना से काम करने की शिक्षा देना ।
7 शोध अनुसधान व सूचना स्रोतो के प्रकाशन मे मदद करना ।
8 अपनी सेवाओ का प्रचार प्रसार करना ।

उपरिलिखित उद्देश्य ग्रन्थालयो के आकार प्रकारानुसार भिन्न भिन्न हो सकते हैं किन्तु पाठक जब ज्ञान पाने की इच्छा रखता हो तो उसे उसकी इच्छित पुस्तक मिल जावे और जो पुस्तक ग्रन्थालय मे रखी है उसे उसका पाठक मिल जावे तो ग्रन्थालय का उद्देश्य पूर्ण हुआ मानना चाहिए ।

उक्त उद्देश्यो से वचित आज का बालक, किशोर व युवा विद्यार्थी–मानस असन्तुष्ट है । पुस्तकालय-सेवाओ के प्रति औसतन विद्यार्थी असन्तुष्ट परेशान व शिकायती हो गया है । इन कारणो के मूल म विद्यार्थियो पाठको, प्राध्यापको एव ग्रन्थालय-कर्मचारियो को क्या करना चाहिए कि ग्रन्थालय सेवाओ की शिकायतें दूर हो । इन पर क्रमश हमे विचार करना चाहिए ।

विद्यार्थी क्या करें—ऐसी बहुत सी शिक्षण सस्थायें है जहा ग्रन्थालयों का अस्तित्व है ही नही । ग्रन्थालय विहीन सस्थाओ जैसे प्राथमिक एव माध्यमिक स्तर पर विद्यार्थियो के अध्ययन काय करने की व्यवस्था होनी चाहिए । हालाकि भारतीय ग्रन्थालय सघ ।[1]" की सूचनानुसार भारत मे प्राथमिक माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक स्तर पर ग्रन्थालयो के होने की जानकारी मिलती हैं, फिर भी यह सख्या 70 करोड की आबादी तथा 5 लाख गाव वाले देश भारत के लिए पर्याप्त नही लगती ।

फिर भी जहा पुस्तकालय सुविधा का लाभ छात्र-छात्राओ को मिलता है मिल रहा है ग्रन्थो के आदान प्रदान की सुविधा प्राप्त है वहाँ उन्ह ग्रन्थो का लाभ पाने म कदापि सँकोच अथवा विलम्ब नही करना चाहिए । नि सकोच अपने अधिकार के लिए ग्रन्थपाल या पुस्तकालयाध्यक्ष स मिलना चाहिए । अपनी समस्याओ (अध्ययन सम्बन्धी) के निराकरण के लिए अपनी शिकायत उनके समक्ष रखनी चाहिए । शिक्षा सत्रारभ एव बाद मे पुस्तकालयाध्यक्ष द्वारा लगायी जाने वाली समस्त सूचनाओ को प्रतिदिन ग्रन्थालय सूचना फलक अथवा छात्र सूचना पटल पर देखते रहना चाहिए ।

ग्रन्थालय सदस्य बनने से लेकर ग्रन्थ निगमन कराने तक जितनी भी प्रक्रियाए अपनायी जाती है उन्ह भली भाति पूर्ण करना आवश्यक है । समय पर माग पत्र (Requisition slip) अथवा अयनापर्णी भरना नही भूलना चाहिए । ऐसा करने

से विद्यार्थियों को पुस्तक पाने की पात्रता मिल जाती है और निर्धारित तिथि यो दिनाक को उन्ह पुस्तकें प्राप्त हो सकती है।

यहा हम एक बात का खुलासा कर दें कि ग्रंथालयो के आकार प्रकार, सग्रह, लेन देन पद्धति व नियमावली के अनुसार ग्रंथालयो की भिन्न भिन्न प्रणालिया हो सकती ह अत इन प्रणालियो से भी विद्यार्थी पाठका को परिचित होना चाहिए। आजकल ग्रन्थालय पद्धति की जानकारी हेतु भारत के विश्व विद्यालयीन ग्रन्थालयो मे सूचना एव अनुदेशन का काय पाठकों को लाभ पहुचान की दृष्टि से किया जा रहा है। एक मायने में अनुदेशन काय (Instruction work) का उपयोग कर्त्ताओ की शिक्षा (Users Education) का नाम भी दिया जा रहा है।

महाविद्यालया मे विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा मे अध्ययन की सुविधा प्रदान करने के निमित्त देश भर के विश्व विद्यालयो स सम्बद्ध महाविद्यालया मे ग्रन्थालया की व्यवस्था की गई है। ग्रन्थालय चूंकि अध्ययन को विकसित करने व सतत् अध्ययन मे सहयोगी भूमिका निभाते है अत शिक्षालयो मे इनका होना शरीर मे रीड की हड्डी के होने जैसा है। अत विद्यार्थियों को पूव धारणाओ का त्याग सव-प्रथम प्रवश लेते समय पुस्तकालय सदस्यता ग्रहण कर लेनी चाहिए। पुस्तकालय नियमावलियो का भली-भाति अवलोकन करें साथ ही पुस्तकालय व्यवस्था से पूणत परिचित हो जाये।

पुस्तकालयाध्यक्ष को चाहिए कि छात्रो को आवश्यक निर्देश, अनुदेशन एव मागदशन द्वारा सहायता करे। सूचीकरण व्यवस्था आदान प्रदान पद्धति, सन्दभ तथा सूचना सेवा अतिदेय एव ग्रन्थो के नवीनीकरण आदि बातो से अवगत कराऐ। आम तौर पर प्रत्येक पुस्तकालय एक सप्ताह या पन्द्रह दिन के लिए पुस्तकें अध्य-यनाथ देत है। पुस्तकें प्रदान करते समय पुस्तकालयाध्यक्ष पुस्तको के अग्रिम अथवा अतिम पृष्ठ पर चिपके देय तिथि पत्रक (Due date slip) पर वापसी तिथि अकित करते है इस तिथि का प्रत्येक पाठक को ध्यान रखना चाहिए। यदि पाठक देय तिथी मे पुस्तकें वापस नही करते है तो उन पर यथा नियमानुसार विलम्ब शुल्क के रूप मे अथदण्ड लगाया जाता है।

विद्यार्थी जब पुस्तकालय की पुस्तकें पढने को ले जाते है तो उनका यह कत्तव्य होता कि व ग्रन्थो को क्षति न पहुँचाएँ ग्रन्थो के पृष्ठो को न फाडे, चित्रो का न निकाले, या ग्रन्थो पर स्याही अथवा पन्सिल के निशान न लगाये तथा ग्रन्थो के पृष्ठो को अपने लिए आवश्यक जानकार न काट। उनका यह धम हो जाता है कि पुस्तक जिस दशा म ग्रन्थालय से प्राप्त की है उसी दशा म पढन के बाद वापस करें। विद्यार्थी यदि निर्गमित पुस्तको के साथ धमपरायणता व अच्छे पाठक होन का परि चय देकर जजर पुस्तकों की देखभाल कर पुस्तदा को जिल्द बाँधकर द दत हैं तो यह काय उनका ज्ञान के प्रति लगाव व उसकी उपयोगिता को स्पष्ट करता है एसे विद्यार्थी अवश्य अभिवादन व अभिनन्दन क पात्र होते है।

जिस प्रकार शरीर की सुन्दरता के लिए प्रसाधन सामग्री की खरीद एव सुरक्षा हम अनिवाय समझते है तदनुरुप ही जीवन की सुन्दरता पुस्तकों में अध्ययन, मनन, चिंतन तथा उनके रख-रखाव म निहित है। हमारे शरीर पर सुशोभित होने वाले अच्छे कपडे हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित करत है वैस ही ग्रथों की सगति स हमारी बौद्धिक-ऊर्जा बढती है और हम बुद्धि-विवेक व तक वितर्क के योग्य बनते हैं अत ग्रथो के अध्ययन म उनकी सुरक्षा का ध्यान भी पाठको को रखना चाहिए। पुस्तको के साथ धोखा करना जीवन के किसी विशिष्ट समय के साथ धोखा करना है।

शिक्षक विद्यार्थी सहयोग—21वीं सदी की ओर बढ रहा प्रत्येक छात्र चतुर व विवेकी है, वह अनुशासन, सद्‌व्यवहार सदाचार एव आदश जसे शब्दों की मूल अर्थ चेतना से अच्छी तरह परिचित है, फिर भी वह इनके अनुपालन व जीवन म इन्ह व्यवहारिक बनाने से बहुत दूर है। जहा तक ज्ञान प्राप्ति म ललक का प्रश्न है प्रत्येक विद्यार्थी जिज्ञासु है, औसतन विद्यार्थी चतुर है किन्तु इनके बावजूद वे अपनी बुद्धि का उपयोग शिक्षकों की अनिष्ठा उपद्रव, तोड़फोड एव मादक वस्तुओं के प्रयोग म करने लगा है। यहा मेरा तात्पय यह नहीं है कि विद्यार्थी पढत नहीं है वे पढते हैं, पास भी होत हैं और उनमे बडे स बडे व्यक्ति बनने की महत्वाकाक्षा भी होती है। किन्तु शिक्षा के मानक-स्तर व प्रतिशत स उन्ह प्रतिष्ठात्मक अक प्राप्त नही होने है। पढने के लिए अध्ययन सामग्री उपलब्ध होने पर भी वे उसका उपयोग नही कर पाते जो करते है उनकी बुद्धि उतनी तीव्र व कुशाग्र नहीं होती है जितनी चतुर और शरारती विद्यार्थी की होती है। ऐसे शरारती विद्यार्थी पुस्तकालय से पुस्तकें तब लेते हैं जब परीक्षा को मात्र दो एक माह बचे रहते हैं। शीघ्रता में पढी गई विषय सामग्री एक दम तो पहले गले नही उतरती सिर्फ उतनी ही विषय सामग्री विद्यार्थी प्राप्त कर पाता है, जितनी उस पुस्तक मे है। चूंकि शिक्षक भी ऐसे अन्तिम समय म छात्रों को उचित सलाह देने म असमय होते हैं। तब सिफ सीमित प्रश्न-सामग्री बाजारू नोट्स गाइड्स के आधार पर वे अच्छे अक प्राप्त करने मे असमर्थ होते है। कक्षाओं म भी वह नियमित नहीं रहा होता है और शिक्षकों का भी ध्यान इस ओर नहीं जाता है। अत वह हताश, उदास और पढने से तग आकर फेल हो जाता है। कभी-कभी आत्म हत्या करने तक को तैयार हो जाता है। ऐसी स्थितियाँ न आवें अत कक्षा अध्यापकों व ग्रथालय प्रभारियों को चाहिए कि ग्रथालय उपयोग के वातावरण को शैक्षणिक सुविधाओं के अनुकूल बनाऐं तथा विद्यार्थियों को प्रेरित करें।

विद्यार्थी द्वारा अनुचित कदम उठाने के पूर्व कितना अच्छा होता यदि उनमे प्रत्येक विषय पर सत्रारभ म ही प्रत्येक व्याख्यान के लिए माह म दो पुस्तकें प्रति अध्याय हेतु ग्रथालय स प्राप्त की होती। इस तरह मान लो एक प्रश्न पत्र

की एक पुस्तक म 10 अध्याय हैं तो विद्यार्थी को 20 पुस्तकें एक प्रश्न पत्र के लिए निर्गमित (Issued) करानी चाहिए। इस प्रकार यदि आठ प्रश्न-पत्र के लिए 16 पुस्तकें ह तो पूरे सत्र मे उसके द्वारा 160 ग्रन्था का अध्ययन किया जाना चाहिए तभी माना जायेगा कि विद्यार्थी न अपनी शिक्षा मे अध्ययन को सही रूप म स्थान दिया ह और ग्रन्थो के उपयोग को महत्त्व देकर ग्रन्था की विषय सामग्री से ज्ञानार्जन किया है।

एसे उद्यमी कार्य हतु शिक्षको को कक्षा अध्यापन के दौरान विद्यार्थी-वर्ग को उचित मार्ग-दर्शन देना चाहिए साथ ही पुस्तकालयाध्यक्ष द्वारा उपयोग कर्त्ताओ के लिए अनुदेशन कार्य (Instruction Work) कर उनकी मागो को पूर्ण करने का भरसक प्रयत्न करना चाहिए। शिक्षको एव ग्रन्थालयो के कार्य को विभाजित करते हुए एस मजूमदार तथा के के तनेजा ने भी स्पष्ट किया है कि कक्षा-अध्यापन म पूरक के रूप मे ग्रन्थालयो को किस प्रकार अपने सहायको की मदद से छात्रो व प्राध्यापको को सहायता पहुचानी चाहिए।

कहने का तात्पर्य यह है कि विद्यार्थियो के लिए आवश्यक ग्रन्थो का चयन करने, ग्रन्था के विशिष्ट विषयो को पढने मे शिक्षको न छात्रो को मार्गदर्शन तो देते ही रहना चाहिए। ग्रन्थपाल व उसके सहायको को भी विद्यार्थियो की समस्या को सुनकर उनकी इच्छित पुस्तको की उनकी माग को पूर्ण करना चाहिए। इस तरह उन्ह वर्ष भर नियमित रूप से ग्रन्थो का आदान-प्रदान व उनका मार्गदर्शन किया जाना चाहिए तभी उनके शैक्षणिक जीवन मे आशा की किरण विकसित हो सकती है।

विद्यार्थी पुस्तकालयाध्यक्ष सम्बन्ध —ग्रन्थो की पर्याप्त उपलब्धता होने पर विद्यार्थियो का ग्रन्था की विशेषताओ के आधार पर, उनका अधिकाधिक उपयोग कराना पुस्तकालयाध्यक्ष पर शत-प्रतिशत निर्भर करता है। पुस्तकालय-सूची की पूर्णता, वर्गीकरण प्रणाली को अपनाया जाना तथा सदर्भ-सेवा अथवा अनुदेशन कार्य पर्याप्त ग्रन्थालय सहयोगियो के अभाव म सभव नही होता। एसे समय मे सिर्फ अकेले ग्रन्थपाल को या सहायक ग्रन्थपाल को ग्रन्थो के आदान-प्रदान का कार्य करना पडता है। वास्तविक ग्रन्थालय सेवा देने के लिए उपरोक्त सेवाओ का अद्यतन होना आवश्यक है। यदि इनमे से कोई एक भी विभाग का कार्य अपूर्ण रहता है तो स्वय ग्रन्थपाल छात्रो को उचित सेवा देने मे असमर्थ हो जाता है।

एसे समय विद्यार्थी-समुदाय को शातिपूर्ण ढग से सहानुभूति पूर्वक, सहयोग कर ग्रन्थालय की सेवायें व ग्रन्थो का लाभ प्राप्त करना चाहिए। उद्दण्डता, उच्छृंखलता, तोड फोड, नारे-बाजी या हिंसात्मक कदम नही उठाना चाहिए। समझौते व सुलह से काम करना चाहिए। पुस्तको का प्रदायन कार्य सच पूछा

जावे तो ग्रन्थालय-वर्गीकरण एव फलक-व्यवस्थापन पर पूर्णत निर्भर करता है। छात्रो को माँग पत्र भरने अथवा ग्रन्थो की जानकारी के लिए ग्रन्थालय सूची का अद्यतन (Uptod iteness of Catelogue) होना भी अत्यन्त आवश्यक है। ग्रन्थालय-सूची की अद्यनता पर ही पाठको को ग्रन्थो की वास्तविक जानकारी विदित होगी अत यदि पर्याप्त कर्मचारियो का अभाव है तो उनकी पदस्थापनाए की जानी चाहिए। पुस्तकालयाध्यक्ष को सम्भवत यह प्रयास करते रहना चाहिए कि समय-समय पर विद्यार्थी-पाठको को पुस्तकालय म होने वाले रोचक-परिवतनो जसे ग्रन्थो का चयन (विद्यार्थी सहयोग स) नवीन ग्रन्थो का क्रय (प्रदशन द्वारा) सन्दभ तथा सूचना विधि लेन-देन का तरीका, नियम-उपनियम सूची व्यवस्था पन फलक व्यवस्थापन एव सूची का उपयोग आदि कठिनाईयो से अवगत कराते रहना चाहिए। ये सभी जानकारियाँ प्राप्त करने म छात्रो को सहयोग करना जरूरी ह।

विद्यार्थियो को मान-ग्रन्थो को पाने व अपने बौद्धिक होने का परिचय देने मे सदैव पुस्तकालयाध्यक्ष के साथ तथा अन्य ग्रन्थालय कमचारियो के साथ नम्रतापूर्ण व्यवहार व आचरण होना चाहिए। गलत हरकतें व अपशब्दो का प्रयोग नही करना चाहिए। यदि कोई ग्रन्थ एक बार दो बार या बार-बार मागने पर नही मिलता है तो ग्रन्थालय प्रमुख (Chief Librarian) से व्यक्तिगत सम्पर्क कर पूव मे पुस्तक को आरक्षित (Reserved) करवा लेना चाहिए।

विद्यालयो एव महाविद्यालयो मे होने वाले साहित्यिक, साँस्कृतिक अथवा परीक्षात्मक प्रतियोगिताओ व कायकलापो पर यदि किसी विद्यार्थी को किसी प्रकार क सन्दभ की या सूचना पाने की आवश्यकता होती है और ग्रन्थालय के अन्य ग्रन्थालय-सेवी टालमटोल करते हैं तो विद्यार्थियो को अपनी कठिनाइयाँ सवप्रथम पुस्तकालयाध्यक्ष को बतानी चाहिए तथा अपने अध्यापको व व्याख्याताओ के सहयोग से समुचित ग्रन्थ पाने का प्रयास करना चाहिए। आज का छात्र जिस तरह शिक्षा-परिसर मे भटका हुआ है, कक्षा कक्ष म उबला हुआ है और ग्रन्थालय व खेल के मैदान पर रूठा हुआ है, उसका कारण यह है कि आज न तो उसे शिक्षको द्वारा उचित मागदशन मिल रहा है और न सही ढग की कक्षा म पढाई हो रही है। जो कुछ हो रहा है वह स्थानीय-राजनीति (Local Politics) रह गई है। इसी राजनीति के मोहरे ग्रन्थालय व खेलकूद विभाग बन जात ह, और पूरे वष विद्यार्थी शिक्षक राजनीति का शिकार होकर अपनी यथाचित सेवायें नही द पाते। परिणाम विद्यार्थियो को भोगना पडता है। फिर भी ग्रन्थालयो से जो सेवायें पाना है उनके लिए विद्यार्थियो को अपनी मानसिकता (Mentality) को बदलना चाहिए। किसी के बहकाने म न आकर विद्यार्थियो को स्वविवेक से काम लेना चाहिए।

पुस्तकालयाध्यक्ष को भी अपने ग्रन्थालयीन सेवा काय के दौरान नम्र, मृदुभाषी, दूरद्रष्टा, शिष्ट, सदाचारी, व्यवहार कुशल, कुशाग्रबुद्धि एव हँसमुख होना चाहिए। उसमे ऐसे गुण होने चाहिए कि पाठक-विद्यार्थी के ग्रन्थालय द्वार पर हर बार आने पर भी कोई उसक काय से असन्तुष्ट न हो उसमे प्रभावित ही हो। यद्यपि यह असम्भव है फिर भी उसे ग्रन्थालय व्यवस्था व विद्यार्थियो क सम्बन्धो मे मधुरता लाने के लिए प्रयत्नरत रहना चाहिए।

'योग्य पुस्तकालयाध्यक्ष वह है जिसे पुस्तका, ज्ञान एव मानवता से प्रेम हो।"[3] इसके अलावा उसमे व्यक्तिगत योग्यतायें आकषक व्यक्तित्व व अपने व्यवसाय का सम्पूण ज्ञान होना चाहिए ताकि वह अपने ग्रन्थालय को प्रगतिशील सस्था के रूप म सर्वाधित कर सके। उमे विद्यार्थियो स मित्रवत व शान्तिप्रिय ढग स व्यवहार करना चाहिए और पाठका से भी अपेक्षा की जाती है कि वे भी पुस्तकालयाध्यक्ष को उतना ही सम्मान द जो ज्ञान दाता को दिया जाता है। यदि यह गलत धारणा शिक्षको अथवा विद्यार्थियो के मन म बैठ गई हो कि ग्र थपाल अब एक साधारण व्यक्ति है तो ऐसा सोचना गलत है। यू जी सी ने इस आशका के समाधान के लिए अपनी अनुशसाओ मे साफ लिख दिया है।"[4] फिर भी कुछ परम्परा स चल आ रहे लबादो को ओढे शिक्षक श्रेष्ठ ग्रन्थपाल व उनके व्यवसाय के साथ सही न्याय नही कर पात ह।

इतना होने के बावजूद भी पुस्तकालयाध्यक्ष को पाठको की कठिनाईया को अपनी कठिनाई समझकर दूर करन का सदव प्रयास करना चाहिए। पुस्तकालयाध्यक्ष के कार्यो की सफलता अधिकाधिक पाठको द्वारा अधिकतम पुस्तको के उपयोग पर निभर करती है। उसका लक्ष्य विद्यार्थियो की माग व पूर्ति पर केन्द्रित होना चाहिए। सस्था-प्रमुखो का भी इस ओर ध्यान देना चाहिए। प्रशासकीय स्तर पर ग्रन्थालय सेवा व ग्रन्थपालो के कार्यों को प्रोत्साहित करना ही शक्षणिक स्तर मे गुणात्मक वृद्धि करना होगा तभी विद्यार्थीगण पुस्तकालयो का पूरा उपयोग कर शिक्षा म तात्विक विकास लाने मे समथ हो सकेंगे।

उपरोक्त विवचन क अनुसार पुस्तकालय अपनी उपयोगी सेवाएँ बिना किसी भेद भाव के सभी तरह के पाठको को दे रहे है। पाठक एव अधिकारीगण अपने उत्तरदायित्वो का सफलता पूवक निवाह कर रहे ह, तो यह निश्चित माना जाना चाहिए कि अन्धकार क्षेत्र मे हम प्रकाशमान क्षेत्र की ओर बढ रहे ह। एक सस्था क पुस्तकालय न अपने उद्देश्यो मे यदि अत्यल्प भी सफलता पा ली है तो यह मानना चाहिए कि वह भविष्य म शिक्षा सस्थान का सबसे-व्यस्त और लाभकारी केन्द्र साबित होगा। ऐसा पुस्तकालय निश्चित ही प्रशसा पाने योग्य है, राष्ट्र के लिए गौरवशाली परम्परा का निर्माण करन म अग्रणी है।

सन्दर्भ ग्रन्थ —

1 I L A, *Bulletin, Vol XIX, 1—3 April–Dec 1983* P 5 Proceedings

2 I L A Bulletin, Role of Professional Assistants in Academic Libraries, Delhi, Indian Library Association, Vol XX No 1—2 April–Sep 1984 P 65

3 श्रीवास्तव (श्यामनाथ) तथा वर्मा (सुभाषचन्द्र) पुस्तकालय सगठन एव सचालन, जयपुर, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, 1978 पृ 31

4 U G C Letter No F 1–6/83 (MP) 28 January 1984 by S K Khanna Secratary, University Grant Commission New Delhi regarding, Merrit promotion Schem of University and College, Librarians

15

"पठन-रुचि—पुस्तक मेले एवं पुस्तकालय"

अब क्या ? और कैसे ? जैसे प्रश्न चिन्हों के इस देश में किसी समस्या के समाधान के पहले ही पूर्ण-विराम लग गया महसूस होता हैं। क्या राजनीति क्या धर्म और क्या नैतिकता सभी प्रगति की चरम सीमा पर पहुंच गये हैं बिना सोचे की प्रगतिशीलता के।

पठन पाठन, प्रकाशन तथा पुस्तकालयों के मामले में भी कुछ इसी प्रकार की चर्चायें प्रकाशक-जगत पाठक वर्ग एवं बुद्धिजीवियों के माध्यम से चल पड़ी है। प्रकाशक इसलिए परेशान है कि पुस्तक प्रकाशन में भारत का विश्व में तीसरा स्थान है फिर भी पुस्तकें छप नहीं रही हैं। पुस्तक व्यवसाय चौपट हो रहा है। आम लोगों में पढने की रुचि कम हो रही है, जिसके कारण पुस्तकें खरीदी नहीं जा रही हैं। इसके पर्याय में मैं यह कहना चाहूँगा कि पाठकों में पठन रुचि कम नहीं हुई है बल्कि बढ़ी है। गम्भीर अध्ययन अथवा सत्साहित्य की पुस्तकें खरीदकर नहीं पढ़ी जा रही हैं इसका मतलब कदापि यह नहीं है कि पठन रुचि कम हो रही हैं वरन् कारण तो यह है कि पाठक जिन पुस्तकों को सस्ते दामों में क्रय कर पढना चाहते हैं वे पुस्तकें जाने माने प्रकाशकों की सस्ते दामों की न होकर बहुत महंगी होती हैं। पुस्तकों के भाव जब आसमान छूने लगे तो पैसे कमाने वाले व्यावसायिक प्रकाशकों ने ऐसी ऐसी पुस्तकों का, पत्रिकाओं का प्रकाशन प्रारम्भ कर दिया जो कम मूल्य व आसान किश्तों पर भी उपलब्ध होने लगी है ऐसी पुस्तकों के बारे में सारिका के माध्यम से सुरेश ऊनियाल लिखते हैं "रेल में सफर करते हुए वक्त काटने के लिए सस्ते किस्म की जासूसी व रूमानी पुस्तकें काफी उपयोगी होती है पर इन पुस्तकों को पढते देख कर कोई नहीं कहता कि आप कोई पुस्तक पढ रहे हैं।" पुस्तक अच्छी हो या न हो परन्तु पढी गई हो तो यह कहा जाना कि पठन रुचि कम हो रही है युक्ति संगत नहीं लगता। हां एक बात जरूर हुई है कि 90 फिसदी पुस्तकें उक्त किस्म की घर-घर में पढी जा रही है, बिक रही है। ऐसी पुस्तकें जिनका धूम-धाम से न प्रचार होता है न विज्ञापन और न ही जिनके मेले लगते है, परन्तु हर ऐसी पुस्तक जो पाठक को मोहित कर रही है छुप छुप कर चन्दे से पढी जाती है। इस दशा में प्रकाशकों का यह सोचना कि पठन रुचि कम हो रही है बेमानी लगता हैं। ये पुस्तकें एवं पत्रिकायें भी प्रकाशकों के ही भाई-बन्धु-रिश्तेदार प्रकाशित कर रहे हैं। तब एक ओर सत्साहित्य की कम बिक्री का, दूसरी ओर पठन रुचि के कम होने का रोना क्यों रोया जा रहा है। क्यों नहीं ऐसी पुस्तकों पर प्रकाशक संघ

बन्दिश लगाता जिनसे प्रकाशन बदनाम हो रहा हैं, पाठकों की अध्ययन रुचि भी बिगड़ रही है, उनके अध्ययन से नैतिक व चारित्रिक पतन आ रहा है और राष्ट्र की बहुत बड़ी जनसंख्या घटिया किस्म के ग्रन्थ अध्ययन का शिकार होकर गुमराह हो रही है।

यदि पुस्तक मेलों में व शासन से प्रकाशक अपनी बर्बादी का ढोल पीट रहे हैं तो उनमें पहले उन्हें उन प्रकाशकों का तथा उन लेखकों को पुस्तक छापने में रोकना चाहिए जिनका पठन से हर परिवार में जहर फैलता जा रहा है। यही कारण है कि महाविद्यालय एवं विश्व विद्यालय पुस्तकालयों में भी बहु प्रतिशत युवा विद्यार्थी सबसे पहले विनोद, विश्रान्त, मनोज की उपन्यास सीरीज व फिल्म फेयर, माधुरी चित्रपट सिनेस्कोप जैसी पत्रिकायें पढ़ने में अधिक रुचि रखते हैं। ऐसा साहित्य पुस्तकालय से नहीं मिलता है तो विद्यार्थी निजी लायब्रेरी से किराये से लाकर महाविद्यालय कम्पस में पढ़ते हैं। पुस्तक संस्कृति का यह स्तर है।

कहने का तात्पर्य यह कि प्रत्येक शहर में पठन रुचि की प्रगति देखनी है तो इसका कमाई के उद्देश्य से खोले गये छोटे छोटे निजी पॉकेट-बुक्स पुस्तकालय जो हर गली मोहल्ले में आपको मिलेंगे, वहां महसूस कर पायेंगे। इनकी संख्या सिर्फ दो-चार तक हो तो भी मान लें, लेकिन इनकी संख्या सैंकड़ों में होती हैं। इनसे प्रतिदिन पढ़ी जाने वाली पुस्तकें व पत्रिकाओं की संख्या भी हजारों में होती है। यह स्थिति है शहरों की। गांवों में भी इनका चलन बढ़ रहा है यदि गाँवों में ऐसे फूहड़ प्रकाशनों की भीड़ व्यवसायिकता बनकर ग्रन्थालयों की धरोहर बन गई तो, गांव-गांव नहीं रह पायेंगे और फिर प्रकाशन जगत का गम्भीर साहित्य के प्रचार प्रसार का सपना टूट जायेगा। बेहतर यह हो कि इन पर रोक लगे, साथ ही गम्भीर साहित्य के प्रचलन हेतु उनकी कीमतें इतनी हो कि सामान्य पाठक अपनी रुचि के ग्रन्थों को नियमित रूप से प्रकाशक से या अन्य ग्रन्थ विक्रय केन्द्रों से क्रय करने में सामर्थवान हो सके।

पुस्तक मेले अथवा बुक-बाजार निसन्देह पाठकों में अध्ययन रुचि को बढ़ाने की ओर एक अच्छा प्रयास है परन्तु इनकी सार्थकता फलीभूत तभी मानी जा सकती है जब इन मेलों में पाठकों की भीड़ मधुमक्खियों सा उमड़ पड़े प्रदर्शित पुस्तकें हाथों हाथ बिके। लेकिन यह होता नहीं है उसका एक ही कारण है पुस्तकों का अधिक कीमतों में होना। पुस्तकों की कीमतें बढ़ने के सम्बन्ध में भी प्रकाशकों की कई दलीलें हैं।

पुस्तक प्रकाशक कागज की महगाई को भी बीच में ले आते हैं। मैं पूछना हूं क्या महगाई रूमानी तिलस्मी, जासूसी, सेक्स, फिल्मी व युवा भटकाव को गलत दिशा देने वाली पुस्तकों व पत्रिकाओं के छापने वालों के लिए नहीं होती है। होती है, फिर भी नाग्यों के सस्करण के लिए इनके पास कहां से कागज पैदा हो जाता है। इसलिए कागज महगाई की बात करना बेमानी है, इसके अतिरिक्त कोई बात

जरूर है जिसके कारण अच्छी पुस्तकें महगी है, और महगी होने से पाठक की खरीद शक्ति से दूर है। अभी तक हमने लोगो मे पठन रुचि कम होने के कारणो की व्याख्या की, पुस्तको की बिक्री न होने की बात की तथा उनकी कीमतो के अधिक होने की चर्चा की। यथा शक्ति मैंने निदान के तक भी प्रस्तुत किये। अब ग्रथालय व्यवसायी होने के नाते पुस्तकालयो के माध्यम से पठन रुचि मे इजाफा, बिक्री मे तरक्की एव पुस्तक-व्यवसाय मे पुस्तकालयो के योगदान पर भी चर्चा कर ली जाय।

स्पष्ट रूप मे यह बात कहने मे मुझे कोई सकोच नही कि उच्च स्तरीय-साहित्य, गम्भीर साहित्य अथवा छात्र-छात्राओ के पाठयक्रम से सम्बन्धित विविध प्रकार का विषयगत साहित्य जब रोजमर्रा के जीवन में पढे जाने वाले तथाकथित साहित्य के प्रभाव के कारण बाजार मे नही बिक पाता है तब ऐसी पुस्तको का एकमात्र खरीददार पुस्तकालय होता है। यदि ये सस्ती रहे तो निश्चित ही पाठक इनको खरीद सकते हैं परन्तु महगी होने के कारण शासकीय खरीद मे आ जाती है।

ग्रथालयो मे आने के बाद खरीदी गई पुस्तक पाठको के अध्ययनार्थ कब तक पहुँच पाती है यह ग्रथालय सेवा की तत्परता पर निर्भर करता है। दूसरी बात यह कि भारत के ग्रथालय आज उतने समृद्ध एव विशाल नही है जितने खेलकूद के स्टेडियम। यदि इतने बडे ग्रथालय हो जाये तो मास्को, लन्दन एव अमेरिका की लायब्रेरी ऑफ कांग्रेस से बडे ग्रथालय हमारे देश मे हो जाय। उनसे कही बढकर पढने वालो की तादाद हमारे देश मे हो और प्रकाशन के क्षेत्र मे पहला स्थान भारत का ही हो।

कहने का मतलब यह कि प्रकाशन ने जो बढोतरी छपन मे दिखाई है वह हमारे ग्रथालयो के विकास ने नही दिखाई। परिणाम यह हो रहा है कि वे सभी पुस्तकें जिनके पाठक है, अनुदान के अभाव मे, स्थान के अभाव मे, सुरक्षा के अभाव मे खरीदी नही जा सकती। फिर हर छपी पुस्तक को ग्रथालय खरीदने मे समर्थ भी नही होता।

इसके आगे ग्रथालयो की अपनी कुछ सीमायें हैं। शिक्षण-सस्थाओ के ग्रथालयों में सिर्फ पाठयक्रम मे सम्बन्धित पुस्तकें ही अधिक क्रय की जाती है। इसमे भी विषय के विशेषज्ञ शिक्षक वे ही पुस्तके सकलित करते है जिनकी नमूने की प्रति उनके पास पहुँचती है और दूसरी जो उनके विषय की होती है।

पुस्तकालय की गरिमा मे चार चाद लगाने की तमन्ना व अच्छे सग्रह की कल्पना ग्रथपाल करता भी हैं और नव प्रकाशित ग्रथो की सूची बनाकर प्राचार्य के समक्ष प्रस्तुत भी करता है तो बीच मे विषय शिक्षक से पूछो वाला प्रश्न उठ खडा होता है। मतलब यह कि ग्रथपाल को अधिकार ही नही होता कि वह अपनी इच्छा से कोई खरीद कर सके। कुछ अपवादो को छोडकर सभी जगह यह स्थिति है।

ग्रन्थालय भी संग्रह में धनवान नहीं बने। सार्वजनिक ग्रन्थालयों में केन्द्रीय खरीद होती है। वहाँ से जो भेजा गया वही रखना पड़ता है भले ही ग्रन्थालय में पहले से वे ग्रन्थ उपस्थित हों। दूसरे प्रकार के सार्वजनिक पुस्तकालय वे हैं जिन पर न शासन का अंकुश है न जनता की जबरदस्ती। समाज सेवा के नाम पर जितनी सस्ती में सस्ती अधिकतम कमीशन पर पुस्तकें मिलती हैं वह खरीद लिया जाता है।

पाठकों की पठन रुचि की ओर तीनों ही प्रकार के (शिक्षा संस्थाओं, सार्वजनिक निजी पुस्तकालय) ग्रन्थालय ध्यान नहीं देते हैं। ये ग्रन्थालय कोई ऐसा कार्यक्रम अथवा सेवा कार्य नहीं करते जिनसे आम लोगों में पढ़ने की रुचि का जाग्रत किया जा सके। इस दृष्टि से पुस्तक मेला ही बहुत अच्छे माध्यम है बशर्ते पुस्तकें सस्ते दामों में ग्राहक को प्राप्त हो सके।

पठन रुचि में पिछड़ेपन का एक और बहुत बड़ा कारण स्वाधीनता के बाद ग्रन्थालयों के विकास विस्तार एवं उनकी उपयोगिता पर ध्यान नहीं दिया जाता रहा है। परिणाम यह हुआ है कि देश की जनता सही समय पर ग्रन्थालयों के लाभ से वंचित रही और जब पठन-सामग्री बाजार में छपे रूप में मिलने लगी तब तक वह महँगी हो गई। अर्थात दोनों ही स्थितियों में पाठक चाह कर भी पाठक पुस्तकें पढ़ नहीं पाया। इस बीच सिनेमा के प्रसार, फिल्मी पत्रिकाओं के प्रकाशन एवं जासूसी उपन्यासों व प्रेम व रोमांस की कथा पुस्तकों ने पाठक का मन अपनी ओर खींच लिया। विज्ञान व भौतिकता की प्रगति ने पाठक को भी प्रगतिशील बना दिया साथ ही चार किस्म के साहित्य ने अच्छा खासा मनोरंजन बैठे-ठाले दे दिया। सरकार की विकास योजनायें चलती रही और नव तक ग्रन्थालयों व ग्रामीण वाचनालयों पर ध्यान नहीं दिया गया, जब तक कुत्सित साहित्य जन जन की रुचि का विषय बन गया जो अच्छी पुस्तकें थी वे सिर्फ ग्रन्थालयों तक सीमित रह गईं। पिछले एक दशक में जो प्रकाशन में वृद्धि हुई है उसके अनुरूप में आज भी ग्रन्थालय का विस्तार नहीं हो पाया है।

जिला ग्रन्थालयों को गाव गाव डिपोजिटरी केन्द्र खोलने व उन्हें सत्साहित्य पहुँचाने की योजनायें विचाराधीन हैं परन्तु आर्थिक मदद के अभाव में यह कार्य भी नहीं हो रहा है। महाविद्यालयों के ग्रन्थालयों में विद्यार्थियों की संख्या व मांग दिनों दिन बढ़ती जा रही है किन्तु अच्छा संग्रह होने पर भी यथोचित कर्मचारियों के अभाव में उन्हें पर्याप्त पुस्तकें व अध्ययन के सुअवसर नहीं मिल पा रहे हैं। ग्रन्थालयों के पास रीडिंग रूम का अभाव प्रदर्शन कक्ष का अभाव अलमारियों की कमी व स्थान की अनुपयुक्तता के कारण ग्रन्थों के उपयोग व उनके पढ़े जाने का अनुपात कम होता जा रहा है। परिणाम स्वरूप विद्यार्थी, ग्रन्थालय सेवाओं को कोसते हुए बवण्डर खड़ा करते जुलूस निकालते हैं, और अन्त में नोट्स व गाइड बुक्स से पढ़कर परीक्षा पास कर लेते हैं। यह है आज की शिक्षा का चित्र। जब नोट्स गाइड्स व

गम पत्रम के अध्ययन म 60 मे 70% तक परीक्षा उत्तीर्ण की जा रही हा तो विषयो पर लिखी जान वाली, प्रकाशित होने वाली और उनकी भी सहायक पुस्तको के रूप म छपने वाली पुस्तकों का कौन खरीदकर पढेगा। जब छात्रो की नानाजन की उम्र म यह स्थिति है तब आम जनता क्यो इन सब चक्करो मे पड़। एसी स्थिति म किसी समस्या का हल ढूढना रन म पानी निकालना जैसा है।

बिक्री की चिन्ता तथा पठन रुचि का अभाव ये ही प्रकाशन जगत के चिन्तनीय विषय है जिनका हल हम तीन तरह से खोजन म सफल हा सकत ह।

(1) बाजारू साहित्य क प्रकाशन पर सेन्सरशिप हो।

(2) अच्छे साहित्य को रियायत पर कागज उपलब्ध कराकर सस्ते दामा म छापा जाव।

(3) ग्रन्थालयो का जाल गावो स राष्ट्रीय पुस्तकालय तक पहुँचाया जाये जिनका सचालन प्रशिक्षित विषय के ज्ञाता ही करें।

उपरोक्त तीनो समाधानो क मध्य मे अनेक और समस्याय उठ सकती ह जैसे लेखक की रायल्टी प्रकाशक को घाटा तथा नये ग्र थालयो को खोलन पर हान वाला खच इनमे स देश क हित म कुछ अश कुरबानी करनी होगी। यदि हम सिर्फ खेलकूद क नाम पर अरबो रूपया खच कर स्वास्थ्य लाभ करने की बात कर सकते हैं तो बढ़ गा अप्राकृतिक व अमानवीय साहित्य जो मानसिक भटकाव, तनाव एव दुबलता का कारण है तो क्या हम इन समाज के दीमको को सदा क लिए समाप्त नही कर सकते। कर सकत है। इसमे हमे थोडी कठिनाई जरूर आयगी किन्तु उन कठिनाइयो के दूर हान पर हमारी सम्पूर्ण मनोकामनायें हमार पश्चाताप हमारी कुठायें सामा य रूप स फलत फलत दृष्टिगोचर होगी।

इस बात की हमारे देश को आज सख्त आवश्यकता है। गलत जा भी हा रहा है, वह होता चला जा रहा है उस पर न कोइ अकुश है और न ही इस ओर कोई सोच रहा ह। नही सोचन ओर सोचकर भी अकुश न लगा पाने का परिणाम है समस्या दर समस्या राष्ट्रीयता म उलझाव जीवन में अनिश्चितता, कर्त्तव्या के प्रति अकमण्यता।

भारत के जो पाच सात लाख गाव है उनमे राष्ट्रीय ग्र थालय नीति क माध्यम म सस्ता और अच्छा साहित्य खप जाये तो पठन रुचि स्वत स्फूर्त होगी। ग्र थालयो म खरीद होगी, सस्ते दामा की पुस्तकें पढने वाला पाठक खरीदगा भी, तब प्रकाशकों की शिकायत भी दूर होगी, और समस्या का निदान भी सुगमता से होगा।

———

16

वैचारिक क्रान्ति बनाम बुक माइण्डेडनेस

पुस्तकों को गांवों तक पहुंचाना वैचारिक क्रांति की महत्वपूर्ण शर्त है—

भारत में आज भी 30 प्रतिशत लोग ही साक्षर है शेष 70 प्रतिशत निरक्षर है, कम पढ़े लिखे है जो अधिकतर ग्रामों में वास करते है किन्तु पढ़न म अत्यन्त रुचि रखते है, ऐसे व्यक्तियों तक राष्ट्र मे प्रकाशित साहित्य की जानकारी पहुँचाने, उनम अध्ययन की रुचि उत्पन्न करने का एक प्रयास विगत पाच वर्ष स किया जा रहा है इसका लाभ शहरी एव ग्रामीण दोनो क्षेत्रो को मिलेगा, पुस्तक प्रकाशन एव साहित्य के प्रचार-प्रसार म प्रतिष्ठात्मक मूल्य कायम होग इहा कुछ मूलभूत तथ्यो को लेकर भारतीय पुस्तक प्रकाशन महासघ एव पुस्तक विक्रेता महासघ, भारतीय राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के सहयोग स प्रतिवर्ष देश के कोने-कोने म (महानगरो) पुस्तक प्रदर्शनियाँ एव पुस्तक मेले आयोजित करते आ रहे हैं।

भारतीय परिप्रेक्ष्य इन मेला, प्रदर्शनियो का महत्व तभी है जब प्रत्यक पाठक को अपनी इच्छित पुस्तक पढने का अवसर प्राप्त हो सके पर स्थिति यह है कि आधी से अधिक आबादी प्रकाशित साहित्य से अछूती और अनदखी रह जाती है।

यूनेस्को अन्तर्राष्ट्रीय विचार मच का यह नारा कि पुस्तकें सबके लिए हैं" व्यक्ति-विकास का अनिवार्य सूत्र है इस सूत्र के प्रथम उद्घोषक स्व डा एस आर रगनाथन थे जिनका सपना था कि इस सूत्र के माध्यम स पुस्तके घर घर पहुंचायी जाना चाहिए ताकि उसको सही पाठक मिले, सही उपयोग हो।

पुस्तक प्रकाशन पिछले दस वर्षों मे बहुत बढ गया है फिर भी ग्रथो का खपत एव प्रयोग उस तादात्म्य मे नही हो रहा है जितनी मात्रा म एक विचारवान व अध्ययनशील पाठक को उसकी आवश्यकता महसूस हो रही है। भारत की 80 प्रतिशत ग्रामीण एव 20 प्रतिशत शहरी जनता को सामयिक विषय की तुला म तौल तो परिणाम यह निकलेगा कि केवल 20 प्रतिशत लोग ही पुस्तको का वास्तविक उपयोग करने वाले सिद्ध होग। ग्रामीण क्षेत्र के पाठक तो प्यासे ही रह जाते हैं। इसका प्रमुख कारण गांवो मे पुस्तकालयो एव अध्ययन स्थलो का न होना है, यह बात विचारणीय है कि जब 70 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों के जन सामान्य के लिए पुस्तकालय नही है तब वहां पुस्तकें कैसे पहुँचेगी और उनका अध्ययन कैसे हो पायगा ऐसे समय निश्चित ही ग्राम लोगो के लिए प्रकाशित की गयी सामान्य पुस्तक प्रकाशको व पुस्तक विक्रेताओं के लिए एक व्यापारिक अड़चन बनकर रह जाती होगी। इस सकट से बचने व अधिकाधिक पुस्तको का प्रचार प्रसार एव व्यापार करने,

प्रकाशन क्षमता बढ़ाने के साथ-साथ राष्ट्र की जनता में वैचारिक क्रांति लाने तथा उन्हें "बुक माइण्डेड" बनाने के लिए आवश्यक होगा देश में पुस्तकालयों का विस्तार प्रचार एवं प्रसार। यद्यपि पुस्तक-व्यवसायियों द्वारा आयोजित पुस्तक प्रदर्शनी आदि निश्चित ही पुस्तक प्रचार प्रसार के अच्छे माध्यम हैं किन्तु सभी के द्वारा सभी पुस्तकें नहीं खरीदी जा सकती। अतः ऐसे पाठकों को पुस्तकालय सुविधा दी गयी है। इसकी सार्थकता इसी में है कि पुस्तकों की पूर्ति सभी प्रकार के पुस्तकालयों में की जायें।

नवविचारधारा है कि ग्रामीण भारत को आधार बनाकर गाँव-गाँव में पुस्तकालयों को इस प्रकार का साहित्य पहुँचाया जायें तो प्रत्येक पुस्तक प्रेमी पाठक को पुस्तक मिलेगी। मजदूर कृषक बच्चे व स्त्रियाँ सभी इन्हें पढ़ेंगे तथा जो निरक्षर हैं उन्हें पढ़कर सुनायेंगे तो निश्चित रूप से एक शैक्षणिक पृष्ठभूमि तैयार होगी। आज ऐसे साहित्य की महती आवश्यकता है जो ड्राइंग रूम से निकलकर धान और गन्ना के खेतों के साथ लहलहाता हुआ चले। गावों में मेले उत्सव एवं राष्ट्रीय पर्वों पर पुस्तक प्रदर्शनियों का आयोजन होगा तो ग्रामीण पाठकों में सहज ही पठन की रूचि जगेगी। ऐसे उपयोग की जाने वाली पुस्तकें ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर कृषि एवं उद्योगों के तौर तरीकों पर प्रकाशित की जानी चाहिये।

गावों में चल रहे शिक्षा केन्द्रों की दशा भी कोई खास अच्छी नहीं है। 'दिनमान'' में प्रकाशित एक सर्वेक्षण के अनुसार 60 प्रतिशत ग्रामीण स्कूलों में पुस्तकालय है ही नहीं और जो हैं भी, वे या तो आलमारी एवं सन्दूक में बंद हैं या फिर सीलन भरे कमरों में पुस्तकें सड़ रही हैं। ऐसी दशा में न तो विद्यार्थियों में पुस्तक पठन के प्रति उत्सुकता होती है और न ही पुस्तकों का उपयोग हो पाता है।

ग्रामीणों की पठन की स्थिति को हम बुद्धिमान कहलाने वाले लोग हास्यास्पद कहते हैं। सिर्फ यह कहना कि ग्रामीण क्या पढ़ेंगे और क्या करेंगे से काम नहीं चलता। आज बदलते सन्दर्भों में हम उनकी अध्ययन रूचि को उनके कृषि एवं उद्योग विकास को, तकनीकी ज्ञान की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए पुस्तकें उन तक पहुँचानी होगी।

देश के एक प्रसिद्ध प्रकाशक का कहना है हम सिर्फ 20 प्रतिशत शहरी लोगों का ध्यान ही नहीं रखना है वरन् उन 25 करोड़ लोगों को भी रखना है जो अशिक्षित है, साथ ही वे 80 प्रतिशत ग्रामीण जन जो यथोचित साहित्य के प्रकाशित होने पर भी पुस्तक पढ़ने से वंचित रह जाते हैं। इन में समग्र ग्राम विकास योजनायें कृषि में आधुनिकता, उद्योगों में ग्रामीणीकरण, विज्ञान एवं तकनीकी में शोध अनुसंधान को राष्ट्रीय कार्यक्रमों के रूप में अपनाने में लाया जा रहा है। सभी ... कृत कर ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के रूप में [illegible] रूप का [illegible] दे रहे हैं

समय म आर्थिक सामाजिक सम्पन्नता के साथ ही वैचारिक क्षमता का होना युवा ~ का के लिए आवश्यक ही नही, अनिवार्य जान पड़ता है। इसके लिए उन्हें 'बुक माइण्डेड' बनाया जाना चाहिए तभी व सत असत का निर्णय करने म समर्थ हो सकेंगे। यह सुविधा पुस्तकालयों क माध्यम से उन्हें प्राप्त होगी।

1972 एव 19 6 मे प्रथम एव द्वितीय विश्व-पुस्तक मेल का आयोजन कर अखिल भारतीय पुस्तक सघ पुस्तक विक्रेता सघ एव पुस्तक न्यास ने महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है फिर भी उपरोक्त मेलो से सतोषजनक प्रगति नहीं दिखाई दी। राष्ट्र भाषा हिन्दी एव अन्य भारतीय भाषाओं के साहित्य को जन-जीवन तक पहुचाने का अभी तक "पुस्तक मेले" सर्वोत्तम माध्यम रहे है, लेकिन इससे कहीं बेहतर तरीका ग्राम-ग्राम, नगर नगर म पुस्तकालयो के निर्माण म निकाला जा सकता है।

वैचारिक क्रान्ति फैलाने व लोगो को पढने के प्रति जागरूक करने क लिए राष्ट्रीय-पुस्तक न्यास ने जो विचारगोष्ठी आयोजित की, इसकी कुछ सस्तुतिया इस प्रकार है :—

1 ऐसे प्रभावी पुस्तक समाज के विकास की महती आवश्यकता है, जिसम लेखक प्रकाशक, बुद्धिजीवी और सरकारी एजेंसियो पठन रुचि को बढावा देने में परस्पर सहयोग कर सके।

2 महाराष्ट्र का अनुसरण करते हुए पदयात्राएं आयोजित की जानी चाहिये और पुस्तको को जनता के घरो तक पहुंचाया जाना चाहिये। इन ग्रन्थ यात्राओ अथवा पद यात्राओ का आयोजन सरकारी एजेंसिया करें और लेखक प्रकाशक और बुद्धिजीवी उनमे भाग लें।

3 सरकार पुस्तक मेला और पुस्तक समारोहो क लिये पर्याप्त समय रहते हुए पुस्तकालयो को अनुदान स्वीकृत कर ताकि वे अपनी आवश्यकतानुसार पुस्तकें खरीदने क इन अवसरो का लाभ उठा सकें।

4 सामान्यत समाचार-पत्रो में विदेशी पुस्तको की समीक्षा की जाती है। भारतीय पुस्तको की समीक्षा भी होनी चाहिये। इसी प्रकार नाटक एकांकी एव अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम यद्यपि हिन्दी एव अन्य भाषाओ म होते हैं, फिर भी केवल अ ग्रेजी पत्रो म ही उनकी समीक्षा छपती है। भाषा पत्रो को भी ऐसी समीक्षाएँ छापनी चाहिए। दूरदर्शन और आकाशवाणी को भी नई पुस्तको के प्रकाशनो की ओर ध्यान देना चाहिए।

5 शिक्षा मत्रालय को राष्ट्रीय पुस्तक मण्डल को पुनर्जीवित करने के अविलम्ब कदम उठाने चाहिये। सरकार को एक सुस्पष्ट और निश्चित पुस्तक नीति पुस्तको क मूल्य को नियन्त्रित करने क लिए बनानी चाहिये और प्रकाशन उद्योग के लिए डाक सुविधायें, रियायती कागज एक्साइज एव करो आदि क विषय म विशेष उदारता दिखाई जानी चाहिए।

6 पुस्तकमनस्कता, पठन रुचि एव अ य सम्बद्ध पहलुग्रा के लिए सर्वेक्षण किय जाने चाहिय। इन सर्वे रणा के परिणामो को भी सावजनिक कर दना चाहिय।

7 पुस्तको के मूल्य इसलिए ऊँचे ह कि वे केवल पुस्तकालयो और शहरी पाठका को देखकर ही प्रकाशित की जाती है। पुस्तकें ग्राम पाठका तक ग्रामीण क्षेत्र म पहुँचे।

उपरोक्त सभी सस्तुतियो के अलावा विचारगोष्ठी म भाग लेने वाले सदस्या न अलग से ग्र थालया की व्यवस्था पर भी ध्यान दिया होता ता ग थो की ग्राम जनता तक पहुच आसान होती। भविष्य मे इस विषय पर भी प्रकाशक, लेखक, बुद्धिजीवी एव राष्ट्रीय पुस्तक न्यास साचग, यह अपेक्षा है।

---

* नशनल बुक टस्ट द्वारा आयोजित विचारगोष्ठा की सस्तुतिया हि दी प्रकाशक सघ के मुख्य पत्र हिन्दी प्रकाशक" से अवतरित, 20 (4) जून 1983 पृ 23

17

दूषित होता पुस्तकीय पर्यावरण

हिन्दी साहित्य के भारतीय मनीषी प महावीर प्रसाद द्विवदी का कथन है कि 'साहित्य समाज का दपण होता है' बहुत हद तक ठीक है। ठीक इस तरह कि प्रस्तुत लेख पुस्तकालय म कही स्थान पायगा और लोग इसे पढ़ेंगे तो पायेंग कि एक समय ग्रन्थो की दुरवस्था इतनी गिर गई कि अश्लील ग्रन्थो, पत्र पत्रिकाओ न जन जीवन के विचारो को भी दूषित कर दिया। अच्छे ग्रन्थो की खरीद, उनका अध्ययन एव उनका सग्रह बन्द सा हो गया। कारण खोजन पर पता चला कि प्रदूषित साहित्य ने श्रेष्ठ साहित्य का चलन से बाहर निकाल फेंका।

अथशास्त्र मे मुद्रा का एक सिद्धान्त है कि अच्छी मुद्रा, खराब मुद्रा को चलन मे बाहर कर देती है या जब सिक्का घिसघिसकर चलन के बाहर हो जाता है तो उसका मूल्य खत्म हो जाता है परन्तु ग्रन्थो के मामले म एकदम विपरीत हो रहा ह। घटिया साहित्य रोजमर्रा की जिन्दगी का अग बन गया है और अच्छा साहित्य कोई पढ़ना ही नही चाहता। ऐसा क्या हो रहा है यह विचारणीय प्रश्न है और समाज के पतन का ज्वलन्त कारण।

पढने वाले भी यह भलीभाति जानते हैं कि सस्ते साहित्य और काम चलाऊ मनोरजक ग्रन्थो से बौद्धिक विकास या ज्ञानाजन के नाम पर कोई उपलब्धि नही होगी फिर भी फैशन के रूप म आज का आम आदमी चलताऊ साहित्य को ही प्राथमिकता दे रहा है।

भारत के परिवारो म प्रात व शाम की आरती पूजन वन्दन की परम्परा ने व्यक्ति को धार्मिकता प्रदान की थी, परिणामस्वरूप परिवार के प्रत्येक सदस्य को धार्मिक ग्रन्थो, पौराणिक कथाओ एव महान् चरित्रो को पढने का अवसर मिलता था।

आज के आधुनिक भारत के परिवारो मे पूजा वन्दना मे सीधे टपरिकाडस, चलत हैं और कुछ पढना हो तो सबसे पहले फिल्मी पत्रिकायें निकलती हैं, फिर उपन्यास, फिर कुछ चटपटा-साहित्य और बच्चो के लिय कामिक्स एव जासूसी ग्रन्थ व पत्रिकायें।

आप किसी बच्चे को कोई गाना गाने को कहिए तो वह फटाफट फिल्मी गाना सुना देगा परन्तु उस उसकी कक्षा म चलन वाली पुस्तक म से कोई गीत अथवा कविता सुनाने को कहिए तो वह नही बता पायेगा। आप किशोर एव युवा विद्यार्थियो से विश्व व हिन्दी महान् हस्तियो के बारे मे पूछे तो वे आसमान की ओर देखने लग जायेंगे, परन्तु किसी फिल्मी हीरो अथवा हीरोइन के बारे म पूछिये तो फटा

फट उनका नाम, उनकी उम्र तथा उनकी फिल्मा के नाम बता दग। उपरोक्त दोनो प्रकार के लक्षणो स यह ज्ञात हा जायगा कि व्यक्ति की रुचि और उसका बौद्धिक भुकाव किस ओर है।

कई वार इस प्रकार क इटरव्यू एव रिपाटस पत्र एव पत्रिकाओ म प्रकाशित हुए हैं जिनम अश्लील साहित्य के प्रति खेद प्रकट किया जाता रहा है। सर्वेक्षण से यह भी पता चलता है कि फिल्मी पत्रिकाओ अपराध कथाओ, जासूसी रूमानी व रहस्य कथा विशेषाका क अध्ययन स कइ लोगा ने अपना जीवन बरबाद कर लिया। सक्स एव गन्दे साहित्य के प्रचार-प्रसार न व्यक्तिया की मानसिकता को कुठाग्रस्त बनाया है, कुत्सित विचारो एव अपराधिक वृत्तिया से ग्रसित किया ह।

अमरिका में अश्लाल साहित्य क फनते जहर के खिलाफ जनमोर्चा बनाकर जनता कुत्सित व समाज का पतनो मुख करन वाले प्रकाशित साहित्य, वीडियो टप कैसेटस व ब्ल्यू फिल्मा के खिलाफ आदोलन करने सडका पर निकल पडे ह। हमारे दश म भी नारी मुक्ति आदालन, नारी स्वातत्र्य मोर्चा एव नारी शोपण के खिलाफ महिला सगठना न क्रातिकारी कदम उठाय ह। विज्ञापना मे नारियो के शरीर का नग्न प्रदशन व पत्रिकाओ में देह व्यष्टि का मोहक चित्राकन पर आपत्ति उठान में भारतीय नारिया भी अब पीछे नही है। यहा तक नारी अध पतन के सम्बन्ध में पत्र पत्रिकाओ म प्रकाशित चित्रा पर ससद म भी कई बार गम्भीर बहस चली है। परन्तु फिर भी यह नग्नता नही गई ह। विज्ञापना म नारी दह की नग्नता पर प्रहार करती हुई नीलम लूथरा लिखती है 'साडिया क विज्ञापन मे एक से एक सुदर लडकी दिखाई दगी मगर विना ब्लाउज के केवल साडी लपेटे अद्ध नग्न अवस्था म। साडी के साथ अगर ब्लाऊज भी पहना दिया जावे तो क्या साडी के विज्ञापन में काई कमी आ जाती है किन्तु उन्ह ता (उत्पादको का) केवल नारीदेह को ही प्रदर्शित करना है वस्तु चाह कैसी भी हो।

यही हाल उन प्रकाशित चर्चित उपन्यासा के बारे में कहा जा सकता है जिनमे मुख पृष्ठ पर नग्न नारी की मासल देह को स्पश करता उपन्यास नायक का बलिष्ठ शरीर खुला दिखाया जाता है। एसे चित्रा का देखकर ही सदैव मन स्थिति से गुजर रहा पाठक सोचता है कि ऊपर इतना दिलकश चित्र दिया हुआ है तो अन्दर और भी बहुत कुछ सेक्स युक्त प्रसग हागे। इस विचार का आकपण पाठक को ऐसे चित्रा से युक्त पुस्तका व पत्रिकाओ को खरीद हतु विवश करता है।

यदि हम कह कि नारियाँ अपनी देह को क्या इस तरह से व्यावसायिकता के लाभ म फसकर अपना अग प्रदशन करती है और उन्ह यदि अग प्रदशन म ही आनन्द मिलता है ता फिर वे नारी-मुक्ति की बात क्या करती है। उन पर होन वाले भावात्मक अपराध के प्रति क्या आदोलन पर आमादा हा जाती है। महिलायें क्या नही इन नग, अर्द्ध व नैतिक पतन के प्रेरक मॉडलिंग, चित्र व

पोस्टरो व उपन्यास व कहानी व वृतान्तो को बन्द करने के खिलाफ लड़ती है। नाम, धन, प्रतिष्ठा और प्रदर्शन का लाभ सवरण न कर सकने के कारण नारियाँ यदि अपने शरीर को कैमरे की परिधि म दकर विज्ञापना के माध्यम से समाज म अपने देह सौदर्य को उजागर करती है तो दूसरी ओर गम्भीर साहित्य के अध्ययन और प्रकाशन की हालत इतनी खराब है कि अच्छा साहित्य बाजार में सस्ते मूल्यो म उपलब्ध नहीं है, कारण है उनकी माँग कम होना। तभी पिछले दो दशको स साहित्यिक लेखन की धारा ही पाठको की रुचि के अनुसार बदल गई है।

व्यग, हास्य-परिहास जीवन चरित्र, व्यक्तित्व विश्लेषण, यात्रा सस्मरण एव रिपोर्ताज से निरन्तर पत्र-पत्रिकाओ के कालम भरत जा रहे हैं। पाठको की रुचि मे आए अनायास परिवतन ने जासूसी उपन्यास उपराध कथा, सच्ची कहानियाँ एव यौन साहित्य के प्रकाशन को प्रोत्साहित किया। इसी के समानान्तर बच्चो के लिए जहाँ राष्ट्रीय धारा एव वीर चरित्रो के प्रकाशनो की भीड थी, वही अब कामिक्स, रहस्य-रोमाच व काल्पनिक जीवन जीने की प्रेरणा देने वाला प्रकाशन शुरू हुआ। इस प्रकार के चटपट साहित्य से गली-गली, नगर-नगर के घरेलू ग्रथालय आबाद हो गय। इनकी प्रगति और प्रकाशन जगत पर मण्डराते सकट के कारण प्रकाशको ने हिन्दी साहित्य के ख्याति प्राप्त साहित्यको, उपन्यासकारो, कथाकारो की रचनाओ को सस्ते कागज व सस्ते मूल्यो के सस्करणो के रूप मे प्रकाशित करना प्रारम्भ किया फिर भी प्रकाशन की विसगतियो एव अधकचरे साहित्य को बाजार म बटने से ये रोक नही सके। कई प्रकाशको न घरेलू लाइब्रेरी योजना का लालच देकर गम्भीर साहित्य के प्रचार-प्रसार का प्रयत्न किया। यह प्रयास निरन्तर चल रहा है फिर भी माग अधिक न होने और गभीर साहित्य के दाम अधिक होने म आम आदमी इस सुविधा को नही भोग पा रह हैं।

ऐसा भी बहुत कम हुआ कि पूरे देश मे पुस्तक क्रान्ति के नाम पर ग्रथालयों के विकास पर विचार किया गया हो। ग्रन्थालय नही खुले अत उनम पुस्तकें नहीं आ सकी जब पुस्तकें नहीं आयी तो जिज्ञासु पाठक मौहल्ले के ग्रन्थालयो से प्राप्त चन्दे की पुस्तक से ही खुश हुए। चलताऊ पठन सामग्री के अत्यधिक प्रचार-प्रसार का परिणाम यह हो रहा हैं कि लोग सावजनिक ग्रथालय व शासकीय ग्रथालयों के अस्तित्व का क्रमश भूलते जा रहे हैं। जनता उन्हा ग्रन्थालया को ग्रयालय समझ रही है जहाँ स उन्ह जासूसी, रहस्य, रोमांच, अपराध व सेक्स से सम्बन्धित ग्रन्थ किराये पर पढने को मिलते हैं। मौलिक ग्रन्थ व गम्भीर साहित्य के प्रकाशन स आज का आम पा [illegible] पा रहा है क्योकि नुक्कडो पर खुली स्टार [illegible] लायब्रेरिया [illegible] की पुस्तको को स्थान नही दे रही है। [illegible] कारण [illegible] पर ध्यान न दिया जाना है।

मौलिक व गभीर साहित्य की दशा—आज यह चिन्ता है कि मौलिक साहित्य पढा नही जा रहा है न सिफ प्रकाशको की चिता का विषय है अपितु मौलिक लेखन और विशुद्ध चिन्तन से जुडे रचनाकारो, सृजनधर्मिया एव बौद्धिक लोगो को भी इस बात म बडा क्षोभ है कि आज की पीढी मौलिक साहित्य, नही पढ रही है सिफ पका पकाया माल पाकर ही अपने उद्देश्य म सफल हो रही है।

साहित्य प्रकाशन और साहित्य-उपाजन का सबसे अधिक काय शिक्षा जगत से सम्बधित है। इस दृष्टि से जो भी ज्ञान पाठ्यक्रम म पढाया जाता है और जिस शिक्षालयो मे कक्षा अध्यापन के माध्यम से सिखाया जाता है उसे विद्यार्थियो को पढना चाहिए और समस्याओ के निदान हेतु कक्षा शिक्षक अथवा ग्रथपाल से सम्पक करना चाहिए यह एक बुनियादी बात है। इसी बुनियादी बात को ज्ञान के रूप म प्रदान करने के अवसर देने के निमित्त प्रत्येक शिक्षण सस्थानो म पाठयक्रमो, सहायक ग्रथो एव ज्ञान विज्ञान की जानकारी से युक्त सदभ ग्रथा से सुसज्जित ग्रथालय निर्मित किये जाते हैं। इन ग्रथालयो का काय विद्यार्थियो एव प्राध्यापको को शिक्षण म आवश्यक ग्रथा को नियमित कर मदद पहुँचाना होना है साथ ही ज्ञान के क्षेत्र मे हो रह नवीन परिवतनो की जानकारी आवश्यक सूचना स्रोतो के माध्यम से देना होता है। इतना ही नही छात्रो को अनुशासन, चरित्र व नैतिकता के गुणो की शिक्षा देने वाले सत् साहित्य से साक्षात्कार करना भी है। शैक्षणिक सस्कारो से परिपुष्ट करने के उद्देश्य से शिक्षा विभागो मे पाठयग्रथो की अहम् भूमिका होती है, लेकिन बौद्धिक सस्कृति को बनाये रखने के लिए पाठयग्रन्थो के अतिरिक्त अध्ययन की सहायक ग्रथ-सामग्री का ग्रथालयो व बाजार म होना आवश्यक होता है। सहायक सदभ सामग्री के रूप मे शिक्षको एव विद्यार्थियो को अध्ययन हतु ग्रथ नही मिल पात तो उनके सामाय ज्ञान मे वृद्धि होना मुश्किल होगा। अत शिक्षको व विद्यार्थियो को नोट्स गाइड्स पर निभर न होकर मौलिक ग्रथा के अध्ययन से जुडना चाहिए, मौलिक ग्रथो का अध्ययन ही शक्षणिक मूल्याकन का ठोस आधार हो सकता है।

स्वाधीनता के बाद के 15–20 वष तक इस बात पर काफी कुछ ध्यान दिया गया कि मौलिक ग्रथा से ही अध्ययन और अध्यापन हो ताकि शिक्षक एव शिक्षार्थी गभीर से गभीर विषय की गहराई मे जाकर उसका पूण ज्ञान पा सके। उस वक्त कुन्जी को बुरा माना जाता था और जो शिक्षक कुजियो का सहारा लेकर पढाते ह उह कमजोर शिक्षक माना जाता था। छात्रो म ऐसे शिक्षको की छवि उज्जवल नहा होती थी। जब कभी कोई विद्यार्थी यदि कक्षा मे कुजी लेकर आता था तो या तो कक्षा शिक्षक कुजी फाड डालते या फिर कुजी पढने के बावत् विद्यार्थी को कक्षा से निकाल देते थे। इस प्रकार के अनुशासन मे चलने वाली शिक्षा ने मौलिक चिन्तन व गम्भीर साहित्य के अध्ययन को जम दिया

था किंतु आज हम देख रहे है कि नोट्स गाइड्स, गैस पैपर्स, गोल्जि व प्रश्न बैंको की पुस्तका के प्रकाशन ने मौलिक ग्रन्था का चलन से निकाल रखा है। विद्यार्थी तो क्या शिक्षक तक सरल अध्ययन माला व निर्माण म सहयोग कर रहे है और बाजार म इन ग्रन्थो के अलावा कुछ दिखाई ही नही देता

परिणाम यह हुआ है कि आज का विद्यार्थी अपने देश, समाज संस्कृति धम एव मानव जीवन की बुनियादी बातो स कोसा दूर होता जा रहा है। उसे परीक्षा पास करना होता है तो वह व्याख्यान सीरीज, श्योरसक्सेज, अथवा रात भर की पढ़ाई स पास होने वाले नोटस लेकर पढ लेता है। शिक्षक भी पाठ्यक्रम पर आधारित पाठय पुस्तको की प्रश्नोत्तर पुस्तिकाओ स विद्यार्थियों को शिक्षण दे देते है और ग्रन्थालयो मे मौलिक तथा गम्भीर अध्ययन की पुस्तकें रखी रह जाती है।

जब प्रश्नोत्तर-साहित्य का युग आ पडा है तब विस्मत और गम्भीर साहित्य अब दुकानो मे सजावट क सामान और ग्रन्थालयो मे इतिहास क अवशेष मात्र रह गये है। इनकी इस दशा को सुधारने का प्रयास किया जाना चाहिए अन्यथा ज्ञान शून्य होकर हम हमारी पीढियो के ज्ञान अपनी मौलिक सास्कृतिक, साहित्यिक विरासत को खो बैठे और वतमान घटिया साहित्य ही ज्ञान के चमकदार हीरे बनकर चमकते दिखेंगे।

इस बात से प्रकाशक वग, ग्रन्थालय जगत व बौद्धिक पालक वग निश्चित ही चिंतित है परन्तु क्या करें जसे जमाने की हवा बह रही है हम भी बहना पड रहा है। हमार देश म कई बार शैक्षणिक परिवतन की दिशा मे कदम उठाये गये, पुस्तक सस्कृति को प्रोत्साहित करने हेतु प्रयास किए गय पर औद्योगिक प्रगति ने देश को विकासशीलता की श्रेणी पर पहुचाया, शिक्षा की ऊँचाइयो को छूने म असमथ रहे। पाठ्यग्रन्थ केन्द्रित पाठयक्रम बन, कक्षा अध्यापक केन्द्रित पाठयक्रम बन, स्थानीय बोलियो एव भाषाओ को पाठयक्रम म स्थान दिया गया। कम्प्यूटर टी वी व वीडियो प्रणाली से अध्ययन के अवसर प्रदान किय गय किंतु गम्भीर साहित्य की दयनीय होती दशाओ पर ध्यान नही दिया गया। गम्भीर चिन्तन के साहित्य को ग्रन्थालयो के माध्यम से घर द्वार तक योजनाओ के माफत पहुचाया होता तो आज देश का पुस्तकीय पर्यावरण का स्वरूप ही कुछ और होता।

18

राष्ट्रीय विकास के लिए ग्रन्थालय

ऐतिहासिक परिदृश्य—राष्ट्रीय विकास में ग्रन्थालयों के योगदान को हम ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखें तो हम पायेंगे कि प्राचीन भारत के ग्रन्थालय[*] भारतीय धर्म, दर्शन, शिक्षा राजनीति एवं समाज-व्यवस्था की सांस्कृतिक विरासत के महत्वपूर्ण केन्द्र थे। मध्यकाल के प्रमुख ग्रन्थालयों[**] ने भी राष्ट्र की तत्कालीन विकसित साहित्य, संगीत, धर्म, दर्शन, कला, वाणिज्य व्यापार एवं शिक्षा की परम्पराओं को उन्नत करने में अपना बहुमूल्य योगदान दिया। "आधुनिक काल में वैज्ञानिक आविष्कार औद्योगिक क्रान्ति एवं पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव से शिक्षा एवं ग्रन्थालयों ने नया स्वरूप पाया है।'

प्राचीन काल की शिक्षा पद्धति को चरमोत्कर्ष तक पहुंचाने श्रेष्ठ राजनीतिज्ञ, कूटनीतिज्ञ अर्थविज्ञानी व कलामर्मज्ञ बनाने में ग्रन्थालयों के दुर्लभ-ग्रन्थों ने जो सहयोग इन विद्वानों को दिया जिसका परिणाम ही था कि स्वर्ण भूमि होने की प्रसिद्धि प्राचीन भारत ने पायी थी। भारतीय काव्य शास्त्र, राजनीति चिकित्सा, अर्थशास्त्र युद्धकला, नक्षत्र विज्ञान एवं वेद-वेदान्तों के इन अन्तर्राष्ट्रीय शिक्षा संस्थानों में भारत के भावी कर्णधारों ने अध्ययन अध्यापन का कार्य कर देश के विकास में सहयोग किया। इन्हीं त्यागी, तपस्वीयों एवं निःस्वार्थ गुरुओं की कृपा से मानव देवत्व पाते थे।

"व्याकरण के जनक पाणिनी, सुप्रसिद्ध राजनीतिज्ञ चाणक्य तथा अर्थशास्त्र के रचयिता कौटिल्य भगवान बुद्ध के व्यक्तिगत चिकित्सक जीवक और प्रसिद्ध भारतीय शासक चन्द्रगुप्त और पुष्पमित्र ये सभी तक्षशिला की पावन धरती की ही उपज थे।"[1]

---

[*] तक्षशिला का पुस्तकालय, नालन्दा के "रत्नोदधि" "रत्नसार' एवं "रत्नरंजक' विक्रमशिला का ग्रन्थालय, वल्लभी वि वि का ग्रन्थालय, नादिया, ओदन्तपुरी, जगद्दला सारनाथ, मिथिला, कांची, काशी, कन्नौज एवं भोज का पुस्तकालय प्रमुख है।

[**] संत शेख निजामुद्दीन औलिया का ग्रन्थालय बलबन के पुत्र शाहजादा महमुद का पुस्तकालय, गाजीखान का पुस्तकालय, फिरोजशाह के पुस्तकालय, बाबर, औरंगजेब, हुमायूँ व अकबर द्वारा स्थापित।

नालन्दा म ह्वेन साग न कुछ प्रसिद्ध शिक्षकों के नाम इस प्रकार गिनाये हैं। (1) चन्द्रपाल (2) धमपाल (3) ज्ञानमति (4) श्रीमति (5) प्रभामित्र (6) स्थिरमणि (7) नागाजु न (8) शीलभद्र आदि।[2]

चूंकि अध्यापन काय करने वाले शिक्षक आचाय, भिक्षु धम प्रचारक सुधारक एव पयटक भी होत थ, अत अपने देश के बाहर जाकर भी धम व शिक्षा का प्रचार प्रसार करत थे। इसी प्रभाव के कारण ही देश के इन विश्व विद्यालयो म "उच्च शिक्षा प्राप्त करन के लिए न केवल भारत के विभिन्न भागो स बल्कि विदेश, जस तिब्बत, चीन, कोरिया, जापान, बर्मा, सुमात्रा, जावा, तुर्कीस्तान आदि देशों से भी विद्यार्थी नालन्दा विश्वविद्यालय में आत थ।[3] इस प्रकार ग्रन्थ सग्रह की वृत्ति स भारत आने वालो मे चन्द्रगुप्त द्वितीय के शासन काल मे फाहियान 'विनय पिटक" की प्रतियाँ लेने भारत आया। हष के शासन काल मे ह्वेनसाग भारत आया। सातवी शताब्दी मे इत्सिग चीन से भारत आया, इन विद्वानो ने बौद्ध विहारो मे रहकर विश्व विद्यालयो म जाकर बौद्ध धम और साहित्य का अध्ययन किया। उन्होने अपने अध्ययन काल मे अनेक पुस्तकों व हस्तलिखित ग्रन्थो का सग्रह किया। जब लौटे तो असख्य मूल ग्रन्थ व अनुवाद कर अपने-अपने देश ले गये। ग्रन्थालयो का वभव ग्रन्थो के जाने से समाप्त प्राय होता गया।

इन सारे विश्वविद्यालयो का पतन बाबर हूणों, अरबो, एव मुसलमानो के आक्रमण के साथ हो गया। नालन्दा तक्षशिला के पतन के बाद मुस्लिम शासकों ने पूर्वी-बगाल के नवद्वीप उच्च शिक्षा केन्द्र को सास्कृतिक एव शैक्षिक विकास निरन्तर प्रदान किया। इसी "नादिया" की सुजला-सुफला धरती पर जयदेव जसे प्रसिद्ध "गीत गोविन्द" के रचियता ने शिक्षा पायी। उमापति द्वारा रचित "स्मृति विवेक" न्यायशास्त्र का विशिष्ठ ग्रन्थ माना जाता है जिसका निमाण विश्व विद्यालय म ही हुआ था।

श्रीमति सध्या मुकर्जी के अनुसार, "ऐसा कहा जाता है कि नदिया का एक प्रतिभावान विद्यार्थी वासुदव सावभौम मिथिला मे न्याय व तकशास्त्र की शिक्षा प्राप्त करने गया था और वह तत्व चिन्तन "मणि' ग्रन्थ को कठस्थ कर वापिस लौटा क्योकि मिथिला के पडित अपने यहा की किसी भी पुस्तक को ले जाने, प्रतिलिपि करने व अनुवाद करने की अनुमति नही देते थे। नदिया लौटने पर उसी वासुदेव सावभौम ने नदिया म तकशास्त्र का सूत्रपात कया और कालान्तर मे उसके शिष्य रघुनाथ शिरोमणि ने न्याय की एक नवीन विचार धारा का सूत्रपात किया। नवद्वीप मे न्याय शास्त्र क अध्ययन की व्यवस्था भी हुई। आगे चलकर मथुरानाथ, रामचन्द्र और गदाधर भट्टाचाय नामक प्रसिद्ध न्यायाचाय हुए।[4]

उक्त स्थिति तो तब निर्मित हुई थी जब मुस्लिम आक्रमणकारियो ने तक्षशिला एव नालन्दा जैसे विशाल विश्वविद्यालयो को नष्ट कर दिया। विदेशी अपने साथ ग्रन्थालयो के महत्वपूर्ण ग्रन्थ ले गये। डा श्यामसुन्दर अग्रवाल के मतानुसार 'कहते है चीनी यात्री फाहयान अपने साथ 520 भारतीय ग्रन्थो के बण्डल चीन ले गया था। ह्वेनसाग भारत मे तीन वर्ष रहकर 657 ग्रन्थो की प्रतिलिपिया अपने साथ ले गया। एक अन्य चीनी यात्री इत्सिग ने भी लगभग 500 बौद्ध ग्रन्थो की प्रतिलिपियाँ चीन भेजी थी। वह इसी काम के लिए लगभग दस वर्ष भारत वर्ष मे रहा।"[5]

यह युग शिक्षा के समान अवसर का युग था, सिर्फ शूद्रो को अध्ययन के अवसर कम थे। ब्राह्मण क्षत्रिय व वैश्य सभी के लिए राजनीति धर्म, दर्शन, कला, साहित्य का अध्ययन जरूरी था। नालन्दा विश्वविद्यालय से भी अनेक विद्वान चीन गये इस बात की पुष्टि करते हुए डा पुखराज जैन ने लिखा है।

"बोधिरुचि 693 ई मे दक्षिण भारत से चीन पहुँचा, जिसने लगभग 53 भारतीय ग्रन्थो का चीनी भाषा मे अनुवाद किया। 8वी शताब्दी मे वज्रबोधि व अमोघ-वज्र चीन गए जिन्होने वहाँ बौद्ध धर्म का प्रचार किया। अमोघ-वज्र अपने साथ लगभग 500 पुस्तकें ले गया जिन मे से 77 का उसने चीनी भाषा मे अनुवाद किया। इस प्रकार अमुक विद्वान भारत से चीन गये जिन्होने वहा भारतीय साहित्य का प्रचार किया।"[6]

बर्बर आक्रमणो से जब भारतीय वैभवशाली उन्नति पर ग्रहण लगना शुरू हुआ, ब्राह्मणो भिक्षुओ, सघाचार्यों व मठाधीशो ने दुर्लभ ग्रन्थो का सरक्षण अपने प्राणो से अधिक मानकर किया। यह आदेश सभवत भविष्य पुराण की इन पक्तियो से मिला हो "पाण्डुलिपिया मठो मे सारी जनता के उपयोग के लिए रखी जा सकती है और शिव, विष्णु या सूर्य के मन्दिर मे जो पुस्तको के पढने की व्यवस्था करता है तो वह कार्य गाय, भूमि या स्वर्ण के दान के समान है।"[7]

ऐसा करके राष्ट्र की सम्पदा को बचा सकने मे व्यक्तिगत प्रयास बाण भट्ट, कुषाण राजा कनिष्क आदि ने ज्ञान के ग्रन्थो को व्यक्तिगत ग्रन्थालय बनाकर सुरक्षा दी। ये व्यक्तिगत ग्रन्थालय विदेशी मुस्लिम आक्रमणकारियो के हाथ मे लगे। कई फूँक दिए गये, कुछ बादशाहो के व्यक्तिगत ग्रन्थालयो की शोभा बने। अरबी, फारसी, उर्दु जुबानो के चलन से इनकी विषय-वस्तु उपयोगी नही हुई पर बाद मे इन ग्रन्थो के अनुवाद कार्य, प्रतिलिप्यान्तर एव दूसरी प्रतियाँ उर्दू मे तैयार की गई।

राजनीति, अर्थशास्त्र एव ज्योतिष व दर्शन की बहुमूल्य पुस्तको ने शासन के कार्य मे काफी मदद पहुँचाई। बादशाहो के दरबारो मे नियुक्त मन्त्रियो राजगुरुओ, राज्याश्रित साहित्यकार व कवियो के सहयोग से राजाओ ने ग्रन्थालयों

की समृद्धि में विशेष रुचि दिखाई। शिक्षा के क्षेत्र में मुस्लिमों ने धार्मिक शिक्षा पर विशेष जोर दिया।

जिन नगरों में मुसलमान विशाल संख्या में निवास करते थे अथवा जहाँ मुसलमान शासक था वहाँ धार्मिक प्रवृत्तियों से प्रेरणा और पाकर इनसे मुस्लिम शिक्षा की धारा प्रवाहित होने लगी थी।'[8]

इस समय भारतीय मूल संस्कृति के चिह्न लुप्त प्राय होने लगे और प्राचीन विद्यालय संस्कृति के भग्नावशेष ही बचे। मे मस्जिद न हो सके। जैसे जैसे मुस्लिम व मुगल शासक भारत में जमे मकतबों, मदरसों, मस्जिद एवं मकबरों में शिक्षा चलने लगी तथा इनसे सम्बन्धित ग्रन्थालयों का अस्तित्व भी सामने आया। अधिकांश ग्रन्थालय राजशाही अधिकारों में थे, जिन्हें व्यक्तिगत ग्रन्थालय ही कहा जा सकता है। कुछ समाज सुधारकों ने सार्वजनिक पुस्तकालय स्थापित कर समाज शिक्षा के विकास में योगदान दिया। चूंकि इस दौरान अरबी, फारसी, मुस्लिम एवं मुगलों के लगातार भारत की धरती पर आक्रमणों से इसकी आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक एवं राजनैतिक उन्नति को क्षति पहुंचती रही। आज भी विदेशी आतंकवादी प्रवृत्तियां से देश त्रस्त परेशान है परन्तु आज की स्थितियां तब से बिलकुल भिन्न है। तब जबकि जनता में जागरूकता नहीं थी, देश रियासतों में बटा हुआ था, एक राजा अथवा ही राज्य का प्रमुख होता था। गरीबी और धार्मिक अन्धता ने प्रजा को प्रगति पर रखा था, शिक्षा का प्रचलन नहीं था, तब भी राज्यों, रियासतों, राजधानियों के प्रमुखों ने ज्ञान के प्रकाश हेतु शिक्षा केन्द्रों की स्थापना की, उनके पुस्तकालयों को सम्पन्न किया, प्रचलित बोलियों में ग्रन्थों का अनुवाद किया। कला, संगीत, साहित्य एवं राज्यव्यवस्था जैसे विषयों की पुस्तकों का निर्माण करवाया। जब भारत निरन्तर मुस्लिम राजाओं, राजवंशों (दास-वंश, खिलजीवंश, तुगलक वंश एवं सय्यद व लोदी वंश) एवं मुगल सम्राटों (बाबर, हुमायूँ, अकबर, जहांगीर, शाहजहां एवं औरंगजेब) के अधीन लगभग 550 वर्ष तक पराधीन रहा इन्होंने अपने शासनकाल में भारत की विकसित व समृद्ध संस्कृति को तहस-नहस किया। इसके बावजूद उपरोक्त शासकों ने अपनी प्रजा की सुविधा, स्वयं की प्रगति एवं शासन व्यवस्था में सुधार हेतु बड़े-बड़े सुधारात्मक कार्य किए जिनमें ग्रन्थालयों का विकास भी प्रमुख है। मुगल काल के बादशाहों, सम्राटों, मनसबदारों, प्रधानमंत्रियों एवं सेना प्रमुखों के संगीतकला प्रेमियों के अपने व्यक्तिगत ग्रन्थालय थे जो उन्हें राजव्यवस्था की देखभाल हेतु मार्गदर्शन व मानसिक सान्त्वना प्रदान करते थे।

बहमनी राज्य के मंत्री महमूद गवां के पास 6000 पुस्तकों का अच्छा संग्रह था। बाबर और हुमायूँ पुस्तक प्रेमी थे, जिन्होंने शेरशाह के आमोद गृह को ही पुस्तकालय के रूप में उपयोग किया था। वी के आप्टे के कथनानुसार, बाबर के पुत्र हुमायूँ का पुराने किले में एक निजी ग्रन्थालय था। अध्ययन तथा

समय गुजारने का उसका अच्छा साधन था। राज व्यवस्था की देखभाल के उपरान्त वह अपने ग्रन्थालया मे घण्टा समय बिताता था।"[9]

"अकबर के पुस्तकालय म 25000 अच्छी पुस्तकों का संग्रह था। यह यह पुस्तकालय बहुमूल्य पाण्डुलिपिया से भरा हुआ था। उसका प्रबन्ध भी सुदर ढग से होता था। वे पुस्तकें कला और विज्ञान दो विभागा म विभक्त थी।"[10]

इस बात से स्पष्ट होता है कि मध्यकाल मे ग्रन्थालया के व्यवस्थापन, वर्गीकरण की कला ग्रन्थालय सचालका को आती थी। बाद के बादशाहो ने भी उस परम्परा को कायम रखते हुए ग्रन्थालया के सगठन, सचालन एव व्यवस्थापन मे रुचि ली। "जहाँगीर (सन् 1605 से 1621) न शाही पुस्तकालय के विस्तार के लिए पाण्डुलिपिया खरीदी थी। उनकी पत्नी नूरजहाँ का अपना एक व्यक्तिगत पुस्तकालय था। शाहजहाँ भी (सन् 1627–1658 ई) पुस्तकालया म अभिरुची रखता था। रात्रि का पूव भाग वह पुस्तकालय म व्यतीत करता था। उसके पुस्तकालय मे विश्वकोश एव शब्दकोश भी थे।"[11]

ग्रन्थालया की सुदरता एव पाण्डुलिपिया को सुरक्षित रखने हेतु "नाजिम", "जिल्दसाज" अनुवादक एव विद्वान व्यक्तियो की ग्रन्थालय सेवाओ म रखा जाता था। अकबर ने अपने ग्रन्थालय के सुसचालन के लिए विदेशा से वर्गाकार एव जिल्दसाजो, पाण्डुलिपिकारा को बुलवाया था। जन शिक्षा के साथ ही साथ उसने शिक्षालयो मे छोटे-छोटे ग्रन्थालय भी खोले। जब कागज का निर्माण प्रारम्भ हुआ तो पाण्डुलिपि सग्रहालया की सख्या बढने लगी। स्याही का प्रयोग भी शुरू हुआ। नक्काशी युक्त जिल्दबन्दी के लिए अकबर का काल प्रसिद्ध है। अबुल फजल ने "आईने अकबरी म अकबर के इन क्रियाकलापा म भाग लेने का अच्छा चित्रण प्रस्तुत किया है।

भारत की अपनी प्रसिद्धि, उसकी सम्पन्नता एव वैभवशाली सास्कृतिक परम्परा को मुस्लिम मुगला ने बरबाद तो किया ही, लेकिन उनके ही द्वारा कुछ अच्छे कला, साहित्य एव सगीत क घराना का भी जन्म हुआ। अकबर के दरबार के "नव रत्ना का इतिहास उजागर है। यद्यपि अकबर का काल कला, साहित्य एव सगीत की उन्नति का उत्कृष्ट काल माना जाता है। इस काल म अनेक सस्कृत ग्रन्थो का फारसी म अनुवाद किया गया। रामायण, महाभारत, वेद, पुराण, बाईबिल एव कुरान के भी अनुवाद इस काल म हुए।

'बीजापुर म आदिलशाह का "आदिलशाही पुस्तकालय" एक राजकीय पुस्तकालय के रूप म था। औरगजेब ने जब बीजापुर पर चढाई की तो यह पुस्तकालय भी नष्ट हो गया।"[12]

मुस्लिम एव मुगलो की विध्वसक एव लूटपाट की वृत्ति के कारण उनकी वहशियत का सामना इन ज्ञानागारो को करना, सहना पडा। एक बादशाह या राजा एक स्थान पर ग्रन्थालय, शिक्षा सस्थान यहाँ की जनता की सेवा के लिये कोई काम करता था तो दूसरा उसे नष्ट कर अपनी विजयपताका लहराता था। ऐसा

मुस्लिम आक्रमणकारियो एव मुगल बादशाहो ने किया, जहा मन्दिर थे उनको मस्जिद या मकबरा म बदला दिया, उसी प्रकार जिन हिन्दू राजाओ के पास बहुमूल्य ग्रथसग्रह था उसको लूट लिया गया। फिर भी व्यक्तिगत, राजकीय एव लोक पुस्तकालयों के माध्यम से तत्कालीन जनता, व्यक्तिगत विकास, शिक्षा, साहित्य एव ज्ञान के निर्माण मे लाभान्वित होकर अपने देश को आगे बढाने म सहयोग कर रही थी।

अग्रेजी शासन-काल मे ग्रन्थालय एव राष्ट्रीय विकास—

मुगल साम्राज्य के क्रमश पतन के बाद भारतीय जन जीवन कुछ समय तक सन्धि कालीन व्यवस्था से गुजरा। मुगल शासको की प्रेम, शृगार भोगलिप्सा की प्रवृत्तिया से देश निरन्तर विघटन के कगार पर आ गया। इस विघटनकारी अवस्था से विदेशी साम्राज्यवादी राष्ट्र अनभिज्ञ नही थे। अतीतकाल से ही भारत का पडोसी राष्ट्रो से व्यापारिक सम्बन्ध था परन्तु मुगलकाल मे सौन्दर्य प्रसाधन, कपडा एव बहुमूल्य हीरे, जवाहरात, मूगे मोती तथा रत्नजडित आभूषणो का अन्तर्राष्ट्रीय बाजार म बडा नाम था। अपार ऐश्वर्य एव सम्पदा के देश भारत का इस प्रकार समृद्ध होना विदेशियो को ललचा गया। निर्यात एव आयात के इस व्यापार मे विदेशो से भी मदिरा, चादी एव आरामदेह आवश्यक सामग्री का आयात भारत को होता था। इस प्रक्रिया म यूरोपीय देश के व्यवसायी पैर वाले हो गय। उनका व्यापार के साथ एशियाई देशो पर विजय अभियान भी प्रारम्भ हुआ, परिणामस्वरूप "पन्द्रहवी शताब्दी म तुर्को की दक्षिणी-पश्चिमी एशिया और दक्षिण पूर्वी यूरोप की विजय के कारण भारत और यूरोप के मध्य प्राचीन स्थल मार्ग अवरुद्ध हो गये। इससे यूरोप के व्यापारियो को चिन्तित देखकर, वहाँ के नाविको ने मार्ग खोजने का बीडा उठाया। इस कार्य का श्रेय पुर्तगाल नाविक वास्को डिगामा को प्राप्त हुआ। उसने 27 मई 1498 को भारत के पूर्वी तट पर कालीकट के प्रसिद्ध बन्दरगाह म अपने जहाज को लगर डालकर खडा किया।"[13]

यद्यपि पोतगालीज, डच स्पनिश एव अग्रेज व्यापारिक उद्देश्य से भारत की ओर बढते आ रहे थे तब भी देश का विकास रुका नही। मुगलो से मराठो ने युद्ध किया। शिवाजी ने मराठा राज्य कायम किया। मराठा शासनकाल मे भारत का इतिहास भी लिखा जाता रहा। इतिहास लेखन मे उस समय के ग्रन्थालयो ने काफी सहायता इतिहासकारो को पहुँचाई। बीजापुर बीदर, गोवा पूणे, सौराष्ट्र व विदर्भ आदि मराठी राज्यो म, ग्रन्थ-लेखन, अनुवाद कार्य व ग्रन्थालयो का काम त्वरित गति से हो रहा था। ग्रन्थशाला, पोथीशाला, सस्कृत ग्रन्थ भण्डार, पाण्डु लिपि सग्रहालयो मे वेद पुराण, रामायण, महाभारत के ग्रन्थो का अनुवाद कार्य भी प्रारम्भ था।

पूना का भण्डारकर ओरियन्टल रिसर्च इन्स्टीट्यूट, तन्जौर सरस्वती महल उस समय के देश के प्रमुख शोध-कार्य के केन्द्र बने रहे हैं। भारत की तत्कालीन राजनीतिक एवं सामाजिक दुर्बलताओ का लाभ उठाकर व्यापार करने आये विदेशियो ने देश के विभिन्न समुद्र तटीय शहरो मे अपनी कोठिया स्थापित करना शुरू

कर दिया। मिशनरियों ने अपने धर्म प्रचार हेतु चर्च बनवाये, मुद्रण ग्रन्थों की स्थापना की। ईस्ट इण्डिया कम्पनी भी पीछे नहीं रही। एक ओर डच, पुर्तगाली, स्पेनवासियों ने चर्च एवं मुद्रण के द्वारा धर्म प्रचारक सामग्री छापी तो दूसरी ओर अंग्रेजी ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने व्यापार का क्षेत्र भारत में फैलाकर औद्योगिक क्रान्ति से उपजी सामग्रियों का प्रचार प्रसार व्यापार किया।

मुद्रण-मशीनों की स्थापना से भारत में प्रकाशन की नई संभावनाओं की शुरूआत हुई पर साथ ही ईसाई धर्म प्रचार का काम भी फैलता गया। अब अंग्रेज भारत पर पूरी तरह छा गये तो उनके चंगुल से निकलने में भारत को निरन्तर 200 वर्षों तक संघर्ष करना पड़ा। मुद्रण मशीन गोवा, हुगली, मद्रास, कलकत्ता सिरामपुर, बम्बई मे स्थापित हो गई।

"प्रेस के आविष्कार और प्रचार के साथ-साथ पुस्तकों, समाचार-पत्रों आदि की संख्या बढ़ी। धीरे धीरे पुस्तकें रंगीन, सचित्र और आकर्षक ढंग से छपने लगी। प्रेस की सुविधा होने से पुरानी हस्तलिखित पुस्तकें छपवाई जाने लगी।"[14]

भारत मे प्रेस के आगमन से ग्रन्थों, पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन शुरू हुआ। प्रकाशन सामग्री से अधिकतर धार्मिक ग्रन्थों, धर्म प्रचार, पम्पलेट्स व राष्ट्रीय जागरण के उत्थान के पत्रों की भरमार रही। शिक्षा संस्थानों के खुलने से पढ़ने वालों की संख्या बढ़ी, समाज शिक्षा को भी मुख्य शहरों में प्रारम्भ किया गया। देश की प्रशासनिक राजनैतिक एवं आर्थिक नीति के निर्धारण हेतु अंग्रेजों ने भारतीयों को अंग्रेजी स्कूलों में प्रवेश देना प्रारम्भ किया ताकि अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग उनका कार्यालयीन कामकाज निबटा सकें।

ग्रन्थों व पत्र-पत्रिकाओं के प्रकाशन से ग्रन्थालयों की स्थापनायें भी हुई। राष्ट्रीय जागरण के उद्देश्य से बंगाल में अंग्रेजी स्कूल एवं पत्रों का प्रकाशन प्रारम्भ हुआ। बम्बई, मद्रास एवं कलकत्ता में राष्ट्रीय एकता व विकास की दृष्टि से कई सामाजिक, राजनैतिक व धार्मिक संस्थाओं का गठन ग्रन्थालयों की स्थापना के साथ हुआ।

"रायल एशियाटिक सोसायटी आफ बंगाल के द्वारा सन् 1784 मे स्थापित कलकत्ता-लायब्रेरी को सन् 1820 में सार्वजनिक उपयोग के लिये घोषित कर दिया। मद्रास 'लिटरेरी-सोसायटी" की स्थापना सन् 1812 में हुई जिसने एक सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना की। बम्बई में सन् 1846 में एक सार्वजनिक पुस्तकालय स्थापित हुआ।[15] इसके साथ ही देश भर मे सार्वजनिक ग्रन्थालयों की स्थापनाओं का दौर चल पड़ा।

मध्यप्रदेश के राज्य इन्दौर जनरल लायब्रेरी, सागर में सार्वजनिक ग्रन्थालय, खण्डवा में मारिस सार्वजनिक ग्रन्थालय एवं वाचनालय की स्थापनाएं हुई। उच्च शिक्षा की सुविधा प्रदान करने हेतु अंग्रेजों ने सर्वप्रथम कलकत्ता में फोर्ट-विलियम कालेज की स्थापना की। कालेज की स्थापना का उद्देश्य भारत में आने वाले अपरिपक्व, अयोग्य एवं इतिहास, कानून व नीति में अपूर्ण अंग्रेज नव जवान

शासकों का भारत की भाषा, संस्कृति, धर्म एवं दर्शन की शिक्षा प्रदान करना था क्योंकि अयोग्य अधिकारी व्यभिचार और अकर्मण्यता में फँस जाते थे अतः उन्हें व्यावसायिकता, बुद्धिमता एवं सच्चरित्रता की गहरी नींव डालने का प्रयास था अतः "लार्ड वेलजली ने इन सबका उपचार सुझाया था। उन्नत शिक्षा, जिसकी नींव सोच विचार कर इंगलैंड में डाली जाय और ऊपरी मंजिल व्यवस्थित रूप से भारत में पूरी की जाय। इसके लिए उसने भारत में एक कॉलेज की स्थापना पर बल दिया और कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की नींव डाल दी।"[16] इस कालेज में भारतीय भाषाओं का एक अलग विभाग कायम किया गया। जिसमें हिन्दुस्तानी, हिन्दी, उर्दू, फारसी बंगाली, संस्कृत भाषायें प्रमुख थी। इन भाषाओं के अध्ययन हेतु पाण्डुलिपियां, ग्रन्थों एवं पत्रिकाओं का संग्रह कर ग्रन्थालय भी स्थापित किया गया। यह ग्रन्थालय अंग्रेजी साहित्य से भी परिपूर्ण किया गया। भारतीय भाषाओं की जानकारी हेतु अंग्रेज विद्यार्थियों ने भाषाओं की पढ़ाई के साथ-साथ अनुवाद काम में भी रुचि ली। अंग्रेजों के साथ हिन्दी, संस्कृत, उर्दू फारसी के विद्वान अधिकारी प्राध्यापकों ने भी अनुवाद काम में मदद की। "प्रेस की सुविधा होने से पुरानी हस्तलिखित पुस्तकें छपवाई जाने लगी। भारत सरकार ने पुरातत्व विभाग को स्थापित किया। उसके अन्तर्गत प्राचीन भारतीय महत्वपूर्ण सामग्रियों की खोज होना शुरू हुई। बहुत से ताम्रपत्र, सिक्का, मुहर, अभिलेख, शिलालेख आदि का पता लगा, जिनसे भारत की पुरानी सभ्यता और संस्कृति पर प्रकाश पड़ा।'[17]

पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति की लहर ने भारतीयों को भी जगाया। कलकत्ता मदरसा की तर्ज पर बनारस में संस्कृत कालेज, पंजाब में दयानन्द कालेज व दिल्ली में भी कॉलेजों की स्थापनायें हुई। 1836 में कलकत्ता पब्लिक लायब्रेरी की स्थापना से लोगों में पढ़ने के प्रति रुचि जागी जिसका प्रभाव देश के अन्य भागों पर पड़ा और सार्वजनिक पुस्तकालयों की स्थापना ने जोर पकड़ा। कलकत्ता पुस्तकालय एवं फोर्ट-विलियम कालेज पुस्तकालय के संग्रह को मिलाकर 'इम्पीरियल लायब्रेरी' की स्थापना की गई जो सार्वजनिक ग्रन्थालय के इतिहास में एक नया कदम था। यही इम्पीरियल लायब्रेरी बाद में जाकर "राष्ट्रीय ग्रन्थालय" घोषित किया गया। इस ग्रन्थालय के बारे में 1903 में प्रकाशित "गजट ऑफ इण्डिया' में प्रकाशित किया गया कि 'यह पुस्तकालय सन्दर्भ सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा।' विद्यार्थियों के लिए कार्य स्थल के रूप में काम करेगा तथा भविष्य के भारतीय इतिहासकारों के लिए सामग्री संकलित करने का कार्य करेगा। इसमें यथा सम्भव उन सब पुस्तकों को भारत के सम्बन्ध में कहीं भी लिखी गई हों होंगी शामिल और वह किसी भी समय देखने व पढ़ने के लिए उपलब्ध की जाना चाहिए। पुस्तकों के संग्रह के सम्बन्ध में यहाँ एक बात बताना चाहूँगा कि 1867 में ब्रिटिश शासन ने भारत में लागू प्रेस एवं पुस्तक पंजीयन अधिनियम के अनुरूप भारत में भी एक अधिनियम बनाया जिसके द्वारा देश में प्रकाशित प्रत्येक प्रकाशक को पुस्तक की एक प्रति मुफ्त भेजना अनिवार्य कर दिया। इस अधिनियम से इम्पीरियल लायब्रेरी के संग्रह में काफी बढ़ोत्तरी हुई। आज यह देश

का सर्वाधिक साहित्य सम्पन्न "राष्ट्रीय ग्रन्थालय" बनकर देश की विविध गतिविधियों में सतत् सहयोग प्रदान कर रहा है।

इस प्रकार अंग्रेजी शासन काल में सन् 1900 के पूर्व तक भारत में मुद्रण प्रेस और ग्रन्थों के प्रकाशन के साथ जिन सार्वजनिक ग्रन्थालयों का विकास हुआ उनमें से कुछ प्रमुख इस प्रकार थे—

1 कलकत्ता लायब्रेरी	1784
(1) फोर्ट-विलियम कॉलेज ग्रन्थालय, कलकत्ता—	1800
(2) कोनेमारा सार्वजनिक पुस्तकालय, मद्रास—	1812
(3) कलकत्ता पब्लिक लायब्रेरी, कलकत्ता—	1836
(4) सार्वजनिक पुस्तकालय, बम्बई—	1846
(5) इन्दौर जनरल लायब्रेरी, इन्दौर—	
(6) मारिस-लाइब्रेरी (माणिक्य स्मारक वाचनालय) खण्डवा—	
(7) सार्वजनिक ग्रन्थालय, सागर—	
(8) सार्वजनिक ग्रन्थालय, त्रावणकोर	
(9) सार्वजनिक ग्रन्थालय, कोचीन	
(10) सार्वजनिक ग्रन्थालय, गोवा	

इनके अतिरिक्त कुछ ऐसे राज्य थे जिनमें रियासतों के शाही ग्रन्थालय अथवा व्यक्तिगत संग्रह से स्थापित ग्रन्थालय थे जैसे—

(1) टीपू सुल्तान का पुस्तकालय—1799 तथा

(2) हैदरअली का ग्रन्थालय—

उपरोक्त दोनों ग्रन्थालय अंग्रेजों के हाथ लगे और उन्होंने इन पुस्तकालयों की दुर्लभ पुस्तकों से लन्दन में 'इण्डिया ऑफिस लायब्रेरी" की स्थापना की। बाद के वर्षों में जब तक अंग्रेजों का राज्य रहा इस लायब्रेरी में भारत से हजारों पाण्डुलिपियाँ व दुर्लभ ग्रन्थ ले जाये गये। प्राचीन हस्तलिखित ग्रन्थों की इस लूट ने भारत को अद्भुत संपदा से वंचित कर दिया। इण्डिया ऑफिस लायब्रेरी 'जो भारतीय-साहित्य संस्कृति एवं शिक्षा की समृद्धि के उद्देश्य से खोली गई थी" अभी तक भी इस अमूल्य संग्रह को ब्रिटिश सरकार ने भारत को वापस नहीं किया है। इंग्लैण्ड के अतिरिक्त बर्लिन तथा पेरिस के ग्रन्थालयों में भी अनेक भारतीय ग्रन्थ ले जाये गए।"[18]

"इण्डिया ऑफिस लायब्रेरी" के भारतीय-ग्रन्थ संग्रह के बारे में कई बार वापस भारत लौटाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की गई परन्तु कोई सन्तोषजनक परिणाम नहीं मिले।

भारतीय-साहित्य, संस्कृति एवं इतिहास की इस अमूल्य धरोहर को प्राप्त करने में भारत सरकार को पुनः जनसहयोग लेकर प्रयास करने चाहिए।

भारतीय विकास की उपरोक्त मध्यकालीन कड़ी में ग्रन्थालयों से राष्ट्र को जो लाभ व हानि हुई इसका सार गर्भित विवेचन मैंने पाठकों के लिए प्रस्तुत

भविष्य म राष्टीय विकास की इसी परम्परा म हम स्वतन्त्रता के बाद ग्रन्थालयो का विकास एव राष्ट्रीय प्रगति म उनके योगदान पर विस्तार पूवक विचार करेंगे।

सन्दर्भ —

1 रावत (दीपक) इत्यादि भारतीय शिक्षा का इतिहास, लखनऊ प्रकाशन केन्द्र, 1986 पृ 62
2 रावत (दीपक) इत्यादि भारतीय शिक्षा का इतिहास, लखनऊ प्रकाशन केन्द्र, 1986 पृ 62
3 रावत (दीपक) इत्यादि भारतीय शिक्षा का इतिहास, लखनऊ प्रकाशन केन्द्र, 1986 पृ 59
4 मुखर्जी (सन्ध्या) देखिए—रावत, दीपक।
5 अग्रवाल (श्याम सुन्दर) ग्रन्थालय सचालन तथा प्रशासन, आगरा, श्रीराम मेहरा, 1976, पृ 1
6 जैन (पुखराज) भारत की सास्कृतिक विरासत, आगरा, साहित्य भवन, 1986, पृ 198
7 सहाय (श्रीनाथ) पुस्तकालय एव समुदाय, पटना, बिहार, हिं ग्र अ का, 1975 पृ 47
8 जोहरी तथा पाठक (पी डी) भारतीय शिक्षा का इतिहास, आगरा, विनोद प्रकाशन 1981 पृ 33
9 Apte (B K) Libraries under the Mughals and the Maratha in Readings in Library science, Edited by Balwant Singh Lnchiyana, Layal Book Depot 1968 P 9
10 हैसल (अल्फ्रेड) पुस्तकालयो का इतिहास परिशिष्ट पृ 265, भोपाल, हिन्दी ग्रथ अकादमी, 1974, अनुवादक, मदनसिंह परिहार।
11 सहाय (श्रीनाथ) पुस्तकालय एव समुदाय, पटना, बिहार, हिं ग्र अ का, 1975 पृ 49
12 परिहार (मदनसिंह) देखिए हैसल (अल्फ्रेड) पृ 266
13 पाठक (पी डी) तथा त्यागी (जी एस डी) भारत म शिक्षा दशन और शैक्षिक समस्यायें, आगरा, विनोद पुस्तक मन्दिर, 1984–85, पृ 231–32
14 परिहार (मदनसिंह) देखिए अल्फ्रेड (हैसल) पृ 267
15 सहाय (श्रीनाथ) पुस्तकालय एव समुदाय, 1975 पृ 53
16 गुप्ता (चन्द्रावली) वेलेजली कालीन भारत, भोपाल, म प्र हिं ग्र अकादमी, 1971 पृ 145
17 अल्फ्रेड (हैसल) यह भी देखिए परिहार (मदनसिंह) पृ 267
18 अग्रवाल (श्याम सुन्दर) ग्रन्थालय सचालन तथा प्रशासन, 1976 पृ 1–2

19

पुस्तकालयो मे हिन्दी पुस्तकें और उनका चयन

पुस्तकालय एव पुस्तकें दोना एक दूसरे के पूरक अवयव हैं। जहा पुस्तकें होगी और वैज्ञानिक आधारो पर व्यवस्थापित की जाती होगी अथवा सस्थाओ म कर्मचारियो के पढने योग्य होगी पुस्तकालय के अग रूप मे ही होगी। राष्ट्र म पुस्तकालयो का कार्यक्षेत्र सिर्फ पुस्तको का सग्रह एव उनका फलको पर प्रदर्शन एव व्यवस्थापन मात्र नही है। पुस्तकालय अपनी परिभाषा मे व्यापक होकर स्वाध्याय अध्ययन, शोध अनुसधान एव तकनिकी अडचनो मे आने वाला ऐसा उपकरण हो गया है जो प्रत्येक व्यक्ति समाज, राज्य राष्ट्र एव परराष्ट्र मे निकटस्थ हो गया है। हम यह मानते है कि प्रत्येक राष्ट्र का विकास वहा की शैक्षणिक साहित्यिक कला, सस्कृति एव पुरातात्विक सामग्री स युक्त सग्रहालयो एव वैज्ञानिक आगारो मे आकी जाती है।

राष्ट्रीय विकास मे यह भी जरूरी है कि उस देश का साहित्यिक एव भाषायी स्तर क्या है। देश की एकता उसकी भाषा, लिपि एव उसके साहित्य पर बहुत कुछ निर्भर करती है। इसी बात को मान्यता देते हुए भारतीय गणत त्र क सविधान मे नागरी लिपि को हिन्दुस्तानी भाषा का श्रेष्ठ माध्यम बनाया गया है।

आज सम्पूर्ण देश हिन्दी भाषा साहित्य व सस्कृति के कारण ही हिन्दुस्तान के नाम से जाना जाता है। भले ही यहाँ धर्म, जाति, रग भेद म मनुष्य विविधता मानता रहा हो। अनेकताओ म एकता के इस देश मे आज भी अशिक्षा (20 करोड) युवक युवतिया, वृद्धा एव बच्चो का अभिशाप है। इस भयकर अज्ञानता को दूर करने एव अग्रेजीयत स पीछा छुडाने के लिए मेरी यह मान्यता है कि यदि लोक पुस्तकालय आन्दोलन तथा पुस्तकालय अधिनियम सम्पूर्ण राष्ट्र मे तेजी से चलाये जाये और गाँव गाँव म पुस्तकालय स्थापित किये जाये तो हिन्दी भाषा के साथ साथ साक्षरता अभियान को भी प्रगति मिलेगी।

जिस प्रकार मनुष्य के लिए भोजन, हवा, पानी एव आवास आवश्यक है उसी प्रकार जीवन विकास के लिए उसका बौद्धिक होना भी अनिवार्य है। इस हिसाब से शिक्षा मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार हो जाता है। स्वाध्याय मनुष्य की प्रकृति है किन्तु आर्थिक अभाव एव उचित अध्ययन सामग्री के अभाव म वह अच्छे साहित्य से

वंचित रह जाता है। यद्यपि भारत सरकार ने देशवासियों के लिए देशभर में 120 (एक सौ बीस) विश्व विद्यालय 5000 से अधिक कला, वाणिज्य, विज्ञान, कृषि, स्वास्थ्य एवं अनुसंधान संस्थान के महाविद्यालयों की व्यवस्था कर रखी है। हजारों विद्यालयों के माध्यम से राष्ट्र की किशोर पीढ़ी शिक्षित हो रही है। फिर भी परिणाम अपेक्षित नहीं है।

देशवासियों को शिक्षा एवं स्वाध्याय की सुविधा प्रदान करने के लिए अनेक प्रकार के पुस्तकालय जैसे ग्राम, जिला, राज्य, क्षेत्रीय, केन्द्रीय एवं राष्ट्रीय पुस्तकालय के साथ-साथ सामाजिक संगठनों एवं शिक्षण संस्थाओं के पुस्तकालय खोले गये हैं।

इनके अतिरिक्त भी देश में ऐसे पुस्तकालय हैं जो सेना एवं अस्पताल से सम्बद्ध हैं। अपाहिज, बहरे, गूंगे एवं अन्धे लोगों के लिए विशेष प्रकार के पुस्तकालयों की व्यवस्था की गई है।

उपरोक्त सभी प्रकार के पुस्तकालयों में पुस्तकों का चयन किस आधार पर होना है इसका एक विवेचनात्मक विवरण देने का यत्न मैं कर रहा हूँ। यद्यपि पुस्तकालयों में सभी प्रकार की पुस्तकें होना चाहिये, किन्तु यह भी देखा जाता है कि पुस्तकालय किस प्रकार का है। पुस्तकालयों के प्रकारानुसार विभिन्न विषयों का उपयोगी एवं सन्दर्भित पुस्तकें पुस्तकालयों में क्रय कर रखी जाती हैं। सभी प्रकार की पुस्तकें एक ही पुस्तकालय में हों यह भी सम्भव नहीं है।

आज प्रकाशन सामग्री के उत्पादन की अतिशयता इतनी बढ़ गई है कि यह युग "साहित्य प्रकाशन का विस्फोटक युग" माना जाता है। भारत "पुस्तक क्रान्ति" के द्वार पर पहुँच रहा है। अध्ययन सामग्री के विस्फोट के साथ-साथ शोध अनुसंधान के कार्य भी आश्चर्यजनक प्रगति कर रहे हैं। साहित्य विज्ञान एवं अन्वेषण की अनोखी क्रान्ति ने प्रकाशन जगत में भी होड़ा होड़ी की क्रान्ति पैदा कर दी है। भारतवर्ष में विभिन्न विषयों की पुस्तकों का वार्षिक प्रकाशन लगभग 20,000 है। इस उत्पादन संख्या के मुकाबले भारतवर्ष में इनकी खपत का प्रतिशत कम है। इसका कारण भारतीय परिवारों की अशिक्षा, आर्थिक स्थिति का सुदृढ़ न होना अध्ययन रुचि में कमी अविकसित पुस्तकालय सेवायें तथा पुस्तक प्रकाशन के उपरान्त उनका उचित माध्यम से पाठकों तक न पहुँचाया जाना इत्यादि है।

पुस्तक प्रकाशन व्यवसाय देश की आर्थिक एवं शैक्षणिक स्थिति पर पूर्णतः निर्भर होता है। मुद्रा चलन एवं मुद्रा स्फीति के कारण भी ग्रन्थ क्रय करने की क्षमता पर असर पड़ता है। हमारे देश में सार्वजनिक पुस्तकालयों की कमी है। अन्य पुस्तकालय जो विशेष प्रकार के हैं अधिकांशतः उन्हीं पुस्तकों को खरीदते हैं जिनका उनके पाठकों के लिये उपयोग होता है।

पुस्तक क्रय करने का तरीका पुस्तकालय प्रकार एवं उनकी आर्थिक मुद्रा पर भी निर्भर करता है। पुस्तकालयों में पुस्तकें क्रय करते समय यह देखना आव

श्यक हो जाता है कि अमुक पुस्तक किस स्तर तक उपयोगी है। पाठकों की माग के अनुरूप है या नही तथा निर्धारित राशि के अन्तर्गत प्राप्त हो सकती है अन्यथा नही और बाजार म उपलब्ध है या नही। अथात पुस्तक शारीरिक, आत्मिक एव उपलब्धता की दृष्टि से पूर्ण है अथवा नही। आज उक्त तीनो तत्वो की दृष्टि से पूर्ण, पुस्तका का पुस्तकालय मे रखा जाना युक्तिसगत एव न्यायिक होगा।

यदि पुस्तक अपने भौतिक स्वरूप म आकर्षक नहीं है, आत्मीय (विषय की दृष्टी से) रूप से प्रसिद्ध नही है साथ ही पाठको की माग के अनुसार बाजार मे उपलब्ध नहा है तो वह प्रकाशन, अध्ययन, अनुसधान एव पुस्तकालय जगत मे अपनी महती भूमिका नही निभा सकती। पुस्तक का उपर दर्शाये स्वरूपा मे परिपूर्ण होना ही उसके निर्माण की उपलब्धि ह।

इन्ही उपलब्धियो के कारण पिछले दो दशक से लिखी जा रही हिन्दी की पुस्तको ने हिन्दी-भाषी तथा हिन्दी अनुरागी पाठको के मन मे अपना महत्वपूर्ण स्थान बना लिया है। राष्ट्र भाषा हिन्दी मे लिखी, प्रकाशित हुई तथा पुस्तकालयो एव पुस्तक विक्रेताओ से उपलब्ध सभी विषया की पुस्तको ने पाठको का अग्रेजी क सकट से उबार दिया है। विदेशो मे भी अन्य भाषा की पुस्तका के साथ-साथ हिन्दी पुस्तको की माग बढ रही है।

पिछले दस वर्षों मे भारतीय साहित्य, कला सगीत, नाटय एव विविध अकादमिया ने हिन्दी भाषा मे पुस्तकें प्रकाशित करने की जो तत्परता दिखाई है वह वाकई प्रसशा के काबिल है। प्रकाशक सघो ने यह निर्णय लिया है कि निकट भविष्य म ग्रामीण जन जीवन तक पाठको को हिन्दी की सुगम सस्ती एव अच्छी पुस्तकें प्रदान करने के लिऐ हमे ग्रामीण साहित्य का प्रकाशन करना होगा। ग्रामीण साहित्य प्रकाशित कर ग्राम पुस्तकालयो तक पहुचाना भी एक महत्वपूर्ण काय है। इस काय को प्रौढ शिक्षा कायक्रम के अन्तगत जिला स्तर पर करना चाहिये।

'अभी तक 25 अरब की धनराशि व्यय करने पर देश की साक्षरता का प्रतिशत 30% है। देश के केवल 20 करोड लाग साक्षर ह और 38 करोड लोग निरक्षर हैं जबकि सन् 1969 मे निरक्षरा की सख्या 30 करोड ही थी।"

(आदश परिवार—हरिकृष्ण तेलग) जून 1973 पृ 31

इस प्रकार की भीषण अज्ञानता का दूर करने के लिए हिन्दी भाषा के प्रकाशना क साथ ही प्रादेशिक एव स्थानीय लोक भाषा मे भी साहित्य प्रकाशित करना नितान्त आवश्यक है। शासन का ध्यान इस ओर भी पहुँचा है। ग्रन्थों का प्रादेशिक भाषा या लोक भाषा मे अनुवाद भी हो रहा है इससे भारत की हिन्दी प्रेमी जनता को बहुत बडा सहयोग मिलेगा। देश भर मे हिन्दी भाषा मे पुस्तकें प्रकाशित करन वाली कुछ प्रमुख प्रकाशन सस्थायें इस प्रकार है जस—

(1) नागरी प्रचारणी सभा (2) हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयाग (3) राजकमल प्रकाशन (4) राधाकृष्ण प्रकाशन (5) राजपाल एण्ड सन्स (6) राज्यप्रन्थ

अकादमियाँ (7) केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय (8) राष्ट्रीय पुस्तक न्यास (9) आत्मा राम एण्ड सन्स (10) हिन्दुस्तानी अकादमी, इलाहाबाद (11) मध्य प्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी, भोपाल (12) बिहार हिंदी ग्रंथ अकादमी, पटना (13) राजस्थान हिन्दी ग्रंथ अकादमी, जयपुर (14) हिन्दी ज्ञानपीठ प्रकाशन (15) नेशनल बुक ट्रस्ट आदि।

उपरोक्त सभी संस्थायें हिन्दी भाषा एवं साहित्य की पुस्तकों के साथ उचित न्याय कर रहे हैं। प्राय यह देखने में आया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ भी "ग्रामीण पुस्तकालय" अथवा "रिपाजिटरी सेन्टर" स्थापित हैं उनमें 77% पुस्तकें चाहे वे साहित्य की हों, राजनीति अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, इतिहास, कला, धर्म, दर्शन, कृषि एवं स्वास्थ्य की हों सभी हिन्दी भाषा की ही होती हैं। किन्तु एक बात हमें सोचने के लिए बाध्य होना पड़ता है कि क्या ये 77% हिन्दी पुस्तकें पाठकों की रुचि के अनुसार ही हैं। इस बात पर हमारे मन्तव्य भिन्न भिन्न होंगे। प्रादेशिक भाषाओं व साहित्य ने इस प्रतिशत को कम कर दिया है। फिर क्या ऐसे ग्रन्थों की आवश्यकता है जिन्हें अधिकाधिक पाठक पढ़ते हों उन्हें ही पुस्तकालयों में खरीदा जाय। यह बात पाठकों की रुचि के अनुसार पुस्तकें प्रकाशित करने की प्रेरणा देती है।

ग्रन्थालयों के पास एक निश्चित धनराशि होती है जिसको पुस्तकों आदि पाठ्य सामग्री खरीदने में खर्च किया जाता है। दूसरी ओर सभी ग्रन्थालयों के पास न तो सब पुस्तकें खरीदने हेतु राशि ही होती है और न सभी पुस्तकें खरीदने योग्य ही होती हैं।"[1] इस बात को ध्यान में रखते हुए प्रकाशकों को भी विशिष्ट विषय की अच्छी पुस्तकें जिनकी मांग पाठकों में हो प्रकाशित करना चाहिये। व्यवसायिक लाभ को यदि देखें तो जासूसी उपन्यासों का प्रकाशित करना बेहतर है। लेकिन मात्र उपन्यासों को छापने से प्रकाशन को प्रतिष्ठा नहीं मिलेगी। अन्य क्षेत्रों में भी अपना वर्चस्व बढ़ाना चाहिये।

वर्तमान में जिज्ञासु पाठकों की रुचि को ध्यान में न रखकर जिन पुस्तकालयों में पुस्तक चयन हो रहा है वह एक दम एक तरफा एवं संग्रह करने की दृष्टि से अनुपयोगी भी हो रहा है। अकादमियों से खरीदी गई हिन्दी विषय की पुस्तकों के लिए श्री जयप्रकाश भारती लिखते हैं "विभिन्न ग्रन्थ अकादमियों ने इस दिशा में जो कुछ किया है उसमें से अधिकांश पर सिर धुनने के अलावा कुछ नहीं किया जा सकता। राष्ट्रीय पुस्तक न्यास यानी नेशनल बुक ट्रस्ट के कार्यकलाप से स्पष्ट है कि वह सफेद हाथी बनकर रह गया है।"[2]

इससे जाहिर होता है कि ऐसी पुस्तकों का चयन नहीं करना चाहिये। किन्तु मैं यह कहूँगा कि इसमें कुछ अनुवादित पुस्तकें संग्रह योग्य हैं जिन्हें पाठक भले ही न पढ़ते हों लेकिन हिन्दी भाषा के अनुसन्धित्सुओं के लिए ये महत्त्वपूर्ण हैं। हिंदी भाषा में उच्च स्तरीय ग्रन्थ लिखने एवं प्रकाशित करने से विश्व

1—शर्मा सी के पुस्तक चयन एवं रचना—पृ 22 – ज भा हिंदुस्तान, रविवार दि 12 फरवरी 1978।

बाजार म हमारी प्रतिष्ठा कम नहीं होगी। घटिया, अश्लील एव चालू साहित्य प्रकाशित करने से तो बेहतर है इनका प्रकाशन बन्द कर देना।

इससे पहले कि मैं पुस्तक चयन प्रणाली एव उसके सैद्धान्तिक पहलुओं पर जोर दूँ, लेखको एव प्रकाशको से यह अपेक्षा रखूँ कि वे पुस्तक लिखते समय यह ध्यान रखें कि वे जो ग्रन्थ लिख रहे हैं वह पाठको की रूचि एव पसन्द के विषयानुरुप है अन्यथा नही। दूसरे प्रकार का जो विशेष ज्ञान देने वाला साहित्य प्रकाशित होता है, उसका भी ग्रन्थालयो म होना अनिवार्य है।

आज अनुवाद विज्ञान इतना विकसित हो गया है कि विश्व की किसी भी भाषा लिपि को हम अपनी भाषा लिपि म बदल कर अपना काय सम्पन्न कर सकते हैं, फिर हमे हिन्दी लेखन, अध्ययन एव ग्रन्थ निर्माण से क्षुब्ध न होकर उसे अधिक प्रोत्साहन देना चाहिये। इस हिन्दी भाषा के ग्रन्थो के विकास हेतु प्रकाशन जगत, लेखक-वर्ग, शिक्षा संस्थायें एव सभी प्रकार के पुस्तकालय जवाबदार है। पुस्तकालयाध्यक्षो पर यह दायित्व आता है कि वह अपने पुस्तकालय हेतु किस प्रकार की पुस्तकें क्रय कर रहे है।

(1) क्या पाठको की माग के अनुसार है।
(2) या शिक्षको की माग के अनुसार है।
(3) पुस्तकालय क्रय समिति द्वारा अनुमोदित हैं।
(4) या फिर बाजार मे उपलब्ध साहित्य से क्रय की है।

उपरोक्त चारो स्थितियो के अतिरिक्त कुछ पुस्तकालय ऐसे भी है जहाँ उनके प्रकार के अनुसार पुस्तकें चयन की एव खरीदी जाती है।

(अ) पाठशाला पुस्तकालयो मे पुस्तक चयन—प्राय यह देखा गया है कि पाठशालाओ म अधिकतर पुस्तकालय "पाठय ग्रन्थो" एव "जीवन चरित्र" विषयक पुस्तको के सन्दूकनुमा पुस्तकालय होते है। ऐसे पुस्तकालयो मे विद्यार्थी पाठको की माग का आकलन नही किया जाता। प्रधानाचार्यो एव शिक्षको द्वारा पाठय पुस्तको के अलावा सभी प्रकार की सामान्य पुस्तकें बाजार मे उपलब्ध साहित्य से खरीद ली जाती है। आज जबकि देश के सभी अधिकाश राज्यो मे हिन्दी माध्यम से शिक्षण को अपनाया जा रहा है, अग्रेजी विषय का बहिष्कार किया जा चुका है, तब पाठशालाओ के लिए अधिकाधिक पाठको की रुचि को देखते हुए अधिकतम हिन्दी भाषा की पुस्तको का चयन कर क्रय किया जाना चाहिये। अनावश्यक अग्रेजी म छपी पुस्तको का मगाना पैसे एव समय का दुरुपयोग करना है। प्रथम तो पाठशालाओ मे पुस्तकालयो का प्रतिशत ही बहुत कम है। विद्यार्थी ग्रन्थो के सत्सग से दूर ही रहते हैं, उनमे अध्ययन रुचि पैदा ही नही हो पाती और न ही ग्रन्थालय इतने आकर्षक है कि सहज रूप से विद्यार्थी उनसे प्रभावित होकर कुछ समय पढने म दें।

"भारत म शिक्षण प्रणाली कक्षा भाषणो तक ही सीमित रह गई है। विद्यार्थी को केवल पाठ्य पुस्तकें पढने का सुझाव दिया जाता है, या कक्षा म शिक्षक

द्वारा लिया दिया जाता है। इस प्रणाली से विद्यार्थी की पुस्तकों के प्रति कोई रुचि ही नहीं रह जाती है"[1] मैं तो यहां तक कहूंगा कि विद्यार्थी पाठ्य पुस्तक कुन्जीयों एवं गैस पेपरों को पढ़कर सिर्फ परीक्षा पास करते हैं। यह गलत है उन्हें अन्य पुस्तकों को पढ़ना चाहिए, इससे उनका ज्ञान क्षेत्र विकसित होगा तथा वे जीवन में अध्ययन के महत्व को समझ सकेंगे।

शाला स्तर पर हिन्दी भाषा की पुस्तकें अधिकाधिक पढ़ाई एवं संग्रहित की जाती है, पुस्तकालयों में भी इनके प्रतिशत को बढ़ाया जा सकता है। बशर्ते कि अन्त्योदय के आधार पर छोटी-छोटी पाठशालाओं में पुस्तकालयों की स्थापना हो और पुस्तकें (पाठ्यग्रन्थ के अलावा) विद्यार्थी पाठकों, शिक्षकों एवं ग्रन्थालयी तीनों की रुचि अनुरूप चयन का क्रय की जाय।

(आ) महाविद्यालय पुस्तकालयों में पुस्तक चयन—भारत देश में महाविद्यालयीन स्तर पर शिक्षण के तरीकों में पिछले कुछ वर्षों से हिन्दी का प्रयोग व चलन क्रमशः बढ़ता चला गया है। साथ ही राष्ट्र भाषा हिन्दी में विभिन्न विषयों की पुस्तकें राज्य अकादमियों एवं प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित करने की योजनायें भी बड़े पैमाने पर केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा क्रियान्वित की जा रही है। लेखकों को अनुवाद कार्य हेतु पुरस्कार भी प्रदान करने की व्यवस्था की गई है ताकि हिन्दी भाषा को प्रोत्साहन मिले। देश में हिन्दी भाषा के लिए यह एक अच्छा कदम है साथ ही राष्ट्रीय एकता के विकास में सहायक है। राष्ट्र में महाविद्यालय द्वितीय श्रेणी के शिक्षा विकास के ऐसे ज्ञानागार है एवं आलोक स्तंभ है जहां देश की युवा पीढ़ी का बौद्धिक, नैतिक, शारीरिक एवं सांस्कृतिक विकास होता है। यही युवा पीढ़ी देश के विकास में सहयोग देकर राष्ट्र की प्रतिष्ठा बढ़ाती है।

इन्हीं छात्रों के लिए हिन्दी भाषा में सभी विषयों पर पुस्तकें छापी जा रही है, जिसके अध्ययन से वे अपनी परीक्षायें में पास करें और अंग्रेजी भाषा में लिखी पुस्तकों की पचीदगीयों से बचे रहे।

किन्तु हम देख रहे है कि इस शिक्षा के आधार स्तंभ महाविद्यालय एवं उनके ग्रन्थागार इतने कमजोर हैं कि, पाठशाला ग्रन्थालयों से भी बदतर है, जिन्हें हम महाविद्यालय पुस्तकालयों की श्रेणी में कदापि नहीं रख सकते। जो समृद्ध पुस्तकालय है उनमें 50% साहित्य ऐसा पड़ा होता है जो या तो उपयोग नहीं किया जाता या फिर विद्यार्थियों की रुचि को ध्यान में न रखकर मनमाने ढंग से खरीद लिया जाता है। व्यवस्था भी इस कार्य के लिए दोषी होती है। महाविद्यालय के प्राध्यापकगण अपनी काम आने वाली पुस्तकें विशेषकर अंग्रेजी की, स्वयं के अध्ययन एवं अध्यापन की दृष्टि से चयन करवा कर क्रय करने की अनुशंसा प्रकट कर देते हैं। पुस्तकालयाध्यक्ष एवं छात्र पाठकों की मांगों का यहां नजर अन्दाज कर दिया जाता है। प्राचार्य द्वारा भी कोई आपत्ति नहीं उठाई जाती है। ग्रन्थालयी जो छात्रों की मांग को अच्छी तरह जानते है चुप बैठ जाते है, क्योंकि उनके हाथ में कुछ भी नहीं होता

1 शर्मा सी के पुस्तक चयन व रचना। पृ 70

है। ऐसे समय वाच्छित हिन्दी पुस्तका के साथ अन्याय हो जाता है। ऐसे समय अ य विषयो की अंग्रेजी भाषा मे छपी पुस्तकें भी अनाधिकृत रूप म बटती जाती है। इस पर रोक लगानी चाहिये ।

कभी कभी शासन द्वारा दिया जाने वाला अनुदान इतन कम समय म उप योग करना होता है कि शीघ्रता मे "बाजार म जा पुस्तकें उपलब्ध होती है उन्हे ही खरीदना पडता है, चाहे फिर व भी अंग्रेजी भाषा ही की क्यो न हो, किसी भी कीमत मे क्यो न लेना पड । बाद म भल ही ये सिफ अलमारियो की शोभा ही बढात रहें। ऐसा मौका प्राय सभी प्रकार के पुस्तकालयो के साथ आना सम्भव होता है। इस प्रकार का समय आ पड ता स्वय पुस्तकालयाध्यक्ष को पाठको की रुचि अनु कूल हिन्दी भाषा-पुस्तको का चयन कर क्रय करना चाहिय तभी हम अच्छे ग्रन्थो के चयन म सफल हो सकते है।

(इ) विश्वविद्यालयो के पुस्तकालयो मे हिन्दी पुस्तको का चयन—वतमान शिक्षा प्रणाली मे हिन्दी भाषा से शिक्षण का महत्व दिया जा रहा ह। भारत के कई राज्य ऐसे है जहा हिन्दी से अ ययन को आवश्यक कर दिया है। जहा हिन्दी भाषा नही बोली जाती उन प्रदेशो मे हिन्दी की विशेष कक्षाय विश्वविद्यालयो म चल रही है। हिन्दी भाषा को प्रोत्साहन देने हेतु विश्वविद्यालयीन स्तर की हिन्दी भाषा मे ग्रन्थ निर्माण योजना को बढावा दिया जा रहा है। अकादमिया इन ग्रन्था का 40% अधिकतम छूट पर ग्रन्थालयो को एव छात्र छात्राओ को दती है। विद्या थियो म इन ग्रन्था स हिन्दी के अध्ययन मे रुचि बढी है। केन्द्रीय हिन्दी निदशालय एव अकादमिया इस काय को पिछल 8—9 वष से सतत् करत आ रह है फल-स्वरूप परिणाम अच्छे निकले है। अकादमिया विश्वविद्यालय स्तर की सदभ एव पाठ्य पुस्तक पाठको की माग पर सस्ते दामो पर पुस्तकालयो को भेजती है। इस प्रकार की पुस्तको का चयन विश्वविद्यालय पुस्तकालयो के लिए आवश्यक है।

विश्वविद्यालय कुलपतियो द्वारा तत्कालीन लिये निणय म यह स्पष्ट कहा गया है कि चार वष के अन्दर विश्वविद्यालयो म पूणत हिन्दी मे ही शिक्षण काय होगा। इनके अध्यापन हेतु विश्वविद्यालय स्तर पर हिन्दी पुस्तको के प्रकाशन का काय प्रारम्भ है। अत विश्वविद्यालय पुस्तकालयो म भी पुस्तको का चयन करत समय सकुचित नीति का अनुसरण न कर अपितु खुले हृदय से पुस्तक चयन कर क्रय करना चाहिय। सस्था प्रमुखो, विभागाध्यक्षो एव पुस्तकालयाध्यक्षो का यह वक्तव्य हो जाता है कि भारत की एकता को बनाये रखने एव शिक्षा व्यवस्था को सुगम बनाने के लिय हिन्दी पुस्तको के चयन को महत्व दे।

(ई) सावजनिक पुस्तकालयो मे—शिक्षण सस्थाओ के पुस्तकालयो के बाद सावजनिक पुस्तकालय ही ऐसे पुस्तकालय हैं जो कुछेक ग्रन्थो को छोड प्राय सभी प्रकार के विषयो की हिन्दी पुस्तकें चयन भी करते है और पुस्तकालय मे क्रय कर रखत भी है।

सार्वजनिक ग्रन्थालय चूंकि सभी प्रकार के पाठकों की ज्ञानवृद्धि हेतु होता है। अतः इन पुस्तकालयों में उनकी रुचि की हिन्दी पुस्तकें अधिकाधिक तादाद में खरीदी जानी चाहिये। हम देखते हैं समाज का 60% वर्ग ऐसा है जो कृषि, उद्योग एवं मजदूरी में लगा होता है। वह अपने फुर्सत के समय हिन्दी मनोरंजन, हास्य व्यंग, कहानी उपन्यास व विविध विषयों की पुस्तकें पढ़कर अपना समय व्यतीत करते हैं। अंग्रेजी में रुचि रखने वाले बहुत कम पाठक ऐसे पुस्तकालयों में आते हैं। उदाहरण के लिये यदि एक सार्वजनिक पुस्तकालय में यदि 50 पाठक पढ़ने आते हैं तो उनमें 3 या 4 पाठक ही ऐसे होते हैं जो विशेष रूप से अंग्रेजी विषय की पुस्तकें पढ़ने या घर ले जाने के इच्छुक होते हैं शेष 46 व्यक्ति हिन्दी को ही चाहते है। इस उदाहरण में हम समझ सकते हैं कि एक सार्वजनिक पुस्तकालय के लिए हिन्दी की पुस्तकें चयन करने से कितने पाठक उन पुस्तकों का लाभ ले सकते हैं।

फिर भी हिन्दी पुस्तकों के चयन में हम निम्न सिद्धान्तों का ध्यान रखना चाहिये।

1 पाठकों से माग पत्र लेकर उनकी रुचि अनुसार पुस्तकों का चयन हो।

2 हिन्दी भाषा में प्रकाशित सभी विषयों की पुस्तकें चयन करने से हिन्दी भाषा के साथ पुस्तकालय का महत्व बढ़ेगा।

3 पाठकों का अधिकतम लाभ पहुँचाने वाली सस्ती एवं अच्छी पुस्तकों को चयन कर क्रय करना।

4 साधारण एवं विशेष दोनों प्रकार के महत्व की पुस्तकें जो पुस्तकालय के उद्देश्यों को फलीभूत करें एवं पाठकों की मांग पूर्ण करें, पुस्तकालय हेतु चयन कर क्रय की जानी चाहिये।

5 पुस्तकालयों को अश्लील, कामुक, जासूसी खूनी हत्याकाण्ड से युक्त डकैती एवं छिछले स्तर के साहित्य से बचाकर सुरक्षित रखना पुस्तक चयन सिद्धान्तों की गरिमा कायम रखना होता है।

अतः उपरोक्त सभी बातों का ध्यान रखते हुए भारतीय गणतन्त्र की राष्ट्र भाषा हिन्दी को पुस्तकालयों की उन तमाम विषयों में महत्वपूर्ण स्थान मिलना चाहिये जो विदेशों से हमारे प्रकाशकों द्वारा मंगायी जाती है। उनका भारतीय भाषाओं में अनुवाद कर विक्रय हेतु बाजार में भेजना चाहिये। वैसे भी हिन्दी प्रकाशन एवं अनुवाद कार्य में भारत आज निःसन्देह बहुत आगे बढ़ गया है। भारतीय मानक संस्था, केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी एवं कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर ने हिन्दी विषय में प्रचूर मात्रा में प्रकाशन कार्य किये हैं। सैनिक विज्ञान एवं चिकित्सा विज्ञान में भी हिन्दी विषयों की पुस्तकों पर जोर दिया जा रहा है। बाल साहित्य प्रचूर मात्रा में प्रकाशित हो रहे है। फिर भी हिन्दी के विकास हेतु प्रकाशन के साथ साथ पुस्तकालयों में भी सूझ-बूझ पूर्ण ग्रन्थों का चयन होना चाहिये तभी हिन्दी का प्रचार प्रसार एवं विकास होगा।

20

अध्ययन और स्वास्थ्य

एक ओर शिक्षा राष्ट्र का आधार होती है, तो दूसरी ओर स्वस्थ जन-मानस की उपस्थिति भी राष्ट्रीय एकता की महत्वपूर्ण कडी होती है। शिक्षा स मानस मस्तिष्क कुशाग्र होता है और एक अनुशासन बद्ध राष्ट्रीय चरित्र की अह-मियत देखने को मिलती है। कोई भी देश बौद्धिक वातावरण मे अपने राष्ट्र का सर्वांगीण विकास करने म सक्षम होता है, परन्तु यदि उस देश के नागरिक शारीरिक रूप से अस्वस्थ है तो अपने देश का गुलाम होने स नही बचा पायेंगे।

यह बात सभी लोग अच्छी तरह जानते है कि "स्वास्थ्य ही धन है।" जो नही जानते उन्हे जान लेना चाहिये। जो शारीरिक दृष्टि से अस्वस्थ होते है वे निर्बल शरीर के लोग माने जाते है। ऐसे लोग मानसिक रूप से सामान्य बुद्धि के होते है। लेकिन यह बात कहा तक युक्ति सगत मालूम पडती है कि स्वस्थ शरीर के लोग ही मानसिक रूप से भी स्वस्थ होते है ? कहते है मोटे और बजरगी शरीर के व्यक्तियो की घुटनो म अक्ल होती है। इस बात की पुष्टि के लिये हम अजनी पुत्र हनुमान का वह प्रसग याद आता है जब सागर तट पर जामवन्त द्वारा हनुमान जी का अपनी शक्ति का आभास कराया गया था। यदि उनमे वाकई बुद्धि की शक्ति होती तो वानर समूह के भयभीत होने के पहले ही वे समुद्र को लाघ कर लका पहुँच जाते।

उक्त उदाहरण से स्वस्थ व्यक्तियो मे ही बुद्धि का होना अपवाद सा जान पडता है। राष्ट्रपिता गाधी स्वय शारीरिक रूप से इतने हृष्ट पुष्ट नही थे कि वे लाठी और बन्दूक से अग्रेजो को अपने देश से भगा देते, किन्तु मानसिक स्वास्थ्य उनका इतना प्रबल था कि उन्होने विश्व के बडे बडे महारथियो को अपने सामने झुका दिया था। इस बात की पुष्टि गाधीजी एव पचम जार्ज की घर पर हुई मुलाकात से होती है।

मैं उक्त प्रसग का जिक्र यहा इसलिये महत्त्वपूर्ण समझता हूँ कि पाठक स्वय यह निर्णय करें कि स्वास्थ्य प्रमुख है या अध्ययन का क्षेत्र। बुद्धि और शरीर का महत्व अपनी अपनी जगह है। यह जरूर मानना चाहिये कि शरीर तन्त्र से ही मानसिक तन्त्र चलता है। यदि मानसिक तत्र म किसी तरह का विचार उत्पन्न हो जाता है तो शरीर असहाय एव निष्क्रीय होने लगता है। इससे जाहिर होता है कि शरीर से अधिक मन का स्वस्थ होना जीवन के लिये अनिवार्य है, राष्ट्र हितकारी है। मन को स्वस्थ रखना है तो धर्म दर्शन तथा

ज्ञान-विज्ञान के ग्रंथों का अध्ययन सर्वोपरि है। अध्ययन, शिक्षा सुविधाओं, पुस्तकालयों एवं पारिवारिक व सामाजिक जीवन-सन्दर्भों पर निर्भर करता है।

देश जितना बौद्धिक वातावरण में युक्त होगा उसकी समृद्धि उतनी ही ठोस होगी। विज्ञान के सुलभ आविष्कारों, एवं साहित्यिक प्रकाशनों ने विश्व के विस्तारित क्षेत्र को सभी दृष्टियों से अणु कर दिया है। स्वाध्याय के सुगम तरीके घर बैठे प्राप्त हो जाते हैं। आज सहस्रों की संख्या में प्रति सप्ताह पुस्तकें विभिन्न विषयों में प्रकाशित होती हैं प्रत्येक दिन उच्च स्तर की दैनिक, मासिक और पाक्षिक एवं त्रैमासिक पत्रिकायें दृष्टिगोचर होती हैं। इसके अतिरिक्त हजारों की संख्या में पुरानी उच्च कोटि की पुस्तकें हैं जिनकी हम अवहेलना नहीं कर सकते। फिर जगतव्यापी साहित्य की सर्वोत्तम रचनाओं के अतिविशाल भण्डार हैं। जिन्हें देखकर एक सच्चे मन से प्रगति की मनोकामना करने वाला स्तम्भित हो जाता है।

इतना सब कुछ होने के बावजूद भी पाठकों की इच्छा पूर्ण नहीं हो पाती है। इसका सबसे प्रमुख कारण उचित पथ प्रदर्शक की कमी है। भिन्न भिन्न अध्ययन कर्त्ताओं को उनके मन माफिक साहित्य पढ़ने को नहीं मिलता तो वे क्षोभ और ग्लानि से उत्पीडित हो जाते हैं। देश के नागरिकों का मानसिक स्वास्थ्य प्रबल कराना है तो हम सभी प्रकार के पाठकों की पूर्ति सुबोध किंतु सस्ते साहित्य से करना होगा। 80% ग्रामीण कृषकों के लिये ग्राम पुस्तकालयों में ग्रामीण विकास साहित्य वितरित करना होगा। ग्राम विद्यार्थी एवं बच्चों के लिये चरित्र निर्माण सम्बन्धी साहित्य व यूनेस्को की सहायता से बाल-पुस्तकालयों की सहायता करनी होगी। इसी प्रकार युवकों को भी उद्योग एवं रोजगार के साधन उपलब्ध करने हेतु उत्तम साहित्य दिया जाना चाहिये।

वर्तमान में देखा गया है कि सस्ते अश्लील एवं कामोत्तेजक साहित्य ने मानव-स्वभाव में वासनावृत्ति, दुश्चलन, कामुकता, मानसिक विकृति, चोरी-डकैती, कालाबाजारी, अनाचार एवं राष्ट्र विरोधी दुष्प्रवृत्तियों के पड़ावों को फैला रखा है। देश के प्रति 10 व्यक्तियों में 3 व्यक्ति ऐसे हैं जो शिक्षित हैं इन तीन में भी एक व्यक्ति ऐसा है जो पुस्तक पढ़ने का महत्त्व देता है। दो अन्य केवल अपने हस्ताक्षर करने में योग्य हैं। 30 करोड़ जनता ऐसी है जो पढ़ना नहीं जानती। इनके अध्ययन की सुविधा जुटाना राष्ट्र का परम कर्त्तव्य है। इसी कर्त्तव्य को मद्देनजर रख कर 2 अक्टूबर 1978 से अखिल भारतीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम प्रारम्भ कर दिया गया है। इन नव-साक्षरों के लिये जीवन विकास साहित्य रचनाकारों को प्रस्तुत करना चाहिये।

देश में बढ़ रहे गन्दे व हलके फुलके साहित्य से देश के महान साहित्यकार एवं राष्ट्र निर्माता चिन्तित हैं। प्रत्येक परिवार के मां-बाप इस बात से पीड़ित हैं कि इनके बच्चे इस घटिया साहित्य के कारण विद्रोह कर रहे हैं प्रेम साहित्य

एव चटपट ग्रन्थो म उलझ रह हैं। इस बात के लिये ऐसे ग्रन्थो के रचनाकारो अथवा प्रस्ताताओ को उत्तरदायी ठहराया जाना चाहिये। तदुपरा त प्रकाशको एव पाठको पर भी अप्रत जवाबदारी ह। दुरावृत्तिया स छुटकारा पाने एव स्वस्थ बौद्धिक धरातल प्राप्त करन हतु मनुष्य को सदैव सत्साहित्य का अध्ययन एव मनन करना चाहिय। अध्ययन का शरीर, आत्मा एव मन पर गहरा प्रभाव पडता है। चढती जवानी, रात की बाहों म रगीली रातें, प्यार की सोगात एव चुम्बन की पीडा, इत्यादि पुस्तको को पढ कर यदि पाठक को स्वस्थ मानसिक उपलब्धि होती है तो चन्द्रलेखा, गोदान, दिव्या परती परिकथा, मृगनयनी, मानस का हस, परिणीता एव झूठा-सच आदि श्रेणी के उपन्यासो को पढकर क्या उपलब्ध होता है ?

स्वस्थ व्यक्तित्व का निर्माण सदैव महान साहित्य के निर्माण एव अध्ययन से हुआ है। जिस राष्ट्र का साहित्य (चाह वह लोक साहित्य ही क्यो न हो) मानव क लिय श्रेष्ठ रहा है वह राष्ट्र सदैव विजय वाहिनी पर सवार हो विश्व की संस्कृति और सभ्यता का पोषक रहा है। भारत का नाम इसम प्रथम लिया जावे तो अपवाद नहीं होगा। मिश्र और सिकन्दरिया को तत्पश्चात रख सकते है। सप्त सैन्धव के देश भारत की अनूठी प्रसिद्धि विश्व भर म सास्कृतिक एव पुरातात्विक रूप मे फैली हुई है।

शिक्षा की स्वस्थ परम्परा एव ग्रन्थ निर्माताओ के विषय प्रस्तुतीकरण की ऊचाइया का ही प्रतिफल था कि वद, उपनिषद महाभारत, गीता एव रामायण जस दुलभ ग्रन्थो ने सामाजिक एव धार्मिक चेतना जगायी। गीता के अध्ययन ने जिसके प्रस्तोता महाभारत के सरसञ्जकर्ता महान कर्मयोगी कृष्ण थे, शकराचाय परमहस, विवेकानद एव महर्षि अरविन्द तथा गुरुदेव जैसे तत्वज्ञ पाठक दिये। यह स्वस्थ ग्रन्थ प्रस्तुतीकरण का ही परिणाम था।

तात्पय यह कि (अश्लील काम-वासना, डाका-जनी, भ्रष्टाचार इत्यादि) साहित्य यदि रचनाकार के मनोवैचारिक पृष्ठभूमि की ही उपज है तो आम पाठका की अध्ययन वृत्ति कितनी सशक्त हो सकती है, इसका अन्दाजा वतमान मे छप रहे कामोत्तेजक, अपराध साहित्य, जासूसी खूनी एव फूहड वृत्तियो से परिपूर्ण प्रकाशन से लगाया जा सकता है।

यदि एक स्वस्थ अथवा अश्लील साहित्य प्रस्तोता एक शिक्षा प्रद सामाजिक उपन्यास प्रस्तुत करता ह तो उसकी दौड मे हलके फुलके किन्तु अधिक बिकने वाले इस साहित्य के लेखक ऐसे होते है जो सामाजिक कोढ को उधेड कर रख देने वाले जीवन के रगारग जवाबाज उपन्यास लिख देते हैं जो अर्थोपाजन की दृष्टि से प्रकाशको एव घरलू पुस्तकालयो के लिये भी महत्त्वपूण होत है। पाठको को ऐसे उपन्यास अच्छे व हृदयग्राही लगते हैं। और फिर जनता की माग पर बिक्री खुले आम होने लगती है। इस प्रकार के सस्ते कामुक ग्रन्थ देश के शहरो (आजकल

स्वस्थ एव अस्वस्थ साहित्य कौनसा है ? इसका फैसला लेखक स्वय करें जिसे उसे प्रस्तुत करना है। साहित्य पर भी सेन्सरशिप हो जाये तो आधी समस्या अपने आप हल हो जायेगी। मनुष्य यदि श्रेष्ठ साहित्य का अध्ययन अपने पारिवारिक जीवन से ही करे तो निश्चय ही उसका जीवन सुधर सकता है। यदि इस प्रकार के साहित्य से अनुछुआ रह कर वह अश्लील तथा बाजारू घटिया साहित्य का अध्ययन करता एव कराता है तो निश्चित ही अपने साथ औरो का भी इहलोक बिगाडता है। लेखको को ऐसे साहित्य प्रस्तुतीकरण पर अवश्य परलोक की यात्रा का लाभ मिलता है।

साहित्य का परिणाम स्वस्थ मानसिक पृष्ठभूमि का निर्माण है और अश्लील, गन्दे और योनवृत्ति का साहित्य मन मे असयमित कुविचारो को जन्म देता है। अच्छा अध्ययन अच्छे मस्तिष्क की पहचान व खुराक है। सामान्य मस्तिष्क सदैव निम्न श्रेणी के साहित्य को अधिक पसद करता है। कही-कही अधिक जटिल साहित्य भी स्वच्छ मानस के लिये घटिया सिद्ध हो जाता है क्योंकि वह साहित्य स्वस्थ्य मस्तिष्क के ऊपर से गुजर जाता है और समझ नही आता। अत मनुष्य को सदैव स्वस्थ साहित्य का अध्ययन कर स्वस्थ बने रहना चाहिये। स्वास्थ्य प्रद साहित्य के अध्ययन से वैचारिक स्थिति डावाडोल नही हो पाती और स्वास्थ्य भी सुन्दर बना रहता है।

जब अच्छे साहित्य का अध्ययन मानव करेगा तो मन स्वस्थ होगा और जब मन स्वस्थ होगा तो दुरावृत्तिया उससे सहज ही दूर भागेगी। कामुक चल चित्रो का पाठको पर जो प्रभाव पडता है उससे कही अधिक तत्सम साहित्य के पठन से होता है। भारत भूमि के मनीषियो पर एक समय आक्रामको का ऐसा पहाड टूटा कि उन्हें हिन्दू देव-साहित्य अर्थात सद्ग्रन्थो को गिरी कन्दराओ मे ले जाकर छिपाना पडा था। ऐसे ही अवसर पर कविवर श्रेष्ठ तुलसीदास ने लिखा 'सद्ग्रन्थ पर्वत कन्दरन्हि मह जाई तेहि अवसर दुरे।" वर्तमान मे प्रचलित बाजारू साहित्य के सामने भी शायद हमारे सद्ग्रन्थ ऐसे ही खोहो मे छुप गये है। क्योकि अस्वस्थ साहित्य ने आक्रामक होकर सत्साहित्य पर हमला बोल दिया है।

———

गाओं म भी) के हर गली कूचो, पान ठला, छाट-छोट पाकिट बुक पुस्तकालया एव घरेलू व्यवसायिक पुस्तकालया म 10 पैसे प्रतिदिन के मूल्य पर पढन को मिलते है। ऐसे पुस्तकालया मे हजारा प्रकार के विविध समस्याग्रो पर प्रकाश डालन वाले सस्त उपन्यास मिल जाते है। ग्राज दश मे इस प्रकार के उपन्यासो का शहर के प्रत्येक माहल्लो म प्रवचन ग्रत्यधिक मात्रा म हो रहा है। इसकी चपेट मे ग्रासपास के गाव भी ग्रा जात है। वर्तमान म प्रकाशन व्यवसाय इतना महगा पड रहा है कि फिर भी घटिया साहित्य का प्रचार बढ रहा है। ग्रध्ययन पाठक भी बढ रहे है।

ऐसे साहित्य के ग्रध्ययन म स्वच्छ कहलाने वाले पाठक भी पढकर डकती, ग्रपहरण, खूनी एव ए क्लास के स्मगलर बन जाते है। इसके पीछे पारिवारिक पृष्ठभूमि के ग्रलावा ग्रध्ययन से प्राप्त जीवन की ग्रनेक सफलताग्रो के रास्त मिल जाते है जिनका ग्रनुकरण कर मनुष्य ग्रपने जीवन को बरबाद कर देता है। बालको एव ग्रपरिपक्व युवक युवतिया म प्रेमपत्रो का ग्रादान प्रदान, घर से भाग निकलना चोरी करना ग्रादि ग्रनेक कुसस्कार ग्रा रह है। ग्रसफलता के बाद ग्रौर कोई दूसरा रास्ता बचने का नही मिलता तो स्वय ग्रात्मदाह कर ग्रपना जीवन समाप्त कर लेते है। ऐसी पीढी का स्वस्थ रखने के लिय उपरोक्त साहित्य को प्रकाशित होने से रोकना चाहिये। यह सरकार का उत्तरदायित्व है। यदि इस प्रकार के साहित्य पर प्रतिबन्ध नही लगता तो देश की पीढी का भविष्य ग्रधकारमय ग्रौर जीवन सकटमय होता जावेगा।

स्वस्थ साहित्य घर घर पहुचाने के लिये ग्रध्ययन की सुविधा ग्रर्थात पुस्तकालयो का प्रसार हाना ग्रतिग्रावश्यक होगा। इन ग्रध्ययन मडला या केन्द्रो पर हल्का फुलका साहित्य न पहुचे इसका ध्यान ग्रन्थपाल रखें। प्रकाशन व्यवसाय के लोग ग्रपने देश की पीढी ग्रस्वस्थ न हाने दे। लेखक ग्रपनी लेखनी पर नियन्त्रण लगाय यदि व ग्रस्वास्थ्य की साहित्य के निर्माण म लगे है। ऐसे साहित्य के ग्रध्ययन से देश की बाल एव युवा पीढी बिगडेगी। साथियो, हवा देखकर सुधरे तरीके इस्तेमाल करो। पैसे की ग्राधी म ग्रन्धे न हो नही तो सारा देश ग्रन्धकार से भर जावगा।

ऐसा साहित्य जो रुचिकर किन्तु ग्रस्वास्थ्य प्रद है जिसका प्रकाशन ग्रसीमित हो रहा है ग्राम पाठको के ग्रध्ययन का ग्रग हो रहा है। यहा मानव का नजरिया कोई मान नही रखता। ग्रच्छी भावना, ग्रच्छे विचार वाले भी "कुछ पाने की उहापोह" म भटक कर स्वस्थ्य विचारो का दाहसस्कार कर देते है ग्रौर ग्रपने जीवन की सार्थकता को न समझ जल्दी ही धरती से ग्रपना दामन खीच लेते है। ऐसा यौन सम्बन्धी साहित्य को पढ कर उत्पन्न हुये मामलो म ग्रधिक होता है।

स्वस्थ एव अस्वस्थ साहित्य कौनसा है ? इसका फैसला लेखक स्वय करें जिसे उसे प्रस्तुत करना है। साहित्य पर भी सेन्सरशिप हो जाय तो आधी समस्या अपने आप हल हो जायगी। मनुष्य यदि श्रेष्ठ साहित्य का अध्ययन अपने पारिवारिक जीवन से ही करे तो निश्चय ही उसका जीवन सुधर सकता है। यदि इस प्रकार के साहित्य से अनुछुआ रह कर वह अश्लील तथा बाजारू घटिया साहित्य का अध्ययन करता एव कराता है तो निश्चित ही अपने साथ औरो का भी इहलोक बिगाडता है। लेखको को ऐसे साहित्य प्रस्तुतीकरण पर अवश्य परलोक की यात्रा का लाभ मिलता है।

साहित्य का परिणाम स्वस्थ मानसिक पृष्ठभूमि का निर्माण है और अश्लील, गन्दे और योनवृत्ति का साहित्य मन में असयमित कुविचारो को जन्म देता है। अच्छा अध्ययन अच्छे मस्तिष्क की पहचान व खुराक है। सामान्य मस्तिष्क सदैव निम्न श्रेणी के साहित्य को अधिक पसद करता है। कहीं-कहीं अधिक जटिल साहित्य भी स्वच्छ मानस के लिये घटिया सिद्ध हो जाता है क्योंकि वह साहित्य स्वस्थ्य मस्तिष्क के ऊपर से गुजर जाता है और समझ नहीं आता। अत मनुष्य को सदैव स्वस्थ साहित्य का अध्ययन कर स्वस्थ बने रहना चाहिये। स्वास्थ्य प्रद साहित्य के अध्ययन से वैचारिक स्थिति डावाडोल नहीं हो पाती और स्वास्थ्य भी सुदर बना रहता है।

जब अच्छे साहित्य का अध्ययन मानव करेगा तो मन स्वस्थ होगा और जब मन स्वस्थ होगा तो दुरावृत्तिया उससे सहज ही दूर भागेगी। कामुक चल चित्रो का पाठको पर जो प्रभाव पडता है उससे कहीं अधिक तत्सम साहित्य के पढने से होता है। भारत भूमि के मनीषियो पर एक समय आक्रामको का ऐसा पहाड टूटा कि उन्हें हिंदू देव साहित्य अथात सद्ग्रन्थो को गिरी कन्दराओ मे ले जाकर छिपाना पडा था। ऐसे ही अवसर पर कविवर श्रेष्ठ तुलसीदास ने लिखा "सद्ग्रन्थ पवत कन्दरहि महु जाई तेहि अवसर दुरे।" वतमान मे प्रचलित बाजारू साहित्य के सामने भी शायद हमारे सद्ग्रन्थ ऐसे ही खोहो मे छुप गये है। क्योंकि अस्वस्थ साहित्य ने आक्रामक होकर सत्साहित्य पर हमला बोल दिया है।

———

21

मध्य प्रदेश मे लोक ग्रन्थालयो का संचालन व संगठन

ग्रन्थालय एक ऐसा स्थान है जहा नानाविध विषयो के ग्रन्थो, पत्र पत्रिकाम्रो, मानचित्र, निर्देशिका चित्र, दुर्लभ पाण्डुलिपिया, सूची एव सन्दर्भ सूचना स्रोतो का संग्रह होता है। इनका उद्देश्य अध्ययन शोध, अनुसंधान एव साक्षरता मे वृद्धि करना होता है। जो बच्चे अक्षर ज्ञान कर चुके है और उनमे ज्ञान को पाने अथवा नवीन वस्तु (जानवर पक्षी पेड, फूल, पत्ती, मशीनें यन्त्रादि) के बारे मे जानने की इच्छा को पूर्ण करने हेतु बाल ग्रन्थालय व वाचनालयो की सुविधा होती है। बाल साहित्य से युक्त ग्रन्थालय पाठशालाम्रो एव सार्वजनिक क्षेत्रो की संस्थाम्रो द्वारा स्थापित होते हैं।

प्राथमिक एव माध्यमिक स्तर के बच्चे भी इनका लाभ लेकर शिक्षा के गुणात्मक विकास मे अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते है। तीसरे और चौथे प्रकार के ग्रन्थालय महाविद्यालयीन एव विश्वविद्यालयीन स्तर की शिक्षा, शोध एव अनुसंधान प्रक्रियाम्रो को निपटाने मे मदद करते है। इसके अतिरिक्त विशेष प्रकार के ग्रन्थालय औद्योगिक संस्थानो, प्रयोगशालाम्रो एव अनुसंधान केन्द्रो मे होते है जिनकी मदद से वैज्ञानिक अपने शोध कार्य पूर्ण करते है। इन सबके बावजूद आम नागरिको की पढने की वृत्ति को सतत् बनाये रखने तथा देश मे साहित्यिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनैतिक व सामाजिक परिवर्तनो की सूचना देने सम्बन्धी जानकारी के लिए प्रत्येक जिले मे सरकारी व गैर-सरकारी ग्रन्थालय खोले जाते है।

हमारे प्रदेश मे भी ग्रन्थालयो के विकास उनके संगठन एव सुचारू संचालन पर सरकार व जनता ध्यान देती रही है। इसका उदाहरण है, प्रदेश के सभी जिलो मे जिला ग्रन्थालयो का सार्वजनिक उपयोग हेतु खुला रहना। सार्वजनिक क्षेत्रो मे भी ग्रन्थालयो की परम्परा प्रदेश मे बडी पुरानी रही है।

'सार्वजनिक ग्रन्थालय संगठन का स्वरूप"

स्वाधीनता के पूर्व से ही लोगो मे शिक्षा व अध्ययन की सुविधा जुटाने हेतु समाज सेवी संस्थाम्रो व व्यक्तिगत लोगो ने शहरी व नगरीय कस्बो मे लोक पुस्तकालय खोले थे जिनमे इन्दौर, सागर, ग्वालियर, मदसौर, खण्डवा सतना व जबलपुर शहरों के ग्रन्थालय प्रमुख हैं। ये लोक पुस्तकालय किसी संस्था द्वारा, किसी की स्मृति मे या किसी एक व्यक्ति द्वारा दान की गई ग्रन्थो की संख्या से निर्मित किए गये। इन्दौर शहर की "द इन्दौर जनरल लायब्रेरी" श्रीमंत तुकोजीराव

होल्कर द्वारा "किताब घर" के नाम स 1854 मे स्थापित की गई थी जो इन्दौर शहर क शैक्षणिक इतिहास की एक प्रमुख घटना है। इसी प्रकार खण्डवा शहर म 1883 म "मौरिस मेमोरियल लायब्रेरी" के नाम (अब माणिक्य सम्राट के वाचनालय) से स्थापित ग्रन्थालय यहा की साहित्यिक, सास्कृतिक एव शैक्षणिक गतिविधियो का प्रमुख केन्द्र है। इस ग्रन्थालय को भी अपनी सवाये दत 104 वष हो चुके हैं। 1887 मे ब्रिटन की महारानी एलिजाबेथ के राज्यारोहण के सम्मान म इन्दौर शहर मे ही इन्दौर के तत्कालीन एजेन्ट टू द गवनर जनरल न तीस हजार फुट जमीन पारसियो को देकर "विक्टोरिया लायब्रेरी" की स्थापना कराई। तरक्की की दृष्टि से ग्रन्थालय भवनो की दशा ठीक नही है परन्तु प्रयास चल रहे है कि ग्र यालय भवनो को भी औद्योगिक विकास क अनुरूप अत्याधुनिक बनाया जाव। विक्टोरिया लायब्रेरी को 1983 स रोटरी क्लब द्वारा सचालित किया जा रहा है।

सतना का तुलसी विद्यापीठ "रामभवन" ग्रन्थालय का स्थापना 1939 मे की गई थी। इस ग्रन्थालय पर प्रकाश डालते हुए कृष्णकान्त राजवैध न लिखा है कि "यह पुस्तकालय बिना आचाय का विश्वविद्यालय है जो मूक भाषा म बीत हुए युगो का सन्देश और आज के जमाने की प्रेरणा पाठको को पहुँचाता है। व्यक्ति की स्कूल और कालेज की शिक्षा के बाद स्वाध्याय ही शेष बचता है, जिसकी पूर्ति पुस्तकालय द्वारा ही हो सकती है। यह एक एसा पुस्तकालय है जो प्रदश तो क्या दश के अन्य भागो मे भी दुलभ है।

मन्दसौर शहर से 20 किलोमीटर दूर सीतामऊ कस्बे मे स्थापित "नट नागर शोध सस्थान" *एक अत्यन्त दुर्लभ ऐतिहासिक पाण्डुलिपियो फोटो प्रतियो व ग्रथो* का ग्रन्थालय है जिसे "रघुवीर ग्रन्थालय के नाम से जाना जाता है। यह इतिहासविद् व साहित्यकार डा रघुवीरसिंह के अथक प्रयास का फल है। इस विशाल ग्रन्थालय मे 1759 से 1830 तक फारसी के हस्तलिखित अखबारात सग्रहित है जो ग्रन्थालय की अमूल्य निधि है। वस्तुत यह ग्रन्थालय मुगलकालीन इतिहास के अध्ययन हतु बहुत सहायक है।

प्रदेश मे ऐसे ही कई सावजनिक ग्रन्थालय है जिनका सचालन एव सगठन अपन अपने तरीके से हो रहा है। प्रशिक्षित अधिकारियो व कमचारियो का अभाव, अनुदान की समस्या और सबसे बडी समस्या है पाठको का सेवाएँ देन की समस्या। बहुतरे ग्रन्थालय एसे ह जो राजनीतिक दलो के चपेट म है, परिणामस्वरूप अध्ययन के प्रति गम्भीर पाठक इनका समुचित उपयोग नही कर पात क्योकि इनम कायरत कर्मचारी उस भावना से नही जुड रहत ह जिनसे पूर्णकालिक सवा भावी सेवक जुडा होता है। फिर प्रदेश सरकार द्वारा इन पर ना कोई अकुश है और न इनक विकास क कार्यक्रम। थाडे बहुत अनुदान के अलावा इन्ह सरकार से कुछ नही मिलता। सावजनिक ग्रन्थालय अधिनियम के अभाव म जो जसे है चल रहे है।

दूसरी ओर सरकार द्वारा स्थापित लोक ग्रंथालय हैं जिनका कार्य 1948 में प्रारम्भ हुआ था। भारत सरकार के शिक्षा एवं युवक कल्याण मंत्रालय द्वारा स्थापित 1959 की ग्रंथालय सलाहकार समिति की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में 4 केन्द्रीय पुस्तकालय इन्दौर भोपाल, ग्वालियर एवं जबलपुर में स्थापित थे तथा जिला केन्द्रों पर भी सार्वजनिक जिला ग्रंथालय खोले गये। वर्तमान में विशाल मध्यप्रदेश राज्य में पांच क्षेत्रीय केन्द्रीय पुस्तकालय एवं 45 जिला ग्रंथालय हैं। सभी ग्रंथालयों में प्रशिक्षित ग्रंथपाल सेवारत है। इन ग्रंथालयों का संचालन लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा प्रमुख ग्रंथालयी की देखरेख में चलता है। जिला ग्रंथालयों के प्रशासनिक अधिकार जिला शिक्षा अधिकारियों (अब उप संचालक शिक्षा) को दे रखे हैं। जिला ग्रंथालयों का कार्य सम्पूर्ण जिले में जनता की अध्ययन रूचि को प्रोत्साहित करना और सत्साहित्य व ज्ञान विज्ञान की पुस्तकें उन्हें पढने हेतु मुहैय्या कराने का है। इसके अतिरिक्त ग्रंथ प्रदर्शनी महापुरुषों के भाषणों का आयोजन, ग्रंथालय गोष्ठी एवं विविध प्रतियोगिताओं का आयोजन करना प्रमुख है।

चूंकि जिला ग्रंथालयों के पास इतना अनुदान नहीं होता है कि वह विज्ञापन पर, गोष्ठी आयोजना पर व प्रतिष्ठित विद्वानों को बुलाने पर पैसा खर्च कर सकें अतः यह सब जनहित के कार्य जिला-ग्रंथालय नहीं कर पाते हैं। दूसरी ओर इन जिला ग्रंथालयों के भवन इतने छोटे व असुविधापूर्ण हैं कि किसी भी प्रकार के आयोजन सम्भव नहीं है। जब लोक ग्रंथालय जनता की रूचियों के उत्कृष्ट केन्द्र होने का दम्भ भरते हैं तब यह जानकर बड़ा ही अफसोस होता है कि 75% ग्रामीण जनता यह नहीं जानती है कि उनके जिला प्रमुख शहर में कोई सार्वजनिक ग्रंथालय भी है। ग्रंथपाल के पास इतने अधिकार नहीं होते हैं कि ग्रंथालय के प्रचार-प्रसार हेतु व्यक्तिगत क्षमता से हटकर कुछ कर सकें। अतः वह सिर्फ ग्रंथों के आदान प्रदान व जिले के स्कूल ग्रंथालयों में पुस्तकें देन लेने कार्य भर करता है। स्कूल के ग्रंथालय प्राप्त पुस्तकों का क्या उपयोग करते हैं इससे जिला ग्रंथालय बेखबर रहते हैं। जब जिला ग्रंथालयों में केन्द्रीय खरीद की पुस्तकें, व राजा राममोहनराय फाउन्डेशन की पुस्तकें आती है और ग्रंथालय में उन्हें रखने की व्यवस्था नहीं होती तब उन्हें जिले के विभिन्न स्कूलों में भेज दिया जाता है। जिला ग्रंथालयों में प्रशिक्षित कर्मचारियों का भी अभाव सतत् बना हुआ है। जिला ग्रंथालयों का कोई सगठित सघ न होने के कारण भविष्य की विकास योजनायें मुख्य पुस्तकालयाध्यक्ष एवं लोक शिक्षण संचालनालय तक ही सिमट कर रह जाती है।

तीसरे प्रकार के ग्रंथालय गावों* की पंचायतों में चल रहे हैं जिनका संचालन पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग सम्हाल रहा है। इन ग्राम पंचायतों में खोले गये ग्रंथालयों का उद्देश्य था कि ग्रामीण जनता को सतत् अध्ययन की सुविधा जुटाना, खेती, गृहस्थी स्वास्थ्य व चिकित्सा, पशुपालन व लघु उद्योग धन्धों सम्बन्धी

* मध्य प्रदेश में प्रकाशित सूचनानुसार "राज्य में 14691 ग्राम पुस्तकालय स्थापित किए गये हैं पाठक हरिशंकर, मध्यप्रदेश सन्देश, जुलाई 1986 पृ 35 देखें।

ज्ञान की पुस्तकें घर तक पढ़न को देना। ग्रामो म निरक्षर जनता को साक्षर बनाने म मदद करना आदि। इन सब ग्रथालयो की गतिविधिया सार्वजनिक ग्रादोलन की निष्क्रीयता एव ग्रथालय ग्रधिनियम की उपेक्षा के कारण ग्राजादी के 40 वष बाद भी कछुए की चाल स चल रही है। जबकि यह माना जाता है कि राष्ट्रीय विकास म लोक-ग्रथालयो की महत्वपूर्ण भूमिका होती है पर हमारे प्रदेश के ग्रथालयो की दशा सगठन व सचालन की दृष्टि म इतनी कमजोर है कि नई व्यक्तिगत व्यावसायिक लाइब्रेरी (पाकेट बुक्स, स्टार) ग्रथालय जगत म उभरकर ग्रा चुकी है जिनम जासूसी, ग्रपराध कथा, सेक्स व रोमाच की किताबें ग्राम जनता को प्रलोभन दे रही है। इन व्यावसायिक ग्रथालयो ने लोक ग्रथालयो के भविष्य को खतरे मे डाल दिया है। इस परिवतन पर ग्रथालय जगत के विचारको को ध्यान देना चाहिए।

प्रदेश म ग्रथालय ग्रादोलन ग्रधिनियम व सावजनिक ग्रथालयो के सुसचालन एव सगठन को ध्यान म रखते हुए सवप्रथम 1957 म डा एस ग्रार रगनाथन व श्री व्ही जी मोघे के प्रयास से मध्यप्रदेश ग्रथालय सघ की स्थापना की गई। सघ की ईकाइयां सभागीय स्तर पर कायरत है जैसे इदौर सम्भाग ग्रथालय सघ, भोपाल सभाग ग्रथालय सघ। सघ ने प्रदेश मे ग्रथालय ग्रधिनियम को प्रभावशाली बनाने हेतु ग्रनेक प्रयत्न किए किन्तु सगठनात्मक एकता व राजनैतिक सहायता के ग्रभाव म सफलता नही मिल सकी। इसी उद्देश्य से सघ का प्रान्तीय ग्रधिवेशन 1974 मे भोपाल मे किया गया। प्रदेश म सावजनिक ग्रथालय सघ की स्थापना भी की गई जिसका प्रथम ग्रधिवेशन खण्डवा जिले के बुरहानपुर तहसील म सम्पन्न हुग्रा। तत्कालीन मत्रियो श्री ग्रोमप्रकाश रावल एव कन्हैयालाल दूगरवाल के सभापतित्व मे दूसरा ग्रधिवेशन भी सम्पन्न हुग्रा। स्वास्थ्य शासन मत्री श्री तखतसिंह कीर व मुरलीधर गंध के सद् प्रयास से मध्यप्रदेश सावजनिक ग्रथालय ग्रधिनियम का प्रारूप भी विधानसभा पटल पर लाया गया किन्तु कुछ खामियो के कारण यह ग्रधिनियम ग्रभी तक ग्रपना विधिक स्वरूप प्राप्त नही कर सका है।

सच पूछा जाए तो सावजनिक ग्रथालय ग्रधिनियम प्रदेश म तभी सफल हो सकता है जब सावजनिक क्षेत्रो के ग्रथालयो से दलीय हस्तक्षेप समाप्त हो, मनमानी खत्म हो ग्रौर सरकारी तत्र द्वारा इनका सगठन व सचालन पुस्तकालय विज्ञान म प्रशिक्षित कमचारियो द्वारा करवाया जाए। बहुतेरे ग्रथालय कुर्सी, पद एव प्रतिष्ठा के स्वाथ म जन ग्रसतोष का कारण बने हुए है। इन कारणो को दूर करने के बाद ही ग्रथालय ग्रधिनियम की साथकता सिद्ध होगी।

माना कि सावजनिक ग्रथालयो ने शैक्षणिक विकास मे ग्राशातीत सहयोग प्रदान कर प्रदेश की ग्रथालय विकास परम्परा को बढ़ाने मे सहयोग किया है किन्तु ग्राजकल इन ग्रथालयो का जो वातावरण बना हुग्रा है उसे समाप्त करने मे शासन को ग्रावश्यक कदम उठाना चाहिये।

मध्य प्रदेश शासन शिक्षा विभाग द्वारा राज्य केन्द्रीय पुस्तकालय भोपाल एवं ग्वालियर में 6 6 माह का ग्रन्थालय विज्ञान प्रशिक्षण भी इसी उद्देश्य से प्रारम्भ किये गये हैं कि ग्रन्थालय आन्दोलन को एक सुनिश्चित दिशा मिले। वैसे भी प्रदेश के सात विश्वविद्यालयों में स्नातक एवं दो विश्वविद्यालयों में स्नातकोत्तर उपाधि प्रदान की जाती है। इन प्रशिक्षित व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करने की दृष्टि से भी प्रदेश में ग्रन्थालय अधिनियम जरूरी है। अन्तिम रूप में प्रदेश में ग्रन्थालय अधिनियम लागू कर दिया जावे तो अलग अलग स्तर पर चल रहे, अलग अलग विभागों द्वारा संचालित ग्रन्थालय एक-सूत्र में बंधकर कार्य करने लगेंगे और आज जो भी विकृतियां, विसंगतियां ग्रन्थालय क्षेत्र में फैली हुई हैं वे समाप्त होंगी।

ग्रन्थालय संघ, कर्मचारियों एवं सरकार को मिलकर प्रदेश की ग्रन्थालय विकास योजनाओं पर सोचना चाहिए ताकि लोक ग्रन्थालयों का वर्तमान स्वरूप वैधानिक संगठन के रूप में विकसित होकर प्रदेश की जनता को अपनी सेवायें देने में सक्षम हो सके। बेहतर तो होगा यदि शिक्षा विभाग में चल रहे ग्रन्थालयों के संगठन संचालन हेतु स्वतन्त्र संचालनालय हो और लोक-ग्रन्थालयों के लिए भी लोक पुस्तकालय संचालनालय बनाए जावें। प्रदेश ग्रन्थालय अधिनियम के तहत इन संचालनालयों को अधिकार व शक्तियां प्रदान कर भिन्न-भिन्न प्रकार के ग्रन्थालयों को केन्द्रीय विभाग द्वारा संचालित व संगठित किया जा सकें।

22

अश्लील साहित्य का फैलता जहर

आये दिन समाचार-पत्रों मे, रेडियो पर पुस्तक प्रदर्शनियो मे एव गोष्ठियो म अश्लील साहित्य पर चर्चा, परिचर्चा लेख एव इन्टरव्यू धडाधड प्रकाशित एव प्रसारित हो रहे ह किन्तु समाधान के नाम पर हासिल कुछ भी नही हो पा रहा है।

आज इस बात से कदापि इन्कार नही किया जा सकता कि अश्लील साहित्य, जैसे बलात्कार एव यौनवृत्ति के प्रसगो से युक्त कथायें, इन्द्रजाल कामिक्स, जासूसी उपन्यास सत्यकथा तथा अंग्रेजी से अनुवादित कई रोमाच एव रोमास से युक्त साहित्य बाजार मे बिना रोकटोक धडल्ले से बिक रहा है।

ऐसा साहित्य जो कामुकता जगाता हो युवा दिलो को पथभ्रष्ट एव दुराचारी बनाता हो व्यभिचार को जन्म देता है और अपराधी वृत्ति जैसे जुआरू व असामाजिक कर्म को प्रश्रय देता हो, देश के प्रत्येक शहर के गली, मोहल्लो, बुक स्टालो तथा नुक्कडो के छोटे छोटे ठेलो रखे अथवा कमरो मे बुरी तरह से भरा हुआ देखा जा सकता है। कुछ बडे शहरो म इस प्रकार के साहित्य को विशेष कक्षो म प्रदर्शित कर रखा जाता है। इस प्रकार का सबसे सस्ता सुलभ एव कम खर्च का चटपटा साहित्य नुक्कड दुकानो के मिनी पुस्तकालयो से पढने को उपलब्ध हो जाता है। ऐसे साहित्य को अधेड उम्र के रगीले स्त्री पुरुष तो पढते ही है साथ ही बच्चे भी इनसे अनछुए नही रह पाते परिणाम यह होता है कि पढे हुए साहित्य के चित्रित पात्रों को जीने की कल्पना वे करने लगते हैं और कुमार्ग की ओर बढते जाते हैं। यह क्रम युवा अवस्था तक चलते रहने से उनके चरित्र का निर्माण भी कथा के घटनाक्रम के अनुरूप होने लगता है और अपराध की दुनियाँ मे क्रमश अपराध बढने लगते ह।

उपरोक्त प्रकार के साहित्य को नुक्कड साहित्य, घासलेटी साहित्य अथवा अस्वाभाविक जीवन जीने की प्रेरणा देने वाला साहित्य कहा जा सकता है।

इस प्रकार साहित्य को लिखने एव प्रकाशन करने के पार्श्व मे, अर्थलोलुपता सस्ती प्रसिद्धि एव पाठको की नमकीन मनोरजक रूचि का परिचय मिलता है। इस साहित्य म कोई मौलिक वस्तु अथवा ठोस विषय की रूपरेखा का सृजन नही होता। लेखक प्रकाशक यह जानते ह कि वर्तमान मे आम लोग किस प्रकार का साहित्य पढने म रूचि रखते ह बस उसी प्रकार की कथा मार्मिक प्रसगो से भरपूर उपन्यास, कहानी व प्रेम कथाओ की घटना पर आधारित पुस्तकें छपने लगती है।

पाठकों की कमजोरी को वे अच्छी तरह समझते हुए उनकी मानसिक एवं शारीरिक क्षुधा का प्रबन्ध कर देते है। रातों रात लेखक प्रकाशक एवं पाठक अपने अपने ढंग से ऐसे साहित्य से अपनी हवश पूरी करने में सफल हो जाते हैं। प्रश्न है कि तीनों वर्ग के लोग क्या इतने बेपरवाह एवं अनजानी कूपमडुकता का लबादा ओढ़े राष्ट्रीय प्रतिष्ठा, देशवासियो के चरित्र निर्माण एवं साहित्यिक गरिमा का उपहास कर रहे है अथवा पाश्चात्य सस्कृति, कला, साहित्य एवं जीवन विकास की प्रगतिशील परम्परा को भारतीयता का रक्षा कवच बनाना चाहते है पर क्या यह सब फलदायी होगा ?

जब ग्रन्थों के माध्यम से लेखक चादनी रात, झील का किनारा, सावन की मधुमाती साझ, बन्द कमरे में प्रेमालाप, बाग बगीचे, आम्रकुंज अथवा छबिगृह आदि कथानको से अपनी रचना का साहित्यिक श्रृंगार करता है तो पढने वाला के दिल मे सहज रूप में एक अजीबो-गरीब कौतुहल पैदा होने लगता है जिसकी परिणिति दैनिक क्रिया-कलापो में होने लगती है। जब परिवार में अधेड माता पिता की रुचि अपने जवान बेटे-बेटियों से लुक छिपकर कामुक व अपराध साहित्य पढन की होती है तो कौतुकवश बच्चो के उर्वरा मन मे इस प्रकार के साहित्य को पढ़ने का ललक जाग उठना स्वाभाविक है।

आज तो इस प्रकार के साहित्य का प्रचलन इतना चरमोत्कर्ष पर है कि समाज का शायद ही कोई वर्ग इसके साहचर्य से बच पाया हो ? इस प्रकार का साहित्य फैशन मे शुमार होकर मानसिक विकृति एवं सामाजिक व नैतिक पतन का मूल कारण होता जा रहा है।

फिल्मी सस्कृति के बढते स्वरूप ने प्रेम-रोग का जो उपहार हमारी आधुनिक पीढी को दिया है उसकी पीडा को हर मा बाप प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से भोग रहे है। फिल्मी पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित एवं प्रदर्शित होने वाले नारी के मासल देह युक्त अर्द्ध नग्न चित्रों के सौंदर्य को व बलात्कार के दृश्यों को देखकर अनायास ही युवक युवतियों का कोमल मन एक बारगी मनोवैज्ञानिक प्रभावों से विचलित होकर मचल उठता है, तडप उठता है। यही तडप उन्हे प्रियमिलन हेतु आतुर कर देती है और कमसिन भावना में बहे बावले प्रेमी प्रेमिका अपने नैतिक कर्त्तव्यों से बेखबर अपनी लाज शर्म से बेहया होकर समस्या के दलदल मे फसे जाते हैं। यह फिल्मी स्टाइल का प्रेम रोग जिसकी जडे क्रमश मजबूत होती जा रही है। हर शहर नगर एवं हर गाव में फैल रही है, यहाँ तक की गली-गली मोहल्ला मोहल्ला इस बीमारी से बेइन्तहा ग्रसित है।

इस जीवन संघर्ष मे जो जूझकर बच निकलते है व अपना ससार बसाने में लग जाते हैं और जो सफल नहीं हो पाते अथवा किन्ही कारणों से असफल हो जाते है अपराध की दुनिया में पहुँच जाते हैं। एक अपराध अनेक अपराधो को जन्म देता है। इन्ही मे कोई हत्यारा, कोई शराबी व कोई घृणित अपराध करने

का अनुगामी हो जाता है। अपराध एवं सत्यकथाओं में जो कुछ घटनाओं के तथ्य होते हैं उन्हीं में अपराधियों को नया मार्ग मिलता है। किसी कहानी उपन्यास एवं नाटक में चोरी डकैती, प्रेम, व्यापार की नयी टकनीक का उपयोग किया गया हो तो फौरन इस कार्य को करने वाले अभियुक्त उसे कुछ ही दिनों में प्रयोग में ले आते हैं, परिणाम चाहे उसका कुछ भी हो परन्तु अपने मन की वे कर ही लेते हैं।

इस प्रकार समाज में विकृतियां पैदा करने वाला यौनवृत्ति व अपराधी घटनाओं से परिपूर्ण जासूसी तथा रोमानी विद्या का साहित्य लिखा ही नहीं जाना चाहिये। प्रकाशक संघों द्वारा ऐसे साहित्य के प्रकाशन पर आपत्ति उठाकर रोक लगाने का प्रयत्न किया जाना चाहिये। पाठकों को भी ऐसे साहित्य से बचाना चाहिए अन्यथा इस प्रकार के अश्लील साहित्य का फैलना जहर मानव समाजरूपी शरीर में घुसकर समाज की बाल किशोर एवं युवा पीढ़ी को जहरीला कर देगा और फिर धर्म, संस्कृति, सभ्यता, इतिहास एवं साहित्य के नाम पर कुछ अवशेष भी नहीं रह पायेगा।

———

23

पुस्तकालय विज्ञान के जनक डॉ रंगनाथन

भारत म पुस्तकालय विनान क पितामह के रूप म पूज्यनीय एव प्रात स्मरणीय पद्‌मश्री डॉ सियाली रामामृत रगनाथन का दिवगत हुए आज पूरे पन्द्रह वष हो रह है। आज उनकी पन्द्रहवी पुण्य तिथि ह। भारतीय ग्रन्थालय-जगत शासन तथा जनता की ओर से तो अनाथ था ही आज अपने जनक स भी अनाथ हो गया था। भारत मे पुस्तकालय आन्दोलन क एक स्वर्णिम युग का सूय अस्त हो गया। ये महान कमठ तपस्वी परिश्रमी, लगनशील, कुशाग्र बुद्धि व पारखी पुरुष डा सियाली रामामृत रगनाथन थे, जिन्हान मद्रास राज्य के सियाली नामक स्थान पर 9 अगस्त 189२ का जन्म लिया था।

इनकी प्रारम्भिक शिक्षा-दीक्षा सियाली के हिन्दू हाई स्कूल म पूरा हुई। 1909 मे मद्रास के क्रिश्चियन कॉलेज मे उच्च शिक्षा हतु प्रवेश लिया। स्नातक एव स्नातकोत्तर दोनो ही परिक्षायें आपने प्रथम श्रेणी मे उच्च स्थान प्राप्त कर पास की।

यौवन के 25 बसन्त पार कर मद्रास राज्य के शासकीय महाविद्यालय म गणित के व्याख्याता हुए। आपने विद्यार्थियो के मध्य एक विशेष स्थान बना लिया। कुछ दिना बाद 1924 म आपका मद्रास विश्वविद्यालय के प्रथम पुस्त कालयाध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया। ग्रन्थपाल के पद पर कायरत रहते हुए आपका पुस्तकालय विनान के प्रसार हेतु "ब्रिटिश म्यूजियम' पुस्तकालय जो विश्व के महान पुस्तकालयो म स एक है की ग्रन्थालय प्रणाली का अध्ययन करने हेतु लदन जाने का सुयश मिला।

डा साहब ने अपने लदन प्रवास के दौरान विभिन्न शक्षणिक, व्यवसायिक, तक्नीकी एव शोध सस्थाओ के पुस्तकालयो का सूक्ष्म अध्ययन एव अवलोकन किया। तत्कालीन विभिन्न वर्गीकृत प्रणाली न उनकी गरिमा को आघात पहुँचाया और ये उन वर्गीकरण प्रणालिया से सतुष्ट नही हुए अत उन्होंने स्वनिर्मित वर्गीकरण प्रणाली बनाने का निश्चय कर लिया।

यूरापीय देशो की यात्रा से अपने देश आत समय उनकी उत्कृष्ट बुद्धि म किन्ही अनात सूत्रो, नियमो सिद्धातो, ने जन्म लिया। फिर क्या था, बस ग्रन्थालय विज्ञान के प्रथम पच सूत्रो का प्रतिपादन जहाज स आते-आते ही हो गया। पुस्तकालय वर्गीकरण की रूपरेखा का पूरा खाका इनके दिला दिमाग पर खिंच

गया। इन पच दार्शनिक सूत्र ही कह जाने चाहिए, जिन्होंने विश्व के ग्रन्थालय आन्दोलन एव पुस्तकालय विज्ञान को एक नया मोड दिया। उनका कहना था ग्रन्थालय म पुस्तकें (1) उपयोग क लिये ह। (2) प्रत्येक पाठक को पुस्तक मिले। (3) प्रत्येक पुस्तक के लिए पाठक हो। (4) पाठक का एव कर्मचारियो का समय बचाओ। (5) ग्रन्थालय एक विकासशील निकाय है।

राष्ट्र एव परराष्ट्र वासियो के दिलो दिमाग पर इन पाच नियमो का प्रभाव छोडना उनके क्रियाशील मस्तिष्क के भोज्य पदार्थ 'पुस्तक" के महत्त्व को जनता म लाना एव प्राचीन सिद्धात "पुस्तकें सुरक्षा क लिय है' का खण्डन करना ही उनका एक मात्र लक्ष्य था।

ससार भर म प्रचलित विभिन्न वर्गीकरण पद्धतिया जैसे दशमलव वर्गीकरण विस्तारशील वर्गीकरण, लायब्रेरी आफ काग्रेस क्लासीफिकेशन, विषय वर्गीकरण पद्धतियो का आपने सूक्ष्म एव गहनतापूर्ण अध्ययन किया और वर्तमान ज्ञान-जगत क विभिन्न आधुनिक विषयो की शाखा, प्रशाखाओ को इन पद्धतियो मे समाहित करने की असमर्थता को देखते हुए रगनाथन न मद्रास विश्व-विद्यालय म 1925 ई म स्वनिर्मित (द्विबिन्दु वर्गीकरण) पद्धति का अन्वेषण किया एव प्रारम्भ म 30,000 ग्रन्थो का वर्गीकरण कर कायाकल्प मे परिणित किया। इस पद्धति ने सफलता प्राप्त की। डा साहब के नेत्रो म अद्वितीय चमक आ गई।

अथक प्रयत्नो से चमत्कार पर चमत्कार हुए ग्रन्थालय विज्ञान विषय पर आपकी मौलिक कृतिया प्रकाशित होने लगी। कुछ प्रमुख पुस्तको क नाम ये हैं।

(1) फाइव लाज आफ लाइब्रेरी साइन्स, 1931 (2) लायब्रेरी डवलपमेंट प्लान। (3) क्लासीफाइड केटलाग कोड। (4) लायब्रेरी मेन्युअल। (5) लायब्रेरी एडमीनिस्ट्रेशन। (6) सदर्भ सेवा (7) डाक्यूमटेशन।

इसके अलावा राज्यो मे सघो की स्थापना, ग्रन्थालय विज्ञान के शैक्षणिक सत्र सार्वजनिक पुस्तकालयो की ग्रन्थालय, चल ग्रन्थालयो का निर्माण, सभी एक के बाद एक प्रारम्भ हुए। धीरे धीरे इनकी ख्याति भारत के सभी क्षेत्रो म हुई। भूतपूर्व राष्ट्रपति स्व० डा० राधाकृष्णन के कहने पर 1945 म बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय म ग्रन्थपाल एव प्राध्यापक के पद पर कार्यरत रहे। 1946 मे दिल्ली विश्वविद्यालय के पुस्तकालयाध्यक्ष का भार एव शिक्षण कार्य सम्हाला-पुस्तकालय विज्ञान विषय मे डिप्लोमा पाठ्यक्रम प्रारम्भ किया। अखिल भारतीय पुस्तकालय सघ की 1946 से 1953 तक आपने अध्यक्षता की और भारत सरकार को कई पत्र पुस्तकालय विकास क सम्बन्ध मे प्रस्तुत किये।

1956 मे विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन के पुस्तकालय विज्ञान विभाग के पदेन विभागाध्यक्ष रह। बाद म भी उन्ही की देख रेख मे विचारानुसार पुस्त

थानय भवन का निर्माण काय भी करवाया गया। 1962 मे कलकत्ता मे इण्डियन स्टटीस्टिकल इन्स्टीट्यूट एव बगलौर मे डी आर टी सी की स्थापना की जो एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि है। डी आर टी सी की स्थापना के बाद से आज तक आप आनरेरी प्राध्यापक के पद पर सेवारत थ।

यशस्वी पदो की नियुक्ति एव विशिष्ट सस्थाओ की स्थापना के साथ ही आपका लेखन काय भी प्रारम्भ रहा। 1939 म फाइव लाज ऑफ लायब्रेरी साइन्स मूल ग्रथ प्रकाशित हुआ। 1933 म द्विबिन्दु वर्गीकरण ग्रथ दो अत्यन्त सूक्ष्म खण्डो म प्रकाशित हुआ। तब से आज तक इस ग्रथ के सात सस्मरण प्रकाशित हो चुके है। अभी तक आप कई पत्रिकाओं का सम्पादकत्व एव हजारो पत्र पत्रिकाओ मे लेखनीय काय सम्पन्न कर चुके थे। इन्होने पुस्तकालय विज्ञान विषय पर ही लगभग 50 के करीब मौलिक ग्रथो की रचना की जिनका उपयोग देश विदेश के पुस्तकालय एव पुस्तकालय विज्ञान शिक्षा के विद्वान अध्ययन कर रहे है।

अपनी आयु के 70 वष पूर्ण होने के उपलक्ष्य मे आपके शिष्यो, शुभचिन्तको, एव हितैषियो "अभिनन्दन ग्रथ' विभिन्न लेखो एव सस्मरणो के साथ प्रकाशित किया था। पुस्तकालय आन्दोलन जगत के इस कमठ योगी ने अपने जीवन मे कई सर्वोत्कृष्ट पदो को प्राप्त किया। सन् 1948 मे दिल्ली विश्वविद्यालय ने आपको 'डॉ आफ लेटस" की उपाधि से विभूषित किया। 1957 मे भारत सरकार ने इन्हे पद्मश्री" की उपाधि से अलकृत किया। भारत मे ग्रथालय विज्ञान के जनक को उनकी विशेष सेवा हेतु 1965 मे शासन द्वारा 'नशनल रिचस प्रोफसर आफ लायब्रेरी साइन्स" से सम्मानित किया। इस प्रकार बढ़ते हुए सम्मान एव उपाधियो की श्रेणी मे भारत के अलावा विदेशो म भी इनका काफी मान सम्मान एव प्रभुत्व रहा।

अमेरिका के पीटसबग विश्वविद्यालय ने आपको "डाक्टरेट" की उपाधि दी। अमेरिकन पुस्तकालय सघ द्वारा आपका पुस्तकालय विज्ञान का महत्वपूर्ण पदक "मारग्रेट मन अवाड" प्रदान किया गया। आप अमेरिकन पुस्तकालय सघ के सक्रिय सदस्य थे। एव ब्रिटिश पुस्तकालय सघ के आप आजीवन उपाध्यक्ष रहे है।

जब भी आप विदेश भ्रमण हेतु आमन्त्रित किये जाते, आपका समय भाषण लेखमाला, विचार-विनिमय, वाद विवाद एव पत्रग्रहण म ही व्यतीत होता था।

अनेकानेक पद एव अलकरणो से सम्मानित डॉ रगनाथन ने अपना सवस्व जीवन पुस्तकालय विज्ञान के विकास म लगा दिया। त्याग और तपस्या की विभूति ने अपने जीवन की अर्जित राशि मे से 1 लाख रुपया 1965 मे मद्रास

विश्वविद्यालय को "शारदा रगनाथन चेयर" की स्थापना के लिए दान दिया। इस प्रकार पुस्तकालया क द्वारा देश मे अनेक स्वाध्याय एव शिक्षा क्षेत्र म क्रांति कारी परिवतन लाने का बीडा आपने उठाया। अपनी अति वृद्धावस्था म भी आप 12–13 घटे निरन्तर कायरत रहे। कायरत रहते हुए देश मे अनेक अनुसधान एव प्रशिक्षण सस्थाओ की स्थापना की जिससे आने वाली नव-पीढी देश क विकास के इस आदोलन को आग बढाय।

ऐसे मधुर भाषी, अग्रेजी के पण्डित, गणित क ममज्ञ डाक्टर रगनाथन जो कि ज्ञान गगा के भागीरथ थे, मनीषी थे, अपने ज्ञान गीता की शतधार विश्व के पुस्तकालय आदोलन जगत मे बिखर गये।

तेज और प्रकाश के इस पुज ने योजना आयोग, वेतन आयोग एव कमेटियो को अपनी प्रखर बुद्धि से एक समरूप प्रदान किया। अनेक शिक्षा-प्रद लख, हितोपदेश दाशनिक एव मनोवैज्ञानिक लेख एव ग्रथा का निमाण किया। मद्रास, आध्र प्रदेश मैसूर एव महाराष्ट्र राज्या मे ग्रथालय अधिनियमो को स्वीकृत कराने का पूण श्रेय भी आपको ही था।

व चाहते थ कि पुस्तकालयो का प्रचार एव प्रसार इतना हो कि कोई भी राज्य बिना पुस्तकालय सघ एव अधिनियमो के न रह। वे जानत थे कि इन्ही पुस्तकालयों में देश की अथाह ज्ञान राशि लुप्त है जिसका उपयोग हमारी ग्रामीण एव शहरी जनता को करना चाहिये। उनका यह स्वप्न था कि सक्यू-लेटिंग लायब्रेरीज के द्वारा ग्राम-ग्राम को पुस्तकालया से जोड दिया जाये ताकि ग्रामीण निरक्षता का अन्त पुस्तकालयो मे उपलब्ध नवीन ग्रथा को पढकर, सुनकर या चलचित्र दिखाकर किया जा सके।

इधर प्रौढ शिक्षा का माध्यम भी पचायतो द्वारा चलाये जाने वाले पुस्त-कालया का बनना था, जिससे समाज कल्याण का नया रूप स्पष्ट हाता, किन्तु यह सब कुछ एक दिवा स्वप्न ही रहा। पुस्तकालय जगत के "कुलदीप" के अध-कार मे विलीन हो जाने से देश को भारी क्षति पहुची है जिसकी पूर्ति करना तो कठिन है, किन्तु शासन एव उनक अनुयायियो के सहयोग से कुछ क्षतिपूर्ति कर डॉ रगनाथन जस कमठ विद्वान पुरुष के सपनो को पूण किया जा सकता है।

———

24

पचवर्षीय योजनाओ मे प्रौढ शिक्षा एवं पुस्तकालय

(1)

ईश्वर पर अटूट विश्वास तथा भाग्य के भरोसे जीवन यापन करने वाले भारतीयो की गरीबी, अज्ञानता एव पिछडेपन के अभिशाप न यदि भारत को सदियो पूर्व गुलामी की जजीरो मे जकडा था तो वतमान ज्ञान व शिक्षा के व्यापक प्रचार-प्रसार ने भी उसे प्रजातन्त्रीय शासन के अनुरूप विचारो से पूर्ण स्वाधीन नही बनाया है। 37 वर्ष के विस्तृत युवा काल तक राष्ट्र की 30 करोड आबादी शिक्षित होने की ऊहापोह मे जनतन्त्रीय प्रणाली की विशेषताओ का लाभ पाने मे वचित रह रही है।

इसी अशिक्षा की वचकता को दूर करन के प्रयास 1947 के बाद से भारत म शुरू हो गये थे और बहुत हद तक करोडो रुपय "समाज शिक्षा' के नाम पर आज तक पानी की तरह बहाया गया "फिर भी आज हमारे देश म 15 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियो मे निरक्षरो की सख्या 20 करोड से भी अधिक है। लगभग 80% महिलाएँ निरक्षर है। जबकि पुरुषो की निरक्षरता तकरीबन 52% है। इन सबको बुद्धि सम्पन्न बनाने का बीडा अखिल भारतीय प्रौढ शिक्षा सघ एव अन्तर्राष्ट्रीय सगठन यूनेस्को ने उठाया है। भारतीय पुस्तक-प्रकाशक सघ ने भी यह सकल्प किया है कि सन् 2000 तक देश से निरक्षरता को समाप्त कर दिया जावेगा किन्तु यह कसे होगा इस पर हम आगे विचार करेंगे।

स्वाधीनता प्राप्ती के उपरान्त राष्ट्र को नइ दिशा मिली। राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक एव सांस्कृतिक प्रगति खूब हुई। भारत के प्रथम शिक्षा मन्त्री मौलाना अबुल कलाम आजाद ने प्रौढ शिक्षा को "समाज शिक्षा' मुहिम घोषित किया।

"शिक्षा मन्त्री आजाद ने स्पष्ट घोषणा की कि प्रौढ शिक्षा के अन्तर्गत सामाजिक चेतना के विकास पर भी बल दिया जाय। फलत समाज शिक्षा का एक 'पच सूत्री कायक्रम बनाया गया।[1] तिस पर भी शिक्षा का प्रतिशत सन्तोषजनक नहीं हुआ। निरक्षरो का साक्षर बनाने हेतु राष्ट्रीय स्तर पर ही कइ सकल्पनाओ न जन्म लिया। जसे क्रियात्मक साक्षरता, अनवरत शिक्षा तथा

अनौपचारिक शिक्षा आदि। "1951 मे यूनेस्को के सहयोग से दिल्ली सावजनिक पुस्तकालय मे ग्रामीण वयस्को के लिए चलते फिरत पुस्तकालयो की योजना आरम्भ की गई।"[2] इसके अतिरिक्त कई प्रौढ पाठशालायें खुलवाई गई, पचायतो को ये काय सौपे गये किन्तु परिणाम सतोषजनक नही निकले। सन् 1951 की तुलना मे देश मे 1961 तक निरक्षरो की सख्या मे वृद्धि ही हुई है। सन् 1951 म 20 करोड लोग निरक्षर थे, सन् 1961 मे 36 करोड लोग निरक्षर हो गये जबकि साक्षरता का प्रतिशत 1951 म 16 6 था और 1961 मे 24% तथा 1966 मे 28 6% तक वढ गया।"[3] यह अनुपात घटने की बजाय बढता ही जा रहा है जिससे यह विदित होता है कि सरकार द्वारा घोषित प्रौढ शिक्षा कायक्रमो को सम्बधित विभागो ने या तो गम्भीरता स नहीं लिया, या फिर निरक्षर जनता ने साक्षर बनना स्वीकार नही किया। यदि भारत की अशिक्षित जनता ने इसम रूचि दिखाई तो फिर अभी तक इसका समाधान क्यो नहीं हो सका। इससे स्पष्ट होता है कि स्वतन्त्र भारत के योजनाकारो ने ही इनको आगे फलने फूलने से रोका और स्वय को अधिक साधन सम्पन्न व खुशहाल किया।

योजनाकार बकरराय ने अपने लेख 'वे अपने नियमो का खेल खेलते हैं" मे योजनाकार का योजना से कितना वास्ता होता है इस सम्बन्ध म लिखत ह "देहात के गरीबो के नाम पर योजनाए बनाना आजकल फैशन सा बन गया है। इसमे "माडलो" का खेल दिखाकर और बड बडे चाट टाग कर विश्वास के साथ यह जताया जाता है कि योजनाकारो द्वारा सोची गई खास-खास परिस्थितियो मे लोगो की प्रतिक्रिया क्या होगी। अनपढ गरीब किसान और उसके बाल-बच्चो के फायदे के लिए सोची गई योजना पर उस किसान की क्या प्रतिक्रिया होगी, यह बताना तो योजनाकार के बायें हाथ का खेल है। पर असलियत एकदम अलग है।"[4] यह है हमारे योजनाकारो की योजनाए। ऐसी दशा मे हम कैसे अविश्वास न करें कि स्वातन्त्र्योत्तर भारत म प्रौढ-शिक्षा के योजनाकारो ने 80% जरूरतमद ग्रामवासियो के लिए दिल्ली, बम्बई, मद्रास व कलकत्ता म बैठकर योजना बनाई। किन्तु पुस्तकालय विज्ञान (कला) के क्षेत्र मे तथाकथित योजनाकार डा रगनाथन ने ऐसा कुछ होने से अपने आप को बचाया था। उन्होने सम्पूर्ण देश के लिए प्रान्त वार अलग अलग पुस्तकालय विकास की योजनायें सरकार के समक्ष प्रस्तुत की। स्वय के मद्रास राज्य म पुस्तकालय अधिनियम का सवप्रथम शुभारम्भ करवाया। ग्राम ग्राम घूमकर ग्रामीणो की मनोदशा, उनकी आवश्यकताओ का अध्ययन किया और सार प्रदेश म चल ग्रन्थालयो की व्यवस्था का प्रावधान किया। इसी प्रकार की सिफारिशें हर राज्य के लिए पुस्तकालय सलाहकार समिति के अध्यक्ष होने के नाते उन्होने की थी किन्तु शासन के उच्चाधिकारियो ने उनका वह सपना पूरा नहीं होने दिया। अब वह सपना ही है। इसी प्रकार भारत की सामुदायिक विकास एव पचवर्षीय योजनाओं

कहानिया हैं जिनके अध्यक्षा ने योजनाओ को साकार करने की अनुशमायें तो की किन्तु सम्बंधित विभाग के कायपालन अधिकारिया न क्या उन्हे पूण करन मे अपनी राष्ट्रीयता का स्वस्थ परिचय दिया ? नही। इसका एकमात्र पुष्ट उदाहरण है सम्पूण भारत के गावो की पचायतों में खाले गये पुस्तक-केन्द्र जिनका सम्बन्ध जिला-पुस्तकालय से रखा गया था, किन्तु इसी बीच पचायत एव समाज कल्याण विभाग द्वारा भी कुछ योजनाएँ प्रस्तावित की गइ थी जिसके अन्तगत ग्राम पचायत पुस्तकालयो मे ग्रामीण नागरिको को उनकी जरूरत की अध्ययन सामग्री पढने हेतु दी जानी थी। अत जिला ग्रन्थालयो के अधिकार-क्षेत्र समाप्त हो गये। इसका तीसरा कारण यह था कि जिला शिक्षा अधिकारियो न ग्रन्थालयो को दी गई वाहन (जीप) अपने अधिकार मे कर ली तब जिला ग्रन्थालय का सम्पक ग्रामीण पुस्तकालयो स समाप्त प्राय हो गया और पचायत विभाग ने पचायत पुस्तकालयो को अपन अधीन रखा। इन पुस्तकालया मे ही प्रौढ-शिक्षा कक्षायें क्रियान्वित करना प्रस्तावित थी। पचायत व समाज कल्याण विभाग ने कुछ समय तो इन्हे चलाया लेकिन सन् 1958–59 के आत आत तक ये सभी समाप्त हो गये और लगभग 1978 तक उनकी वही दशा रही। 1978 मे राष्ट्रीय प्रौढ शिक्षा कायक्रम के बाद फिर से इस ओर योजनाकारो व शिक्षाविदा का ध्यान गया है। फिर भी कोई कडी पहले से आती हुई अब भी छोड दी गई है वह है गाव-पुस्तकालयो के विस्तार व राष्ट्रीय पुस्तकालय नीति क बारे म, जिसके सूत्र म पूरा-दश बँधता है पूरा प्रौढ शिक्षा-कायक्रम सम्पन्न हो सकता है परन्तु अब जिन लोगो ने इस कडी को पकडा है उन्हे ही यह जानकारी देनी है कि पचवर्षीय योजनाओ म प्रौढ शिक्षा के कायक्रमो के साथ पुस्तकालयो की क्या भूमिका थी।

(1) प्रथम पचवर्षीय योजना (1951–1956)—यह देश की प्रथम योजना थी जिसमे 1952 के सामुदायिक विकास कायक्रम के तहत प्रत्येक राज्य मे जिला स्तर से प्रत्येक विकास खण्ड तक दो समाज शिक्षा अधिकारी (एक पुरुष एक महिला) नियुक्त किये गय (जो सम्भवत ग्राम सेवक एव ग्राम सेविका थे) दोनो अधिकारियो के मुख्य काय निम्न थे —

(अ) साक्षरता आदोलन चलाना (ब) ग्रामो मे वाचनालय स्थापित करना (स) प्रदशनियो का आयोजन तथा सांस्कृतिक एव मनोरजनात्मक कायक्रम की व्यवस्था करना था।

उपरोक्त आयोजनानुसार शिक्षा प्रसार म सक्रीय सहयोग प्रदान करने के उद्देश्य से पूरे देश म सन् 1955 मे *"ग्रन्थालय सुधार योजना"* कार्यान्वित की गई। जिला एव ग्राम स्तर पर वाचनालया एव पुस्तकालयो की व्यवस्था की गई।

इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण अचल म रहने वाले लोगो को शिक्षित बनाना एव पुस्तकालयो क माध्यम से शिक्षाप्रद पुस्तकें प्रदान करना था।

पुस्तकालय सुधार योजना से साक्षरता वृद्धि म काफी सफलता प्राप्त हुई। बाद म यह योजना सिफ कागज पर ही रह गई "प्राप्त आकड सिद्ध करत है कि 14 वष स अधिक के आयु-वग म अशिक्षित वयस्को की सख्या जो वष 1959 म 17 68 करोड थी, बढकर वष 1977 म अनुमानत 22 65 करोड हो गई'।[5] जनता वाचनालयो की स्थापना से भी कोई विशेष लाभ नही हुआ। निरक्षरो को साक्षर बनाने का लाभ पुस्तकालयो (जिला पुस्तकालय) क अधिकार समाप्त कर दिये गये। ग्राम सेवक कृषि काय मे लगा दिये गये। महिला ग्राम सेविकाओ को सांस्कृतिक एव मनोरजनात्मक कायकलापो म उलझा दिया गया। लम्बे समय स शुरू हुई योजनायें एक के बाद एक शुरू हुई और शीघ्र समाप्त होकर पुन नयी समस्या के साथ पदा हो गइ। प्रौढ शिक्षा अभियान जो सही मायने म जिला ग्रन्थपाल को चलाने थ वह शिक्षा अधिकारी समाज सेवा विभाग, पचायत विभाग और अव विभिन्न सस्थानो के अग हो गय।

अत 'यह कहना सम्भवत अतिशयोक्तिपूर्ण नही होगा कि सुव्यवस्थित पुस्तकालय सेवा की ओर सभी सम्बन्धित पक्षो की उदासीनता के कारण प्रौढ-शिक्षा तथा शिक्षा के गुणात्मक विकास की अन्य योजनायें अपने अपने निर्धारित लक्ष्यो के भौतिक पक्षो को प्राप्त न कर पायी और इस प्रकार राष्ट्रीय शक्ति तथा सभावना का वाच्छित उपयोग नही किया जा सका।"[6]

इस प्रकार प्रौढ शिक्षा की बुनियादी नीव का ढहना पुस्तकालयो की उपेक्षा से शुरु हुआ।

(2) द्वितीय पचवर्षीय योजना मे प्रौढ शिक्षा व पुस्तकालय (1957–1961)—यह योजना प्रथम योजना से कही विशाल थी जिसमे समाज शिक्षा की कक्षाओ का और अधिक विस्तार किया गया। समाज-शिक्षा के कायकर्ताओ एव सगठन कर्ताओं का प्रशिक्षण तथा प्रौढ शिक्षा साहित्य का प्रकाशन किया जाने लगा। मध्य प्रदेश राज्य मे केन्द्रीय शासन की मदद से इन्दौर म प्रथम समाज शिक्षा सस्थान की स्थापना की गई।

यूनेस्को एव अमरिका के सहयोग से 1956 म ही दिल्ली म "राष्ट्रीय मूल-भूत शिक्षा केन्द्र" खोला गया। 1958 म पुस्तकालय अध्यक्षो के अभाव की पूर्ति हेतु दिल्ली विश्व विद्यालय मे पुस्तकालय विज्ञान का केन्द्रीय सस्थान खोला गया। नव साक्षरो क लिए दिल्ली मे ही "राष्ट्रीय पुस्तक न्यास (National Book Trust) की स्थापना भी की गई। यह सब इसलिए किया गया ताकि ग्राम-ग्राम फैले तत्कालीन ग्रामीण पुस्तकालयो मे काय करने के लिए प्रशिक्षित ग्रन्थपालो का निर्माण किया जा सकें। इसी भावना से प्रत्येक राज्य मे पुस्तकालय विज्ञान शिक्षा क केन्द्र खोले गय। आज पूरे देश मे 48 विश्वविद्यालयो मे पुस्तकालय

विज्ञान का प्रशिक्षण दिया जाता है फिर भी ग्रन्थपाल लोक-पुस्तकालय अथवा राष्ट्रीय पुस्तकालय नीति के अभाव मे साक्षरता अभियान मे सहयोग देने स वचित है।

निश्चित ही "द्वितीय पचवर्षीय योजना काल म इस योजना को समुन्नत किया गया था। 1960-61 मे प्रौढ विद्यालयो की सख्या 62,895 और पाठको की सख्या 94,74,606 थी। इस वष प्रत्येक प्रौढ की शिक्षा पर 6 22 रुपय व्यय किय गये"। 1951 की तुलना म 1961 मे साक्षरता 17 से 24 प्रतिशत हो गई किन्तु निरक्षरो की सख्या 29 8 करोड से बढकर 33 4 करोड हो गई। *इस प्रकार साक्षरता के प्रतिशत वढन के साथ ही निरक्षरो की सख्या भी बढ़ती ही गई।*

(3) ततीय पच वर्षीय योजना मे प्रौढ शिक्षा एव पुस्तकालय (1962 66)– द्वितीय पचवर्षीय योजना काल म योजनाकारो शिक्षाविदो व राजनीतिज्ञो से प्रौढ शिक्षा के लिए जो काय हुए थे वह तृतीय पचवर्षीय योजनाकाल म विचारणीय नही बन पाये और योजना की मूलभूत दिशा ही बदल गई। देशकाल की परिस्थितिया ने इसे प्रभावित किया। भारत चीन युद्ध के कारण, सरकार का ध्यान इस ओर नही जा पाया फिर भी देश की समाज सेवा सस्थाओ न 'ग्राम शिक्षण मोहिम' जैसी सस्थाओ के द्वारा निरक्षरो को साक्षर बनान का बीडा उठाया।

तृतीय योजना मे यह काय और आग बढा और 1965-66 मे प्रौढ विद्यालय 2,16,812 तथा इनके पाठको की सख्या 16,47 541 हो गए। प्रत्येक प्रौढ पर इस वष 3 39 रुपय शिक्षा हेतु व्यय किया गया।"[8] अब तक यह दलील दी जाती रही कि जो अभी तक साक्षर बन है उनके लिए वाचनालय एव पुस्तकालय खोले गये। किन्तु उनम जाने वाले पाठक नही मिल अथवा ग्रन्था लयो पर ध्यान नही दिया गया अत उन्हे बन्द करने पर मजबूर होना पडा। हालाकि शिक्षा आयोग न अपनी सिफारिशो म पुस्तकालयो क विकास पर जोर दिया किन्तु उन सिफारिशो का क्रियान्वयन ही नही हो सका। शिक्षको को मालूम था कि यदि ग्रन्थपालो का महत्व बढ गया तो विद्यार्थियो की हमारे प्रति श्रद्धा क्या होगी, अत ग्रन्थालयो के द्वार अधिक दिन तक खुलने ही नही दिय गये।

(4) चतुथ पचवर्षीय योजना मे प्रौढ़ शिक्षा एव पुस्तकालय (1967-74)— जब दिना दिन निरक्षरो की फौज अधिक वढन लगी तो साक्षरता का प्रभावशाली बनाने के लिए ग्रामीण-शहरों मे पुस्तकालय खोलने की अनुशसाओ पर जोर दिया गया। फलस्वरूप देश भर मे पुस्तकालय खुल। किन्तु इनका कोई राष्ट्रीय काय क्रम नही बनाया गया। राष्ट्रीय कायक्रम बनाकर प्रौढ शिक्षा कायक्रम को भी इनके साथ जोडा गया होता और जिला ग्रन्थपाल के हाथ मे यह पूण काय सौपा

गया होता तो निश्चित ही कुछ अच्छे परिणाम आ सकते थे। खेद है, यह नही हो सका। इस योजना काल मे ही साक्षरता का प्रभावी बनाने के लिए "समाज शिक्षा के कार्यकर्त्ताओ और पुस्तकालयाध्यक्षो के प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई।" 1969 म एक एसी परियोजना चलाई गई जिसका उद्देश्य 10 प्रतिशत जिला म शत प्रतिशत निरक्षरता का उन्मूलन था। 1969-70 म समाज शिक्षा-सस्थाओ की सख्या 209,701 थी जिनम 21,85,795 प्रौढ पाठक थे। प्रति प्रौढ शिक्षा के लिए किया गया व्यय 2 89 रु० था।"[10]

चूँकि अभी तक गावो मे पुस्तकालयो का अस्तित्व पहले की तुलना मे कम हो गया था फिर भी ग्रन्थपालो का प्रशिक्षण प्रारम्भ रहा साथ ही गावो मे प्रौढ पाठशालाये चली ही नही तब भी समाज शिक्षा के कार्यकर्त्ता प्रशिक्षण पात रहे और देश की आर्थिक हानि होती रही। योजना के उद्देश्यो के अनुसार जिस प्रकार ग्रामीण जनता को साक्षर बनाने का उपक्रम था वह उतना सफल नही हुआ जितना होना था। जब तक सामुदायिक कार्यक्रम एव विकास खण्ड थे *तभी तक ये रहे बाद मे समाप्त हो गये। समाज कल्याण विभाग ने पचायतो* को जो ग्रन्थालय सौप रखे व शासन की गलत नीतिया का शिकार होकर बन्द पडे रहे।

यूनेस्को जैसी अन्तर्राष्ट्रीय सस्था ने इस क्षेत्र मे अवश्य ही प्रशसनीय काय किया। सस्था को विश्व मे अशिक्षा के बढते राक्षस का आभास हो गया अत उसने प्रत्येक देश को सहयोग प्रदान करने का सकल्प लिया। नव साक्षरो के लिए विभिन्न भाषा व लिपियो म पुस्तको का भारी सख्या म प्रकाशन किया। इसके विपरीत भारत की समाज सेवी सस्थाओ एव राष्ट्रीय प्रौढ शिक्षा परिषद को कोठारी कमीशन[11] ने जो उत्तरदायित्व सौपा था उस ओर इन्होने कोई ठोस कदम नही उठाये।

'वर्ष 1959 म शिक्षा मत्रालय, भारत सरकार द्वारा गठित पुस्तकालय परामर्शदात्री समिति तथा वर्ष 1965 मे योजना आयोग, भारत सरकार के कार्यकारी दल द्वारा की गई। विभिन्न सस्तुतिया म इस पक्ष पर विशेष बल दिया गया था और जन साधारण मे शिक्षा के विकास, प्रबुद्ध नागरिकता, सामाजिक तथा राजनैतिक जागरूकता के उद्देश्य से पुस्तकालयो के महत्व को बार-बार दोहराया गया है। दुर्भाग्यवश इनम से किसी भी समिति की सस्तुतियाँ, किसी न किसी कारणवश यथावत् कार्यान्वित नही हो सकी। अत देश की इस एकांगी शिक्षा का स्वरूप हमारे सामने है।"[12]

पिछले कुछ वर्षो से भारत-सरकार ने महाविद्यालयो एव विश्व विद्यालयो में एन सी सी तथा एन एस एस (राष्ट्रीय सेवा योजना) ईकाइयो की स्थापना कर साक्षरता कार्यक्रम को अवश्य प्रगतिशील बनाया है किन्तु इनकी सफलता

असफलता पर भी विद्वानों ने अपने विचार व्यक्त करते हुए लिखा "राष्ट्रीय सेवा योजना द्वारा भी विद्यार्थी प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में महान् काय कर सकते हैं और कर भी रहे हैं। इस सम्बन्ध में विद्यार्थियों को और अधिक प्रोत्साहन मिलना चाहिए तथा इस योजना का विस्तार गावों में अधिक किया जाना चाहिए।"[1]

यहा यह बात विचारणीय है कि योजनायें सदव ग्राम नागरिकों के लाभाथ बनाई जाती है किन्तु उसका व्यवहारिक पहलू कितना उपयोगी है यह उस योजना के सही क्रियान्वयन पर निभर करता है। यह हम मानते हैं कि राष्ट्रीय सेवा योजना के माध्यम से हमार विश्व विद्यालय एव महाविद्यालय के विद्यार्थी युवक युवतिया गाव-गाव गये। उन्होंने गाव और शहर की उस गहरी खाई को भी देखा जो अमीरी एव गरीबी रेखा बन कर ऊच एव नीच का भेदभाव अपना कर व्यक्ति, व्यक्ति मे निरन्तर अलगाव पैदा कर रही है। फिर भी भारत के युवा विद्यार्थियो ने सेवा भावना म उन्हे घर-परिवार, स्वास्थ्य, चिकित्सा एव साक्षरता की जानकारी दी। परन्तु क्या मात्र वष मे दो या तीन और वह भी अलग अलग गावों म दस दिन के शिविर लगा कर हस्ताक्षर करना सिखाने से निरक्षर ग्रामीण साक्षर हो सकेंगे या कि उनकी साक्षरता को पुख्ता बनाया जा सकेगा। उत्तर होगा नही ? इस प्रकार के शिक्षण से सिफ नाम लिखना सिखाया जा सकता है, निरन्तर शिक्षा पाने की प्रेरणा नही। अत मैं कहूँगा कि बेहतर यह होगा कि साक्षरता अभियान के सारे काय लोक पुस्तकालयों के माध्यम से माध्यमिक पाठशालाओं के पुस्तकालयों से चलाये जावे तो सफलता अधिक मिलेगी। पुस्तकालयों से प्रौढ शिक्षा कायक्रम के बारे म देश के अनेक ग्रन्थालयी व शिक्षाविद् कह चुके ह किन्तु राजनीतिक दलों के सदस्यों के व्यक्तिगत प्रलोभनों व अधिकारियों की लिप्सा न इसे कभी पूर्ण नहीं होने दिया, यही कारण है कि भारत म साक्षरता की वृद्धि एक प्रतिशत प्रतिवष के हिसाब से हो रही है।"[11] इस प्रकार की प्रगति से साक्षरता अभियान म कई दशक लग सकते हैं जो विश्व साक्षरता की दौड म कुछ भी नहीं है। पाँचवी पचवर्षीय योजना के तथाकथित कायक्रम से कुछ अधिक आशायें बंधी है, आशा है पाँचवी योजना कुछ बेहतर परिणाम दें सकें।

5 पांचवीं पचवर्षीय योजना मे प्रौढ़ शिक्षा और पुस्तकालय—(1975 79) विश्व की निरक्षरता का एक तिहाई जनसंख्या वाला भाग भारत म ही है जो शिक्षा म पिछड़ेपन का प्रतीक है। पिछली चार पचवर्षीय योजनाओं म इस ओर सतत् रूप से प्रयास हो रहा है फिर भी साक्षरता की वृद्धि की तुलना म निरक्षरों का प्रतिशत बढता ही जा रहा है। *'पाचवी योजना काल मे समाज शिक्षा के लिए* 35 करोड रुपये का प्रावधान किया गया था।" पाचवी योजना समाप्त होने के पूव ही छटी योजना का आधारिक काय प्रारम्भ हुआ जिसके लक्ष्यो पर हम आगामी

शीर्षकों मे चर्चा करेंगे। पाँचवी योजना मे निरक्षरा के लिए विभिन्न भाषाओं म पुस्तकें नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा प्रकाशित करने का लक्ष्य रखा गया जो पूर्णता की ओर अग्रसर है परन्तु क्या यह साहित्य उन 80% ग्रामीण तथा निरक्षरा के पास तक पहुँच रहा है, अभी तक प्रश्नचिन्ह बना है।

जिला पुस्तकालया की स्थापना व विकास म अवश्य ही प्रगति हुई है और इनके सग्रहो को बढाने म राजाराम मोहनराय फाऊन्डेशन लायब्रेरी न पुस्तका की पूर्ति कर अपने प्रशासनिक कत्तव्या को निभाया है। परन्तु इन पुस्तका का अन्य प्रौढ पुस्तकालयो अथवा पाठशालाओं से कम ही सम्पर्क हुआ क्योकि ग्रामो व विकास खण्डो के स्तर पर लोक पुस्तकालया की स्थापनायें ही नही हुई जिनका सम्पर्क जिला ग्रन्थालयो से हो सके। पुस्तकालय अधिनियम पारित राज्यो मे यह हुआ हो तो बात मानी जा सकती है परन्तु अन्य राज्य इस प्रक्रिया से दूर ही है। प्रौढ शिक्षा अभियान की यह दशा है कि कुछ राज्या (मद्रास आन्ध्रप्रदेश, महाराष्ट्र कर्नाटक व उडीसा) को छोडकर देश के अन्य राज्यो के प्रत्येक जिला म पूर्णत जिला ग्रन्थालयो की स्थापनायें नही हुई है और न ही उनका प्रौढ पुस्तकालया के रूप म उपयोगी सम्बन्ध ही है। जिला ग्रन्थालय शिक्षा विभाग के अन्तगत है और सम्पूर्ण जिलो के स्कूल से इनका सम्बन्ध है ना कि ग्रामीण लोक (पचायत अथवा सावजनिक) पुस्तकालया व वाचनालयो से। किसी भी ग्रामीण पुस्तकालय जो कि प्रौढ शिक्षा के उपयोग हेतु खोला गया है। जिला ग्रन्थालय से उन्हे कोई पुस्तकीय सहायता प्राप्त नही होती। प्रौढ शालाओं का अधिकाधिक सम्बन्ध राजनीतिक दलो की सक्रीय समाज-सेवी सस्थाओं, पचायत एव समाज सेवा विभाग तथा राष्ट्रीय प्रौढ शिक्षा परिषद् से ही है। इसके ही कायक्रमो के अनुसार अभी तक का यह जटिलतम योजना काय चल रहा है। योजना की असफलताओ व बढती हुई अशिक्षा की दर ने तत्कालीन शासन को प्रभावित किया। अत तत्काल 2 अक्टूबर 1978 को पाचवी पचवर्षीय योजना काल के अन्तिम वष म राष्ट्रीय प्रौढ शिक्षा का वृहद् कायक्रम केन्द्रीय शासन ने घोषित किया।

"2 अक्टूबर, 1978 से 40 000 प्रौढ शिक्षा केन्द्र खोलकर 1978 83 की अवधि म 15 से 35 आयु वग के 6 5 करोड निरक्षरो को साक्षर बनाने का सकल्प किया गया है। इस काय के लिए दो अरब रुपये का प्रावधान किया गया है। प्रत्येक प्रौढ की शिक्षा पर लगभग 80 रुपये व्यय होगा और आगामी पाच वर्षो म 6 अरब 86 करोड रुपये व्यय का अनुमान किया गया है।"[15]

निरक्षरता के दैत्य का एक सबसे बडा कारण हमारे देश की बढती जन सख्या भी है। जब तक हम देश के तमाम निरक्षरा को साक्षर बनाने का सकल्प करते है तब तक करोडो उम्मीदवारो की लाईन पढने वाला मे लग जाती है, इन्ही मे कुछ बीच म ही पढना छोड देते है। ऐसी भीड मे बचने के लिए उन तमाम निरक्षरा को साक्षर बनाना जरूरी है जो जनसख्या बढाने म अपना योगदान जाने-

अनजान दे रहे हैं। दिनमान में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, "साक्षरता जनस
नियन्त्रण का सबसे कारगर अस्त्र है। अपने देश में केरल इसका लाजवाब उदाह
है जहा साक्षरता शत प्रतिशत है और जन्म दर भारत में सबसे कम। 1951
1981 के बीच हमारे देश म साक्षरता दुगुनी तो हो गयी है लेकिन अभी भी
प्रतिशत महिलाए निरक्षर है।"[16]

इससे यह स्पष्ट होता है कि प्रजनन के लिए जिम्मेदार महिलाओं का सा
होना बहुत जरूरी है तभी वे जनसख्या के साथ साथ गरीबी, भुखमरी व निरक्ष
के समाधान म महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकेगी। सविधान में हमने उन्हें बरा
अधिकार एव कर्त्तव्य प्रदान किये हैं। इस हिसाब से उन्ह "कहने को हम यह
हैं कि परिवार व समाज म महिलाओ की भूमिका महत्वपूर्ण है किन्तु जब उ
सुविधायें देने का प्रश्न उठता है तो हम अपनी योजनाओ म कोई स्थान नही देन
किन्तु पिछले कुछ वर्षों से महिलाओ की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है
मध्य प्रदेश राज्य में तो मुख्यमन्त्री अर्जुनसिंह ने स्नातक स्तर तक महिलाओ
शिक्षा को नि शुल्क घोषित कर दिया है। अखिल भारतीय महिला परिषद् भी
और क्रियाशील हैं। बगलौर में सम्पन्न दो दिवसीय प्रथम महिला कॉंग्रेस में केन्द्र
शिक्षा एव समाज कल्याण मन्त्री श्रीमती शीला कौल ने महिलाओ को समान भाग
दारी हेतु प्रस्ताव पेश किया (15-16 सितम्बर, 1984)

इन बातो से यह उम्मीद और बढी है कि भारतीय महिलायें भी अ
पिछड़ेपन से उभरने का प्रयत्न कर रही है जो एक साहसिक प्रयास है। इसी
साथ सम्पूर्ण भारतवर्ष में राष्ट्रीय प्रौढ शिक्षा का जो कार्यक्रम 1978 के बाद
बना है उसके अन्तर्गत प्रतिवर्ष निम्नानुसार प्रौढ निरक्षरों को साक्षर बनाने
लक्ष्य निर्धारित किया गया है।[17]

1978-79—15 लाख
1979-80—45 लाख
1980-81—90 लाख
1981-82—190 लाख
1982 83—320 लाख
1983 84—350 लाख

(6) छटवीं पचवर्षीय योजना में प्रौढ़ शिक्षा एव पुस्तकालय- यह योजन
1980 से 1985 तक चली जिसमे शिक्षा एव सस्कृति के विकास हेतु 2,52
करोड़ रुपयो का प्रावधान रखा गया। 1981 की जनगणना के अनुसार देश
साक्षरता का प्रतिशत 36 17 आका गया। 1980 तक देश में 108 विश्वविद्याल
थे जो 1986 तक 12 हो गये। महाविद्यालय 3376 से बढकर 5000 तक हो
गये। जैसा कि शिक्षा आयोग (कोठारी कमीशन) 1964 66 ने प्रौढ़-शिक्ष

(Adult Education) की देश के लिए आवश्यकता प्रतिपादित करते हुए अपने महत्वपूर्ण कार्यक्रम मे निम्नलिखित बातो को प्राथमिकता देकर उल्लेख किया।

(1) निरक्षरता का उन्मूलन।

(2) अनवरत शिक्षा।

(3) पत्राचार पाठ्यक्रम।

(4) पुस्तकालय।

(5) प्रौढ शिक्षा म विश्व-विद्यालयो का काय।

(6) प्रौढ-शिक्षा का सगठन तथा प्रशासन।

उपरोक्त कायक्रमो मे ग्र थालय के कार्यो के सदभ मे भी आयोग ने सुझाव दिये थे कि—

1 पुस्तकालय-सलाहकार समिति (Advisory Committee on Libraries) ने सम्पूर्ण देश मे पुस्तकालयो का एक जाल-बिछाने का जो सुझाव दिया है, उसे कार्यान्वित किया जावे।

2 विद्यालयो के पुस्तकालया को सावजनिक पुस्तकालयो के रूप म सगठित किया जाय और उनमे बच्चो तथा नव-साक्षरो (New Literates) की रुचिया के अनुसार पठन-सामग्री को स्थान दिया जाय।[18]

यह तो देश मे नहीं हो सका किन्तु देश मे "राष्ट्रीय-पुस्तक न्यास" ने पुस्तक प्रदशनियो के माध्यम से नागरिको मे पढने की रूचि बढाने के प्रयत्न जरूर किए। राजाराम मोहनराय फाउण्डेशन ग्रन्थालय ने लोक ग्रन्थालयो को पुस्तकें वितरित कर अध्ययन प्रोत्साहन मे महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया एव अब भी कर रहा है। उधर राष्ट्रीय साक्षरता कायक्रम के विस्तार हेतु नेहरू-युवक केन्द्रो की स्थापना पूरे देश मे की गई। विश्वविद्यालयो को राष्ट्रीय प्रौढ-शिक्षा मे सहयोग देने हेतु विश्व विद्यालय स्तर पर राष्ट्रीय प्रौढ एव सतत् शिक्षा केन्द्रो की स्थापना की गई। इन केन्द्रो मे सम्बद्ध महाविद्यालय इकाईयो को प्रौढ शिक्षा केन्द्र खोलने की जिम्मेदारी दी गई जिन्हे चलाने मे महाविद्यालय विद्यार्थियो का सहयोग भी लिया जा रहा है।

14 जून, 1982 को प्रधानमन्त्री द्वारा नवीन घोषित 20 सूत्रीय कायक्रम के 16वें सूत्र के अन्तगत वयस्को मे निरक्षरता दूर करने के काम म स्वय सेवी सस्थाओ और छात्रो से सहयोग लेना निर्धारित किया गया। वार्षिक योजना वष 1981 82 म योजना आयोग ने भी प्रौढ शिक्षा के विस्तार के लिए "प्रौढ शिक्षा निदेशालयो के पुनगठन और पयवेक्षण तन्त्र को बढाने के प्रयत्नो के बारे म लिखा। इस कायक्रम का विश्व विद्यालयो और नेहरू युवक केन्द्रो के जरिए विस्तार किया जाता रहेगा। सुविख्यात स्वैच्छिक अभिकरणो को इस कायक्रम से सम्बद्ध किया जाता रहेगा। साक्षरता कायक्रम के अलावा ग्रामीण पुस्तकालयो और नव-साक्षरो

के लिए उपयुक्त साहित्य तैयार करके उपयुक्त अनुवर्ती कायवाही सुनिश्चित करने के लिए प्रयत्न किये जायेंगे।"19

इन प्रयासो से सम्भावनायें प्रबल होती दिखाई पडती है और सातवी पचवर्षीय योजना (1985-90) मे लाक पुस्तकालया के व्यापक विकास पर योजना आयोग के कायकारी दल ने जा ग्रथालय एव सूचना सवाग्रो के आधुनिकीकरण के सदभ मे अपना मत व्यक्त किया है।20 उसने यह विश्वास और भी मजबूत हा जाता है कि, देश मे शिक्षा के स्तर का उन्नत करने हेतु जब खुले विश्व-विद्यालया, पत्राचार-पाठ्यक्रम विश्वविद्यालया एव सतत् शिक्षा केन्द्रो का निरन्तर जाल फैलता जा रहा है, तब ग्रथालय एव सूचना कद्रा की अत्यन्त आवश्यकता महसूस की जा रही है।

हम सभी अच्छी तरह जानते ह कि उपराक्त सभी साधना के लिए ग्रथालय साधनो को अनदेखा नही किया जा सकता। इह जितना अधिक उपक्षित रखा गया है उतनी ही अधिक इनकी आज आवश्यकता पूर देश का है। इनक विकास पर अतिशीघ्र गम्भीरतापूवक सोचने की आवश्यकता है तभी हम शिक्षा के मापदण्डो को पा सकेंगे और राष्ट्रीय विकास मे सफल हा सकेंग।

सदभ —

1 जायसवाल (सीताराम) प्रौढ-शिक्षा की पृष्ठ भूमि प्रौढ शिक्षा विशेषाक, आगरा विनोद पुस्तक मन्दिर, 1978 पृ 27

2 पाठक (पी डी) भारतीय शिक्षा एव उसकी समस्यायें, विनोद पुस्तक मन्दिर आगरा *1982*, पृ *464*

3 वर्मा (मोरध्वज) प्रौढ शिक्षा दर्शन प्रौढ शिक्षा विशेषाक, आगरा, विनोद पुस्तक मन्दिर, 1978 पृ 36-37,

4 याजना, (मा) नयी दिल्ली, योजना भवन, अक 12-13 वष 28 अगस्त 1984

5 प्रौढ शिक्षा और पुस्तकालय, इलाहाबाद, वोहरा पब्लिशस एण्ड डिस्ट्रीब्यूटस 1980, पृ 118 सम्पादक भास्करनाथ तिवारी

6 प्रौढ शिक्षा और पुस्तकालय इलाहाबाद वोहरा पब्लिशर्स एण्ड *डिस्ट्रीब्यूटस 1980, पृ 118 सम्पादक भास्करनाथ तिवारी*

7 प्रौढ शिक्षा और पुस्तकालय इलाहाबाद, वोहरा पब्लिशस एण्ड डिस्ट्रीब्यूटस 1980, पृ 34 सम्पादक भास्करनाथ तिवारी

8 प्रौढ शिक्षा और पुस्तकालय, इलाहाबाद, वोहरा पब्लिशस एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स 1980 पृ 34 सम्पादक भास्करनाथ तिवारी

9 पाठक (पी डी) भारतीय शिक्षा और उसकी समस्यायें, आगरा, विनोद पुस्तक मन्दिर, 1982 पृ 467

10 तिवारी (भास्करनाथ) सम्पादक प्रौढ शिक्षा और पुस्तकालय, 1980 पृ 34

11 कोठारी कमीशन (1964 66) सुझाव (1) पुस्तकालय सलाहकार समिति के सुझावों का क्रियान्वयन पूरे देश मे हो (2) विद्यालय पुस्तकालयों का सावजनिक उपयोग तथा (3) पुस्तकालय गतिशील हों।
12 प्रौढ शिक्षा और पुस्तकालय पृ 119
13 साहित्य-परिचय (मा) का प्रौढ शिक्षा विशेषांक, आगरा विनोद पुस्तक मन्दिर, 1678 पृ 204
14 भारतीय शिक्षा एव उनकी समस्याग्रा म डा मुकर्जी व ओड के उद्धत विचार आगरा विनोद पुस्तक मन्दिर, 1982 पृ 467
15 प्रौढ शिक्षा और पुस्तकालय, 1980, पृ 34
16 दिनमान (साप्ताहिक) नयी दिल्ली, हि टा हा (18 24) 9-15 सितम्बर 1984, पृ 23
17 प्रौढ शिक्षा और पुस्तकालय 1980 पृ 35
18 जौहरी (जी एम डी) तथा पाठक (पी डी)भारतीय शिक्षा का इतिहास आगरा, विनोद पुस्तक मन्दिर 1981, पृ 455-56
19 योजना आयोग (1981-82) भारत सरकार वार्षिक योजना, पृ 126
20 India (Planning Commission) Modernisation of Libra ries and formatics (working Group for 7th Five year plan 1985-90) Report 1984 New Delhi P V

25

वर्तमान भारत में ग्रामीण-पुस्तकालयो का भविष्य

इस ग्रन्थ को प्रस्तुत करने का उद्देश्य ही भारत म ग्रामीण पुस्तकालयो क भविष्य पर विचार करने का रहा है। पिछले अध्यायो म हम देख चुके हैं कि किस प्रकार योजनाओ की गिरफ्त मे आकर ग्रन्थालय विकास सम्बन्धी विचार शैक्षणिक विकास के प्राथमिक स्तरो स हटत गय और समाज शिक्षा की व्यापक तैयारियो म ग्रन्थालय को केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बाड ने महत्व दिया, फिर भी जब प्रौढ-शिक्षा कायक्रमो को समाज-कल्याण विभाग विकास खण्ड व सामुदायिक विकास विभाग को सौंपा गया तब से सावजनिक ग्रन्थालयो की विकास सम्भावनाओ को काफी क्षति पहुँची। यद्यपि ग्रन्थालयो की कमी को आज भी प्रत्येक गाँव शहर व शिक्षा सस्थाओ मे महसूस किया जा रहा है, । शिक्षण नीतियो के बदलाव मे ग्रन्थालयो की अनिवायता का अनदेखा किये जाने के कारण ग्रन्थालय-सेवा व उनके विकास की गति सन्तोषप्रद कदापि नहीं कही जा सकती। डा श्रीनाथ सहाय ने इस बात पर टिप्पणी करत हुए लिखा है कि "देश से निरक्षरता दूर करने और शिक्षित जन समुदाय मे पठन रूचि प्रोत्साहित करन की भारत सरकार की स्वीकृत और घोषित नीति क बावजूद पुस्तकालय विकास से सम्बद्ध विभिन्न परियोजनाओ को क्रियान्वित करने के लिए सरकार की क्रियाशीलता उत्साहवधक नही रही है।"[1]

मानव की पढने की लालसा और शिक्षा के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण ने ग्रन्थालयो की आवश्यकता की अवधारणा को पुष्ट किया है साथ ही कुछ प्रयासरत सगठनो व समाज सेवी सस्थाओ न अपन व्यक्तिगत त्याग और परिश्रम से सावजनिक ग्रन्थालय सुविधाओ का जुटान म प्रयास किए। जहाँ की राज्य सरकारो ने पुस्तकालय विधान पारित कर अपने प्रदश की जनता की अध्ययन रुचियो, व निरक्षरता के प्रतिशत को घटान का लक्ष्य सामने रखा, व शैक्षणिक समस्याओ के प्रभाव से मुक्त हैं। किन्तु एसे राज्य दशभर मे सिफ पाँच हैं। अत इनमें वृद्धि की आवश्यकता है। प्रौढ शिक्षा का काय राष्ट्र की निरक्षर जनता को साक्षर समझदार और जागरूक बनाना है ताकि परिवार कल्याण कायक्रम जनसख्या शिक्षा एव पर्यावरणीय शिक्षा के माध्यम से समाज मे सन्तुलन व शुद्धता बनाये रखने मे पढे लिखे लोगो का सहयोग लिया जा सक।

जिस रफ्तार से गावा की काया कृषि परिवहन खाद, बीज परिवार-कल्याण, सामुदायिक विकास एव शिक्षा के क्षेत्र मे पिछले 40 वप से बदलती जा रही है उसी विकास की दिशा मे पढने का और वाचनालय खोलने व साहित्य गाँव गाँव पहुँचाने का काय अभी तक नही हो पाया है। "विभिन्न दशो की सरकारें अपने अपने दश मे शिक्षा के प्रसार मे लगी हुई है। पुस्तकालय और पुस्तकालयाध्यक्ष उसे काय म अपना पूण सहयोग द सक्ते है व द रहे है। प्रौढ शिक्षा के माध्यम से जन सम्पक बढाया जा रहा है। पुस्तकालय प्रौढ शिक्षा-अधिकारियो व जनता के मध्य महत्त्वपूण कडी है। सास्कृतिक व शक्षणिक कायक्रमो द्वारा वे एक ओर तो प्रौढ शिक्षा अधिकारियो से सहयोग करत ह तथा दूसरी ओर जनता मे प्रौढ शिक्षा के प्रति जिज्ञासा उत्पन करत है।"[2]

हमारे दश मे 'राजाराम मोहनराय फाउण्डेशन लायब्रेरी' तथा नशनल बुक-टस्ट इस दिशा म अच्छा काय कर रह है किन्तु राज्यो म ग्रन्थालय विधान के क्रियान्वन के अभाव मे उक्त सस्थाओ का सहयोग द्वार मे द्वार तक नही हो पा रहा है। सावजनिक ग्रन्थालयो के मुख्य केन्द्रीय ग्रन्थालयो म फाउण्डेशन की पुस्तकें आती है पर उन्ह ग्राम पचायनो की लाइब्रेरियो तक पहुँचाने की कोई व्यवस्था नही है। नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा जितने भी पुस्तक मले व प्रदशनिया लगती रही है, उनकी सीमायें बडे शहरो तक ही रही है। ग्रामा की जनता ने अभी तक ग्रन्थ मेलो, उत्सवो तथा पुस्तक प्रदशनियो के दशन तक नही किये है। उनमे अध्ययन की रूचि प्रोत्साहन हेतु ही राष्ट्रीय-पुस्तक-न्यास पुस्तक मेला का आयोजन करता आया है, किन्तु विचारणीय बात यह है कि ग्रामीणो के पास वे माध्यम ही नही है जिनसे ग्रामीणा को दश भर म प्रकाशित ग्रन्थो को पढन का अवसर मिल सके। ऐसे सशक्त माध्यम हैं ग्राम ग्रन्थालय, पचायत वाचनालय एव ग्राम विद्यालयो के ग्रन्थालय। गावा तक ग्रन्थो को पहुँचाने म राष्ट्रीय पुस्तक न्यास को क्या करना चाहिए इसके सन्दभ मे हिन्दी प्रकाशक के "सम्पादक" का कथन है कि 'नशनल बुक ट्रस्ट को बड नगरो का मोह छोडकर छोट नगरों कस्बो और गावो की ओर तजी से मुड जाना चाहिए। जिन लोगा म पढने की आदत डालनी है और जिनकी पढन की रूचि का विकास करना है व वास्तव मे इन्ही स्थानो पर रहते है।"[3] यदि इन्ही स्थानो (ग्रामो म) पर पूव से ग्रन्थालय हो और उनम ट्रस्ट की सभी प्रकाशित पुस्तकें पूव से ग्राम वासिया को पढन का मिलती रही हो तो मेले लगाने का और अधिक लाभ ट्रस्ट का होगा, साथ ही जनता भी लाभान्वित होगी। इसका मतलब यह हुआ कि गाव म पुस्तक-प्रदशनियो, मेले अथवा पुस्तक-समारोह आयोजित किए भी जाय परन्तु यदि ग्रामीणा की क्रय-क्षमता ग्रन्थो के लागत मूल्य से भी कम हुई तो ग्रामवासी ग्रन्थ क्रय से वचित रह जायेंगे। क्योकि आजकल ग्रन्था की कीमतें भी आसमान का छू रही हैं। सामान्य पाठक की क्रय शक्ति के बाहर ही इनका मूल्य होता है, अत बहुतर

होगा कि ग्रामीण जनता को ग्रन्थालयों के मार्फत ही अच्छा साहित्य पढ़ने को प्रदान किया जाये।

अब प्रश्न है गावों में ग्रन्थालय कैसे खुले क्या सिर्फ पचायतें ही इन्हें स्थापित करें या जिला पचायत, कार्यालय अथवा विकास खण्ड अधिकारी या फिर जिला ग्रन्थालय गावो मे ग्रन्थालय खोलने की पहल करें ? कौन सा विभाग ग्रन्थालय को विकसित करने का काम करें ? ग्राम पचायतें, पचायत विभाग के अन्तर्गत होती हैं। प्रौढ शिक्षा विश्वविद्यालय के सतत प्रौढ शिक्षा एव क्रियात्मक साक्षरता विभाग समाज कल्याण विभाग अथवा ग्रामीण क्रियात्मक साक्षरता विभाग से चलती है और जिला ग्रन्थालय, शिक्षा अधिकारी के अधीनस्थ काय करते है ऐसी भिन्न भिन्न अवस्थाओ मे ग्रामीण पुस्तकालयो का सगठन किस विभाग पर हो यह निश्चित कर पाना कठिन है। केन्द्रीय प्रौढ शिक्षा निदेशालय एव विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा घोषित कायक्रमो में ग्रन्थालय खोलकर प्रौढ-कक्षायें चलाने के स्पष्ट सकेत नही हैं फिर भी जिन उपायो को अपनाकर निरक्षरो को साक्षर बनाया जा रहा है, अद्ध साक्षरो को खुले विश्वविद्यालयों द्वारा पत्राचार पाठ्यक्रम की सुविधायें दी जा रही हैं और जो पढे-लिखे हैं उन्हे सतत् शिक्षा व अध्ययन की सामग्री जुटाने का उपक्रम किया जा रहा हैं, *ग्रन्थालयों व चल पुस्तकालयो का विकास इन सब गतिविधियो के लिए* आवश्यक है।

"रात्रि पाठशालाओ और प्रशिक्षण केन्द्रो की स्थापना के साथ साथ जन पुस्तकालय भी खोलना अत्यन्त आवश्यक है। प्रत्येक स्तर जैसे—राज्य, जिला तहसील, ब्लाक तथा पचायत सभी स्तरो पर पुस्तकालयो की व्यवस्था होनी चाहिए, जिनमे अशिक्षित प्रौढ व्यक्तियो को उपयुक्त पुस्तकें और पत्र पत्रिकायें उपलब्ध हो। यदि चल पुस्तकालय का प्रबन्ध हो सके तो और भी उत्तम होगा।"[4] इस तरह के प्रबन्ध से अध्ययन को प्रोत्साहन व पुस्तक-सस्कृति (*Book Culture*) का विकास किया जा सकता है। ग्रन्थालयो के विकास पर बार-बार जोर देने का तात्पर्य यही है कि आज हमारे गाव तथा गाव के विद्यालय ग्रन्थालय विहीन है जिनके न होने से शिक्षा सस्कृति लगड़ाती चल रही है।

शिक्षा के लगडेपन को ग्रन्थालय रूपी बसाखी का सहारा बहुत जरूरी है। गावो का जो भी माहौल बनता जा रहा है उसमे परिवर्तन लाने का यह एक सुलभ तरीका होगा। आधुनिक जीवन-स्तर के साथ आधुनिक विचारो का समावेश एक अच्छे वैचारिक वातावरण से ही आ सकता है। यह वैचारिक मान-ग्रन्थो से युक्त ग्रन्थालयो से ही निर्मित होगा। गावों मे बसी 70% जनता शिक्षा विकास का स्थायी हल बिना सावजनिक ग्रन्थालयो के प्राप्त नहीं कर सकती। लोक-व्यापी शिक्षा का प्रचार प्रसार करने का सरल माध्यम ग्रन्थालय है जिन्हे देश विदेश की सरकारो ने भी मान्यता प्रदान कर अपनाया है।"[5]

भारतीय ग्रामीण परिवेश एव शिक्षा के गिरते मूल्यो को देखते हुए ग्रन्थालय आन्दोलन को तीव्र करने की बात सोचनी चाहिए व राज्य सरकारो को चाहिए कि वे शीघ्र ग्रामीण विकास की तमाम योजनाओ के साथ ग्रन्थालयो को भी जोडे और ग्रन्थालय विधान हेतु प्रयत्न करें। वैसे भी ग्रामीण जन जीवन मे क्रमश बढती जा रही आधुनिकता, फैशन, वैज्ञानिकता एव रहन-सहन की नवीनता के कारण जहा एक ओर लोगो के दैनिक क्रियाकलापो मे अन्तर आया है वही दूसरी ओर उनकी सोच उनके काय करने के ढग, उनकी बातचीत का तौर-तरीका और उनकी पढने की रुचिया भी बढी है। उनकी रूचियो एव मानसिकता के अनुकूल उन्हे ज्ञानार्जन सम्बन्धी साहित्य ग्रन्थालयो के अभाव के कारण नही मिल पा रहा है। इसलिए शहरी सम्पर्क के परिणामस्वरूप गाँवो की युवा-पीढी फिल्मी पत्रिकाओ, प्रेम व अपराध कथाओ, सत्यकथाओ व यौन विकृतियो को प्रोत्साहित करने वाली पत्रिकाओ को खरीदकर पढते है, यह एक दुगु ण गावो मे घुस गया है।

श्री मुश्ताक अहमद ने नवसाक्षरो के लिए ग्रन्थो के बारे मे लिखा है कि "एक दफा मेरे यहाँ कुछ मजदूर काम कर रहे थे। मैंने उनसे पूछा—क्या तुम्हारे पास कोई ऐसी पुस्तकें है, जिसे तुम अपने खुद अपने पैसो से खरीदा हो। उनमे से एक बोला—हाँ साहब मेरे पास है। मैं कल लाकर दिखाऊँगा। दूसरे दिन जो पुस्तकें वह लाया, वे थी—ढोलामारू का गौना बलख बुखारा की लडाई, लैला मजनू ऊदल हरण मछिला हरण, किसान की लडकी और सुषमा देवी (एक प्रायमरी स्कूल टीचर की कहानी) ये सबकी सब पुस्तकें पीले कागज पर छपी थी"। उन्ही पुस्तको को न केवल वह मजदूर बल्कि उसके साथी भी बड चाव से पढते थे।"[6] इसका कारण भी ग्रन्थालयो की सुविधाओ का न होना ही है। स्वाधीनता काल से ही इन बातो पर ध्यान दिया होता तो शायद आज जो गाँवो मे अपराध, चोरी, डकैती मनमुटाव व गरीबी व निधनता की छाया देखने को मिल रही है उसका कुछ प्रतिशत तो कम होता। कृषि विकास के क्षेत्र मे जिस तरह कृषि अनुसधान वैज्ञानिको ने कृषि प्रसार शिक्षा एव विस्तार योजनाओ को कृषको के खेतो तक पहुँचाकर कृषि उन्नति को एक नया मोड दिया और कृषि वैज्ञानिक अनुसधान सस्थान निरन्तर इस ओर प्रगति कर रहा है। 1979 मे 'प्रयोगशाला से खेत तक" राष्ट्रीय कायक्रम शुरू किया गया। इस कायक्रम का उद्देश्य यह था कि प्रयोगशाला और किसानो के खेतो के परिणामो मे भारी अतर को कम किया जाये। विशेषकर छोटे किसानो के मामले मे। दूसरा उद्देश्य यह था कि भूमिहीन और गरीब किसानो को मुर्गी खरगोश, बकरी, सूअर, गाय, भैस तथा मछली पालन और पुदीने उगाने जैसे आसान वैज्ञानिक उपायो द्वारा अधिक आमदनी करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। इस कायक्रम मे कृषि अनुसधान सस्थाओ तथा कृषि विश्वविद्यालयो के वैज्ञानिको को भी शामिल किया गया।"[7] इस योजना का लाभ ग्रामीण कृषको को मिलेगा और वे कृषि-विकास मे तरक्की करेंगे ही, पर साथ मे किसानो को ग्रन्थालयो

के माध्यम से कृषि व खेती गृहस्थी का साहित्य भी पढ़ने को मिलता रहे तो वैज्ञानिक को समझने में जो कठिनाइयां होती हागी वे नहीं हो पायगी।

दूसरी ओर इसी प्रकार का प्रयास निरक्षरता निवारण हेतु शिक्षा का मूलभूत केन्द्र मे प्रशिक्षण प्राप्त पुस्तकालयाध्यक्षो द्वारा प्रौढ-साक्षरता कायक्रम म किया जाता तो 40 वष मे निश्चित ही अशिक्षा रूपी समस्या भारत से समाप्त हो गई होती। "राष्टीय पुस्तक न्यास स्थापित कर पुस्तका के प्रकाशन और पुस्तकालय विज्ञान के सस्थान द्वारा ग्रन्थपालों क प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई।"[8]

जिस उद्देश्य मे ग्रन्थालय-विज्ञान व सूचना के मूलभूत केन्द्र की दिल्ली मे स्थापना की गई थी उसका लक्ष्य था कि वहा से प्रशिक्षण पाकर जो पुस्तकालयाध्यक्ष निकलेंगे उन्ह सावजनिक ग्रन्थालयो म नियुक्त कर ग्राम पुस्तकालयो मे भेजकर प्रौढ-शिक्षा कायक्रम मे सहयोग लिया जायेगा, किन्तु यह नही हो सका। आज देश भर के लगभग 65 विश्वविद्यालयो व सस्थानो मे पुस्तकालयाध्यक्षा को प्रशिक्षण दिया जाता है किन्तु ये सारे के सारे प्रशिक्षित होकर भी अपनी सेवायें नही द पाते। इसका एकमात्र कारण यहा है कि प्रौढ शिक्षा अथवा ग्रामीण शिक्षा के विकास कायक्रम म ग्रन्थालयो को राष्ट्रीय नीति के अभाव मे शामिल नही किया गया है। इन्ही कारणो ने ग्रन्थालयो की उपयोगिता का निरक्षरता निवारण काय क्रम म महत्वपूण बताते हुए दत्तात्रय कवि नागशकरराव[9] का यह विश्वास है कि इस भयकरतम काय को ग्रामीणो एव आदिवासी लोगो के बीच सिफ पुस्तकालय ही अच्छी तरह से कर सकत हैं। इसम विल्कुल भी अतिशयोक्ति या सन्देह नही है गावो की प्रगति मे ग्रन्थालयो का बहुत बडा योगदान हो सकता है बशर्ते कि हर ग्राम-पचायत मे नागरिको के लिए और ग्राम-विद्यालय म बालको के अध्ययन हेतु सत्साहित्य से युक्त श्रेष्ठ ग्रन्थालय खोले जायें। शिक्षा एव युवक कल्याण मत्रालय द्वारा 1957 मे प्रकाशित ग्रन्थालय परामश समिति के प्रतिवेदन और उनकी अनुशसाओ को ही भारत सरकार व राज्य सरकारें व्यवहारिक रूप प्रदान करने का प्रयास करें तो लोक ग्रन्थालयो की दशाएं व दिशायें सुधर सकती है। डा एस आर रगनाथन न ग्रन्थालयो को जिन दायित्वो का निर्वाह कर अपनी सेवाओ से पाठको को प्रभावित करने की बात कही है उसका उद्देश्य ग्रन्थालयो को लोकप्रिय बनाने से है। उनका यह विश्वास रहा है कि "ग्रन्थालय एक जन-सस्था अथवा सस्थापन है जिस पर ग्रन्थ सग्रह की देखरख का भार है। उसको पुस्तकों का उन व्यक्तियो के लिए सुलभ बनाना चाहिए जिनकी उनको आवश्यकता है। अपने पडोस के प्रत्येक व्यक्ति को ग्रन्थालय आने का अभ्यस्त तथा पुस्तको के पाठक के रूप में उसको समर्पित कर देने का काय करना उसका कत्तव्य है।"[10]

इस कत्तव्य का निर्वाह करने के लिए ग्रन्थालय एव ग्रन्थालयी दोनो को ही सेवा के अवसर मिलने चाहिए। यदि ग्राम ग्राम ग्रन्थालय हो, समाज शिक्षा के साथ

साथ ग्रन्थपाल को भी ग्रन्थालय प्रचार प्रसार व प्रौढ़ शिक्षा मे अध्यापन सेवा का अवसर मिले तो ग्रामीण अशिक्षा के वातावरण को समाप्त करने म सहयोग दे सकते है। साथ ही भारत के राज्य, ग्रन्थालय विधान पारित कर अपने प्रदेशों मे ग्रन्थालयो का जाल बिछा देते हैं तो अभी तक जितने भी प्रशिक्षित ग्रन्थालय व्यवसायी हैं उन्हें भी अन्य बेरोजगार युवको की तरह अस्थायी (दैनिक वेतनमान सेवा का अवसर मिलेगा और गांव-गांव जाकर व ग्रन्थालय प्रचार प्रसार के साथ लोक साक्षरता के विकास म मदद पहुँचायेंगे। किसी भी राष्ट्र को अपने विकास के प्रारम्भिक चरण म अपने नागरिको को जो सुविधायें, व्यवस्थायें एवं अनुकूल वातावरण देने की आवश्यकता पडती है उनमे सर्वप्रथम ध्येय योग्य नागरिको का निर्माण होता है। योग्य नागरिक तभी बनाये जा सकते हैं जब राज्यो मे जनता की सुख-समृद्धि, शिक्षा व जीवन-यापन के अवसर समान हो। शिक्षा का स्थान मानवीय विकास की दृष्टि से प्रमुख होता है। शिक्षा का ध्येय ही ऐसा होना चाहिए कि वह नागरिकों के समग्र विकास मे सहयोगी हो और राष्ट्रीय विकास कार्यो मे शिक्षा प्राप्त व्यक्ति का उपयोग किया जा सके। प्रत्येक नवोदित राष्ट्र ऐसा उपक्रम करते हैं। हमारे देश ने भी 1947 के बाद यही उपक्रम किया और उसमे वह निरन्तर आगे बढता जा रहा है। ग्रन्थालय विकास की कडी निश्चित ही कही ग्राम स्तरो पर छूट रही है जिसे पूर्ण करने का प्रयास होना चाहिए।

अपने प्रारम्भिक वर्षो से सोवियत रूस ने भी ऐसे कई प्रयास किये। इससे सम्बद्ध विचार राष्ट्रीय विकास की कार्यप्रणाली पर शिक्षा के कार्य भार की, पहली रूस अध्यापक कांग्रेस की रिपोर्ट म दिये गये जिसका जिक्र अनातोली लुनाचार्स्की ने अपनी पुस्तक 'शिक्षा का ध्येय" की टिप्पणी म लिखा "ग्रामीण सांस्कृतिक संस्था का एक रूप जो (ग्राम वाचनालय) सोवियत सत्ता के प्रारम्भिक वर्षों म प्रकट हुआ। गांवो मे ऐसे वाचनालयो की स्थापना का विचार लेनिन ने पेश किया था। तीसरे और चौथे दशको म गांव वाचनालय देहातो मे ज्ञान प्रसार कार्य के केन्द्र थे। उन्होने निरक्षरता के उन्मूलन, देहातो मे सबके लिए प्रारम्भिक शिक्षा को यथार्थ बनाने और कृषि के सामूहिकीकरण को पूरा करने मे सोवियतो और पार्टी निकायो की सहायता की।"[11] सन् 1940 तक इस देश से निरक्षरता लगभग समाप्त हो चुकी थी।[12]

भारत मे भी प्रारम्भिक पचवर्षीय योजनाओ मे ग्राम पुस्तकालयो पर बराबर ध्यान दिया गया। अब जबकि प्रौढ व सतत् शिक्षा का कार्यक्रम विश्व विद्यालय अनुदान आयोग ने विश्व विद्यालयो की राष्ट्रीय सेवा योजनाओ तथा क्रियात्मक प्रौढ शिक्षा ईकाईयो को सौंप दिया है। गांव के पुस्तकालय व वाचनालय की ओर शायद किसी का ध्यान नही जायेगा। इसका कारण है कि जब तक ग्रन्थालयो को प्रौढ़ साक्षरता का सशक्त माध्यम बनाने की पहल नही की जाती इसका महत्व समाप्त होता जायगा।

भविष्य मे ग्रन्थालय विकास की सम्भावनायें प्रकट करने हेतु हम हर बार पिछले योजना आयोग, शिक्षा सलाहकार बाड, शिक्षा आयाग माध्यमिक शिक्षा विभाग, राधाकृष्ण कमीशन विश्व-विद्यालय अनुदान आयाग एव राष्ट्रीय प्रौढ शिक्षा निदेशालयो की सस्तुतिया, प्रतिवेदनो एव प्रलेखा का उल्लेख करते रहते है किन्तु इनका असर कहाँ तक योजनाकार व शिक्षा प्रणाली निमाताओ पर पड सकता है यह आज तक प्रकाशित एव अप्रकाशित ग्रन्थो व प्रलेखो के विवरणो से मिलता है। सिफ बार-बार उन्ही बातो का दोहराते रहने से ही हम सतोष कर लेते है।

भविष्य की चिन्ता उन राज्या को नही हैं जिन्होंने कारगर कदम तत्काल उठा लिए है और जिनके प्रदेशों की शैक्षणिक यात्रा बखूबी चल रही है। परन्तु एक लेखक होने के नाते और ग्रन्थालय व्यवसायी होने के नाते कुछ पीडा तो होना, स्वाभाविक है। जहाँ एक ओर पुस्तकालय विज्ञान की शिक्षा को व्यापक पैमाने पर विश्वविद्यालया मे चलाया जा रहा है और इन प्रशिक्षणा का उद्देश्य ही है कि प्रशिक्षित ग्रन्थपाल निकल कर अपने देश की ग्रन्थालय व्यवस्था को सम्हालने म अपना योगदान दें, किन्तु जब ग्रन्थालय नही होगें और इन्हे ग्रन्थालय सेवा का अवसर नही मिलेगा तब उन्हे बेकार होकर भटकने के अवसर ही प्राप्त होगे। ऐसी स्थिति एक व्यावसायिक युवक के लिए दुखदायी है और सरकार के लिए उसका बेराजगार रहना चिन्ता का विषय हैं।

एक ओर यदि हम यह मानकर सतोष कर लें कि देश भर के विश्व विद्यालय, महाविद्यालय, राज्य केन्द्रीय पुस्तकालयो जिला ग्रन्थालयो एव विज्ञान व अनुसधान केन्द्रो, औद्योगिक व तकनीकी सस्थानो के ग्रन्थालय हमारे प्रशिक्षित ग्रन्थपालो की समस्याओ का निदान कर देत है तो यह नाकाफी होगा। क्योकि देश की 70% ग्रामीण जनसख्या गावो म रहती है और 30% शहरी क्षेत्रो मे तब अनुमान लगाइयें कि क्या 30% शहरी क्षेत्र मे स्थापित उक्त सस्थान इस कमी को पूरा करत हैं। जहाँ 70% ग्रामीण क्षेत्रो मे विद्यालयीन ग्रन्थालय नही है और ना ही सावजनिक पुस्तक वितरण प्रणाली और न ग्राम पुस्तकालय, तब हम कैस विश्वास कर लें कि पुस्तकालय विज्ञान की पढ़ाई मे प्रशिक्षित ग्रन्थालय व्यवसायियो का भविष्य सुखकर होगा। एसी व्यावसायिक शिक्षा जो 50 विश्वविद्यालया व 15 मान्यता प्राप्त सस्थाओ सघा व ग्रन्थालयो मे दी जा रही है उन्ह व्यवसाय स जोडने हेतु देश भर म शैक्षणिक, सामाजिक-ग्रामीण स्तर पर व शोध अनुसधान केन्द्रो मे ग्रन्थालयो का होना अत्यन्त आवश्यक है।

आज जिन सावजनिक ग्रन्थालयो का विना अ[illegible] सचालन व सगठन हो रहा है उनमे स्थानीय अप्रशि[illegible] [illegible] को [illegible] यदि अधिनियम सभी राज्यों मे लागू हो जाव [illegible] म [illegible] बेरोजगार कुशल युवकों को सेवा का अवस[illegible]

ग्रंथालयों के विकास एवं भविष्य को भारतीय वातावरण में सक्षम व श्रेष्ठ बनाने के लिए अभी तक किए गये प्रयास विशेष तौर पर ग्रामीण अंचलों को विकसित करने व ग्रंथालयों का लाभ देने की दृष्टि से नहीं के बराबर है। आज हम प्रौढ़ शिक्षा, सतत् शिक्षा एवं खुले विश्वविद्यालयों की शिक्षा सामान्य जन को मुहैया कराने की बात कर रहे हैं तब "वर्तमान में ग्रंथालय का कोई स्वतंत्र मंत्रालय ना तो केन्द्र में है ना ही राज्य में।" ज्ञान के गहन विकास एवं विश्व में चल रही परम्परा को दृष्टिगत रखते हुए यह आवश्यक है कि केन्द्र सरकार केन्द्र एवं राज्य में ग्रंथालयों का स्वतंत्र मंत्रालय स्थापित करें। राष्ट्रीय स्तर पर केन्द्रीय शासन को राष्ट्रीय ग्रंथालय अधिनियम को लागू करना चाहिए जिससे राष्ट्रीय ग्रंथालय प्रणाली की स्थापना की जा सके।'[13] यह सिर्फ उन लोगों की सुविधा के लिए ही उपयोगी नहीं होगा जो नव साक्षर है, अर्द्ध साक्षर है अथवा अनपढ़ हैं वरन् उन समस्त भारतवासियों के हित में होगा जो ज्ञान विज्ञान में रुचि रखते हैं, ग्राम, नगर या शहर के हैं, व्यापार, उद्योग या खेती किसानी में लगे है और कई वर्षों से जो ग्रंथालय-व्यवसाय मे लग होकर सुखद भविष्य की कामना करते है। इस तरह यदि देश में सीखने, पढ़ने, वार्ता-गोष्ठी मनोरंजन, देश विदेश की राजनीति तथा वैज्ञानिक उपलब्धियों की चर्चा हम करनी है तो हमें पुस्तक संस्कृति के साथ-साथ भारत में ग्रंथालय क्रान्ति लाना होगा तभी हम ज्ञान के विस्फोट का सुव्यवस्थित झेल सकेंगे, सूचना और संचार माध्यमों में विकास कर सकेंगे। जब सारा देश एक ग्रंथालय प्रणाली के तंत्र में जुड़ जायेगा, तब कोई भी सूचना एक छोर से दूसरे छोर, एक गांव से दूसरे गांव व शहर तक पहुँचने में व्यवधान नहीं बन पायेगी। जनता को खुशहाल एवं वैचारिक स्तर प्रदान करने के लिए ग्रंथालयों के गिरते स्तर को हमें सुधारना है जिसमें ग्रंथालय सेवा में लगे लोगों व संगठनों का सहयोग महत्त्वपूर्ण होगा। राजाराम मोहनराय फाऊण्डेशन लायब्रेरी ने विगत वर्ष राष्ट्रीय ग्रंथालय नीति के निर्माण में जो पहल की है वह निश्चित ही स्वागत योग्य है। लायब्रेरी ने जो अनुशंसा[14] प्रस्तुत की है वह "राष्ट्रीय ग्रंथालय एवं सूचना नीति प्रायोजन से सम्बन्धित है।"

राजाराम मोहनराय फाउण्डेशन लायब्रेरी द्वारा प्रस्तुत अनुशंसा निश्चित ही देश में ग्रंथालय विकास की दिशा में एक बेहतर कदम है फिर भी जब तक राज्य-सरकारें अपने प्रान्तों में ग्रंथालय अधिनियम पारित नहीं करती तब तक उक्त अनुशंसाओं का व्यापक लाभ ग्रामीण क्षेत्रों के पुस्तकालयों व स्वायत्तशासी संस्थाओं के ग्रंथालय उपयोगकर्त्ताओं को मिल पाना कठिन होगा। मैसूर राज्य पुस्तकालय के मुख्य अधिकारी रहे नागप्पा दासप्पा बगरी ने भारत में पुस्तकालयों का भविष्य' के बारे में लिखा है कि "इस समय प्रदेशों में (जहाँ पुस्तकालय कानून नहीं बना है) दो प्रकार के सार्वजनिक पुस्तकालय हैं। एक तो प्रदेशीय सरकार के सरकारी सार्वजनिक पुस्तकालय है जैसे प्रदेशीय केन्द्रीय पुस्तकालय

ग्रौर उससे सम्वद्ध जिला पुस्तकालय तथा इसी प्रकार के ग्रन्य पुस्तकालय। दूसरे व सावजनिक पुस्तकालय है जा सरकार द्वारा प्राप्त ग्रनुदान तथा ग्रपनी सीमित ग्राय से चलाये जाते है। छोटे सावजनिक पुस्तकालयो को नगरपालिकाए ग्रौर जिला परिपद् ग्रपने ग्रपने क्षेत्र मे ग्रनुदान देती है। सरकारी सावजनिक पुस्तकालयो की व्यवस्था तथा ग्रनुदान वितरण का काय प्रदेशो मे प्राय शिक्षा विभाग के ग्रन्तगत है।"[15]

ऐसे सावजनिक ग्रन्थालयो के बीच मे फैली भिन्नता व ग्राने वाली व्यावहारिक कठिनाइया को दूर करने बावत भी फाऊण्डेशन* को ग्रपनी नीतियाँ सरकार के समक्ष स्पष्ट कर दनी चाहिए ताकि जनता के सहयोग से चल रहे सावजनिक ग्रन्थालय भी ग्रपनी सेवायेँ राष्ट्रीय ग्रन्थालय की नीतियो के ग्रनुसार दने मे सक्षम हो सकें। यह काय उतना ही ग्रावश्यक है जितना ग्रन्थालय विकास के लिए ग्रधिनियमा का पारित होना। ग्राज हमारा देश विश्व के ग्रन्य देशो के मुकाबले ग्रार्थिक एव राजनैतिक मामलो मे काफी कुछ उन्नतशील व ग्रात्मनिभर हो गया है। ज्ञान विज्ञान व ग्रनुसधान के क्षेत्र मे भी यहा श्रेष्ठ तकनीको का उपयोग कर राष्ट्रीय विकास मे योगदान किया जा रहा है किन्तु निरक्षरता के ग्रभिशाप से हम मुक्त नही हो पाये है। सभवत यह दोप हमारी प्रारम्भिक शिक्षा योजनाग्रो का रहा जिसमे हमने ग्रन्थालयो के महत्त्व को कोई स्थान नही दिया।

ग्रब समय व परिस्थितिया मे काफी परिवतन ग्रा गया है। हमे 21वी सदी की ग्रोर बढना है। दूर-दशन, कम्प्यूटर व स्वचालित यन्त्रो द्वारा हमे शिक्षा-कायक्रमा को चलाना है, नई शिक्षा प्रणाली को पूरे देश म शिक्षा की चुनौती के रूप मे लागू करना है तब हम ग्रन्थालयो तथा सूचना-केन्द्रा के विना ग्रपने सकल्प मे पूणत सफल नही हो सकते। ग्राजीवन शिक्षा (Continuing Education) के सुग्रवसर सिफ ग्रन्थालयो स ही मिल सकत है। ग्रत ग्रन्थालयो हेतु विकसित भारतीय-राष्ट्रीय ग्रन्थालय नीति ग्राज की महती ग्रावश्यकता है।"[16] ग्रन्थालयो का भविष्य इन्ही राष्ट्रीय-नीतिया पर निभर होगा।

---

* राजाराम मोहनराय फाऊण्डेशन लाइब्रेरी, कलकत्ता।

सन्दर्भ ग्रन्थ –

1 सहाय (श्री नाथ) पुस्तकालय एव समुदाय, पटना, बिहार हिन्दी ग्रन्थ ग्रकादमी 1975 पृ 326

2 श्रीवास्तव (श्यामनाथ) तथा वर्मा (सुभाष चन्द्र) पुस्तकालय सगठन एव सचालन, जयपुर, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ ग्रकादमी 1972 पृ 3–4

3 हिन्दी प्रकाशक (मा) दिल्ली, ग्र भा हिन्दी प्रकाशक सघ 20 (4) जून 1983, सम्पादकीय

4 श्री वास्तव (प्रेमलता) प्रौढ शिक्षा समस्या ग्रौर समाधान, साहित्य

परिचय (मा) के प्रौढ शिक्षा विशेपाक से आगरा, विनोद पुस्तक मन्दिर, अक्टूबर दिसम्बर 1978 पृ 61

5 SAFI (SM) Adult Eduction and role of Libraries in ILA, Bulletin, New Delhi, Vol XVII No 3-4, Jul Dec 1981, p 242

6 अहमद (मुस्ताक) कुर्सी पर बठकर या पैदल चलकर साहित्य-परिचय (मा) के प्रौढ शिक्षा विशेपांक से आगरा, विनोद पुस्तक मन्दिर, 1978 पृ 157

7 सिंह (ऋषभदेव) ग्रामीण विकास म वैज्ञानिको का योगदान योजना (मा) नयी दिल्ली, योजना भवन, 1-15 जनवरी, 1988 पृ 25

8 मिश्र (आत्मानन्द) भारत मे प्रौढ शिक्षा का विकास-साहित्य परिचय (मा) प्रौढ शिक्षा विशेपाक आगरा, विनोद पुस्तक मन्दिर अक्टूबर दिसम्बर 1978 पृ 137

9 RAO (Dattakavi Nagshankara) Library Services for the underserved ILA Bulletin, New Delhi Indian Library Association, XVII, No 2, Apr -Jun 1981 P 136

10 RANGANATHAN (SR) Library Administration, London Asia Publishing House, 2nd impression, 1960 P 355

11 लुनाचार्स्की (अनातोली) शिक्षा का ध्येय टिप्पणिया, मास्को प्रगति प्रकाशन 1984 पृ 319, टिप्पणियो के लेखक—ये दनेप्रोव, अनुवादक, ददन उपाध्याय

12 भारत शिक्षा मत्रालय टीचस हैण्ड बुक ऑफ सोशल एजूकेशन, नई दिल्ली 1955 पृ 105

13 Dalal (MJ) and Limaye (CB) A Second Look at the Libr ry legislation, ILA Bulletin XVII No 1 Jan -March 1981 P 4

14 GIRJA KUMAR Towards a National information policy ILA Bulletin VXX No 3 4 March 1985 P 175

15 बगरी (एन डी) भारत म पुस्तकालयो का भविष्य, लेखक की पुस्तक, 'पुस्तकालय-पद्धति" से इलाहाबाद, नीलम प्रकाशन, 1973 पृ 131-32

16 GUPTA (Pawan K) and Pawan (Usha) Eduction Policy and Public Libraries in ILA Bulletin XXI No 3–4 Oct 1985-March 1986 P 117

परिशिष्ट-1

1 भारत मे ग्रन्थालय अधिनियम वाले राज्य —

क्र स	राज्यो के नाम	अधिनियम पारित वर्ष
1	तमिलनाडु	1941
2	आन्ध्र प्रदेश	1960
3	कर्नाटक	1965
4	महाराष्ट्र	1967
5	पश्चिम बगाल	1979

2 अधिनियम पारित वाले राज्यो मे पुस्तकालयो की स्थिति —

क्र म	राज्य	अधिनियम पारितहोने का वर्ष	राज्य केन्द्रीय पुस्त	जिला पुस्त	टाऊन पुस्त	नॉन पुस्त	ग्राम पुस्त	विशिष्ट पुस्त	ने यु के	कुल पुस्त
1	तमिलनाडु	1941	1	15	—	374	3427	1	4	3822
2	आन्ध्र प्रदेश	1960	1	22	207	324	1623	2	4	2190
3	कर्नाटक	1965	1	19	230	175	1498	1	6	1930
4	महाराष्ट्र	1967	1	26	257	195	285	5	2	751
5	पश्चिमी बगाल	1979	1	16	61	48	531	6	8	671

3 भारत के प्रमुख राज्यो मे साक्षरता का प्रतिशत —

(अ) ग्रन्थालय अधिनियम वाले राज्यो मे साक्षरता प्रतिशत —

1	केरल	69 75
2	महाराष्ट्र	45 77
3	तमिलनाडु	45 40
4	कर्नाटक	3 , 83
5	आध्र प्रदेश	28 52

(ब) बिना ग्रन्थालय अधिनियम वाले राज्यो मे साक्षरता प्रतिशत —

1	राजस्थान	22 57
2	बिहार	23 35

3	उत्तर प्रदेश	25 44
4	मध्य प्रदेश	26 71
5	हरियाणा	31 91

4. भारत में पुस्तकालय सेवा प्रति व्यक्ति औसत व्यय —

1	आंध्र प्रदेश	15 पैसे
2	केरल	15 पैसे
3	कर्नाटक	10 पैसे
4	महाराष्ट्र	6 पैसे
5	आसाम	4 पैसे
6	राजस्थान	3 पैसे
7	उत्तर प्रदेश	1 पैसा

5 भारत मे शहरी एव ग्रामीण जनता मे साक्षरता प्रतिशत —

राज्य	साक्षर ग्रामीण जनता का प्रतिशत	साक्षर शहरी जनता का प्रतिशत
आन्ध्र प्रदेश	22 30	54 28
आसाम	31 26	67 02
बिहार	20 0	51 82
गुजरात	33 31	63 25
हरियाणा	25 92	58 89
हिमाचल प्रदेश	34 87	68 69
जम्मू व कश्मीर	16 57	53 55
केरल	68 54	75 92
मध्य प्रदेश	20 08	58 12
महाराष्ट्र	36 09	66 56
पजाब	32 08	51 91
राजस्थान	16 44	50 81
तमिलनाडु	36 03	64 56
उत्तर प्रदश	21 29	50 53

———

परिशिष्ट-2

भारत मे पुस्तकालय विज्ञान प्रशिक्षण संस्थान

(अ) विश्वविद्यालय —

क्र म	विश्वविद्यालय का नाम	प्रारम्भ वर्ष
1	आन्ध्र विश्वविद्यालय, वाल्टयर	1935
2	मद्रास विश्वविद्यालय, मद्रास	1937
3	बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय	1941
4	बॉम्बे विश्वविद्यालय, बम्बई	1944
5	कलकत्ता विश्वविद्यालय, कलकत्ता	1945
6	देहली विश्वविद्यालय, देहली	1947
7	एम एस विश्वविद्यालय, बडौदा	1956
8	नागपुर विश्वविद्यालय, नागपुर	1956
9	विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन	1957
10	अलीगढ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ	1958
11	पूना विश्वविद्यालय, पुणे	1958
12	उस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद	1959
13	पंजाब विश्वविद्यालय, चण्डीगढ	1960
14	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	1960
15	केरल विश्वविद्यालय, त्रिवेन्द्रम	1961
16	कर्नाटक विश्वविद्यालय धारवार	1962
17	लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ	1962
18	एस एन डी टी वूमन विश्वविद्यालय बम्बई	1962
19	सागर विश्वविद्यालय सागर	1962
20	बर्द्धमान विश्वविद्यालय, बर्द्धमान	1964
21	गुजरात विश्वविद्यालय, अहमदाबाद	1964
22	जगदेवपुर विश्वविद्यालय, कलकत्ता	1965
23	जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर	1965
24	मैसूर विश्वविद्यालय, मैसूर	1965
25	शिवाजी विश्वविद्यालय, कोल्हापुर	1965
26	गोहाटी विश्वविद्यालय, गुहाटी	1966

27	मस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी	1967
28	मराठवाड़ा विश्वविद्यालय, श्रौरंगाबाद	1967
29	कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरूक्षेत्र	1968
30	ए पी एस विश्वविद्यालय, रीवा	1968
31	पजाबी विश्वविद्यालय, पटियाला	1969
32	सागर विश्वविद्यालय सागर	1971
33	रविशंकर विश्वविद्यालय, रायपुर	1971
34	कश्मीर विश्वविद्यालय श्रीनगर	1971
35	जबलपुर विश्वविद्यालय, जबलपुर	1971
36	भागलपुर विश्वविद्यालय भागलपुर	1973
37	बैंगलौर विश्वविद्यालय बैंगलौर	1973
38	गुरूनानक दव विश्वविद्यालय श्रमृतसर	1973
39	मदुरई विश्वविद्यालय मदुरइ	1974
40	एस वी विश्वविद्यालय तिरुपति	1974
41	उदयपुर विश्वविद्यालय, उदयपुर	1975
42	सम्बलपुर विश्वविद्यालय, सम्बलपुर	1975
43	कालीकट विश्वविद्यालय, कालीकट	1976
44	गुलबर्गा विश्वविद्यालय, गुलबर्गा	1978
45	पटना विश्वविद्यालय पटना	1980
46	श्रान्ध्र प्रदेश खुला विश्वविद्यालय (पत्राचार द्वारा)	1984

(ब) महाविद्यालय—

1 श्राई टी कॉलिज, लखनऊ (उ प्र)
2 एम एल कॉलेज, ग्वालियर (म प्र)
3 ए ई सी कॉलेज पचमढी (म प्र)
4 बी श्रार कॉलेज, श्रागरा (उ प्र)
5 टी श्रार एस कॉलेज, रीवा (म प्र)
6 एल बी एस कालेज, जयपुर (राजस्थान)
7 सत्य साई कॉलेज, जयपुर (राजस्थान)
8 दधिमति कॉलेज गंगानगर
9 बी टी सी कालेज, सरदार शहर
10 श्राय विद्यापीठ कन्या महाविद्यालय, मुसावर
11 ग्रामोदयान विद्यापीठ, मागरिया
12 महिला पॉलीटक्नीक, बैंगलौर
13 वूमेन पालीटक्नीक दिल्ली

14 राजकीय पालीटक्नीक फॉर वूमेन, चडीगढ़
15 महिला विद्यापीठ इलाहाबाद
16 राजकीय टेक्नीकल इन्स्टीटयूट फार वूमन, राऊरकेला
17 वूमेन पॉलीटक्नीक, हुवली

(स) विशिष्ट सस्थान—

1 डी ग्रार टी सी बगलौर
2 ग्राई एन एस डी ग्रो सी, दिल्ली
3 ग्राई एम ग्राई, दिल्ली
4 नशनल ग्राश्का इब्ज, दिल्ली
5 सुपरिटण्डण्ट ग्राफ लायब्रेरीज, बिहार

(द) ग्रन्थालय सघ—

1 दिल्ली पुस्तकालय सघ
2 उ प्र पुस्तकालय सघ
3 बगाल पुस्तकालय सघ
4 ग्रान्ध्र प्रदेश पुस्तकालय सघ
5 बिहार पुस्तकालय सघ
6 ग्राईस्लिक पुस्तकालय सघ
7 गुजरात पुस्तकालय सघ
8 बम्बई पुस्तकालय सघ
9 महाराष्ट्र ग्रन्थालय सघ
10 विदर्भ ग्रन्थालय सघ

(ई) राज्य केन्द्रीय ग्रन्थालयों द्वारा—

1 मौलाना ग्राजाद केन्द्रीय पुस्तकालय, भोपाल
2 सावजनिक केन्द्रीय ग्रन्थालय, ग्वालियर
3 सिन्हा पुस्तकालय पटना
4 राज्य केन्द्रीय पुस्तकालय, ग्रगरतला
5 राज्य केन्द्रीय पुस्तकालय, चण्डीगढ

परिशिष्ट--3

(1) भारत मे पत्राचार पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय केन्द्र[1]

जो लोग विश्वविद्यालयो अथवा महाविद्यालयो मे नियमित रूप से शिक्षा ग्रहण नही कर सकते, उनके लिए देशभर के निम्नांकित विश्वविद्यालयो ने विभिन्न स्तरो के पाठ्यक्रमो म पत्राचार द्वारा परीक्षा मे बैठने की व्यवस्था की है —

पत्राचार पाठयक्रम प्रदान करने वाले विश्वविद्यालय

अनुक्रमाक	विश्वविद्यालय का नाम	पाठयक्रम	पाठ्यक्रम प्रारम्भ वष	पाठ्यक्रम अवधि	1981–82 मे बैठे छात्रो की सख्या
1	2	3	4	5	6
1	दिल्ली	बी ए	1962	3 वष	2920
		बी काम	1971	,,	2656
		बी काम (आनस)	1971	,,	691
		एम ए (हिन्दी)	1977	2 वष	275
		एम ए (राज)	1977	,,	229

1	2	3	4	5	6
2	मेरठ	बी ए	1969	2 वप	543
3	भोपाल	बी ए	1975	3 वप	2925
		बी काम	1975	,,	
4	श्री वेंकटेश्वर	बी ए	1972-73	,,	227
		बी काम	,,	,	269
5	उत्कल	आई ए	1975	2 वप	403
		आई काम	1976	,,	83
		बी ए	1975	,,	228
		बी कॉम	1979	,,	82
6	जम्मू	बी ए	1976	2 वप	169
		बी काम		,,	
		बी एड		14 माह	413
		एल एल बी		2 वप	571
7	मदुराई कामराज	पी यू सी	1971-72	1 वप	
		बी ए		3 वप	
		एम ए (अर्थशास्त्र)	1976-77	2 वर्ष	
		बी कॉम		3 वप	
		एम ए (इतिहास)		,,	

		एम ए (तमिल)		2 वप	
		एम ए (अंग्रेजी)		,,	
		एम कॉम		,,	
		वी जी एल (प्रोफेशनल)		,,	
		बी एस सी	1979	3 वप	
		एम ए (राजनीति शास्त्र)	1979	2 वप	
8	पजाव	प्री यूनिवर्सिटी	1971–72	1 वप	1037
		बी ए	1971–72	3 वप	3927
		बी काम	1973–74	,,	918
		एम ए (अंग्रेजी)	1976–77	2 वप	903
		एम ए (अथ शास्त्र)		2 वप	508
		एम ए (इतिहास)		,,	255
		एम ए (राजनीति शास्त्र)		,,	265
		एम ए (लोक प्रशासन)		,,	777
		एम ए (हिन्दी)	1979–80	,,	228
		एम ए (पजावी)		,,	127
	पजाबी	प्री यूनिवर्सिटी	1968	1 वप	718
		बी ए	1968–69	3 वर्ष	1979

1	2	3	4	5	6
		एम ए (पजाबी)	1974–75	2 वष	318
		एम ए (इग्लिश)	1976–77	"	302
		एम ए (राजनीति शास्त्र)	"	"	229
		एम ए (इतिहास)	"	"	ı96
		एम ए (अर्थ शास्त्र)	1980	"	325
10	मैसूर	पी यू सी	1969–70	1 वष	
		बी ए	1969–70	3 वष	
		बी काम	1972–73	"	
		बी एड	1975–76	18 माह	
		बी जी एल	1974–75	2 वष	
		एम ए (क नड)	1973–74	"	
		एम ए (इग्लिश)	1973–74	"	
		एम ए (इतिहास)	1974–75	"	
		एम ए (राजनीति शास्त्र)	1975–76	"	
		एम ए (समाज शास्त्र)	1975–76	"	
11	बम्बई	एफ वाई (आटस)	1979–80	1 वष	844
		इटर आटस	1972–73	"	
		एफ वाई कॉमर्स	1979–80	"	571

1	2	3	4	5	6
		इन्टर कॉमर्स	1972–73	1 वष	
		बी ए	1973–74	2 वष	
		बी कॉम	1973–74	"	
		एम ए	1975–76	"	1167
		एम कॉम	1975–76	"	1976
		डी एफ एम	1975–76	1 वष	420
		डी ओ आर एम	1975–76	"	84
12	सी आई ई एल एल हैदराबाद	पी जी सी टी ई	1973	1 वष	528
		पी जी डी टी ई	1978	"	128
		एम ए (फ्रेंच)	1977	3 वष	23
		एम ए, (जर्मन)	1977	"	6
		एम ए (रशियन)	1976	"	35
13	उसमानिया	बी ए	1977–78	3 वष	
		बी कॉम	1977–78	"	
14	अन्नामलई	बी काम	1979	3 वष	280
		बी एड	1979	1 वर्ष	6000
		डिप्लोमा इन लॉ	1979	"	1571
		बी ए	1980–81	3 वष	187

1	2	3	4	5	6
		वी लीट	1980–81	3 वप	136
		वी ए एल	1981–81	"	576
		एम ए	1980–81	2 वप	2637
		एम एम सी	"	"	1902
		एम काम	"	"	473
		एम एड	,	1 वप	2193
15	करल	प्री-डिग्री	1977–78	2 वप	776
		वी ए	1979–80	3 वप	1408
		वी काम			971
16	इलाहावाद	वी ए	1978–79	2 वप	473
		वी काम		"	183
17	कश्मीर	वी ए	1976	3 वप	287
		वी काम			
		वी एड	1977	14 माह	252
		एल एल वी	1978	2 वप	176
18	आन्ध्र प्रदश	पी यू सी	1972–73	2 वप	
		वी ए	1972–73	3 वप	7336
		वी काम		"	2378

1	2	3	4	5	6
		एम ए (अ्रथ शास्त्र)	1978–79	2 वष	315
		एम कॉम		,,	590
19	हिमाचल प्रदेश	बी ए	1971–72	3 वष	1436
		एम एड		1 वष	4566
		एम कॉम		2 वष	1380
		एम ए (इग्लिश)		,,	737
		एम ए (इहिास)		,,	422
		एम ए (अ्रथशास्त्र)		,,	1075
		एम ए (राजनीति शास्त्र)		,,	704
		एम ए (हिन्दी)		,,	472
		एम ए (सस्कृत)		,,	121
		पी यू सी		,	788
20	उदयपुर	बी ए	1,979 80	3 वष	216
21	राजस्थान	बी ए	1976	3 वष	
		एम काम	1976	2 वष	
		बी काम	1968	3 वष	
		एम ए (हिन्दी)	1976	2 वष	
		एम ए (इतिहास)	1968	,,	

1	2	3	4	5	6
		एम ए (समाज शास्त्र)	1976	2 वप	
		एम ए (राजनाति शास्त्र)	1968	"	
		एम ए (लोक प्रशासन)	1976	"	
		एम ए (अ्रथ शास्त्र)	1976	"	
		बी एड	1976	14 माह	
22	एस एन डी बी वूमेन्स यूनिवर्सिटी	बी ए	1978-79	2 वप	

1* विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वार्षिक रिपोट 1981-82 के पृष्ठ 146 से 150 से अवतरित।

---

2. भारत मे सतत् शिक्षा प्रदान करने वाले विश्वविद्यालय[2]

क्रमाक	विश्वविद्यालयो के नाम
1	अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी
2	आन्ध्र यूनिवर्सिटी
3	बॉम्बे यूनिवर्सिटी
4	जादवपुर यूनिवर्सिटी
5	जम्मू यूनिवर्सिटी
6	कश्मीर यूनिवर्सिटी
7	कुमाव यूनिवर्सिटी
8	मद्रास यूनिवर्सिटी
9	एम एस यूनिवर्सिटी ऑफ बडोदा
10	पजाब यूनिवर्सिटी
11	पूना यूनिवर्सिटी
12	सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी
13	एस एन डी टी वूमेन्स यूनिवर्सिटी
14	श्री वकटश्वर यूनिवर्सिटी
15	नाथ ईस्टन हिल यूनिवर्सिटी
16	गुजरात विद्यापीठ*
17	इण्डियन स्कूल ग्राफ माईन्स*

2 यूनिवर्सिटी ग्राटस कमीशन रिपोर्ट 1981–82 पेज 145 से।
* विश्वविद्यालय मान्य सस्थाए।

3 भारत मे खुले-विश्वविद्यालय (Open Universities in India)

1. आन्ध्र-प्रदेश खुला विश्वविद्यालय, हैदराबाद—1982*
2. इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय, नई दिल्ली—1985*
3. म० प्र० खुला विश्वविद्यालय, भोपाल—घोषित**
4. महाराष्ट्र राज्य खुला विश्वविद्यालय—घोषणा**
5. केरला, राज्य-खुला विश्वविद्यालय—घोषित**1

* स्रोत—यूनिवर्सिटी न्यूज—अक 16 माच, 1987 पृ 7 से
** ,, ,, ,, अक 16 जुलाई, 1986 पृ 16 से
1** ,, ,, ,, विशेषाक 8 नवम्बर, 1986 पृ 6 से

1	2	3	4	5	6
		एम ए (समाज शास्त्र)	1976	2 वष	
		एम ए (राजनाति शास्त्र)	1968	"	
		एम ए (लोक प्रशासन)	1976	"	
		एम ए (अथ शास्त्र)	1976	"	
		बी एड	1976	14 माह	
22	एस एन डी बी वूमे स यूनिवर्सिटी	बी ए	1978–79	2 वष	

1* विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वार्षिक रिपोट 1981–82 के पृष्ठ 146 से 150 से अवतरित।

——

2 भारत मे सतत् शिक्षा प्रदान करने वाले विश्वविद्यालय[2]

क्रमाक	विश्वविद्यालयो के नाम
1	अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी
2	आ घ्र यूनिवर्सिटी
3	बाम्बे यूनिवर्सिटी
4	जादवपुर यूनिवर्सिटी
5	जम्मू यूनिवर्सिटी
6	कश्मीर यूनिवर्सिटी
7	कुमाव यूनिवर्सिटी
8	मद्रास यूनिवर्सिटी
9	एम एस यूनिवर्सिटी ऑफ बडौदा
10	पजाब यूनिवर्सिटी
11	पूना यूनिवर्सिटी
12	सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी
13	एस एन डी टी वूमन्स यूनिवर्सिटी
14	श्री वैंकटश्वर यूनिवर्सिटी
15	नाथ ईस्टन हिल यूनिवर्सिटी
16	गुजरात विद्यापीठ*
17	इण्डियन स्कूल आफ माईन्स*

2 यूनिवर्सिटी ग्राटस कमीशन रिपोट 1981–82 पेज 145 से।
* विश्वविद्यालय मान्य सस्थाए।

3 भारत मे खुले-विश्वविद्यालय (Open Universities in India)

1 आन्ध्र-प्रदेश खुला विश्वविद्यालय, हैदराबाद—1982*
2 इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय, नई दिल्ली—1985*
3 म० प्र० खुला विश्वविद्यालय, भोपाल—घोषित**
4 महाराष्ट्र राज्य-खुला विश्वविद्यालय—घोषणा**
5 केरला, राज्य-खुला-विश्वविद्यालय—घोषित**1

* स्रोत–यूनिवर्सिटी न्यूज—अक 16 मार्च, 1987 पृ 7 से
** ,, ,, ,, अक 16 जुलाई, 1986 पृ 16 से
1** ,, ,, ,, विशेषाक 8 नवम्बर, 1986 पृ 6 से